खण्ड–484, अंक–7
बुधवार, 22 फाल्गुन, शक संवत् 1934
(13 मार्च, 2013 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2013)

(खण्ड 484 में 10 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2013

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
प्रश्नोत्तर	7-98
आज की कार्य सूची के नत्थी 'क' के चौथे तारांकित प्रश्न संख्या को 5वें सोमवार के लिए स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ...	99-100
शासन स्तर से प्रश्नों का गलत उत्तर दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ...	100
उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी, श्रीमती चन्द्रकली वर्मा तथा श्री कैलाश नाथ सिंह यादव के निधन पर शोकोद्गार	101-102
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	102-103
जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र फेफना में कोट मझरिया अजोरपुर और रामपुर के बीच मगई नदी पर स्थायी पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	104
जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली अन्तर्गत बन्द पड़े निरोजपुर बघेड़ी पम्प कैनाल एवं नौगवांडीह पम्प कैनाल को पुनः चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	104
वाराणसी नगर के कमच्छा क्षेत्र में निर्मित 220/33 के0वी0ए0 विद्युत सब-स्टेशन चालू न होने तथा कज्जाकपुर राजघाट क्षेत्र में अर्धनिर्मित 33/11 के0वी0ए0 सब-स्टेशन पावर ट्रान्सफार्मर के अभाव में चालू न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	105
जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र मोदी नगर के अन्तर्गत निवाड़ी गंग नहर पुल से ग्राम सुहाना तक क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	105-106
जनपद मथुरा के कतिपय ब्लाकों के ग्रामीण अंचल में पेयजल की समस्या के निराकरण हेतु हैण्डपम्पों की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	106
जनपद बस्ती में एन0एच0 28 के नजदीक गोटवा के ग्राम गोपालपुर तक सड़क की जीर्ण-शीर्ण अवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	106
बाण सागर नहर निर्माण परियोजना के टेण्डर आवंटन में अधिकारियों द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	107

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र भरथना में जंगली सुअर व अन्य जानवरों द्वारा फसलों को बर्बाद किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	107
प्राइमरी कृषि ऋण सहकारी समिति के कर्मचारियों को नियमित वेतन का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	107-108
प्रदेश के समस्त बौद्ध अनुयायियों को शासनादेशों के बाद भी अल्पसंख्यक प्रमाण-पत्र निर्गत न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	108
जनपद लखीमपुर के विकास खण्ड बेहजम के ब्लाक प्रमुख को सत्ता पक्ष के कुछ व्यक्तियों द्वारा डराये-धमकाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	109
जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र टूण्डला के कच्चे मार्गों को लोक निर्माण विभाग की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पक्का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	109-110
जनपद महोबा के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के पेयजल संकट की समस्या का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	110-111
जनपद आजमगढ़ के निर्वाचन क्षेत्र मिर्जापुर ब्लाक के मुख्य बाजार लाहीडीह व मुड़ियार की सड़कों में हो रहे जलभराव के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	111
जनपद गोरखपुर में फल मण्डी तक जाने में नो एन्ट्री को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	111-112
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं..... (जारी)	112
नियमावली के नियम-188 के अनुसार अनुदान की मांगों पर विचार व मतदान हेतु पर्याप्त दिन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	112-113
प्रदेश में विधान सभा क्षेत्रों की संख्या बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..... (जारी)	114-115
वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन द्वारा उत्तर प्रदेश में मेट्रो की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की घोषणा पर मुख्य मंत्री को बधाई...	115-116
प्रदेश में विधान सभा क्षेत्रों की संख्या बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न...	116-117
निदेश संख्या-167/168 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं दिनांक 8 जून, 2012 को पुनर्जीवित करायी गयी सूचना का सही उत्तर प्राप्त न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	117-118

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद बुलन्दशहर की नगरपालिका परिषद् सिकन्दराबाद की सीमा बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	118-119
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	119
श्री राज्यपाल के अभिभाषण के प्रति सदन द्वारा स्वीकृत धन्यवाद प्रस्ताव के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल का आभार-पत्र	120
विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2011 के प्रथम शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-19 के गलत उत्तर के सम्बन्ध में श्री अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश (तेरहवां संस्करण) के निदेश संख्या-167/168 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना के संदर्भ में निदेश संख्या-168(2) के अन्तर्गत कृत कार्यवाही की सूचना एवं संशोधित उत्तर	120-128
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी)...	128
रेवेन्यू कोर्ट्स के कम्प्यूटराइजेशन हेतु सम्बन्धित योजना का मा0 मुख्य मंत्री द्वारा उद्घाटन एवं सम्बन्धित ब्रोशर को सभी मा0 सदस्यगण में वितरण किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में सूचना	129
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	129-135
वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या-50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन), अनुदान संख्या-51-राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत), अनुदान संख्या-52, राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत) ...	135-179
वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या-85 सार्वजनिक उद्यम विभाग (स्वीकृत)	179-180
वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या-89 संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर) (स्वीकृत)... ...	180
वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या-90 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) (स्वीकृत) ...	180
वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या-73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) (स्वीकृत)	181-220
वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या-07 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग), अनुदान संख्या-08-उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री), अनुदान संख्या-04 उद्योग विभाग (खानें और खनिज), अनुदान संख्या-03-उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) (स्वीकृत)	220-241

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 के पुनः पारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)	241-242
श्री लोकेश दीक्षित स0वि0स0 के दारुलशफा स्थित आवास से गाड़ी के पहिये चोरी हो जाने विषयक सूचना	242
ग्रामीण अभियंत्रण सेवा राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह राणा) द्वारा नेता प्रतिपक्ष को कथित उपहार भेंट करने का अनुरोध	242-244
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	244-247
उ0 प्र0 नगर भूमि सीमा रोपण निदेशालय जवाहर भवन, लखनऊ में कार्यरत सहायक अभियन्ता/कार्यालय अधीक्षकों को ए0सी0पी0 का लाभ न दिये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती रजनी तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)	247
जनपद बहराइच के विकास खण्ड शिवपुर अन्तर्गत सड़कों का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती माधुरी वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)	247
जनपद फतेहपुर के ग्राम कारीकान धाता के भैरव प्रसाद चौरसिया की 15 वर्षीय पुत्री अंशु देवी के लापता होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री संत राम कुशवाहा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	247-249
जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली के ग्राम नरखोरिया में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं के लिए खरीदे गये रजाई, गद्दे में बरती गई अनियिमतता की जांच छात्रों के भविष्य को हित में रखते हुए अन्य एजेन्सी से कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय प्रताप जायसवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर शिक्षा मंत्री का वक्तव्य ...	249-250
जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र पश्चिमी ब्लाक द्वितीय कौड़िहार स्थित तालाब से गन्दे पानी की निकासी हेतु सीवर लाइन बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती पूजा पाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पंचायती राज मंत्री का वक्तव्य	250-251
जल निगम, फिरोजाबाद द्वारा बनाई गई टी0टी0एस0पी0 टंकियों का 10 के0वी0 ट्रांसफार्मर का विद्युत मूल्य विद्युत विभाग फिरोजाबाद को न दिये जाने से योजना के चालू न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राकेश बाबू द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	252-254
लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा गोमती नगर विस्तार सेक्टर-1 में वनस्थली अपार्टमेन्ट के निर्धारित मानक के विपरीत कराये गये दोषपूर्ण कार्यों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत) ...	254

विषय	पृष्ठ-संख्या
कौशाम्बी के सिराथू विधान सभा में स्वीकृत 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्रों का निर्माण न कराये जाने के सम्बन्ध में श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	254-255
जनपद प्रतापगढ़ की तहसील लालगंज के ग्राम राहाटीकर एवं ग्राम पूरे नोती इटैला में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	255
जनपद बलिया के रसड़ा क्षेत्रान्तर्गत टोन्स नदी पर प्रधानपुर से बैजलपुर के बीच बना वर्षों पुराना बन्धा ढह जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री उमाशंकर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य	255-256
जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड तमकुहीराज स्थित सूर्य मन्दिर तुर्क पट्टी महुंअवा को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गंगा सिंह कुशवाहा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पर्यटन मंत्री का केवल वक्तव्य	256-257
विशालखण्ड-1 गोमतीनगर लखनऊ के भवन 1/812 के सामने स्थित पार्क से अनाधिकृत कब्जा हटाकर सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आशीष कुमार यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	257-258
नत्थियां	259-275

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

बुधवार, दिनांक 13 मार्च, 2013 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

उपस्थित सदस्य-323

1. अंसार अहमद, श्री — इलाहाबाद
2. अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
3. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री — देवरिया
4. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
5. अजय मिश्र 'टेनी' श्री — लखीमपुर खीरी
6. अजय कपूर, श्री — कानपुर नगर
7. अजय कुमार, डा0 — इलाहाबाद
8. अजय कुमार 'लल्लू', श्री — कुशीनगर
9. अजीत कुमार, श्री — फर्रुखाबाद
10. अजीमुलहक पहलवान अंसारी, हाजी — अम्बेडकर नगर
11. अताउर्रहमान, श्री — बरेली
12. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
13. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
14. अनिल वर्मा, श्री — उन्नाव
15. अनीसुर्रहमान, श्री — मुरादाबाद
16. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
17. अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
18. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री — बलरामपुर
19. अभय नरायन सिंह पटेल, श्री — आजमगढ़
20. अभय सिंह, श्री — फैजाबाद
21. अमर पाल शर्मा, श्री — गाजियाबाद
22. अमित गौरव यादव, श्री — एटा
23. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
24. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
25. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
26. अरूण वर्मा, श्री — सुल्तानपुर
27. अरूण कुमार, डा0 — बरेली
28. अरूण कुमारी कोरी, श्रीमती — कानपुर नगर
29. अलगू प्रसाद चौहान, श्री — सन्तकबीर नगर
30. अली यूसूफ अली, श्री — रामपुर
31. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री — गोण्डा
32. अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
33. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
34. अविनाश कुशवाहा, श्री — सोनभद्र
35. अशफाक अली खां, श्री — ज्योतिबाफूले नगर
36. आदिल शेख, श्री — आजमगढ़
37. आनन्द सिंह, कुंवर — गोण्डा
38. आबिद रजा खां, श्री — बदायूं
39. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — बलरामपुर
40. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
41. आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
42. आशा किशोर, श्रीमती — छत्रपति शाहूजी महराज नगर
43. आशीष कुमार यादव, श्री — एटा
44. आशीष यादव, श्री — बदायूं
45. आशुतोष उपाध्याय, श्री — देवरिया
46. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री — बदायूं
47. इकबाल महमूद, श्री — भीमनगर
48. इन्दल कुमार, श्री — लखनऊ
49. इन्द्रजीत कोरी, श्री — कानपुर नगर
50. इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी
51. इन्द्रपाल सिंह, श्री — रमाबाईनगर
52. इन्द्राणी देवी, श्रीमती — श्रावस्ती
53. उदयराज, श्री — उन्नाव

54. उदय लाल मौर्या, श्री वाराणसी
55. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
56. उमाकान्ती, श्रीमती जालौन
57. उमाशंकर, श्री बलिया
58. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
59. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
60. ओम कुमार, श्री बिजनौर
61. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
62. काली चरन सुमन, श्री आगरा
63. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
64. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
65. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
66. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
67. केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य, श्री कौशाम्बी
68. कैलाश, श्री गाजीपुर
69. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
70. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
71. गंगा सिंह कुशवाहा, श्री कुशीनगर
72. गजराज सिंह, श्री पंचशील नगर
73. गायत्री प्रसाद, श्री छत्रपति शाहूजी महराज नगर
74. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
75. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
76. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
77. गेंदा लाल चौधरी, श्री महामायानगर
78. गोमती यादव, श्री लखनऊ
79. गोरख पासवान, श्री बलिया
80. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
81. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
82. चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
83. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
84. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
85. जगपाल, श्री सहारनपुर
86. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
87. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
88. जफर आलम, श्री अलीगढ़
89. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
90. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़
91. जमील अहमद कास्मी, श्री मुजफ्फरनगर
92. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
93. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
94. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
95. जाहीद बेग, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
96. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
97. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
98. ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती वाराणसी
99. तसलीम, श्री बिजनौर
100. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
101. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
102. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
103. त्रिलोकीराम, श्री अलीगढ़
104. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
105. दलजीत सिंह, श्री बांदा
106. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
107. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
108. दीपक कुमार, श्री उन्नाव
109. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री झांसी
110. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
111. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
112. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
113. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
114. धर्मराज, श्री बाराबंकी
115. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
116. धर्मेश सिंह तोमर, श्री पंचशील नगर
117. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कांशीराम नगर
118. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
119. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद

120. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
121. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्री प्रतापगढ़
122. नारद राय, श्री बलिया
123. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
124. निरंजन ज्योति, साध्वी हमीरपुर
125. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहांपुर
126. पंकज कुमार मलिक, श्री प्रबुद्धनगर
127. परवेज अहमद (टंकी), हाजी इलाहाबाद
128. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
129. पीटर फैन्थम, श्री नाम-निर्देशित
130. पीतमराम, श्री पीलीभीत
131. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
132. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
133. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
134. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
135. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
136. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
137. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
138. प्रभूदयाल बाल्मीकि, श्री मेरठ
139. प्रमोद तिवारी, श्री प्रतापगढ़
140. प्रेम प्रकाश सिंह, श्री देवरिया
141. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
142. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
143. फसीहा मंजर ''गजाला लारी'', सुश्री देवरिया
144. फेरन लाल, श्री ललितपुर
145. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
146. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महराजगंज
147. बदलू खां, श्री उन्नाव
148. बब्बन सिंह चौहान, श्री चन्दौली
149. बावन सिंह, श्री गोण्डा
150. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
151. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
152. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
153. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
154. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
155. बैजनाथ, श्री मऊ
156. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
157. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
158. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
159. भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
160. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
161. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
162. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
163. मनबोध, श्री देवरिया
164. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
165. मनीष रावत, श्री सीतापुर
166. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
167. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
168. ममतेश शाक्य, श्री काशीराम नगर
169. महबूब अली, श्री जे0पी0नगर
170. महावीर सिंह कुं0 हरदोई
171. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
172. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
173. माइकल चन्द्रा, श्री जे0पी0नगर
174. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
175. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
176. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
177. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री बहराइच
178. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
179. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानपुर नगर
180. मुसर्रत अली बिट्टन, श्री बदायूं
181. मुहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
182. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावस्ती
183. मूलचन्द्र चौहान, ठा0 बिजनौर
184. मो0 मुस्लिम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
185. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
186. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर

187. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
188. मौ0 अलीम खां, श्री बुलन्दशहर
189. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
190. मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
191. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
192. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री रमाबाईनगर
193. योगेश प्रताप सिंह ''योगेश भइया', श्री गोण्डा
194. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री कानपुर नगर
195. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
196. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
197. रणजीत सुमन, श्री एटा
198. रमेश चन्द, श्री मिर्जापुर
199. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
200. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
201. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
202. रवि शर्मा, श्री झांसी
203. राकेश कुमार, श्री अलीगढ़
204. राकेश प्रताप सिंह, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
205. राकेश बाबू, श्री फिरोजाबाद
206. राघव लखनपाल, श्री सहारनपुर
207. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
208. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
209. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
210. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
211. राजाराम, श्री प्रतापगढ़
212. राजेन्द्र, श्री गोरखपुर
213. राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सहारनपुर
214. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
215. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
216. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
217. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
218. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
219. राधेश्याम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
220. राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
221. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
222. राम करन आर्य, श्री बस्ती
223. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री भीमनगर
224. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
225. राम गोविन्द, श्री बलिया
226. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
227. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
228. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
229. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
230. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
231. राम मगन, श्री बाराबंकी
232. राममूर्ती वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
233. राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
234. रामवीर उपाध्याय, श्री महामाया नगर
235. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
236. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
237. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
238. रामस्वरूप सिंह, श्री रमाबाई नगर
239. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
240. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
241. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
242. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
243. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
244. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
245. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
246. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती भीमनगर
247. ललितेश पति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
248. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
249. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
250. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
251. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
252. विजय मिश्र, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)

253. विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
254. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
255. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
256. विजय सिंह, श्री रामपुर
257. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
258. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
259. विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
260. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
261. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
262. वीरपाल राठी, श्री बागपत
263. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
264. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
265. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
266. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
267. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
268. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
269. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
270. शाकिर अली, श्री देवरिया
271. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
272. शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री आजमगढ़
273. शिव कुमार बेरिया, श्री रमाबाई नगर
274. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
275. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
276. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
277. शेर बहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
278. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
279. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
280. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
281. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़
282. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
283. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
284. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
285. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
286. संजय कपूर, श्री रामपुर
287. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
288. सईद अहमद, श्री इलाहाबाद
289. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
290. सतवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्ध नगर
291. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
292. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
293. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
294. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
295. सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
296. सन्तोष पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
297. सावित्री बाई फूले, सुश्री बहराइच
298. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
299. सियाराम सागर, डा0 बरेली
300. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
301. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
302. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
303. सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद
304. सुधाकर, श्री मऊ
305. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
306. सुनील कुमार लाला, श्री लखीमपुर खीरी
307. सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
308. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
309. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
310. सुरेश राणा, श्री प्रबुद्धनगर
311. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
312. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
313. सुल्तान बेग, श्री बरेली
314. सूरज पाल सिंह, श्री आगरा
315. सैय्यद कासिम हसन, श्री फतेहपुर
316. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती गाजीपुर
317. सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी

318.	स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	कुशीनगर	321.	हुकुम सिंह, श्री	प्रबुद्धनगर
319.	हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री	लखीमपुर खीरी	322.	हेमराज वर्मा, श्री	पीलीभीत
320.	हरिओउम् यादव, श्री	फिरोजाबाद	323.	हेमलता चौधरी, श्रीमती	बागपत

नोट :-मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव), राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन), पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव) तथा कारागार मंत्री (श्री राजेन्द्र चौधरी) भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

नत्थी (क), तारांकित प्रश्न संख्या-02, मनीष असीजा जी। वो भी नहीं हैं। जो प्रथम प्रश्न, तारांकित प्रश्न संख्या-01 है उसको मा0 सदस्य के अनुरोध पर स्थगित कर दिया गया है। दूसरे प्रश्न में मनीष असीजा हैं नहीं। तीसरा प्रश्न है मा0 सतीश महाना जी का, वो भी नहीं हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी मेरी इस प्रश्न में रुचि है।

श्री अध्यक्ष-

आपकी रुचि है तो ठीक है चलिये।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, इस तरह से तो प्रश्न काल समाप्त हो गया।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मुकेश श्रीवास्तव जी ने अपना प्रश्न स्थगित करा दिया है। मा0 मनीष असीजा जी उपस्थित नहीं हैं। मा0 महाना जी के प्रश्न पर इनकी रुचि है।

*01-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

[मा0 सदस्य के अनुरोध पर स्थगित]

प्रदेश में वन विभाग द्वारा फलदार वृक्षारोपण के सम्बन्ध में जानकारी

*02-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे पर्यावरण की दृष्टि से प्रदेश के विभिन्न मार्गों पर फलदार पेड़ जैसे जामुन, आम, शहतूत, आंवला, कटहल आदि वृक्षों को लगाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

उत्तर प्रदेश में पर्यावरण की दृष्टि से विभिन्न मार्गों पर वन विभाग की वृक्षारोपण योजनाओं के अन्तर्गत जामुन, आम, शहतूत, आंवला, कटहल आदि के वृक्षों का रोपण मृदा के प्रकार व जलवायु के अनुसार किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश से कन्या भ्रूण हत्या रोकने की योजना

*03-श्री सतीश महाना एवं श्री जाकिर अली-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए सरकार द्वारा कोई ठोस कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन)-

जी हां।

लिंग परीक्षण एवं कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम हेतु भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 प्रदेश में पूर्व से ही प्रभावी रूप से लागू है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, यह प्रश्न विधान सभा में पहले भी आया है और कई नियमों के तहत इसको उठाया भी गया है। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से सीधा-सीधा केवल एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या मा0 मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो गर्भ के लिंग परीक्षण के बाद एबॉर्शन कराया जाता है तो क्या उसको हत्या की श्रेणी में रखने पर विचार करेंगे ? मान्यवर, सीधा-सीधा सवाल है।

श्री शंखलाल मांझी-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य का जो प्रश्न है। ये ऐक्ट के तहत लागू होता है और ऐक्ट बनाने का अधिकार भारत सरकार को है। आपके सवाल का सम्बन्ध इसे हत्या का अपराध मानने से है। ये चीज सही है कि प्रदेश में जिस तरह से लिंग अनुपात में अन्तर आ रहा है। वो समाज में आगे चल करके भयावह स्थिति की तरफ संकेत करता है। हम इस पर इतना ही कह सकते हैं कि प्रदेश सरकार इसके लिये पूरे मनोयोग से इस विषय में कृत संकल्पित है। हम जो भी इसके लिये बन सकेगा कर सकते हैं।

श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा'-

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो रेप के प्रकरण आ रहे हैं, उसमें भी जो वर्तमान कानून है। उसको कैसे और कठोर बनाया जाए, इस पर विचार चल रहा है केन्द्र सरकार के द्वारा, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि यह भ्रूण हत्या पर भी कानून बने हुए हैं, उसके बावजूद भी इसमें कमी नहीं आ रही है, तो क्या मा0 मंत्री जी, केन्द्र सरकार को जैसा कि मा0 सुरेश खन्ना जी ने कहा कि भ्रूण हत्या में दोषी जो होगा, हत्या करने के समान दोषी उनको ठहराया जायेगा, इस पर कठोर कानून बनाने के लिए क्या राज्य सरकार के द्वारा कोई पत्र या अनुरोध किया जायेगा ?

श्री शंख लाल मांझी-

मा0 अध्यक्ष जी, हमने पहले ही बता दिया है, कि सरकार इसके लिए गंभीर है और यह पी0सी0पी0एम0डी0टी0 ऐक्ट 1994 अधिनियम प्रदेश में 1 जनवरी, 1996 से प्रभावी है और उसके तहत हम कार्यवाही करते हैं। मैंने पहले बताया कि यह प्रदेश का अपना अधिनियम इस पर लागू नहीं है, भारत सरकार के द्वारा प्रख्यापित ऐक्ट जो हैं, उसी के प्राविधानों के तहत हम कार्यवाही करते हैं और उससे इतर हमें अधिकार नहीं हैं, फिर भी मा0 अध्यक्ष जी, यह मा0 सदन के साथ, हम अपने आपको सम्बद्ध करते हैं, ये प्रदेश के लिए, देश के लिए, सबके लिए और सबके हित में है। भ्रूण लिंग अनुपात का जो वैरीयेशन है, इससे जो मैंने पहले कहा कि एक भयावह रूप लेता जा रहा है, यद्यपि भ्रूण लिंग जो अनुपात है, इसमें उत्तरोत्तर सुधार हुआ है लेकिन बाल भ्रूण लिंग के अनुपात में

बढ़ोत्तरी हुई है, जिसका कारण आपको यह पता है कि तमाम तकनीकी मशीनरीज के द्वारा जो जानकारी, हो रही है, उसकी वजह से और समाज में जो कन्याओं के प्रति विचार समाज में बढ़ा है और वह विचार मैं समझता हूं कि डांवरी प्रथा के विशेष रूप से प्रभावी होने के कारण समाज में इस दिशा में लोगों की सोच बदली है और इसी का कारण है कि यह जो बाल भ्रूण लिंग अनुपात बढ़ा है, उसकी तरफ वह इशारा करता है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी ''दादा''-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा एक बहुत ही प्वाइंटेड प्रश्न था, हां या न में उत्तर आप दिला दें। मैं यह मान रहा हूं कि यह ऐक्ट केन्द्र सरकार द्वारा बनाया गया है और उसका अनुपालन भी हो रहा है। मा0 मंत्री जी का कहना है कि फिर भी जो रेशियो है, उसमें कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन परिलक्षित नहीं हो रहा है, तो मैं सिर्फ इतना आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जैसे रेप इत्यादि में जो कानून बने हुए हैं, वह अर्पाप्त समझे जा रहे हैं, तो क्या यह भ्रूण हत्या को हत्या के समान कानून बना करके इसको लागू करने के लिए केन्द्र सरकार को राज्य सरकार कोई पत्र या कोई संदेश देगी ? हां या न में आप बताइये।

श्री शंख लाल मांझी-

इस तरह का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी ''दादा''-

मैं विचाराधीन की बात नहीं कह रहा हूं, आप बताएं कि लिखेंगे या नहीं लिखेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया, उन्होंने कह दिया, अब जो उत्तर है, आ गया दादा।

श्री प्रमोद तिवारी-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आभारी हूं आपका, मान्यवर, सजा बढ़ाए या न बढ़ाए, मैं मा0 स्वास्थ्य मंत्री जी से इस संदर्भ में सिर्फ यह कहना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं, जानकारी के लिए अपनी कि स्वयं सरकार यह स्वीकार कर रही है। उस दिन यह प्रश्न मैंने ही उठाया था, मैं लाया था नियम-56 के अंतर्गत, सरकार स्वीकार कर रही है कि जो लिंग अनुपात है, मेल-फीमेल का वह उत्तर प्रदेश में काफी गिर रहा है, महिलाओं की संख्या कम हो रही है, पुरुषों की संख्या बढ़ रही है।

श्री शंख लाल मांझी-

मा0 तिवारी जी, जो बाल भ्रूण लिंग अनुपात, उसमें अंतर बढ़ रहा है।

श्री प्रमोद तिवारी-

वही तो मैं कह रहा हूं, जो आज भ्रूण होगा, पैदा होगी वही तो कल महिला बनेगी या सीधे कोई बनाने का मैथड निकाल लिया। (हंसी) मान्यवर, क्या आप इसका कोई अभियान चलायेंगे ? जो ऐसे केन्द्र हैं जो लिंग का निर्धारण कराते हैं। आप ऐसा कोई इसमें इनाम घोषित करेंगे यदि कोई व्यक्ति ऐसे केन्द्र की सूचना देगा तो सरकार उसे इनाम देगी। मान्यवर, यह चोरी-छिपे नहीं बल्कि खुले आम शहरों में चल रहे हैं। मान्यवर, क्या इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए कोई अभियान चलायेंगें जिससे इस पर रोक लग सके ?

श्री शंखलाल मांझी-

मान्यवर, यह ऐक्ट में जो प्राविधान है उसमें अगर कहीं भी इस तरह की सूचना मिलती है, अगर वह उसमें संलिप्तता पाई जाती है और पहली मरर्तबा पाई जाती है, तो उसके लिए प्राविधान है दण्ड का।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, जो यह लिंग निर्धारण केन्द्र बने हैं यह खुले आम चल रहे हैं, तो क्या आप कोई अभियान चलाकर इसके खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे।

श्री शंखलाल मांझी-

मान्यवर, जहां भी इस तरह की कोई सूचना मिल रही है उसके खिलाफ कार्यवाही होती है। पहली मरर्तबा यह पाये जाने पर दण्ड का प्राविधान है और अगर दुबारा शिकायत मिलती है तो उसका लाइसेन्स निरस्त करने का भी प्राविधान है और सजा होने का भी प्राविधान है। मान्यवर जहां भी इस तरह की शिकायत होती है हमें सूचना आपके माध्यम से मिलती है तो हम उसमें भी कार्यवाही करेंगे।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, आप प्रश्न और उत्तर का दूसरा भाग देख लें। मान्यवर, लेखा-जोखा ज्यों का त्यों, यह कुन्बा डूबा क्यों ? मान्यवर, यह जो लिंग निर्धारण का काम होता है तो अगर बेटा नहीं है, बेटी है तो इसलिए लोग उसे कराते हैं। अभी सरकार की ओर से कहा गया कि अगर सूचना मिलेगी तो कार्यवाही करेंगे। मान्यवर, आपके पास सूचना का एक पूरा तंत्र है, चिकित्सा विभाग के अधिकारी हैं, राजस्व विभाग के अधिकारी हैं, पूरा जिला अधिकारियों से भरा हुआ है। आपको तो सूचना मिली होगी। एक वर्ष में आपने कितने छापे मारे, और कितने लोगों के खिलाफ आपने कार्यवाही करने का काम किया ?

श्री शंखलाल मांझी-

मान्यवर, यह पूछा गया है कि कितने छापे मारे प्रदेश में मान्यवर, जो इस साल की सूचना है वह यद्यपि संतोषजनक नहीं है, फिर भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सरकार इसके प्रति गम्भीर है। जहां भी जैसी भी और जो सबसे बड़ी जरूरत है, इसमें यह जब तक समाज में घटिया किस्म की बातें नहीं रुकेंगी तब तक यह बाते सामने आयेंगी इसमें सामाजिक चिन्तन की भी आवश्यकता है। मान्यवर, जब तक समाज का चिन्तन नहीं बदलेगा यह हम और आप सभी जानते हैं कि जब तक समाज का चिन्तन नहीं बदलेगा, लड़का लड़की एक समान यह भावना जब तक समाज में नहीं फैलेगी तब तक यह लिंग अनुपात में कमीं नहीं लाई जा सकती और इसके लिए केवल कानून के प्राविधान से रोक नहीं लगाया जा सकता। इसमें जरूरत है समाज के चिन्तन की और उसके लिए हम लोग तमाम जो हमारे पास संशाधन हैं, उन संशाधनों के द्वारा लोगों में प्रशिक्षण के द्वारा, जो हमारी योजनाएं हैं जे0एस0एस0 के उनके द्वारा भी गांव में प्रभावी ढंग से उनको प्रशिक्षित करना, उसके बारे में जागरूक करने का, यह कार्यवाही चल रही है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, अब सवाल बन नहीं गया बल्कि पक्का हो गया। माननीय मंत्री जी ने स्वयं अपने उत्तर में यह स्वीकार कर लिया है कि जो संख्या है उत्साहवर्धक नहीं है, ठीक है, हम सहमत हैं। जब

आप स्वयं संतुष्ट नहीं हैं तो मैं क्या गुनाह कर रहा हूं सिर्फ एक ही चीज पूछ रहा हूं मंत्री जी से अगर आपको लगता है इस कानून के बाद भी यह उत्साहवर्धक नहीं हुई है कार्यवाही, एक उत्साह बढ़ा लीजिए, एक अभियान चला लीजिए उसमें मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो इस तरह की गुप्त सूचनायें दे कि इस केन्द्र में चल रहा है उसका नाम जाहिर न किया जाय, उसको पुरष्कृत किया जाय या एक अभियान चला लिया जाय, मैं तो आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं आप खुद ही कह रहे हों कि आप संतुष्ट नहीं हो तो मेरा प्रयास है कि कोई एक अभियान चला ले जिससे आप भी संतुष्ट हो जाय, हम सब भी संतुष्ट हो जाय और इस पर रोक लग सके। अभियान चलाने में क्या दिक्कत है ?

श्री शंखलाल मांझी-

मान्यवर, आपके सुझाव का स्वीकार करते हुए प्रभावी ढंग से इस पर कार्यवाही करेंगे।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, इसके बाद नत्थी 'ग' है।

श्री अध्यक्ष-

हां वह नत्थी 'ग' आपका है वह संशोधन वक्तव्य है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, इस पर व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

पहले आप सुन लीजिएगा तब व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, वर्ष 1994 का ऐक्ट प्रभावी है और उस ऐक्ट के प्रभावी होने का जो बताया मंत्री जी ने एक साल का जो इनका अनुभव है, सफलता नहीं मिली है संतोषजनक नहीं है। यह आपने बताया। जो आपका सवाल आया कि अभियान चलायेंगे और यह बहुत आसान बात है अल्ट्रासाउण्ड से यह तय होता है, अल्ट्रासाउण्ड में सारे पेशेन्ट के नाम लिखे जाते हैं क्या यह सम्भव है आपके लिए, रिएक्ट करना चाहेंगे क्योंकि जो आप कह रहे हैं कि जनता की जिम्मेदारी है, जनता ने अगर जिम्मेदारी निभाई होती तो शायद यह नौबत न आती। वह जिम्मेदारी आपको सौंप दी पता नहीं यह गलत किया या सही किया। तो जनता ने इसको प्रभावी करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर सौंपी है जब आपके ऊपर सौंपी है जिम्मेदारी तो जनता पर न वापस करके जिम्मेदारी आपको निभाना है। उस अल्ट्रासाउण्ड की जो सूची बनी हुई है अगर वहां पर परीक्षण किसी ऐसी महिला का हुआ है जो गर्भवती है तो निश्चित रूप से डा0 पकड़ में आ सकता है। इसीलिए अभियान की बात की गयी कि आप एक सघन अभियान चला करके चेक करा लें तभी इस पर नियंत्रण हो पायेगा वर्ना आप इस भरोसे बैठे रहेंगे कि वहां प्रधान जी आ करके शिकायत करेंगे आपको, या चेयरमैन साहब शिकायत करेंगे वह सम्भव होगा नहीं उनको भी रहना वहीं पर है। सघन अभियान आपने कहा और इसका एक आश्वासन आना चाहिए यहां पर कि हम एक महिने के अन्दर या दो महिने के अन्दर सघन अभियान चलायेंगे और जो परिणाम आयेगा सदन को अवगत करायेंगे।

श्री शंखलाल मांझी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पहले कहा कि सरकार पूरी तरह से इसके लिए गम्भीर है और माननीय सदस्य का जो सुझाव है उस सुझाव के तहत हम प्रभावी ढंग से कार्यवाही करेंगे।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, आपके सरकार की एक सांख्यकीय डायरी है उसमें स्वयं यह बताया गया है, उसमें स्वयं यह आंकड़े दिये गये हैं कि एक हजार में नौ सौ आठ लड़कियों का अनुपात है उत्तर प्रदेश का। सबसे कम है लगभग यू0पी0 का, यह सरकार के 2011 के आंकड़े हैं। तो इतनी एलार्मिगं बेल है, सरकार कितना संजीदा है, किस वार फुटेज पर इसको अख्तियार करने की बात सरकार सोच रही है, क्या उसकी योजना है, कुछ दिनों पहले भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक सेमिनार में इसके संबंध में वक्तव्य दिया था, इसकी गंभीरता को देखते हुये आप क्या त्वरित ऐक्शन करने जा रहे हैं या लांग टर्म प्लानिंग करने जा रहे हैं, जिससे हमारा यू0पी0 का यह अनुपात बढ़ें ?

श्री शंखलाल मांझी-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य की जिज्ञासा के क्रम में हम बताना चाहेंगे कि अभी माननीय हुकुम सिंह साहब और माननीय प्रमोद तिवारी साहब ने भी अपनी जिज्ञासा जो व्यक्त की थी, अभी 28-01-2013 से 08-03-2013 तक एक अभियान चलाया गया था, जिसमें कुल 408 निरीक्षण किया गया, अनियमितता 389 पायी गयी, चेतावनी 210 में दी गयी है और 4 का पंजीकरण निरस्त किया गया है, 3 का पंजीकरण निलम्बित किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक चीज सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि यह जो ऐक्ट है, उसमें एफ0आई0आर0 करने का प्राविजन नहीं है, सीधा कोर्ट में वाद दायर होता है। हम इस बात को महसूस करते हैं और यह जो कार्रवाई करने का तरीका है वह प्रदेश सरकार का जो अधिनियम है, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। अधिनियम की धारा 32 के अनुसार केन्द्र सरकार नियम बना सकती है। अब उसके तहत हमें अपना सुझाव यहां पर भी एडवाइजरी बोर्ड है और एडवाइजरी बोर्ड में इस बात को रखा जायेगा और रखकर आप सदस्य को जो चिन्ता है, उससे भारत सरकार को भी अवगत करा दिया जायेगा।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत ही अहम सवाल है और माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छा और प्रभावी उत्तर दिया है लेकिन जो भावना है सरकार की और जो कोशिशें हैं वह मात्र इतनी नहीं हैं कि हम कुछ छापे डाल दें, कुछ लोगों को जेल भेज दें, बल्कि एक सेंस पैदा करने की जरूरत है मां-बाप के अंदर, कि वह बेटी को बोझ न समझें बल्कि बेटी उनके लिये एक एसेट साबित हो, एक सम्मान साबित हो, और लांग टर्म प्लानिंग के तहत आपको याद होगा, इसी सदन में घोषणा की थी तत्कालीन मुख्य मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, कि जो रजिस्ट्रियां महिला के नाम होंगी, उनमें रजिस्ट्रेशन फीस कम लगेगी बनिज़्बत पुरुषों के और उस वक्त भी बहुत सी योजनायें ऐसी चलीं जिसमें बच्चियों को बेटियों को प्रोत्साहित किया गया। पढ़े बेटियां बढ़ें बेटियां, हमारी बेटी उसका कल, इंजीनियरिंग और मेडिकल में पढ़ने वाली बच्चियों को सरकारी खर्च पर तालीम, यह सारी चीजें वह हैं,

जिससे हम समाज में बेटियों का जो एक नीचे का दर्जा महसूस किया जाता था, यह बेटों से कम अहमियत की हैं, उनकी अहमियत को बढ़ाना, उन्हें मां-बाप के लिये एसेट बनाना, उनके रोशन मुस्तकबिल की कोशिश करना और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना, यह सारी कोशिशें उसका हिस्सा हैं। लैपटाप दिया गया, टैबलेट दिया जाय, यह भी उसका हिस्सा है क्योंकि बच्चियां भी हमारे समाज की आधी आबादी, आधी तादाद में है। यह उस सारी कोशिश का हिस्सा है और यह देर तो लगेगी मान्यवर, इसमें। लेकिन इससे बच्चियों की अहमियत बहुत बढ़ रही है, वह मां-बाप पर बोझ नहीं रह रही हैं और कुछ घरानों में तो यह देखा जा रहा है कि बेटी पढ़ी लिखी है तो रिश्ता भी अच्छा है, बेटी की अच्छी मुलाज़मत है तो रिश्ता अच्छा है तो जब बेटियों का अच्छा मुस्तकबिल होगा तो मां-बाप उनको जाया करना नहीं चाहेंगे एक पहलू। दूसरा समाज की जिम्मेदारी। समाज अगर इतना अच्छा होता तो फिर यह परेशानी ही क्यों होती। तनहा डाक्टर को जिम्मेदार ठहरा देना मेरे ख्याल से पूरा इंसाफ नहीं है। आधा इंसाफ है। मां बाप की भी जिम्मेदारी है। जो हुकुम सिंह जी की तरफ से यह प्रपोजल आया कि अल्ट्रासाउंड की जो लिस्ट होगी वह भी यह तय करेगी कि कौन लोग थे जिन्होंने ऐसा चाहा था इस बारे में भी विचार कर लिया जाना जरूरी है। अभी एक्जेक्ट दिन तो नहीं मालूम चार दिन पांच दिन या एक सप्ताह पूर्व कानपुर में छापे लगे डाक्टर्स जेल भेजे गए लेकिन आप रोज देखते हैं कि अपराध करने वाले लोग चाहे वह बलात्कारी हों या कातिल हों सजाएं मिलने के बावजूद एक जुनून होता है वह जुनून उसके हर गुनाह पर हावी होता है। उन लोगों के अन्दर कैसे डर पैदा हो उसकी और कोशिश की जाय महिलाओं और बेटियों को और अहमियत दी जाय उनकी पढ़ाई लिखाई पर और गौर दिया जाय उनका समाज में सम्मान और ज्यादा बढ़ाया जाय इस पर भी सरकार और ज्यादा विचार करे और ज्यादा कार्यक्रम इस पर चलाए एक चीज और रह रही है जिस पर शायद हमारी नजर कम गई है 63-64 साल आजादी के गुजर जाने के बावजूद हम नर्सिंग होम्स के लिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं बना सके। नतीजा यह हुआ कि जिसने चाहा नर्सिंग होम खोल लिया वेंटीलेशन है या नहीं इमरजेंसी में भागने का रास्ता है या नहीं है आपरेशन थियेटर कैसा है अगर जांच हो भी और पकड़े भी जायं तो बहुत गम्भीर दफा नहीं लगती तो यह भी कोशिश कर रही है सरकार और रेगुलेशन्स तैयार हो रहे हैं। इस तरह जहां चाहा जैसे चाहा नर्सिंग होम खोल लिए और कमाई के धंधे बना लिए उस पर भी अंकुश लगे इस पर भी सरकार का विचार है और काम हो रहा है। हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारी जितनी भी सरकारी स्कीम्स चल रही हैं बेटियों के माध्यम से वह इसीलिए चल रही हैं कि बेटियों को इतनी अहमियत दें कि उन्हें समाज बेटों से ऊपर समझे नीचे मत समझे।

*04-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[5वें सोमवार के तारा0प्र0सं0-4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*05-श्री श्यामदेव राय चौधरी ''दादा''-

[3सरे शुक्रवार के तारा0प्र0सं0-9 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नोट :-तारांकित प्रश्न संख्या-3 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद सीतापुर के अनेकों विकास खण्ड में स्थापित हैण्डपम्पों का विवरण

01-श्री रामहेत भारती-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड हरगांव, परसेंडी, लहरपुर तथा बेहटा में कितने राजकीय नलकूप स्थापित हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त राजकीय नलकूपों में वर्तमान में कितने चालू हालत में हैं और कितने खराब हैं ? क्या सरकार उक्त खराब राजकीय नलकूपों को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, सहकारिता, भूमि विकास एवं जल संसाधन तथा परती भूमि विकास विभाग मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड हरगांव में 56, परसेंडी में 43, लहरपुर में 35 तथा बेहटा में 23 राजकीय नलकूप स्थापित हैं।

विकास खण्ड का नाम	कुल स्थापित राजकीय नलकूपों की संख्या	चलित नलकूपों की संख्या	फेल नलकूपों की संख्या	परित्याग श्रेणी के राजकीय नलकूपों की संख्या	अस्थाई रूप से सुधारात्मक कार्यवाही में बन्द राजकीय नलकूपों की संख्या
हरगांव	56	47	1	3	5
परसेंडी	43	32	1	0	10
लहरपुर	35	34	1	0	6
बेहटा	23	19	1	0	3
योग :	157	132	4	3	10

जनपद सीतापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड हरगांव, परसेंडी, लहरपुर तथा बेहटा में 132 चलित राजकीय नलकूपों के सापेक्ष दिनांक 01-02-2013 की बन्दी के अनुसार यांत्रिक दोष के कारण अस्थाई रूप से 02 राजकीय नलकूप अतएव इस प्रकार कुल 05 राजकीय नलकूप यांत्रिक/विद्युत दोष के कारण अस्थाई रूप से बन्द थे, जिन्हें दिनांक 24-2-2013 तक ठीक कराकर चालू कर दिया गया है। यांत्रिक दोष के कारण अस्थाई रूप से बन्द राजकीय नलकूपों को निर्धारित समयावधि के अन्दर तथा विद्युत दोष के कारण अस्थाई रूप से बन्द राजकीय नलकूपों को विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ साप्ताहिक बैठक कर ठीक कराये जाने की व्यवस्था है। यांत्रिक/विद्युत दोष के कारण अस्थाई रूप से बन्द राजकीय नलकूपों को ठीक कराकर चालू किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है।

03 राजकीय नलकूप खारा पानी एवं कृषि योग्य क्षेत्रफल शहरी आबादी में आ जाने के कारण परित्याग श्रेणी में हैं जिन्हें ठीक नहीं कराया जा सकता है। 22 राजकीय नलकूप

फेल/सुधारात्मक कार्यवाही के अन्तर्गत स्थाई/अस्थाई रूप से बन्द हैं, जिन्हें ठीक कराये जाने हेतु परीक्षण कराकर एवं कार्य योजना साध्य पाये जाने पर ही ठीक कराये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर में जिला योजनान्तर्गत सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त करने की मांग

02-श्री रामहेत भारती-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर में वित्तीय वर्ष 2012-2013 में जिला योजनान्तर्गत अनुमोदित/प्रस्तावित सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु धन अवमुक्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो किन-किन सम्पर्क मार्गों का एवं कब तक धन अवमुक्त कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

वर्ष 2012-13 में जनपद सीतापुर के जिला योजना समिति द्वारा अनुमोदित 130 कार्यों के विरुद्ध रु0 40.00 लाख से अधिक के 01 कार्य लागत रु0 127.50 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष रु0 12.75 लाख की स्वीकृति शासनादेश संख्या-98 आ0जि0यो0/23-14-12-08 आ0जि0यो0/12 दिनांक 19-2-2013 द्वारा निर्गत कर दिया गया है तथा रु0 40.00 लाख से कम की 26 कार्यों की कुल लागत रु0 365.45 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष रु0 146.18 लाख की स्वीकृति, शासनादेश संख्या-54आ0जि0यो0/23-14-12-54 आ0जि0यो0/12, दिनांक 1-3-2013 द्वारा निर्गत कर दिया गया है।

उपर्युक्तानुसार स्वीकृत 27 मार्गों हेतु निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि की सूची संलग्न† है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बस्ती के सरकारी चिकित्सालयों के अवैध प्रैक्टिस की जांच की मांग

03-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद में जिला चिकित्सालय, ओपेक चिकित्सालय तथा पी0एच0सी0, सी0एच0सी0 पर व्याप्त भ्रष्टाचार तथा डाक्टरों द्वारा की जा रही अवैध प्रैक्टिस विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 13-09-2012 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां।

जांच करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

---

† (देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ-259-260 पर।)

जनपद आगरा के अशोक नगर आवासीय क्षेत्र में शराब की दुकान को स्थानान्तरित कराये जाने की मांग

04-श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के पचकुंइया (अशोक नगर) के आवासीय क्षेत्र में संचालित अंग्रेजी शराब की दुकान को अन्यत्र स्थानान्तरित करने विषयक श्री अशफाक अली खां, विधायक नौगांवा, सादात, जे0पी0 नगर का पत्र दिनांक 17 जनवरी, 2013 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

मा0 विधायक के प्रश्नगत शिकायती-पत्र दिनांक 17-1-2013 पर जांच करायी गयी। जांच आख्या के अनुसार प्रश्नगत विदेशी मदिरा दुकान अशोक नगर पूर्णतया व्यवसायिक स्थल पर संचालित है और इसके अगल-बगल कोई आवासीय भवन नहीं है। प्रश्नगत दुकान की प्रास्थिति उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली, 1968 (यथासंशोधित) (चतुर्थ संशोधन), 2008 के प्राविधानों के अनुरूप होने, इसमें रुपया एक करोड़ से अधिक का राजस्व निहित होने एवं जांचोपरान्त शिकायतों की पुष्टि न होने के कारण दुकान को वर्तमान स्थल से हटाये जाने का औचित्य नहीं पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ में विद्युत नलकूप चालू कराये जाने की मांग

05-श्री सन्तराम कुशवाहा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन के माधौगढ़ विधान सभा क्षेत्र में बुन्देलखण्ड विकास निधि के अन्तर्गत वर्ष 2008 से वर्ष 2011 तक स्वीकृत हुए सामुदायिक नलकूप विद्युत कनेक्शन के अभाव में नहीं हो पाये हैं ? यदि हां, तो इन्हें कब तक चालू कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद जालौन के माधौगढ़ विधान सभा क्षेत्र में बुन्देलखण्ड विकास निधि के अन्तर्गत वर्ष 2008 से वर्ष 2011 में स्वीकृत हुए सामुदायिक नलकूपों का लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति का विवरण निम्न है :-

वर्ष	स्वीकृत नलकूपों की संख्या	प्रगति
2008-09	0	0
2009-10	0	0
2010-11	0	0
2011-12	22	22

लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत सामुदायिक नलकूपों का ऊर्जीकरण किया जा चुका है। अब कोई सामुदायिक नलकूप ऊर्जीकरण हेतु शेष नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र पड़रौना में अनेकों ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग

06-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र पड़रौना में विस्तारित बिजनेस प्लान के अन्तर्गत विद्युतीकरण हेतु चयनित 33 ग्रामों में से शेष 26 ग्रामों एवं पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश) से वर्ष 2011-2012 में चयनित ग्राम सभा सिंधुआ बांगर, गम्भीरीया, परसौनी कला, पड़री, पिपरपांती टोला, नौगांवा, मीरगंज, बड़गांव, बेनियापट्टी मीरगंज, मटिहनियां बुजुर्ग (अनुसूचित बस्ती), सरैयाडीह, डूमरभार के नौका टोला, बहोरापुर दलित बस्ती व उत्तर टोला तथा नौका टोला एवं ग्राम सभा जरार बिचला टोला आदि में अभी तक विद्युतीकरण कार्य अधूरा है जबकि विद्युतीकरण हेतु धन अवमुक्त किया जा चुका है ? यदि हां, तो इसे कब तक पूर्ण किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र पड़रौना में विस्तारित बिजनेस प्लान के अन्तर्गत विद्युतीकरण हेतु चयनित 33 ग्रामों में से 7 ग्रामों (यथा जं0 पचरुखिया, मोजहिदा खास कुड़िया टोला, बसहिया बनवीरपुर, जंगल चौरिया बनटोलवा, खड्डा बुजुर्ग, नादा एवं दमवतिया) का विद्युतीकरण हो चुका है। शेष 26 ग्रामों (यथा सरपतही बुजुर्ग, अहिरौली, जटहां बाजार, माधोपुर गौजही, बबुईया हरपुर, अरनहवां, पिपरा बाजार, चिरगोड़ा टोला, गम्भरिया बुजुर्ग, जंगल जगदीशपुर, सहोदर पट्टी, मठिया प्रसिद्ध तिवारी, माघी कोठिलवां, कंठी छपरा, निठहा माफी-2-लूकपुर दलित बस्ती, एकवहनी उर्फ भगवतपुर, मिश्रौली में गुलरिया टोला, चिरवहिया, वितहा के चमटोली भर टोली, मुस्लिम पट्टी, चैती मुसहरी, बावली चौराहा कोठा दरबार, नूनियापट्टी, नाहर छपरा एवं डुमरी के टोला सहदोर पट्टी) का विद्युतीकरण योजना वर्ष 2011-12 में समाप्त हो जाने के कारण शेष ग्रामों का विद्युतीकरण इस योजना में संभव नहीं हो सका। उक्त शेष 26 ग्रामों में 14 ग्राम (यथा सरपतहीबुजुर्ग, अहिरौली, माधोपुर गोजही, बबुईया हरपुर, गम्भीरिया बुजुर्ग, जंगल जगदीशपुर, सहोदरपट्टी, मठिया प्रसिद्ध तिवारी, माघी कोठिलवां, कंठी छपरा, निठहा माफी-2-चैती मुसहरी, नूनिया पट्टी एवं डुमरी के टोला सहदोर पट्टी) का विद्युतीकरण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण में कराया जाना प्रस्तावित है तथा ग्राम अरनहवा, सांसद निधि जमा योजना के तहत विद्युतीकृत कर दिनांक 26-11-2012 को ऊर्जीकृत किया जा चुका है। शेष 11 ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य अन्य किसी विद्युतीकरण योजना के आने पर कराया जाना संभव होगा।

पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश) से वर्ष 2011-12 में चयनित ग्रामों का कार्य स्वीकृत प्राक्कलन पर प्राप्त धन के अनुरूप उनके सामने अंकित तिथि को पूर्ण करा दिया गया है :-

क्र0सं0	ग्राम का नाम	विद्युतीकरण की तिथि
1	ग्राम सभा सिंधुवा बांगर	07-11-2012

क्र0सं0	ग्राम का नाम	विद्युतीकरण की तिथि
2	गम्भीरिया	18-08-2012
3	ग्राम सभा परसौनी कला	10-11-2012
4	पड़री	20-09-2012
5	पिपरपाती टौला नौगांवा	20-09-2012
6	मीरगंज	20-09-2012
7	बड़गांव	20-09-2012
8	बेनियापट्टी मीरगंज	20-09-2012
9	ग्राम सभा मटहनियां बुजुर्ग (अनुसूचित बस्ती)	02-09-2012
10	सरैयाडीह	06-11-2012
11	डुमरभार के नौका टोला	10-11-2012
12	बहोरापुर दलित बस्ती	10-08-2012
13	उत्तर टोला	10-08-2012
14	नौका टोला	10-08-2012
15	ग्राम सभा जरार बिचला टोला	18-08-2012

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के राष्ट्रीय राज मार्गों पर प्रस्तावित फ्लाई ओवर का निर्माण

07-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर जनपद आगरा के अन्तर्गत भारी भीड़ वाले चौराहे सिकन्दरा, खंदारी, सुल्तानगंज की पुलिया एवं वाटर वर्क्स पर सुगम यातायात हेतु अण्डर पास का निर्माण कराये जाने की सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा दिल्ली-आगरा मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग-2) को चार लेन से छः लेन चौड़ीकरण हेतु मेसर्स डी0ए0 टोल रोड प्रा0 लि0 के साथ बी0ओ0टी0 पद्धति पर अनुबन्ध किया गया है, जिसके अन्तर्गत जनपद आगरा में सिकन्दरा पर वायडक्त तथा खंदारी, सुल्तानगंज की पुलिया एवं वाटरवर्क्स पर फ्लाई ओवर बनाना प्रस्तावित है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय की कतिपय ग्राम सभाओं के क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराये जाने की मांग

08-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सभा छेमिया ठकुरावीर चौमुहानी से मवइकला तक एवं ग्राम पंचायत नियामताबाद माइनर से अनुसूचित जाति

बस्ती तक का मार्ग क्षतिग्रस्त हो चुका है ? क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

छेमिया ठकुरावीर चौमुहानी से मवइकला तक मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं।

ग्राम पंचायत नियामताबाद माइनर से अनुसूचित जाति बस्ती तक खड़न्जा मार्ग पर लोक निर्माण विभाग का स्वामित्व नहीं है।

छेमिया ठकुरावीर चौमुहानी से मवइकला तक के मार्ग का अपग्रेडेशन प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-10 के अन्तर्गत स्वीकृत है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय में राधेश्याम के घर के सामने पुलिया निर्माण का कथित प्रकरण

09-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बुधवार माइनर पर (ग्राम सभा हसनपुर) में राधेश्याम के घर के सामने पुलिया न होने से आवागमन में कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या उक्त पुलिया का निर्माण सरकार करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ में विद्युतीकरण कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग

10-श्री सन्तराम कुशवाहा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ में विद्युतीकरण से वंचित ग्रामों का विद्युतीकरण कराने की सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ (वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार) 300 व उससे अधिक आबादी वाले अविद्युतीकृत 24 ग्रामों को विद्युतीकरण हेतु राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण में आच्छादित कर डी0पी0आर0 भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित कर दी है। भारत सरकार द्वारा डी0पी0आर0 की स्वीकृति एवं धन उपलब्ध कराने पर ही उपरोक्त ग्रामों का विद्युतीकरण संभव होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के कतिपय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एण्टी रैबीज वैक्सीन उपलब्ध कराये जाने की मांग

11-श्री रामहेत भारती-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हतगांव तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लहरपुर में एण्टी रैबीज के वैक्सीन उपलब्ध नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार एन्टी रैबीज वैक्सीन उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं। उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एण्टी रैबीज की वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के कतिपय फीडर लाइन के हाईटेंशन तार बदलवाये जाने की मांग

12-श्री काली चरन सुमन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में रामनगर बरौली अहीर फीडर से नगला कली, कौलक्खा, सैमरी, इटौरा फीडर लाइट के हाईटेंशन तार जर्जर हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इनको बदलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जी हां।

इटौरा फीडर पर जर्जर तार बदलने का कार्य प्रगति पर है। शेष उल्लेखित फीडरों के जर्जर तार माह मई, 2013 तक बदला जाना संभावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के पशुघाट की मरम्मत

13-श्री वीरपाल राठी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत में पूर्वी चमन नहर की पटरी एवं उस पर बने पशु घाट कच्चा होने के कारण आये दिन टूट जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन्हें पक्का करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद बागपत में पूर्वी यमुना नहर है जिस पर पक्के पशुघाटों का निर्माण समय-समय पर कराया गया है। क्षतिग्रस्त पशुघाटों की मरम्मत समय-समय पर करा दी जाती है।

पूर्व से ही पक्के हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के क्षतिग्रस्त दाहा वरनावा मार्ग का निर्माण कराये जाने की मांग

14-श्री वीरपाल राठी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत में दाहा वरनावा मार्ग विगत 10 वर्षों से जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का लेपन स्तर तक पुनःनिर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

विगत चार-पांच वर्षों से क्षतिग्रस्त है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उ0 प्र0 एवं हरियाणा की दोनों प्रदेश के बीच यमुना नदी के सीमांकन का निस्तारण

15-श्री वीरपाल राठी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 एवं हरियाणा प्रदेश के बीच बहने वाली यमुना नदी में कटान के कारण आये दिन दोनों प्रदेशों के नागरिकों के बीच भूमि सम्बन्धी झगड़े होते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके निस्तारण के लिये यमुना नदी का सीमांकन कराकर उसके किनारों को पक्का करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी नहीं।

यमुना नदी के किनारे पक्के कराना तकनीकी एवं व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है।

जनपद आगरा में ब्लाक स्तर पर राजकीय पालीटेक्निक खोलने की मांग

16-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में राजकीय पालीटेक्निक कालेज है ? क्या सरकार ब्लाक स्तर पर राजकीय पालीटेक्निक कालेज खोले जाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री आलोक कुमार शाक्य)-

जी हां।

जी नहीं।

प्रत्येक विकास खण्ड में पालीटेक्निक की स्थापना करने की नीति नहीं है और न ही इसके लिये वित्तीय संसाधन उपलब्ध है।

जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने की मांग

17-श्री भीम प्रसाद सोनकर-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर के अन्तर्गत हसवर से आरोपुर मार्ग क्षतिग्रस्त है जिससे आवागमन में असुविधा होती

है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत/निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

कार्य स्वीकृत है तथा 4.00 कि0मी0 लम्बाई में चौड़ीकरण का कार्य पूर्ण कराया गया है। अवशेष कार्य पूर्ण कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी में बाघों की सुरक्षा हेतु स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन का गठन

18-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एन0टी0सी0ए0) द्वारा 11 अगस्त, 2012 को बाघों की सुरक्षा हेतु स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किये जाने हेतु मुख्य वन्यजीव अधिकारी को कोई दिशा-निर्देश प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त दिशा-निर्देशों के क्रम में दुधवा टाइगर रिजर्व के लिए कुल कितनी सदस्यीय स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया जायेगा तथा इसका प्रारूप क्या होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

दुधवा टाइगर रिजर्व, लखीमपुर खीरी में बाघों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एन0टी0सी0ए0) के पत्र दिनांक 5-2-2009 द्वारा स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन के गठन हेतु मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तर प्रदेश को गाइड लाइन्स प्राप्त हुई है।

दुधवा टाइगर रिजर्व में बाघों के संरक्षण हेतु स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में उप पुलिस अधीक्षक 1, सब-इन्सपेक्टर 3, हेड कान्सटेबिल 18 तथा कान्सटेबिल स्तर के 90 कुल 112 सदस्य होंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र जलालाबाद में सड़कों के निर्माण की मांग

19-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र जलालाबाद के ब्लाक मिर्जापुर के ग्राम पहाड़पुर भरतापुर की सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक पत्र जो मुख्य मंत्री को सम्बोधित था जिसकी संस्तुति 21-11-2012 को प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग को की गयी है प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग की कुल लम्बाई 2.70 कि0मी0 में 2.10 कि0मी0 पी0एम0जी0एसवाई0 फेज-10 में स्वीकृत है। अवशेष 0.60 कि0मी0 लम्बाई खड़न्जा स्तर तक निर्मित है। ग्राम पहाड़पुर की

आबादी 321 है। वर्तमान में 500 से कम आबादी को सम्पर्क मार्ग से जोड़ा जाना शासन की प्राथमिकता में नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में नये निजी नलकूपों को ऊर्जीकृत करने की नीति के अन्तर्गत जनपद शाहजहांपुर में नलकूपों को ऊर्जीकृत करने की मांग

20-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई हेतु प्रदेश में नये निजी नलकूपों को ऊर्जीकृत करने की सरकार की क्या नीति है ? क्या सरकार बतायेगी कि ग्राम दिउरिया, ब्लाक भावलखेड़ा, जनपद शाहजहांपुर के जिन काश्तकारों ने निजी नलकूपों को ऊर्जीकृत करने के लिये 125/ रुपये अदा करके रसीद कटवाई है उनके नलकूपों को ऊर्जीकृत किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

उत्तर प्रदेश में सिंचाई हेतु सामान्य योजना के अन्तर्गत प्रथम आवत प्रथम पावत नीति के आधार पर 7.5 हार्स पावर तक के निजी नलकूप संयोजनों पर (प्रति 25 के0वी0ए0 के ट्रांसफार्मर से 3 नलकूप संयोजनों के आधार पर) आवेदक से प्राप्त प्रार्थना-पत्र पर बने प्राक्कलन में 68000/-प्रति नलकूप की छूट का प्रावधान है। 25 के0वी0ए0 से अधिक क्षमता का परिवर्तक लगाने में आने वाले अतिरिक्त व्यय की समानुपातिक आधार पर सम्बन्धित आवेदकों को वहन करना पड़ता है। शासन से प्राप्त लक्ष्यों के अनुसार संयोजन क्रमानुसार ही निर्गत किये जाते हैं।

जमा योजना के अन्तर्गत आवेदक को प्राक्कलन की पूर्ण राशि जमा करनी पड़ती है।

जी हां।

आवेदकों द्वारा सामान्य योजना के अन्तर्गत दिये प्रार्थना-पत्र पर बने प्राक्कलन की राशि जमा होने पर प्रथम आवत प्रथम पावत नीति के आधार पर एवं प्रदत्त लक्ष्यों के आधार पर प्राथमिकता आने की तिथि के बाद से दो माह के अन्दर संयोजन निर्गत किये जायेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक कलान के ग्राम वेहटा जंगल के पास पुलिया निर्माण की मांग

21-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर जनपद के ब्लाक कलान के ग्राम 'वेहटा जंगल' के पास एक पुलिया निर्माण के लिये वर्ष 2010-2011 में 35 लाख रु0 स्वीकृत हुआ है ? क्या यह भी सही है कि स्वीकृत आदेश में गलती से पुलिया निर्माण के स्थान पर सड़क निर्माण लिख जाने के कारण अब तक निर्माण कार्य नहीं हो सका है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त त्रुटि को ठीक कराकर पुलिया का निर्माण करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

शासनादेश सं0-34रा0स0नि0/23-1-11-735 रा0स0नि0/2010, दिनांक 20-1-2011 द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11 में जनपद शाहजहांपुर के वेहटा जंगल मार्ग की मरम्मत एवं सुधार कार्य हेतु रु0 31.46 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई थी।

शासनादेश दिनांक 20-1-2011 द्वारा वेहटा जंगल मार्ग की मरम्मत एवं सुधार कार्य स्वीकृत किया गया है।

पुलिया का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद सीतापुर के गांजर क्षेत्र में अवैध पेड़ों के कटान को रोकने की कार्यवाही

22-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सीतापुर के गांजर क्षेत्र में अवैध रूप से पेड़ों के कटान आजकल जोरों पर है ? क्या यह भी सही है कि तम्बौर/लहरपुर में अवैध रूप से आरा मशीनें भी चल रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार पेड़ों की अवैध कटान तथा चल रही अवैध आरा मशीनों को रोकने के लिए कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं, अवैध कटान पर नियंत्रण के लिए समय-समय पर वैधानिक कार्यवाही की गयी है।

वर्ष 2012-13 में फरवरी, 2013 तक लहरपुर रेंज में 8 अवैध आरा मशीनें संचालित पायी गयी थीं।

वर्ष 2012-13 में फरवरी, 2013 तक सीतापुर वन प्रभाग के गांजर क्षेत्र के वन क्षेत्र में अवैध पातन के 3 मामले प्रकाश में आये हैं जिसमें से 2 मामले में रु0 26,200 प्रतिकर के रूप में प्राप्त किया गया है एवं 1 मामले में वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

लहरपुर रेंज में वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत कृषकों के निजी क्षेत्रों में कुल 279 वृक्षों के अवैध कटान के मामले प्रकाश में आये जिसके विरुद्ध रु0 2,78,000.00 प्रतिकर वसूला गया।

01 वृक्ष जिला पंचायत सीतापुर के स्वामित्व का कटान पकड़ा गया जिसके विरुद्ध रेंज केस संख्या-57/2012-13 लहरपुर रेंज द्वारा इजरा किया गया एवं अभियुक्तों के विरुद्ध पुलिस में एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी है।

लहरपुर रेंज के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उप मजिस्ट्रेट, लहरपुर क्षेत्राधिकारी, लहरपुर एवं उप वनाधिकारी की टीम गठित करके वर्ष 2012-13 में फरवरी, 2013 तक 8 अवैध आरा मशीनों का संचालन बन्द कराकर कार्यवाही की गई है।

प्रश्न नहीं उठता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में विद्युत आपूर्ति फेल होने पर उपभोक्ता को मुआवजा दिये जाने का प्राविधान

23-श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड 2005 के चैप्टर 7 एवं उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 जनसेवा गारन्टी विनियम, 2011 के अन्तर्गत विद्युत आपूर्ति

फेल होने पर उपभोक्ता को मुआवजा दिये जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो अब तक कितने मामलों में मुआवजा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

उक्त नियम के तहत मुआवजा हेतु किसी भी विद्युत उपभोक्ता द्वारा कोई भी आवेदन नहीं किया गया है। अतः मुआवजा की देयता का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

डार्क जोन में निजी ट्यूबवेलों के वन्य विद्युत संयोजन को चालू कराये जाने की मांग

24-श्री वीरपाल राठी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डार्क जोन में निजी ट्यूबवेलों के लिए विद्युत संयोजन बन्द है ? यदि हां, तो जिन किसानों के पास सिंचाई का कोई साधन नहीं है, क्या सरकार उन्हें कनेक्शन दिलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जी नहीं।

डार्क जोन घोषित किये जाने के उपरान्त निजी नलकूपों के लिये विद्युत संयोजन पर रोक लगायी गयी है।

प्रदेश में सिंचाई को दृष्टिगत रखते हुए जले ट्रान्सफार्मर को बदलवाये जाने की मांग

25-श्री वीरपाल राठी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अतिभारित ट्रांसफार्मर लो-वोल्टेज के कारण जल जाने से एवं महीनों तक न बदलने के कारण सिंचाई न होने से फसलों की काफी हानि होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समस्या का समाधान करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं, अपितु ट्रान्सफार्मर जलने पर नियमानुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 72 घण्टे के अन्दर परिवर्तक बदलने की कार्यवाही की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में गांव कुण्डौल फतेहाबाद रोड से क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण की मांग

26-श्री काली चरन सुमन-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में गांव कुण्डौल फतेहाबाद रोड से विजय का महलैला तक, विझामई से हिगोट खेड़िया तक की सड़कें क्षतिग्रस्त एवं जीर्ण-शीर्ण होने से आवागमन बाधित है ? यदि हां, तो क्या सरकार इनकी मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद आगरा में ग्राम कुण्डौल फतेहाबाद मार्ग से विजय मल्हैला तक मार्ग की लम्बाई 1.50 कि0मी0 है। मार्ग की सतह क्षतिग्रस्त है तथा बीझामई से हिंगोट खेड़िया तक मार्ग की लम्बाई 2.80 कि0मी0 है। मार्ग की सतह आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। उक्त दोनों मार्गों पर आवागमन बाधित नहीं है।

उक्त मार्गों की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के देवरी रोड से क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण की मांग

27-श्री काली चरन सुमन-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में देवरी रोड से नगला ग्वालियर रोड तक एवं गांव नदौंता से सीताराम की मढ़इया वाया बिझामई तक की सड़क जीर्ण-शीर्ण व जगह-जगह गड्ढे होने से आवागमन बाधित है ? यदि हां, तो क्या सरकार इनकी मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद आगरा में देवरी मार्ग से नगला ग्वालियर रोड तक मार्ग की कुल लम्बाई 4.50 कि0मी0 है। मार्ग की सतह आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

गांव नदौंता से सीताराम की मढ़इया वाया बीझामई तक मार्ग की कुल लम्बाई 2.60 कि0मी0 है। मार्ग में सीताराम की मढ़इया आबादी भाग क्षतिग्रस्त है। इस मार्ग के शेष भाग की दशा संतोषजनक है।

उक्त दोनों मार्गों पर आवागमन बाधित नहीं है।

उक्त मार्गों के क्षतिग्रस्त अंश की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने की मांग

28-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जिवनाथपुर से पूरब रंगोली नहर से ग्राम सभा हिन्दवारी तक रोड क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का मरम्मत कार्य करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

उक्त मार्ग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम विलरिया भावलखेड़ा में पुलिया निर्माण कराये जाने की मांग

29-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आवागमन की सुविधा हेतु ग्राम विलरिया भावलखेड़ा शाहजहांपुर में जिला योजना अन्तर्गत नहर पर पुलिया बनाने की मांग विगत कई वर्षों से की जा रही है किन्तु अभी तक उक्त पुलिया का निर्माण नहीं हो सका है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त पुलिया का निर्माण करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा बहुमंजिली शापिंग काम्पलेक्स के कार्य को पूर्ण कराये जाने की मांग

30-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी में दशाश्वमेध क्षेत्र में वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा वर्षों पूर्व एक बहुमंजिली शॉपिंग काम्पलेक्स बनाने हेतु कई बैंकिंग और अन्य वित्तीय संस्थानों से कई करोड़ रुपया कर्ज लिया गया ? क्या यह भी सही है कि उक्त स्थल पर पूर्व में बनी हुई सब्जी मण्डी को तोड़कर खण्डहर बना दिया गया लेकिन वर्षों बीत जाने के बाद भी शॉपिंग काम्पलेक्स का निर्माण प्रारम्भ नहीं किया गया और न ही लिये गये मूल कर्ज तथा करोड़ों रुपये ब्याज का ही भुगतान किया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थल पर प्रस्तावित निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा बहुमंजिली शापिंग काम्पलेक्स बनाने हेतु केवल यूको बैंक, चौक वाराणसी से रु0 315.00 लाख का कर्ज लिया गया था।

स्थल साफ कर शापिंग काम्पलेक्स का निर्माण प्रारम्भ कराया गया था किन्तु स्थानीय दुकानदारों द्वारा मा0 न्यायालय से स्थगनादेश प्राप्त किये जाने के कारण निर्माण कार्य बाधित रहा। कालान्तर में स्थगनादेश समाप्त होने के पश्चात कार्य पुनः प्रारम्भ किया गया किन्तु पुनः विस्थापित दुकानदारों द्वारा मा0 न्यायालय में वाद योजित कर स्थगनादेश प्राप्त किये जाने तथा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा गंगा नदी के किनारे 200 मीटर की परिधि के अन्दर निर्माण कार्यों पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के कारण कार्य बाधित है। प्राप्त ऋण की धनराशि का ब्याज सहित पूर्ण भुगतान बैंक को वर्ष 1999 में किया जा चुका है।

मा0 सिविल जज (सी0डी0) वाराणसी के न्यायालय में लम्बित वाद सं0-798/04 रेडियस मार्केट बनाम विकास प्राधिकरण में दिनांक 28-10-2004 को पारित स्थगनादेश के वर्तमान में प्रभावी होने तथा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा जनहित याचिका सं0-31229/05 में पारित आदेश दिनांक 27-7-2012 द्वारा गंगा नदी के किनारे 200 मीटर की परिधि के अन्दर निर्माण कार्यों पर रोक लगाये जाने के कारण निर्माण कार्य संभव नहीं हो पा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद रमाबाई नगर के क्षेत्र सिकन्दरा के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण की मांग

31-श्री इन्द्रपाल सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रमाबाईनगर के नगर विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरा के अन्तर्गत डेरापुर से बलाई बुजुर्ग तक सड़क अत्यन्त क्षतिग्रस्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रश्नगत मार्ग ग्रामीण श्रेणी का है जिसकी कुल लम्बाई 8.500 कि0मी0 है। मार्ग के 1.150 कि0मी0 का भाग लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में है, जो क्षतिग्रस्त है।

उक्त मार्ग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रमाबाई नगर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरा के ग्रामों में सिंचाई की व्यवस्था कराये जाने की मांग

32-श्री इन्द्रपाल सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रमाबाई नगर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरा के यमुना के किनारे के ग्रामों में सिंचाई हेतु कोई नीति बनाई गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सिकन्दरा विधान सभा क्षेत्र में यमुना नदी बहुत गहरायी में बहती है जिसके कारण यमुना नदी के किनारे बसे गांवों में नहर के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना तकनीकी रूप से साध्य नहीं है।

जनपद वाराणसी के उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के इलाज पर व्यय धनराशि का भुगतान कराये जाने की मांग

33-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिवंगत उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के हेरिटेज अस्पताल वाराणसी में इलाज के दौरान खर्च हुई 83 हजार 751 रु0 (83751-00) की धनराशि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम से बकाया राशि के रूप में दर्ज है ? यदि हां, तो क्या सरकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम से दर्ज बकाया धनराशि का भुगतान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

दिवंगत उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के हेरिटेज अस्पताल वाराणसी में इलाज से सम्बन्धित हेरिटेज अस्तपाल का रु0 83.751 का बिल मुख्य चिकित्साधिकारी, वाराणसी के यहां भुगतान हेतु प्राप्त नहीं हुआ है और न ही लम्बित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र में स्थापित विद्युत इकाइयां एवं उनकी क्षमता का विवरण

34-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र में वर्तमान में कुल कितनी विद्युत उत्पादन इकाइयां स्थापित हैं तथा उनकी उत्पादन क्षमता क्या है एवं उनसे कितना-कितना विद्युत उत्पादन हो रहा है ? क्या सरकार यह बतायेगी कि विद्युत उत्पादन इकाई से जनपद सोनभद्र से 15-20 कि0मी0 की दूरी वाले क्षेत्र को निर्बाध विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था है ? यदि हां, तो क्या सरकार की उक्त क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की समयावधि बढ़ाने की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद सोनभद्र में वर्तमान में विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित इकाइयों का विवरण निम्नवत् है :-

तापीय विद्युत गृह	इकाई संख्या	क्षमता (मे0वा0)	उत्पादन औसत (मे0वा0)	टिप्पणी
अनपरा ताप विद्युत गृह	01	210	170	
	02	210	04	H 2 गैस लीकेज के कारण दिनांक 28-12-2012 से बन्द थी एवं दिनांक 28-2-2013 को भार पर आई।
	03	210	151	
	04	500	469	
	05	500	460	
योग	1-5	1630	1255	
ओबरा ताप विद्युत गृह	01	50	42	
	02	50	34	
	07	94	x	दिनांक 01-07-2010 से आर0 एण्ड एम0 हेतु बन्द है।
	08	94	x	क्षमता से हटाने हेतु दिनांक 11-6-2011 बन्द है।
	09	200	172	
	10	200	x	दिनांक 22-3-2012 से आर0 एण्ड एम0 हेतु बन्द है।

तापीय विद्युत गृह	इकाई संख्या	क्षमता (मे0वा0)	उत्पादन औसत (मे0वा0)	टिप्पणी
	11	200	x	दिनांक 10-7-2011 से आर0 एण्ड एम0 हेतु बन्द है।
	12	200	106	
	13	200	106	
योग	1-13	1288	460	
कुल योग	18	2918	1715	

जल विद्युत निगम

जल विद्युत गृह	इकाई संख्या	क्षमता (मे0वा0)	उत्पादन औसत (मे0वा0)	टिप्पणी
रिहन्द जल विद्युत गृह	01	50	38	
	02	50	--	ब्रेक डाउन/मेंटीनेंस कार्य हेतु बन्द है।
	03	50	--	जीर्णोद्धार नवीनीकरण कार्य हेतु बन्द है।
	04	50	--	जीर्णोद्धार नवीनीकरण कार्य हेतु बन्द है।
	05	50	50	
	06	50	38	
योग	06	300	126	
ओबरा जल विद्युत गृह	01	33	30	जीर्णोद्धार कार्य प्रगति पर है।
	02	33	--	मेंटीनेंस कार्य हेतु बन्द है।
	03	33	30	जीर्णोद्धार कार्य प्रगति पर है।
योग	03	99	60	

निजी क्षेत्र

तापीय विद्युत गृह	इकाई संख्या	क्षमता (मे0वा0)	उत्पादन औसत (मे0वा0)	टिप्पणी
अनपरा ''सी'' (लैन्को) ताप विद्युत गृह	01	600	--	वर्तमान में इकाई बन्द चल रही है। इससे पूर्व लगभग 550 मे0वा0 विद्युत उत्पादन होता था।

तापीय विद्युत गृह	इकाई संख्या	क्षमता (मे0वा0)	उत्पादन औसत (मे0वा0)	टिप्पणी
	02	600	--	वर्तमान में इकाई बन्द चल रही है। इससे पूर्व लगभग 550 मे0वा0 विद्युत उत्पादन होता था।
योग	02	1200	--	

जी नहीं।

जी नहीं।

वर्तमान में जनपद सोनभद्र के मुख्यालय राबर्ट्सगंज नगर को 18 घण्टे एवं ग्रामीण क्षेत्रों को 10 घण्टे (साप्ताहिक अदल-बदलकर) विद्युत आपूर्ति आदेशित है। विद्युत की मांग के सापेक्ष उत्पादन क्षमता में बढ़ोत्तरी की स्थिति में विद्युत आपूर्ति की समयावधि बढ़ा पाना संभव हो सकेगा।

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी में जर्जर विद्युत तारों को बदलवाने की मांग

35-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के प्रमुख बाजारों में बिजली के जर्जर तारों के स्थान पर ए0बी0सी0 वंच केबल लगाने की कार्य योजना वित्तीय वर्ष 2012-13 में स्वीकृत की गयी है ? यदि हां, तो इस कार्य हेतु कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है तथा उक्त कार्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के प्रमुख बाजारों में बिजली के जर्जर तारों के स्थान पर तकनीकी आवश्यकतानुसार उच्च क्षमता का तार लगाना या उसी क्षमता के तार से गार्डिंग के साथ बदलना उचित होगा। वित्तीय वर्ष 2013-14 में आवश्यकतानुसार बिजनेस प्लान के अन्तर्गत कार्य कराया जाना संभावित है।

जनपद आगरा में जगनेर रोड से नाले के निर्माण की मांग

36-श्री काली चरन सुमन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के खेरिया मोड़ से नरीपुरा, धनौली, अजीजपुर आदि गांवों के पानी के निकास हेतु जगनेर रोड पर आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत नाला अर्धनिर्मित है ? यदि हां, तो सरकार इसे कब तक पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

जगनेर रोड पर खेरिया मोड़ से बाबा कमाल खां दरगाह तक लगभग 503 मीटर लम्बाई में नाले के निर्माण हेतु आगरा विकास प्राधिकरण के पक्ष में वर्ष 2008 में रुपये 24.00 लाख की धनराशि अवस्थापना निधि से स्वीकृत हुई थी। स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा निविदायें आमंत्रित कर निर्माण कार्य दिनांक 25-12-2008 को पूर्ण कराया जा चुका है। इस रोड पर प्राधिकरण द्वारा अन्य किसी नाले का निर्माण कार्य नहीं किया जाना है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ के नेशनल हाई-वे की क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण की मांग

37-श्री दलवीर सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल हाई-वे-91 पर अलीगढ़ शहर में नौरंगाबाद ओवर ब्रिज पर लगी रेलिंग जगह-जगह से क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां। नेशनल हाई-वे-91 पर अलीगढ़ शहर में नौरंगाबाद ओवर ब्रिज भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत सरकार के अधीन है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा क्षतिग्रस्त रेलिंग की मरम्मत हेतु सम्बन्धित एजेन्सी को निर्देशित किया गया है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के राजमार्ग मेंहदावल करमैनी घाट तक की जर्जर क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराये जाने की मांग

38-श्री फतेह बहादुर-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बी0एम0सी0टी0 राजमार्ग बस्ती-मेंहदावल-करमैनी घाट तक की सड़क अत्यन्त जर्जर एवं क्षतिग्रस्त हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

उक्त मार्ग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर में राप्ती नदी पर सेतु निर्माण की मांग

39-श्री फतेह बहादुर-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में राप्ती नदी पर बढ़या-ठाठर के पास दो जनपदों को जोड़ने वाला अति महत्वपूर्ण निर्माणाधीन दीर्घ सेतु धनाभाव व पुनरीक्षित आगणन के स्वीकृत न होने के कारण बन्द हैं ? यदि हां, तो पुनरीक्षित आगणन कब तक स्वीकृत हो जायेगा ? क्या सरकार जून, 2013 तक पुनरीक्षित आगणन स्वीकृत करते हुए पुल का निर्माण कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

सेतु के मेंहदावल साइड में नदी में कटान के कारण माह फरवरी, 2013 में सेतु का एक स्पान बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। तद्नुसार पुनरीक्षित डिजाइन की स्वीकृति की प्रक्रिया पूर्ण होने पर प्रायोजनों का पुनरीक्षित कार्य संभव होगा।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र की मोहम्मदी के ग्रामों में अधिक क्षमता के ट्रान्सफार्मर लगवाये जाने की मांग

40-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के ग्राम-इस्लामाबाद व ग्राम-वरनैया, मजरा रतनपुर में मानक से कम क्षमता के लगे ट्रांसफार्मर अतिभारित होने के कारण आये दिन खराब हो जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ट्रांसफार्मरों की जगह अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर लगवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

ग्राम-इस्लामाबाद व ग्राम वरनैया, मजरा रतनपुर में लगे परिवर्तक परीक्षणाधीन है।

जी हां।

उक्त ग्रामों में लगे ट्रान्सफार्मरों की अतिभारिता पर क्षमता वृद्धि बिजनेस प्लान वर्ष 2013-14 के अन्तर्गत होना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी में उच्च आधुनिक सुविधायुक्त अस्पताल खुलवाये जाने की मांग

41-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी में 50 बेड का उच्च आधुनिक सुविधायुक्त अस्पताल जच्चा-बच्चा सर्जन आदि न होने के कारण जनता को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में 50 बेड वाला उच्च आधुनिक सुविधायुक्त अस्पताल खुलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी में 30 बेड का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र क्रियाशील है। सर्जन फिजीशियन तथा महिला चिकित्सक कार्यरत हैं। जच्चा-बच्चा हेतु सभी सुविधायें उपलब्ध हैं। रोगियों की सुविधा हेतु 108 तथा यू0पी0 एम्बुलेन्स की 02 एम्बुलेन्स क्रियाशील है।

प्रदेश में बन्द पड़े राजकीय नलकूपों को ठीक कराये जाने की मांग

42-श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विगत 5 वर्षों में स्थापित कितने राजकीय नलकूप बन्द पड़े हैं ? बन्द पड़े समस्त नलकूपों को सरकार कब तक ठीक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां। सिंचाई यांत्रिक संगठन के अन्तर्गत 05 वर्षों में प्रदेश में स्थापित कुल 3854 नलकूपों में दिनांक 05-02-2013 को विभिन्न कारणों से कुल 140 नलकूप बन्द हैं।

उपरोक्तानुसार बन्द कुल 140 नलकूपों में 32 नलकूपों का ऊर्जीकरण अवशेष होने के कारण चालू नहीं हो सके हैं। ऊर्जीकरण हेतु विद्युत विभाग के अधिकारियों से सम्पर्क कर निरन्तर प्रयास किया जा रहा है।

यांत्रिक दोष से अस्थाई रूप से बन्द 28 नलकूपों को दिनांक 4-3-2013 तक चालू करा दिया गया है। विद्युत दोष से अस्थाई रूप से बन्द 67 नलकूपों में 53 नलकूपों को दिनांक 4-3-2013 तक चालू करा दिया गया है, शेष 14 नलकूपों को चालू कराने हेतु विद्युत विभाग के अधिकारियों से निरन्तर प्रयास किया जा रहा है। 13 नलकूप सुधारात्मक कार्यवाही में अस्थाई रूप से बन्द हैं जिन्हें पुनर्विकसन उपरान्त चालू किया जायेगा।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर की जहांगीरपुर सहकारी शुगर मिल का कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग

43-श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर की जहांगीरपुर सहकारी शुगर मिल अभी भी अर्धनिर्मित है ? यदि हां, तो उक्त का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

किसान सहकारी चीनी मिल लि0, जहांगीरपुर-जेवर जनपद बुलन्दशहर की स्थापना हेतु दिनांक 6-3-1990 को निबन्धक/गन्ना आयुक्त, उ0 प्र0 द्वारा निबन्धन किया गया। तदोपरान्त चीनी मिल निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया। उक्त परियोजना की लागत में वृद्धि होने, प्रदेश शासन के वित्तीय संसाधनों के सीमित होने, केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त होने में कठिनाई के कारण एवं क्षेत्र के किसानों की चीनी मिल की शीघ्र स्थापना की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना का हस्तान्तरण निजी क्षेत्र के उपयुक्त उद्यमी को करने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया। तत्क्रम में गन्ना आयुक्त/निबन्धक, उ0 प्र0 सहकारी चीनी मिल समितियां, लखनऊ द्वारा अपने आदेश सं0-794-95/समिति दिनांक 15-7-1994 द्वारा इस परियोजना के परिसमापन हेतु परिसमापक नियुक्त किया गया। इस प्रकार यह परियोजना वर्तमान में परिसमापनाधीन है।

जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां की टाण्डाफाल नहर का पुनः निर्माण कराये जाने की मांग

44-श्री रमेश चन्द-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के मझवां विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत टाण्डाफाल नहर अत्यन्त जर्जर अवस्था में है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नहर का पुनर्निर्माण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी हां।

नहर पुनर्निर्माण हेतु रु0 779.00 लाख की परियोजना गठित की गई है। परियोजना की स्वीकृति के उपरान्त कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड पहाड़ी में पुल निर्माण की मांग

45-श्री रमेश चन्द-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर में विकास खण्ड पहाड़ी में स्थित जमतुआ बंधी और बेलवन पुल का निर्माण न होने के कारण क्षेत्रीय लोगों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त बंधी एवं पुल का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जमतुआ बंधी के निर्माण हेतु अभी तक वन विभाग की सहमति प्राप्त नहीं है तथा पुल निर्माण का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मिर्जापुर के चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर तैनाती की मांग

46-श्री रमेश चन्द-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मिर्जापुर के चिकित्सालयों में रिक्त कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, यूरोलाजिस्ट के पद खाली पड़े हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार रिक्त पदों पर तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां। मण्डलीय जिला चिकित्सालय, मीरजापुर में 01 कार्डियोलॉजिस्ट कार्यरत हैं जबकि 02 पद रिक्त हैं। इसी प्रकार न्यूरोलॉजिस्ट व यूरोलॉजिस्ट के 01-01 पद रिक्त हैं।

जी हां।

उक्त विशेषज्ञता के चिकित्सकों के उपलब्ध होने पर।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के ब्लाक पसगवां में सड़क निर्माण की मांग

47-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के ब्लाक-पसगवां में बरबरजहानीखेड़ा रोड पर मकसूदपुर से ग्राम-नकटी तक 01 किमी0 ध्वस्त खड़न्जा मार्ग को लेपन स्तर तक सड़क सरकार बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्ग का स्वामित्व लोक निर्माण विभाग का नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद लखीमपुर खीरी के ब्लाक मोहम्मदी में क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराये जाने की मांग

48-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के ब्लाक-मोहम्मदी में ग्राम-इटौवा में डा0 अम्बेडकर की प्रतिमा से वाया इटौवा गूजरपुर से सुन्दरपुर सम्पर्क मार्ग तक क्षतिग्रस्त सड़क को लेपन स्तर तक निर्माण कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड मोहम्मदी में ग्राम इटौवा व सुन्दरपुर पूर्व से लेपित मार्ग से जुड़े हैं। इटौवा में डा0 अम्बेडकर की प्रतिमा से गूजरपुर हेतु 1.35 कि0मी0 खड़न्जा मार्ग है जिसका स्वामित्व लोक निर्माण विभाग का नहीं है। मजरा गूजरपुर की आबादी 370 है। वर्तमान में 500 से कम आबादी के ग्रामों/मजरों का सम्पर्क मार्ग से जोड़ने की योजना प्राथमिकता में नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड ब्रह्मपुर के अनेकों ग्रामों में बन्धे का बोल्डर पिचिंग का कार्य

49-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाढ़ से बचाव हेतु जिला-गोरखपुर के विकास खण्ड-ब्रह्मपुर के अन्तर्गत ग्राम बरही, छितही, सिंहोड़वा, सराय मजगवा, टम्ठा आदि में बन्धे का बोल्डर पिचिंग कार्य कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां, जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड ब्रह्मपुर के अन्तर्गत ग्राम सराय मझगावां के सामने मिर्जापुर स्टोन बोल्डर पिचिंग एवं लाचिंग एप्रन का कार्य प्रगति पर है। ग्राम बरही के सामने जी0ओ0 बैग पिचिंग एवं लाचिंग एप्रन के निर्माण का कार्य प्रस्तावित है। छितहरी, सिंहोडवा, टम्ठा आदि गाठों में बोल्डर पिचिंग एवं लांचिंग एप्रन के कार्य की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र में क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराये जाने की मांग

50-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा शाहंपुर में राजबाहा से अनुसूचित जाति बस्ती शाहंपुर तक सड़क क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क बनवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

उक्त मार्ग प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित है तथा अनुबन्ध के अनुसार मार्ग की मरम्मत करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने की मांग

51-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सभा-रतनपुर सम्पर्क मार्ग से सेमरा सम्पर्क मार्ग तक कच्चे मार्ग को सरकार पिच रोड तक निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

ग्राम रतनपुर व सेमरा पूर्व से ही सिंगल कनेक्टिविटी के अन्तर्गत लेपित मार्गों से जुड़े हुए हैं।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा के अनेकों ग्रामों के फुंके ट्रांसफार्मर को बदलवाये जाने की मांग

52-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-शाहजहांपुर के ब्लाक-भावलखेड़ा के ग्राम-जमलापुर व बड़ावल, ब्लाक-ददरौल के ग्राम मधवामई तथा ब्लाक-सिधौली के सिसैया में विद्युत ट्रांसफार्मर अतिभारित होने के कारण फुंक गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त फुंके ट्रान्सफार्मर बदलकर बड़ी क्षमता के ट्रान्सफार्मर लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा के ग्राम जमलापुर व बड़ावल, ब्लाक ददरौल के ग्राम मधवामई तथा ब्लाक सिधौली के सिसैया में विद्युत ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हुए थे।

जी हां।

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा के ग्राम जमलापुर व बड़ावन, ब्लाक ददरौल के ग्राम मधवामई में 25 के0वी0ए0 के परिवर्तक को 63 के0वी0ए0 के परिवर्तक से बदलकर माह फरवरी, 2013 के अन्तिम सप्ताह में क्षमता वृद्धि कर दी गयी है।

ब्लाक सिधौली के ग्राम सिसैया में केवल 4 उपभोक्ता हैं जिनका विद्युत बिल बकाया है। बकाया बिल जमा होने के बाद क्षतिग्रस्त परिवर्तक तुरन्त बदलवा दिया जाएगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कैंसर की पहचान एवं रोकथाम नियंत्रण हेतु चिकित्सकों के प्रशिक्षण का कार्य

53-श्री मनीष असीजा-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार एन0आर0एच0एम0 योजना में कैंसर की रोकथाम के लिये प्राथमिक कार्य करने हेतु कार्यरत सरकारी डाक्टरों को कैंसर स्पेशलाइजेशन वाले केन्द्रों/अस्पतालों से अल्पकालीन अटैचमेंट कर प्रशिक्षित करते हुये उनसे कैंसर बीमारी के प्राइमरी प्रिवेंशन (आरम्भिक रोकथाम) का कार्य करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां। भारत सरकार के राष्ट्रीय कैंसर डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एवं स्ट्रोक रोकथाम व नियंत्रण कार्यक्रम, एन0आर0एच0एम0 के माध्यम से प्रदेश के 09 जनपदों (रायबरेली, सुल्तानपुर, झांसी, लखीमपुर खीरी, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, इटावा, ललितपुर एवं जालौन) मैं कैंसर की पहचान एवं रोकथाम के लिये संचालित हैं।

चिकित्सकों एवं उक्त कार्यक्रम के अधीन कार्यरत कार्मिकों को जनपद से लेकर प्रदेश स्तर पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर की तहसील कैम्पियरगंज के ग्राम सभा सोनौरा बुजुर्ग में नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की मांग

54-श्री फतेह बहादुर-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोरखपुर की तहसील-कैम्पियरगंज के ग्राम सभा-सोनौरा बुजुर्ग में एक नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के नाम एक एकड़ निःशुल्क भूमि दर्ज है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनता की स्वास्थ्य सुविधाओं को देखते हुये वर्ष 2013 में नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमह हसन-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में हाईटेंशन लाइनों से किसानों को हो रही क्षति की प्रतिपूर्ति किये जाने की मांग

55-श्री वीरपाल राठी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों के खेतों के ऊपर से जाने वाली हाईटेंशन लाइन से होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति की कोई कार्य योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

हाईटेंशन लाइन से घटित होने वाली विद्युत दुर्घटनाओं से फसल का नुकसान होने पर विभागीय नियमों के अन्तर्गत किसानों का उनके फसल की क्षतिपूर्ति का प्राविधान पूर्व से ही विद्यमान है। उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन के आदेश संख्या-4570/औस-17/पाकालि/2004-19 (5)ए0एस0 2004, दिनांक 25-9-2004 के अनुसार विद्युतीय अग्निकाण्ड में फसलों/सम्पत्तियों की हुई क्षति हेतु सम्बन्धित व जिले के तहसीलदार एवं जिलाधिकारी द्वारा क्षति का आंकलन एवं संस्तुति तथा निदेशक, विद्युत सुरक्षा निदेशालय, उ0 प्र0 की संस्तुति को आधार पर मानकर अनुग्रह धनराशि की स्वीकृति की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत में कृष्णी हिन्डन परियोजना नहर के निर्माण का प्रस्ताव

56-श्री वीरपाल राठी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत में कृष्णी हिन्डन परियोजना नहर जो खरीफ की सिंचाई हेतु निर्माणाधीन हैं, का निर्माण कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

कृष्णी हिण्डन परियोजना धन की उपलब्धतानुसार वर्ष 2103-14 में पूर्ण की जानी प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ की फार्म वो0एस0 गाथी एण्ड सन्स सदर बाजार के विरुद्ध फर्जी प्रमाण-पत्र की जांच प्रगति सम्बन्धी जानकारी

57-श्री राम सिंह-

विधान सभा के प्रथम सत्र 2012 के 4थे बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-1 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग की जांच में अब तक क्या प्रगति हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग, परिवाद ख वर्ग के पत्रांक-186ई0एफ0 (ख)/सी0-56ई0एफ0-1215/12, दिनांक 06-02-13 द्वारा जांच आख्या उपलब्ध करायी गयी है, जो परीक्षणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन के उरई महायोजना का नवीनीकरण किये जाने की मांग

58-श्री सन्तराम कुशवाहा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-जालौन के अन्तर्गत उरई महायोजना में आबादी क्षेत्र के पार्क एवं क्रीड़ा क्षेत्र के सेक्टरों को आवासीय सेक्टर घोषित करने की कोई नई कार्य योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो क्या ? क्या वर्ष 1987 एवं 2006 में तैयार की गयी महायोजना का अब तक नवीनीकरण न किये जाने का क्या कारण रहा है ? उक्त नवीनीकरण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

उरई विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 29-01-2009 के प्रस्ताव सं0 8(2) के अनुसार पुनरीक्षित उरई महायोजना 2006 (महायोजना-2031) हेतु कार्यवाही की जा रही है।

उरई विकास क्षेत्र की पुनरीक्षित महायोजना हेतु सैटेलाइट इमेजरी एन0आर0एस0ए0 हैदराबाद से प्राप्त किये जाने, इसके डिजिटाइजेशन का कार्य तथा सैटेलाइट आधारित डिजिटाइज्ड 'आधार मानचित्र' तैयार किये जाने में प्रक्रियात्मक विलम्ब हुआ।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग

59-श्री भीम प्रसाद सोनकर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत कितने ग्राम चयनित हुये हैं तथा उक्त ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत 372 ग्रामों के सापेक्ष 692 मजरे चयनित हुये हैं तथा उक्त ग्रामों/मजरों में विद्युतीकरण का कार्य हेतु निविदा निस्तारण की प्रक्रिया में हैं, निविदा निस्तारण एवं भारत सरकार से धन की उपलब्धता पर पूर्ण कराना संभव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर में नहर व राजबहों के सफाई मद के फर्जी भुगतान की जांच कार्य का कथित प्रकरण

60-श्री भीम प्रसाद सोनकर-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर में नहर व राजबहों की सफाई न होने के कारण पानी टेल तक नहीं पहुंच पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार वर्ष 2008 से लेकर 30-01-13 तक सफाई मद में किये गये फर्जी भुगतान की उच्च स्तरीय जांच कराकर नहर की सफाई कराने का निर्देश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर में जहांगीरगंज रजवाहे के आन्तरिक सेक्शन में स्क्रेपिंग का कार्य कराया गया है तथा माइनरों में अवरोध को हटाते हुये टेल तक पानी पहुंचाया गया है।

जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर में पुलिया चौड़ीकरण का कार्य कराये जाने की मांग

61-श्री भीम प्रसाद सोनकर-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर में ग्राम सहजना, हमजापुर के पीछे एवं आरोपुर नहर पर पतली पुलिया का चौड़ीकरण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विभागीय मानकों के अनुरूप साध्य नहीं पाया गया।

प्रदेश में राज्य सड़क निधि के अन्तर्गत ग्रामीण मार्गों की मरम्मत एवं नवीनीकरण हेतु जारी कृतियों के सम्बन्ध में जानकारी

62-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2012-13 में राज्य सड़क निधि के अन्तर्गत लेखानुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक 3054 के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न जनपदों के ग्रामीण मार्गों की सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण/मरम्मत कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति एवं धनावंटन में विधान सभा क्षेत्र रूदौली, जनपद फैजाबाद हेतु प्रस्तावित क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत हेतु धनावंटन में भेदभाव विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-क-5 नं0-123675 दिनांक 31-08-2012 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार स्वीकृतियां जारी की गयी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड बनीकोटर में पीपे के पुल को स्थानान्तरित कराने सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही

63-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजाघाट सुबेह के पीपे के पुल को स्थानान्तरित कर बाराबंकी जनपद के स्थानान्तरित विकास खण्ड बनीकोटर के सिल्लौर में बनवाये जाने

विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र के क्रम में मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र सं0-सी0एम0/वि0को0/एम0/पीजी0 10098336/2012, दिनांक 07-08-2012 प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

देबीगंज सुबेहा मार्ग के किमी0-48 में राजघाट पर पक्के सेतु एवं पहुंच मार्ग का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। इस कारण यातायात पान्टून पुल से ही संचालित हो रहा है। अतः पीपे के पुल को स्थानान्तरित कराने की कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद पीलीभीत के पर्यटन स्थल राजा मोरध्वज को पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने की मांग

64-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत में पर्यटन स्थल राजा मोरध्वज के द्वारा स्थापित मरौरी किला, लिलहर तालाब राजा बेन, राजा बलि आदि पर प्रतिवर्ष लाखों पर्यटक एवं श्रद्धालु आते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ऐतिहासिक स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यटन मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)-

जी हां।

जी नहीं।

उक्त पर्यटन स्थलों के विकास के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है।

जनपद मेरठ के आवास विकास परिषद् कार्यालय में सम्पत्ति अधिकारी पद पर नियुक्ति की मांग

65-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ के आवास विकास परिषद् कार्यालय में सम्पत्ति अधिकारी का पद सृजित है ? यदि हां, तो यह पद कितने समय से रिक्त है ? क्या सरकार इस पद पर नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् में सम्पत्ति अधिकारी पदनाम से नहीं अपितु सम्पत्ति प्रबन्धक पदनाम से पद सृजित है।

उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ में कुल 59 सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय हैं, जिनके सापेक्ष सम्पत्ति प्रबन्धक के 23 पद स्वीकृत हैं और वर्तमान में मात्र 03 नियमित तथा 01 सम्पत्ति प्रबन्धक मा0 उच्च न्यायालय के आदेशान्तर्गत कार्यरत हैं। इसी कारण यह पद दिनांक 01-05-2006 से रिक्त है।

कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-20/1/91-का-2-2012, दिनांक 15 मार्च, 2012 द्वारा लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाने वाली भर्ती को छोड़कर अन्य समस्त प्रकार की भर्तियों पर प्रतिबन्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी के श्री शिव प्रसाद गुप्ता मण्डलीय चिकित्सालय में लाण्ड्री मशीन उपलब्ध कराये जाने की मांग

66-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शिव प्रसाद गुप्ता मण्डलीय चिकित्सालय वाराणसी में आवश्यकतानुसार हृदय रोग विशेषज्ञ चिकित्सक, नर्सेज, वार्ड ब्वाय तथा अन्य आधुनिक उपकरण आधुनिक लान्ड्री मशीन नहीं होने से गरीब मरीजों को उचित चिकित्सा नहीं मिल पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कमियों की पूर्ति हेतु कोई व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं। श्री शिव प्रसाद गुप्त मण्डलीय जिला चिकित्सालय वाराणसी में हृदय रोग विशेषज्ञ तैनात हैं। नर्सों के स्वीकृत 42 पदों के सापेक्ष 41 तथा वार्ड ब्वाय के 55 पदों के सापेक्ष 54 कार्यरत हैं। मरीजों के उपचार हेतु 02 एक्स-रे मशीन व 02 अल्ट्रासाउण्ड मशीने भी लगी हैं। रोगियों को आधुनिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु 01 डिजिटल एक्स-रे मशीन, 02 कलर अल्ट्रासाउण्ड मशीन विद डाप्लर तथा 01 सी-आर्म मशीनें चिकित्सालय को उपलब्ध करायी गयी हैं। आधुनिक लाण्ड्री मशीन हेतु रु0 517.07 लाख स्वीकृत हो चुका है। सम्प्रति धुलाई का कार्य 05 धोबियों द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकार उपलब्ध संसाधनों से मरीजों को उपचार की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश के किसानों के नलकूपों का विद्युत भार बिना किसानों की सहमति के बढ़ाने सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही

67-श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों के नलकूपों का विद्युत भार वर्ष 2006 में बिना किसानों की सहमति के बढ़ाने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-179, रालोद/विमंद 12, दिनांक 19-09-2012 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त आदेश पर पुनः विचार करके नलकूपों का विद्युत भार मार्च, 2006 से पूर्व दर्ज बिलों के आधार पर लागू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां, बागपत क्षेत्र में भू-जल का स्तर अत्याधिक नीचे चले जाने के उपरान्त क्षेत्र के किसानों द्वारा निजी नलकूपों का अतिरिक्त भार स्वीकृत कराये बगैर क्षमता से अधिक मोटर स्थापित कर ली गयी जिससे-एका-एक विद्युत भार बढ़ने से ट्रान्सफार्मर व लाइनों का वृहत् स्तर से क्षतिग्रस्त

होने लगे जिसके फलस्वरूप विभाग द्वारा ऐसे किसानों को संज्ञान में लेते हुये निजी नलकूप के संयोजन पर डिमांड मीटर स्थापित कर वास्तविक उपयोग भार का आंकलन करने के उपरान्त ही भार बढ़ाने की कार्यवाही की गयी थी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के नगर पालिका परिषद् रसड़ा तहसील मुख्यालय के पास महिला चिकित्सालय खोलने की मांग

68-श्री उमाशंकर-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के नगर पालिका परिष् रसड़ा तहसील मुख्यालय जहां के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के पास पर्याप्त भूमि होने के बावजूद भी वहां पर महिला चिकित्सालय स्थापित नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां पर महिला चिकित्सालय खोलने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां।

जी नहीं।

जनपद बलिया की नगर पालिका परिषद् रसड़ा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित एवं क्रियाशील है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में महिला विंग में महिला उपचार की उचित व्यवस्था है। चिकित्सालय निर्माण का कार्य सरकार के वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करता है।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा की ग्राम सभा मुण्डेरा में विद्युत सब-स्टेशन का कार्य पूर्ण कर चालू कराये जाने की मांग

69-श्री उमाशंकर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा रसड़ा (बलिया) की ग्राम सभा मुण्डेरा में 33 के0वी0ए0 के विद्युत सब-स्टेशन का स्ट्रक्चर बनकर पिछले 2 वर्षों से तैयार है पर आज तक उस विद्युत सब-स्टेशन पर मशीन नहीं लगाई जा सकी है जिससे विद्युत सब स्टेशन चालू नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम सभा मुड़ेरा में बने 33 के0वी0ए0 के विद्युत सब-स्टेशन पर मशीन लगाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

विधान सभा रसड़ा (बलिया) की ग्राम सभा मुड़ेरा में 33/11 के0वी0 के विद्युत सब-स्टेशन का कार्य 70% हुआ है।

विधान सभा रसड़ा (बलिया) में ग्राम मुण्डेरा में 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र चालू करने की दिशा में मशीन (पैनल तथा ट्रान्सफार्मर) की व्यवस्था हो गयी है, शेष कार्य मई, 2013 तक पूर्ण कराकर उपकेन्द्र चालू करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ को मध्य प्रदेश की सीमा से जोड़ने की मांग

70-श्री सन्तराम कुशवाहा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-जालौन में माधौगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कोंच-नदीगांव मार्ग तथा कोंच-कैलिया मार्ग मध्य प्रदेश की सीमा से लगे हुये हैं ? क्या सरकार के पास इन मार्गों को मध्य प्रदेश की सीमा से जोड़ने की कोई कार्य योजना प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जनपद जालौन में माधौगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कोच नदीगांव मार्ग पूर्ण से ही मध्य प्रदेश की सीमा से जुड़ा है। कोंच कैलिया सलैया पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर में नगर पालिका तथा नगर पंचायतों में शहरी आवास का निर्माण पूर्ण कराने सम्बन्धी जानकारी

71-श्री रामहेत भारती-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर में नगर पालिका तथा नगर पंचायतों में निर्माणधीन मान्यवर, कांशीराम जी शहरी आवास का निर्माण पूरा हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के **प्रथम चरण** के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यानुसार जनपद-सीतापुर में स्थित इलसिया ग्रंट में 1500 नग (जी+3) भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कर स्थानीय संस्था नगर पालिका परिषद् सीतापुर को दिनांक 28-01-2011 को हस्तान्तरित किया जा चुका है।

द्वितीय चरण के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यानुसार जनपद-सीतापुर की विभिन्न नगर पालिका परिषदों में 720 नग भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण करके सम्बन्धित स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित किया जा चुका है।

तृतीय चरण के अन्तर्गत जनपद सीतापुर में स्थित विभिन्न निकायों में कुल 368 भवन निर्माणाधीन हैं। निर्माण कार्य यथा शीघ्र पूर्ण कर लिया जायेगा।

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड परसेंडी, हरगांव, लहरपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा उपकेन्द्रों पर मानक के अनुरूप चिकित्सकों की नियुक्ति की मांग

72-श्री रामहेत भारती-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड परसेंडी, हरगांव, लहरपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा उप केन्द्रों पर चिकित्सकों/महिला चिकित्सकों तथा पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है ? यदि हां, तो प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उप केन्द्रों पर चिकित्सक सरकार के मानक

के अनुसार नियुक्त नहीं हैं ? क्या सरकार उक्त मानक के अनुरूप चिकित्सकों की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां।

जी हां।

उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग से चयन के उपरान्त समय-समय पर प्राप्त संस्तुतियों के आधार पर चिकित्सकों की नियुक्ति/तैनाती की जाती है। इसके अतिरिक्त प्रोन्नति/सेवानिवृत्ति/त्याग-पत्र/पदों के सृजन आदि के कारण चिकित्सा अधिकारियों के समय-समय पर पद रिक्त होते रहते हैं। चिकित्सा अधिकारियों के पदों का रिक्त होना और उन पर नियुक्ति किया जाना एक सतत प्रक्रिया है। चिकित्सकों की उपलब्धता के आधार पर अस्पतालों में तैनाती की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर में नहरों की सिल्ट सफाई हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में अवमुक्त की गयी धनराशि का विवरण

73-श्री रामहेत भारती-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर में नहरों की सिल्ट सफाई हेतु वित्तीय वर्ष 2012-2013 में धनराशि अवमुक्त की गयी है ? यदि हां, तो किस नहर के लिये कितनी धनराशि शासन से अवमुक्त की गयी है ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

विभाग/मनरेगा के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि का नहरवार विवरण है।*

उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों पर गन्ना मूल्य की बकाया धनराशि के भुगतान की जानकारी

74-श्री पूर्णमासी देहाती-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 की किन-किन चीनी मिलों पर गन्ना मूल्य की कितनी-कितनी धनराशि बकाया है ? क्या कप्तानगंज-रामकोला, खड्डा, सिसवा बाजार में सम्पूर्ण बकायों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

दिनांक 11-03-2013 की स्थिति के अनुसार वर्ष 1994-95 से लेकर 2011-12 तक प्रदेश की चीनी मिलों पर रु0 125.76 करोड़ बकाया है। (मिलवार बकाया का विवरण संलग्न है)* वर्तमान पेराई सत्र 2012-13 के अन्तर्गत 14 दिन पूर्व अवधि के अनुसार प्रदेश की चीनी मिलों पर देय रु0 14974.66 करोड़ के सापेक्ष रु0 10251.61 करोड़ का भुगतान किया गया है, जो कुल देय का 68.46 प्रतिशत है। वर्तमान में रु0 4723.05 करोड़ भुगतान हेतु अवशेष है।

---

*देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ-261-264 पर।

चीनी मिल रामकोला-पी, खड्डा तथा सिसवाबाजार पर गत पेराई सत्रों का कोई बकाया नहीं है। चीनी मिल कप्तानगंज पर विगत पेराई सत्रों का रु0 17.27 करोड़ बकाया है।

चीनी मिल कप्तानगंज पर वर्ष 2002-03 का रु0 742.00 लाख तथा वर्ष 2003-04 का रु0 298.00 लाख अर्थात् कुल रु0 1040.00 लाख बकाया है। इसके अतिरिक्त 2006-07 एवं 2007-08 की धनराशि सम्मिलित करते हुए वर्तमान में कुल रु0 17.27 करोड़ बकाया है। उक्त चीनी मिल बी0आई0एफ0आर0 में पंजीकृत है। बी0आई0एफ0आर0 के आदेश दिनांक 09 जून, 2011 में चीनी मिल को कुल अवशेष गन्ना मूल्य में से रु0 5.00 करोड़ तत्काल तथा शेष धनराशि को आगामी तीन वर्ष में भुगतान किये जाने के निर्देश दिए गये हैं तथा एम0डी0आर0एस0 (मोडीफाइड ड्राफ्ट रिहैबिलिटेशन स्कीम) के लिए आई0एफ0सी0आई0 से कहा गया है। इस सम्बन्ध में एकमुश्त भुगतान किये जाने का अनुरोध विभाग द्वारा बी0आई0एफ0आर0 से किया जा रहा है।

वर्तमान पेराई सत्र 2012-13 के अवशेष गन्ना मूल्य के भुगतान कराये जाने हेतु निरन्तर अनुश्रवण किया जा रहा है। सरकार गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान कराये जाने के लिए कटिबद्ध है।

वित्तीय वर्ष 2012-13 में बाढ़ बचाव हेतु जनपद कुशीनगर को उपलब्ध कराये गये धन के सम्बन्ध में जानकारी

75-श्री पूर्णमासी देहाती-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2012-13 में बाढ़ बचाव हेतु कुशीनगर जनपद को कितना धन उपलब्ध कराया गया और डिवीजन में कितना-कितना अनुमानित लागत के हिसाब से वितरण किया गया है ? क्या सरकार अगले वित्तीय वर्ष में बन्धों की मरम्मत एवं सम्पूर्ण बाढ़ से बचाव हेतु आवश्यक धनराशि की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

वित्तीय वर्ष 2012-13 में जनपद कुशीनगर में बाढ़ बचाव हेतु रु0 2973.34 लाख अनुमानित लागत के सापेक्ष रु0 1331.07 लाख का धनावंटन/वितरण हुआ।

बाढ़ बचाव हेतु बन्धों के मरम्मत की सतत प्रक्रिया है आवश्यकतानुसार बाढ़ से बचाव हेतु धनराशि की व्यवस्था करके बन्धों की मरम्मत करायी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मिर्जापुर के समोगरा मार्ग से हरई दुहावां सम्पर्क मार्ग तक सड़क निर्माण कराये जाने विषयक जानकारी

76-श्री रमेश चन्द-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के समोगरा मार्ग से हरई दुहावां सम्पर्क मार्ग तक सड़क का निर्माण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

* देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ-265 पर।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद मिर्जापुर में समोगरा से हरई दुहावां मार्ग की कुल लम्बाई 3.80 किमी0 है, जिसमें से प्रथम 0.800 किमी0 तक का भाग लोक निर्माण विभाग के स्वामितव में है जो लेपन स्तर तक पूर्ण है। शेष 3.00 किमी0 पर लोक निर्माण विभाग का स्वामित्व नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां के अन्तर्गत जर्जर माइनरों की मरम्मत कराये जाने की मांग

77-श्री रमेश चन्द-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां के अन्तर्गत टाण्डा फाल से निकली हुई व बीरपुर माइनर तथा लोवर खजुरी से निकली देवरी, मोहनपुर एवं भेवर माइनर आदि जर्जर हो जाने से माइनरों का पूरा पानी पहाड़ के अन्दर ही चला जाता है, जिससे किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त माइनरों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी हां।

हरई वियर से निकली नहरों की पुनर्स्थापना से सम्बन्धित परियोजना की तकनीकी साध्यता का परीक्षण प्रगति में है जिस पर शीघ्र यथोचित कार्यवाही की जायेगी। खजुरी प्रणाली की मरम्मत एवं अपर खजुरी बांध की पुनर्स्थापना से सम्बन्धित परियोजना शासन में प्राप्त हुई है, जिसमें देवरी, मोहनपुर एवं भेवर माइनर के कार्य भी सम्मिलित हैं। तकनीकी रूप से साध्य पाये जाने पर कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड मझवां के गोधना ग्राम पंचायत के बिन्द बस्ती में मार्ग पर कट स्टोन लगवाने की मांग

78-श्री रमेश चन्द-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड मझवां के लरवक-मिर्जामुराद मार्ग पर गोधना ग्राम पंचायत बिन्द बस्ती में सड़क पर लगभग दो सौ मीटर क्षेत्रफल में जल भराव होने के कारण क्षेत्रीय जनता को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार गोधना ग्राम पंचायत बिन्द बस्ती में सड़क पर लगभग दो सौ मीटर कट स्टोन लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

कट स्टोन का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड मझवां की ग्राम पंचायत कल्याणपुर से व्यासपुर तक की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने की मांग

79-श्री रमेश चन्द-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड मझवां की ग्राम पंचायत कल्याणपुर से व्यासपुर तक पी0डब्लू0डी0 द्वारा बनायी गयी सड़क क्षतिग्रस्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

उक्त मार्ग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मिर्जापुर विधान सभा क्षेत्र मझवां के जमतुआ बंधी से निकली भरपुरा माइनर का पुनर्निर्माण कराये जाने की मांग

80-श्री रमेश चन्द-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां के जमतुआ बंधी से निकली भरपुरव माइनर की अवस्था जर्जर होने से पूरा पानी पहाड़ के अन्दर चला जाता है, जिससे किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त माइनर का पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी हां।

भरपुरा जरवहा खजुरी नहर प्रणाली के अन्तर्गत है। खजुरी प्रणाली की मरम्मत एवं अपर खजुरी बांध की पुनर्स्थापना की परियोजना शासन में प्राप्त हुई है, जिसके तकनीकी रूप से साध्य पाये जाने पर कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद में माह अगस्त, 12 से दिनांक 7-2-13 तक डेंगू, मस्तिष्क ज्वर तथा इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित मरीजों के बचाव हेतु कार्यवाही

81-श्री जाकिर अली-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद में माह अगस्त, 12 से दिनांक 07-02-13 तक डेंगू, मस्तिष्क ज्वर तथा इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित कितने

मरीज प्रकाश में आये हैं तथा उनमें से कितने मरीजों की मृत्यु हुई है ? क्या सरकार डेंगू, मस्तिष्क ज्वर तथा इंसेफ्लाइटिस से बचाव हेतु कोई प्रभावी कदम उठायेगी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां। जनपद गाजियाबाद में माह अगस्त, 2012 से दिनांक 07-02-2013 तक डेंगू के 11 मरीज प्रकाश में आये हैं तथा उनमें से एक की मृत्यु हुई है एवं मस्तिष्क ज्वर तथा इन्सेफ्लाइटिस से कोई भी पीड़ित व्यक्ति प्रकाश में नहीं आया है तथा किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई।

जी हां।

डेंगू, मस्तिष्क ज्वर तथा इन्सेफ्लाइटिस के नियंत्रण एवं बचाव हेतु विभाग द्वारा कार्य योजना बनाकर समस्त प्रभावित/संवेदनशील जनपदों में कार्यवाही सुनिश्चित करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सरकारी स्कूलों की भांति प्राइवेट स्कूलों के छात्रों को आशीर्वाद बाल स्वास्थ्य गारन्टी योजना से आच्छादित करने की मांग

82-श्री जाकिर अली-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा-एक से कक्षा-दस तक के छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण और उनका मुफ्त इलाज आशीर्वाद बाल स्वास्थ्य गारन्टी योजना के तहत किया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार सरकारी स्कूलों के छात्रों की ही भांति प्राइवेट स्कूलों के छात्रों को भी इस योजना से आच्छादित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना के तहत संचालित ''आशीर्वाद''-बाल स्वास्थ्य गारण्टी योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में योजना के प्रथम चरण में ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों के कक्षा-1 से कक्षा-10 तक के छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण और उनका मुफ्त इलाज किया जा रहा है।

द्वितीय चरण में ग्रामीण क्षेत्रों के कक्षा-1 से कक्षा-12 तक के सभी सरकारी स्कूलों के साथ-साथ सरकारी सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूल, अनौपचारिक शिक्षा के स्कूल बाल श्रम विभाग एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित स्कूल, मदरसे, अनाथालय, बाल अपराध गृह के बच्चे, महिला समाख्या द्वारा संचालित स्कूलों के छात्र तथा आंगनबाड़ी स्कूलों में पंजीकृत बच्चों को भी इस योजना से आच्छादित किया जाना है।

जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत बन्द हुई लक्ष्मीगंज व पिपराइच चीनी मिल को पुनः चलाने की मांग

83-श्री पूर्णमासी देहाती-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत बन्द चीनी मिल लक्ष्मीगंज व पिपराइच के हजारों मजदूर, लाखों किसान भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं ? यदि हां,

तो क्या सरकार उनकी दयनीय दशा को देखते हुये लक्ष्मीगंज व पिपराइच चीनी मिल को पुनः चलाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत लक्ष्मीगंज व पिपराइच चीनी मिल के बन्द हो जाने के उपरान्त इन मिलों के क्षेत्र के गन्ने का व्यावर्तन अन्य निकटवर्ती निजी क्षेत्र की चीनी मिलों यथा-हाटा, कप्तानगंज एवं रामकोला (पंजाब) को कर दिया गया है। शासनादेश दिनांक 14-05-2008 द्वारा लक्ष्मीगंज व पिपराइच चीनी मिलों को उनकी कम क्षमता, जीण-शीर्ण दशा व अत्यधिक घाटा होने के कारण पेराई सत्र 2008-09 से बन्द कर दिया गया था तथा लक्ष्मीगंज चीनी मिल को निजी क्षेत्र में विक्रीत कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के कैसरगंज-हुजूरपुर-पयागपुर-इकौना सड़क मार्ग की विशेष मरम्मत हेतु शासन को प्राप्त आगणन प्रस्ताव पर कृत कार्यवाही की जानकारी

84-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बइराइच के कैसरगंज-हजूरपुर-पयागपुर-इकौना सड़क मार्ग की विशेष मरम्मत हेतु शासन को आगणन प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

कैसरगंज-हुजूरपुर-पयागपुर-इकौना अन्य जिला मार्ग (बहराइच बाईपास मार्ग) की कुल लम्बाई 51.00 कि0मी0 में विशेष मरम्मत कार्य हेतु रु0 343.33 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करते हुए वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए रु0 137.33 लाख की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है।

जनपद बहराइच विकास खण्ड पयागपुर के विभिन्न सम्पर्क मार्गों एवं पुल, पुलियों/सेतुओं के निर्माण हेतु प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

85-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वान्चल विकास निधि (राज्यांश) द्वारा जनपद बहराइच विकास खण्ड पयागपुर के विभिन्न सम्पर्क मार्गों एवं पुल, पुलियों/सेतुओं के निर्माण हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-ख-एस0 नं0-148372/1357, दिनांक 28-09-12 आयुक्त देवीपाटन मण्डल गोण्डा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

पत्र के साथ संलग्न सूची में उल्लिखित 13 खड़न्जा मार्गों की कार्य योजना, पूर्वान्चल विकास निधि (राज्यांश) के अन्तर्गत प्रतिपादित मार्गदर्शी सिद्धान्तों से आच्छादित न होने के कारण उनकी स्वीकृति के सम्बन्ध में विचार किया जाना सम्भव नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बहराइच के कैसरगंज के कतिपय मार्ग की मरम्मत विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

86-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बइराइच के कैसरगंज-हजूरपुर-पयागपुर-इकौना सड़क मार्ग की विशेष मरम्मत हेतु प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0 उ0 प्र0 लखनऊ (यातायात वर्ग) द्वारा प्रेषित आगणन के प्रशासनिक अनुमोदन व वित्तीय स्वीकृति विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या वि0प0/ज0हि0/12-13/क-एस0 नं0-138324/1405 दिनांक 07-10-12, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

कैसरगंज-हुजूरपुर-पयागपुर-इकौना अन्य जिला मार्ग (बहराइच बाईपास मार्ग) की कुल लम्बाई 51.00 कि0मी0 में विशेष मरम्मत कार्य हेतु रु0 343.33 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करते हुए वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए रु0 137.33 लाख की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद में नेशनल हाई-वे पर भेलसर चौराहे से नगर पालिका परिषद् रूदौली तक सम्पर्क मार्ग के चौड़ीकरण की मांग

87-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद में नेशनल हाइ-वे पर भेलसर चौराहे से नगर पालिका परिषद् रूदौली को जोड़ने वाले 8 किमी0 लम्बे सम्पर्क मार्ग पर सिंगल रोड होने के कारण आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का चौड़ीकरण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं। भेलसर चौराहे से रूदौली तक सम्पर्क मार्ग की लम्बाई 5.00 किमी0 है। इस मार्ग की लम्बाई का 2.40 किमी0 भाग 3.50 मीटर चौड़ाई में एवं शेष 2.60 किमी0 का भाग 5.50 मीटर चौड़ाई में निर्मित है।

मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद फैजाबाद के नगर पालिका परिषद् रूदौली के विभिन्न वार्डों के जर्जर पोल व तार बदले जाने विषयक जानकारी

88-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद् रूदौली के विभिन्न वार्डों में विद्युत लाइन के तार व पोल अत्यन्त जर्जर स्थिति में होने के कारण आये दिन दुर्घटनायें व बिजली कटौती तथा शार्ट सर्किट के कारण ट्रान्सफार्मर फुंकने आदि की समस्यायें होती रहती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जर्जर पोल व तार आदि बदलेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद फैजाबाद के नगर पालिका परिषद् रूदौली के विभिन्न वार्डों के जर्जर पोल व तार को बदलने का कार्य चिन्हित किया जा रहा है, जिसकी कार्य योजना बिजनेस प्लान 2013-14 में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2013-14 में कार्य कराया जाना सम्भावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद की रूदौली विधान सभा क्षेत्र में विद्युत स्पर्शाघात से हुई कतिपय व्यक्तियों की मृत्यु के सम्बन्ध में जानकारी

89-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 16-02-12 से अगस्त, 2012 के मध्य जनपद फैजाबाद की रूदौली विधान सभा क्षेत्र में विद्युत स्पर्शाघात से हुई आठ मौतों से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या-ख-5 नं0-123670, दिनांक 01-08-12 के क्रम में मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/ एम0/पी0जी0 10096758/2012, दिनांक 04-08-12 प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं, किन्तु इसी विषय में सम्बन्धित पत्र सं0-ख-5 नं0 0068761, दिनांक 03-08-2012 प्राप्त हुआ है।

प्रश्नगत क्षेत्र में विद्युत स्पर्शाघात से 07 व्यक्तियों की मृत्यु का प्रकरण संज्ञान में आया है। प्रकरणवार स्थिति निम्नवत् है :--

(1) स्व0 राजेन्द्र प्रसाद यादव, (2) स्व0 अमरेश कुमार, (3) स्व0 श्याम लाल, (4) स्व0 राकेश कुमार मिश्रा, (5) स्व0 हजरत, (6) स्व0 हरिकेश के आश्रितों को रु0 एक-एक लाख का भुगतान कर दिया गया है।

(7) स्व0 राम कृपाल यादव को क्षतिपूर्ति की धनराशि स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही प्रक्रिया में है। भुगतान दिनांक 31-03-2013 तक कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद की नगर पालिका रूदौली में महिला अस्पताल बनाये जाने की मांग

90-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद की नगर पालिका रूदौली में महिला अस्पताल बनाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या-ख-5 नं0-068760, दिनांक 01-08-12 के क्रम में मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0 10096711/2012, दिनांक 04-08-12 प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां।

नगर पालिका परिषद्, रूदौली में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित एवं क्रियाशील है, जिसमें महिला विंग स्थापित है। जहां पर महिला उपचार की उचित व्यवस्था उपलब्ध है। पुराना प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से 02 कि0मी0 की दूरी पर है। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में महिला चिकित्सालय बनाये जाने की योजना नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जिला योजना समिति शाहजहांपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 की सिफारिशों को लागू करने के सम्बन्ध में जानकारी

91-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला योजना समिति शाहजहांपुर से वर्ष 2012-13 की सिफारिशों को लागू करने के लिये किस-किस योजना पर धन दिया जा रहा है ? रौजा रामापुर बरकतपुर (ब्लाक भावलखेड़ा) के लिये कितना धन अवमुक्त हुआ है ? क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जो भी संस्तुतियां शाहजहांपुर से प्राप्त हुयी हैं उन पर धन कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जिला योजना समिति शाहजहांपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 में जिला योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यों हेतु रु0 6673.93 लाख की कार्य योजना अनुमोदित की गयी थी, जिसके विरुद्ध सीमिति वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत शासनादेश दिनांक 05-02-13 द्वारा मात्र 10 कार्यों हेतु मनरेगा की धनराशि सहित रु0 247.26 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष रु0 89.284 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है।

सीमिति वित्तीय संसाधनों के कारण प्रश्नगत कार्य हेतु कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की गई है।

उपर्युक्तानुसार।

शाहजहांपुर में रिंग रोड बनाने की मांग

92-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर में रिंग रोड बनाने का प्रकरण सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसकी रूपरेखा/प्रारूप क्या है ? उक्त योजना पर कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम बल्लिय, ब्लाक भावलखेड़ा तथा ग्राम राई खुर्द व निजामपुर गौटिया ब्लाक ददरौल में खम्भे व तार लगाये जाने की मांग

93-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के ग्राम बल्लिय, ब्लाक भावलखेड़ा तथा ग्राम राई खुर्द व निजामपुर गौटिया ब्लाक ददरौल में खम्भे व तार लगाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्रांक-20 दिनांक 03-09-12 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार बिजनेस प्लान 2012-13 में शामिल करके खम्भे व तार लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

अखिलेश यादव-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पत्र में वर्णित कार्य कालोनी/मोहल्ले के विस्तारीकरण के उपरान्त घरों में संयोजन देने विषयक में प्राक्कलन की धनराशि या तो विकसितकर्ता द्वारा या निवासियों द्वारा जो स्वयं विकसित किये है, समूह के रूप में प्राक्कलन की धनराशि बराबर-बराबर बांट कर जमा करने के उपरान्त उक्त लाइन खम्भे का कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

जनपद अलीगढ़ में विद्युत करेन्ट से हुए घायलों एवं मृतकों के सम्बन्ध में जानकारी तथा उनके आश्रितों को प्रदान की गयी आर्थिक सहायता का विवरण

94-श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-अलीगढ़ में वर्ष 2010 से 31 दिसम्बर, 2012 तक विद्युत करेन्ट से कितने लोग घायल एवं कितने लोगों की मृत्यु हो गयी है ? क्या सरकार द्वारा उनके आश्रितों को शासन की नीति के अनुसार आर्थिक सहायता प्रदान कर दी गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रश्नगत अवधि में जनपद अलीगढ़ में विद्युत करेन्ट से 06 व्यक्ति घायल हुए एवं 25 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है।

90 प्रतिशत तक घायल एक व्यक्ति को सक्षम अधिकारी की संस्तुति पर 90,000 एवं 06 मृतक व्यक्तियों के आश्रितों को कारपोरेशन के निहित आदेशों के अनुसार प्रत्येक को रु0 1,00,000.00 आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है।

शेष 05 घायल व्यक्तियों के प्रकरणों में सक्षम अधिकारी से क्षतिपूर्ति स्वीकृत करने हेतु मूल्यांकन की संस्तुति प्राप्त होना प्रतीक्षित है एवं 19 मृतक व्यक्तियों के संदर्भ में स्थिति निम्नवत् है :--

1-03 प्रकरण मा0 न्यायालय में विचाराधीन हैं, जिन पर मा0 न्यायालय के निर्णय के उपरान्त ही निस्तारण करना सम्भव हो सकेगा।

2-09 प्रकरणों पर आवेदन एवं प्रपत्र उपलब्ध न होने के कारण कार्यवाही लम्बित है, जिनको पूर्ण कराने के लिए कार्यवाही की जा रही है। कार्यवाही पूर्ण होते ही शीघ्र भुगतान कराया जायेगा।

3-02 प्रकरणों में कार्यालय-ज्ञाप कर प्रत्येक को रु0 1.00 लाख स्वीकृत की जा चुकी है, भुगतान शीघ्र कर दिया जायेगा।

4-05 प्रकरणों को जिलाधिकारी, अलीगढ़ कार्यालय की स्वीकृति हेतु प्रेषित किये गये हैं जिन पर स्वीकृति अपेक्षित है। जिलाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त होते ही प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा रसड़ा (बलिया) की ग्राम सभा नरनी से सिलहटा के बीच स्टेट ट्यूबवेल के जर्जर तार को बदलवाये जाने की मांग

95-श्री उमाशंकर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा रसड़ा (बलिया) की ग्राम सभा नरनी से सिलहटा के बीच स्टेट ट्यूबवेल 11000 वोल्ट की लाइन सन् 1969 में खींची गई थी जिस पर ग्राम सभा अतरसुआ, कोप, मुस्तफाबाद आदि गांवों के सैकड़ों ट्यूबवेलों व कई घरों के कनेक्शन हैं परन्तु तार इतना जर्जर हो गया है कि कई दुर्घटनायें भी घटित हो चुकी हैं तथा कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं फिर भी जर्जर तार नहीं बदला गया ? क्या सरकार ग्राम सभा नरनी से सिलहटा के बीच खींची गई 11000 वोल्ट लाइन के जर्जर तारों को बदलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां। जर्जर तार बदलने की कार्यवाही की जा रही है।

जी हां।

माह अप्रैल, 2013 तक के अन्त तक उक्त कार्य कराया जाना सम्भावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के मेजा विधान सभा क्षेत्र में माण्डा, भारतगंज प्रतापपुर रोड के उच्चीकरण व सुदृढ़ीकरण की मांग

96-श्री गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के मेजा विधान सभा क्षेत्र में माण्डा, भारतगंज प्रतापपुर रोड के उच्चीकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य पूर्ववर्ती मायावती सरकार में प्रारम्भ किया गया था ? यदि हां, तो माण्डा रोड से लेकर भारतगंज टाउन एरिया होते हुये कोरांव टाउन एरिया तक मार्ग क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत/निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

भारतगंज-प्रतापपुर मार्ग (राज्य मार्ग सं0-102) के किमी0 1 से 29 में चौड़ीकरण का कार्य प्रगति में होने के कारण पूर्ण लेपित सतह आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

जी हां।

मार्ग की मरम्मत/निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड पहाड़ी के ग्राम मगरमूड में जलाशय के बांध का पुनर्निर्माण कराये जाने की मांग

97-श्री रमेश चन्द-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड पहाड़ी के अन्तर्गत ग्राम मगरमूड़ में वर्ष 1942 में निर्मित विरोहिया पिकअप वीयर एवं जलाशय का बांध वर्तमान समय में पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त होने के कारण इससे निकलने वाली भरपुरा राजबहा से सिंचाई नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त विरोहिया पिकअप वीयर एवं जलाशय के बांध का पुनर्निर्माण कराये गी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी हां।

विरोहिया पिकअप वियर एवं उससे निकलने वाली भरपुरा रजवाहा खजुरी नहर प्रणाली के अन्तर्गत आती है। इस नहर प्रणाली की मरम्मत एवं अपर खजुरी बांध की पुनर्स्थापना से सम्बन्धित परियोजना शासन में प्राप्त हुई है, जिसके तकनीकी रूप से साध्य पाए जाने पर कार्यवाही की जाएगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मिर्जापुर विधान सभा क्षेत्र मझवां के अन्तर्गत टाण्डा फाल से निकलने वाली माइनरों का पुनः निर्माण कराये जाने की मांग

98-श्री रमेश चन्द-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां के अन्तर्गत टाण्डा फाल से निकली नहर हर्रई माइनर व बीरपुर माइनर पहाड़ के ऊपर ही लगभग दो से तीन किलोमीटर तक अत्यन्त जर्जर हो चुकी है, जिससे पूरा पानी पहाड़ के अन्दर ही चला जाता है और किसानों को पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार टाण्डा फाल से निकलने वाली उपरोक्त माइनरों का पुनः निर्माण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी हां।

हर्रई वियर से निकली उक्त नहरों की पुनर्स्थापना हेतु पुनरीक्षित परियोजना वर्तमान दर अनुसूची के आधार पर गठन किया गया है। परियोजना की तकनीकी स्वीकृति के उपरान्त कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मिर्जापुर के अन्तर्गत विन्ध्याचल, बिल्ठम फाल, चण्डिका धाम आदि पर्यटक स्थलों के सौन्दर्यीकरण की मांग

99-श्री रमेश चन्द-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के अन्तर्गत विन्ध्याचल, बिल्ठम फाल, चण्डिका धाम आदि पर्यटक क्षेत्र के भवन अत्यन्त जर्जर अवस्था में हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त धामों का सौन्दर्यीकरण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

पर्यटन विभाग द्वारा पूर्व में उक्त स्थलों पर विकास कार्य कराये गये हैं।

जनपद बस्ती विधान सभा क्षेत्र रुधौली अन्तर्गत पूर्वांचल विकास निधि से जनहित में प्रस्तावित क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण की मांग

100-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के विधान सभा क्षेत्र रूधौली अन्तर्गत पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश 2012-13) से जनहित में प्रस्तावित क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 19-09-2012 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार पत्र में

प्रस्तावित क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण/मरम्मत का कार्य पूर्वान्चल विकास निधि (राज्यांश) के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद आगरा में शमशाबाद रोड से रजरई, नौबरी, वाया सैमरी इरादतनगर रोड तक घड़ी देवरी नहर से देवरी परिक्रमा मार्ग तक की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने की मांग

101-श्री काली चरन सुमन-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में शमशाबाद रोड से रजरई, नौबरी, वाया सैमरी इरादत नगर रोड तक घड़ी देवरी नहर की पुलिया से देवरी परिक्रमा मार्ग स्कूल तक की सड़कें क्षतिग्रस्त एवं बहुत जीर्ण-शीर्ण हो गयी हैं, जिससे आवागमन बाधित है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

शमशाबाद मार्ग से रजरई, नौबरी, वाया सैमरी इरादत नगर मार्ग पर सैमरी से इरादत नगर मार्ग की कुल लम्बाई 5.80 कि0मी0 है। सैमरी आबादी भाग से इरादत नगर रोड तक 300 मीटर लम्बाई में मार्ग का स्वामित्व लोक निर्माण विभाग का है जिसकी दशा संतोषजनक है। इस मार्ग के शेष भाग पर लोक निर्माण विभाग का स्वामित्व नहीं है।

घड़ी देवरी नहर की पुलिया से देवरी परिक्रमा मार्ग स्कूल तक मार्ग की लम्बाई 1.75 कि0मी0 है। मार्ग की सतह आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

उपर्युक्त दोनों मार्गों में लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व वाले भाग में आवागमन बाधित नहीं है।

उक्त मार्गों के क्षतिग्रस्त अंश की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के ग्राम नगलाकली एवं सैमरी प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर से होकर गुजरने वाली विद्युत तार (हाइटेंशन) लाइन को हटवाने की मांग

102-श्री काली चरन सुमन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के ग्राम नगलाकली एवं सैमरी प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर से होकर गुजरने वाली विद्युत तार (हाइटेंशन) लाइन को दुर्घटना की दृष्टि से हटवाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद आगरा के ग्राम नगला कली में प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर से कोई हाईटेंशन लाइन नहीं गुजर रही है।

ग्राम सैमरी में प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर से होकर गुजरने वाली विद्युत लाइन (हाईटेंशन लाइन) को हटाये जाने के लिये प्रधानाध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय सेमरी, बरौली अहीर, आगरा ने विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, आगरा के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसके परिप्रेक्ष्य में अधि0अभि0, वि0वि0 खं0-प्र0, आगरा के पत्रांक-9816, दिनांक 21-11-2012 एवं पत्र सं0-1500, दिनांक 11-02-2013 के द्वारा रु0 3,035,00.00 (तीन लाख तीन हजार पांच सौ मात्र) की धनराशि जमा कराये जाने का पत्र प्रधानाध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय सेमरी ब्लाक-बरौली अहीर, आगरा को भेजा गया है। उक्त धनराशि जमा कराने के उपरान्त लाइन शिफ्टिंग का कार्य कराया जाना संभव हो सकेगा।

जहां तक उक्त प्राइमरी स्कूल के बिल्डिंग के ऊपर से जाने वाली लाइन से दुर्घटना का प्रश्न है, इसके गार्डिंग की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो दो माह में पूर्ण कराया जाना संभावित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कुल स्थापित राजकीय ट्यूबवेलों की जानकारी

103-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने राजकीय ट्यूबवेल स्थापित हैं ? कितने ट्यूबवेल वर्तमान में काम कर रहे हैं तथा कितने खराब हैं ? क्या सरकार खराब पड़े राजकीय ट्यूबवेलों को ठीक कराते हुए जनपद सोनभद्र में स्थापित राजकीय ट्यूबवेलों की सूची उपलब्ध कराएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रदेश में कुल स्थापित राजकीय नलकूपों की संख्या 37287 है।

कुल स्थापित 37287 राजकीय नलकूपों के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 01-04-12 की स्थिति के अनुसार कुल चलित राजकीय नलकूपों की संख्या 29595 है। फेल/परित्याग हेतु प्रस्तावित स्थायी रूप से खराब राजकीय नलकूपों की संख्या 5696 तथा सुधारात्मक कार्यवाही में अस्थायी रूप से बन्द राजकीय नलकूपों की संख्या 6987 है। दिनांक 7-2-13 की साप्ताहिक बन्दी के अनुसार यान्त्रिक दोष के कारण अस्थायी रूप से खराब राजकीय नलकूपों की संख्या 539 तथा विद्युत दोष के कारण अस्थायी रूप से खराब राजकीय नलकूपों की संख्या 1024 है।

इस प्रकार यान्त्रिक/विद्युत दोष के कारण अस्थायी रूप से खराब कुल राजकीय नलकूपों की संख्या 1563 है।

फेल/सुधारात्मक कार्यवाही के अन्तर्गत अस्थायी रूप से बन्द राजकीय नलकूपों को ठीक कराये जाने हेतु परीक्षण कराकर एवं कार्य योजना साध्य पाये जाने पर ठीक कराये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी। अस्थायी रूप से यान्त्रिक दोष के कारण बन्द राजकीय नलकूपों को निर्धारित समयावधि

में ठीक कराने एवं विद्युत दोष के कारण अस्थायी रूप से बन्द राजकीय नलकूपों को सम्बन्धित जनपदों के विद्युत अधिकारियों के साथ साप्ताहिक बैठक कर ठीक कराये जाने की व्यवस्था है। जनपद सोनभद्र में कोई भी राजकीय नलकूप स्थापित नहीं है। यान्त्रिक/विद्युत दोष के कारण अस्थायी रूप से खराब राजकीय नलकूपों को ठीक कराना एक सतत् प्रक्रिया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में तहसील जलालाबाद के बेहटा जंगल मार्ग का निर्माण एवं सुधार कार्य कराये जाने की मांग

104-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर जनपद में तहसील जलालाबाद के ग्राम बेहटा जंगल को जाने वाले मार्ग पर वर्ष 2010-11 में एक पुलिया स्वीकृत हुई थी ? यदि हां, तो क्या त्रुटिवश दिनांक 20-01-2011 को पुलिया के स्थान पर मार्ग मरम्मत का शासनादेश रु0 31.40 लाख का जारी हो गया ? यदि हां, तो क्या सरकार इसका सुधार करवा कर पुलिया के निर्माण हेतु नया शासनादेश जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

शासनादेश सं0-34रा0स0नि0/23-1-11-735रा0स0नि0/2010, दिनांक 20-01-2011 द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11 में डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजनान्तर्गत वर्ष 1995-96, 97-98 एवं 2002-03 के चयनित अम्बेडकर ग्राम के पूर्व निर्मित परन्तु ध्वस्त/क्षतिग्रस्त मार्गों में जनपद शाहजहांपुर के बेहटा जंगल मार्ग की मरम्मत एवं सुधार कार्य स्वीकृत किया गया था।

शासनादेश दिनांक 20-01-2011 द्वारा बेहटा जंगल मार्ग की मरम्मत एवं सुधार कार्य हेतु रु0 31.46 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई थी।

पुलिया का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

135, शाहजहांपुर विधान सभा क्षेत्र में क्षतिग्रस्त पोलों की बेल्डिंग तथा तार लगवाये जाने की मांग

105-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 135 शाहजहांपुर विधान सभा क्षेत्र में बिजनेस प्लान 2012-13 में शामिल करके खम्भे व तार लगवाने तथा गले हुए पोलों की वेल्डिंग व लकड़ी की बल्ली बदलने व खम्भे लगवा कर उन पर तार खिंचवाने विषयक दिनांक 15-03-2012 से 17-08-2012 के मध्य प्रश्नकर्ता द्वारा आपको प्रेषित पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

दिनांक 15-03-2012 से 17-08-2012 के मध्य सम्बन्धित विषयक-पत्र इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुए, जिन्हें प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। यद्यपि आवश्यकतानुसार खराब पोलों की

बेल्डिंग का कार्य बिजनेस प्लान 2012-13 में स्वीकृत सामान एवं धन की उपलब्धता के आधार पर कराया जा रहा है। बिजनेस प्लान 2012-13 में शाहजहांपुर नगर में क्षतिग्रस्त पोलों को ठीक करने का लक्ष्य 152 नं0 है। वर्ष 2012-13 में 135, शाहजहांपुर विधान सभा क्षेत्र में अभी तक 112 नं0 पोलों की बेल्डिंग कराकर ठीक कराने का कार्य कराया जा चुका है। अनाधिकृत लकड़ी की बल्ली को बदलने का कार्य नियमानुसार सम्भव नहीं है और न ही किसी प्लान में सम्मिलित है। कालोनी वासियों द्वारा प्राक्कलन की धनराशि जमा करने के उपरान्त बल्लियों के स्थान पर खम्भे एवं तार लगा दिए जायेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में नलकूप कनेक्शन हेतु दिए गये आवेदन-पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में जानकारी

106-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर जनपद में वर्ष 2006 से 2009-2010 के मध्य नलकूप कनेक्शन हेतु दिए गए आवेदन-पत्रों का निस्तारण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

वर्ष 2006 से 2009-10 के मध्य कुल 2712 निजी नलकूपों के आवेदन प्राप्त हुए, निगम स्तर से 1428 का लक्ष्य प्राप्त हुआ था जिनके सापेक्ष 1428 संयोजन निर्गत कर दिये गये थे। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :--

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	प्राप्त आवेदन-पत्रों की सं0	निगम स्तर से प्राप्त लक्ष्य	ऊजीकृत नलकूपों की सं0
1	2006-2007	821	312	312
2	2007-2008	548	376	376
3	2008-2009	713	490	490
4	2009-2010	630	250	250
	योग-	2712	1428	1428

निगम स्तर से प्राप्त लक्ष्यों के अनुसार नलकूपों का ऊर्जीकरण करा दिया गया है। शेष लम्बित नलकूप संयोजनों का ऊर्जीकरण निगम से लक्ष्य प्राप्त होने के उपरान्त प्राथमिकता आने की तिथि के बाद से दो माह के भीतर कराना सम्भावित है।

विधान सभा क्षेत्र रूदौली, जनपद फैजाबाद में 03 पुलियों का निर्माण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

107-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र रूदौली, जनपद फैजाबाद में 03 पुलियों का निर्माण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 24-04-12 आपको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित गंगरैला-चकपुरवा-सुल्तानपुर सम्पर्क मार्ग पर भंवरे नाला पर पुलिया निर्माण का कार्य व रसूलपुर-बेतौली मार्ग पर मड़हा नाले पर पुल निर्माण हेतु आगणन गठन का कार्य प्रक्रियाधीन है, जिसकी परीक्षणोपरान्त स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

रूदौली-गौरियामऊ सम्पर्क मार्ग पर ऐहार राजवाहा में सिंचाई विभाग से सम्बन्धित दो पुलियों में से एक रूदौली में ऐहार राजवाहा के किमी0 4.00 पर निर्मित है, जिस पर निर्बाध रूप से आवागमन हो रहा है तथा 2.10 कि0मी0 पर दूसरी पुलिया है, जो कि वर्तमान में टूटी है एवं उक्त का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़, ग्राम-तुरकौली, तहसील पट्टी में स्थित 63 के0वी0ए0 का ट्रांसफार्मर बदलवाने की मांग

108-श्री राम सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम- तुरकौली, पो0-सोनपुरा, तहसील पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ में स्थित 63 के0वी0ए0 का ट्रान्सफार्मर लगभग दो महीने से जला हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम-तुरकौली के विद्युत ट्रान्सफार्मर को बदलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

जिला परिवर्तक दिनांक 28-02-2013 को बदल दिया गया है। यहां 25 के0वी0ए0 का परिवर्तक स्थापित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में विद्युतीकरण हेतु विधायक निधि से चयनित ग्रामों का विवरण

109-श्री राम सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में वर्ष 2011-12 में विद्युतीकरण हेतु विधायक निधि द्वारा कौन-कौन से गांव चयनित हैं तथा उनमें से किन-किन गांवों का विद्युतीकरण हो गया है और किन-किन गांवों में विद्युतीकरण शेष है ? क्या सरकार बतायेगी कि शेष गांवों का विद्युतीकरण कब तक पूर्ण हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में वर्ष 2011-12 में विद्युतीकरण हेतु विधायक निधि से चयनित ग्रामों का विवरण एवं कार्य पूर्ण/कार्य अपूर्ण की स्थिति निम्नवत् है :--

क्र0सं0	गांव का नाम	विद्युतीकरण की स्थिति
1	बहुता	कार्य पूर्ण
2	पूरा	कार्य पूर्ण
3	उपाध्यायपुर	कार्य पूर्ण
4	सैफाबाद	कार्य पूर्ण
5	रामपुर बेंला	कार्य पूर्ण
6	सारडीह	कार्य पूर्ण
7	सलाहपुर	कार्य पूर्ण
8	नरसिंहपुर	कार्य प्रगति पर है।
9	गोलापुर (सरोज बस्ती)	कार्य पूर्ण
10	गोलाही	कार्य पूर्ण
11	बीवीपुर	कार्य पूर्ण
12	मरियमपुर	कार्य पूर्ण
13	महेंगहा	कार्य पूर्ण
14	भिवनी	कार्य प्रगति पर है।
15	सेतापुर	कार्य पूर्ण
16	लबेदा	कार्य पूर्ण
17	पटखौली	कार्य पूर्ण
18	अमसौना	कार्य पूर्ण
19	जोगीपुर रैया	कार्य पूर्ण
20	दोहरी	कार्य पूर्ण
21	पयागपुर (मुस्लिम सरोज बस्ती)	कार्य प्रगति पर है।
22	पूरे पाण्डेय	कार्य पूर्ण
23	घुई	कार्य पूर्ण

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में पूर्वांचल विकास निधि से वर्ष 2010-11, 2011-12 में चयनित ग्रामों के विद्युतीकरण की जानकारी

110-श्री राम सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में पूर्वांचल विकास निधि से वर्ष 2010-11, 2011-12 में किन-किन ग्रामों का विद्युतीकरण कराया जाना था तथा उनमें से किन-किन गांवों में विद्युतीकरण हो गया है ? क्या सरकार अवशेष ग्रामों का विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में पूर्वांचल विकास निधि से वर्ष 2010-11, 2011-12 में चयनित ग्रामों एवं विद्युतीकरण की स्थिति निम्नवत् दी जा रही है :--

क्र0सं0	गांव का नाम	विद्युतीकरण
वर्ष 2010-11		
1	पीठापुर	कार्य पूर्ण
2	दरछूट	कार्य पूर्ण
3	परा उमरपुर	कार्य पूर्ण
4	अलीपुर	कार्य पूर्ण
5	आशापुर	कार्य पूर्ण
6	दफरा	कार्य पूर्ण
7	भवसरनपुर	कार्य पूर्ण
8	ढ़िढुई	कार्य पूर्ण
9	जोलहापुर	कार्य पूर्ण
10	पतरा	कार्य पूर्ण
11	गंगेहटी (पाल बस्ती)	कार्य पूर्ण
12	सरायं जमुआरी	कार्य पूर्ण
13	कोटिया	कार्य पूर्ण
वर्ष 2011-12		
1	सराय नगर	कार्य प्रगति पर
2	धूती	कार्य प्रगति पर
3	सिसौरा	कार्य प्रगति पर
4	सहसपुर	कार्य प्रगति पर
5	बेला	कार्य प्रगति पर

6	बनी	कार्य प्रगति पर
7	सपहाछात	कार्य प्रगति पर
8	होशियारपुर	कार्य प्रगति पर
9	अकारीपुर	कार्य प्रगति पर
10	अतरौरा मीरपुर	कार्य प्रगति पर
11	किलाई	कार्य प्रगति पर
12	दाउदपुर	कार्य प्रगति पर
13	पहाड़ मुरारपुर पट्टी	कार्य प्रगति पर

वर्ष 2011-12 में चयनित ग्रामों हेतु तार एवं खम्भों की व्यवस्था की जा चुकी है। परिवर्तक उपलब्ध होते ही कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के ग्रामों के अधूरे विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग

111-श्री राम सिंह-

विधान सभा के प्रथम सत्र 2012 के तृतीय बुधवार के अतारांकित प्रश्न सं0 107 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के ग्राम पहाड़ा मुरार पट्टी सहित अन्य ग्रामों में अधूरे विद्युतीकरण का कार्य क्या पूर्ण करा लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के ग्राम पहाड़ा मुरार पट्टी सहित अन्य 13 ग्राम विद्युतीकरण हेतु वर्ष 2011-12 में पूर्वांचल विकास निधि के अन्तर्गत चयनित हुए थे उनके विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है। तार व खम्भों की व्यवस्था हो चुकी है। परिवर्तक उपलब्ध न होने के कारण कार्य पूर्व नियत तिथि 30-9-12 तक पूर्ण नहीं हो सका। परिवर्तक की व्यवस्था की जा रही है। परिवर्तक उपलब्ध होते ही पूर्ण विद्युतीकरण का कार्य माह जून, 2013 तक पूर्ण किया जाना सम्भावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में चयनित ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग

112-श्री राम सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण में चयनित ग्राम कौन से हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि चयनित ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य कब तक पूर्ण करा लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के प्रथम चरण में जनपद प्रतापगढ़ के विधानसभा क्षेत्र पट्टी के सभी अविद्युतीकृत (वर्जिन) ग्रामों को विद्युतीकरण किया जा चुका है एवं जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण में चयनित ग्रामों के वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 300 से अधिक आबादी वाले अविद्युतीकृत पुरवों/मजरों की विकास खण्ड वार संख्या निम्नवत है :--

क्रम सं0	विकास खण्ड का नाम	चयनित मजरों/पुरवों की संख्या
1	मंगरौरा	35
2	पट्टी	21
3	आसपुर देवसरा	39
4	बाबा बेलखर नाथ धाम	45

उपरोक्त अविद्युतीकृत पुरवों/मजरों की डी0पी0आर0 भारत सरकार से स्वीकृत हो गयी है। निविदा निस्तारण प्रक्रियाधीन है। भारत सरकार से धन प्राप्त होने के उपरान्त ही उपरोक्त पुरवों/मजरों का विद्युतीकरण सम्भव होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर से पर्यटन की योजनाओं पर धनराशि अवमुक्त कराने की मांग

113-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2012-13 में जिला योजना समिति शाहजहांपुर से पर्यटन की जिन योजनाओं पर संस्तुतियां भेजी गयी हैं उन पर धन कब तक अवमुक्त कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश-

वर्ष 2012-13 में जिला योजना समिति, शाहजहांपुर के द्वारा शाहजहांपुर में स्थित कतिपय स्थलों के पर्यटन विकास की योजनाओं पर संस्तुतियां भेजी गयी हैं, परन्तु पर्यटन विभाग में जिला सेक्टर के अन्तर्गत सीमित बजट होने के कारण वर्ष 2012-13 में जनपद शाहजहांपुर की कोई योजना स्वीकृति हेतु सम्प्रति प्रक्रियाधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

अलीगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा डिपार्टमेन्टल प्रमोशन यूनिट द्वारा कराये गये कार्यों की जांच में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

114-श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ विकास प्राधिकरण, अलीगढ़ द्वारा वर्ष 2008 एवं 2009 में डिपार्टमेंटल प्रमोशन यूनिट (डी0सी0यू0) द्वारा कराये गये कार्यों की जांच के लिये मण्डलायुक्त, अलीगढ़ मण्डल ने जांच कमेटी गठित की है ? यदि हां, तो जांच कमेटी द्वारा की गयी

जांच का निष्कर्ष क्या है ? क्या सरकार जांच में दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

अलीगढ़ विकास प्राधिकरण अलीगढ़ द्वारा वर्ष 2008 एवं 2009 में डिपार्टमेंटल कन्सट्रक्शन यूनिट (डी0सी0यू0) द्वारा कराये गये कार्यों की जांच के लिए मण्डलायुक्त, अलीगढ़ मण्डल ने जांच कमेटी गठित की थी, जिसमें जिलाधिकारी, अलीगढ़, उपाध्यक्ष, अलीगढ़ विकास प्राधिकरण एवं अपर आयुक्त, अलीगढ़ मण्डल अलीगढ़ को सदस्य नामित किया गया था। जिलाधिकारी और अपर आयुक्त, अलीगढ़ के स्थानांतरण के कारण जांच पूर्ण नहीं हो सकी है। जांच गतिमान है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बलिया के ग्राम सभा हजौली के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने हेतु कार्यवाही की मांग

115-श्री उमाशंकर-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बजट सत्र 2012-13 में रसड़ा विधान सभा, जनपद बलिया के ग्राम सभा हजौली के आस-पास प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने हेतु नियम-301 के तहत दिनांक 03-07-2012 को स्वीकृत सूचना पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

नियम-301 के तहत दिनांक 03-07-2012 को स्वीकृत सूचना पर कृत कार्यवाही से शासन के अर्द्ध0शा0प0सं0-1736/पांच-6-2012-ए0क्यू0-94/12, दिनांक 14-09-2012 द्वारा मा0 सदस्य व विधान सभा सचिवालय, पटल कार्यालय को अवगत कराया जा चुका है। तदनुसार जनपद बलिया के ग्राम हजौली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का औचत्य नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के चौरी-चौरा के गोहटा बांध पर रेगुलेटर पम्प को ठीक कराये जाने की मांग

116-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला-गोरखपुर के चौरी-चौरा क्षेत्र के गोहटा बांध पर रेगूलेटर पम्प को मिट्टी में नीचे दबा दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रेगूलेटर पम्प को ठीक कराते हुए दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला गोरखपुर के विकास खण्ड ब्रह्मपुर, ग्राम सभा हैरया के पास बने मझना नाले पर पुल का निर्माण कराये जाने की मांग

117-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला-गोरखपुर के विकास खण्ड ब्रम्हपुर, ग्राम सभा हैरया (टोला झिरझवा) के पास बने मझना नालों पर पुल का निर्माण कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मझना नाले पर पुल का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

जिला गोरखपुर में चौरी-चौरा रेलवे स्टेशन के पूरब और पश्चिम रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज बनवाये जाने की मांग

118-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला-गोरखपुर के अन्तर्गत चौरी-चौरा रेलवे स्टेशन के पूरब और पश्चिम रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज बनाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्नगत रेलवे क्रासिंग पर टी0वी0यू0 एक लाख से कम होने के कारण उपरिगामी सेतु रेलवे वर्क्स प्रोग्राम में स्वीकृत नहीं है। निरीक्षण में फीजिबिल नहीं पाया गया है।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र पडरौना में चयनित विद्युत ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग

119-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र पडरौना में विस्तारित बिजनेस प्लान वर्ष 2011-12 के अन्तर्गत विद्युतीकरण कार्य कराये जाने हेतु 33 गांवों का चयन किया गया था, किन्तु अभी तक चयनित ग्रामों में से मात्र 7 ग्राम का ही विद्युतीकरण कार्य सम्भव हो सका है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्राथमिकता के आधार पर शेष 26 ग्रामों का विद्युतीकरण कराते हुये दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र पडरौना में विस्तारित बिजनेस प्लान के अन्तर्गत विद्युतीकरण हेतु चयनित 33 ग्रामों में से 07 ग्रामों (यथा जं0 पचरूखिया, मोजहिदा खास कुडिया टोला, बसहिया बनवीरपुर, जंगन चौरिया बनटोलवा, खड्डा बुजुर्ग, नादह एवं दमवतिया) का विद्युतीकरण हो चुका है। शेष 26 ग्रामों (यथा सरपतही बुजुर्ग, अहिरौली, जटहां बाजार, माधोपुर गौजही, बबुईया

हरपुर, अरनहवां, पिपरा बाजार, चिरगोड़ा टोला, गम्भीरिया बुजुर्ग, जंगल जगदीशपुर, सहोदर पट्टी, मठिया प्रसिद्ध तिवारी, माघी कोठिलवां, कंठी छपरा, निठहा माफी-2-लूकपुर दलित बस्ती, एकवहनी उर्फ भगवतपुर, मिश्रौली में गुलरिया टोला, चिरवहिया, वितहा के चमटोली, भर टोली, मुस्लिम पट्टी, चैती मुसहरी, बावली चौराहा कोठा दरबार, नूनिया पट्टी, नाहर छपरा एवं डुमरी के टोला सहदोर पट्टी) का विद्युतीकरण योजना वर्ष 2011-12 में समाप्त हो जाने के कारण शेष ग्रामों का विद्युतीकरण इस योजना में सम्भव नहीं हो सका। उक्त शेष 26 ग्रामों में 14 ग्राम (यथा सरपतही बुजुर्ग, अहिरौली, माधोपुर गोजही, बबुईया हरपुर, गम्भीरिया बुजुर्ग, जंगल जगदीशपुर, सहोदर पट्टी, मठिया प्रसिद्ध तिवारी, माघी कोठिलवां, कंठी छपरा, निठहा माफी-2-चैती मुसहरी, नूनिया पट्टी एवं डुमरी के टोला सहदोर पट्टी) का विद्युतीकरण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण में कराया जाना प्रस्तावित है तथा ग्राम अरनहवा, सांसद निधि जमा योजना के तहत विद्युतीकरण कर दिनांक 26-11-2012 को ऊर्जीकृत किया जा चुका है। शेष 11 ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य अन्य किसी विद्युतीकरण योजना के आने पर कराया जाना सम्भव होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के चांदपुर में अधूरे पड़े सरकारी इंजीनियरिंग कालेज का निर्माण पूर्ण कराकर अध्ययन कार्य प्रारम्भ कराये जाने की मांग

120-कुंवर भारतेन्द्र-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बिजनौर चांदपुर में निर्माणाधीन सरकारी इन्जीनियरिंग कालेज में 63 करोड़ रुपये खर्च होने के बाद भी उसका निर्माण कार्य अभी अधूरा है, जिससे वहां अध्यापन कार्य नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अधूरे निर्माण को पूरा करा कर, वांछित स्टाफ की तैनाती कर उक्त कालेज में अध्यापन कार्य प्रारम्भ करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आलोक कुमार शाक्य-

प्रश्नगत इंजीनियरिंग कालेज के भवन का निर्माण कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण है। कक्षायें विगत 03 वर्षों से एच0बी0टी0आई0, कानपुर में संचालित है। नवनिर्मित भवन में सत्र 2013-14 से कक्षायें संचालित किये जाने का लक्ष्य है।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के ग्रामों/मजरों में विद्युतीकरण कराने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

121-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में विद्युतीकरण से वंचित विभिन्न ग्रामों/मजरों का विभागीय योजना से विद्युतीकरण कराये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-वि0प0/ज0हि0/ 12-13/क-एस नं0-157645/3008 व क-एस नं0-157644/ 3009 व क-एस नं0-157643/3010 व क-एस नं0-157646/3011 व

157647/3012 दिनांक 02 फरवरी 2013 उन्हें एवं प्रमुख सचिव, ऊर्जा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत विद्युतीकरण हेतु मा0 विधायक श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप जी द्वारा 153 ग्राम पंचायतों के साथ कुल 637 मजरों की सूची उपलब्ध करायी है। इनमें से 56 मजरे राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 में सम्मिलित हैं। भारत सरकार द्वारा डी0पी0आर0 स्वीकृत की जा चुकी है। शेष 300 से अधिक आबादी वाले 126 मजरों को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। स्वीकृति डी0पी0आर0 के विरुद्ध निविदा निस्तारण प्रक्रियाधीन है। निविदा निस्तारण एवं भारत सरकार से धन प्राप्त होने के उपरान्त इनका विद्युतीकरण कराना सम्भव होगा। 126 मजरों की पूरक डी0पी0आर0 की स्वीकृति भारत सरकार से प्रतीक्षित है। भारत सरकार द्वारा डी0पी0आर0 स्वीकृत होने एवं धन प्राप्त होने के उपरान्त विद्युतीकरण कराना सम्भव होगा। शेष ग्रामों एवं सभी मजरे वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 300 से कम आबादी वाले हैं, जिनके विद्युतीकरण हेतु वर्तमान में कोई योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विभिन्न मार्गों की विशेष मरम्मत सम्बन्धी प्रस्ताव पर कार्यवाही की जानकारी

122-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बहराइच के विभिन्न मार्गों की विशेष मरम्मत हेतु अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (यातायात वर्ग) लखनऊ द्वारा प्रेषित आगणन प्रस्ताव पत्रांक 4222 सी0/372सी/रासनि/विमप्र/बहराइच दिनांक 12-10-2012 तथा पत्रांक 4257 सी0/372 सी0/रसनि/विमप्र/ बहराइच दिनांक 15-10-12 में वर्णित सड़कों के मरम्मत कार्य हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 वि0प0/ज0हि0/ख-एस नं0-206913/145/ 12-13 दिनांक 07-01-2013, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

आगणन/प्रस्ताव का परीक्षण किया गया। प्रश्नगत मार्गों की विशेष मरम्मत हेतु धनराशि की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मुरादाबाद के विधान सभा कांठ के ग्राम मलगददा में गांगन नदी पर रपटा पुल का निर्माण कराये जाने की मांग

123-श्री अनीसुर्रहमान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ के ग्राम मलगददा से न्यू मुरादाबाद होकर दिल्ली हाई-वे जाने वाले मार्ग पर गांगन नदी पर रपटा पुल

न होने के कारण जनता को आवागमन में भारी परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नदी पर रपटा पुल बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

उक्त स्थान पर नदी का विस्तार एवं गहराई अधिक होने के कारण रपटा सेतु का निर्माण तकनीकी रूप से उचित नहीं है। इस स्थान पर लगभग 85 मीटर लम्बाई के वृहद सेतु के निर्माण की आवश्यकता होगी, जिसकी अनुमानित लागत रु0 400.00 लाख होगी। पुल की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली में क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही की मांग

124-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के विधान सभा क्षेत्र रूधौली के अन्तर्गत पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश 2012-13) से जनहित में प्रस्तावित क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 19-09-2012 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद आगरा के ग्राम नगला में पुलिया निर्माण की मांग

125-श्री काली चरन सुमन-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में रोहता रजवहा नहर ग्राम नगला बसुआ के पास पुलिया न होने से आवागमन में कठिनाई होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर पुलिया निर्मित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

विभागीय मानकों के अनुसार सामान्यतः एक मील से कम की दूरी पर पुल का निर्माण नहीं कराया जाता है तथा प्रस्तावित स्थान से एक मील से कम दूरी पर पूर्व से ही पुल निर्मित है।

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के ग्राम की क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

126-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत ग्राम-मकसूदपुर बरबर मार्ग से ग्राम-इमलिया, दरियाबाद करम हुसैन, दूल्हापुर तक का मार्ग क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

मकसूदपुर बरबर मार्ग से ग्राम-इमलिया, दरियाबाद करम हुसैन, दूल्हापुर तक का मार्ग की लम्बाई 4.7 कि0मी0 है, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत फेज-10 में स्वीकृत है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद में घाघरा नदी के किनारे पम्पिंग स्टेशन के स्थापना तथा मार्गों नालों का निर्माण कराये जाने की मांग

127-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद में घाघरा नदी के किनारे रौनाही तटबंध नयेपुरा के पास पम्पिंग स्टेशन की स्थापना एवं महत्वपूर्ण मार्गों व नालों पर पुलिया का निर्माण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के अनुरोध पर संयुक्त सचिव, सिंचाई अनुभाग-2 द्वारा दिनांक 21 जनवरी, 2013 को प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद के दर्शनीय स्थलों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की मांग

128-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के दर्शनीय स्थलों के पर्यटन की दृष्टि से विकास के सम्बन्ध में उन्हें सम्बोधित प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 24-04-2012 पर उनके द्वारा कोई आदेश महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश-

जी हां।

वित्तीय वर्ष 2012-13 में जिला सेक्टर के अन्तर्गत सीमित बजट व्यवस्था होने के कारण जनपद फैजाबाद में मवई में स्थित कामांख्या मंदिर के पर्यटन विकास की योजना हेतु स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मिर्जापुर के क्षेत्र मझवां के नये नलकूप निर्मित करने की मांग

129-श्री रमेश चन्द-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के क्षेत्र मझवां के अन्तर्गत सिंचाई की अत्यधिक समस्या के समाधान हेतु नये नलकूप (जिसकी गहराई कम से कम 500 फीट हो) लगाये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद मिर्जापुर में डा0 राममनोहर लोहिया 3000 नवीन नलकूप निर्माण योजना अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में जनपद मिर्जापुर के क्षेत्र-मझवां के अन्तर्गत विकास खण्ड पहाड़ी में एक अदद नवीन राजकीय नलकूप निर्मित किया जा रहा है। नलकूपों की छिद्रण की गहराई भू-भौतिकी संरचना पर निर्भर करती है।

जनपद मिर्जापुर के समोगरा सड़क के क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

130-श्री रमेश चन्द-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जनपद-मिर्जापुर के समोगरा सड़क से हर्रइ दुहावां सम्पर्क मार्ग तक क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्ग की कुल लम्बाई 3.80 कि0मी0 है, जिसमें चैनेज 0 से 800 मीटर तक लोक निर्माण विभाग का स्वामित्व है, जो लेपन स्तर तक निर्मित है एवं दशा संतोषजनक है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन महानगर विकास विस्तार लखनऊ में संविदा कर्मियों को नियमित करने की मांग

131-श्री भीम प्रसाद सोनकर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन महानगर विस्तार लखनऊ में संविदा के आधार पर हेल्पर पद पर वर्ष 1988 से कार्यरत कर्मचारियों को सरकार नियमित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन में संविदा के आधार पर हेल्पर पद पर रखने का कोई भी नियम प्रचलन में नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में डब्लू0एच0ओ0 द्वारा पोलियो उन्मूलन प्रोग्राम

132-श्री उमाशंकर-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में डब्लू0एच0ओ0 का पोलियों उन्मूलन प्रोग्राम लगभग पूर्ण हो चुका है तथा डब्लू0एच0ओ0 भारत को पोलियो फ्री कंट्री का प्रमाण-पत्र देने वाला है ? यदि हां, तो इस कार्यक्रम में लगभग 10 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत ब्लाक मानिटर (एफ0वी0) को सरकार इस कार्यक्रम के समापन के बाद अन्यत्र समायोजित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

रीजनल आफिस, डब्लू0एच0ओ0, उ0प्र0, लखनऊ से प्राप्त टिप्पणी के अनुसार उ0प्र0 में माह अप्रैल, 2010 के उपरान्त पोलियो का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है। उ0प्र0 पोलियो उन्मूलन के करीब है। भारत में पोलियो का अन्तिम केस माह, जनवरी, 2011 में संज्ञान में आया था। यदि भारत में जनवरी, 2014 तक पोलियो का कोई भी केस नहीं पाया जाता तो जनवरी, 2014 में भारत समेत साउथ ईस्ट एशिया रीजन को पोलियो मुक्त घोषित किया जा सकता है।

उक्त कार्यक्रम में कार्यरत ब्लाक मानीटर (एफ0वी0) डब्लू0एच0ओ0 द्वारा चयनित किये जाते हैं एवं उनके कार्य का मूल्यांकन डब्लू0एच0ओ0 स्तर से किया जाता है तथा उनके कार्यक्रम सम्बन्धी समस्त मानदेय का वहन डब्लू0एच0ओ0 द्वारा किया ही जाता है, जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। अतः राज्य स्तर से कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर में किसानों का बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान कराये जाने की मांग

133-कुंवर भारतेन्द्र-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर में वर्ष 2009 से 2012 तक चीनी मिलों पर किसानों के गन्ना मूल्य का कितना भुगतान लम्बित है ? क्या सरकार किसानों के उक्त बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद बिजनौर में कुल नौ चीनी मिलें स्थापित हैं। पेराई सत्र 2009-2010 से 2011-12 तक की अवधि के अन्तर्गत जनपद बिजनौर में स्थापित किसी चीनी मिल पर गन्ना मूल्य बकाया नहीं है।

134-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

[3सरे शुक्रवार के अता0प्र0सं0-87 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूदौली में रात्रि/आपात कालीन सेवा हेतु चिकित्सकों एवं पैरा-मेडिकल स्टाफ की व्यवस्था कराये जाने की मांग

135-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली स्थित सी0एच0सी0 भानपुर तथा पी0एच0सी0 अमरौली सुमाली में

आपातकालीन सेवा हेतु/रात्रि सेवा हेतु चिकित्सकों एवं पैरा-मेडिकल स्टाफ की व्यवस्था कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 12-10-2012 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां।

मा0 सदस्य के पत्र दिनांक 12-10-2012 में उल्लिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही करते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भानपुर तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अमरौली शुमाली में आवश्यक चिकित्सकीय व्यवस्था कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के कतिपय विकास खण्ड में पालीटेक्निक कालेज खोले जाने की मांग

136-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला-गोरखपुर के विकास खण्ड-सरदार नगर, ब्रह्मपुर, पिपराइच में पालीटेक्निक कालेज खोला जाना प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आलोक कुमार शाक्य-

जी नहीं।

जनपद गोरखपुर में राजकीय पालीटेक्निक गोरखपुर, राजकीय महिला पालीटेक्निक गोरखपुर, महामाया पालीटेक्निक ऑफ आई0टी0 गोरखपुर एवं एम0पी0 पालीटेक्निक, गोरखपुर पूर्व से ही संचालित हैं।

137-श्री जय प्रकाश निषाद-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी-चौरा में अतिथि गृह का निर्माण कराये जाने की मांग

138-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला-गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी-चौरा में एक अतिथि गृह का निर्माण कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश-

जी नहीं।

चौरी-चौरा स्थल गोरखपुर जनपद मुख्यालय से मात्र 25 कि0मी0 की दूरी पर गोरखपुर-देवरिया राजमार्ग पर स्थित है, जहां पर आवागमन के लगभग सभी साधन उपलब्ध हैं। उक्त के दृष्टिगत इस स्थल पर अतथि गृह के निर्माण का कोई प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है।

139-श्री जय प्रकाश निषाद-

[4थे मंगलवार के अता0प्र0सं0-45 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जनपद गोरखपुर के चौरी-चौरा क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराये जाने की मांग

140-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला-गोरखपुर के चौरी-चौरा क्षेत्र के मोती राम अड्डा से कुसुम्ही बाजार की सड़क तथा फुटहवा इनार से सुनवरसा बाजार तक की सड़क अत्यन्त क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों का पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

सड़कों की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र खैर के नगर पंचायत क्षेत्र के अनुसार बिलिंग की व्यवस्था

141-श्री भगवती प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-अलीगढ़ के खैर विधान सभा क्षेत्र के चन्डौस में उपभोक्ताओं से विद्युत बिल शहरी मानक के अनुसार लिया जा रहा है, जबकि आपूर्ति ग्रामीण अंचल के मानक के अनुसार दी जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार शहरी मानकों के अनुरूप उक्त क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

जनपद अलीगढ़ खैर विधान सभा क्षेत्र का चण्डौस ग्रामीण क्षेत्र न होकर नगर पंचायत क्षेत्र है। अतः तद्नुसार बिलिंग की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र खैर के शेष गावों का विद्युतीकरण की मांग

142-श्री भगवती प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र खैर में कुल कितने ग्रामों एवं मजरों में विद्युतीकरण हुआ है एवं कितने शेष हैं ? क्या सरकार शेष गांवों का विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र खैर के 206 ग्रामों व 15 मजरों का विद्युतीकरण हो चुका है तथा 01 ग्राम व 57 मजरे विद्युतीकरण से वंचित हैं।

जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र खैर के (वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार) 300 से अधिक आबादी वाले ग्रामों/मजरों को विद्युतीकरण हेतु राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के

द्वितीय चरण में आच्छादित करते हुए डी0पी0आर0 भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित कर दी गयी है। भारत सरकार द्वारा डी0पी0आर0 की स्वीकृति एवं धन उपलब्ध कराने के उपरान्त ही उपरोक्त ग्रामों/मजरों का विद्युतीकरण कराना सम्भव होगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के रेलवे क्रासिंग के क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने की मांग

143-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सिघीताली रेलवे क्रासिंग से नेशनल हाई-वे तक सड़क क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

उक्त मार्ग की कुल लम्बाई 9.00 कि0मी0 है। सड़क की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के किसानों की सिंचाई की समस्या का निराकरण कराये जाने की मांग

144-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बबुरी क्षेत्र को यदि गंगा नहर से जोड़ दिया जाय तो इस क्षेत्र के किसानों की फसलों की सिंचाई की समस्या का निराकरण हो जायेगा ? यदि हां, तो क्या सरकार बबुरी क्षेत्र को गंगा नहर से जोड़े जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

क्षेत्र की टोपोग्राफी के दृष्टिगत गंगा नहर का पानी गरई नदी पर साइफन बनाकर बबुरी क्षेत्र में स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता है तथा न ही गंगा नहर में अतिरिक्त जल उपलब्ध है।

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र चन्दौली की दलित बस्ती का विद्युतीकरण

145-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बबुरी दलित बस्ती में विद्युतीकरण न होने की वजह से यहां की जनता को परेशानी हो रही

है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बस्ती में विद्युतीकरण करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

जनपद-चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बबुरी दलित बस्ती में पूर्व मानक के अनुसार विद्युतीकरण कराया गया है। राजस्व ग्राम बबुरी में 250 के0वी0ए0 क्षमता का एक अदद् तथा 100 के0वी0ए0 क्षमता का एक अदद् ट्रांसफार्मर स्थापित है, जिससे बबुरी दलित बस्ती में भी विद्युत आपूर्ति की जाती है। यह बस्ती विद्युतीकृत है। इस बस्ती में 20 विद्युत उपभोक्ता हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा की कतिपय क्षतिग्रस्त माइनरों की मरम्मत कर टेल तक पानी पहुंचाये जाने की मांग

146-श्री उमाशंकर-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के अन्तर्गत ग्राम सभा इन्दरपुर मठिया से निकल कर ग्राम सलेमपुर होते हुए, इंगलिशिया तक जाने वाले हृदयपुर माइनर की वर्षों से सफाई नहीं होने के कारण तथा ग्राम सभा इन्दरपुर मठिया पर बना ठोकर टूट जाने के कारण माइनर में पानी नहीं आ पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार हृदयपुर माइनर की सफाई एवं इन्दरपुर मठिया पर क्षतिग्रस्त ठोकर को ठीक करवाते हुए माइनर की टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं। रबी 1420 फसली में हृदयपुर माइनर की सफाई कराई गई है। वर्तमान में नहर चल रही है तथा टेल तक पानी पहुंच रहा है। नहरों व माइनरों की क्षति का अनुरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है जो कि नहर बन्दी अवधि में कराई जाती है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

147-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[4थे गुरुवार के अता0प्र0सं0-26 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा के ग्राम बिलारिया में नहर पर पुलिया निर्माण कराये जाने की मांग

148-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के अन्तर्गत ब्लाक भावलखेड़ा के ग्राम बिलरिया में नहर पर पुलिया न होने से आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो

क्या सरकार उक्त पुलिया का निर्माण जनहित में करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी हां।

पुलियों का निर्माण एक सतत् प्रक्रिया है। तकनीकी रूप से साध्य पाए जाने पर विभागीय नियमों, मानकों के अनुरूप कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

149-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[4थे सोमवार के अता0प्र0सं0-14 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जनपद फैजाबाद में पुरानी पी0ए0सी0 के रिक्त स्थान पर महिला चिकित्सालय की स्थापना किये जाने विषयक प्राप्त-पत्र पर कार्यवाही

150-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद में पुरानी पी0ए0सी0 के रिक्त स्थान पर महिला अस्पताल की स्थापना किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र के क्रम में मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र सं0 सी0एम0/ वि0को0एम0/पी0जी0 10114857/2012 प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां।

नगर पालिका परिषद्, रूदौली में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित एवं क्रियाशील है, जिसमें महिला विंग स्थापित है। जहां पर महिला उपचार की उचित व्यवस्था उपलब्ध है। पुराना प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से 02 कि0मी0 की दूरी पर है। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में महिला चिकित्सालय बनाये जाने की योजना नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के विभिन्न जनपदों के ग्रामीण मार्गों की सामान्य मरम्मत हेतु राज्य सड़क निधि से वित्तीय स्वीकृति विषयक प्राप्त-पत्र पर कार्यवाही

151-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2012-13 में अनुदान सं0 58, लेखा शीर्षक 3054 राज्य सड़क निधि के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न जनपदों के ग्रामीण मार्गों की सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण के कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र के क्रम में मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र सं0-सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0 1012681/2012 प्रमुख सचिव, लोक निर्माण को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार स्वीकृतियां जारी की गयी हैं।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद फैजाबाद में लखनऊ-गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चिकित्सालय भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने विषयक प्राप्त-पत्र पर कार्यवाही

152-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद में लखनऊ-गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रानीमऊ, विकास खण्ड मवई में 100 शैय्या चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु निःशुल्क 6 एकड़ भूमि उपलब्ध कराये जाने विषयक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फैजाबाद का जिलाधिकारी फैजाबाद को सम्बोधित पत्र सं0 220/100 शैय्या चिकित्सालय/2012-12/3304-4, दिनांक 04-09-2012 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां।

जिला प्रशासन द्वारा भूमि उपलब्ध कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली में ट्रांसफारमरों की क्षमता बढ़ाने सम्बन्धी प्राप्त-पत्र पर कार्यवाही

153-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रुदौली में वर्ष 2012-13 बिजनेस प्लान एवं व्यापार विकास निधि के अंतर्गत ट्रांसफारमरों की क्षमता वृद्धि कराने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या क-5 नं0 123679 दिनांक 19-09-2012 प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

पत्र सं0-123680 दिनांक 19-09-2012 इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है।

पत्र सं0 123680 दिनांक 19-09-2012 एवं मुख्य मंत्री कार्यालय/सांसद/विधायक प्रकोष्ठ सं0 सी0एम0/वि0को0/एम/पीजी 133857/2012 दिनांक 25-09-12 में दर्शाये गये 32 कार्यों में से बिन्दु सं0 7, 10 24, 27 (4 कार्यों) को बिजनेस प्लान 2012-13 में शामिल कर लिया गया है, जिसका माह मार्च, 2013 के अन्त तक पूर्ण कर दिया जायेगा। सीमित मद होने के कारण शेष कार्य

बिजनेस प्लान 2012-13 में सम्मिलित नहीं किये जा सके। मा0 विधायक के 32 कार्यों में से चार कार्यों को छोड़कर शेष बचे कार्यों को किसी अन्य योजना में धन प्राप्त होने पर पूर्ण करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रुदौली में करंट लगने से मृतक व्यक्तियों के परिवारों को क्षतिपूर्ति भुगतान की प्रक्रिया

154-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रुदौली में वर्ष 2012 में मध्यांचल विद्युत वितरण निगम की एल0टी0 ओवरहेड लाइन के कारण मारे गये 5 व्यक्तियों को आर्थिक सहायता भुगतान विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र के क्रम में मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र सं0 सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0 10096758/2012 दिनांक 04-08-2012 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

(1) स्व0 राजेन्द्र प्रसाद यादव, (2) स्व0 अमरेश कुमार एवं (3) स्व0 राकेश कुमार मिश्रा के आश्रितों को रु0 एक-एक लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया है।

(4) स्व0 हजरत की क्षतिपूर्ति का चेक सं0-034027 निर्गत किया जा चुका है एवं मृतक के आश्रित को सूचित कर दिया गया है।

(5) स्व0 हरिकेश के आश्रित को रुपये एक लाख की क्षतिपूर्ति की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है। भुगतान शीघ्र कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ के रामगंगा नदी पर पुल बनवाने विषयक-पत्र पर कार्यवाही

155-श्री अनीसुर्रहमान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र, कांठ से होकर मुरादाबाद दिल्ली मार्ग पर जोया से कांठ-करनपुर होकर उत्तराखण्ड के जसपुर तक सम्पर्क मार्ग एवं रामगंगा नदी पर पुल बनाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 31-07-2012 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

पत्र में उल्लिखित तीनों कार्यों की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद के विधान सभा कांठ की नगर पंचायत उमरी कला में पुलिया निर्माण विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

156-श्री अनीसुर्रहमान-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ की नगर पंचायत-उमरी कला में 2 कि0मी0 के अंदर नहर पर चार जगह पुलिया निर्माण कराने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 27-11-12 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

विभागीय मानकों के अनुसार उल्लिखित स्थानों पर पुलों का निर्माण साध्य नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ के ग्राम नयागांव कासमपुर में ट्रांसफार्मर लगाने विषयक प्राप्त-पत्र पर कार्यवाही

157-श्री अनीसुर्रहमान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र कांठ, जनपद-मुरादाबाद के ग्राम-नयागांव कासमपुर में 100 के0वी0ए0 का ट्रांसफारमर लगाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 11-09-12 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

ग्राम नया गांव कासमपुर में 100 के0वी0ए0 का नया परिवर्तक लगाने हेतु प्राक्क्लन तैयार कर लिया गया है तथा स्थलीय निरीक्षण कर संयोजित भार मिलान कर लिया गया है। सम्बन्धित कार्य हेतु पैकेज तैयार किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ के दमदमा नदी पर पुल बनवाये जाने की मांग

158-श्री अनीसुर्रहमान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ के ग्राम बाकरपुर अटायन में दमदमा नदी पर पुल न होने के कारण जनता को आवागमन में भारी असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुल को बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां, उक्त लघु सेतु का निर्माण आर0आई0डी0एफ0-18 योजनान्तर्गत 3x10 मी0 स्पान लागत रु0 302.74 लाख का प्रस्तावित है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मथुरा के ब्लाक बलदेव में पचावर विद्युत उपकेन्द्र की बिल्डिंग में विद्युत आपूर्ति कराये जाने की मांग

159-श्री पूरन प्रकाश-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मथुरा के अन्तर्गत ब्लाक बल्देव में पचावर विद्युत उपकेन्द्र की बिल्डिंग बने हुए कई वर्ष व्यतीत होने के बाद भी अभी तक विद्युत उपकेन्द्र चालू नहीं किया गया है ? यदि नहीं, तो जनपद मथुरा के ग्रामीण अंचल को विद्युत आपूर्ति हेतु विद्युत उपकेन्द्र पचावर (बल्देव) को कब तक चालू किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

जनपद मथुरा के अन्तर्गत ब्लाक वल्देव में नया 33/11 के0वी0 पावर विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को अनुबन्ध कर कार्य कराया जा रहा है। उपकेन्द्र का कार्य माह जून, 2013 तक पूर्ण किया जाना सम्भावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट में विद्युत में बड़े बकायेदारों का विवरण उपलब्ध कराये जाने की मांग

160-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चित्रकूट-जनपद में बिजली के बड़े बकायेदारों के नाम, पता तथा बकाया राशि बताये जाने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांकित 19 अक्टूबर, 2011 सचिव, ऊर्जा उ0प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

जहां तक जनपद चित्रकूट में बिजली के बड़े बकायेदारों के नाम पता तथा बकाया राशि का प्रश्न है, इस संदर्भ में अवगत कराना है कि जनपद चित्रकूट में बिजली के रुपये 50 लाख से अधिक के बकायेदारों का विवरण निम्नवत् है :--

(1) संयोजन सं0-एच0पी0/15/एक्स-2 मै0 परेरहट प्रा0लि0 मुरका, बरगढ़ चित्रकूट (प्रो0 शारदा प्रसाद, निदेशक ग्राम मुरका, बरगढ़ चित्रकूट) संयोजन निर्गत करने की तिथि 12-01-1993 स्वीकृत भार 300 के0वी0ए0 स्थायी विच्छेदन की तिथि 09-04-1999 बकाया धनराशि रुपये 23291946.47।

दिनांक 09-09-2004 को बी0आई0एफ0आर0 नई दिल्ली द्वारा निर्णीत एवं महाप्रबन्धक (वा0) लखनऊ के पत्रांक 2515 पी0सी0एल0/सीक्यू-दो/मै0 परेरहट दिनांक 16-10-2004 आदेश के अनुसार रु0 एक लाख प्रतिमाह की किश्त के रूप में भुगतान की सुविधा प्रदत्त है तथा उपभोक्ता समय

से मासिक किश्तों का भुगतान कर रहा है। दिनांक 31-01-2013 को बकाया धनराशि रु0 136.06 लाख मात्र।

(2) संयोजन सं0-एच0पी0 16/एक्स-2,मै0 परेरहट, रोलिंग मिल डिवीजन मुरका, बरगढ़, चित्रकूट (प्रो0 शारदा प्रसाद, निदेशक ग्राम मुरका, बरगढ़ चित्रकूट) संयोजन निर्गत करने की तिथि 05-09-1995 स्वीकृत भार 1200 के0वी0ए0 स्थाई विच्छेदन की तिथि 25-12-2000, बकाया धनराशि रु0 15070934.70 मात्र।

दिनांक 09-09-2004 को बा0 आईएफ0आर0 नई दिल्ली द्वारा निर्णीत एवं महाप्रबन्धक (वा0) लखनऊ के पत्रांक 2515 पी0सी0एल0/सीक्यू/दो/मै0 परेरहट दिनांक 16-10-2004 आदेश के अनुसार रु0 एक लाख प्रतिमाह की किश्त के रूप में भुगतान की सुविधा प्रदत्त है तथा उपभोक्ता समय से मासिक किश्तों का भुगतान कर रहा है। दिनांक 31-01-2013 को बकाया धनराशि रु0 53.54 लाख मात्र।

(3) संयोजन सं0-एच0पी0-17/एक्स-2 मै0 परेरहट स्टील एस0एस0 डिवीजन मुरका, बरगढ़ चित्रकूट (प्रो0 शारदा प्रसाद, निदेशक, ग्राम मुरका, बरगढ़ चित्रकूट) संयोजन निर्गत करने की तिथि 31-03-1997 स्वीकृत भार 5000 के0वी0ए0 स्थाई विच्छेदन की तिथि 15-12-2002, बकाया धनराशि रु0 153337585.03, दिनांक 09-09-2004 बी0आई0एफ0आर0 नई दिल्ली द्वारा निर्णीत एवं महाप्रबन्धक (वा0) लखनऊ के पत्रांक-2515 पी0सी0एल0/सीयू-दो/मै0 परेरहट दिनांक 16-10-2004 आदेश के अनुसार रु0 छः लाख प्रतिमाह की किश्त के रूप में भुगतान करने की सुविधा प्रदत्त है तथा उपभोक्ता समय से मासिक किश्तों का भुगतान कर रहा है। दिनांक 31-01-2013 को बकाया धनराशि रु0 920.87 लाख मात्र।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बस्ती के ओपेक चिकित्सालय कैली में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं डा0 द्वारा अभद्र व्यवहार किये जाने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

161-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के ओपेक चिकित्सालय कैली में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा अस्पताल में तैनात डा0 सुनील तिवारी के द्वारा मा0 सदस्य विधान सभा के विरुद्ध किये गये अमर्यादित एवं अभद्र व्यवहार विषयक शिकायती पत्र दिनांक 06-09-12 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां।

जांच आख्या प्राप्त हो गयी है। परीक्षण किया जा रहा है। गुणदोष के आधार पर कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के चितवाड़ा गांव मोड़ से करीमुद्दीनपुर के हाई-वे सड़क को चौड़ीकरण कराने सम्बन्धी प्रकरण

162-श्री उपेन्द्र तिवारी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के चितवाड़ा गांव मोड़ से करीमुद्दीनपुर होते हुए मुहम्मदाबाद हाई-वे तक की सड़क के चौड़ीकरण करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उक्त सड़क को कब तक चौड़ा किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बलिया में ट्रांसपोर्टनगर बनाने सम्बन्धी जानकारी

163-श्री उपेन्द्र तिवारी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया में ट्रान्सपोर्ट नगर बनाने की सरकार की कोई योजना है ? उक्त योजना का कार्यान्वयन कब तक किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

बलिया (विनियमित क्षेत्र) की पूर्व में स्वीकृत महायोजना दिनांक 06-041995 में ट्रांसपोर्ट हेतु भू-उपयोग दर्शित किया गया था। वर्तमान में महायोजना की अवधि समाप्त होने के कारण संशोधन प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के महत्वपूर्ण मार्गों के डामरीकरण सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

164-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में आवागमन के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण सम्पर्क मार्गों के डामरीकरण के सन्दर्भ में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 वि0प0/ज0हि0/12-13/क-एस0न0 157625/2093 व क-एस0न0 157626/2094 व क-एस0न0 157637/2095, क-एस0न0 157627/2096, क-एस0न0 157628/2097, क-एस0न0 157629/2098, क-एस0न0 157630/2099, क-एस0न0 157631/3000, क-एस0न0 157632/3001, क-एस0न0 157633/3002, दिनांक 02 फरवरी, 2013 उन्हें तथा प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्न में उल्लिखित 10 पत्रों के साथ संलग्न सूची में अंकित 99 सम्पर्क मार्गो के डामरीकरण को मांग परीक्षणाधीन है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बहराइच के पयागपुर इकौना मार्ग के सरकारी ट्यूबवेल कनेक्शन को स्थानान्तरित करने सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही

165-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के पयागपुर इकौना मार्ग से 800 मीटर की दूरी पर स्थित नाऊपुरवा में लगा सरकारी ट्यूबवेल सं0 166 बी0जी0 का पावर लाइन कनेक्शन गांव के मध्य से हटाकर किनारे से लाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-वि0प0/ज0हि0/12-13/क-एस0न0 157024/2051, दिनांक 27-01-13 उन्हें, प्रमुख सचिव ऊर्जा व प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जनपद बहराइच के विधान सभा पयागपुर के अन्तर्गत आने वाले पयागपुर इकौना मार्ग से 800 मीटर की दूरी पर स्थित ग्राम नाऊपुरवा के पीछे राजकीय नलकूप सं0 166 बी0जी0 स्थापित है जिसके विद्युत लाइन के अगल-बगल ग्राम वासियों द्वारा अपने-अपने आवासों का निर्माण करवा लिया गया है। उक्त लाइन को हटाना तकनीकी दृष्टि से सम्भव नहीं है।

ग्रामवासियों की सुरक्षा की दृष्टि से पूर्व में स्थापित विद्युत लाइन के नीचे गार्डिग/जाल लगाने का कार्य बिजनेस प्लान 2012-13 में स्वीकृत करके दिनांक मार्च, 2013 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के पुलिया/साइफन के निर्माण सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

166-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के विभिन्न सम्पर्क मार्गों पर आर0सी0सी0 पुल/पुलिया तथा साइफन के निर्माण के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 वि0प0/ज0हि0/12-13/क-एस0न0 157638/3003 व क-एस0न0 157640/3004, क-एस0न0 157641/3005/व, क-एस0न0 157642/3006 व क-एस0न0 157639/3007, दिनांक 02 फरवरी, 2013 उन्हें एवं प्रमुख सचिव सिंचाई को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

मा0 सदस्य के पत्रों को दिनांक 26-02-2013 को प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई को प्रेषित करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दे दिए गए हैं। प्रमुख अभियन्ता स्तर पर प्रकरण परीक्षणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के जर्जर तारों को बदलने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

167-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के प्रमुख बाजारों में जर्जर तारों के स्थान पर ए0बी0सी0 बंच केबिल लगाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 वि0प0/ज0हि0/12-13/क-एस0न0 157318/3030, दिनांक 04 फरवरी, 2013, प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन, शक्ति भवन, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं, किन्तु इसी विषय में मा0 सदस्य का पत्र सं0-वि0प0/ज0हि0/क-5 नं0-137207/134/12-13, दिनांक 06-01-2013 इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत आने वाले प्रमुख बाजारों में जर्जर तार के स्थान पर 4.00 कि0मी0 ए0बी0 केबिल के बदलने की कार्य योजना बिजनेस प्लान 2012-13 में सम्मिलित है। उक्त कार्य दिनांक 30-06-2013 तक कराया जाना सम्भावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सुल्तानपुर से आजमगढ़ तक जर्जर सड़क का पुनः निर्माण कराये जाने की मांग

168-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग-31 पर जनपद सुल्तानपुर से जनपद आजमगढ़ तक सड़क अत्यंत जर्जर है, जिसके कारण जनपद बलिया, मऊ को जाने वाले यात्रियों को आवागमन में काफी असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग को पुनः बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। परन्तु मार्ग राष्ट्रीय राज्यमार्ग सं0-31 न होकर अपितु राज्य मार्ग सं0-34 है।

जनपद सुल्तानपुर के अधीन कि0मी0 144.20 से 187.00 तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य प्रगति पर है। आजमगढ़ क्षेत्र में पड़ने वाले कि0मी0 187 से 227 तक व 241 से 260 तक की दशा संतोषजनक है। कि0मी0 227 से 240 तक का निर्माण कार्य राजकीय निर्माण निगम, इकाई आजमगढ़ द्वारा कराया जा रहा है। कार्य को पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया-सोनौली मार्ग के चौड़ीकरण के अधूरे कार्य को पूर्ण कराये जाने की मांग

169-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया-सोनौली मार्ग पर जनपद बलिया से देवरिया तक सड़क का चौड़ीकरण का कार्य अधूरा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का अधूरा निर्माण कार्य पूरा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

कार्य पूर्ण कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के सिकन्दरपुर के बेरिया तक के चौरीकरण का निर्माण कराये जाने की मांग

170-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के सिकन्दरपुर-मनियर-बांसडीह, सहलवार होते हुए बैरिया तक सड़क मार्ग के चौड़ीकरण/उच्चीकरण करने की सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो उक्त निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बलिया के बेल्थरा रोड क्षेत्र के तुर्तीपार रेगुलेटर का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग

171-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के बेल्थरा रोड क्षेत्र में हाहानाला बांध तुर्तीपार गांव के पास तुर्तीपार रेगुलेटर क्षतिग्रस्त एवं जर्जर होने के कारण रेगुलेटर के बगल में मिट्टी का बाईपास बनाकर अस्थाई रूप से आवागमन शुरू किया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि बरसात का मौसम आने से पहले अर्थात् मई, 2013 के अन्तिम सप्ताह तक रेगुलेटर का निर्माण नहीं हुआ तो बलिया से देवरिया जोड़ने वाला उक्त मुख्य मार्ग पूर्णतया बन्द हो जायेगा ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त को दृष्टिगत रखते हुए तुर्तीपार रेगुलेटर का निर्माण कार्य मई, 2013 तक पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

क्षतिग्रस्त रेगुलेटर के स्लैप की पुनर्स्थापना/मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है, जिससे आवागमन प्रारम्भ हो सके।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद संतकबीर नगर स्थित हरिहरपुर बाजार में बन्दरों को भगाने की मांग

172-श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला संतकबीरनगर में स्थित नगर पंचायत-हरिहरपुर के अम्बेडकरनगर (सवापार) वार्ड एवं हरिहरपुर बाजार में बन्दरों के उत्पात एवं बुजुर्गों तथा बच्चों को उनके द्वारा काटे जाने से जन-मानस में भय एवं आक्रोश व्याप्त है ? यदि हां, तो क्या उक्त बन्दरों को पकड़वाकर दूरदराज जंगलों में भेजा जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद संतकबीरनगर में स्थित नगर पंचायत-हरिहरपुर के अम्बेडकरनगर (सवापार) वार्ड एवं हरिहरपुर बाजार में बन्दरों के आतंक की कुछ शिकायतें प्रकाश में आई हैं।

दिनांक 01-03-2013 एवं 02-03-2013 को यांत्रिक विधि यथा-पटाखा आदि का प्रयोग करके बन्दरों को भगाने की कार्यवाही की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी रोड से माइनर की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के निर्देश

173-श्री काली चरन सुमन-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा में फतेहपुर सीकरी रोड मिढ़ाकुर से नागर तक एवं इरादतनगर रोड देवरी से ककरारी माइनर तक तथा श्यामों पवावली इस्लामपुर नगला नाथू पावासर माइनर की पटरियों की सड़कें टूटी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इनकी लेपन स्तर तक मरम्मत करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी हां।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष को निर्देश दे दिये गये है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के अनेकों ग्राम में पुलिया निर्माण की मांग

174-श्री काली चरन सुमन-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में विधान सभा क्षेत्र 90, आगरा ग्रामीण के अन्तर्गत ग्राम नगला बसुआ आगरा नहर रजबा मलपुरा वाली नहर तथा ग्राम ठाकुरदास की

घड़ी आगरा नहर रजबा रोहता वाली नहर पर पुलिया न होने के कारण नागरिकों को आवागमन में परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुलियों का निर्माण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

विभागीय मानकों के अनुसार सामान्यतः एक मील से कम की दूरी पर पुल का निर्माण नहीं कराया जाता है तथा प्रस्तावित स्थानों से एक मील से कम दूरी पर पूर्व से ही पुल निर्मित है।

जनपद आगरा में विकास प्राधिकरण द्वारा अनेकों ग्रामों की भूमि का अधिग्रहण

175-श्री काली चरन सुमन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में फेस-3 के विस्तार हेतु आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा ग्राम कलाल खेड़िया, चमरौली, लकावली, बगदा, बरौली अहीर, मियांपुर आदि के गांवों की भूमि का अधिग्रहण छोटे-छोटे किसानों की बिना अनुमति से किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 13-05-2011 के अनुपालन में सम्बन्धित को आपत्ति का अवसर देते हुए भू-अर्जन अधिनियम की धारा-5 के अन्तर्गत सुनवाई कर आपत्ति निस्तारित करते हुए आवासीय योजना के सुनिश्चित विकास हेतु धारा-6(1)/16 के अन्तर्गत उक्त ग्रामों में भू-अर्जन सम्बन्धी अधिसूचना दिनांक 11-05-2012 को निर्गत की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के ग्राम देवरी घड़ी की क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराये जाने की मांग

176-श्री काली चरन सुमन-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में ग्राम देवरी घड़ी से ग्राम देवरी इराइत नगर रोड तक सड़क क्षतिग्रस्त होने से लोगों का आवागमन बाधित है। यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद आगरा में ग्राम देवरी घड़ी से ग्राम देवरी इरादत नगर मार्ग की लम्बाई 1.75 कि0मी0 है। मार्ग की सतह आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, किन्तु आवागमन बाधित नहीं है।

उक्त मार्ग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के ब्लाक मोहम्मदी तथा पसगवां में विद्युत सप्लाई सुनिश्चित करने की मांग

177-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखीमपुर खीरी के ब्लाक-मोहम्मदी तथा पसगवां में बिजली की कटौती होने के कारण क्षेत्रवासी धरने व प्रदर्शन करते रहते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में 18 से 20 घण्टे सप्लाई सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

जी नहीं।

वर्तमान में उक्त क्षेत्रों को सामान्य ग्रामीण एवं तहसील कार्यक्रम के तहत प्रतिदिन 10 घण्टे (साप्ताहिक अदल-बदलकर) विद्युत आपूर्ति आदेशित है। विद्युत की मांग के सापेक्ष उपलब्धता में कमी के कारण इससे अधिक विद्युत आपूर्ति करा पाना सम्भव नहीं है।

जनपद लखीमपुर खीरी सहित प्रदेश में सींच पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

178-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखीमपुर खीरी सहित प्रदेश में वर्तमान में कितने पद सींच पर्यवेक्षकों तथा जिलेदारों के रिक्त हैं ? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को सींचपाल से प्रोन्नत कर भरेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद-लखीमपुर खीरी सहित प्रदेश में वर्तमान में सींच पर्यवेक्षकों के कुल 428 पद तथा जिलेदार के कुल 80 पद रिक्त है।

जी हां। मात्र सींच पर्यवेक्षक के पद सींचपाल की पदोन्नति के भरे जायेंगे। सींचपाल से जिलेदार के पद पर सीधे पदोन्नति का कोई प्राविधान नहीं है।

सींचपाल से सींच पर्यवेक्षक के पद पर प्रोन्नति करने की कार्यवाही प्रगति पर है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के कस्बा अमीरनगर के पास टेढ़ेनाथ सिद्ध मन्दिर की भूमि को अतिक्रमण से बचाकर सौन्दर्यीकरण कराये जाने की मांग

179-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखीमपुर खीरी के कस्बा अमीरनगर के पास बाबा टेढ़ेनाथ पौराणिक सिद्ध मन्दिर की जमीन पर कतिपय लोगों द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार अतिक्रमण से बचाने हेतु पर्यटन स्थली की बाउण्ड्रीवाल तथा सौन्दर्यीकरण कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश-

सूचना एकत्र की जा रही है।

तदैव।

तदैव।

तदैव।

जनपद लखीमपुर खीरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पसगवां में अल्ट्रासाउण्ड मशीन लगवाये जाने की मांग

180-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पसगवां, जनपद लखीमपुर खीरी में अल्ट्रासाउण्ड मशीन नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर अल्ट्रासाउण्ड मशीन लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पसगवां जनपद लखीमपुर खीरी में अल्ट्रासाउण्ड मशीन की स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विशेषज्ञ चिकित्सक तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां के सरकारी अस्पतालों में स्थित पदों को भरे जाने की मांग

181-श्री रमेश चन्द-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर पुरुष चिकित्सक तथा महिला चिकित्सक व फार्मासिस्ट के कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने पद कब से रिक्त हैं ? क्या सरकार उक्त अस्पतालों में रिक्त पदों को भरेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर तैनात पुरुष/महिला चिकित्सालयों तथा फार्मासिस्ट का विवरण निम्नवत् है :-

1-पुरुष चिकित्सक-कुल स्वीकृत पद 19 कार्यरत-17 रिक्त पद 02

2-महिला चिकित्सक-कुल स्वीकृत पद 01 कार्यरत-01, रिक्त पद शून्य

3-फार्मासिस्ट-कुल स्वीकृत पद 11 कार्यरत-08, रिक्त पद 03

चिकित्सकों के पद लगभग 02 वर्षों से रिक्त है तथा फार्मासिस्टों के पद वर्ष 2007 से रिक्त है।

जी हां।

चिकित्साधिकारियों की प्रोन्नति/सेवानिवृत्ति/त्याग-पत्र/पदों के सृजन आदि के कारण समय-समय पर पद रिक्त होते रहते हैं। चिकित्साधिकारियों के पदों का रिक्त होना और उन पर

नियुक्ति किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है। चिकित्सकों की उपलब्धता के आधार पर अस्पतालों में तैनाती की जाती है।

मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार फार्मासिस्ट के रिक्त पदों पर चयन हेतु महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें को निर्देशित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र में लिंगानुपात का संतुलन बनाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की मांग

182-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र में लिंगानुपात क्या है ? क्या सरकार लिंगानुपात का संतुलन बनाए रखने हेतु कन्या भ्रूण हत्या रोकने के कानून को प्रभावी ढंग से लागू करेगी ? यदि हां, तो वर्ष 2008 से जनवरी, 2013 तक कुल कितने दम्पत्तियों तथा कन्या भ्रूण परीक्षण केन्द्रों के विरुद्ध उक्त कानून के तहत कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार जनपद सोनभद्र का लिंगानुपात 913 तथा बाल लिंग अनुपात (0 से 06 वर्ष की उम्र) 920 है।

जी हां, लिंग चयन तथा कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम हेतु भारत सरकार तथा प्रख्यापित गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 तथा अवैध गर्भपात पर रोकथाम हेतु गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971 जनपद सोनभद्र सहित पूरे उत्तर प्रदेश में प्रभावी रूप से लागू है।

जनपदों से प्राप्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश में वर्ष 2008 से माह जनवरी, 2013 तक गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 का उल्लंघन करने वाले 34 केन्द्रों/व्यक्तियों को विरुद्ध जनपदीय समुचित प्राधिकारियों के स्तर से मा0 न्यायालय में वाद योजित किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर की क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराये जाने की मांग

183-श्री भीम प्रसाद सोनकर-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र आलापुर, जनपद अम्बेडकरनगर की अत्यधिक सड़कें क्षतिग्रस्त हैं ? क्या सरकार उन सड़कों की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद अम्बेडकर नगर में आलापुर विधान सभा क्षेत्र के प्रमुख जिला मार्गों तथा अन्य जिला मार्गों की मरम्मत करायी गयी है जो वर्तमान में दाग रहित है। ग्रामीण मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण मार्गों की मरम्मत करायी गयी है। अवशेष ग्रामीण मार्गों की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के कतिपय विकास खण्ड की सरायन नदी के घाट पर काजवे का निर्माण कराये जाने की मांग

184-श्री रामहेत भारती-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड हरगांव तथा ऐलिया के मध्य निकलने वाली सरायन नदी पर ग्राम रौना सिकटिहा तथा कुसुमी झरिया घाट पर निर्माणाधीन काजवे के निर्माण कार्य पूरे करा दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो कब तक पूर्ण करा दिये जायेंगे ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

सिंचाई विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी में गंगा नदी के तट पर भवन निर्माण मरम्मत विषयक पत्र पर कार्यवाही की मांग

185-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी में गंगा नदी के तट से 200 मीटर के दायरे में भवन निर्माण, परिवर्तन, परिवर्द्धन तथा मरम्मत विषयक पत्र दिनांक 10 सितम्बर, 2012 प्रमुख सचिव मा0 मुख्य मंत्री एवं प्रमुख सचिव गृह को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

पत्र में उल्लिखित जनहित याचिका संख्या-31229/2005 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 27-07-2012 को गंगा तट पर एच0एफ0एल0 से 200 मी0 के अन्दर कोई भी निर्माण नहीं किये जाने तथा पूर्व में चिन्हित अवैध निर्माणों के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये हैं। उक्त आदेशों के अनुपालन में पूर्व में चिन्हित अवैध निर्माणों के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा की गयी तथा प्रगति आख्या मा0 उच्च न्यायालय में दाखिल की गयी है। उक्त जनहित याचिका मा0 उच्च न्यायालय में अभी भी लम्बित है, जिसमें सुनवाई की तिथि 14-03-2013 नियत है। पत्र में उल्लिखित अन्य बिन्दुओं के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रश्नगत जनहित याचिका में मा0 न्यायालय द्वारा पारित किये जाने वाले अन्तिम आदेश के दृष्टिगत की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

186-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद की जिला योजना समिति की प्रथम बैठक दिनांक 28-8-2012 में विधान सभा क्षेत्र रुधौली की क्षतिग्रस्त सड़कों के मरम्मत निर्माण विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 30-10-2012 जनपद के प्रभारी मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

पत्र में उल्लिखित नवनिर्माण से सम्बन्धित 34 मार्गों में से 12 मार्ग पूर्व में ही लेपित स्तर तक निर्मित हैं। 04 मार्गों की डबल कनेक्टिविटी होने के कारण मानक के अनुरूप नहीं है। 07 मार्गों का कार्य त्वरित आर्थिक विकास योजना, 02 मार्ग स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान, 01 मार्ग जिला योजना तथा 08 मार्ग पूर्वांचल विकास निधि वर्ष 2012-13 में प्रस्तावित हैं, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर के क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

187-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर, जनपद पीलीभीत की क्षेत्र पंचायत बिलसण्डा में ग्राम वकैनिया, तह0-रामपुर अमृत (भीकमपुर) के पास बीसलपुर बिलसण्डा मार्ग से कनपरा अल्पिका पर पक्षी विहार पसगवां तक के मार्ग क्षतिग्रस्त हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

उक्त मार्ग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में नाबार्ड योजना में चयनित सम्पर्क मार्गों के निर्माण की मांग

188-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में नाबार्ड योजना में चयनित सम्पर्क मार्गों हेतु धनराशि जारी कर दी गयी है ? यदि हां, तो उक्त सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां, जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में चयनित सम्पर्क मार्गों की स्वीकृति आर0आई0डी0एफ0-18 योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-204/23-9-2013-5 नाबार्ड/2012, दिनांक 28 फरवरी, 2013 द्वारा प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर दी गयी है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के हनुमान सेतु से निशातगंज पुल तक गोमती नदी के दोनों किनारों को पक्का कराने की मांग

189-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वांचल के प्रसिद्ध छठ पर्व पर जनपद लखनऊ की गोमती नदी के किनारे अत्यधिक भीड़ के कारण श्रद्धालुओं को होने वाली कठिनाई को दूर करने हेतु सरकार लखनऊ स्थित हनुमान सेतु से निशातगंज पुल तक गोमती नदी के दोनों किनारों को पक्का कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

लखनऊ शहर में गोमती नदी तट विकास परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत गोमती बैराज, गोमतीनगर से कुड़िया घाट तक लगभग 15 किमी0 लम्बाई में गोमती नदी के उभय तटों का विकास किया जाना है। इस हेतु भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की से हाइड्रोलॉजिकल अध्ययन कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की जानकीपुरम् कालोनी के एकता पार्क पर विकास कार्य कराये जाने की मांग

190-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की जानकीपुरम् कालोनी के सेक्टर-एच0 के फेज-1 में स्थित एकता पार्क रोशनी एवं विकास के अभाव में छुट्टा जानवरों की गन्दगी एवं असामाजिक तत्वों का अड्डा बन जाने से स्थानीय नागरिक परेशान हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पार्क में उचित प्रकाश व्यवस्था के साथ इण्टरलाकिंग पथ बनवाकर विकसित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित जानकीपुरम योजना, सेक्टर-एच की विभिन्न सेवाओं के नगर निगम, लखनऊ को हस्तान्तरण में उत्पन्न विरोधाभाष के निराकरण हेतु प्राधिकरण एवं नगर निगम द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही की जा रही है। शीघ्र ही निराकरण कर विकास कार्य कराया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ के शारदानगर आवासीय योजना के रतन खण्ड में विद्युत प्रकाश व्यवस्था हेतु धनराशि का विवरण

191-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के शारदानगर आवासीय योजना अन्तर्गत रतनखण्ड को वर्ष 2008 से जनवरी, 2013 तक कितनी धनराशि बिजली, लाइट लगाने, हाइड्रोजन, राड की खरीद करने के लिये विभाग को उपलब्ध कराई गई ? क्या यह सही है कि उक्त योजना में लगे बिजली के खम्भों पर नाम मात्र की लाइटें पार्क सं0-5 व पार्क संख्या-2 के आस-पास लगी हैं ? क्या सरकार पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था हेतु लाइटों की संख्या में बढ़ोत्तरी करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

शारदा नगर आवासीय योजना अन्तर्गत रतन खण्ड में वर्ष 2008 से जनवरी, 2013 तक विद्युतीकरण/प्रकाश व्यवस्था हेतु कुल धनराशि रु0 540.78 लाख का प्राविधान किया गया।

प्रश्नगत योजना में पार्ट-सी को छोड़कर पार्क सं0-5 व पार्क सं0-2 के आसपास के क्षेत्र के साथ ही पूरे क्षेत्र में समान प्रकाश व्यवस्था की गई है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था हेतु लाइटों की संख्या में बढ़ोत्तरी किया जाना प्रस्तावित है।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के कानपुर रोड योजना की आशियाना कालोनी के पार्क का सौंदर्यीकरण कराये जाने की मांग

192-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित आशियाना कालोनी कानपुर रोड योजना के सेक्टर एम0 के अन्तर्गत प्लाट नं0-521 डी व कार्नर प्लाट नं0-523 डी के सामने स्थित पार्क की स्थिति बहुत खराब है ? यदि हां, तो क्या सरकार मानक के अनुसार दोनों पार्कों का सौन्दर्यीकरण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जी हां। पार्कों का सौन्दर्यीकरण विकास कर्ता द्वारा कराया जाना है।

प्रश्न नहीं उठता।

आज की कार्य सूची के नत्थी 'क' के चौथे तारांकित प्रश्न संख्या को 5वें सोमवार के लिए स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

निधन के निर्देश ले लें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मेरा प्रश्नों के सम्बंध में व्यवस्था का सवाल है।

श्री अध्यक्ष-

हां बताएं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी आज की कार्य सूची देख लें नत्थी क का चौथा सवाल मेरा लगा है। इसमें आगे यह निर्देश दिया है कि 5वें सोमवार के तारा0प्र0सं04 के अन्तर्गत स्थानान्तरित। मान्यवर, मैंने कार्यक्रम देखा है इसमें पांचवां सोमवार वर्तमान बजट सत्र में होने नहीं जा रहा है। पिछले कई दिनों से प्रश्नों के बाद व्यवस्था के प्रश्न इस आधार पर उठते रहे कि एक तो तारांकित प्रश्न कम आते हैं मेरे आज की कार्य सूची में 13 प्रश्न अतारांकित लगे हैं। मैं अपनी फाइल देख रहा था तो उसमें इस बार बजट सत्र में 8वें, 9वें, 10वें बुधवार, सोमवार, मंगलवार को आठवें, नवें और दसवें तक तारांकित प्रश्न लगे हैं। मेरे पास एक गड्डी है उसमें करीब 100 प्रश्न होंगे मेरी फाइल में हम आपका संरक्षण चाहते हैं हम लोग दो-दो तीन-तीन महीने प्रश्न लगाते हैं। नियमावली के अनुसार अल्पसूचित दो प्रश्न आने चाहिए और तारांकित 20 प्रश्न आने चाहिए। अल्सूचित इस बार प्रश्न आ नहीं रहे हैं न 20 तारांकित प्रश्न हो रहे हैं एक तरफ समय भी बच जाता है दूसरी तरफ हमारे प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं तो हम आपका मान्यवर, संरक्षण चाहते हैं कि पांचवे सोमवार का तारांकित प्रश्न रखने का कोई मतलब नहीं है। कृपापूर्वक जो अगला सोमवार आये उसमें उत्तर दिलवा दें क्योंकि 29 तारीख का प्रश्न है उत्तर तो आ ही सकता है। फिलहाल तो मैं अपनी बात को यहीं तक सीमित रखता हूं और इतना जरूर आपसे संरक्षण चाहता हूं कि जो बचे हुए हैं उसमें कम से कम नियमावली का पालन करवा दें जो 20 तारांकित और 02 अल्पसूचित प्रश्न आ जाएं तो हम लोगों के बहुत से प्रश्नों के उत्तर सदन में आ जायेंगे।

*श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, जो प्रश्न माननीय खन्ना जी का है थोड़ा इसकी तरफ आपका ध्यान चाहता हूं कि क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे प्रदेश में शहरी क्षेत्रों के बी0पी0एल0 श्रेणी के आने वाले आवास हीन लोगों को आवास देने की सरकार की कोई योजना है। यदि हां तो उसकी रूपरेखा क्या है ? इस प्रश्न में मान्यवर, न तो कोई सूचना बाहर से आनी है, जिलों से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है, ब्लॉक से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। सारी की सारी सूचना प्रदेश सरकार को देनी है कि कोई योजना है या नहीं है, यदि योजना है तो बता दें कि क्या है। मान्यवर, इस प्रश्न को न लेने का, इसका उत्तर न आने का कोई कारण नजर नहीं आता। अगर ऐसा प्रश्न होता जिसमें सूचना एकत्रित होने में समय लग रहा है तो मैं इस बात को मान लेता। यह तो सीधा-सीधा सवाल है और

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक महीने पुराना सवाल है, योजना हो तो बता देते और यदि नहीं है तो बता दें कि नहीं है। हालांकि बजट भाषण में इसका जिक्र आया, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में इसका जिक्र आया तो योजना कोई है थोड़ा सा उसका विस्तार चाहिए था।

श्री अध्यक्ष-

माननीय हुकुम सिंह जी, जो प्रश्न-4 था यह आवासविहीन लोगों को आवास दिये जाने के कारण इसको इन्होंने आवास विभाग भेज दिया और आवास विभाग ने इसको ग्रहण नहीं किया, उसने कहा कि इसे नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग में भेजो। और जब इनके पास भेजा गया तो इन्होंने लिया तो लेकिन अभी तक उत्तर नहीं दिया है। यह प्रश्न इधर से उधर ट्रांसफर होने के कारण विलम्ब हुआ है। मैं इसे देखता हूं यदि सम्भव हुआ तो इसे इधर ही लगवा दिया जायेगा। दूसरा प्रश्न कैंसर पीड़ित मरीजों से सम्बन्धित होने के कारण स्वास्थ्य विभाग भेजा गया, स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि यह चिकित्सा शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है तो वहां से आया और फिर चिकित्सा शिक्षा विभाग गया, इसी के कारण विलम्ब हुआ है। आप जो कह रहे हैं कि प्रश्न नहीं लग रहे हैं, आप पुराने वरिष्ठ सदस्य हैं, प्रश्न पूछने और प्रश्नों की एक नियमावली है, आप जिस ढंग से प्रश्न पूछ लेंगे, उसी ढंग से तो नहीं सब तारांकित में लग जायेगा, उसका परीक्षण होता है परीक्षण के बाद यदि वह तारांकित में आता है तो तारांकित अन्यथा अतारांकित। आप यह भी जानते हैं कि प्रश्न जब लिया जाता है तो सरकार को भेजा जाता है, बहुतों में उत्तर देने में विलम्ब होता है तो यही सब कारण हो जाते हैं कौन नहीं चाहता कि बीस प्रश्न लगें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, आज के जो अतारांकित प्रश्न हैं क्रम सं0- 15, 18, 23, 24, 42 आप इनका परीक्षण स्वयं कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। सामान्य क्वैश्चन हैं, कोई एक क्षेत्र तक सीमित नहीं हैं, एक जिले तक सीमित नहीं है। आम योजना, आम वेलफेयर से सम्बन्धित यह सारे के सारे सवाल हैं यह कैसे अतारांकित में पहुंच गये मैं नहीं समझ पा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, हम इसको दिखवा लेते हैं।

शासन स्तर से प्रश्नों का गलत उत्तर दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

(श्री रामचन्द्र यादव के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, अभी न खड़े होइये, यही तो मुसीबत है कोई बात तो मान लो, निधन के निर्देश हो जाने दीजिए।

श्री रामचन्द्र यादव-

मान्यवर, अतारांकित प्रश्न सं0-150 में हमारा प्रश्न था, इसकी सूचना हमें गलत दी गई है।

श्री अध्यक्ष-

उसके लिए अलग नियम हैं, नियम में उठाइयेगा। इसके लिए नियमावली में नियम हैं, कम से कम नियम तो पढ़ लिया कीजिए।

[11.34] उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी, श्रीमती चन्द्रकली वर्मा तथा श्री कैलाश नाथ सिंह यादव के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी का 31 दिसम्बर, 2011 को निधन हो गया। वे लगभग 78 वर्ष के थे। श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी का जन्म वर्ष 1933 में ग्राम मेहदाबाद, जिला फतेहपुर में हुआ था। उन्होंने बी0काम0 एवं एल0एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी वर्ष 1969 में निर्वाचन क्षेत्र चमनगंज, जिला कानपुर से निर्दलीय सदस्य के रूप में विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी कल्चरल सोसाइटी, कानपुर, ग्राम सुधार सोसाइटी, महमूदाबाद तथा इस्लाह बिरादरी, फतेहपुर के अध्यक्ष रहे थे। वे हिन्दुस्तानी अदबी सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी तथा मुस्लिम मजलिस मुशाव्वरत, कानपुर के उपाध्यक्ष भी रहे थे। वे ''पासवाने तलबा'' के सम्पादक रहे थे। श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है। उत्तर प्रदेश विधान सभा की भूतपूर्व सदस्य श्रीमती चन्द्रकली वर्मा का 7 मार्च, 2013 को निधन हो गया।

श्रीमती चन्द्रकली वर्मा का जन्म न्यामूपुर, नयागांव, जिला सीतापुर में हुआ था। श्रीमती चन्द्रकली वर्मा वर्ष 1989 में निर्वाचन क्षेत्र लहरपुर, जिला सीतापुर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुई थीं।

श्रीमती चन्द्रकली वर्मा एक कर्मठ सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता थीं। वे अपने क्षेत्र के विकास के लिये सदैव प्रयत्नशील रहती थीं। समाज सेवा में उनकी रुचि थी। श्रीमती चन्द्रकली वर्मा के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी महिला को खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री कैलाश नाथ सिंह यादव का 9 मार्च, 2013 को निधन हो गया। वे लगभग 74 वर्ष के थे।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव का जन्म 30 जुलाई, 1939 को हुआ था। उन्होंने एम0ए0, एम0एससी0, एल0टी0 एवं एल0एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री कैलाश नाथ सिंह यादव वर्ष 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर तथा वर्ष 1991 में जनता दल के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र धानापुर, जिला वाराणसी से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। वे नवीं लोक सभा के सदस्य भी रहे थे।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव श्री बनारसी दास मंत्रिमण्डल में 6 मार्च, 1979 से 17 फरवरी, 1980 तक मंत्री रहे थे। वे दिनांक 17 जुलाई, 1991 से 6 दिसम्बर, 1991 तक उत्तर प्रदेश विधान सभा में नेता, विरोधी दल भी रहे थे। वे उत्तर प्रदेश आर्य प्रतिनिधि सभा के उपाध्यक्ष तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश वेद प्रचारक मण्डल के संयोजक रहे थे। वे डी0ए0वी0 कालेज माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष तथा वाराणसी जिला माध्यमिक शिक्षक संघ एवं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष भी रहे थे। वे अनेक शिक्षण संस्थाओं से सम्बद्ध रहे तथा कई पुस्तकों की रचनायें भी कीं। धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में उनकी विशेष रुचि थी।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

इन माननीय पूर्व सदस्यगण, विधान सभा के निधन से आज पूरा सदन शोकाकुल है। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह दिवंगत आत्माओं को शान्ति प्रदान करे तथा उनके शोक-संतप्त परिवारों को इस गहन दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मैं इस सदन में व्यक्त शोक संवेदनाएं मृतकों के शोकाकुल परिवारों तक पहुंचवा दूंगा।

अब हम दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखेंगे।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुए)

[11.38] नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 13-03-2013 को नियम-301 के अन्तर्गत कुल 25 सूचनायें प्राप्त हुईं जिनमें से 15 सूचनायें स्वीकार की गईं :-

पहली सूचना श्री धर्मपाल सिंह जी की, जनपद बरेली के आंवला विधान सभा क्षेत्र के ग्राम धन्नावली गौटिया मजरा मुतलकपुर के पास से बहने वाली नदी पर रपटा पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में है। मा0 सदस्य उपस्थित नहीं हैं। दूसरी सूचना श्री उपेन्द्र तिवारी की, जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र फेफना में कोट मझरिया, अजोरपुर और रामपुर के बीच मगई नदी पर स्थायी पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री रामचन्द्र यादव की, जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली अन्तर्गत बन्द पड़े निरोजपुर बघेड़ी पम्प कैनाल एवं नौगवांडीह पम्प कैनाल को पुनः चालू कराये जाने के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा) की, वाराणसी नगर के कमच्छा क्षेत्र में निर्मित 220/33 के0वी0ए0 विद्युत सब स्टेशन चालू न होने तथा कज्जाकपुरा राजघाट क्षेत्र में अर्ध-निर्मित 33/11 के0वी0ए0 सब स्टेशन पावर ट्रांसफार्मर के अभाव में चालू न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। पांचवीं सूचना पं0 सुदेश शर्मा की जनपद गाजियाबाद की विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर के अन्तर्गत निवाड़ी गंग नहर पुल से ग्राम सुहाना तक की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। छठवीं सूचना श्री पूरन प्रकाश एडवोकेट की जनपद मथुरा के कतिपय ब्लाकों के ग्रामीण अंचल में पेयजल की समस्या के निराकरण हेतु हैण्डपम्पों की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी की जनपद बस्ती में एन0एच0-28 के नजदीक गोटवा के ग्राम गोपालपुर तक सड़क की जीर्ण-शीर्ण अवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना श्री बब्बन सिंह चौहान की बाण सागर नहर निर्माण परियोजना के टेंडर आवंटन में अधिकारियों द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है। नवीं सूचना श्रीमती सुखदेवी वर्मा की जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र भरथना में जंगली सुअर व अन्य जानवरों द्वारा फसलों को बर्बाद किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। दसवीं सूचना श्री मनबोध प्रसाद की प्राइमरी कृषि ऋण सहकारी समिति के कर्मचारियों

को नियमित वेतन का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में है। ग्यारहवीं सूचना श्री रोमी साहनी की प्रदेश के समस्त बौद्ध अनुयायियों को शासनादेशों के बाद भी अल्पसंख्यक प्रमाण-पत्र निर्गत न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। बारहवीं सूचना श्री शमशेर बहादुर सिंह उर्फ शेरू भइया की जनपद लखीमपुर के विकास खण्ड बेजहम के ब्लाक प्रमुख को सत्ता पक्ष के कुछ व्यक्तियों द्वारा डराये धमकाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। तेरहवीं सूचना श्री राकेश बाबू की जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र टुण्डला के कच्चे मार्गों को लोक निर्माण विभाग की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पक्का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। माननीय सदस्य उपस्थित नहीं थे लेकिन वह सुबह 10 बजे मुझसे मिल कर गये थे। पता नहीं अभी कहां चले गये। चौदहवीं सूचना श्री राज नारायण बुधौलिया की जनपद महोबा के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के पेयजल संकट की समस्या का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में है। पन्द्रहवीं सूचना श्री आलमबदी की जनपद आजमगढ़ के निर्वाचन क्षेत्र मिर्जापुर ब्लाक के मुख्य बाजार लाहीडीह व मुड़िहार की सड़कों में हो रहे जलभराव के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गईं। श्री गेंदा लाल चौधरी, श्री विजय बहादुर यादव, श्री अगयश राम सरन वर्मा, श्री त्रिलोकी राम, श्री अजय कुमार 'लल्लू', डा0 धर्म सिंह सैनी, श्री बाला प्रसाद अवस्थी, श्री अमरपाल शर्मा, श्री रामहेत भारती, श्री राजबली जैसल।

(दो तीन माननीय सदस्यों के खड़े होकर यह कहने पर कि मान्यवर, मेरी सूचना ले लीजिये, मेरी सूचना ले लीजिये।)

अब दो ही बचा है लेकिन यह राकेश बाबू तो थे मेरे पास आये थे 10 बजे अब कहां गये ? चलिये राकेश बाबू को मिलकर बात कर लेंगे। अब एक बचा है धर्मपाल सिंह जी का जिसको कहो ले लें।

श्री विजय बहादुर यादव-

मान्यवर, हमारा ले लीजिये, हमारा कम आता है।

श्री अध्यक्ष-

क्या नाम है आपका ?

श्री विजय बहादुर यादव-

मान्यवर, विजय बहादुर यादव।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आपका कम आता है चलिये आपका ले लेते हैं। श्री धर्मपाल सिंह के स्थान पर श्री विजय बहादुर यादव की सूचना ली जाती है।

(सदन की सहमति से सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं)

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र फेफना में कोट मझरिया अजोरपुर और रामपुर के बीच मगई नदी पर स्थायी पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना...

श्री उपेन्द्र तिवारी-

[महोदय,

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र फेफना में कोट मझरिया, अजोरपुर और रामपुर के बीच मगई नदी (टॉस की सहायक) पर ग्रामीणों द्वारा आवागमन के लिये बॉस बल्लियों के सहारे अस्थायी पुल बनाया गया जिससे होकर लगभग 50 हजार की आबादी वाले दर्जनों गांव के लोग अपनी खेती के लिये तथा छात्र विद्यालय जाने के लिये आते-जाते है। यहां पर कोई स्थायी पुल का निर्माण न होने के कारण वाहन द्वारा लोगों को 10 कि0मी0 का चक्कर लगाकर अपने गन्तव्य तक जाना-आना पड़ता है। बीमार एवं आकस्मिक चिकित्सा हेतु लोग पुल न होने के कारण चिकित्सा के अभाव में दम तोड़ देते हैं। बांस बल्लियों के सहारे बनाये गये अस्थाई पुल से आवागमन में बहुत अधिक घटनायें होती है। लोक अपनी जान को जोखिम में डालकर आने-जाने को मजबूर है। शासन एवं प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी कोई कार्यवाही न होने से जनमानस में निराशा व्याप्त है। जनहित में उक्त स्थान पर स्थायी पुल का निर्माण कराया जाय।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कोट अजोरपुर, मझरिया और रामपुर के बीच मगई नदी (टॉस की सहायक) पर स्थायी पुल का निर्माण कराने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली अन्तर्गत बन्द पड़े निरोजपुर बघेड़ी पम्प कैनाल एवं नौगवांडीह पम्प कैनाल को पुनः चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम चन्द्र यादव-

[महोदय,

जनपद फैजाबाद विधान सभा क्षेत्र रूदौली अन्तर्गत स्थित निराजपुर बघेड़ी पम्प कैनाल नोगवांडीह पम्प कैनाल 1977 में स्थापित की गयी। उपरोक्त दोनों नहर पम्प कैनालों से क्षेत्र की कई हजार एकड़ भूमि सिंचाई हो रही थी। लगभग 5 वर्षों से इन्हें बन्द कर दिया गया है। किसी तरह का देख-रेख का अनुरक्षण का कार्य समय से नहीं कराया गया जिसके कारण एक दर्जन गांवों के किसानों की सिंचाई का कार्य बाधित हो रहा है। दोनों पम्प कैनालों का संचालन जनपद बाराबंकी लिफ्ट् सिंचाई द्वारा किया जा रहा है। रूदौली विधान सभा क्षेत्र जनपद फैजाबाद में सम्मिलित है। इसी कारण उपरोक्त पम्प कैनालों के संचालन में विभागीय अधिकारियों द्वारा रूचि नहीं ली जा रही है और न ही कभी कोई अधिकारी इन कैनालों पर दौरा करता है। क्षेत्र के किसानों ने इस गम्भीर समस्या को लेकर कई बार अधिकारियों को मांग पत्र भी दिया परन्तु किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इससे क्षेत्र के किसानों में निराशा एवं आक्रोश है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वाराणसी नगर के कमच्छा क्षेत्र में निर्मित 220/33 के0वी0ए0 विद्युत सब-स्टेशन चालू न होने तथा कज्जाकपुर राजघाट क्षेत्र में अर्धनिर्मित 33/11 के0वी0ए0 सब-स्टेशन पावर ट्रान्सफार्मर के अभाव में चालू न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्याम देव राय चौधरी-

[महोदय,

220/33 के0वी0ए0 विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण वर्ष 2007 में प्रारम्भ हुआ था जिसे वर्ष 2010 में चालू होना था। लेकिन खेद का विषय है कि समयावधि पूर्ण होने के 2 वर्ष से अधिक समय बीतने के उपरान्त भी उक्त सब-स्टेशन अभी तक चालू नहीं हो सका। इसी प्रकार चौका घाट में 33/11 के0वी0ए0 सब-स्टेशन वर्षों से अतिभारित है जिससे सम्बद्ध क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहता है और लोगों को भयंकर कष्ट का सामना करना पड़ता आ रहा है। इसके समाधान हेतु कज्जाकपुर राजघाट क्षेत्र में 33/11 के0वी0ए0 सब-स्टेशन का निर्माण लगभग पूरा है लेकिन 10X2 एम0बी0ए0 का पावर ट्रान्सफार्मर उपलब्ध न कराये जाने से उक्त सब-स्टेशन भी चालू नहीं हो पा रहा है और लोगों का कष्ट बना हुआ है जो वर्तमान गर्मी में और बढ़ने वाला है। वाराणसी हर दृष्टि से एक अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा हेरीटेज नगर होने के बावजूद भी भयंकर विद्युत अनापूर्ति तथा घोषित, अघोषित कटौती तथा ब्रेक डाउन के जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। परीक्षायें प्रारम्भ हो चुकी हैं, विद्युत के अभाव में छात्रों पर, उद्योग धन्धे तथा जलापूर्ति पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है और सभी को घोर कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। उक्त दोनों सब-स्टेशन विद्युत कटौती से मुक्त किये जाने की लोकहित में मांग करता हूं।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के ध्यानाकर्षण सूचना पर प्रभावी कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र मोदी नगर के अन्तर्गत निवाड़ी गंग नहर पुल से ग्राम सुहाना तक क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुदेश शर्मा-

[महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत निवाडी गंग नहर पुल से ग्राम सुहाना तक सड़क जो कि अत्यन्त क्षतिग्रस्त है। यह लिंक रोड का सम्पर्क लगभग 10-12 गांव से होता हुआ मोदीनगर को जोड़ता है। इस मार्ग की जर्जर होने के कारण आवागमन में काफी परेशानी होती है। शिक्षा ग्रहण करने हेतु उक्त सड़क से क्षेत्र के सैकड़ों छात्रों को गांव से मोदीनगर में आना जा पड़ता है, जिससे छात्रों की पढ़ाई में काफी असुविधा होती है। आये दिन बीमार लोगों के उपचार हेतु मोदीनगर में आने जाने में काफी दिक्कत होती है। इस सड़क का निर्माण न होने से गांव के विकास में बाधा बना हुआ है। उक्त सड़क लगभग 5 किमी0 है। यह प्रकरण जनहित में संबंधित है।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः मैं चाहूंगा कि जनहित में उक्त सड़क का पुर्ननिर्माण/मरम्मत कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद मथुरा के कतिपय ब्लाकों के ग्रामीण अंचल में पेयजल की समस्या के निराकरण हेतु हैण्डपम्पों की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पूरन प्रकाश-

[महोदय,

आपको अवगत कराना है कि हमारे जनपद-मथुरा में मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ब्लाक राया, ब्लाक बल्देव एवं ब्लाक फरह का पूरा ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है। हमारे क्षेत्र में अधिकतर खारा पीना होने के कारण तीनों ब्लाकों के ग्रामीण अंचल में बहन बेटियां दो-दो, तीन-तीन किमी0 से पीने का पानी सिर पर लाती है। हमारे क्षेत्र में पेयजल की टी0टी0एस0पी0 योजना विभिन्न कारणों से सुचारू नहीं है। पेयजल की समस्या के समाधान के सम्बन्ध में हमारे द्वारा जिलाधिकारी मथुरा को इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प स्थापित करने के लिये तीनों ब्लाकों में 50-50 हैण्डपम्प ग्रामीण अंचल के ग्रामों में सार्वजनिक स्थलों पर स्थापित करने की लिस्ट दी जिसमें जिलाधिकारी मथुरा द्वारा हमें यह बताया कि आप मा0 प्रभारी मंत्री श्री दुर्गा प्रसाद यादव जी से आदेश करा दें।

जिलाधिकारी मथुरा के कथनानुसार हमने दिनांक 14 फरवरी, 2013 को मा0 प्रभारी मंत्री मथुरा द्वारा हमारे पत्र पर 50-50 हैण्डपम्प उपरोक्त तीनों ब्लाकों में स्थपित करने के निर्देश का पत्र हमारे स्वयं के द्वारा जिलाधिकारी मथुरा को प्रेषित कर दिया है। खेद है कि प्रभारी मंत्री के आदेश के उपरान्त भी अभी तक हैण्डपम्प स्थापित करने की प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं की गयी है। आगामी गर्मी का मौसम आ रहा है जिससे क्षेत्रीय जनता में हैण्डपम्प स्थापित न होने के कारण भारी रोष है।

अतः इस जनहित व लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार से उक्त तीनों ब्लाकों के ग्रामीण अंचल में हैण्डपम्प स्थापित कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बस्ती में एन0एच0 28 के नजदीक गोटवा के ग्राम गोपालपुर तक सड़क की जीर्ण-शीर्ण अवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी-

[महोदय,

कृपया अवगत कराना है। कि जनपद बस्ती के मेरे विधान सभा क्षेत्र 310 बस्ती एन0एच0 28 गोटवा के ग्राम गोपालपुर तक सड़क गड्ढे में तब्दील हो गयी हैं इसमें हजारों लोगों का आवागमन जारी है। सड़क ठीक न होने के कारण आये दिन कोई न कोई दुर्घटना होती रहती है। जिससे क्षेत्रीय जनता को आने जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिससे सरकार के प्रति जनमानस में काफी जनाक्रोश है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये सड़क को ठीक कराकर डामरीकरण किये जाने की कार्यवाही एवं वक्तव्य की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बाण सागर नहर निर्माण परियोजना के टेण्डर आवंटन में अधिकारियों द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बब्बन सिंह चौहान-

[महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि बाण सागर नगर निर्माण परियोजना म0प्र0 से उ0प्र0 में सिंचाई के लिये है ये परियोजना उ0प्र0 के किसानों के हित में है। इस परियोजना से कई जिलों को सिंचाई का लाभ मिलेगा। लगभग-150 कि0मी0 म0प्र0 व उ0प्र0 में मिलाकर कार्य कराया जा रहा है। लेकिन हर कि0मी0 पर टेण्डर हुआ लेकिन इन्हीं कि0मी0 पर जे0ई0, ए0ई0, अधिशाषी अभियन्ता द्वारा उन्हीं टेण्डर चैनेज कि0मी0 पर गलत तरीके से सरकारी धन के लूट के नियत से इन अधिकारियों के द्वारा बड़े पैमाने पर वर्क आर्डर किये गये लेकिन कोई भी कार्य जमीन पर नहीं कराया गया है। जिसके कारण जनता एवं किसानों में सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये अतिशीघ्र उक्त प्रकरण पर कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र भरथना में जंगली सुअर व अन्य जानवरों द्वारा फसलों को बर्बाद किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती सुखदेवी वर्मा :-

[महोदय,

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि मेरे विधान क्षेत्र भरथना, जनपद इटावा में जंगली सुअर व जंगली जानवरों का आतंक बड़े पैमाने पर है किसानों की फसलें बुरी तरह से इन जंगली जानवरों द्वारा नष्ट कर दी जाती है। इन जंगली जानवरों को सरकार के तरफ से एक अभियान चलाकर पकड़े जाने की आवश्यकता है। जिससे किसानों की फसले नष्ट होने से बच सकें। यह प्रकरण किसान व आम जनता से जुड़ा है।

अतः इस गम्भीर विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराये जाने एवं जंगली जानवरों को पकड़े जाने की मांग करता हूं।]

प्राइमरी कृषि ऋण सहकारी समिति के कर्मचारियों को नियमित वेतन का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनबोध प्रसाद-

[महोदय,

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, प्राइमरी कृषि ऋण सहकारी समिति के कर्मचारियों द्वारा सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों की

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कृषि कार्य हेतु ऋण वितरण, उर्वरक वितरण, बीज व कीटनाशक दवाओं का वितरण व किसानों के उपज की खरीद आदि कार्य किया जाता है। परन्तु इन कर्मचारियों को नियमित वेतन सात वर्षों से नहीं मिल पा रहा है और न ही इनकी सेवा ही स्थायी है। किसान सहयोगी यह सरकार है। सरकार सहकारी समिति व किसानों दोनों के लिये अच्छी एवं बेमिसाल साबित हुयी हैं। यही नहीं पटल पर भी कार्य क्षमता दिखायी देती है। इसलिये इस परिप्रेक्ष्य में निबन्धक सहकारी समितियां लखनऊ द्वारा समिति कर्मचारियों से एस कैडर की स्थापना हेतु दिनांक 28-12-2012 के आदेश जारी कर जिला सहकारी बैंकों को वेतन का व्यय भार वहन करने की व्यवस्था की गयी है। परन्तु 16 जिलों में सहकारी बैंकों की आर्थिक स्थिति खराब हो जाने के कारण रिजर्व बैंक द्वारा उनके लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है जो कर्मचारियों का वेतन भुगतान नहीं कर सकती हैं। ऐसी स्थिति में निर्बल जिला सहकारी बैंकों में समाहित होने वाले एस कैडर के कर्मचारियों/सचिवों के वेतन भुगतान हेतु अलग से धन की व्यवस्था की जाय तथा निबन्धक के आदेश दिनांक 28-12-2012 के द्वारा एस कैडर बनाने हेतु दी गयी व्यवस्था में कैडर सचिवों को पुराना कैडर वेतनमान व समिति कर्मचारियों व प्रभारी सचिवों को कन्सालीडेड वेतनमान देने की व्यवस्था लागू की जा रही जिससे एक ही पद काम करने वाले कर्मचारियों के साथ अन्याय होगा। इस प्रकार एस कैडर की वेतन विसंगतियों को दूर करते हुये सहकारी समिति कर्मचारियों की सेवा नियमावली बनाकर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति व्यवस्था लागू किया जाय। यह लोक महत्व का गम्भीर विषय है।

अतः इस गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुये तत्काल प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने की मांग करता हूं।]

प्रदेश के समस्त बौद्ध अनुयायियों को शासनादेशों के बाद भी अल्पसंख्यक प्रमाण-पत्र निर्गत न किये जाने से स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ श्री रोमी साहनी-

[महोदय,

अगवत कराना है कि अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध, पारसी व जैन) के लोगों को अल्पसंख्यक प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने हेतु शासन द्वारा समय-समय पर शासनादेश सं0 429/52-4-98-33/98 दिनांक 31 अक्टूबर, 1988, शासनादेश सं0 590/52-4-2010-1(3)/96 दिनांक 30 जून, 2010 तथा शासनादेश सं0 401/52-4-2012 दिनांक 28 जून, 2012 जारी किये जाते रहे है किन्तु शासन के निर्देशों के बावजूद जिले व तहसील स्तर पर किसी भी सक्षम अधिकारी (बौद्ध अनुयायियों) द्वारा अल्प संख्या प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं किया जा रहा है। जिससे शासन द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ इस समुदाय के लोगों को नहीं मिल पा रहा है।

अतः सरकार का ध्यानाकृष्ट कर मांग करता हूं कि प्रदेश के समस्त बौद्ध अनुयायियों को अल्पसंख्यक प्रमाण-पत्र निर्गत कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करायें।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद लखीमपुर के विकास खण्ड बेहजम के ब्लाक प्रमुख को सत्ता पक्ष के कुछ व्यक्तियों द्वारा डराये-धमकाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शमशेर बहादुर सिंह उर्फ शेरू भईया-

[महोदय,

अगवत कराना है कि श्रीमती पुष्पा सिंह, क्षेत्र पंचायत विकासखण्ड-बेहजम, जनपद-लखीमपुर खीरी की ब्लाक प्रमुख है। बेहजम ब्लाक प्रमुख श्रीमती पुष्पा सिंह के खिलाफ सत्ता पक्ष के अनिल वर्मा पुत्र श्री हरिनन्दन प्रसाद वर्मा निवासी ग्राम सकेथू, थाना-नीमगांव व उनके सहयोगियों द्वारा क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का उत्पीड़न/डरा धमकाकर अपने पक्ष में समर्थन प्राप्त करना चाहते है जबकि ब्लाक प्रमुख बेहजम को अपने क्षेत्र पंचायत सदस्यों का पूर्णतया समर्थन प्राप्त है। सत्ता पक्ष द्वारा क्षेत्र पंचायत सदस्यों को अगवा करके जबरन हस्ताक्षर करा लिये व अविश्वास प्रस्ताव ले जाकर जिलाधिकारी, खीरी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाय। जिलाधिकारी, खीरी द्वारा अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिला पंचायत राज अधिकारी को सत्यापन हेतु भेज दिया गया। प्रार्थिनी पुष्पा सिंह, क्षेत्र पंचायत के सदस्यों की जांच व सत्यापन कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः सरकार का ध्यानाकृष्ट कर मांग करता हूं कि क्षेत्र पंचायत के सदस्यों की जांच व सत्यापन की कार्यवाही सुनिश्चित करायें।]

जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र टूण्डला के कच्चे मार्गों को लोक निर्माण विभाग की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पक्का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राकेश बाबू-

[महोदय,

विधान सभा क्षेत्र टूण्डला में निम्न मार्गों के कच्चा होने के कारण किसानों को आवागमन में भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है :-

जिला योजना 2013-14

1-रामनगर में परीक्षितपुर बम्बा व रामनगर परीक्षितपुर मार्ग से कुंवरपुर तक सड़क निर्माण।

2-चिलासनी से कनवार होते हुये रैमजा की डामर की सड़क तक सड़क निर्माण।

3-रूधउ बम्बा की पुलिया से रूधड़ ग्राम तक सड़क निर्माण।

4-मिलक से गोथुआ सकरौली मार्ग तक।

5-मरसलगंज की पुलिया से नगला बलू होते हुये डेरा बंजारा नगला बलू तक सड़क निर्माण।

त्वरित आर्थिक विकास योजना 2013-14

1-बाघई से रजापुर तक।

2-बाघई से रजावली तक।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बसाइट योजना 2013-14

1-राजमल से ढकई बम्बा की पुलिया तक।

2-कुमेरगढ़ी से मदनुपर तक।

एस0सी0पी0 योजना 2013-14

1-नगला राम किशन मन्दिर से रूधउमुस्तकिल तक सड़क निर्माण।

2-पमारी से लालगढ़ी तक सड़क निर्माण।

3-एटा चिलासनी मार्ग से बेलनगंज तक सड़क निर्माण।

नावार्ड 19 वर्ष 2013-14

1-ओखरा बम्बा से हुलासपुर तक सड़क निर्माण।

2-नगला धनवन्त मार्ग से दयागढ़ी तक सड़क निर्माण।

3-राजमल से नगला करन सिंह होते हुये चुहरपुर मार्ग तक।

4-चिलासनी मार्ग से बेलनगंज तक सड़क निर्माण कार्य।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न को देखते हुये सरकार से उपरोक्त मार्गों का लोक निर्माण विभाग फिरोजाबाद से उल्लिखित योजनाओं में उपरोक्त मार्गों को सम्मिलित कर निर्माण की मांग करता हूं तथा इस पर सरकार के वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद महोबा के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के पेयजल संकट की समस्या का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राज नारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महराज-

[महोदय,

कृपया संज्ञान में लाना चाहूंगा कि सम्पूर्ण विधान सभा क्षेत्र महोबा के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की विकराल समस्या से लोग काफी परेशान हैं। पेयजल हेतु करबई नगर के कलसहा बाबा क्षेत्र में एवं ग्राम मामला में पानी की टंकी के निर्माण तथा पाइप डाला जाना अति आवश्यक है। इसके निर्माण हेतु नियमों को शिथिल करते हुये यथाशीघ्र धन निर्गत किया जाना अति आवश्यक है। महोबा नगर में पेयजल की आपूर्ति हेतु जो पानी के टैंकर उपलब्ध कराये गये थे, उसमें भी 60 टैंकर पिछले 6 महीने से अन्य जगह भेज दिये गये। जिससे क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति बाधित हो रही है। बाहर भेजे गये टैंकरों को यथाशीघ्र वापस लाने हेतु तथा क्षेत्र के सभी बड़े ग्रामों को चिन्हित करके वहां पर पानी की टंकी बनाकर पाइप लाइन के जरिये घरों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा इसके साथ ही साथ महोबा शहर के ऊंचाई वाले क्षेत्र में भी पानी उपलब्ध कराये जाने हेतु क्षेत्रीय जनता द्वारा कई बार उच्च अधिकारियों एवं शासन से अनुरोध किया गया परन्तु अभी तक क्षेत्र में

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पेयजल समस्या के निदान हेतु कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है। जिससे क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष एवं आक्रोष व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद आजमगढ़ के निर्वाचन क्षेत्र मिर्जापुर ब्लाक के मुख्य बाजार लाहीडीह व मुड़ियार की सड़कों में हो रहे जलभराव के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आलमबदी-

[महोदय,

मैं आप द्वारा माननीय लोक निर्माण मंत्री जी का ध्यान उपरोक्त के सम्बन्ध में आकर्षित कराना चाहता हूं।

उपरोक्त बाजार आजमगढ़ पवई मार्ग के जो मेरे क्षेत्र की अकेली जिला स्तरीय मार्ग पर पड़ती है।

हल्की सी भी वर्षा में सड़क पानी में डूब जाती है और पैदल चलना भी दूभर हो जाता है।

ये सड़क प्रान्तीय खण्ड-2 में आती है। इसके अधिशासी अभियन्ता व सहायक अभियन्ता व अवर अभियन्ता को लेकर में स्वयं बाजारों का निरीक्षण कराया, पर कोई कार्यवाही न हो सकी।

आपसे निवेदन है कि आगामी बरसात से पहले पानी निकासी की व्यवस्था कराने की व्यवस्था करें। जिससे जनता को कठिनाइयों से निजात मिल सके।]

जनपद गोरखपुर में फल मण्डी तक जाने में नो एन्ट्री को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय बहादुर यादव-

[महोदय,

गोरखपुर में फल मण्डी एवं पुराने ट्रान्सफार्मर नगर में सुबह छः बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक माल वाहक वाहनों के लिये नो इन्ट्री लगा दी गयी है जिसके कारण देवरिया बाईपास रोड से फलों की आमद एवं लखनऊ, वाराणसी की तरफ से आने वाले माल वाहनों को रोक दिया जाता है जिससे सुबह छः बजे की आई गाड़ी फल मण्डी के बाहर रात्रि 10 बजे तक खड़ी रहती है। फल कच्चा माल है, यह लगभग 16 घन्टे शहर से बाहर नो इन्ट्री के वजह से रुक जाता है जिससे काफी फल सड़ जाता है। जबकि एक वर्ष पहले नो इन्ट्री जोन नहीं था। उस समय फोर लेन भी नहीं शुरू किया गया था ऐसे में सारा लोड उसी राप्ती पुल से फल मण्डी होते हुए देवरिया बाईपास होते हुये आसाम तक की गाड़ियों का भार हाइवे रोड वहन करता था। इस समय फोर लेन चलने से भारी वाहन का भार भी

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कम हो गया है। ऐसे में नो इन्ट्री जोन लगाया जाना अनुचित है। नो इन्ट्री लगाये जाने के कारण व्यापारियों के साथ-साथ आम नागरिकों को भी काफी क्षति उठानी पड़ रही है। फल समय से न पहुंचने के कारण सड़ने के वजह से मूल्य वृद्धि में काफी इजाफा हो जाता है। इस प्रकार से नो इन्ट्री लगाये जाने से व्यापारियों व नागरिकों में काफी जनाक्रोश है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये नो इन्ट्री को फल मण्डी तक समाप्त किये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

[11.44] औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 13 मार्च, 2103 को नियम-300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 06 सूचनाएं प्राप्त हुईं।

पहली सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की नियमावली के नियम-188 के अनुसार अनुदान की मांगों पर विचार व मतदान हेतु पर्याप्त दिन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में। दूसरी सूचना श्री प्रमोद तिवारी की प्रदेश में विधान सभा क्षेत्रों की संख्या बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में। तीसरी सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह की दिनांक 08 अगस्त, 2011 को निदेश संख्या-167/168 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं दिनांक 08 जून, 2012 को पुनर्जीवित करायी गयी सूचना का सही उत्तर ऊर्जा विभाग से प्राप्त न होने के सम्बन्ध में। चौथी सूचना श्रीमती विमला सिंह सोलंकी की जनपद बुलन्दशहर की नगर पालिका परिषद् सिकन्दराबाद की सीमा बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में। पांचवीं सूचना श्री सन्त प्रसाद की दिनांक 07 मार्च, 2013 को मा0 नगर विकास मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के अनुरूप लखनऊ के ग्राम बरावनकला में कार्य न कराये जाने के सम्बन्ध में तथा छठी सूचना श्री रामचन्द्र यादव की प्रथम सत्र, 2012 के प्रथम बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-68 के उत्तर के अनुरूप जनपद फैजाबाद की तहसील मिल्कीपुर की विकास खण्ड अमानीगंज के अन्तर्गत निर्माणाधीन चिकित्सालय का निर्माण पूर्ण न कराये जाने के सम्बन्ध में।

नियमावली के नियम-188 के अनुसार अनुदान की मांगों पर विचार व मतदान हेतु पर्याप्त दिन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने नियम-300 की सूचना पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, आप नियमावली का नियम-188 देखने का कष्ट करें इसमें लिखा है-'सदन-नेता के परामर्श से अनुदान की मांगों पर विचार और मतदान के लिए 24 दिनों से अनधिक के दिन नियत करेंगे।' मान्यवर, बजट की सामान्य चर्चा के लिए पांच दिन और मान्यवर, अनुदान मांगों के लिए अधिक से अधिक 24 दिन, यह नियमावली में व्यवस्था है। कुल विभाग, मैंने कल विभाग गिने थे, लगभग 79-80 विभाग हैं इसमें कई महत्वपूर्ण विभाग ऐसे हैं जिसके ऊपर सदन में चर्चा होनी चाहिए लेकिन अब जो व्यवस्था है वह चली आ रही है। जो परम्परा है वह भी चली आ रही है। नेता विपक्ष और नेता सदन मिलकर तय करेंगे, इसमें विवाद नहीं है। मान्यवर, पूरी बात सुन लें, मान्यवर, जो सदन का कार्यक्रम आया वह 5 तारीख से लेकर 21 तारीख तक 12 कार्य दिवस ऐसे हैं

जिसमें अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। मान्यवर, इतने सारे विभाग हैं केवल 12 दिनों में समेकित रूप से चर्चा हो नहीं पाती है। अभी परसों रामगोविन्द चौधरी जी कह रहे थे कि एक दिन हमको चाहिए, यह सत्तापक्ष के वरिष्ठ मंत्री हैं 20-25 साल से मैं इनको इसी सदन में देख रहा हूं। मा0 अध्यक्ष जी आपका संरक्षण चाहते हैं। अगर हम एक स्पष्टीकरण भी पूछना चाहें तो हमें मिन्नत करनी पड़ती है। यह हमारा अधिकार है आप हमें संरक्षण प्रदान करें जब यहां बैठकर हमारे मन में कोई जिज्ञासा आती है तो उसे हम पूछ सकते हैं लेकिन उसका मौका नहीं मिल पाता है। मान्यवर एक दिन में तीन-तीन चार-चार बजट बहुत से महत्वपूर्ण विभाग ऐसे हैं जिनमें लिख दिया जाता है कि विवाद नहीं होगा मान्यवर, मैं अपनी बात दोहराना नहीं चाहता हूं लेकिन जितनी चर्चा और जितनी बहस महत्वपूर्ण विभाग पर होनी चाहिए वह नहीं हो पाती है इतने कम दिन में, इसलिए हम औचित्य के प्रश्न के माध्यम से हम आपसे यह व्यवस्था चाहते हैं। नियमावली बनाने वालों ने कुछ सोचकर कि इसमें कम से कम इतने दिन होने चाहिए कि सामान्य चर्चा में 5 दिन और 24 दिन अनुदान मांगों पर रखी गई थी। मान्यवर, चाहें तो सदन का समय बढ़ा दें लेकिन आगे से इस बात का जरूर ध्यान रखें, चाहे रात में दस बजे तक हाउस चले, क्या फर्क पड़ता है, 12 बजे तक हाउस चले कार्य-मंत्रणा समिति ने उस पर सहमति दे दी तो हम उस पर चुनौती भी नहीं देना चाहते हैं। जिससे सारे सदस्यों की जिज्ञासाएं शान्त हो जायें, जो प्रश्न करना चाहें, वह प्रश्न कर लें, जो बोलना चाहें, वह बोल लें और मान्यवर, जो स्पष्टीकरण मांगना चाहें, वह स्पष्टीकरण मांग लें। अगर समय कम होगा तो न तो हम स्पष्टीकरण मांग सकते हैं, न चर्चा में भाग ले सकते हैं, न समुचित उत्तर आ सकता है। मान्यवर, आपका संरक्षण चाहते हुए, मैं विशेष रूप से चाहता हूं कि इस पर आप व्यवस्था दें और आगे से इस बात का जरूर ध्यान रखें, चाहे कुछ भी हो मान्यवर, इस नियमावली का पालन जरूर हो।

श्री अध्यक्ष-

माननीय खन्ना जी, आपने 188 तो पढ़ा, 188 का 1 पढ़िए। इसमें है कि अध्यक्ष नेता के परामर्श से अनुदान की मांगों पर विचार और मतदान के लिए 24 दिनों से अनधिक दिन नियत करेंगे। यानि 24 दिनों से ज्यादा नहीं होगा, कम हो सकता है, यह इसमें सीधे लिखा है तो यह नियमावली का उल्लंघन नहीं हुआ। दूसरा यह लिखा है- उपनियम-1 के अधीन रहते हुए अनुदान की मांग ऐसे क्रम में उपस्थित की जायेगी, जैसा कि सदन नेता, विरोधी दल के नेता से परामर्श करके निश्चित करेंगे। तो यह नेता विरोधी दल, नेता सदन जैसा चाहेंगे, उसी क्रम में अनुदान की मांगों को रखेंगे। इसमें न हमारा कोई योगदान है, न आपका है। इसलिए यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है, इसे मैं अग्राह्य करता हूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने 12 दिन भी नहीं लिखा है, नियमावली में 12 दिन नहीं लिखा है, नियमावली में 24 दिन इसलिए लिखा और यह सोचकर लिखा ताकि सम्यक् चर्चा हो जाए।

श्री अध्यक्ष-

इसमें अनधिक लिखा है कि इससे ज्यादा दिन नहीं होगा, इससे कम दिन हो सकता है। फिर बात खत्म।

प्रदेश में विधान सभा क्षेत्रों की संख्या बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

माननीय प्रमोद तिवारी जी, आपका तो पूरे संविधान से सम्बन्धित है, पार्लियामेण्ट से सम्बन्धित है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, बतायें।

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, कृपापूर्वक भारत के संविधान के अनुच्छेद-170 का संज्ञान लेने की कृपा करें। अनुच्छेद-333 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधान सभा, उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए 500 से अनधिक और 60 से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनेगी। मान्यवर, यानि स्पष्ट है, संविधान में कहीं इफ बट नहीं हैं कि एक विधान सभा की संख्या सबसे कम 60 होगी और अधिक से अधिक 500 होगी। मान्यवर, उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे बड़ी आबादी का भी प्रदेश है, पर यहां की सदस्य संख्या पहले 425 थी, जब हम आप पहली बार निर्वाचित होकर आए थे। उत्तराखण्ड का निर्माण हुआ, उत्तरांचल का निर्माण हुआ, मान्यवर, अब घटकर 403 रह गई है। आबादी बढ़ी, मतदाता बढ़े, जिस विधान सभा में हम डेढ़ लाख, दो लाख में चुनकर आते थे, अब बढ़कर 3 लाख से ऊपर हो गया है। मान्यवर, मैं सिर्फ इतना आपसे विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं, व्यवहारिकता भी कोई चीज होती है, संविधान के अनुसार नागालैण्ड में अभी मान्यवर, चुनाव हो रहे थे, वहां तो पता लगा कि जिसको 2 हजार वोट मिल गया, वह विधान सभा के अन्दर पहुंच गया और यहां तो 70 हजार, 80 हजार, 90 हजार वोट पाकर भी विधान सभा के बाहर लोग बैठे हुए हैं। मान्यवर, और तो छोड़ दीजिए, इसी उत्तर प्रदेश का जब बंटवारा हुआ तो उत्तराखण्ड में जो विधान सभा का क्षेत्र है, वह 80 हजार, 90 हजार, इस पर विधायक चुने जाते हैं। मान्यवर, मैं जिस बिन्दु पर आ रहा हूं, उस पर कृपापूर्वक ध्यान दें। हमारे पास अभी यह अधिकार है कि हम इस सदन से संस्तुति करके यह भेज सकते हैं कि विधान सभा में जो 403 की संख्या है, उसमें 97 सीटें बढ़ सकती हैं, 500 होने के लिए, संविधान के अनुसार। मान्यवर, प्रस्ताव हमको करना पड़ेगा, प्रस्ताव हम करके भेजेंगे, निःसन्देह इसे बनाने का अधिकार पार्लियामेण्ट को है, पार्लियामेण्ट ही इसे बना सकती है। 500 बना देने के पीछे मेरा तर्क यह है, मान्यवर, दो तर्क हैं, एक तर्क आप समझ गए, इसलिए मुस्करा रहे हैं और दूसरा तर्क और है। पहला तर्क तो यह है कि जब 500 लोग हो जायेंगे तो निर्वाचन की संख्या कम हो जायेगी। दूसरा मान्यवर, मैं आपको जानता हूं कि आप बहुत ईमानदार हैं न्यायप्रिय हैं और हमेशा न्याय करते हैं। आप बताइये न्याय की तुला उठाइये उस पीठ पर बैठकर, आप बताइये हम तीन लाख या चार लाख या कहीं-कहीं सात लाख मतदाता से चुनकर आये हैं और उत्तराखण्ड में 70-80 में चुनकर आये हैं, नागालैण्ड में 10 हजार में चुनकर आये हैं। मान्यवर, हम निर्वाचन क्षेत्र से इसलिए चुनकर आते हैं कि हम निर्वाचन क्षेत्र के विकास में अपना योगदान दे सकें। हम विकास में योगदान तभी देते हैं जब हमारी तमाम योजनायें होती हैं उनके विकास के लिए हम लोग निरंतर प्रयत्न करते हैं। आप देखें तो इसी प्रदेश का जो एक हिस्सा था उत्तराखण्ड उनको अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए ज्यादा पैसा मिल जाता है। हमें नहीं

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मिलता। मान्यवर, यहां बैठे लोग जो सात लाख से चुनकर आये, मैं समझ सकता हूं कि आपको कितनी तकलीफ होती होगी। मैं आपकी तकलीफ बयान कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

आप अपनी कहिये न, आप हमारे लिए क्यों चिंतित हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

हम सात लाख पर चुनकर आये हैं तो एक करोड़ 50 लाख हमारी क्षेत्र विकास निधि है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इसको 1 करोड़ 25 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ 50 लाख कर दिया। लेकिन उस 25 लाख में केंसर और तमाम तरह की जिम्मेदारी भी सौंप दी है। ठीक है। मान्यवर, आप न्याय कर दीजिए। 7 लाख पर डेढ़ करोड़ और 1 लाख पर ढाई करोड़ यह कहां का न्याय है। मान्यवर, भारत के संविधान के अनुसार या तो हमारी सदस्य संख्या 500 कर दीजिए अगर वह नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जो आपके हाथ में है वही कर दीजिए। उनके आबादी के अनुपात में हमारी विधान सभा क्षेत्र विकास निधि बढ़ा दीजिए। मान्यवर, मैं आज आपसे कहता हूं कि आप व्यवस्था दीजिए। मान्यवर, आप संविधान के खिलाफ मत जाइयेगा। (हंसी) मान्यवर, मैं तो आपसे न्याय की बात कर रहा हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी तो न्याय ही करते हैं इसके अलावा कुछ करते हुए तो देखा नहीं है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इसी प्रदेश का एक हिस्सा एक लाख के निर्वाचन पर ढाई करोड़ दे और हम 7 लाख पर चुनकर आये हैं तो आप हमको डेढ़ करोड़ दे रहे हैं। दिल्ली में 5 करोड़ है। यह क्यों है, यह मैं जानना चाहता हूं। यह अनन्तिम सप्ताह चल रहा है। इस सप्ताह के बाद एक सप्ताह विधान सभा होगी और आपने ही कहा था, संसदीय कार्यमंत्री जी ने भी कहा था कि विधान सभा जैसे ही समाप्त होगी हम लोग विचार करेंगे। मैं तो वही काम करता हूं जो वरिष्ठ सदस्य होने के नाते मुझे करना चाहिए। सही समय पर याद दिला दूं जिससे आपकी स्थिति उस समय पर खराब न हो। मान्यवर, एक चीज आपके बारे में कह सकता हूं कि जो आप कहते हैं करते हैं। करते हैं न। तो मैं कहना चाहता हूं कि भारत के संविधान के 170वें अनुच्छेद को पढ़ते हुए हमारी इस बात का संज्ञान लेते हुए कि एक लाख पर ढाई करोड़ और 7 लाख पर डेढ़ करोड़, 10 हजार पर दो करोड़ है। तो मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा महत्वपूर्ण व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता। मैं चाहता हूं कि इसमें आप यही व्यवस्था दे दें कि संविधान के अंदर माननीय मुख्य मंत्री जी कार्यवाही करें। धन्यवाद।

वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन द्वारा उत्तर प्रदेश में मेट्रो की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की घोषणा पर मुख्य मंत्री को बधाई

श्री प्रमोद तिवारी-

एक बात और माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आज अखबारों में पढ़ा, आपने वायदा किया था आप वर्ल्ड बैंक से 5 हजार 500 करोड़ रुपये ले आये। अब यहां पर शायद मेट्रो चलेगी। यह ठीक है लेकिन 5 हजार 500 करोड़ में मेट्रो तो बनेगी नहीं। यह सूचना कैसे क्या होगा, अगर मा0 मुख्य मंत्री जी अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए सदन को बता दें तो हम सबकी उत्सुकता भी शांत हो जाएगी। वर्ल्ड बैंक के चेयरमेन का आना अपने आप में महत्वपूर्ण घटना है और

वर्ल्ड बैंक ही सिंचाई के लिए, पी0डब्ल्यू0डी0 के लिए बहुत से हिस्सों में उनकी सहायता हमको मिलती है। तो मैं इस बात की बधाई देते हुए कि मैट्रो का काम प्रारम्भ करने की शुरुआत हो गई है, यदि मा0 मुख्य मंत्री जी इस सन्दर्भ में कुछ घोषणा करना चाहें तो कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष-

मा0 तिवारी जी, अब वह कुछ कहें, मैं क्या कहूं, मैं कहलवा थोड़े सकता हूं, अब आप कहिये, अगर उन्हें बोलना होता तो खड़े हो जाते, मैं कैसे कहूं। आपने प्रश्न उपस्थित किया, मुख्य मंत्री का विचार है, वह बोलना चाहें तो बोलें न बोलना चाहें तो न बोलें, अब मैं कैसे कह सकता हूं।

प्रदेश में विधान सभा क्षेत्रों की संख्या बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न (क्रमागत)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, चतुर तो हैं ही प्रमोद तिवारी जी और यही कारण है कि बार-बार आप उन्हें पण्डित जी से मुखातिब कर रहे हैं, विधायक जी से नहीं कर रहे हैं। वह पण्डित जी तो हैं ही, अब पण्डित जी अपना काम तो दिखाते ही रहते हैं, मगर चोट उस दिन हो गई पण्डित जी को, जब पड़ोसी ने उन्हें दांव कर दिया दिल्ली में। मान्यवर, वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन आये थे, यह उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है और मा0 मुख्य मंत्री जी की कूटनीति है कि उनका यहां आना हुआ और प्रदेश सबसे बड़ा है देश का और कई देशों से बड़ा प्रदेश है। जाहिर है वर्ल्ड बैंक को भी ये सूचनायें हैं कि उत्तर प्रदेश की प्राथमिकतायें क्या हैं। अखबार के माध्यम से इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से, इसके अलावा इनके जो अपने सोर्सेज होते हैं, उन माध्यमों से भी यह जानकारी लेते हैं कि दुनिया भर में क्या हो रहा है और कौन पोलिटिकल पार्टी, कौन सा प्रदेश या कौन सा देश किस चीज को अपनी प्राथमिकता बना रहा है। उत्तर प्रदेश की जो प्राथमिकतायें हैं, उनमें विकास पहले नम्बर है, चाहे वह मैट्रो हो, किसान हो, गरीब हो, महिला हो तो इन सारी चीजों की सूचना उन लोगों को थीं और आपका सम्पर्क रहा आपने ऐसे हालात पैदा किये और वह यहां तशरीफ लाये। कोई डिक्लेरेशन नहीं हुआ है। जो भी पैसा मिलता है राज्यों को चाहे वर्ल्ड बैंक से मिले या कोई और संस्था हो तो भारत सरकार के ही माध्यम से मिलेगा, उन्हीं के पास आयेगा और फिर अगर वह चाहेंगे तो ट्रान्सफर होगा, अगर नहीं चाहेंगे तो वापस हो जायेगा। अब यह नहीं मालूम की पण्डित जी की नीयत क्या है। ये पैसा मिले, न मिले। अब आपने बड़ा कन्फ्यूज नियम-300 का प्रश्न रखा । बात यहां से शुरू हुई कि सदस्यों की संख्या बढ़नी चाहिए, 400 पर तो आप देखते हैं कि अध्यक्ष जी का हाल क्या होता है, 500 पर क्या होगा और संख्या को आप ले गये विधायक निधि पर, तो दो और दो पांच करना था तो दो और दो पांच पण्डित जी ने किया है। तो मान्यवर, औचित्य का प्रश्न तो नहीं बनता, लेकिन हां यह जरूर है कि आपने मिसाल दी नागालैण्ड में दो हजार वोट पाने वाला एम0एल0ए0 हो गया, हालात होते हैं। कश्मीर में जब इलेक्शन बाईकाट की अपील हुई थी, तो सात और आठ वोट पड़ने वाले भी मंत्री बने थे। तो लोकतंत्र की जहां कमजोरियां हैं, वहीं लोकतंत्र की बहुत खूबियां भी हैं, अब लोकतंत्र की उस खूबी को संख्या से बराबर नहीं करें तो अच्छा है और जितने सदस्य हैं इन्हें ही सम्भाल कर रखिये, यही बहुत हैं, यह सब अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। क्यों क्या हो गया? अब आज आखिरी दिन तो है नहीं, विशेष घोषणा होगी।

श्री प्रमोद तिवारी-

बस उसी से काम चल जायेगा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मगर वह विधायक निधि से सम्बन्धित नहीं होगी, विकास से सम्बन्धित होगी।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, आप बोलें, उससे पहले मैं कह दूं, हम विधायक निधि में कोई वृद्धि नहीं चाहते, हम विधान सभा क्षेत्र विकास निधि में वृद्धि चाहते हैं, विधायक निधि कोई चीज है ही नहीं, एक चीज। दुसरा, मान्यवर सेक्युलर इन्सान वही होता है और जो आजम खां साहब हैं मैं इनको सेक्युलर का सार्टिफिकेट दे रहा हूं, पण्डित और खांन जब एक स्वर में बोलें, तब प्रदेश सेक्युलर होगा, देश सेक्युलर होगा। तो आज तो मैं जिस स्वर में बोल रहा हूं, उसमें स्वर मिलाने के अलावा आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, अगर सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट बनाये रखना चाहते हैं और सेक्युलर हैं आप, मैं मानता हूं तो उचित तो यही होता कि जो पण्डित जी ने कहा वही खान साहब कह दो, प्रदेश का भला हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

मा0 प्रमोद तिवारी जी ने जो अनुच्छेद-170 का उदाहरण दिया है। अगर आप इसे पढ़ेंगे अनुच्छेद-170 को तो इसमें सीधे लिखा है अनुच्छेद-170(1) में कि 333 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये प्रत्येक राज्य की विधान सभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुये 500 से अनधिक और 60 से अन्यून यानि न तो 500 से अधिक होंगे और न 60 से कम होंगे। ये नहीं कहा गया है कि अगर 500 से ज्यादा नहीं हैं तो उससे कम नहीं हो सकते इसलिये कम हो सकते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी बात जो आपने इसके क्षेत्र की कही तो इसके बनाने के लिये अगर आप आगे जायेंगे तो उसमें तमाम स्पष्टीकरण खण्ड-2, खण्ड-3 में दिये गये हैं। प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर प्रत्येक राज्य की विधान सभा में स्थानों की कुल संख्या और प्रत्येक राज्य के प्रादेशित निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से पुनः समायोजन किया जायेगा, जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे। यानि ये संसद द्वारा होगा, यहां नहीं होगा इसलिये ये यहां औचित्य का प्रश्न नहीं बनता। मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

अब विमला सिंह जी, ये जो आपका है सिकन्दराबाद में सीमा बढ़ाये जाने का, ये है नहीं।

निदेश संख्या-167/168 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं दिनांक 8 जून, 2012 को पुनर्जीवित करायी गयी सूचना का सही उत्तर प्राप्त न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

(श्री अनुग्रह नारायण सिंह जी के अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

अभी रुकिये न, आपका आयेगा न। ये आपका आज लगा सातवां देखो न। आपका आज सातवें पर लगा है, जब सातवां आयेगा तो आप बोलियेगा।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, यही चीज है तो हम चाहते हैं कि हमारा सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

इसी सात में तो आपका औचित्य है तो जब सात लगा है और आपका उत्तर आ रहा है और जो आपने 167, 168 में दिया था तो पूरी कार्यवाही आ रही है तो इसको औचित्य में देने का क्या है। अगर न आती तो औचित्य में देते।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, एक मिनट हमारी बात सुन लें आप।

श्री अध्यक्ष-

जबरदस्ती क्यों सुना रहे हो, अनुग्रह जी।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

जो हम लोग प्रश्न लगाते हैं और प्रतिदिन यह सवाल उठता है कि प्रश्नों के उत्तर सही नहीं आते। आपकी पीठ से निर्देश होता है कि 167 और 168 में हम लोग उसको यहां पर दें। आपके निर्देश के अनुसार हम लोग देते हैं। ये जो हमारा वर्तमान प्रश्न है 8 अगस्त, 2011 को हमने दिया।

श्री अध्यक्ष-

जब आपका सात आयेगा, जब सात नम्बर का आयेगा तो उसमें बोलियेगा। आपका तो आज कार्य सूची में लिखा है, सातवां देखिये। सातवां है न मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य में। उसमें बोलियेगा, अभी काहे टाइम खराब कर रहे हैं।

जनपद बुलन्दशहर की नगरपालिका परिषद् सिकन्दराबाद की सीमा बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

विमला जी, ये आपका इसमें आता नहीं है क्योंकि ये आपके नगरपालिका परिषद् के सीमा विस्तार की बात है और सीमा विस्तार नगर विकास से सम्बन्धित है। इसमें न तो कोई संविधान का उल्लंघन हुआ है और न किसी नियमावली, कार्यप्रणाली का, इसलिये ये इसमें नहीं आयेगा। आप मा0 मंत्री जी से मिलकर आग्रह कर लीजिये कि हमारा सीमा विस्तार वो स्वीकार कर लें। ये वहीं तक सीमित है।

श्रीमती विमला सिंह सोलंकी-

अध्यक्ष जी, वहां के लोगों के स्वास्थ्य का प्रश्न है इसलिये मैंने इसे नियम-300 की चर्चा में रखा।

श्री अध्यक्ष-

अब नगर विकास का बजट आयेगा, उसमें आप खूब बोल लीजियेगा। काहे को आप टाइम खराब कर रही हैं।

श्रीमती विमला सिंह सोलंकी-

अध्यक्ष जी, मैंने ये पिछले बजट में भी पहले यह प्रश्न उठाया था और नियम-301 में भी यह प्रश्न लगा चुकी हूं और बड़ी मेहरबानी रही है नगर विकास मंत्री जी की कि उन्होंने इस पर

तुरन्त संज्ञान भी लिया था और वहां से उन्होंने चूंकि लोगों के स्वास्थ्य का प्रश्न था इसलिये आपने वहां के जिलाधिकारी को पत्र भेजकर कि इसे सिकन्दराबाद की नगरपालिका परिषद् की सीमा विस्तार के लिये वहां से पत्र मंगाकर इसकी पूरी डीटेल मांगी थी लेकिन अध्यक्ष जी, चूंकि आपने एक क्लॉज लगा रखा है।

श्री अध्यक्ष-

आपका जो प्रश्न है वह सीमा विस्तार का है, आप स्वास्थ्य विभाग की क्या बात कर रही हैं। सीमा विस्तार है न, जो आपने लिख के दिया है तो उसमें स्वास्थ्य विभाग कहां है ?

श्रीमती विमला सिंह सोलंकी-

असल में वहां हो क्या रहा है कि जो आस-पास कालोनियां बसी हुयी हैं, वहां पानी की समस्या बहुत विकट है। वहां जो पानी निकलता है वो पूरी तरीके से खराब पानी है और उससे लोगों का स्वास्थ्य बहुत गड़बड़ हो रहा है। सबसे ज्यादा जो समस्या हो रही है, वह किडनी की समस्या हो रही है।

श्री अध्यक्ष-

आप चाहती हैं कि अगर नगर पंचायत में जुड़ जायेंगे तो वाटर सप्लाई पायेंगे। बस ठीक है, आपने अपनी बात कह दी। देखिये मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, मंत्री जी के आगे आप बैठ जाइये।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, यह नियम-300 में नहीं आता इसलिए भी अगर मैं आपको कोई आश्वासन दूं, तब भी क्योंकि मानकों में नहीं आता, जवाब आ गया है, हम उसे नहीं बना सकते लेकिन आपने जो यह समस्या रखी है अगर यह बात पहले आपने बताई होती कि पानी की शिकायत है, तो इसके लिए अलग से कार्य योजना तैयार की जा सकती है, अच्छा पानी पिलाना, साफ पानी पिलाना, यह सरकार की जिम्मेदारी है तो हम इसे बिल्कुल अलग से देख लेंगे, अलग से करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

इसमें नहीं है औचित्य। ठीक है। श्रीमती विमला सिंह सोलंकी जी का यह नियम-300 में नहीं आता मैं इसे मैं अग्राह्य करता हूं।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

श्री संत प्रसाद जी का दिनांक 07 मार्च, 2013 को मा0 नगर विकास मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के अनुरूप लखनऊ के ग्राम बरावनकला में कार्य न कराये जाने के सम्बन्ध में। यह भी नियम-300 में नहीं आता है। इसके बाद श्री रामचन्द्र यादव का प्रथम सत्र, 2012 के प्रथम बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-68 के उत्तर के अनुरूप जनपद-फैजाबाद की तहसील मिल्कीपुर की विकास खण्ड अमानीगंज के अन्तर्गत निर्माणाधीन चिकित्सालय का निर्माण पूर्ण न कराये जाने के सम्बन्ध में, यह भी नियम-300 में नहीं आता है।

[12.10] श्री राज्यपाल के अभिभाषण के प्रति सदन द्वारा स्वीकृत धन्यवाद प्रस्ताव के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल का उत्तर

श्री अध्यक्ष-

ये मा0 राज्यपाल जी का, जो आपने धन्यवाद प्रस्ताव भेजा गया था, उसका उनका उत्तर आ गया है, उसे मैं पढ़ देता हूं।

बी0 एल0 जोशी, **राजभवन,**

राज्यपाल, उत्तर प्रदेश। लखनऊ-227132

अर्द्ध शा0 पत्र संख्या-969/जी0एस0

दिनांक 08 मार्च, 2013

माननीय अध्यक्ष जी,

दिनांक 14 फरवरी, 2013 को राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष दिये गये अभिभाषण के सम्बन्ध में धन्यवाद प्रस्ताव विषयक आपके पत्र संख्या : 402/अ0वि0स0/7 (सं)/2013, दिनांक 07 मार्च, 2013 के लिये मैं अत्यन्त आभारी हूं।

इसके लिये मैं आपको तथा आपके माध्यम से विधान सभा के समस्त माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं।

सादर।

भवदीय,

बी0 एल0 जोशी।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय,
माननीय अध्यक्ष,
विधान सभा,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

[12.11] विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2011 के प्रथम शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-19 के गलत उत्तर के सम्बन्ध में श्री अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश (तेरहवां संस्करण) के निदेश संख्या-167/168 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना के संदर्भ में निदेश संख्या-168(2) के अन्तर्गत कृत कार्यवाही की सूचना एवं संशोधित उत्तर

श्री अध्यक्ष-

मा0 ऊर्जा मंत्री जी, इसका उत्तर आप ही पढ़ दें, या पढ़ा हुआ मान लिया जाए, जो कहना चाहें कहें, इनको उत्तर तो मिल ही गया।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

श्री अनुग्रह नारायण सिंह विधान सभा द्वारा.....

श्री प्रमोद तिवारी-

इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

(लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

मूल प्रश्न	मूल उत्तर	संशोधित उत्तर	प्रश्न के उत्तर के लिये गलत सूचना देने वाले दोषी पाये गये अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण
19-क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्युत बकायेदारों से वसूली के क्या प्राविधान हैं।	19-प्रदेश में विद्युत बकायेदारों से वसूली हेतु उनके कनेक्शनों को विच्छेदित किया जाता है, यदि विच्छेदन के उपरान्त भी विद्युत बिलों का भुगतान नहीं प्राप्त होता है, तो उ0प्र0 विद्युत देय एवं वसूली अधिनियम की धारा-3 एवं धारा-5 के अन्तर्गत वसूली की कार्यवाही की जाती है।	(क) प्रदेश में विद्युत बकायेदारों से वसूली हेतु उनके कनेक्शनों को विच्छेदित किया जाता है तथा उ0प्र0 विद्युत देय एवं वसूली अधिनियम की धारा-3 एवं धारा-5 के अन्तर्गत वसूली की कार्यवाही की जाती है।	अपूर्ण उत्तरालेख्य प्रेषित करने के लिये उत्तरदायी तत्कालीन श्री कमलेश कुमार, अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, चित्रकूट को कार्यालय ज्ञाप सं0-674-मु0अ0(वि)/बांदा क्षेत्र/ई-3, दिनांक 16-2-2013 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा कड़ी चेतावनी एवं सम्बन्धित कार्यालय सहायक, श्री भीष्म नारायण कुशवाहा को कार्यालय ज्ञाप संख्या-675-मु0अ0(वि)/बांदा क्षेत्र/ई-3, दिनांक 16-2-2013 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा निन्दा प्रविष्टि निर्गत की गई है।
क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इलाहाबाद, चित्रकूट एवं बांदा जनपदों में 5 लाख रुपये से ऊपर के कौन-कौन विद्युत बकायेदार हैं और	इलाहाबाद जनपद के रु0 5.00 लाख से अधिक राशि के कुल 140 बकायेदार हैं। उक्त 140 बकायेदारों की सूची मा0 सदस्यगण के अवलोकनार्थ सदन के पटल पर रख दी गई है। न्यायालय में विचाराधीन उपभोक्ताओं के मामलों को छोड़कर शेष सभी बकायेदारों के कनेक्शन विच्छेदित हैं तथा सतत् प्रक्रिया के अन्तर्गत सेक्शन-3 एवं सेक्शन-5 की कार्यवाही की गई है।	(ख) जनपद बांदा में पांच लाख रुपये से अधिक बिजली का कोई भी बकायेदार नहीं है। जनपद चित्रकूट में रु0 05 लाख से अधिक बिजली के चार बकायेदार हैं जिनके संयोजन स्थाई रूप से विच्छेदित है, जिनका विवरण निम्न है :- 1.संयोजन सं0-एच0पी0 15/एक्स-2 मै0 परेरहट प्रा0लि0, मुरका, बरगढ़, चित्रकूट [प्रो0 शारदा	

मूल प्रश्न	मूल उत्तर	संशोधित उत्तर	प्रश्न के उत्तर के लिये गलत सूचना देने वाले दोषी पाये गये अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण
उनसे वसूली हेतु सरकार द्वारा अभी तक क्या प्रयास किये गये हैं ?	जनपद बांदा में पांच लाख रुपये से अधिक बिजली का कोई भी बकायेदार नहीं है। जनपद चित्रकूट में रु0 05 लाख से अधिक बिजली के तीन बकायेदार हैं, जिनके संयोजन स्थाई रूप से विच्छेदित हैं, जिनका विवरण निम्न है :- 1.संयोजन सं0-एच0पी0 15/एक्स-2 संयोजन निर्गत करने की तिथि 12-01-1993, स्वीकृत भार 300 के0वी0ए0 स्थाई विच्छेदन की तिथि 09-04-1999 बकाया धनराशि रु0 162.06 लाख (31-12-2010 तक) 2.संयोजन सं0-एच0पी0 16/एक्स-2 संयोजन निर्गत करने की तिथि 05-09-1995, स्वीकृत भार 1200 के0वी0ए0 स्थाई विच्छेदन की तिथि 25-12-2000 बकाया धनराशि रु0 78.74 लाख (31-12-2000 तक) 3.संयोजन सं0-एच0पी0 17/एक्स-2 संयोजन	प्रसाद (निदेशक) ग्राम मुरका, बरगढ़, चित्रकूट] संयोजन निर्गत करने की तिथि 12-01-1993, स्वीकृत भार 300 के0वी0ए0 स्थाई विच्छेदन की तिथि 09-04-1999, दिनांक 09-09-2004 को बी0आई0एफ0आर0, नई दिल्ली द्वारा निर्णीत एवं महाप्रबन्धक (वा0), लखनऊ के पत्रांक 2515 पी0सी0एल0/सीयू-दो/ मै0 परेरहट दिनांक 16-10-2004 आदेश के अनुसार रु0 एक लाख प्रतिमाह की किश्त के रूप में भुगतान करने की सुविधा प्रदत्त है तथा उपभोक्ता समय से मासिक किश्तों का भुगतान कर रहा है। दिनांक 31-01-2013 को बकाया धनराशि रु0 137.06 लाख मात्र। 2.संयोजन सं0-एच0पी0 16/एक्स-2 मै0 परेरहट रोलिंग मिल डिवीजन मुरका, बरगढ़, चित्रकूट	

मूल प्रश्न	मूल उत्तर	संशोधित उत्तर	प्रश्न के उत्तर के लिये गलत सूचना देने वाले दोषी पाये गये अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण
	निर्गत करने की तिथि 31-03-1997, स्वीकृत भार 5000 के0वी0ए0 स्थाई विच्छेदन की तिथि 15-12-2002 बकाया धनराशि रु0 1070.00 लाख (31-12-2010 तक) उक्त तीनों संयोजनों पर दिनांक 09-09-2004 को बी0आई0एफ0 आर0 नई दिल्ली द्वारा निर्णीत एवं महाप्रबन्धक (वा0), लखनऊ के पत्रांक-2515/पी0सी0एल0 / सी0यू0-2/मै0 परेरहट, दिनांक 16-10-2004 के आदेशानुसार क्रमशः रुपये 01-01, 06 लाख कुल 08 लाख रुपये प्रतिमाह की किश्त के रूप में भुगतान करने की सुविधा प्रदत्त है तथा उपभोक्ता समय से मासिक किश्तों का भुगतान कर रहा है।	[प्रो0 शारदा प्रसाद (निदेशक) ग्राम मुरका, बरगढ़, चित्रकूट] संयोजन निर्गत करने की तिथि 05-09-1995, स्वीकृत भार 1200 के0वी0ए0 स्थाई विच्छेदन की तिथि 25-12-2000 दिनांक 09-09-2004 को बी0आई0एफ0आर0, नई दिल्ली द्वारा निर्णीत एवं महाप्रबन्धक (वा0), दिनांक 16-10-2004 आदेश के अनुसार रु0 एक लाख प्रतिमाह की किश्त के रूप में भुगतान करने की सुविधा प्रदत्त है तथा उपभोक्ता समय से मासिक किश्तों का भुगतान कर रहा है। दिनांक 31-01-2013 को बकाया धनराशि रु0 53.54 लाख मात्र। 3.संयोजन सं0-एच0पी0 17/एक्स-2 मै0 परेरहट स्टील एस0एस0 डिवीजन मुरका, बरगढ़, चित्रकूट [प्रो0 शारदा प्रसाद (निदेशक) ग्राम मुरका,	

मूल प्रश्न	मूल उत्तर	संशोधित उत्तर	प्रश्न के उत्तर के लिये गलत सूचना देने वाले दोषी पाये गये अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण
		बरगढ़, चित्रकूट] संयोजन निर्गत करने की तिथि 31-03-1997, स्वीकृत भार 5000 के0वी0ए0 स्थाई विच्छेदन की तिथि 15-12-2002 दिनांक 09-09-2004 को बी0आई0एफ0आर0, नई दिल्ली द्वारा निर्णीत एवं महाप्रबन्धक (वा0), लखनऊ के पत्रांक 2515 पी0सी0एल0/सीयू-दो/मै0 परेरहट दिनांक 16-10-2004 आदेश के अनुसार रु0 छः लाख प्रतिमाह की किश्त के रूप में भुगतान करने की सुविधा प्रदत्त है तथा उपभोक्ता समय से मासिक किश्तों का भुगतान कर रहा है। दिनांक 31-01-2013 को बकाया धनराशि रु0 920.87 लाख मात्र। 4.संयोजन सं0-एच0पी0 21/एक्स-2 मै0 परेरहट गैस इण्डस्ट्रीज कास्टिंग डिवीजन प्रा0लि0 मुरका, बरगढ़, चित्रकूट [प्रो0	

मूल प्रश्न	मूल उत्तर	संशोधित उत्तर	प्रश्न के उत्तर के लिये गलत सूचना देने वाले दोषी पाये गये अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण
		चिरौंजी लाल (निदेशक) ग्राम मुरका, बरगढ़, चित्रकूट] संयोजन निर्गत करने की तिथि 03-01-2003, स्वीकृत भार 300 के0वी0ए0 स्थाई विच्छेदन की तिथि 30-01-2011 बकाया धनराशि रु0 1174263.00। मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार उपभोक्ता द्वारा त्रैमासिक किश्तों में भुगतान किया जा रहा है। अन्तिम किश्त बकाया धनराशि रु0 3.00 लाख मात्र जो माह मार्च, 2013 तक देय है।	
यदि नहीं, तो क्यों ?	प्रश्न नहीं उठता।]		

(श्री अनुग्रह नारायण सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आपको क्या कहना है, इसमें सवाल-जवाब होता नहीं है, इसमें प्रश्न का उत्तर आ गया है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, सवाल-जवाब होता नहीं है, नियम-300 में आता नहीं है तो यहां हम लोग क्या करें ?

श्री अध्यक्ष-

अब आप जो कर सकें करिए, हम उसमें कहां बाधा डाल रहे हैं ?

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, यह बहुत गंभीर सवाल है, अहम मुद्दा है

श्री अध्यक्ष-

ये आप इसको पढ़िए, इसमें कार्यवाही हुई है ना।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, एक मिनट हमारी बात आप सुन लें। मान्यवर, यह संविधान के अन्तर्गत है, संविधान के अन्तर्गत विधान मण्डल के निमय बनते हैं, नियम के अनुसार, आप वहां पर बैठकर हम लोगों को नियम से चलाते हैं, अगर उसमें कोई गड़बड़ी होती है तो आपके जो अध्यक्ष पीठ से निर्देश दिए जाते हैं, उन निर्देशों के अनुसार हम लोग उसका सुसंगत और सही उत्तर चाहते हैं, उसी के अन्तर्गत मान्यवर, मैंने 8 अगस्त, 2011 को इस प्रश्न पर कहा था सुसंगत व कि सही उत्तर दिया जाए। एक साल 9 महीने के बाद अगर आप हमको मौका नहीं देंगे, तो हम लोग यहां क्या करें ? यह सवाल मान्यवर, उठा था कि आज बिजली चोरी होती है, सब लोग इसे गंभीर समस्या कहते हैं, हमारे आपके क्षेत्र में गरीब झोपड़ियों में रहने वाले लोग पर हमला बोल कर बिजली चोरी पकड़ते हैं। हमारे यहां हमारे क्षेत्र में एक बजरंगी, जो बहन जी की बिरादरी का था, उसको बड़ा गर्व था कि हम बहन जी की बिरादरी के हैं, 5000 रु0 का बकायादार था, उसके यहां पुलिस वाले गए और उसको पकड़ा, वह बेचारा सोचता था कि बहन जी तो है ही हैं, वह लड़ गया, उसको पटक कर मारा वहीं, जेल चला गया, 3 दिन बाद जेल में मर गया। हमारे क्षेत्र का मामला था, बवाल हुआ, मैंने इस सवाल को यहां पर रखा, वहां पर एक संसदीय कार्य मंत्री जी, पुराने बैठते थे, वह कहते थे कि औचित्य के प्रश्न में यह आता नहीं है, मामला खत्म कर दिया गया। खैर, मैं लड़ता रहा, अंत में मैंने एक सवाल उठाया कि 5000 के बजरंगी बकायेदार थे, जो मर गए तो 5 लाख से ऊपर के इलाहाबाद, चित्रकूट और बांदा में कितने बकायेदार हैं। मान्यवर, उसका उत्तर आया कि इलाहाबाद में 140 लोग 5 लाख से ज्यादा बकायादार थे, उनका बकायदा नाम, पता, कितना दिया गया, सब विवरण दिया गया। मान्यवर, चित्रकूट के मामले में कनेक्शन नम्बर बताये गये हैं। उनके बकाये के भी बारे में है। मान्यवर, कनेक्शन जो होते हैं वह नाम से होते हैं। जैसे कोई फैक्ट्री है तो फैक्ट्री के नाम से होगा। उसमें कोई बेनामी कनेक्शन हो जाये तो बात अलग है। जो होते नहीं। मान्यवर, मैंने इसको करण संख्या-167 के अन्तर्गत विधान सभा में दिया था आज भी जो उत्तर आया है वह पूर्ण नहीं है। बकायेदार के नाम, कम्पनी के नाम के बारे में कहा गया है कोई विशेष कम्पनी है जिसकी नौ फर्म हैं। उस समय बकाया था उन पर 13 करोड़ कुछ लाख रुपये का। मान्यवर, पांच हजार का बकाया बजरंगी के नाम का था तो उसको मार डाला गया। मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी हमेशा सही बात कहते हैं।

मान्यवर, जब से यह सरकार आई है और ऐसे जो मामले आये हैं तो उन्होंने शायद सही जबाब दिया है। मा0 शिवपाल सिंह जी ने अपने एवं इनके विभाग के ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही भी हुई है जिन्होंने ऐसा किया है। इस मामले में भी मैं चाहता हूं कि जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही हो। मान्यवर, होता क्या है कि बदनाम हम लोग होते हैं जैसे लोकतंत्र में गिरे निम्न स्तर के लोग हमी लोग हैं, और ऐसे लोगों को जो बड़े-बड़े पूंजीपति हैं उनको सरंक्षण देने वाले यह बड़े अधिकारी हैं और यह लगता है कि वह लोग सबसे अच्छा काम करते हैं। मान्यवर जो यह बकायेदार हैं उसमें एक आई0ए0एस0 के बड़े भाई भी हैं वह आई0ए0एस0 इस समय

एन0आर0एच0एम0 घोटाले में जेल की सजा काट रहे हैं। मान्यवर, इसमें किसी ड्राइवर का और नौकर का नाम है। मान्यवर मेरे सवाल को आपने देखा होगा पिछली सरकार में माननीय रामवीर उपाध्याय जी ने तो संकोच किया था क्योंकि मालिक इनकी पार्टी का सचिव था। ब्राह्मण भाईचारा का था। हम लोग संकोच तो नहीं करते हैं और अगर हम लोग गलत करते हैं तो दण्ड के भागी होते हैं। मान्यवर, 13 करोड़ 68 लाख का, और 4 लाख सत्तर हजार का बकाया है। उनका विच्छेदन होने की बात होती है चार साल बाद बी0आई0एफ0आर0 में चले जाते हैं तो वहां से निर्देश लेकर चले आते हैं। फिर हाई कोर्ट चले जाते हैं और वहां से निर्देश लेकर चले आते हैं। मान्यवर, गरीब आदमी तो वहां नहीं जा पाता और उसे फिर जेल जाना पड़ता है। एक तरफ सरकार कहती है कि बिजली विभाग में घाटा है और दूसरी तरफ यह बड़े-बड़े बकायेदार हैं जो चोरी कर रहे हैं। मान्यवर, चुनाव में यही लोग अपार धन खर्च करके, समाजवाद के नाम पर जो लोग जमात में यहां बैठे हैं उनको परास्त करने का काम करते हैं। यह समता का सवाल हैं। यह संविधान के अनुसार है और औचित्यपूर्ण है तथा सदन के संज्ञान में है। इस पर हम लोग रोज चर्चा करते हैं और आपसे निर्देश की मांग करते हैं। मान्यवर, जितने भी अधिकारियों ने इनको बचाया है। इनको बचाने की कोशिश की है और जान-बूझकर नाम छिपाया गया है ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने का काम करें। मान्यवर, जो इनको निन्दा प्रविष्टि दी जाती है वह कहीं छपती नहीं है। बाद में समाप्त कर दी जाती है। नाम छपते हैं तो माननीय मंत्रियों के और विधायकों के यदि उन्होंने कोई गलत काम किया है।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

मान्यवर, इमरजेन्सी के समय जेल में आप रहे और वहां 19 महीने रहकर, निकलकर आये हैं ऐसे माननीय अनुग्रह नारायण सिंह जी को हम लोगों ने देखा है जो उनके मन में पीड़ा है उससे हम सब सहमत हैं कि बाहर यह बात है कि प्रदेश को बदनाम करने वाले यहां बैठे हैं। सारे लुटेरे यहां बैठे हैं। मान्यवर, जो समाज में यह बात है। उन्होंने उसकी पीड़ा को भी रखा और बताया कि समाज-सुधारक जो हैं उनका नाम इस लिस्ट में नहीं है। मान्यवर, जो प्रतिकूल प्रविष्टि जो है वह तो हम देते नहीं हैं सीधे बर्खास्तगी के लिए लिखते हैं। हो न हो वह अलग बात है। पत्रावली जब हमारे पास आती है और उसके नीचे के नोट में लिखा होता है बर्खास्तगी के बारे में, उसको देखते हैं। क्योंकि बात वाकई इतनी बिगड़ गयी है, प्रतिकूल प्रविष्टि से क्या होता है, सरकार बदल गयी प्रतिकूल प्रविष्टि भी बदल गयी वहीं जो महाचोर था वह महा इमानदार हो गया, प्रमोशन हो गया उसी पर। माननीय उच्च न्यायालय के न जाने कितने फैसले हैं सस्पेंशन इज नो पनिशमेन्ट। तो जब सस्पेंशन पनिशमेन्ट ही नहीं है तो हम सस्पेन्ट करते क्यों हैं ? सस्पेंशन से एक फायदा यह हो जाता है कि उसको जुगाड़ का वक्त मिल जाता है और राजनीति करने का वक्त मिल जाता है फिर उसको कहीं न कहीं से इंसाफ मिल जाता है और वह सारी तनख्वाह लेकर फिर बैंक में रख लेता है तो कहां नुकसान हुआ उसका। यह एक व्यक्ति का विचार हो सकता है लेकिन व्यवस्था का विचार कब होगा इसका जो सवाल रखा है अनुग्रह नारायण सिंह जी ने, उसमें आपका जो दिल का दर्द है उसका पहले सम्मान है और जो आपका जीवन है वह हम सब के लिए मिसाली हैं। जो माननीय सदस्य आपके जीवन के बारे में नहीं जानते, जो आपकी सादगी और अच्छाई के बारे में नहीं जानते, जो आपकी ईमानदारी के बारे में नहीं जानते, उन्हें यह जानना चाहिए कि अभी भी विधान सभा में कुछ ऐसे लोग

हैं जिनमें हम अनुग्रह नारायण सिंह का बगैर किसी दल का नाम लेकर अपने सर को ऊंचा कर सकते हैं। यह सारी खूबियां आपमें हैं जो बड़ी नायाब सी हैं और जो प्रश्न आपने रखा है वह भी बहुत गम्भीर है। माननीय मुख्य मंत्री जी, नेता सदन यहां बैठे हैं उनका कोई संरक्षण नहीं है, उनकी जानकारी में भी नहीं है। कभी कभी यह सोचा जाता है कि बड़े लोगों को बड़े लोग बचाते हैं। समाजवादी पार्टी का संरक्षण होगा, मुख्य मंत्री जी का संरक्षण होगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। मैं बिलकुल वह बात कह रहा हूं जो सिर्फ सच पर आधारित है। अब अधिकारिक स्तर पर यह हुआ है इतनी बड़ी रकम की चोरी हुई है, छिपाया गया है यह बड़ा गम्भीर मामला है और इसका गम्भीर संज्ञान भी लिया जाना चाहिए। इस नाम के छुपाने वालों को भी सजा मिलनी चाहिए और ऐसे बकायेदारों से, मामला क्या है, देश आजाद हुआ सुना यह है कि दो रंग की टोपियां रखते थे उस वक्त लोग कि पता नहीं कब आजादी की घोषणा हो जाय, कब टोपी बदलना पड़ जाय और जैसे ही अखबार में खबर पढ़ी कि देश आजाद हो गया तो लोगों ने सफेद टोपी लगा लीं। ऐसे ही राजनैतिक टोपियां भी हैं। जैसे ही देखा कि वोट किधर जा रहे हैं, सरकार किसकी बदल रही है और उन्हें देर नहीं लगती अपनी टोपी बदलने में, और लोग पार्टियां बदलकर यानी कभी-कभी तो मान्यवर, इतना गुस्सा आता है उस सख्स को जिन्दाबाद कहते हुए जिसने कान पर मुंह रखकर गाली दी हो, वह हमारे जीत के जुलूस में इस बार भी वह लोग सबसे आगे थे जिन्होंने सबसे ज्यादा मुखालफत की थी। सबसे आगे और खून जल रहा था, सारे रास्ते खून जलता गया तो यह वह लोग हैं, यह वह लोग हैं जो सत्ता बदलने के साथ साथ अपनी वफादारियां बदल लेते हैं। ऐसे लोगों पर नजर रखी जायेगी और गम्भीर संज्ञान लिया जायेगा, किस स्तर से यह नाम कम हुए हैं और मैं चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री जी यहां मौजूद हैं वह कम से कम सुन तो रहे ही हैं और कार्यवाही भी करते हैं उनके पास यह विभाग भी है। मेरी भी सिफारिश रहेगी कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होना चाहिए, इनसे पैसे की वसूलयावी होनी चाहिए और इन लोगों के खिलाफ रिकवरी जारी होना चाहिए। लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि आप कोई मेरी शिकायत इन लोगों से कर दे जाकर, हो सकता है यह कभी गृह सचिव हो जाय तो क्या होगा, जेल में हैं तो जेल से निकलेंगे नहीं, तो क्या होगा और मैं अगर उधर बैठा हुआ तो क्या होगा चलिये, उस वक्त आपसे मदद मांगेंगे।

[12.24] कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 13-03-2013 को नियम-56 के अन्तर्गत कुल 17 सूचनायें प्राप्त हुई, जिनमें से प्रथम 2 सूचनाओं को श्लाका के आधार पर ग्राह्यता हेतु स्वीकार किया जायेगा । अन्य सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है। पहली सूचना माननीय नेता विरोधी दल और उनके साथ कई सदस्य हैं, सबको पढ़कर बताने की जरूरत नहीं। यह सूचना दिनांक 11-3-2013 को जनपद बांदा के खुरहण्ड थाना अतर्रा में ढाई वर्षीय बालक राम सुफल गुप्ता के अपहरण एवं जनपद फिरोजाबाद के मोहल्ला डुल्ली, थाना उत्तर के निवासी प्रेमचन्द्र के साथ पुलिस द्वारा पिटाई से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। दूसरी सूचना श्री प्रदीप माथुर, जोशी जी और इनके साथ कई माननीय सदस्य हैं, यह प्रदेश में कैंसर तथा असाध्य बीमारियों के समुचित इलाज हेतु बड़े शहरों में कैंसर हास्पिटल स्थापित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

रेवेन्यू कोर्ट्स के कम्प्यूटराइजेशन हेतु सम्बन्धित योजना का मा0 मुख्य मंत्री द्वारा उद्घाटन एवं सम्बन्धित ब्रोशर को सभी मा0 सदस्यगण में वितरण किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में सूचना

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे एक सूचना देनी है। आज माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक बहुत क्रान्तिकारी योजना की शुरुआत की है। आज राजस्व न्यायालय प्रबन्धन प्रणाली पूरे सारे रेवन्यू कोर्ट्स के कम्प्यूटराइजेशन को उन्होंने अमलीजामा पहनाते हुये क्लिक करके शुरुआत की है। आज राजस्व विभाग का बजट भी है, इसलिये उससे संबंधित जो ब्रोशर हमारे पास है, मैं अनुरोध करता हूं पहले से नहीं लगा था पटल पर, किन्तु आप अनुमति देंगे तो मैं माननीय सदस्यगण तक इस योजना के सामान्य परिचय के लिये, जिसका उद्घाटन आज माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया है, उसके बारे में जब बजट चर्चा आयेगी तो मैं निवेदन करूंगा, अभी समय नहीं लूंगा, लेकिन यह पुस्तिका उन तक पहुंचाने के लिये मान्यवर, अनुमति देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

बंटवा दें।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

तीसरी सूचना डा0 धर्मपाल सिंह की जनपद आगरा में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के बावजूद घोषित टी0टी0जेड0 के अन्तर्गत विद्युत आपूर्ति न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। चौथी सूचना ठाकुर दलवीर सिंह, पूरन प्रकाश तथा अन्य की प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के बकाया बिजली के बिलों में सौ प्रतिशत ब्याज मुक्ति दिये जाने के संबंध में है। यह मांग की बात है, असेम्बली में इसमें काम रोको नहीं आता। अगली सूचना श्री अमरपाल शर्मा की नगर आयुक्त नगर निगम, गाजियाबाद एवं अधिकारियों की सांठ-गांठ से सरकारी भू-सम्पत्तियों को विनियमन या लीज पर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। इस पर कई बार चर्चा हो चुकी है, इस पर कई बार माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी आपको आश्वस्त किया है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, यह बड़ा गंभीर मामला है और मैंने सदस्य को आश्वस्त भी किया है इसमें।

श्री अध्यक्ष-

क्या इनको बुलवा दें तब आप जवाब दें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मेरे ख्याल से न बुलवायें। आप सहमत होंगे इसलिये न बोलें कि हो सकता है कि ऐसी कोई बात सदन में आ जाये, जिसकी वजह से हमें कार्रवाई करने में कोई तकल्लुफ करना पड़े जिस अधिकारी के लिये हमने यहां तक लिखा हो कि इसे एन0एस0ए0 में भी भेजा जा सकता है, हम सरकारी सम्पत्ति की लूट उसे किसी कीमत पर नहीं करने देंगे, एक पैसे की भी लूट नहीं करने देंगे

और जितनी भी जमीन अधिकारी ने लीज पर दी है, सबको वापस लेंगे और यह संदेश हम पूरे प्रदेश में देना चाहते हैं कि यह अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता।

(श्री अमरपाल शर्मा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात हो गयी, अब कुछ नहीं पढ़ना है, आप बैठिये हो गया, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, इतना सब कह दिये।

अगली सूचना श्री सुदेश शर्मा की विधान सभा क्षेत्र मोदी नगर जनपद गाजियाबाद स्थित मोदी कपड़ा मिल एवं विविंग मिल्स लि0 कम्पनी द्वारा उसी परिसर में केदारनाथ मोदी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालोजी, बी0 फार्मा व अन्य प्रशिक्षण संस्थान अवैध रूप से चलाकर अनियमितता किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। अगली सूचना श्री संगीत सिंह सोम की विधान सभा क्षेत्र सरधना जनपद मेरठ में मात्र 2 घन्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने से बोर्ड की परीक्षाओं में परीक्षार्थियों की पढ़ाई बाधित होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। अगली सूचना श्री बंशी सिंह पहाड़ियां की डा0 बी0आर0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के अन्तर्गत महाविद्यालयों को स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम संचालित करने के लिये स्थाई सम्बद्धता न प्रदान किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। अब मौर्य जी अपनी बात रखें ।

(श्री केशव प्रसाद मौर्य के खड़े होने पर)

बहुत रिजेक्ट हुये हैं, अब इनको अपनी बात कहने दो।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी कल यहां विस्तार से कानून व्यवस्था पर बात हो रही थी और आज भी संदर्भित सूचना इसी से संबंधित है कि जो कानून के रखवाले हैं, आज उन पर ऊंगली उठ रही है। मान्यवर, जब पुलिस अधीक्षक और सहयोगी पुलिसकर्मी बिचौलिये का काम करेंगे तो आम जनता का विश्वास उनसे हटेगा। यह प्रकरण उसी से संबंधित है। जहां कल जनपद बांदा के खुरहण्ड में ढाई वर्षीय बालक राम सुफल गुप्ता उर्फ बउवा पुत्र व्यापारी श्री अनिल गुप्ता का एक दिन पहले यानि 11 तारीख को अपहरण हुआ था। अपहरणकर्ताओं ने 15 लाख रुपये फिरौती मांगी और बार-बार उस मोबाइल नम्बर का प्रयोग किया जाता रहा, जिस मोबाइल नम्बर से फिरौती मांगी जाती रही। पुलिस ने अपहरणकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही करने के बजाय अपहृत बालक के पिता से इस बात के लिये बातचीत किया कि आप इतना फिरौती दे दो आपका बच्चा वापस आ जाएगा बाद में हम अपहरणकर्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर लेंगे। यहां तक बात समझ में आती है। अपहरणकर्ताओं को फिरौती मिल गई बच्चा भी आ गया लेकिन अब वह अपहरणकर्ता पुलिस के चुंगल से बहुत दूर जा चुके हैं। यानी पुलिस और कोई कार्यवाही करे वह हाथ पर हाथ रखकर बैठी रही। मान्यवर इस तरह से वह कानून के रखवाले के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। लोगों का यह विश्वास होता है कि हम अपने किसी दुखदर्द को पुलिस से बताएंगे तो हमें न्याय मिलेगा। लेकिन न्याय दिलाने के बाद जब वह बिचौलियों की भूमिका अदा करने में आ जाएंगे तो स्वाभाविक

रूप से लोगों का कानून पर से विश्वास उठेगा। इसी तरह आपके फिरोजाबाद में जो 11 मार्च की घटना है। प्रेमचन्द्र नाम का युवक जो फिरोजाबाद शहर में ही ।

श्री अध्यक्ष-

आप नेता विरोधी दल हैं नियम-56 में एक ही घटना दी जाती है। आप फिर दूसरी घटना क्यों उठा रहे हैं। एक ही घटना पर नियम-56 लिया जाता है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

हम विस्तार से सूचना दे रहे हैं। मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि पुलिस के व्यवहार पर लोगों को शक होना शुरू हो गया है। इस पर समय रहते सरकार सचेत हो सावधान हो कार्यवाही करे। इसी लिए यह सूचना फिरोजाबाद की है। घर से उठाकर ले गए मारा-पीटा मरणासन्न हुआ फिर घर पर लाए पुलिस वाहे ही उस पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दिए और घटना को आत्मदाह बनाने की कोशिश करने लगे। यह दोनों प्रकरण गंभीर हैं मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से सरकार इसका संज्ञान ले और चाहता हूं कि तथ्यों की जांच कराकर जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का काम करे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, घटना कल पूर्व में सदन में आ चुकी है। मैं कोई ऐसी बात कहना भी नहीं चाहूंगा। बांदा की जो घटना नेता विरोधी दल ने रखी है और जो ख्वाब की बातें आपने यहां बयान की हैं वह बिल्कुल सच पर आधारित नहीं हैं मैं यह तो नहीं कहूंगा कि आप झूठ कह रहे हैं। यह मनगढंत है, न कोई विचौलिए का रोल अदा किया है पुलिस ने न कोई पुलिस ने बीच में दलाली की है। पुलिस ने कोशिश की है बच्चे की बरामदगी हुई है और जितने भी आक्षेप पुलिस और सरकार पर लगाए हैं यह सब निराधार हैं गलत हैं असत्य हैं। जहां तक तेल छिड़ककर जलाने की बात है, इसमें जांच करा ली जाएगी। सघन जांच करा ली जाएगी। इसमें खासतौर से जांच करा ली जाएगी और तथ्यों का पता किया जाएगा और जो जरूरी कार्यवाही होगी वह की जाएगी।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं फिरोजाबाद के प्रकरण का तो धन्यवाद देता हूं लेकिन इसमें भी मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि एस0ओ0 अतर्रा की मौजूदगी में फिरौती दी गई इसका भी संज्ञान लेकर इसका भी परीक्षण करा लें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

नहीं मान्यवर, यह बिल्कुल असत्य है, निराधार है फर्जी है। मनगढंत है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने इस सूचना पर नेता विरोधी दल को सुना संसदीय कार्यमंत्री को सुना मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

अगली सूचना श्री प्रदीप माथुर की है।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, मैं कैंसर और कुछ असाध्य रोगों के बारे में जो कि पूरे प्रदेश में तेजी से फैल रहा है उसके बारे में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, कैंसर और अन्य असाध्य रोगों के फैलने

का मुख्य कारण है खानपान, कुपोषण, गरीबी आदि ऐसे मसले हैं जिसकी वजह से यह बीमारियां फैल रही हैं चिकित्सा सुविधा के अभाव के कारण गरीब आदमी एक आम आदमी को कैंसर का इलाज कराना और उन असाध्य रोगों का इलाज कराना बड़ा मुश्किल हो गया है। प्रदेश में खासतौर पर के0जी0एम0यू0, एस0जी0पी0जी0आई0, इलाहाबाद में बी0एच0यू0 में कैंसर यूनिट हैं जहां कि इतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं और कामन आदमी का वहां जाना मुश्किल है। इसकी प्राथमिक जांच की भी आम आदमी को सुविधा उपलब्ध नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी बैठे हैं आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहूंगा कि लोगों को भटकना पड़ता है जब कैंसर की जांच का पता नहीं लगता। दिल्ली में मेट्रो अपोलो, ओर वेदान्ता जैसे बड़े बड़े अस्पतालों में जाना पड़ता है जो एक आम आदमी की पहुंच के बाहर है। जहां लाखों रुपए के खर्चे आते हैं और आम आदमी उस खर्चे को वहन नहीं कर सकता। इसके लिए प्रदेश सरकार को जागृत होना पड़ेगा आज स्थिति यह है कि जहां जिला अस्पतालों में अंकलोजी, कैंसर डिपार्टमेंट आपको खुलवाने होंगे। जहां कि प्राइमरी जांच हो सके और इसके साथ-साथ कीमोथेरेपी की व्यवस्था, रेडिएशन की व्यवस्था, बायोप्सी की व्यवस्था करानी होगी और प्रदेश में 30 लाख या इससे ऊपर की आबादी के जो शहर हैं वहां कैंसर हास्पिटल खुलवाने होंगे और सुपर स्पेशिलिटी सरकारी अस्पताल खुलवाने होंगे जिससे कि आम आदमी के इलाज की व्यवस्था हो सके जो दर-दर भटकता रहता है। आज स्थिति यह है कि तमाम इस तरह के लोग काल के गाल में समा जाते हैं जिनकी जांच से पहले ही मृत्यु हो जाती है, कैंसर रोग असाध्य हो जाता है, इतनी देर हो चुकी होती है कि उसका इलाज सम्भव नहीं हो पाता है। इसलिए यह बहुत अहम मसला है इसमें बड़े शहरों में सरकारी कैंसर अस्पताल खोला जाना नितान्त आवश्यक है जिससे कि प्रदेशवासियों को टाटा हास्पिटल, अपोलो हास्पिटल, वेदान्ता हास्पिटल, मेट्रो हास्पिटल दिल्ली या मुम्बई न जाना पड़े। इसलिए उत्तर प्रदेश में कैंसर के मरीजों की जान बचाने के लिए एक तो जिला अस्पताल में प्राइमरी जांच की व्यवस्था और बड़े शहरों तीस लाख की आबादी वाले शहरों में कैंसर के सरकारी अस्पताल खोले जाने की बहुत आवश्यकता है और मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी भी बैठे हैं और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी भी बैठे हैं, इस मसले पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष-

आप बोलते रहिये माननीय मुख्य मंत्री जी सुन रहे हैं।

श्री प्रदीप माथुर-

माननीय मुख्य मंत्री जी आप जहां प्रदेश में तमाम घोषणाएं कर रहे हैं वहीं उत्तर प्रदेश के तीस लाख की आबादी वाले जो शहर हैं वहां सरकारी कैंसर अस्पताल खोले जाने की आप घोषणा करेंगे जिससे कि एक आम आदमी को राहत मिल सके, इस कैंसर जैसी बीमारी से वह निजात पा सके।

श्री अध्यक्ष-

माननीय माथुर साहब इंस्टीट्यूट खुलवाने की बात कर रहे हैं इस पर आप कुछ बोलेंगे।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, इंस्टीट्यूट नहीं, कैंसर के सरकारी अस्पताल की बात कर रहा हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

इंस्टीट्यूट खुलवाने की बात कर रहे हैं तो हम तो पहले से स्वागत कर रहे हैं कि ऐसे इंस्टीट्यूट जितने ज्यादा से ज्यादा भारत सरकार से ये खुलवा सकें। उत्तर प्रदेश सरकार का जो भी योगदान होगा वह उत्तर प्रदेश सरकार देगी। वैसे कैंसर के लिए डा0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल में बहुत सुविधाएं हो गई हैं और हम भी पेसेंट को वहीं भेजते हैं, वहीं उनका इलाज होता है। अगर आप कोई स्पेशलाइज सेन्टर चाहते हैं।

श्री प्रदीप माथुर-

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी आप किसी और गुफ्तगू में व्यस्त थे। मैंने यह कहा कि आप जिला अस्पतालों में कैंसर डिपार्टमेंट खोल दीजिए जिससे उसकी प्राइमरी जांच हो सके, बायोप्सी करा सके। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश में 30 लाख या इससे ऊपर की आबादी वाले शहर हैं उसमें सरकारी कैंसर के अस्पताल खुल जाएं जिससे कि आम आदमी अपना इलाज करा सके। आम आदमी के लिए दिल्ली जाना भी मुश्किल काम होता है और दिल्ली जा करके वह खो जाता है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल हो चाहे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हो, चाहे कैंसर इंस्टीट्यूट हो, मेट्रो हो, अपोलो हो, वेदान्ता हो, चाहे टाटा का इंस्टीट्यूट मुम्बई में हो, एक कामन आदमी के बस की बात नहीं है। हम उत्तर प्रदेश में चाह रहे हैं कि आप कैंसर अस्पताल खोलें और जिला अस्पतालों में जांच की सुविधा मुहैय्या करायें। यह बहुत गम्भीर विषय है इसे हल्केपन से लेने में कोई फायदा नहीं है, इसे गम्भीरता से लीजिए और माननीय मुख्य मंत्री जी जो होनहार हैं वह कुछ घोषणा करें, कुछ कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, अच्छा सुझाव है, बहुत अच्छा सुझाव है हर जिले में कैंसर इंस्टीट्यूट खोला जाए। अरे भाई माथुर साहब आप हर जिले में जांच की लैब बनाना चाहते हैं।

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अध्यक्ष जी, हम सब लोगों को याद होगा जब पिछली सरकार थी तो नेता जी ने कहा था कि लखनऊ में एक बहुत बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट बने। मान्यवर, जो कैंसर का इलाज बहुत टेक्निकल है और मंहगा इलाज भी है। जांच से लेकर इलाज की सारी चीजें बहुत मंहगी हैं। इधर देखने में यह आया है कि टाटा इंस्टीट्यूट जो मुम्बई में है, कैंसर के सबसे ज्यादा पीड़ित वहीं पर इलाज कराते हैं। चाहे वह पंजाब के हों, हरियाणा के हों, उत्तर प्रदेश के हों, अभी बीच में क्योंकि पार्टी ने घोषणा-पत्र में और बजट में भी रखा था कि कैंसर इंस्टीट्यूट लखनऊ में बनेगा, जगह तो चिन्हित हो गयी है। लखनऊ में एक बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट बने और इससे अटैच हों दूसरी जगह, जैसे मान लीजिए मेडिकल कालेज है या कोई बड़ा हास्पिटल है उदाहरण के लिए कानपुर में जहां पहले से कैंसर का इलाज है। तो कैंसर की प्राइमरी स्टेज जहां जानकारी मिल जाए और कैंसर का जब ऑपरेशन हो जाए, उसके बाद जो सहूलियत चाहिए या रिहैब्लिटेशन या उसके बाद का जो इलाज चाहिए। तीनों स्टेज पर काम चाहिए, तो तीनों स्टेज पर काम हो, प्राइमरी जहां आइडेंटीफाई हो जाए, दूसरा इलाज हो जाए और तीसरा इलाज के

बाद उसकी मद्द होती रहे। उसका स्टाफ भी अलग होता है, जो पैरा मेडिकल स्टाफ है उसको भी ट्रेनिंग चाहिए कि कैसे उसको रेड़ीशन देना है, कैसे क्या करना है ? तो उस पर सरकार काम कर रही है और बहुत जल्दी एक बड़े कार्यक्रम के साथ कि किस तरीके से जिले से, कमिश्नरी से और नीचे तक ले जायेंगे। क्योंकि इधर कैंसर बढ़ा है और कैंसर का कारण कोई भी हो, कैंसर बढ़ा है। जो लोग तम्बाकू भी नहीं खाते उनको भी कैंसर हो जाता है, जो लोग अपना जीवन साधारण जीते हैं, उनको भी कैंसर हो जाता है। तो कैंसर बीमारी जो फैल रही है वह हमारे एडल्ट्रेशन से ही फैल रही है। तो बहुत बड़ा सवाल है कि कैसे इसको ठीक किया जाए लेकिन कैंसर इंस्टीट्यूट और उससे जुड़े हुए इंस्टीट्यूशन या हास्पिटल को कैसे जोड़ा जाए उस पर सरकार काम करेगी और कर रही है। धन्यवाद।

श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा औचित्य का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

औचित्य के प्रश्न का समय निकल गया।

*श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)-

सबसे पहले अभी जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है उसका मैं तहेदिल से स्वागत करता हूं। इसके साथ ही यह कहना चाहता हूं कि आज ही मेरा तारांकित प्रश्न इस सम्बन्ध में था जो मा0 मुख्य मंत्री जी ने तस्दीक किया कि मेरी योजना में है कैंसर अस्पताल खोलना और मैंने यह सवाल किया था कि क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे, तो मेरे प्रश्न का उत्तर तो टाल दिया गया लेकिन यह खुशी की बात है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसको तस्दीक किया कि सरकार की योजना में है और वह खुलने वाला है। तो मैं इसका स्वागत करता हूं और आपसे यह निवेदन करता हूं कि मेरा प्रश्न तो अब आयेगा नहीं। तो अगर आप मेरा नाम भी उसमें जोड़ दें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष-

चलिये, ठीक है। आज धर्मपाल सिंह, ठाकुर दलवीर सिंह और श्री संगीत सिंह सोम ने बिजली पर नियम-56 की सूचनायें दी हैं। बिजली पर बड़ी चर्चा हो गयी, प्रश्नों के माध्यम से आ गया। यह नियम-56 में नहीं आयेगा फिर भी मैं धर्मपाल सिंह की सूचना, जनपद आगरा में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों के बावजूद घोषित टी0टी0जेड0 के अन्तर्गत विद्युत आपूर्ति न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इस पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं। माननीय दलवीर सिंह जी की सूचना है, प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के बकाया बिजली के बिलों में सौ प्रतिशत ब्याज मुक्ति दिये जाने के सम्बन्ध में है, मैं इस पर भी सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं। श्री अमर पाल शर्मा की सूचना हो गयी। श्री सुदेश शर्मा की सूचना विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर जनपद गाजियाबाद स्थित मोदी कपड़ा मिल एवं विविंग मिल्स लि0 कम्पनी द्वारा उसी परिसर में केदारनाथ मोदी इन्जीनियरिंग इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी, बी फार्मा व अन्य प्रशिक्षण संस्थान अवैध रूप से चलाकर अनियमितता किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सुदेश शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, इसमें मुझे एक मिनट सुन लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

शर्मा जी बैठिये, मैं आपकी सूचना पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं। श्री संगीत सिंह सोम का, विधान सभा क्षेत्र सरधना जनपद मेरठ में मात्र 2 घण्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने से बोर्ड की परीक्षाओं में परीक्षार्थियों की पढ़ाई बाधित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध है, इस पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं। श्री बंशी सिंह पहाड़िया का डा0 बी0आर0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के अंतर्गत महाविद्यालयों को स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम संचालित करने के लिये स्थाई सम्बद्धता न प्रदान किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इस पर भी मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

मान्यवर, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है एक मिनट का समय दे दें।

श्री अध्यक्ष-

बैठिये, पहाड़िया जी आपकी सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया गया है।

श्री सुदेश शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत ही महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष-

शर्मा जी, मैंने आपको समझा दिया कि आपकी सूचना पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करा दिया गया है। उस पर आपको लिखकर जायेगा। माननीय राजस्व मंत्री जी, बजट प्रस्तुत करें।

श्री संजय कपूर-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरी भी नियम-56 में सूचना थी।

श्री अध्यक्ष-

संजय कपूर जी बैठ जाईये, यह जरूरी नहीं कि पच्चीस सूचनायें नियम-56 में ली जांय। पहाड़िया जी बैठिये, बोलना नहीं है।

[12.42] वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या-50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन), अनुदान संख्या-51-राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत), अनुदान संख्या-52, राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)

*राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-50-राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 8,46,19,40,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-51-राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 4,97,37,13,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-52-राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 22,96,21,19,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, प्राचीनकाल से ही जब से मानव सभ्यता कृषि युग में जब से इसका प्रवेश हुआ तब से भूमि से जो सम्बन्ध है मान्यवर मनुष्य का उसके नाते राजस्व विभाग उसके जीवन में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मान्यवर, प्राचीनकाल से हर शासन व्यवस्था का यह मेरूदंड रहा है। कृषि योग्य भूमियों की पैमाइश, उनका बन्दोबस्त करते हुए भू राजस्व निर्धारण, भू-राजस्व वसूल करने की प्रक्रिया, सर्वेक्षण एवं क्षेत्र मापन के मानकों का निर्धारण राजस्व प्रशासन के यह महत्वपूर्ण पक्ष हैं। अब से लगभग 250 वर्ष पूर्व तक मान्यवर तकनीकी दृष्टिकोण से भूमि निजी सम्पत्ति नहीं मानी जाती थी और सबसे पहले ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो शेरशाह सूरी ने सोलहवीं सदी के पांचवें दशक में इस विभाग को संगठित करने का सुगठित करने का काम किया और उसके बाद बादशाह अकबर के नौ रत्नों में से एक राजा टोडरमल ने मान्यवर बहुत व्यापक तरीके से इसको व्यवहारिक रूप देने का काम किया। और तकनीकी तौर पर इसमें राजा टोडरमल ने जो योगदान किया मान्यवर उनके योगदान को आने वाले हजार साल में भी भुलाया नहीं जा सकता है क्योंकि उन्होंने उसको एक ऐसा स्वरूप दिया जो बाद में आधार भी बना। इस विभाग की बाकी गतिविधियों को चलाने का आधार बना श्रीमन्। इसके बाद मान्यवर, मुगलकाल के बाद जब अंग्रेज आये, ब्रिट्रिश काल में उनकी दृष्टि बिल्कुल दूसरी थी उन्होंने उस व्यवस्था को किसानों के हित के आधार पर न रखते हुए इजारेदारी की ऐसी प्रथा लागू की जिस इजारेदारी की प्रथा में उनका इससे कोई लेना-देना नहीं था कि किसान अंततः इस भूमि से खेती करके उनकी लगान दे पाने की स्थिति में होगा या नहीं होगा। पूरी तरह से किसानों की कमर तोड़ने वाली इजारेदारी व्यवस्था थी। इसका मान्यवर, इतना विरोध हुआ जिसके चलते अंग्रेजों ने इस व्यवस्था को वापस लिया। 1772 में मान्यवर, जो प्रथा वारेन हेस्टिंग्स ने शुरू किया था इजारेदारी की मान्यवर, बंगाल में अकाल के बाद स्वंय अंग्रेज सरकार इससे हिल गई और इजारेदारी प्रथा को वापस लेकर ताल्लुकेदार और जमींदार बनाये गये। जमींदारी व्यवस्था उसके बाद ही लागू की गई लार्ड कार्नवालिस द्वारा 1790 में जमींदारी प्रथा शुरू की गई और 1793 में इसको लागू कर दिया गया। जमींदारों को जितने अधिकार दिये गये श्रीमन् उससे अत्यधिक भूमि उनके पास एकत्रित हो गई और इस अत्यधिक भूमि के एकत्रित हो जाने का जो दुष्प्रभाव पड़ा वह सबसे बड़ा यह पड़ा कि जो खेती कर सकते थे, जो जोतने बोने वाले किसान थे उनके पास जमीन नहीं थी और जमींदार के पास बेतहाश जमीन इकट्ठा हो गई। कृषि पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अन्य जो जमींदारी प्रथा के कारण थे उसमें एक बड़ा कारण यह भी था कि बहुत सारी जमीन ऐसी थी जिस पर खेती नहीं हो पाती थी और कृषि पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। मान्यवर गर्वन्मेंट आफ इण्डिया ऐक्ट 1935 में जो ऐक्ट बना, उसके तहत इस जमींदारी प्रथा की खामियों को खत्म करने के लिए मान्यवर, उत्तर प्रदेश काश्तकारी अधिनियम 1939 लागू किया गया। मैं पांच मिनट में इतिहास रख दूंगा फिर

वर्तमान में हम आ जाएंगे। तो मान्यवर उत्तर प्रदेश काश्तकारी अधिनियम 1939 लागू किया इसमें विभिन्न प्रकार के काश्तकारों की श्रेणियां भी निर्धारित की गईं उसमें अनेक प्रकार की श्रेणियां थीं, 16 प्रकार की श्रेणियां थीं। भिन्न-भिन्न जगह की, भिन्न-भिन्न प्रकार की श्रेणियां थीं। जमींदारी प्रथा की खामियों को खत्म करने के लिए जो जमींदारी काश्तकारी अधिनियम, 1939 बना यह व्यवहारिक तौर पर उन कठिनाइयों का हल नहीं कर पाया। इसलिए 1946 में देश के आजाद होने के पूर्व एक यू0पी0 जमींदारी उन्मूलन समिति का गठन हुआ 1946 में, उसी ऐक्ट के तहत जिसकी रिपोर्ट 1948 में आई, और 1948 में जो रिपोर्ट आई उसी के आधार पर उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम, 1950 पारित हुआ। मान्यवर, 1 जुलाई, 1952 से मान्यवर, यह लागू हुआ, यह स्थिति थी और उसके लागू होने के बाद तीन श्रेणियां काश्तकारों की रह गईं भूमिधर, सीरदार और आसामी तीन श्रेणियों में विभक्त किया गया और उसके बाद से यही व्यवस्था चली आ रही है। मान्यवर विभिन्न स्तरों पर जमींदारी विनाश अधिनियम उत्तर प्रदेश जो था इसकी सराहना सारे देश में हुई और जमींदारी उन्मूलन किया जाएगा स्वतंत्रता आन्दोलन का यह मुख्य नारा था और स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान जहां अन्य बातों का जिक्र किया गया वहीं यह भी कहा गया कि हम जब आजादी हासिल कर लेंगे तो क्या करेंगे। उसमें मुख्य बात यह कही गई कि देश आजाद होगा तो हम जमींदारी का विनाश करेंगे अनेक प्रदेशों ने इसको किया। लेकिन उत्तर प्रदेश में जितने प्रभावशाली ढंग से जमींदारी विनाश अधिनियम उ0 प्र0 में जितने कारगर ढंग से लागू किया गया, उतने प्रभावशाली ढंग से किसी देश में किसी दूसरे प्रदेश में लागू नहीं किया गया। हम दावे के साथ बहुत प्रसन्नता के साथ कहना चाहते हैं कि हमारे पुरखों ने जो काम किया 1948 में फिर 1950 में ऐक्ट बना करके उ0प्र0 जमींदारी विनाश अधिनियम को इतना प्रभावशाली इतना शानदार अधिनियम बनाया, उससे ज्यादा प्रभावशाली ढंग से लागू हुआ।

मान्यवर, यह बात विशेष उल्लेख के रूप में करना चाहता हूं कि राजस्व मंत्री के रूप में चौधरी चरण सिंह जी जो किसानों के ऐसे नेता थे कि चौधरी चरण सिंह के मुकाबले किसानों का नेता देश में कोई दूसरा नहीं हुआ। उन्होंने किसानों के हित में इस अधिनियम को पारित करवाया और उसके प्राविधानों को आगे लागू कराने का काम किया। यह व्यवस्था चलती रही आगे संशोधन होते रहें इतने संशोधन हुए कि मूल प्राविधान क्या है उ0प्र0 जमींदारी विनाश उन्मूलन का और संशोधन क्या है इसको ढूढंना कठिन हो गया। मान्यवर, रेवेन्यू कोर्ट बिल के तौर पर चालीस साल पहले, बल्कि बयालिस साल पहले इस सदन में चर्चा हुई चौधरी चरण सिंह के जमाने में चर्चा आई और उन्होंने इसको महसूस किया कि राजस्व से रिलेटेड जो बहुत सारे कानून हैं इनका एकीकरण होना चाहिए और एक ड्राफ्ट बिल आया विभिन्न कारणों से वह पारित नहीं हो सका और मान्यवर, मुझे अत्यन्त प्रसन्नता है कि इसी सदन में मा0 नेता जी मा0 मुलायम सिंह यादव जी के मुख्य मंत्री रहते हुए मुझे राजस्व मंत्री के रूप में, रेवेन्यू कोर्ट बिल को, पारण के लिए इस सदन में लाने का अवसर मिला। धन्यवाद देना चाहता हूं मा0 हुकुम सिंह जी को, प्रत्यक्ष देखता रहा हूं। मा0 हुकुम जी उसमें शामिल थे सहयोग के लिए, लक्ष्मीकांत बाजपेयी जी भी थे जगदीश नारायण राय इस सदन में नहीं हैं पूर्व विधायक हो गए विपक्ष के सारे लोगों को आमंत्रित किया। कदाचित यह पहला प्रयास था कि शासन के मंत्री की ओर से विपक्ष को आमंत्रित किया जाए कि आप एक्ट लाने के पहले अपनी राय दीजिए और वह एक्ट हम लेकर आए और इस सदन में पारित हुआ, विधान परिषद् से पारित हुआ, मान्यवर, और फिर सरकार

चली गई। मान्यवर, महामहिम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए पिछली सरकार में ही वह चला गया था। इसके कुछ प्रावधान ऐसे थे जिसमें ट्रान्सफर ऑफ प्रापर्टीज एक्ट और थोड़े से सेन्ट्रल एक्ट के प्रावधान प्रभावित होते हैं या नहीं, इन कारणों से उसको महामहिम राष्ट्रपति के यहां भेजा जाना था। मान्यवर, मैं आक्षेप न करूं, अच्छा नहीं लगता है, 5 साल तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने महामहिम राष्ट्रपति द्वारा की गई एक भी क्वैरी का उत्तर तक नहीं दिया। हमें फिर भी प्रसन्नता है, जब यह सरकार आयी तो हमने उनकी पृच्छा का, उनकी आशंकाओं का उत्तर दिया और मान्यवर, सहर्ष महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा राजस्व संहिता विधेयक, 2006 पर 29-11-2012 को अनुमति प्रदान की गई, राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि हम अपनी सहमति देते हैं, यह एक्ट सही है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, जब यह सहमति महामहिम राष्ट्रपति जी की मिल गयी, उसका नोटीफिकेशन करके प्रयोग में कब लायेंगे ?

श्री अम्बिका चौधरी-

वही मान्यवर, बता रहा हूं। अब उसके साथ चूंकि तुरन्त और तत्काल आवश्यकता थी, उसकी नियमावली को संशोधित करने की और चूंकि 39 एक्ट हमने रिपील किया, जिसमें 7 उत्तरांचल में प्रभावी थे और 32 का प्रभाव उत्तर प्रदेश में था तो 39 एक्ट को रिपील करके एक कानून हम ले आए हैं। आपको अवगत कराना चाहता हूं इस बात का उल्लेख जब अभी जयराम रमेश जी ने देश भर के राजस्व मंत्रियों को बुलाया और उसमें अन्य प्रदेशों के लोगों ने अपनी बातों को रखना शुरू किया कि हमारे पास इतने कानून हैं, यह हैं और जब मैंने उनसे इस बात का उल्लेख किया कि हमने 39 एक्ट रिपील करके एक एक्ट बनाया है तो उसकी उन्होंने न सिर्फ वहां सराहना की बल्कि देश के दूसरे प्रदेशों में जाकर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से उदाहरण लेने की आवश्यकता है, जहां कानून के झंझावात से, जहां कानून के मकड़जाल से निकाल कर सरल कानून बनाने का काम किया जा सकता है, जो जनता के हित में हो सकता है, जाकर आप लोग उत्तर प्रदेश से सीखें, जो बात उन्होंने कानक्लेव में भी कही, दिल्ली में कही और कई जगहों पर कही। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन यह कर रहा था कि उसकी नियमावली बन गयी है लेकिन उसका परीक्षण जैसे विधायी से, न्याय से और अन्य जगहों से है, उस प्रक्रिया में है, ज्योंही हमारी यह नियमावली बन जाती है, इसको तत्काल प्रभावी कर देंगे, आपके आशीर्वाद से जितना शीघ्र हो सकेगा, इसको प्रभावी करेंगे। इसकी जो विशेषताएं हैं, उनको संक्षेप में मैं उल्लेख करना चाहता हूं। बजट में हमने क्या दे दिया, क्या प्रावधान किया, यह सब लेटरेचर में है लेकिन मैं इसका उल्लेख करना चाहता हूं जो सबसे महत्वपूर्ण बात है। मान्यवर, इसके लागू होने से सबसे बड़ी बात तो यह है कि जितने अलग-अलग कानून थे, वह सब समाप्त हो करके एक सरल कानून हो जायेगा, जिससे वकीलों को भी सुविधा हो जायेगी और वादकारियों को भी सुविधा हो जायेगी। अभी बड़ी कठिनाई है, एक मुकदमा जमींदारी उन्मूलन एक्ट में चलता रहता है, दूसरा कहीं दूसरी जगह चलने लगता है, एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तक 20-22 साल में पहुंचता है तो उसके बाद जब फैसला होता है फिर 229 बी में ले करके जेडएलआर एक्ट में दावा दाखिल हो जाता है, फिर चलने लगता है, तीसरी पीढ़ी लड़ती है, फिर पांचवी पीढ़ी लड़ती है। मान्यवर, यह दोहरी व्यवस्था इससे समाप्त हो जायेगी और श्रीमन्, जो बड़ा दबाव है, न्यायालयों में मुकदमों के लम्बित रहने का, इससे

सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि उस किसान के वाद बहुत लम्बे समय तक लम्बित नहीं रह पायेंगे, इस दिशा में एक क्रान्तिकारी कदम था और महामहिम राष्ट्रपति को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने कृपापूर्वक इस पर अपनी सहमति देने का काम किया। मान्यवर, इसमें एक और बात बड़ी स्पष्ट की गई है कि सिविल कोर्ट और रेवेन्यू कोर्ट के जूरिस्डिक्शन में ले करके यद्यपि लिखा गया है, लेकिन कई बार भ्रम की स्थिति हो जाती है तो इसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है, इसलिए अब वादकारी को कुछ दिन यहां झूलना और कुछ दिन वहां झूलना नहीं पड़ेगा। श्रीमन्, हमने दाखिल-खारिज के मामले में एक विशेष बात उठायी है। दाखिल-खारिज के मुकदमों का भी अन्तिम निस्तारण बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में होता था। मान्यवर, कलेक्टर तक सीमित कर दिया गया है, अब उसे कमिश्नर, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ले जाने की आवश्यकता नहीं है। हमने कलेक्टर तक को फाइनल आर्डर के लिए रखा है। मान्यवर, जो किसान बहियां थीं, उनकी वैधानिक मान्यता नहीं थी। दे तो दी जाती थीं, दिखा सकते थे लेकिन वैधानिक मान्यता उसकी नहीं थी। इस ऐक्ट के माध्यम से हमने उसको वैधानिक मान्यता भी देने का काम किया है। मान्यवर, आज एक और ऐतिहासिक क्रांतिकारी कदम हुआ है। जब से यह सरकार बनी तब से निरंतर इस प्रयास में थे। पिछली बार जब सरकार थी तो खतौनियों के कम्प्यूटराइजेशन का काम 14 वर्षों से चल रहा था मुझे लोगों ने कहा कि अभी 14 वर्ष और लगेगा। इसे मैंने अपने लिए चुनौती माना और कहा कि अगर एक वर्ष में इसको नहीं कर सकेंगे तो मंत्रि-परिषद् में इस पद पर रहने का कोई औचित्य नहीं है और मान्यवर, आपके आशीर्वाद से इसको 10 महीने के अंदर कम्प्यूटराइज करने में सक्षम हो सके। यह ऐतिहासिक कदम है। खतौनियों के कम्प्यूटराइजेशन से लेखपाल का जो एकाधिकार था कि उससे एक इंतखाब लेने के लिए महीनों उसके पीछे दौड़ते रहिये। वह एक क्रांतिकारी कदम था और आज उसको आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी की प्रेरणा से आज यह राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली को आज माननीय मुख्य मंत्री जी ने लागू किया। हम 10 महीने से इस प्रयास में थे। प्रदेश के 18 मण्डल और 25 जिलों में तो यह आज से लागू हो गया और शेष जनपदों में मैं अपनी ओर से इसकी तिथि 30 अप्रैल रखता हूं लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि यह 10 या 8 अप्रैल तक शत-प्रतिशत पूरे प्रदेश में सारी कोर्ट कम्प्यूटराइज हो जायेंगी। इससे फर्क क्या पड़ेगा यह महत्वपूर्ण बात है। तमाम शिकायतें ऐसी आती थीं कि कुछ जगहों पर मुकदमों में बार-बार लम्बी तारीखें दी जाती थीं। किन्हीं मुकदमों में 20 साल खाली तारीख पर चल रहा है। कोई कुछ करने की स्थिति में नहीं। उसका कोई आंकड़ा आपके पास नहीं है। यह व्यवस्था है कि हम यह तय कर सकेंगे कि एक ही मुकदमें में बार-बार इतनी लम्बी तारीख क्यों पड़ रही है। बार-बार वह साठवें नम्बर पर क्यों आता है। इस बार अगर वह 60वें नम्बर पर था और उस दिन ऊपर के 40 मुकदमें लिये गये तो अगली बार उसको बीसवें नम्बर पर आना चाहिए। हर बार वही 65वें नम्बर पर क्यों रहेगा। इस पारदर्शिता से जो सबसे बड़ी बात होगी कि उस तरह के भ्रष्टाचार पर अंकुश लग जाएगा। मान्यवर, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते और कचहरी का थोड़ा अनुभव होने के नाते एक और विक्रति का मुझे अनुभव है। कई बार छोटे न्यायालयों में यह होता था कि तारीख पड़ी बिना पढ़ा लिखा किसान है उसको लोगों ने समझा दिया वह चला आया कि तुम्हारी तारीख बाद में पड़ेगी, जनरल डेट पड़ेगी। तीन-चार महीने बीत गया, किसी दिन कोई देखने गया कि तुम्हारे में हुआ क्या तो पता चला कि आपके मुकदमें का तो चार महीना पहले फैसला हो गया था 90 दिन की मियाद थी वह

डूब गयी अब आप उसकी अपील भी नहीं कर सकते। इस पर कैसे अंकुश लग सके इसलिए इस पारदर्शी व्यवस्था से यह होगा कि प्रत्येक तारीख को आपको कचहरी जाकर पेशकार से यह पूछने की आवश्यकता नहीं है, आप नेट खोलिये अपने इंटरनेट पर आप अपने आप यह देख लीजिए कि आपके मुकदमें में कौन सी तारीख पड़ी है और क्या आदेश हुआ है। एक बात और मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं। माननीय उच्च न्यायालय से हम तुलना नहीं करना चाहते। लेकिन पुरानी चीजों से आदमी सीखता है उसमें सुधार करता है। मा0 उच्च न्यायालय के आर्डर भी नेट पर देखे जा सकते हैं लेकिन वह जो आर्डर हैं उस पर मा0 जज साहब के दस्तखत नहीं होते। कई बार ऐसा होता है कि जो नेट पर हम आर्डर देखते हैं जब वह सिग्नेचर के लिए जज साहब के पास जाता है तो उसको वह बदल देते हैं और आपको सूचना दूसरी है और वास्तव में जब आप सर्टिफाईड कापी लेने जाते हैं तो आपको दूसरी कापी मिलती है। यह कोई घपला नहीं है लेकिन किन्हीं मामलों में ऐसा होता है। हमने दूसरी व्यवस्था लागू की है कि अब कोर्ट जो फैसला करेगी, न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर से फैसला जारी होगा उनके दस्तखत को स्कैन करके इस पर डालेंगे ताकि उस फैसले को अदलने-बदलने की कोई गुंजाइश न रह जाये। भ्रष्टाचार का समूल नाश हो जाये इस बात का प्रयास है। इन चीजों को करने के पीछे मंशा यही है और मुझे याद है कि यहीं सदन में बात कही गयी थी कि एक-एक व्यक्ति पर निगरानी करना संभव नहीं है। लेकिन जब आप सिस्टम में इस बात की गुन्जाइश नहीं रखेंगे, जहां से कोई चीज लीकेज हो, जहां से वेलफ्रेज हो, तब जाकर इस भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सकता है, इसलिए इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए मान्यवर, हमने यह काम किया है। इसमें मान्यवर, दाखिल खारिज के मुकदमें, जमीन के मालिकानाहक के मुकदमें, गांव सभा की जमीन को सुरक्षित करने, अवैध कब्जेदारी से बेदखली, मेड़बन्दी, पैमाइश, बंटवारा का वाद, भूमि नीलामी से सम्बन्धित मामला और इनसे सम्बन्धित अपीलें, रिवीजन, रिव्यु इन सारी चीजों का मान्यवर है, बाकी मैंने यह आपके पास छोटा सा ब्रासर भेज दिया है, आप इसको देख लेंगे, इस पर विस्तार से अलग चर्चा करके सदन का समय नहीं लेना चाहता, लेकिन यह क्रान्तिकारी कदम है और यह सिर्फ सम्भव था, समाजवादी पार्टी की सरकार में मा0 अखिलेश यादव जैसा मुख्य मंत्री है, उसके नेतृत्व में हो तभी यह सम्भव था, इतना क्रान्तिकारी कदम।

मैं आज बधाई देना चाहता हूं मा0 मुख्य मंत्री जी को और सरकार के उन तमाम वरिष्ठ मंत्रियों को जिनके सहयोग से आज हम समर्थ हो सके हैं। इतने जटिल और इतने बड़े विभाग का उसकी सारी पोस्ट का कम्प्यूटराइजेशन करने में, नायब तहसीलदार से ले करके राजस्व परिषद् के अध्यक्ष तक फुल्ली कम्प्यूटराइज करने का काम हमने किया है, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। श्रीमन् इसके साथ दो-तीन बातें और संक्षेप मे रख देना चाहता हूं, एक तो यह जिस प्रकार की गतिविधियां हैं राजस्व विभाग की वह सब पूरा सदन जानता है, मैं इसका उल्लेख नहीं करना चाहता, कोई खास बात आयेगी तो मैं अपने उत्तर भाषण में उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा, लेकिन एक और उल्लेख करना चाहता हूं, कृषक दुर्घटना बीमा, देश में सबसे पहली बार किसानों के नेता धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने उत्तर प्रदेश में देश में सबसे पहले लागू किया था अपनी पिछली सरकार में और एक किसान के बिलखते परिवार को मान्यवर, जिसकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती थी एक लाख रुपया देने का फैसला किया था, कृषक दुर्घटना बीमा के माध्यम से। मैं बधाई देना

चाहता हूं अपने मुखिया अखिलेश यादव जी को घोषणा-पत्र में अपने किये गये वायदे के अनुसार एक लाख किसान दुर्घटना बीमा की राशि को बढ़ाकर पांच लाख करने का काम किया और मान्यवर, उसके लिए राशि जारी करने का काम किया, इस बजट में भी 375 करोड़ रुपये का प्राविधान उसके लिए कर दिया है और मान्यवर, लगातार योजना जारी है, तो उस राशि को मान्यवर, जो पांच लाख करने का काम किया, इसका जरूर मैं उल्लेख करना चाहूंगा और सदन की जानकारी के लिए और सबके सहयोग के लिए बारबार मैंने पहले भी कहा है आज फिर अनुरोध करना चाहता हूं, आप सब अपने-अपने क्षेत्रों में आम आदमी बीमा योजना की प्रगति पर निश्चित रूप से स्वयं आप दिलचस्पी लें, क्योंकि यह उन लोगों के लिए लागू है, जो भूमिहीन लोग हैं। कृषक बीमा दुर्घटना बीमा के लिए खतौनी में नाम दर्ज होना जरूरी है, लेकिन जो भूमिहीन लोग हैं, उनके लिए आम आदमी बीमा योजना है और आम आदमी योजना किसी भी भूमिहीन व्यक्ति के लिए है, उसके लिए गरीबी रेखा होना भी जरूरी नहीं है, भूमिहीन है, गांव में रहता है तो गांव में रहने वाले भूमिहीन को मान्यवर, आम आदमी बीमा योजना में सिर्फ यह है कि उसके लिए एक फार्म भरना होगा और उसके लिए आप दिलचस्पी लें, तहसीलों में फार्म है, मुफ्त हैं, उनको भरवा दीजिए, तो उससे उस बीमित व्यक्ति को 75 हजार रुपया मान्यवर, दुर्घटना की स्थिति में या सम्पूर्ण अपंगता की स्थिति में मिलेंगे। दूसरी बात मान्यवर, उसका एक और लाभ है, अगर दुर्घटना नहीं होती है, सामान्य मृत्यु हो जाती है, बीमारी से मृत्यु हो जाती है, तो भी 18 वर्ष से 59 वर्ष की आयु में अगर मृत्यु हो जायेगी तो उसको भी मान्यवर, उसकी आधी रकम मिल जायेगी, यानी साढ़े चौंतीस हजार फिर भी उसको मिल जायेगी, यह महत्वपूर्ण बात है, दुर्घटना होना आवश्यक नहीं है और अपंगता होने की स्थिति में भी मान्यवर, उनको यह राशि मिल जायेगी और एक और उसका लाभ है मान्यवर, उस परिवार के दो बच्चों को बारहवीं कक्षा तक पढ़ने के लिए सौ रुपया स्कालरशिप के तौर पर उनको मिलेगा, जब तक वह पढ़ते रहेंगे। तो यह सुविधा है और इसमें कोई शुल्क नहीं लगना है, पक्ष-विपक्ष का कोई भेद नहीं, आप अपने-अपने यहां दिलचस्पी ले करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस योजना में शामिल करवाइये, यह अपनी दिलचस्पी लेने पर ही हो सकता है, इसलिए मैंने कहा, सरकार ने अपनी ओर से योजना रखी है, लेकिन इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके, इसके लिए आप सब लोगों को इसमें दिलचस्पी लेनी चाहिए।

*श्री जियाउद्दीन रिजवी-

मान्यवर, मैं इसमें एक स्पष्टीकरण चाहता हूं, आम आदमी बीमा योजना का जो आपने जिक्र किया है, इसमें पोस्टमार्टम जरूरी है कि नहीं है, यह बता दें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मैंने बता दिया कि अगर सामान्य मृत्यु होगी तो इसमें पोस्टमार्टम की जरूरत ही नहीं है और अगर दुर्घटना से मृत्यु होगी तो पोस्टमार्टम होगा ही होगा। दुर्घटना में पोस्टमार्टम और सामान्य मृत्यु में पोस्टमार्टम की आवश्यकता नहीं है। मान्यवर, एक और बड़ी विचित्र स्थिति थी कि अभी एक विशेष वर्ग को ही सिर्फ प्रोन्नति मिल सके। इस क्रम में सरकार के सारे विभागों को बिल्कुल इस तरह से कर दिया गया था कि सब लोग हतोत्साहित थे। जिनको प्रोन्नति मिलनी चाहिये उनको प्रोन्नति नहीं। जिन

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पदों पर अधिकारियों की आवश्यकता है उन पर अधिकारी नहीं। मात्र इन कारणों से कि बाकी लोगों को प्रोन्नति न दी जाये सिर्फ एक वर्ग को प्रोन्नति देनी है। मान्यवर, मैं पुनः बधाई देना चाहता हूं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को कि पार्लियामेण्ट में इसको मजबूती से उठा करके मा0 नेता जी ने और प्रो0 राम गोपाल जी ने और मा0 मुख्य मंत्री जी ने अपने यहां उसमें संशोधन ला करके, 8-क के प्राविधानों में संशोधन ले आ करके प्रोन्नति का मार्ग खोल दिया। इस प्रोन्नति का मार्ग खोलने के कारण नायब तहसीलदार से तहसीलदार, तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर, लेखपाल से कानून-गो पर, इन सारे पदों पर जितने लोगों की प्रोन्नति हो सकती थी, उन सभी लोगों को प्रोन्नति देने का काम किया। अभी राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार पर जितने पदों की आवश्यकता है उस पर कम लोग हैं। मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि नायब तहसीलदारों की संख्या कम है, उसकी जटिलता का भी समाधान हो गया है और मैं आशा करता हूं कि उस जटिलता का समाधान इसी एक सप्ताह में, 10 दिन में, 10 दिन नहीं लगेगा, एक सप्ताह या इसके आस-पास हो जायेगा और फिर नायब तहसीलदार के पदों पर भी कोई कमी नहीं रह जायेगी। उन रिक्तियों को भी भरने में भी हम समर्थ हो जायेंगे। बाकी पदों पर जो रिक्तियां थीं कि कानून-गो 8, 9 साल से थे ही नहीं। सबका अनुभव है अपने-अपने क्षेत्रों में इसलिये उनके पदों को भरने का काम हमने किया। नायब तहसीलदार की कमी है और उस कमी को जो टेक्निकल कारण थे उनको हल करके जल्दी से जल्दी उस पद पर उनको प्रमोशन दे करके हम ये करना चाहते हैं। श्रीमन्, इसी के साथ एक बात अन्त में और बताना चाहूंगा कि कामन सर्विस सेण्टर का उद्घाटन हुआ। लोकवाणी और कॉमन सर्विस सेण्टर के माध्यम से एक क्रान्तिकारी योजना का सूत्रपात किया मा0 मुख्य मंत्री जी ने। तमाम तरह के प्रमाण-पत्र, तमाम तरह की सेवाओं को इससे जोड़ा उन्होंने, राशन कार्ड से ले करके अभी कल उल्लेख हुआ और अन्य तरह के प्रमाण-पत्र। लेकिन मान्यवर, उसमें 98 परसेण्ट से ज्यादा हिस्सेदारी ऐसी है जिसमें आय प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, कम्प्यूटराइज्ड खतौनी। इन चार सेवाओं के माध्यम से मान्यवर, 98 फीसदी से ज्यादा की हिस्सेदारी राजस्व विभाग ने उस कॉमन सर्विस सेण्टर के माध्यम से सेवा में रखी है। मैं अपने महकमे के उन लोगों को धन्यवाद देता हूं जिन लोगों ने इस योजना को चलाने के लिये इसको किया। श्रीमन्, राजस्व अभिलेखागारों का आधुनिकीकरण, नक्शों का डिजिटाइजेशन ये सारे कार्य प्रगति पर हैं। मैंने पुनः कहा कि जैसी आवश्यकता होगी, मैं अपने उत्तर भाषण में इनका उल्लेख करूंगा। सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता।

मान्यवर, इसके साथ ही जो चकबन्दी और राहत संगठन। ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। चकबन्दी की विशेष चर्चा नहीं करूंगा। चकबन्दी के बारे में हमारी एक राय है कि उसके स्वरूप में परिवर्तन किया जाये। पहले चरण के बाद दूसरा चरण, दूसरे चरण के बाद तीसरा चरण इसकी अनिवार्यता समाप्त की क्योंकि चकबन्दी की जो स्थिति है अन्य प्रदेशों में जैसे पंजाब में हुआ, हरियाणा में हुआ, अन्य जगहों पर हुआ कि एक बार चकबन्दी हो गयी और एक बार चकबन्दी करने के बाद उसका स्वरूप ऐसा बन गया कि बार-बार उसकी चकबन्दी करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने स्थाई मेड़ बना ली है। नक्शे पर बिल्कुल पक्के तौर से रखा है तो उस पर अभी विचार चल रहा है। अभी अन्तिम तौर पर उस पर कोई निर्णय नहीं है इसलिये उससे अवगत कराना अभी सम्भव नहीं है किन्तु मैं यह आपको जरूर बताना चाहता हूं कि इसको और प्रभावशाली ढंग से जहां आवश्यकता है वहां हो,

जहां आवश्यकता नहीं है वहां नहीं हो। शोषण से लोगों को मुक्ति और निजात मिल सके। इन सारी गड़बड़ियों को मान्यवर दूर किया जा सके। इस दृष्टिकोण से उस पर हम काफी प्रयासरत हैं और मान्यवर, इस दिशा में हमने काफी किया है और वहां जो प्रमोशन होने थे, उन सभी पदों पर एक को छोड़कर। एक को छोड़कर बाकी सभी पदों पर प्रमोशन की कार्यवाही लेखपाल से कानून-गो, कानून-गो से ए0सी0ओ0, ए0सी0ओ0 से सी0ओ0 न्यायालयिक विवाद के कारण नहीं हो रहा है लेकिन फिर सी0ओ0 से एस0ओ0सी0 या ऊपर डी0डी0सी0 से ज्वाइण्ट डायरेक्टर इन पदों पर भी मान्यवर, प्रोन्नति की जानी थीं। उन सभी प्रोन्नतियों को करने का काम मान्यवर वहां हो गया है और हम उसकी नियमावली में अन्य परिवर्तन करना चाहते हैं। इसके प्रयास में हैं। एक विशेष बात मैं मान्यवर, राहत के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि आपदा राहत के मामले में भी कितनी शिथिलता हो सकती है, इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, मौर्या जी इसकी कल्पना नहीं हो सकती। मान्यवर, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध अधिनियम में, देश में सबसे पहले हमने बनाया था पिछली सरकार में, मा0 नेता जी मुख्य मंत्री थे, 2005 में सेन्ट्रल गवर्नमेंट से जो ड्राफ्ट आया, अभी पार्लियामेंट में उन्होंने नहीं पारित किया लेकिन उनके पार्लियामेंट में पारित करने के पहले उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य नहीं, प्रथम राज्य था देश का, जिसने मान्यवर, इस अधिनियम को पारित करने का काम किया। पहला स्टेप और उसके बाद मान्यवर, जो उसका प्राधिकरण बना, उसके एक प्राधिकरण का गठन 2006 में हुआ, मा0 नेता जी के कार्यकाल में और मान्यवर, बहुजन समाज पार्टी की इस सरकार ने आपदा राहत के मामले में भी इतनी त्वरित गति दिखायी। आपदा में सबसे पहली जरूरत तेजी है, अगर आपदा में तुरंत दिया तो राहत है और देर से दिए तो गाली है, ऐसा मेरा मानना है और आपदा राहत में भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने इतना बड़ा कमाल किया कि 5 साल की सरकार उनकी आई और चली गई। प्राधिकरण की एक भी बैठक 5 साल में करने का काम नहीं किया। 2006 के बाद मा0 नेता प्रतिपक्ष 26 नवम्बर, 2012 को प्राधिकरण की बैठक हुई, जिसमें अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, तो प्राधिकरण तक की जो अथॉरिटी बनी मान्यवर, जो मा0 मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में होती है, 5 साल के बहुजन समाज पार्टी की सरकार में एक बैठक के लिए, आपदा राहत के लिए इस प्रदेश के, मा0 मुख्य मंत्री को फुर्सत नहीं मिली और सरकार के मा0 मंत्रीगण जिस कार्य में भी व्यस्त रहे हों, थोड़े दिन के लिए मा0 मौर्या जी भी राजस्व मंत्री थे, पता नहीं उन्होंने जो भी किया हो लेकिन आपदा प्राधिकरण की भी बैठक नहीं हो सकी, यह मैं उल्लेख करके कहना चाहता हूं और वर्ष 2006 के बाद पहली बार 2012 में मान्यवर, 26 नवम्बर को इस प्राधिकरण की बैठक हुई। मान्यवर, इस बार हमने सिर्फ बैठक करने का काम नहीं किया और इतनी तेजी से इस विषय पर काम किया श्रीमन् कि हम अपना राज्य आपदा प्रबंध नीति भी बना रहे हैं, जो बिल्कुल फाइनल्टी की स्टेज पर है, जल्द ही मान्यवर, हम उसकी घोषणा करेंगे, ले करके आ रहे हैं और कार्यक्रम को क्रियाशील किया और जनप्रतिनिधियों को अधिकारियों को, निचले स्तर पर पंचायत के जनप्रतिनिधियों को, जिले स्तर के अधिकारियों को सी0डी0ओ0, डी0 एम्स, ए0 डीएम्स उनके कई वर्कशाप किए, उनको ट्रेण्ड करने का काम किया, कि निचले स्तर पर वे ले जाएं और इस दिशा में काम करने वाले जो तमाम गैर सरकारी संगठन हैं, एन0जी0ओ0 हैं, उनको भी मान्यवर, हमने ट्रेण्ड करने का काम किया और इसके माध्यम से श्रीमन्, इसमें तेजी ले आने का काम किया, कितना बजट दिया, यह बोलने की बात है, बजट हम उनके लिए देते रहे हैं और 9 हजार

सर्वाधिक आपदा संवेदनशील ग्राम पंचायतों में कम्युनिटी ट्रेनिंग का काम, कि लोवर लेबिल पर ले जाएं, ऐसा नहीं कि वह समझे कि बहुत मदद का औजार ले आए और भाग चले गए कि पता नहीं क्या खतरनाक ले गए। इसलिए उनकी ट्रेनिंग करने का काम 9000 गांवों में किया और उसके लिए योजना बना रहे हैं, उनको उपकरण देने की और अन्य चीजों की। पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप में लखीमपुर खीरी और गाजियाबाद के स्कूलों में मान्यवर, स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम लागू करके और सभी स्कूलों में जनपद के, स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम लागू करके बच्चों को ट्रेण्ड कर रहे हैं। स्काउट्स गाइड, एन0सी0सी0, एन0एस0एस0 इन संस्थाओं के माध्यम से भी मान्यवर, भरपूर ट्रेनिंग देने का काम उनके लिए हम कर रहे हैं।

मान्यवर, प्रदेश के समस्त जिलों में गठित जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण में एक परियोजना अधिकारी और एक अन्य स्टाफ हम अलग से दे रहे हैं, क्योंकि कलेक्ट्रेट में राहत बाबू से काम नहीं चलेगा। प्रत्येक जिले में इस संगठन के लिए, चूंकि तमाम विभागों से समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता होती है, सूचनाएं जाती हैं, प्रपत्र जाते हैं, उनका ठीक कार्यान्वयन हो सके, इसलिए मान्यवर, हमने इसकी भी व्यवस्था की है। इस प्रकार मान्यवर, हम किसी प्रकार की आपदा को तो नहीं रोक सकते लेकिन उसके जोखिम को कैसे न्यून किया जाए, उस जोखिम के न्यूनीकरण की दिशा में मान्यवर, उसके कितने उपाय किये जा सकते हैं और फिर उन लोगों के रिहेब्लीटेशन, मान्यवर, उनका पुर्नवास कैसे किया जा सके, इसका समुचित प्रबंध करने के लिए हम इस माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। अन्य जो बातें हमने रखी हैं, मान्यवर, श्रीमन्, मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इसका अवसर दिया है और सदन को इन सारी बातों से अवगत कराते हुए, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमने प्रयास किया है। इस विभाग के माध्यम से जो सेवाएं दी जा सकती हैं, उन सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में, प्रयास किया है और जो चीजें एड की हैं, वह सिस्टम में एड की हैं और अभी इसके आगे इसको चलाया जाना तेजी से, वह सबके सहयोग के बिना संभव नहीं है, इसलिए इस दिशा में सहयोग भी करेंगे और मान्यवर, इस बजट को निर्विवाद रूप से बिना कटौती प्रस्ताव के पारित करेंगे। मान्यवर, यह अपील करना चाहूंगा इस सदन से।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-50 राजस्व विभाग (जिला-प्रशासन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उददेश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

अनुदान संख्या-51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उददेश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

अनुदान संख्या-52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उददेश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, राजस्व मंत्री जी का बजट भाषण शुरू हुआ इस बात से की आदि काल से लेकर, मानव जब भू-तल पर प्रकट हुआ, मान्यवर, मुझे नहीं पता कि उस समय क्या व्यवस्था थी शायद उस

व्यवस्था की आपको जानकारी रही होगी। आप बता देंगे। मान्यवर, फिर मुगल काल स्ट्रार्ट हुआ। फिर 1935 के एक्ट पर आप आये। मान्यवर, जो अन्तत्वोगत्वा चौधरी चरण सिंह जी ने जमीदारी विनाश अधिनियम बनवाया उस पर आप आये। मान्यवर, हमने पूरी प्रशंसा करते हुए उस अधिनियम का जिक्र किया। मान्यवर, उनके नाम के पहले चौधरी लगता था आपके नाम के बाद चौधरी लगता है। उन्होंने एक्ट बनाया था इन्होंने समाप्त कर दिया। आपने बताया कि 39 एक्ट.....

(इस समय 01 बजकर 24 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सुरेश कुमार खन्ना पीठासीन हुए)

समाप्त हुए हैं। मान्यवर, चौधरी चरण सिंह जी ने जो अधिनियम बनवाया था वह पूरे देश में अभूतपूर्व अधिनियम था। हम चौधरी साहब को प्रणाम करते हैं। इन चौधरी साहब को हम किस तरह से सम्मानित करें, जिन्होंने उस अधिनियम को ही समाप्त कर दिया है। दूसरे, जो आपने बनाया है वह अभी तक कहीं है नहीं। उसके वजूद का पता नहीं है। कभी कहते हैं कि राष्ट्रपति जी के पास अनुमोदन के लिए गया है। जो आपने अधिनियम बनाया वह अभी तक लागू नहीं हुआ है। मान्यवर, उस अधिनियम पर विस्तार से इस सदन में चर्चा हो चुकी है। पूरे विधान मण्डल में चर्चा हो चुकी है और पारित हो चुका है। आप एक साल से सत्ता में बैठे हुए हैं, आप इनको तो दोष देते हैं कि पिछले पांच साल में इन्होंने कुछ नहीं किया लेकिन आपने इस एक साल में क्या किया। मुझे यह बताया गया है कि उस पर राष्ट्रपति जी का अनुमोदन मिल चुका है। अब उसको लागू नहीं किया गया है तो वह आपकी शिथिलता है या समर्थन उस अधिनियम के प्रति यह मुझे पता नहीं है। आपने इसमें कई योजनाओं का उल्लेख किया है जो साहित्य आपने दिया है मैं उसी तक अपने को सीमित रखूंगा। इसमें आम आदमी की योजना है, किसान की योजना है, किसान बीमा योजना है। महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण पिछली मई 2012 में हुआ था। आज हम 2013 में खड़े हुए हैं। दोनों अभिभाषण में उस योजना का उल्लेख, मुख्य मंत्री जी द्वारा जो बजट भाषण पढ़ा गया उसमें उसका उल्लेख, 4 बार तो यहां सदन में उसको ले करके आपने तालियां बजवा लीं कि एक से बढ़ाकर हमने धनराशि 5 लाख कर दी। आज मैं अगर एक सामान्य व्यक्ति के नाते आपसे पूछूं आपने एक लाख से बढ़ाकर 5 लाख तो कर दी कम से कम आज तो इतना आ जाना चाहिए था सदन के सामने वह 5 लाख आपने कितने किसानों को दिये हैं। अगर यह आ जाय मान्यवर, जानकारी है नहीं है जब पहला अभिभाषण आया था एक दम चारों तरफ तालियां बजी थीं 5 लाख हो गया, 5 लाख हो गया, 5 लाख हो गया। बजट में भी वही फिर दूसरे अभिभाषण में वही, फिर बजट में वही, और जिक्र कहीं है नहीं, किसको 5 लाख मिले। 403 माननीय सदस्यगण बैठै हैं अगर यह बताना चाहें खड़े होकर बता दें कि इनके क्षेत्र में किसी व्यक्ति को, किसी किसान को इस योजना के अन्तर्गत 5 लाख की धनराशि मिली हो। मान्यवर, प्राविधान करना पर्याप्त नहीं है क्योकि आपके पास मैकेनिज्म नहीं है। आपके पास में व्यवस्था ही नहीं है जब तक व्यवस्था नहीं होगी 5 लाख मिल कहां से जायेंगे। मान्यवर, आम आदमी बीमा योजना। यह शेयर कर रहे हैं आज भारत सरकार की योजना है। प्रीमियम आप शेयर करते हैं और यह 2007 में लागू हो चुकी थी। इस पर जो प्राविधान है थोड़ा उसको देख लें 29 लाख, 61 हजार 340 और सदस्यों की संख्या आपने लिखी है, जिसको आपने दिया है जो आच्छादित हुए जिनको दिया आपने दिया कितना 2 करोड़ 5 लाख 8 हजार 600 रुपया, यह आपने दिया। इसको यदि आप 29 लाख से विभाजित कर दें तो कितना बैठता है कितना बैठता है अब कर लीजिए आप। कितने शर्म

की बात है कितने शर्म की बात है इसमें आप यह देखें कि इस योजना के अन्तर्गत अब तक जो प्रीमियम दिया गया है वह 62 करोड़ है। आपने बीमा कम्पनी को प्रीमियम के रूप में जो पैसा दिया 62 करोड़ दिया है और लिया कितना 2 करोड़ 4 साल में। 4 साल में केवल 2 करोड़ लेते हैं ओर 62 करोड़ उनके पास देते हैं। आप उनका व्यवसाय चला रहे हैं या आम आदमी की मदद कर रहे हैं। क्यों आप ज्यादा परिवारों को नहीं दे पाये, क्यों आप ज्यादा धनराशि नहीं दे पाये। मेरा कहना है कि इसलिए नहीं दे पाये क्योंकि आपके पास कोई व्यवस्था ही नहीं है। कौन आदमी उसका फार्म भरेगा, कितने आदमियों को जानकारी है, कितने किसानों को जानकारी है, किसान को छोड़ दीजिए यह तो आम आदमी की योजना है गांव में रहने वाले वह भूमिहीन मजदूर उनकी संख्या तो आपको पता है वह लाखों में नहीं है वह करोड़ों में है और करोड़ों में जब है तो उनको धनराशि न मिले तो कहीं न कहीं हमारे से चूक हो रही है कि नहीं हो रही है हमने इसका प्रचार किया है या नहीं किया है। गांव में मान्यवर, हम सब लोग जनप्रतिनिधि हैं, जाते हैं। मैं पूरे इत्मिनान के साथ, मै पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि गांव में कार्यक्रम के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है इसलिए परिणाम यह हुआ कि 60 करोड़ हमने इंश्योरेंस कम्पनी को दे दिया और 2 करोड़ केवल उनसे ले पाये। यह आप किसको धोखा दे रहे हैं, अपने आपको, सरकार के खजाने को और फायदा किसका कर रहे हैं बीमा कम्पनी का।

अब आगे मान्यवर, मैं थोड़ा सा कहूंगा क्योंकि बहुत लम्बा भाषण मैंने सुना और मैं सुनने का आदी भी हो गया इनका भाषण क्योंकि बहुत दिन से सुन रहा हूं अभी आपने कम्प्यूटराइजेशन की बात कही और एक हमारे पास में पुस्तक भी भेजी। जहां तक कम्प्यूटराइजेशन का प्रश्न है स्वागत योग्य है, इसमें कोई सन्देह की बात नहीं लेकिन आप आइये इस पर अपनी परिषद् पर राजस्व परिषद् पर। कम्प्यूटराइजेशन आपने कर दिया अधिकारी कौन जाते हैं वहां पर पिछले 20 साल से क्या व्यवस्था है कौन अधिकारी राजस्व परिषद् में भेजा जायेगा। वह भेजा जायेगा जो पहली सरकार में महत्वपूर्ण पद पर रहा हो आपका उस पर विश्वास न हो, आप उसको सजा देना चाहते हों और पनिशमेन्ट पोस्टिंग के रूप में आप उसको वहां भेजते हो, उस अधिकारी की मनःस्थिति क्या है वह कभी वहॉ बैठता ही नहीं। या तो यह व्यवस्था आप कर दें जो कम्प्यूटराइज आपने किया है कम्प्यूटर मुकदमें तय कर दिया करें कोई बटन आप यहां दबा लीजिए और फीडिंग कर दीजिए और मुकदमें तय करा दीजिए और मुकदमे तय करा दीजिये, कम्प्यूटर केवल जानकारी तो देगा। तारीख की जानकारी दे देगा आपको, मुकदमा तय हो जायेगा, उसके फैसले की जानकारी दे देगा आपको, कम्प्यूटर तो तय करने का नहीं, तय तो अधिकारी ही करेंगे और मैं जानकारी के आधार पर आपको यह सूचना दे रहा हूं, इसकी जानकारी आपको है लेकिन आप कहेंगे नहीं उसको। हफ्ते में शायद ही कोई अधिकारी बैठता हो। मान्यवर, स्टे-आर्डर भी अगर एक बार दे दिया किसी को, उस स्टे-आर्डर को बढ़वाने के लिये पेशकार बैठा है वहां पर और उसे खारिज कराने के लिये भी पेशकार बैठा हैं वहां पर और यह सबको जानकारी है और यह सर्वविदित है। इस पाखंड को कब खत्म करेंगे आप। अरे ध्यान आपका वहां जाना चाहिये था, कम्प्यूटराइज तो 6 महीने बाद भी हो जाता, एक साल के बाद भी हो जाता। वह समय भी आपने देखा होगा, जब विद्युत परिषद् के चेयरमैन की एक हनक होती थी, जिले में जाता था तो सारे के सारे अधिकारी इस बात से आतंकित रहते थे कि हमारे रिकार्ड की चेकिंग होगी, वह

देखेंगे आ करके, बहुत सम्मान का यह पद होता था, बोर्ड के मेम्बर की भी यही स्थिति होती थी। आज मुझको शताब्दी में या प्लेन में कभी-कभी मिल जाते हैं, पुराने अधिकारी हमारे परिचित भी हैं, मिलते हैं आ करके, मैं पूछता हूं कहां हो, तो कहते हैं क्या बताऊं। अरे बताओ तो सही कहां हो, राजस्व परिषद् में डाल रखा है, यह नहीं कहते कि राजस्व परिषद् में हमारी नियुक्ति है, डाल रखा है हमको, यह कहते हैं। तो जो डाल रखे आपने, मैं यह तो नहीं कहूंगा कि वेस्ट पेपर बास्केट में डाल रखे हैं लेकिन मैं इसलिये कहूंगा कि आपने राजस्व परिषद् की गरिमा को घटाया है बढ़ाया नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण संस्था थी, उसके महत्व को रखते हुये उन अधिकारियों को यह गर्व होना चाहिये था कि मुझे महत्वपूर्ण स्थान पर भेजा गया है। आज उनके मन में यह हीन भावना क्यों आई, इस बात का आपको चिन्तन करना चाहिये। मान्यवर, कई चीजें इस विभाग के माध्यम से आप करने जा रहे हैं। अधिनियम का आपने जिक्र किया ही, वह लायेंगे सूचना किसको देंगे, यह सवाल यहां उठा था, आप भूल गये उसको और आपने कुछ कमिटमेंट किया था। जो आपने अधिनियम बनाया है, महामहिम राष्ट्रपति जी से उसका अनुमोदन हो गया, अनुमति आ गयी है, उसकी प्रतिलिपि आप बांटेंगे और आपने कहा था कि मैं भिजवा दूंगा। किसी के पास आई क्या। कुछ छिपाने की बात है क्या उसमें ? मेरे पास नहीं है। जब आ जायेगी तब आ जायेगी। अब आपने गांव वालों को इतनी सुविधा दे दी मान्यवर, कि उनको तारीख पर आने की जरूरत नहीं, आपका गांव जो सा भी होगा, मंत्री जी मैं एक बार आग्रह करूंगा कि आप अपने गांव के दर्शन करा दें मैं वहां के किसानों से यह पूछना चाहूंगा कि वह इंटरनेट पर कितनी बार तारीख चेक करते हैं।

श्री अम्बिका चौधरी (बैठे हुये)-

आज लागू हुआ है, आज के बाद करेंगे। आप परसों पूछ लीजियेगा। मैं ले चलूंगा ।

*श्री हुकुम सिंह-

मैं चलूंगा और आप ही के साथ चलूंगा और मैं उनसे जरूर पूछूंगा और एक बात कहूंगा कि एक बार मेरे सामने निकालकर दिखा दो कौन सी डेट किसकी है। जहां शिक्षा का नितान्त अभाव हो, बिजली आती न हो, कम्प्यूटर का सवाल नहीं हो, अभी वह पीढ़ी बाकी है और वह पीढ़ी आने वाले 50-60 साल तक और रहेगी, आप इसको नये-नये नाम देकर नई-नई व्यवस्था लगा करके सोचें कि हमारी बात कितनी सही होगी, यह उचित नहीं होगा। अब आगे बात आती है यह कि सारी व्यवस्था आपने कर दी, तहसील में भी कम्प्यूटर रख दिये, खतौनी भी वहां से निकल जायेगी, जाति प्रमाण-पत्र भी वहां से मिल जायेगा, उसकी जो आर्थिक स्थिति है, उसका प्रमाण-पत्र भी मिल जायेगा, कब मिल जायेगा यह। आज से मिल जायेगा ?

श्री अम्बिका चौधरी-

आज ही से ।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं चाहूंगा कि दो-चार माननीय सदस्यों को आप आग्रह कर लें, अभी जाकर अपनी खतौनी निकलवा लें, निकलती हो कहीं से। व्यवस्था है नहीं, 3 घन्टे बिजली नहीं

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आती तहसील में और कम्प्यूटर खतौनी निकाल रहे हैं। आपने एकदम ऐसा कर दिया और कहीं कुछ हो नहीं रहा है। यह केवल एक धोखा देने की बात है। मेरी तो इच्छा यह थी कि बजाय इतनी घोषणा करने के आप एक-दो कार्यक्रम लेते और उस कार्यक्रम को आखिर तक पहुंचाते। मान्यवर, रेवन्यू डिपार्टमेंट का काम क्या है। एक तो यह जो राजस्व विभाग है नाम है राजस्व विभाग । यह नाम जब कभी रखा गया होगा तो इसलिए रखा गया होगा कि इस विभाग के माध्यम से राज्य का खर्चा चलता था। मुख्य स्रोत ही यही था। आज यह राजस्व का मुख्य स्रोत नहीं रहा। इसका नाम लैण्ड रिकार्ड डिपार्टमेंट रख दीजिए। राजस्व तो आ रहा है एक्साइज से, वैट से, इन्कम टैक्स से और दूसरे विभागों से इससे कौन सा राजस्व आ रहा है। इसके माध्यम से कुछ विभागों का कलेक्शन होता है। जिनकी आर0सी0 भेज दी जाती है उन विभागों का कलेक्शन इस विभाग के माध्यम से होता है। कितना विरोधाभास है आपने इस पर कोई तवज्जो दी। अगर बिजली विभाग की आर0सी0 आ गई आने की देर है तो 10 प्रतिशत इनका हो गया उसके पास अगर बिल गलत भी है किसान कह रहा है कि मेरे पास यह बिल नहीं आया था लेकिन 10 प्रतिशत तो देना ही पड़ेगा उसको आपको इन बातों को सोचना चाहिए था। आपको यह बातें छोटी लगती हैं लेकिन इसका समाधान न होने की वजह से कितने लोगों का उत्पीड़न हो रहा है। यह आपको ध्यान नहीं है। बिजली विभाग के पास वह जाता है तो कहा जाता है कि 10 प्रतिशत जमा करना होगा यह कौन सा दण्ड उसके ऊपर है। अगर आप यह संशोधन कर सकते हों कि वास्तव में अगर आर0सी0 गलत भेजी गई है और उपभोक्ता के पास प्रमाण है कि आर0सी0 गलत भेजी गई है तो दण्ड आप चाहे विभाग के ऊपर लगाएं या विद्युत विभाग के ऊपर लगाएं लेकिन उपभोक्ता के ऊपर दण्ड लगाने का कोई औचित्य नहीं है। आपने व्यवस्था की कागजों में दाखिल खारिज म्यूटेशन समय उसका निर्धारित कर दिया कि इतने दिन के अन्दर उसका दाखिल खारिज हो जाना चाहिए। तहसील दिवस के ऊपर मैं पूछना चाहता हूं कि जिलाधिकारी बैठते हैं या ए0डी0एम0 बैठते हैं या एस0डी0एम0 बैठते हैं। उसमें इस बात की समीक्षा होती है कि कितने प्रार्थना-पत्र वहां पर किसानों के लम्बित हैं। कितनों का निस्तारण हुआ और जो लम्बित हैं उनके लंबित रहने का कारण क्या है। क्या यह कारण नहीं है कि नीचे वाले कर्मचारी से लेकर ऊपर तहसीलदार तक जब तक उनके मन के माफिक कार्यवाही नहीं हो जाएगी और कार्यवाही का मतलब आप समझ गए होंगे मैं उसे शब्दों में नहीं कहना चाहता जो उचित नहीं है। उनकी संतुष्टि नहीं होगी तब तक वह दाखिल खारिज होने वाला नहीं है। चितरंजन जी बैठे हैं इनको वहां बहुत काम पड़ता है हमें भी पड़ता है इनसे ज्यादा जानकारी किसी की नहीं होगी कि कैसे दाखिल खारिज होता है। यह बात इनके और मेरे बीच की नहीं है इनका प्रभाव हो सकता है मेरा प्रभाव हो सकता है लेकिन ज्यादा संख्या उन लोगों की है जिनका कोई राजनैतिक प्रभाव नहीं है जिनका कोई प्रशासनिक प्रभाव नहीं उनका तो उत्पीड़न हो ही रहा है। आगे एस0डी0एम0 की स्टेज आती है यह सारे के सारे कार्यालय भ्रष्टाचार के प्रतीक मात्र बनकर रह गए हैं। उसको दूर कैसे करें उत्पीड़न दूर कैसे करें पट्टे हैं उनकी संख्या आपने साहित्य में दर्शाई है। जो पट्टे हैं आवंटन में जो भाग है उसमें एक भी ऐसा नहीं है जिसमें आपका 100 प्रतिशत से ऊपर लक्ष्य प्राप्त न हो गया हो। लेकिन हालत क्या है पट्टों की पट्टे कैसे हो रहे हैं। कभी यह भी देखा एक आध गांव में जाकर देख लेते कि पट्टे कैसे होते हैं। कब्जा कैसे उन पर होता है। एक विरोधाभास चल रहा है एक बार जब बहन मायावती की सरकार थी उसमें हम भी भागीदार थे कुछ

लोग हमारे पास आए थे कि हम शेड्यूल कास्ट हैं अपनी जमीन बेचना चाहते हैं लेकिन बेच नहीं सकते क्योंकि कानून में प्रतिबंध है। प्रतिबंध इसलिए लगाया गया था कि इनका शोषण न हो जाए। लोग बहलाकर इनकी भूमि न ले लें और यह भूमिहीन न हो जायं। उस गरीब का शोषण तो उससे कई गुना हो गया खेती वह कर नहीं पाता पैसे का उसके पास अभाव है अगर खुले बाजार में बेचने का उसको अधिकार होता तो उसकी जमीन 10 गुना 20 गुना मंहगी बिकती। अब उसका शोषण इसलिए होगा क्योंकि वह किसी और के नाम करेगा लेने वाला तो वही है पैसे वाला आदमी लेकिन किसी के माध्यम से लेता है इस आदमी को कुछ मिलता नहीं है मुख्य मंत्री जी तैयार हो गई थीं वह हमारी बात से सहमत थीं लेकिन कुछ लोगों ने उसको समझा नहीं और जाकर विरोध कर दिया और मामला लंबित रह गया। मैं कह रहा हूं कि करिए मत लेकिन विचार कर लीजिए कि वास्तव में उस वर्ग का उत्पीड़न हो रहा है या उसका कोई फायदा हो रहा है।

श्री अम्बिका चौधरी-

आप कह भी रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि करिए मत। आप मंत्री थे तो होने भी नहीं दिए। अब करा दीजिए। अब करा दीजिए क्या दिक्कत है, इनका समर्थन तो मिले।

श्री उपेन्द्र तिवारी-

इसके तो ये विशेषज्ञ हैं।

श्री हुकुम सिंह-

जब कुछ सामने होगा, समर्थन तभी तो होगा सामने कुछ है नहीं, समर्थन मांग लिया। आपको कुछ न कुछ तो डिसीजन मिला इसलिए आप खुश भी हो गये विशेषज्ञ बता दिया। मान्यवर, यह सही है कि विभाग का अधिकांश हिस्सा बहुत ही साधारण और आम आदमी से जुड़ा हुआ है। अब और ज्यादा जुड़ गया, ज्यादा इसलिए जुड़ गया कि चाहे वह छात्र हो, चाहे वह सेवा में जाने वाला हो, कहीं भी जाने वाला हो तो उसका सम्बन्ध कहीं न कहीं इस विभाग से अवश्य पड़ेगा, कहीं जाति प्रमाण-पत्र लेने में पड़ेगा और कहीं दूसरे प्रमाण-पत्र लेने में पड़ेगा। इसमें जो भ्रष्टाचार व्याप्त है इसे आप कैसे दूर कर पायेंगे। मान्यवर, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आज तहसील में स्थिति यह हो गई जो इस विभाग की एक तरह से जड़ है वह लेखपाल है, सारे रिकार्ड की जिम्मेदारी तो वही रखता है वह कहीं मिलान के लिए जाता है क्या। हम छोटे-छोटे थे तो देखते थे कि लेखपाल पटवारी खेत जाता था देखता था और लिखता था क्या आज कोई जाता है। जो कभी तहसीलदार और एस0डी0एम0 के शिविर लगते थे वह जाकर चेक करते थे 25 फीसदी खतौनियों को क्या आज वह होता है। यदि नहीं होता है तो उसका परिणाम क्या हुआ, उसका परिणाम यह हुआ कि इतना बड़ा अधिकार उसके पास आ गया कि वह जिसका चाहे उसका नाम खसरे में डाल दे और जिसका चाहे उसका नाम काट दे। मर जायेंगे लोग इसी बात को ले करके नाम कटवाने और चढ़वाने में, जिसकी जमीन होगी, जैसा उसका क्षेत्रफल होगा, जैसी उसकी स्थिति होगी मोटी-मोटी रकम दे करके काम कराये जायेंगे। हम तो आपके आभारी तब हों जब आप उस स्तर पर कुछ हद तक भ्रष्टाचार को समाप्त कर दें, यह कम्प्यूटर भ्रष्टाचार को खत्म नहीं करेगा, आप सोच रहे होंगे कि कम्प्यूटर हमने लगा दिया अब भ्रष्टाचार समाप्त हो जायेगा, यह नहीं होने वाला है। मानसिकता आप बदल नहीं सकते हैं लेकिन आप नियन्त्रण कर सकते हैं और नियन्त्रण करने का तरीका मैं आपके सामने रख रहा हूं।

हर सरकार ने तहसील दिवस को महत्व दिया लेकिन महत्व देने के बाद कभी यह नहीं सोचा कि कभी इसकी समीक्षा करें कि कितनी कारगर यह सिद्ध हो रही है। अभी जो तहसील दिवस है एक औपचारिकता मात्र बन कर रह गया है और अधिकारियों के लिए एक बहाना बन गया कि आज तहसील दिवस है आज काम नहीं हो सकता। तो इससे मान्यवर, जनता को फायदा पहुंचने के बजाय जनता का नुकसान हो रहा है। जनप्रतिनिधि भी यदि तहसील दिवस यानी कि मंगलवार के दिन फोन करेंगे तो भी अधिकारी यही कहेंगे कि साहब आज तो तहसील दिवस है और वहां जा करके कुछ नहीं करना-धरना है बस बैठे रहेंगे। क्या कभी इस बात की समीक्षा की गई कि पिछले 15 दिन में आपने कितने प्रमाण-पत्र दिये, कब उनकी मांग की गई थी, इतना विलम्ब कैसे हुआ। दाखिल खारिज के मामले कितने लम्बित हैं, कब से लम्बित हैं, क्या समयावधि के अन्दर उनका निस्तारण हुआ। न तो यह आपने किया और न ही आपके जिलाधिकारी ने किया। आपने प्रभारी मंत्री बना रखे हैं आप उनको लिख करके देते हैं कि उनको क्या-क्या करना है तो उसमें एक बिन्दु यह भी हो कि वह अपने जनपद की किसी न किसी तहसील में जाकर समीक्षा भी करें तो शायद कुछ नियन्त्रण हो जाए।

मान्यवर, खनन का मामला वैसे तो इनके अन्तर्गत नहीं आता लेकिन यह सबसे ज्यादा कष्ट की बात यही है कि जैसे गंगा, यमुना रास्ता बदलती हैं अबकी बार हरियाणा में चली गईं अगली बार उत्तर प्रदेश में आ गईं। दीक्षित अवार्ड वहां बैठा हुआ है लेकिन दीक्षित अवार्ड के बाद भी राजस्व विभाग का यह दायित्व था कि सीमा का विवाद समाप्त हो जाए, आपने उसे निभाया क्या। जब से हम लोग यहां पर बैठ रहे हैं तब से इन विवादों का कोई अन्त नहीं हो पा रहा है। आप हैं, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कितनी बार माननीय दलवीर जी ने और अन्य माननीय सदस्यों ने यहां उठाया लेकिन समापन तो नहीं हुआ इस बात का। क्यों नहीं हो रहा, एक बार बैठिये, सीमा के अधिकारियों को बुलाइये, हरियाणा का आदमी मान्यवर, 5 मिनट के अन्दर वहां की पुलिस और 5 मिनट के अन्दर वहां के रेवेन्यू अधिकारी मौके पर थे। उत्तर प्रदेश के किसी भी अधिकारी को टेलीफोन करके देख लीजिए या तो छिप जायेगा या दस बहाने बना देगा, वहां पर जायेगा नहीं। हमारी हीन मानसिकता क्यों है, हम मुकाबला क्यों नहीं कर सकते ? जाने के बाद, अपना डाक्यूमेण्ट दिखा करके, रिकार्ड दिखा करके हम उन किसानों की सहायता क्यों नहीं कर सकते ? यह बिन्दु ऐसे हैं जो इस किताब में नहीं मिलेंगे लेकिन ये बिन्दु ऐसे हैं जो जनजीवन से जुड़े हुए हैं, इनका समाधान होना चाहिए। आज कई बार आपने मेजें भी थपथपाईं की मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। एक पुस्तक भेजी आपने, फोटो आपका अच्छा बना है इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं। इन्होंने अपनी फोटो रंगीन छपवाई है। होना भी चाहिए, प्रयास तो आपका ही है। लेकिन है क्या इसमें ? ये प्रदेश के राजस्व न्यायालयों का सृजनात्मक ढांचा। सृजनात्मक ढांचा तो आपने बना दिया लेकिन निस्तारण क्या हुआ, समाधान क्या हुआ समस्याओं का। ढांचा तो सबको पता था कि नायब तहसीलदार, तहसीलदार से लेकर राजस्व परिषद् तक है। आपने इसमें उल्लेख कर दिया। लेकिन यहां से यहां तक का क्रम कम कैसे हो ? आपने कहा कि नहीं जायेंगे कमिश्नरी में, जिला स्तर पर ही तय हो जायेंगे। अगर तय हो जायेंगे तो राजस्व परिषद् का काम क्या रहेगा ? आधी बात कह करके वाहवाही लूटने का प्रयास मत करो। आप यह बताइये कि पूरा ढांचा क्या है आज हमें डार्क में क्यों रखा जा रहा है ? एक बात तो आपने कह दी कि कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ने की, जिलाधिकारी इसका निस्तारण कर देगा, आगे क्या होगा

फिर ? इनकी आवश्यकता क्या रहेगी ? कमिश्नर के यहां से भी और राजस्व परिषद् से भी, केवल जिलाधिकारी तय किया करेंगे ? आपके यहां कुछ एक-दो प्रकरण आये ऐसे, जब से आप राजस्व मंत्री हैं, आपको ज्ञान भी है, आप कानून बनाते हैं, एक्ट बनाते हैं उसका निस्तारण अब तक नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ ? आठ महीने तो हो गये, एक मैंने प्रकरण आपको सौंपा और प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण था लेकिन आज तक उसका निस्तारण नहीं हो पाया है, क्यों ? यह मिसाल है एक, इस मिसाल से ही सारा का सारा सामने आ जाता है कि क्यों नहीं हो पा रहा है ? इसलिए नहीं हो पा रहा है कि मंत्री जी, असली काम उनके हाथ में आ गया है। जब तक आप इन फाइलों को छोड़ करके उन अधिकारियों को बिठा करके जो अधिकारी गलत रिपोर्ट लगाते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं, उनको छोड़ दीजिए जिन पर दोष है, जो दोषी को बचाने का काम करता है वह कम दोषी नहीं है। एक-आध के खिलाफ कार्रवाई तो हो, हम समझ जायेंगे और अगर आपके पास में कहीं ऊपर से फोन हो करके आपको नियंत्रित किया जा रहा है तो बात अलग है। जितनी ये शिकायतें हैं, उन शिकायतों का हल होना चाहिए। आज जमीन नहीं है, गरीबों में। जमीन तो आपके अधिकारी बेच रहे हैं, यहां नहीं मिलते तो दूसरे राज्यों से बुलाकर बेच रहे हैं। जब बेच रहे हैं तो विवाद क्या रह गया ? इन गरीब, भूमिहीन मजदूरों की बात हम करते हैं लेकिन इन भूमिहीन मजदूरों को हम दे क्या पा रहे हैं ? सारे जिम्मेदारी आपकी थी देने की लेकिन दिया क्या अब तक ? मैंने छोटे-छोटे प्रकरण आपके सामने रखे हैं इन प्रकरणों का सीधा संबंध आम आदमी, आम किसान से है। मैं प्रशंसा करूंगा आपकी जब आप इनका समाधान करके कम्प्यूटर की स्क्रीन तक पहुंचेंगे। इनका समाधान किये बिना पहले कम्प्यूटर की सवारी मत करें, वह कम्प्यूटर कुछ कर नहीं पायेगा, फेल हो जायेगा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हुआ चाहता हूं कि माननीय सदस्यगण इस पर अपने विचार रखें।

श्री मो0 इरफान-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे राजस्व के बजट पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं। आज हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने, राजस्व मंत्री जी ने राजस्व न्यायालय प्रबन्धन प्रणाली की शुरुआत की है, उसकी घोषणा की है। यह अत्यधिक सराहनीय और प्रशंसनीय कार्य है। मैं विशेषतौर पर चूंकि यू0पी0जेड0ए0 जो 1950 में बना और 1952 में लागू हुआ पर अपने विचार रखना चाहता हूं और राजस्व प्रशासन राजस्व वादों से मुतालिक, जमीनों से मुतालिक, खेती से मुतालिक यह बजट है जिसका ताल्लुक सीधे-सीधे किसान से है। आज मैं माननीय अधिष्ठाता महोदय, सदन के माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि बजट में जो प्रस्ताव कृषक दुर्घटना बीमा योजना के सम्बन्ध में 11-6-2012 से किसान की बीमा धनराशि 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की गई है वह अत्यन्त प्रशंसनीय कदम है और इससे सीधा लाभ किसानों को होगा। मैं प्रदेश के समस्त वादों, राजस्व न्यायालयों, तहसील, जनपद, मंडल सभी स्तर का कम्प्यूटराइज किये जाने के लिये सरकार को बधाई देना चाहता हूं। सरकार के काम को एक उस तरह से जो वादा किया है, जो कहा है उसको करके दिखाने का एक ऐतिहासिक कदम है लेकिन कुछ विशेष बातों की तरफ मैं माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा। चकबन्दी विभाग और राजस्व विभाग, तहसील विभाग दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। चकबन्दी विभाग इस पूरे मामले को मौके पर कागजातों पर करता है जिससे खतौनी बनती है, जिससे जिल्द बनती है, जिससे नक्शे बनते हैं। चकबन्दी विभाग 1954 में सबसे

पहले उत्तर प्रदेश में इसी विधान सभा से पास होकर लागू हुआ और चकबन्दी का कार्य सबसे पहले तहसील बिलारी में 1955 में हुआ उसके बाद सम्भल तहसील में चकबन्दी का काम हुआ और अब तक यह प्रक्रिया पूरे प्रदेश में अनवरत् जारी है। इसमें एक बात की तरफ मैं विशेष ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो नियम-109 की प्रक्रिया है, वह अत्यधिक जटिल है। नियम 109 की प्रक्रिया में किसान को, वादकारी को फिर दोबारा एक नये मुकदमे से गुजरना पड़ता है। मेरा सुझाव है जिस अदालत में वाद चले चाहे वह सी0ओ0 की अदालत हो, चाहे वह एस0ओ0सी0 की अदालत हो चाहे वह डी0डी0सी0 की हो वह अमल दरामद की कार्यवाही भी वही अदालत कराये ताकि एक अन्य मुकदमेबाजी से रूल 109 के तहत बचा जा सके। एक मुकदमा नम्बर 782 तारीख फैसला 24-4-93 ग्राम नोशनाशेखुपर धारा-9(क) 2 सी0एच0एक्ट सी0ओ0 चन्दौसी ने तय किया जिसके फरीकेन का नाम एहसान बनाम अख्तर है। आज तक नियम-109 की जटिलता के कारण अमल दरामद नहीं हो पाया।

एक अन्य मुकदमा नं0-105/193 धारा 9ए2 तारीख फैसला 8-11-2004 यह चन्द्रमुखी बनाम मोहन ग्राम कुढ़ फतेहगढ़ तहसील चन्दौसी का है, इसको सी0ओ मुरादाबाद ने तय किया है और आज तक इसका भी अमल दरामद नहीं हो पाया है। एक अन्य मुकदमा श्रीमती मुरादन बनाम मजीद ग्राम महमूदपुर माफी तहसील बिलारी धारा 9ए2 जो सी0ओ0 बिलारी ने तय किया उसमें भी अमद दरामद नहीं हो पाया। मैं यह इसलिये कहना चाहता हूं कि यह चूंकि तीनों गांव मेरी विधान सभा तहसील बिलारी के अन्तर्गत आते हैं और जटिल प्रक्रिया होने के कारण मेरा सुझाव है कि रूल 109 के तहत हरगिज भी वादकारी को उससे न गुजरना पड़े और जो अदालत मुकदमे को तय कर रही है वही अमलदरामद को भी कराये क्योंकि पूरा स्टाफ मौजूद रहता है। इसी से सम्बन्धित मैं यह कहना चाहूंगा कि एल0आर0एक्ट के जो मुकदमे हैं उसमें ठियाबंदी, कच्ची ठियाबंदी और पक्की ठियाबंदी के नाम पर किसानों का बहुत शोषण होता है। उसकी समय सीमा तय करके एक ही बार में उसको तय कराया जाय। एक और बात यह कहना चाहूंगा कि धारा-176 आदि का अलमदरामद भी इजरा के नाम पर वादकारी का शोषण न हो उसी अदालत से हो जिसने वाद मूल रूप में तय किया है। एस0ओ0सी0 और डी0डी0सी0 की जो नियुक्ति चकबन्दी विभाग में होती है वह विभाग के अलावा दूसरे लोगों की हो जाती है। दूसरे विभाग का आदमी उसकी जटिलता को नहीं समझ पाता है इसलिए प्रमोशन के आधार पर उनकी नियुक्ति की जाए। मान्यवर मैं एक और खास बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, सरकार के बजट में, कृषक बीमा दुर्घटना योजना के अलावा आम आदमी बीमा योजना का जो प्रस्ताव दिया है वह अत्यधिक सराहनीय कदम है। अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने पूछा था पी0एम0 होगा परन्तु उसे भी मुस्तसना किया गया है तहसीलों में कनेक्टिविटी होने के कारण फर्जी रजिस्ट्रेशन पर अंकुश लगेगा। मैं तहसील दिवस के प्रार्थना-पत्रों पर जो मई 2012 से 31-12-2012 तक आए हैं उसके बारे में कहना चाहूंगा कि 2 लाख 31 हजार 468 प्रार्थना-पत्र आए। जिसमें दो लाख एक हजार 387 निस्तारित हो गए। यह हमारी सरकार की उपलब्धि है इतने कम समय में निस्तारण किया जाना सराहनीय कदम है। अन्त में मैं अधिष्ठाता महोदय कहना चाहूंगा कि आपने मुझे इस बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया, मेरी बातों पर ध्यान रखकर कुछ सुधार किए जाएं। धन्यवाद।

*श्री छोटेलाल वर्मा-

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे राजस्व विभाग के बजट पर कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं । मान्यवर, मा0 राजस्व मंत्री जी अच्छे से सुनते वह सदन से गायब हो गए अपनी जगह अन्य मंत्रियों को बैठाकर चले गए हैं। उन्होंने भाषण तो बहुत दिए हैं जिन भाषणों से उन्होंने पूरे सदन को खुश करने का प्रयास किया है लेकिन मान्यवर, उन्होंने मेरे हिसाब से पूरा राजस्व का बजट किसानों से संबंधित है उन्होंने ऐसी कोई नयी योजना नहीं बताई जिससे किसानों को लाभ हो, किसानों को राहत मिले। जो बातें उन्होंने कहीं वह पुरानी घिसीपिटी बातों पर ही इधर उधर नजर डालते रहे। हम सबको गुमराह करते रहे। मेरा आपके माध्यम से उनसे अनुरोध है कि उन्होंने आम आदमी की योजना को बनाने के बारे में जो रखा है मैं उसमें कहना चाहता हूं कि उन्होंने 18 साल से 59 साल के व्यक्ति के लिए ही यह योजना लागू की है। हम लोग 100 साल के उम्र की कामना करते हैं और सौ साल तक व्यक्ति जीता है, तो अगर 59 साल के बाद कोई व्यक्ति, मान लीजिए, आपने भी कभी पढ़ा होगा कि 70 साल के व्यक्ति के घर बच्चा पैदा हो गया। तो 59 साल में यह योजना खत्म कर दी जाएगी तो मैं चाहता हूं कि इसको बढ़ा दिया जाए और कम से कम इसको 59 साल से बढ़ाकर इसकी उम्र 80 साल की जाए और किसान को बीमा दिया जाए। आज भी हमारे गांवों में 80-90 साल के किसान खेतों पर जाकर काम करते हैं। तो वह तो किसान हैं, इसमें बीमा की उम्र को बढ़ाने का काम किया जाए। यह मेरा आपसे अनुरोध है। मान्यवर, राशि का उन्होंने कहा कि 75 हजार देंगे। मान्यवर, एक लाख से बढ़ाकर तो पांच लाख कर दिया गया। जब से सरकार बनी है उस पर रोज तालियां पिटती हैं। हम लोग इसमें अनुरोध करना चाहेंगे कि दो करोड़ रुपये का बीमा मिला, हमारे भा0ज0पा0 के सदस्य भी कह रहे थे और मैंने पढ़ा, और सात करोड़ खाता कम्पनी के खाते में चला गया तो हम इस पर यह चाहते हैं कि यह रुपया धनराशि बढ़कार एक लाख से पांच लाख कर सकते हैं तो इसे कम से कम दो लाख तो कर दिया जाए ताकि गरीब किसान को जिनके पास बीमा नहीं खेती नहीं, वही मजबूर होते हैं असहाय होते हैं, तो उससे उनके बच्चों को राहत मिले इस राहत को बढ़ाने का काम किया जाए। राजस्व मंत्री जी लिख रहे हैं तो इस बात को रखा जाए।

अधिष्ठाता महोदय, मंत्री जी ने एक बात और कही कि हमने आम बीमा योजना के अन्तर्गत कक्षा 9 से लेकर 12 तक के बच्चों के 100 रुपये वजीफा रखा है, प्रति माह के हिसाब से और यह 6 माह की किश्तों में दिया जायेगा। मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि इस 100 रुपये के वजीफा से क्या होगा ? अगर वास्तव में यह किसानों की सरकार है, गरीबों की सरकार है और किसान तथा गरीबों का ध्यान रखती है तो मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि इस वजीफा की धनराशि को बढ़ाकर कम से कम 500 रुपये कर दी जाए। मान्यवर, आज 500 रुपये में भी कुछ नहीं आता, 100 रुपये तो एक दिन में उसके किराये-भाड़े में ही खर्च हो जायेंगे। तो मेरा अनुरोध है कि किसानों की सरकार होने के नाते इसे कम से कम 500 रुपये किया जाए और तीन महीने की किश्त कर दी जाए। जबकि सरकार का जो उद्देश्य है, मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन लैपटाप, टैबलेट और

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दुनिया भर का सामान बांटा जा रहा है तो उन बच्चों को जिनकी मां विधवा हो जाती है, उन बच्चों को पढ़ाने-लिखाने वाला कोई नहीं होता है तो इसमें कम से कम 500 रुपये करने का काम किया जाए। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि हमारे सर्वेक्षण एवं अभिलेख के लिए मण्डलों, जनपदों एवं तहसीलों में पद सृजन के लिए किया गया है, उसमें मात्र 29 जनपदों के लिए बताया है कि हम इन 29 जनपदों में करा रहे हैं जबकि प्रदेश में 75 जनपद हैं और 75 जनपदों में से 46 जनपद ऐसे हैं कि उनमें यह काम नहीं हो रहा है। मान्यवर, इस किताब में लिखा है कि हमने मिर्जापुर से इकाई को ट्रान्सफर करके गाजियाबाद भेजा था और वह हाईकोर्ट से स्टे ले जाए और उसके बाद वह गाजियाबाद नहीं गयी तो सरकार की जब काम करने की कोई दूसरी इकाई नहीं रही तो सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए और कोई दूसरी इकाई ट्रांसफर करनी चाहिए। जब आपके पास और इकाई हैं तो और दूसरी इकाई को भेजते। मान्यवर, अन्य किसी मण्डल में काम नहीं हो रहा है। यह किसानों का काम है, इसको बढ़ाने के लिए मान्यवर, जो न गाजियाबाद गई, न आगरा मण्डल गई, न अलीगढ़ मण्डल गई, आप लोगों ने मात्र 29 जनपदों में काम किया। मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है, इसमें आपने तमाम जनपदों का जिक्र किया है कि हम आवास बना रहे हैं, हम तहसील भवन बनायेंगे, हम कलेक्ट्रेट भवन बना रहे हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं, तमाम ऐसे तहसील भवन बने हुए हैं, जहां पर आवास नहीं बने हैं और हेड क्वार्टर से 40-40, 80-80 किलोमीटर दूर वह तहसीलें हैं लेकिन वहां एक भी आवास नहीं बना है। जैसे मेरी विधान सभा है, आप लोगों ने तहसील भवन तो बनवा दिया लेकिन वहां पर एक भी आवास नहीं है। 40 किलोमीटर दूर से अधिकारी रोज वहां आते हैं, मैंने पूरी आपकी यह किताब पढ़ी है, माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि फतेहाबाद तहसील में आपने नई तहसील का निर्माण तो करा दिया, लेकिन वहां भवन एक भी नहीं है जिसके नाते न तहसीलदार, न नायब तहसीलदार, न कानून गो, कोई भी अधिकारी वहां नहीं रूकता है और यह शाम को 4-5 बजे आगरा भाग जाते हैं। अगर आपकी किसानों की सरकार है तो आप इसकी व्यवस्था कराने का प्रयास करें, वहां पर आवास होने चाहिए जिससे अधिकारी रूकें और लोगों की बात को सुन सकें। शाम को कोई इमरजेंसी आ जाए तो उसका भी निस्तारण हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि वहां आवास बनाने का काम किया जाए। मान्यवर, आपने तमाम बातें रखी हैं, बजट में है कि हम कृषि के पट्टे देंगे, हम ग्राम सभा की जमीन का आवंटन करेंगे, ग्रामीण आवास का आवंटन करेंगे, मत्स्य पालन का करेंगे। मान्यवर, मैंने देखा है, इसमें कहीं कुछ नहीं हुआ है, यह सब पुरानी बातें हैं। आपने कहा कि हम विकलांगों को पट्टे देंगे, पुस्तक में लिखा हुआ है लेकिन पूरे प्रदेश में विकलांगों के लिए एक बिस्वा भी जमीन नहीं है, पट्टा कहां से देंगे ? फिर आपने इसमें स्याही खर्च की, क्यों इसमें लिखा। आप कह रहे हैं कि पट्टा देने के लिए हमारे पास जमीन नहीं है और विकलांगों को आप जमीन देंगे। तो जमीन देने का औचित्य ही नहीं है तो इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। मेरा अनुरोध है कि विकलांगों के लिए जमीन उपलब्ध करायें। आपने कहा कि जो कृषक बीमा है, जो दुर्घटना का कह रहे हैं इसमें एक दिन माननीय सदस्य जी के सवाल पर माननीय राजस्व मंत्री जी ने जवाब दिया था कि हम लोग 7 दिन का समय देंगे। मान्यवर, किसी की दुर्घटना हो जाती है तो वह 7 दिन में कहां से फाइल बनाकर ले आएगा। तो मान्यवर, आपसे अनुरोध है कि इसमें कम से कम एक माह का समय कर दिया जाये। आपने बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद।

श्री पूर्णमासी देहाती-

मान्यवर, आपने मुझे माननीय राजस्व मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मान्यवर, मा0 राजस्व मंत्री जी ने राजस्व बजट में किसानों की हर सुविधाओं का उल्लेख किया है। इसलिए मैं मा0 राजस्व मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि आपने बजट को ठीक से नहीं पढ़ा है। कोई ऐसी सुविधा जनता के लिए नहीं है जो बजट में विद्यमान न हो। उत्तर प्रदेश में पहले से कई तरह के कानून थे और किसान उसमें उलझ जाता था। लेकिन मा0 मंत्री जी ने बहुत सराहनीय काम किया। यह सही है कि वह संशोधन जब पिछली बार हमारी सरकार थी, उसमें आया था। और किसी कारण से वह नहीं हो पाया जिसको करने का काम मा0 राजस्व मंत्री जी ने किया है। मा0 राजस्व मंत्री जी ने जो लोगों को जाति, आय, निवास प्रमाण-पत्र बनवाने में बहुत कठिनाई होती थी उसके लिए भी उन्होंने शासनादेश जारी किया है इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। लेकिन मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उन शासनादेशों का कुछ और स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए। दूसरा, मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश में बहुत से ऐसे गांव हैं जहां चकबंदी 20-25 सालों से चल रही है और मेरे क्षेत्र में जिले का दूसरा सबसे बड़ा गांव खोटही है जहां चकबंदी लगभग 35 साल से चल रही है और अब तक उसका निस्तारण नहीं हो पाया है। तो मैं यह चाहूंगा कि जनपद कुशीनगर तहसील हाटा के खुर्दही गांव के चकबंदी को विशेष अभियान चलाकर पूरा किया जाना चाहिए इससे जनता को सहूलियत होगी। मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि चकबंदी का काम बार-बार नहीं होना चाहिए। चकबंदी और राजस्व कर्मचारियों में सामंजस्य बैठाया जाना चाहिए। एक गड़बड़ी कहीं-कहीं होती है कि राजस्व विभाग वाले लेखपाल, कानूनगो जाकर कोई नम्बर नापकर थोड़ा उधर बढ़ा देते हैं और चकबंदी वाले जाते हैं तो नापकर थोड़ा इधर घटा देते हैं। तो कहीं-कहीं राजस्व और चकबंदी विभाग के लोग झगड़ा लगाने का काम करते हैं। इसमें ऐसी व्यवस्था किया जाना चाहिए कि कहीं अगर जमीनों की नापी का काम है तो इस ढंग से किया जाये कि उसमें झगड़ा न लगे। दूसरा मान्यवर, तहसील दिवस पर और जमीन से संबंधित बहुत मामले तहसीलों में आये हैं। लेकिन तीव्रगति से उसका निस्तारण भी हुआ है लेकिन उस गति में तेजी लाया जाना चाहिए और उसमें यह व्यवस्था भी लाया जाना चाहिए कि तहसील दिवस पर खासतौर से जमीनों से संबंधित अगर कोई एप्लीकेशन पड़े तो उसके लिए कोई समयसीमा तय कर दिया जाना चाहिए कि इतने दिनों के अंदर उसका निस्तारण निश्चित कर दिया जाएगा। क्योंकि कभी-कभी अधिकारी इन मामलों को लटकाते रहते हैं। माननीय मंत्री जी ने बहुत सी चीजें बताईं, आम आदमी बीमा योजना जो इन्होंनें बताया, जो गांव का आदमी भूमिहीन है, जिसके पास कोई जमीन नहीं है, इसके पहले अगर कोई दुर्घटना हो जाये तो उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन मंत्री जी ने यह बहुत सराहनीय काम किया है कि आम आदमी बीमा योजना को लागू किया है और जहां तक दुर्घटना की बात है तो पिछली बार, जब मा0 मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, तब उन्होंनें व्यवस्था किया था कि किसी दुर्घटना में सोहनी करते हुए, रोपनी करते हुए या खेत में कोई काम करते हुए, ट्रैक्टर चलाते हुए अगर कोई दुर्घटना हो जाय तो उस परिवार को एक लाख रुपया दिया जायेगा, इसको इस बार बढ़ा कर के पांच लाख कर दिया गया है, यह किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम है।

मान्यवर, मैं मा0 मंत्री जी से एक निवेदन करूंगा, देखिये आपदा राहत में आपने बहुत पैसा बढ़ाया है, लेकिन मंहगाई के नाते वह बहुत कम पड़ जा रहा है, तो कम से कम जहां आग लग जाय, जहां बाढ़ आ जाय तो उसमें इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि जो भी राहत दिया जाय, तो आदमी अपने लिए कम से कम दस हाथ का एक फूस का बंगला बना सके, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मान्यवर, आज मा0 मंत्री जी ने विस्तार से बजट पर चर्चा किया है, उन्होंने कम्प्यूटरीकरण की व्यवस्था कर दी, अब कहीं लेखपाल के पास आदमी को किसी कागजात के लिए भटकना नहीं पड़ेगा यह बहुत सराहनीय कदम है। अब हमारे विपक्ष के साथी हर मामले को लटकाते रहे हैं, कल खाद्य एवं रसद विभाग का बजट आ रहा था, एक साथी हमारे छत्तीसगढ़ की बात करने लगे, खाना उत्तर प्रदेश का और बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में मान्यवर, एक जिले में धान की खरीद में 44 लाख का घोटाला हुआ, तो छत्तीसगढ़ में अगर एक जिले में 44 लाख का घोटाला हुआ तो पूरे प्रदेश में तो कई करोड़ों में जायेगा। तो यहां जो बैठे हुए लोग हैं, उनको अपने बारे में सोंचना चाहिए, वह छत्तीसगढ़ की बात करने लगे तो मैंने कहा कि घोटाला कितना हुआ वह भी बता दीजिए तो उस पर चुप हो गये। मैं तो मा0 अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं पूरे सदन को कि हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश से बढ़िया कोई प्रदेश नहीं है और कानून-व्यवस्था की स्थिति जो उत्तर प्रदेश में है, वह कहीं नहीं है। अब यह है कि उत्तर प्रदेश आपका बहुत बड़ा राज्य है और कई लोगों ने कहा भी कि दुनिया के कई देशों से बड़ा उत्तर प्रदेश है। तो सही बात है, लेकिन कहीं कोई यह नहीं है, लेकिन जो राजस्व का मामला है, इसमें थोड़ा सुधार किया जाना चाहिए और खासकर के जहां-जहां राजाओं की रियासत रही है वहां झगड़ा अधिक है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को यह बताना चाहता हूं कि बहुत जगह मैं पूर्वान्चल की बात कर रहा हूं मैं समझता हूं पूरे उत्तर प्रदेश की बात यही है कि राजाओं ने पैसे लेकर के अपनी जमीन बेंच दिया और गरीब लोग उस पर काबिज हो गये, अब एक व्यवस्था हो गई सेलिंग में कि जो बड़े किस्म के लोग हैं, जमींदार हैं, वह जो जमीन चाहें, सेलिंग में दे सकते हैं, तो जिन जमीनों को उन्होंने बेंचा था, उसी जमीन को सेलिंग में डाल दिया और बहुत जगह यह स्थिति आई कि हम लोगों को खड़ा होकर के, लोगों को बेदखल होने से बचाना पड़ा। यह व्यवस्था उसमें किया जाना चाहिए, बाकी कोई बहुत बात नहीं कहनी है, मा0 अधिष्ठाता महोदय केवल एक बात कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों के जो जाति प्रमाण-पत्र बनाये जाते हैं, तो कुछ लोगों के तो राजस्व अभिलेख देखे जाते हैं और कुछ लोगों का तो बिना राजस्व अभिलेख देखे ही बना दिया जाता है, तो उसमें एकरूपता होनी चाहिए अगर राजस्व अभिलेख देखा जाय तो सबका देखा जाय और मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से एक निवेदन और करूंगा कि जब कम्प्यूटर और इण्टरनेट की व्यवस्था नहीं थी तो उससे पहले बहुत से लोगों के जाति प्रमाण-पत्र बने हुये हैं। अब कहीं नौकरी में या कहीं उनसे इण्टरनेट का मांगा जाता है तो या तो ये व्यवस्था हो जाये कि वही जाति प्रमाण-पत्र देख करके दूसरा जाति प्रमाण-पत्र बना दिया जाये या उसी को इण्टरनेट पर कर दिया जाये। मैं मा0 मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही शानदार बजट पेश किया है और उत्तर प्रदेश के किसानों के लिये सारी चीजें उसमें विद्यमान हैं। आपने मा0 मंत्री द्वारा प्रस्तुत राजस्व बजट पर बोलने का अवसर दिया। इसके लिये मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

श्री उपेन्द्र तिवारी-

मा0 अधिष्ठाता महोदय जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि राजस्व की कटौती पर आपने बोलने का मौका दिया। हमारी पार्टी के नेता श्री हुकुम सिंह जी ने विस्तार से कटौती पर अपने विचारों को रखा, छोटे लाल वर्मा जी ने रखा। समाज को दिशा देने के लिये या समाज में संदेश देने के लिये हम सारे लोग किसी न किसी क्षेत्र से चुन करके यहां आये हुये हैं। यदि थाना होता है, तहसील होती है और हास्पिटल होता है। जिसके माध्यम से अगर काम करे तो निश्चित रूप से समाज में एक बढ़िया संदेश जाता है। आज राजस्व का बजट है और उसी के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि आज पूरे प्रदेश में सभी मा0 विधायकगण बैठे हुये हैं। लोकवाणी संस्था का निर्माण हुआ है। हम लोग भी सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं। पहले लोग आते थे, कहीं आय प्रमाण-पत्र बनवाना होता था, निवास प्रमाण-पत्र बनवाना होता था। कोई मर जाता है या पारिवारिक लाभ की बात चल रही है। किसान क्रेडिट दुर्घटना बीमा योजना की बात चल रही है। आय, निवास में जरूरत पड़ती थी, तहसीलदार को बोलते थे, नायब तहसीलदार को बोलते थे। अब तो वह बाहरी संस्था का हो गया, प्राइवेट सेक्टर में चला गया। अगर आपको एक दिन के अन्दर आय, निवास प्रमाण-पत्र चाहिये तो उसका शुल्क 1000 रुपया है। अगर दो चार दिन में चाहिये तो उसका शुल्क 500 रुपया है। इस तरीके से जैसे लम्बा जायेगा घटता जाता है तो हर तरीके से इसलिये इसमें मा0 अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस पर रोक लगे। मा0 अधिष्ठाता महोदय, किसी भी व्यक्ति के पास, हमारे भी पिता मर गये। पिता के मरने के बाद यह सिस्टम है कि वरासतनामा अपने आप पत्नी के नाम हो जाना चाहिये। पिता के मरने के बाद पत्नी के नाम, पुत्र के नाम वरासतनामा हो जाना चाहिये लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस उत्तर प्रदेश के अन्दर हम, आप तो दूर हैं। जब उत्तर प्रदेश के हमारे मा0 राजस्व मंत्री जी ही इस बात को स्वीकार करते हैं कि उनके पिता जी के मरने के 28 वर्षों के बाद भी जब अपने गांव गये, दूसरे वाले गांव हसनपुरा में और उनका खुद ही वरासतनामा नहीं हो पाया था जबकि पांच साल पहले भी वो राजस्व मंत्री रह चुके थे। जब राजस्व मंत्री जी का ही वरासतनामा नहीं हो सकता है तो पूरे उत्तर प्रदेश की आम जनता, गरीब जनता का, किसान का और अन्य व्यक्तियों का वरासतनामा कैसे होता होगा। इसका आंकलन यह पूरा सदन निकाल सकता है इसलिये मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। [x x x] अभी हमारे एक विधायक जी ने कहा छत्तीसगढ़ में घोटाले की बात।

श्री अधिष्ठाता-

ये राजस्व विभाग का बजट है।

श्री उपेन्द्र तिवारी-

मैं कहना चाहता हूं कि मैं राजस्व पर ही बोलूंगा। विषय से हटकर बिल्कुल नहीं जाऊंगा, इसके लिये वचनबद्ध हूं। आप हमको समझे नहीं। आपने कहा कि छत्तीसगढ़ में घोटाला हुआ एक जनपद में 44 लाख का। मैं कहना चाहता हूं, किसी शायर ने कहा है, वो शेर मुझे याद है कि

''कोई सेहरा कफन बना होगा फिर शहीदों का तन बना होगा।
और हजारों दम बेदम हुये होंगे तो अपना भारत चमन बना होगा।।''

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उस क्रांतिकारी धरती बलिया से हम लोग आते हैं जहां पूरे हिन्दुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ कोई बोलने की कोशिश नहीं करता था। चूं करने की भी कोशिश नहीं करता था। 1857 में मंगल पाण्डे ने मेरठ की छावनी में अपने सेनापति को गोलियों से छलनी-छलनी करने का काम किया है। वह बलिया की क्रांतिकारी धरती है मंगल पाण्डे की धरती, चित्तू पाण्डे की धरती, लोक नायक जय प्रकाश नारायण की धरती, समाजवादी चिन्तक पं0 जनेश्वर मिश्रा की धरती और किसान पुत्र देश के पूर्व प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर की धरती, क्रांतिकारियों की धरती थी लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि माननीय हाई कोर्ट के आदेशानुसार अगर [x x x] पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं दो जनपद में होती है तो बलिया जनपद और सीतापुर जनपद में होती है और इसकी जांच होनी चाहिये कि वो सी0बी0आई0 जांच के घोटाले में है तो बलिया के कौन से विधायक और मंत्री के परिवार के लोग हैं। जो आज भी सी0बी0आई0 जांच का सामना कर रहे हैं।

(सत्ता पक्ष की तरफ से आवाजें आईं कि कौन से बजट पर बोल रहे हैं।)

हम राजस्व पर ही तो बोल रहे हैं। मा0 अधिष्ठाता महोदय जी मैं फेफना विधान सभा से चुनकर आता हूं और फेफना विधान सभा उत्तर प्रदेश के उस स्थान पर है, जहां पर उत्तर प्रदेश और बिहार का बार्डर हुआ करता है। उत्तर प्रदेश और बिहार का इलाका है और जब उत्तर प्रदेश से चलेंगे बिहार के बक्सर रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे तब वहां पर फेफना विधान सभा में आने पर (सत्ता पक्ष के मा0 सदस्यों के बीच में बोलने पर) मा0 जब हम बोल लेंगे, तब बोल लीजिएगा।

श्री अधिष्ठाता-

आप लोग कृपया शांत रहें।

(सत्ता पक्ष के मा0 सदस्य श्री राकेश प्रताप सिंह के द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाये जाने पर)

श्री अधिष्ठाता-

इनके बाद व्यवस्था का प्रश्न रखें।

श्री इकबाल महमूद-

मान्यवर, कार्यवाही में आ जायेगा मान्यवर, कार्यवाही में आ जायेगा, खाद्य विभाग का बजट तो कल रखा गया था।

श्री अधिष्ठाता-

अगर कार्यवाही में कोई चीज ऐसी होगी तो निकाल देंगे।

श्री इकबाल महमूद-

आज राजस्व विभाग का बजट है, खाद्य विभाग का नहीं है, खाद्य विभाग का बजट तो कल हो गया और ये कल के बजट के ऊपर आज बोल रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

उसको दिखवा देंगे, निकलवा देंगे।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उपेन्द्र तिवारी-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि मा0 उसको निकलवा दीजिएगा। मा0 अधिष्ठाता जी, बिहार की सीमा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर मेरी फेफना विधान सभा है, जहां की जनता ने हमें विधायक बना कर भेजा है। बक्सर रेलवे स्टेशन है, हम लोगों को भी बलिया जाना होता है तो बक्सर से जाते हैं, 3 किलोमीटर की दूरी पर भरौली चेकपोस्ट है, यह राजस्व का मामला है, सेलटैक्स की चोरी, कोई एक दिन ऐसा नहीं होगा जहां प्रतिदिन वहां 50 लाख रुपये के राजस्व की चोरी उस भरौली चेकपोस्ट से होती है। मैं कहना चाहता हूं उदाहरण के तौर पर लव कुमार जब बलिया के कप्तान थे और जिलाधिकारी पाण्डेय और वह वन विभाग का भी चेकपोस्ट है और एक दिन उन्होंने (दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने) अचानक चेकिंग किया तो वन विभाग की तरफ से 266 गाड़ियां लगभग 24 घंटे के अंदर पास हुई और 3 से 4 लाख रुपये का राजस्व का लाभ हुआ, 24 घंटे के अंदर, एक साल का आंकड़ा निकाला गया जब उस भरौली चेकपोस्ट पर वन विभाग से तो एक साल के अंदर मात्र लगभग 165 गाड़ियां दिखायी गई थीं आप सोच सकते हैं कि प्रतिदिन कितने लाख रुपये की राजस्व की चोरी, उस भरौली चेकपोस्ट से होती है। इसलिए इस सदन से मांग करता हूं मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी हो या मा0 मुख्य मंत्री हो, कहीं सी0सी0 कैमरा उत्तर प्रदेश के किसी कोने में लगे या न लगे, लेकिन भरौली चेकपोस्ट पर चितवाड़ा गांव मोड़ पर जरूर लग जाए।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य कृपया समाप्त करें।

श्री उपेन्द्र तिवारी-

मा0 अधिष्ठाता जी, मैं एक और चीज कहना चाहता हूं कि एक ऐतिहासिक क्रांतिकारी कदम के बारे में मा0 मंत्री जी ने चर्चा किया, ग्राम सभा की भूमि को सुरक्षित करने का एक बहुत बढ़िया प्रॉस्पेक्टस भी आया है, मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मैं इसका स्वागत करता हूं, लेकिन इस सदन से मैं मांग करता हूं कि नंबर तीन पर उसमें अंकित है कि ग्राम सभा की भूमि को सुरक्षित करने एवं अवैध कब्जेदारों से बेदखली करने के लिए, अगर इसकी शुरुआत गांव में रहने वाले गरीब, किसान, मजदूर से खाली कराने के बजाय इसकी शुरुआत उपेन्द्र तिवारी से हो, इस सदन में बैठे हुए मा0 विधायकों के यहां से हो, अगर इसकी शुरुआत किसी मा0 मंत्री जी के यहां से हो या इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार के मा0 राजस्व मंत्री जी के यहां से हो, तो पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे हिन्दुस्तान के अंदर यह संदेश जायेगा और एक नजीर भी बनेगा इसलिए भी मैं इसकी मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जहां-जहां, अगर कोई मंत्री या विधायक ग्राम सभा की जमीन पकड़ा हो तो निश्चित रूप से उसकी खाली कराने की शुरुआत, पहले वहां से होनी चाहिए उसके बाद निचले स्तर पर जाना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

श्री उपेन्द्र तिवारी-

मा0 अधिष्ठाता जी, एक चीज कहकर मैं अपनी बात कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने राहत के बारे में कहा मैं उत्तर प्रदेश की तो नहीं जानता।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

श्री उपेन्द्र तिवारी-

बस खत्म करने जा रहा हूं, बोलना तो बहुत कुछ था। उत्तर प्रदेश के बारे में तो नहीं कहना चाहता, लेकिन बलिया के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि बलिया जनपद में बाढ़ आई हुई थी और बलिया जनपद से हमारे दो कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, एक मा0 राजस्व मंत्री जी, और एक मा0 बेसिक शिक्षा मंत्री जी और बलिया जनपद के अंदर ही बाढ़ आई हुई थी, बाढ़ का आलम यह था कि 3 दिन, 4 दिन हो गया और सरकार की तरफ से कोई राहत सामग्री नहीं पहुंची और मा0 बेसिक शिक्षा मंत्री जी को मजबूर होकर, सार्वजनिक रूप से बयान देना पड़ा और जिस तरह से राजस्व मंत्री सदन में बयान करते रहते हैं, बढ़िया-बढ़िया, अच्छी-अच्छी बातें ये भी जनपद में बयान दिए आकर और सार्वजनिक रूप से इन्होंने कहा कि राहत का इंतजाम हो गया है। मान्यवर, हम लोग विधायक बने हुए हैं जिस सड़क से गुजरते हैं, विधायक पद की एक गरिमा होती है। जब मंत्री जी के घर के नीचे सिपाही लोग और इनके घर के लोग बैठकर सिगरेट बीड़ी पीते हैं और वसूली खुलेआम करते रहते हैं तब हम लोग सामने से निकलते हैं। और अपना मुंह घुमा लेते हैं पुलिस वाले न देखें कि मा0 विधायक देख रहे हैं इन सब चीजों पर रोक लगनी चाहिए।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप बैठ जायें। माननीय मदन चौहान जी को मैंने बुला लिया है।

*श्री मदन चौहान-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे राजस्व विभाग के इस महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया है। माननीय राजस्व मंत्री जी ने जिस कुशलता के साथ इस बजट को प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं और बधाई भी देता हूं मान्यवर, मैं सबके भाषण सुन रहा था और ऐसा महसूस कर रहा था कि विपक्ष का काम सिर्फ, चाहे सरकार की नीतियां कितनी भी अच्छी क्यों न हों, आलोचना करना है। मान्यवर, सरकार अच्छी सोच के साथ अच्छी नीयत के साथ नई योजनायें लाती हैं जिससे कि वास्तव में जन हित में हैं और जो वास्तव में किसान के हित में हैं भूमिहीन के हित में हैं एक आम आदमी के हित में हैं जो वंचित रह गये हैं उनके हित में हैं उसकी सबको प्रशंसा करनी चाहिए। मान्यवर, बहुत सी योजनायें हैं जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रस्तुत की हैं। जिनकी सोच एक लम्बी सोच है, एक कमजोर आदमी के हित में सोच है कम्प्यूटर को बढ़ावा देने की सोच है जिसमें हमें प्रशंसा करनी चाहिए। मान्यवर, अब राजस्व विभाग के सारे कार्यकलाप कम्प्यूटरीकृत होंगे खतौनी की कापी कम्प्यूटर से मिल जायेगी। जो राजस्व न्यायालयों के फैसले होंगे उसमें आनलाइन आदेश की प्रति कम्प्यूटरीकृत मिल जायेगी। मान्यवर, इस सरकार की अच्छी सोच है यह उन लोगों के लिए सोच है जिनको जानकारी नहीं है ज्ञान नहीं है कि उनके बारे में क्या निर्णय हो गया है और जो उसके क्रियान्वयन के प्रति सजग नहीं है उनको कम्प्यूटर पर क्लिक करते ही आदेश की प्रति मिलेगी। लेकिन विपक्ष का काम सिर्फ आलोचना करना है। मान्यवर, किसान बीमा योजना है

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह किसानों से सम्बन्धित है भूमिहीन लोगों से संबंधित योजना है उनसे संबंधित योजना इसमें लायी गयी हैं जो आम आदमी से संबंधित योजनायें हैं उनको इसमें लाया गया है। उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। मान्यवर, बहुत सारी चीजें हमारी इस सरकार ने बजट में की हैं। जिसमें चकबन्दी अगर ठीक से नहीं हुई, चकबन्दी के स्वरूप में परिवर्तन नहीं हुआ, भूमि सुधार का कार्य ठीक से नहीं हुआ तो फिर राजस्व के क्षेत्र में क्रांति नहीं लायी जा सकती है। मान्यवर अगर सिंचाई में नाली नहीं बनेंगी सम्पर्क मार्ग नहीं होगा तो किसान की उत्पादन क्षमता नहीं बढ़ पायेगी। अगर मेढ़बंदी ठीक से नहीं होगी तो किसानों को फिर फायदा नहीं हो पायेगा। इन सब पर भी ध्यान देने का काम इस सरकार द्वारा किया गया है। इसलिए मैं इस बजट का समर्थन करते हुए कुछ सुझाव अपने निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में देना चाहता हूं मान्यवर, मेरे क्षेत्र में दो जिलों की सीमायें हैं। जहां गंगा नदी बहती है । जो मेरा गढ़ मुक्तेश्वर क्षेत्र है वह हापुड़ में आता है और उसी से लगा हुआ है जे0पी0 नगर। मान्यवर, वहां पर झील प्राकृतिक है। हमारे यहां कुम्हारी कला और सिम्भावली गांव हैं और वहां औरंगाबाद और लिसडी गांव हैं जिनकों लेकर किसानों के बीच विवाद चल रहा है और बहुत कठिनाई है। मैं चाहूंगा कि माननीय राजस्व मंत्री जी का रुझान इस तरफ जाये और उस विवाद का कोई उच्चस्तरीय लेविल से निस्तारण कराया जाय। मान्यवर, हमारे यहां खादर का एक बहुत लम्बा क्षेत्र है वहां गंगा खादर क्षेत्र में हजारों-हजार एकड़ जमीन है उनकी तमाम खतौनी और पत्रावली गायब कर दी गयी है। जमीन किसकी है बुवाई कौन कर रहा है। उसमें माफियाओं का कब्जा है। उसको दिखवाने का काम करें और वहां का पूरा पता लगना चाहिए। मान्यवर, वहां पर गढ़मुक्तेश्वर तहसील के ग्राम रामपुर, नियामतपुर मौ0पुर शाकरपुर तथा इनायतपुर उर्फ नया गांव के सिजरे गायब हैं 1986-87 से मैंने विधान सभा में सवाल भी लगाया था और गायब भी 1986 से 1987 से हैं, उनका पता लगना चाहिए उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए कि आखिर इनको गायब किन लोगों ने किये, आखिर इनके पीछे मंशा क्या थी। इसी तरह से हमारे यहां 2 बड़ी-बड़ी झीले हैं। हरिद्वार के उत्तराखण्ड में जाने के बाद में हमारी सरकार की मंशा है और माननीय मंत्री जी की घोषणा भी है कि उसका हरिद्वार की तर्ज पर विकसित किया जाय। 2 झीले हैं वहां पर, उन झीलों को ही बेच दिया माफियाओं ने और पत्रावली गायब कर दी जबकि झीलों के कहीं पर पट्टे नहीं काटे जा सकते उन झीलों पर कब्जा कर लिया तो इनके विरुद्ध कदम उठाना पड़ेगा। दूसरा मान्यवर, कुम्हारीकला है। आज हमारा प्रजापति समाज एक वंचित समाज है उस समाज को माननीय नेता जी की अनुकम्पा से, माननीय नेता जी की नीति के अनुसार कुम्हारीकला के लिए, प्रजापति समाज के लिए, बर्तन बनाने के लिए कोई जमीन का आवंटन होता है तो अभी भी उस पर ऐसे बहुत लोगों के कब्जे हैं जो मजबूत लोग हैं। मान्यवर, उनकी कुम्हारीकला की जमीन के लिए उनको बढ़ावा मिलना चाहिए। उनका साधन है यह जीविका का, उनके बच्चों के लिए यह एक साधन बना हुआ है इसको बढ़ाने की जरूरत है।

मान्यवर, दूसरा मेरा सुझाव हैं जो लोग कृषक हैं या दूसरे लोग हैं अपने खेत की मेढ़ों पर कुछ वृक्षारोपण करते हैं, सफेदे के पौधे लगा दिये जब वह पेड़ बड़े हो जाते हैं तो उनको काटते हैं तो अक्सर मैंने यह महसूस किया है गांव में जाकर देखा है कि इस पर झगड़े होते हैं। कई बार पता लगता है कि जमीन एलएमसी की थी उसकी जमीन से एलएमसी लगती थी और मेढ़ पर उसने वृक्ष लगा दिये और उसे बेचने का नम्बर आया तो सरकार ने कहा कि हमारे पेड़ हैं या किसी दूसरे

किसान ने कहा कि यह मेरे पेड़ हैं। तो इन पर बहुत बड़ा झगड़ा है। इस झगड़े के लिए कोई ऐसी नियमावली, कोई अधिनियम कोई आना चाहिए कि कितनी जगह छोड़ करके हम अपने खेत में पौधे लगा सकते हैं। इसी तरह से सिंचाई की नाली के लिए है और मेरे क्षेत्र में गांव है आलमनगर मान्यवर, वहां चकबन्दी की बड़ी आवश्यकता है क्योंकि लोगों में आये दिन झगड़ा होता रहता है। तो इस झगड़े के लिए चकबन्दी जरूर होनी चाहिए। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जनहित गारन्टी अधिनियम, जो जनहित गारन्टी अधिनियम है अगर इसका क्रियान्वयन जोकि मैने महसूस किया है जो हमारे बीच में यह बहुत बड़ा पटवारी, तहसीलदार, उप जिलाधिकारी, जिलाधिकारी यह बहुत बड़ा सक्रिल जो वैक्यूम है उसमें जनहित गारन्टी अधिनियम का पालन नहीं होता और जब पालन नहीं होता तो पटवारी से लेकर के आयु प्रमाण-पत्र हो, जन्म प्रमाण-पत्र हो, आय प्रमाण-पत्र हो, निवास प्रमाण पत्र हो इसको इश्यू करने में, देने में बहुत देरी करते हैं। मान्यवर, कुछ जातियां ऐसी हैं जिनमें आज भी सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहे हैं। जैसे धुना-धानुक के बीच अन्तर बताया जाता है, अरेड़िया-बहेलिया के बीच में अन्तर है, अरेड़िया लोग हमारे यहां पर निवास करते हैं, वह बहेलिया भी कहे जाते हैं लेकिन अरेड़िया में दूसरी बिरादरी में कोई सा सर्टिफिकेट उनको इश्यू नहीं हो पा रहा है। इस जाति प्रमाण-पत्र का समाधान होना चाहिए। मान्यवर, प्रेक्टिस में जब तक कम्प्यूटराइज नहीं आयेगा तब तक हम उसके परिणाम के प्रति आलोचना के हकदार नहीं हैं। हमने शुरुआत की है हमारे युवा मुख्य मंत्री जी ने एक ऐसी शुरुआत की है जो देश को दिशा और दशा को तय करेगी तो यह उस दिशा को सुधारने में एक कदम है तो उसकी सराहना की जानी चाहिए। मान्यवर, मेरे सुझाव आपने लिये मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं।

*डा0 मो0 मुस्लिम-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे राजस्व के बजट पर संशोधन में सदन से रूबरू होने का मौका दिया मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपका आभार प्रकट करता हूं हमारे माननीय मंत्री जी जिन्होंने बजट को पेश किया मैं उनकी इसलिए तारीफ करूंगा कि उन्होंने एक अच्छा काम किया कि तहसीलों में जो किसान जाकर भटकता था, मारा-मारा फिरता था उनके अभिलेखों में उसके पूर्वजों का नाम काट दिया जाता था उनके न होने पर उसका नाम नहीं आता था, तो एक इन्होंने ऐसा कार्य कर दिया कुछ जिलों में किया है पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं किया है, उससे किसान का बड़ा फायदा होगा। कम्प्यूटराइज जो कर दिया है उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं माननीय मंत्री जी मेरी आपसे गुजारिश है कि सदन में आप थोड़ी देर, चलिये बहुत शुक्रिया आपका, जब उठे तो मुझे लगा कि माननीय हमारे राजस्व मंत्री जी कहीं जा रहे हैं बहुत आपका धन्यवाद। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और जो तहसीलों में और राजस्व विभाग में जो गड़बड़ियां हैं, उसका जिम्मेदार कौन है। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा उस गड़बड़ी का जिम्मेदार लेखपाल है। लेखपाल ऐसी शख्सियत है जो फौत हो जाती है पूर्वजों को, 20-20, 22-22 साल तक अभिलेखों में उनका नाम नहीं आता। बगैर रुपया लिये नाम चढ़ता नहीं है। जमीन नापने जाते हैं तो कहीं इस लठ्ठे से कहीं उस जगह से, गांव में झगड़ा पैदा करते हैं, विवाद पैदा करते हैं, झगड़े की जड़ लेखपाल है और एक-एक तहसील में लेखपाल 8-8 साल तक वहां तैनात हैं और उस

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तैनाती में वह अपनी पूरी जागीर समझ लेता है गांव को और अपनी जागीर समझ करके वहां पर आपस में लोगों को लड़ाता है तो अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह बात कहना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में और खासतौर से अपनी अमेठी विधान सभा में तिलोई विधान सभा की बात करना चाहता हूं, तिलोई विधान सभा में कुछ गांव ऐसे हैं, जहां जो पट्टे हो रहे हैं, जिनको पट्टा मिलना चाहिये, उन लोगों को नहीं मिल रहा है और जो बड़े लोग हैं, उनको पट्टा दिया जा रहा है, उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, इन चीजों के संबंध में मेरी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से गुजारिश है कि तिलोई विधान सभा में जितनी ऐसी फाइलें हैं, उनको रूकवाकर दुबारा उनकी जांच कराई जाये, पट्टा उनके रोके जायें और निरस्त किये जायें । हमारे अमेठी लोकसभा में 5 तहसीलें हैं, वहां पर नायब तहसीलदारों की बहुत कमी है, दो नायब तहसीलदार एक तहसील में अवश्य होना चाहिये और अमेठी लोकसभा क्षेत्र में कुल दो नायब तहसीलदार हैं, वहां और नायब तहसीलदारों की तैनाती की व्यवस्था की जाये। एक मेरी तिलोई विधान सभा में एक ग्रामसभा है राजस्व से ताल्लुक है उसका। उस ग्राम सभा की जमीन पर हमारे वन विभाग का वृक्षारोपण हुआ, वहां की आबादी 60-70 साल से उस गांव में आबाद है और अब जो वन विभाग है वह राजस्व की जमीन पर कब्जा किये हुये हैं, ग्राम समाज की जमीन पर अपना कब्जा किये है और गांव वालों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, मकान गिर गया है, बारिश में उस मकान को नहीं बनाया जा सकता, तमाम दिक्कतें वहां के किसानों को हो रही हैं। मैं अधिष्ठाता महोदय, आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह जो हमारी गांव की आबादी है और जो ग्राम समाज की जमीन पर वन विभाग ने कब्जा कर रखा है, उनको जहां खाली भूमि हो, वहां ट्रांसफर कर दिया जाये और हमारा गांव विधान सभा तिलोई का भूजीभूलामऊ, उसको वहां पर स्थापित रखा जाये। आपका बहुत-बहुत आभारी हूं कि आपने मौका दिया, अपनी बात रखने का, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय रिजवी साहब, माननीय दलवीर सिंह जी लोकदल के नेता हैं, इनके बाद आप बोल लीजियेगा ।

श्री दलवीर सिंह -

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का समय दिया मैं आभारी हूं, आज यह सदन ऐसे बजट पर ऐसे विभाग पर चर्चा कर रहा है जिस जेड0ए0एल0आर0 एक्ट को हमारे देश के महान नेता चौधरी चरण सिंह ने 1948-1950 में बनाया। चाहे यू0पी0 जेड0ए0एल0आर0 एक्ट सही, चाहे मंडी एक्ट सही, चाहे कंसोलीडेशन एक्ट सही, जो भी किसानों से संबंधित एक्ट थे, यह उन महान नेता की देन है जो इस प्रदेश को उन्होंने बनाकर दिये। आज यह सदन उस पर चर्चा कर रहा है और हमारी सरकार के बड़े वरिष्ठ और अनुभवी मंत्री ने इस बजट को सदन के सामने रखा है। सभी लोगों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये। मैं कटौती पर माननीय हुकुम सिंह जी के साथ अपने को सम्बद्ध करते हुये कुछ सुझाव देना चाहता हूं। कई चीजों में विसंगतियां हैं जैसे अभी बीमा की बात आई बीमा कई लोगों को मिलता है कई लोगों को नहीं मिलता। कई किसान पोखर, तालाब नहर में डूबकर मर जाते हैं लेकिन एक्ट में यह नियम नहीं है कि उन

सबको इस परिधि में लाया जाय। माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि बिजली के तारों के टूटने के बाद सर्प के काटने के बाद, पोखर तालाब और नहर में डूबने के बाद इन सबको दैवी आपदा में आप शामिल करें। दैवी आपदा में शामिल करने के सब प्वाइंट हैं। बिजली का तार जब टूटता है तो वह भी दैवी प्रकोप से टूटता है पोखर या नहर में आदमी जब डूबकर मर जाता है तो वह भी ऊपर वाले की कुदृष्टि से होता है। सर्प जब काट लेता है तो वह भी दैवी आपदा की श्रेणी में आना चाहिए। मेरा सुझाव है कि चारों पांचों घटनाओं को आप दैवी आपदा में शामिल करें। मुकदमा इतने लंबित हैं अगर यहां राजस्व विभाग के अधिकारी बैठे हों हजारों हजार एकड़ जमीन 145-46 में अवरुद्ध होकर पूरे प्रदेश में हजारों बीघा जमीन पड़ी है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि ऐसे केस जो 10-10, 20-20 वर्ष से लंबित पड़े हैं उनके लिए अलग से न्यायालय बनाकर जिलाधिकारी को निर्देश देकर उनको तत्काल प्रभाव से निस्तारित किया जाय। यह बहुत बड़ी समस्या है पूरे प्रदेश में एस0सी0 कास्ट के लोगों को आपने पट्टे दे दिए दो-दो तीन-तीन बीघा उनको जमीन मिल गई ट्रैक्टर ले नहीं सकते ट्यूबवेल लगा नहीं सकते कोई काम उनमें कर नहीं सकते कभी आवश्यकता पड़ गई तो उन बेचारों को जमीन बेचने पर भी प्रतिबंध लगा रखा है। मैं राजस्व मंत्री जी से कई बार निवेदन कर चुका हूं क्या हुआ उन बेचारों को पट्टा देने से । जब उनको जरूरत होती है तो वह जमीन तो बेचते ही हैं और होशियार आदमी जो जमीन की खरीद फरोख्त का काम करते हैं चाहे तो वह वर्गगज के हिसाब से स्टाम्प लगाकर जमीन ले लें, चाहें तो उनकी बिरादरी के आदमी के नाम बैनामा कराकर परमीशन लेकर जमीन ले लें। उनकी जमीन तो बिकनी ही है मेरा आपसे निवेदन है कि उनको जमीन बेचने का अधिकार जरूर दिया जाय। सामान्य बीमा योजना की आपने व्यवस्था की इस योजना में थोड़ी सी कमी है उसमें मैं आपसे सुझाव देना चाहता हूं आपने सभी विधायकों से कहा कि आप लोग फार्म लें तहसीलों से भरवाएं और गांव में जाकर यह सब काम करें यह संभव नहीं है एक विधायक के पास इतने काम हैं जितने उत्तर प्रदेश में विभाग हैं उन सबको देखता है। सब समस्याओं को देखता है बालक पैदा होने से लेकर जब आदमी का पोस्टमार्टम होता है वहां तक जिम्मेदारी विधायक की है। इतने काम की जिम्मेदारी विधायक पर है तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

(इस समय 02 बजकर 42 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

कि इसमें राजस्व विभाग की जिम्मेदारी निर्धारित की जाय हल्का के लेखपाल को बताएं कि वह फार्म ले जाय और वहां सामान्य बीमा योजना की रेंज में जितने लोग आते हों उनके फार्म भरवाकर उनको लाभ दिलवाने का काम करे। अमीन बहुत दिनों से प्रतीक्षा में हैं कि कब माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार आएगी अखिलेश जी की सरकार आएगी उसमें राजस्व मंत्री होंगे अम्बिका चौधरी जी हम लोग परमानेंट होंगे उनको 25-25 साल हो गए हैं आज तक विचारों का कोई सुनने वाला नहीं है मेरा आपसे सुझाव है कि वह बहुत थोड़े से लोग रह गए हैं वैसे आप कहेंगे कि कलेक्शन का काम खत्म हो गया है इसलिए अमीनों की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत कलेक्शन का काम हैं बैंक का बिजली विभाग का बहुत कलेक्शन का काम है। कृपया उनका नियमितीकरण कराएं। एक मेरा सुझाव है कई उस्ताद लेखपाल आपने पहले मान लिया कि हमारे यहां कानूनगो की कमी है वाकई कमी है नायब तहसीलदार, तहसीलदार भी तहसीलों में कमी है कई उस्ताद किस्म के लेखपाल आसन लगाकर बैठे हैं और आर0के0चार्ज उन्होंने ले लिया है इस कदर लूट कर रहे हैं तहसीलों में बैठकर तो मेरा यह

सुझाव है यहां राजस्व के अधिकारी भी बैठे हैं सीनियारिटी के हिसाब से क्रमबद्ध तरीके से उनको समय दे दिया जाय कि चार-चार महीने का उनको चार्ज देते रहें जब तक आप आर0के0की कमी पूरी नहीं कर लेते। हर तहसील में एक आदेश दे दें एक ही पटवारी जो माल मारने के लिए बैठा है चार-चार छह-छह सालों से अधिकारियों की अच्छी चमचागिरी कर लेता है उसको रजिस्ट्रार कानूनगो बना दिया गया है टेम्परेरी मेरा सुझाव है कि उन्हें अदला-बदली के सिस्टम में सीनियारिटी के हिसाब से चार-चार महीने की जिम्मेदारी देते रहेंगे तो एक ही को माल मारने का अधिकार नहीं मिलेगा और हो सकता है कि जब तक वह माल मारने की तरकीब सीखेगा तब तक दूसरा आ जायेगा। कई समस्याएं आती हैं हमारे बाबा बैठे सौ साल के, जमीन इनके नाम है नाती खेती का काम करते वक्त मर गया क्योंकि जमीन उसके नाम नहीं है लेकिन वह उस जमीन का वारिस है और पूरी तरह से खेती में संलिप्त है लेकिन उसे बीमा का लाभ नहीं मिलता, यदि सरकार नियमों में शिथिलता ला करके परिवर्तन करा सकती हो तो करा दे यह बहुत अच्छा काम हो जायेगा। ग्राम समाज के सम्बन्ध में हम सभी विधायकों के सामने एक समस्या आ रही है कि पुराने जो गांव बने हैं, गांव के मजरे बने हैं ग्राम समाज की जमीन पर बने हैं, कई तो आज भी राजस्व अभिलेखों में ग्राम समाज दर्ज हैं और मकान सौ, दो सौ वर्षों से बने पड़े हैं, मेरा आपसे एक सुझाव है कि जहां सौ या पचास वर्षों से आबादी बन गई है ग्राम समाज की जमीन में तो उनको आबादी घोषित कर दिया जाए। क्या होता है कि जब जिसकी सरकार आती है तो वह उनको 920 बी नोटिस भेज देती है ह्रास करना होता है तो नोटिस 920 बी भेज दिये जाते हैं इस प्रकार से उनका ह्रास होता रहता है। हालांकि होता कुछ नहीं है किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं कि वह सौ साल के बने हुए गांवों को उखड़वा दे लेकिन उनका 0226 ह्रासमेंट होता रहा है, मेरा आपसे सुझाव है कि ऐसे गांवों को आबादी घोषित कर दिया जाए। एक और समस्या है आर0सी0 के लिए आप 10 प्रतिशत लेते हैं चाहे वह बिजली की हो या बैंकों की, किसान बिलबिलाता है तड़पता है, जेवर गिरवी रखकर, कर्ज ले करके आपकी आर0सी0 का भुगतान करने के लिए आता है। मेरा सुझाव है कि यदि किसान का मामला हो तो जो आप 10 परसेंट चार्ज करते हैं कृषि बकाया पर चाहे वह बैंक का ऋण हो चाहे बिजली का ऋण हो, आप उनको इस 10 परसेंट चार्ज से मुक्त कर दें ऐसा मेरा आग्रह है, यह अच्छा काम होगा और आपके राजस्व मंत्री के रूप में अच्छी उपलब्धि होगी, प्रदेश की जनता और किसान सराहना करेगा अम्बिका चौधरी जी राजस्व मंत्री थे उन्होंने 10 परसेंट का कलेक्शन चार्ज खत्म कर दिया। तहसीलों में शिकायत हो रही है सब लोग देखते हैं, अभी हमारे माननीय सदस्य ने बड़े सीनियर हैं, बड़े योग्य भी हैं मैं उनके अनुभव को चैलेंज नही करता उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कंसोलीडेशन को बड़े अच्छे तरीके से रखा था, वह कह रहे थे कि 90 परसेंट शिकायतें निस्तारित हो गईं। यह गलत बात है, शिकायतें निस्तारित नहीं हुईं जैसा कि अभी हमारे माननीय हुकुम सिंह जी ने और अन्य साथियों ने कहा, मैं भी प्रभारी मंत्री रहा हूं गाजियाबाद का रहा हूं, गोरखपुर का रहा हूं, प्रभारी मंत्रियों को आप अधिकार दें वह जब जनपद में जाएं तो रैण्डम चेकिंग एकआध तहसील की अवश्य करें जिससे कि वहां का प्रशासन यह महसूस करे कि प्रभारी मंत्री आ करके किसी भी तहसील को चेक कर सकता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो अच्छा काम होगा। एक और बहुत बड़ी विसंगति है, पूरे प्रदेश की जनता ने बहुजन समाज पार्टी के गलत नियमों, गलत कामों के लिए बहुजन समाज पार्टी को हटाने के लिए हम लोगों को जिताया है। एक

अंधा कानून है कि एस0सी0 कास्ट का व्यक्ति अगर किसी के घर पर कब्जा कर लेता है तो वह उसका मालिक हो जायेगा। इस एक्ट को आप हटायें या तो यह अधिकार सभी जाति और धर्म के व्यक्ति को होना चाहिए कि जो जहां कब्जा कर ले वह उसका हो जायेगा। मेरा सुझाव है कि या तो इसे खत्म कर दें या फिर सभी को अधिकार दे दें। एक हमारे सामने और जितने भी हरियाणा, बिहार या अन्य बार्डर पर लोग रहते हैं उनके सामने यह समस्या है, हमारे यहां दीक्षित अवार्ड करके एक समिति बनी थी तय हुआ था कि इधर जब भूमि कटकर आ जायेंगे तो राजस्व अभिलेखों में उनका नाम दर्ज हो जायेगा। इतनी दुःखद घटना मैं अपनी तहसील खेर जनपद अलीगढ़ की बता रहा हूं कि हमारी पुलिस जिसे हम अपनी पुलिस कहते हैं। वह हरियाणा के किसानों से मिल गयी और उनकी मद्द कर रही है, हमारी नहीं। हमने कहा कि तुम लोगों को धिक्कार है, ऐसा काम कर रहे हो, तब जा करके रूके हैं। वरना हमारी ही पुलिस उनकी मद्द करने के लिए तैयार है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसा सख्त कानून बनाये, ऐसा निर्देश दें कि हमारे जो किसानों का हक है उसकी हकतलफी न हो। हमारी सरकार, हमारी पुलिस, हमारे अधिकारी उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप कहें, जहां भी बार्डर के जिले हैं अपने किसानों की मद्द करें।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री दलवीर सिंह-

फेमिली सेटिलमेण्ट और 161 का प्रकरण है। सभी लोग जानते हैं, काफी लोगों में फेमिली सेटिलमेण्ट होने की एक विचाराधारा बन जाती है, जमीनों के सेटिलमेण्ट की। उनके बॅटवारे में कभी अड़चन आती है तो फेमिली सेटिलमेण्ट को रोक दिया गया है, मैं चाहूंगा कि उसको चालू करायें। दूसरे, कई किसानों के ऐसे खेत होते हैं कि मेरा पीपल वाला खेत है इनका चामर वाला खेत है लेकिन चामर वाला मेरे पास आ रहा है और पीपल वाला उनके पास जा रहा है तो अगर 161 में खुशी-खुशी एक्सचेंज करना चाहें किसान, तो इसे 161 की परमीशन दे दी जानी चाहिए, मेरा ऐसा सुझाव है। अधिकारी यहां बैठे हैं, किस तरह से इम्पलीमेंट करेंगे यह आप लोगों को देखना है। दो-तीन बिरादरियों का बड़ा झगड़ा पड़ रहा है, अभी चौहान साहब कह रहे थे कि अहेरिया, बहेलिया, धनगर, बघेले, धानुख धनगर, धीमर, धानुख इन विसंगतियों की वजह से कई जनपदों क्या, पूरे प्रदेश में सर्टीफिकेट जारी नहीं हो रहे हैं इसको कृपा करके क्लीयर करायें। आपने जो 17 जातियां रखी हैं, एस0सी0 में वह आपका बढ़िया काम है। उसमें मेरा एक सुझाव और है जो सब लोग जानते होंगे, दो जाति एक कढ़ेरा जो रजाई वगैरह भरते हैं, धुनते हैं उनसे भी गरीब कोई हो सकता है क्या? कढ़ेरा, धुनिया, धुनार और अहेरिया इन जातियों को भी आप एस0सी0 जाति में शामिल करें। यह मेरा सुझाव है और इन जातियों की जो विसंगतियां हो रही हैं, जिलाधिकारी सर्टीफिकेट बनाकर नहीं दे रहे हैं, महिलायें रो-रो करके विधायकों के दरवाजे से लौटकर चली जा रही हैं तो इस विसंगति को भी आप दूर करायें। यह मेरे सुझाव हैं। दूसरा मैं अंत में आपके लिए धन्यवाद भी दूंगा आपने मेरी विधान सभा क्षेत्र के एक बाजगरी गांव में पिछली सरकार में मा0 अध्यक्ष जी, वह अत्याचार हुआ था, बहुजन समाज पार्टी के एक प्रभावशाली नेता ने जिस गांव में ढ़ाई हजार बीघा जमीन थी उसने उस गांव में रिकार्ड में तीन हजार बीघा जमीन करा दी और पूरी पांच सौ बीघा जमीन नोयड़ा, गाजियाबाद और

दिल्ली के लोगों ने फर्जी राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराकर पूरी बेच दी। कम से कम दसियों करोड़ का घोटाला किया। मैं आपको धन्यवाद इसीलिए दे रहा हूं कि आपने जांच करायी और कोई अपर आयुक्त, चकबंदी गये थे, शायद यहां बैठे होंगे, उन्होंने बहुत अच्छी जांच की, दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। अब मुझे अफसोस यह हो रहा है कि उसे जेल जाना चाहिए था वह अभी जेल नहीं गये हैं। अभी वह इधर से उधर घूम रहे हैं और चक्कर लगाते फिर रहे हैं, एक तो उनको जेल जाने का पनिशमेंट मिलेगा तो एक सन्देश जायेगा। दूसरी, जो उन्होंने गलत तरीके से जमीन हथिया रखी है अपनी जो मूल जमीन थी उसे बेच दी और जो कब्जा कर रखे हैं उनसे वह जमीन ले ली जाए। मैं अंत में यही निवेदन करूंगा कि चौधरी चरण सिंह साहब के इस ऐक्ट के बनाने के बाद जब से अब तक जितनी सरकारें आयी हैं कहीं कोई कलम लगाने की अभी तक किसी की कोई हिम्मत तो हुई नहीं है। न कोई विशेष परिवर्तन कर पाये हैं। मुझे आशा है कि वर्तमान समाजवादी पार्टी की सरकार के विद्वान और सीनियर मंत्री कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन करके दिखायेंगे जिससे प्रदेश में एक समाचार जाये और आपकी सरकार की पहली उपलब्धि होगी। सीधा-सीधा किसानों से जुड़ा हुआ आपका महकमा है। आप इसमें जरूर परिवर्तन कराये। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री जियाउद्दीन रिजवी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने राजस्व विभाग के बजट पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो राजस्व का बजट रखा है, वह बहुत ही क्रांतिकारी बजट है और बहुत ही उपयोगी है। माननीय हुकुम सिंह जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा है मगर सारे कागज देखने के बाद उनको कुछ खामियां नहीं मिलीं नाम मात्र का उन्होंने उल्लेख किया वादों का, तहसील दिवस का और अधिकारियों का। सबसे बड़ी जो खूबी इसमें है 5 साल पहले भी माननीय अम्बिका चौधरी राजस्व मंत्री थे और उस समय भी इनका प्रयास यह था कि चौधरी चरण सिंह जी के बाद राजस्व विभाग में कुछ क्रान्तिकारी परिवर्तन लाये जायं क्योंकि आम जनता से जुड़ा हुआ राजस्व विभाग है। किसानों को डायरेक्ट इससे जूझना पड़ता है और उस समय भी इन्होंने काफी प्रयास करके खतौनी को कम्प्यूट्राइज किया। पट्टों का अधिकार जो बहुजन समाज पार्टी के राज में एक जाति विशेष को दिये जाते थे उसमें भी परिवर्तन करके उन्हें सभी जातियों के लिये ग्राम सभा की जमीन में जो इसके पात्र व्यक्ति हैं उनको पट्टे देने का अधिकार दिया और भी कई क्रान्तिकारी परिवर्तन उस समय लाये। सरकार जाने के बाद जो भी राजस्व मंत्री बने उन्होंने इसमें कोई ध्यान नहीं दिया और आज सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि आज जो न्यायालयों का कम्प्यूट्राइज करने का काम जो माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में माननीय राजस्व मंत्री जी ने किया है, यह एक बहुत बड़ा क्रान्तिकारी कदम है। मैं समझता हूं कि पूरे हिन्दुस्तान के सभी लोग इसको सराहेंगें। नायब तहसीलदार से ले करके राजस्व परिषद् तक न्यायालय में लम्बित वाद और सारी चीजें जनता से सीधे जुड़ जायेंगीं और किसान घर बैठे अपने वादों को, समस्याओं को देख पायेंगें। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि जो किसान बही माननीय कल्याण सिंह जी के राज में इसको शुरू किया गया था और इसको वैधानिक मान्यता नहीं मिली। किसान उसको ले कर जाता था और कोई उसको पूछता भी नहीं था। मैं स्वागत करना चाहता हूं माननीय राजस्व मंत्री जी का, इन्होंने आज किसान बही को वैधानिक मान्यता दी है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिससे आम जनता, आम किसान को बहुत लाभ पहुंचेगा क्योंकि उसमें सारा डाटा है। उसके अभिलेख से लेकर उसके बैंक से लेकर उसके आय व्यय सारा डाटा उसमें बनाया गया है उससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। मैं माननीय राजस्व मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने पिछले समय में भी राजस्व मंत्री के रूप में कब्रिस्तानों को एक आर्डिनेंस जारी करके तहसीलदारों तक भिजवाने का काम किया था कि जहां भी कब्रिस्तान है, मुसलमानों के कब्रिस्तान है उसको अभिलेख में दर्ज किया जाय और वह काम शिथिल पड़ गया बहुजन समाज वार्टी के राज में। आज मैं फिर से मांग करना चाहता हूं कि इसको सुनिश्चित करने का काम करें क्योंकि कई जगह से हम लोगों के सामने यह समस्या आती है और आपकी सरकार ने पहली बार कब्रिस्तानों की बाउन्ड्री के लिये 300 करोड़ रुपये का प्रबन्ध किया है। क्योंकि नाजायज रूप से लोग इसको कब्जा कर रहे हैं । अभी यहां पर चिनहट में कब्रिस्तान है, वहां पर तमाम कब्रे हैं, मैं गया था वहां पर उधर से। वहां पर बोल्डर से गिराने का काम बिल्डर ने किया था। और वह सारे लोग अम्बिका चौधरी, माननीय राजस्व मंत्री जी से मिलने भी आये और प्रतिवेदन भी दिया। राजस्व विभाग कहता है कि मैं इसको कब्रिस्तान नहीं दर्ज कर पा रहा हूं, कुछ खामियां दिखाकर। ऐसे तमाम कब्रिस्तान हैं, जहां पर उसी समाज के लोग नाजायज रूप से कब्जा किये हुए हैं। और जहां शहरों में कब्रिस्तान हैं वहां पर बिल्डरों की निगाह लगी हुई है और बिल्डर उस पर नाजायज कब्जा करके बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर रहे हैं इस पर मैं राजस्व मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि हमारे कब्रिस्तानों को सर्वे कराकर लेखपाल तक यह आदेश आपका जाना चाहिए कि गांव में घूमकर और शहरों में घूमकर जहां मुस्लिम कब्रिस्तानें हैं उनको अभिलेख में तत्काल दर्ज करके और खतौनी का कम्प्यूटराइजकरण किया जाए। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि जो आग लगी आपने आपदा प्रबन्धन का तुरन्त इंतजाम किया वह सराहनीय कदम है। जहां-जहां से सूचना मिली है आपने तत्काल राहत देने का काम किया है।

मान्यवर, आप केन्द्र सरकार से बात करें, इसमें राहत बढ़ाने का काम होना चाहिए। जो किसान दरिया के किनारे बस गया है गांव में रहता है तो गर्मी के दिनों में गांव का गांव जल जाता है। मेरे इलाके में 12-13 गांव तो हर साल जलते हैं। जो गांव जल जाते हैं और गरीब पिछड़े वर्ग के लोग उसमें हताहत होते हैं। और उसमें जो उनको राशि दी जाती है अनुदान की, वह नाममात्र की राशि है वह एक मड़ई डालने का काम नहीं करते हैं हम लोग मौके पर जाते हैं तो अपने पास से उनको प्लास्टिक का बरतन का कपड़े का इंतजाम करते हैं। दो तीन हजार रुपये में वह अपना जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। पीड़ित किसान गांव में रोता फिरता है गांव वाले उसकी सहायता करते हैं और राशन की व्यवस्था करते हैं। यह व्यवस्था होनी चाहिए जिस प्रकार आप बाढ़ आपदा में तत्काल राशन देते हैं बाढ़ पीड़ितों के लिए, तो आग जब गांव में लगी होती है तो तहसीलदार और एस0डी0एम0 को यह आदेश देना चाहिए उनको राशन का पर्याप्त इंतजाम कराया जाए जिनके घर जल गए हैं जो बरबाद हो गए हैं जिनकी मड़ई जल गई है और जो उनको राशि मिल रही है वह उनको कम मिल रही है उसको बढ़वाने का काम आप केन्द्र सरकार से कहकर करें। मैं आपसे मांग करना चाहता हूं कि गांव में तालाब और कुओं का वजूद खत्म हो रहा है इससे तमाम तरह की दिक्कतें पैदा हो रही हैं। तालाबों का सर्वे कराकर उनके रख-रखाव का इंतजाम, उनको पुनर्जीवित करने का काम किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

खत्म करें।

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

मान्यवर, तालाबों का जो पट्टा होता है उसको पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक या अपर क्लास के जो गरीब लोग हैं उनको भी अधिकार दिया जाना चाहिए कि गांव में जो तालाब हैं उनको पट्टा दिया जाना चाहिए। आपने जैसे जमीन के पट्टे का अधिकार दिया है कि जो सवर्ण क्लास के लोग हैं उनको भी पट्टा दिया जाएगा उसी तरह से पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और अपर क्लास के जो गरीब लोग हैं उनको तालाबों का पट्टा दिया जाए। यह मैं आपसे मांग करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

खत्म करें।

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

मान्यवर, इसी तरह से जो आम आदमी बीमा योजना लागू किया है मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं इससे लाखों गरीब लोगों को फायदा मिलेगा आपने यह बहुत अच्छी स्कीम चलाई है। यह स्वागत योग्य कदम है। पिछली सरकार में एक लाख रुपये का किसान बीमा योजना का चेक दिया था उसको बढ़ाकर आपने पांच लाख कर दिया है इससे आम जनता को बहुत राहत मिली है। मैं इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करना चाहता हूं। मान्यवर, इसी तरह से चकबन्दी के बारे में कहना चाहूंगा, चकबन्दी प्रक्रिया बहुत जटिल हो गई है।

श्री अध्यक्ष-

समाप्त करें।

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

मैं अपने जनपद बलिया के बारे में मांग करना चाहता हूं। हमारे जनपद में दो गांव हैं पूर गांव सभा, जो बहुत बड़ा गांव है अधिकारी साहिबान लिख लें, पूर गांव जो है आज 22 साल हो गया है चकबन्दी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है उसका चक नहीं किया गया है। बहुत सारे विवाद हैं।

श्री अध्यक्ष-

समाप्त करें।

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

सीसोतार गांव, दो गांव हमारे इलाके में ऐसे हैं जिनकी चकबन्दी फाइनल नहीं की गई है। चकों पर कब्जा, परिवर्तन का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। पूरे गांव के लिए चकबन्दी आयुक्त का आदेश हुआ लेकिन अभी तक चकबन्दी परिवर्तन का कार्य अधिकारियों की शिथिलता के कारण पूरा नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

बैठिए अब। यह नहीं मान रहे हैं तो कुछ नहीं लिखा जाएगा।

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

[x x x]

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

तो अब कुछ नहीं लिखा जाएगा।

रिजवी जी, अब आप समाप्त करें। मौर्य जी, आप शुरू करें।

(श्री जियाउद्दीन रिजवी बोलते रहे और श्री नीरज कुशवाहा मौर्य ने भी बोलना प्रारम्भ कर दिया।)

श्री अध्यक्ष-

रिजवी जी, आप बैठिए, अब आपका कुछ नहीं लिखा जायेगा।

(श्री जियाउद्दीन रिजवी बोलते रहे लेकिन उनका माइक ऑफ होने के कारण कुछ सुनाई नहीं दिया)

श्री अध्यक्ष-

यह बलिया के लोग किसी की बात मानते नहीं हैं। इनकी भी वही आदत है और उनकी भी वही आदत है।

*श्री नीरज कुशवाहा मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे राजस्व विभाग के बजट पर हो रही चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नेता भाजपा, श्री हुकुम सिंह जी द्वारा रखे गए कटौती के प्रस्ताव पर अपने को सम्बद्ध करते हुए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के सामने कुछ समस्याएं रखना चाहता हूं। राजस्व विभाग एक ऐसा विभाग है, जिससे हर आम-खास समस्त नागरिक इससे जुड़ा हुआ है और माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व विभाग एक ऐसा विभाग है, जिसे अगर दुरूस्त कर लिया जाए तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था भी दुरूस्त हो सकती है। क्योंकि राजस्व विभाग से ही जुड़े तमाम ऐसे मसले होते हैं जिनसे कानून-व्यवस्था भी खराब होती है। इस बात को स्वयं माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी बक्शी के तालाब में एक मीटिंग हुई थी, मैंने अखबारों से सुना था कि इस पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी चिन्ता जाहिर की कि अगर लेखपाल सही हो जायें तो हमारी 40 परसेण्ट कानून-व्यवस्था अपने-आप सही हो सकती है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मैं शाहजहांपुर के जलालाबाद तहसील से चुनकर आता हूं। हमारे तहसील में जो अनुमन्य लेखपालों की संख्या है और जो वहां पर तैनाती है, उसमें इतनी ज्यादा कमी है कि एक-एक लेखपाल 4-4, 6-6 गांवों को देख रहा है। साथ ही कानूनगो नहीं हैं, कहीं पर एक लेखपाल कानून गो का काम कर रहा है, वही किसी दूसरे गांव का प्रभारी लेखपाल भी है। मान्यवर, लेखपालों के पीछे आम आदमी घूमा करता है और उसकी बात नहीं सुनी जाती है। दाखिल खारिज की जो बात है, दाखिल खारिज के तमाम ऐसे प्रकरण हैं जो 18 साल से 20 साल से लम्बित हैं, मैं चाहूंगा कि उनका निस्तारण कराया जाए और वह ऐसे गरीब, ऐसे असहाय लोग हैं कि जो शायद चक्कर लगा-लगा कर बूढ़े हो गए हैं, लेकिन उनका नाम नहीं आ पाया है। मान्यवर, जब से यह सरकार बनी है, लगातार चर्चा हो रही है कि हमने दुर्घटना बीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। अच्छी बात है, ऐसे लोगों को 5 लाख मिले लेकिन जो 1 लाख की व्यवस्था थी, उसमें मान्यवर, बीमा कम्पनियां जो यहां से पैसा भेजती हैं, हमारे यहां 7-8 प्रकरण ऐसे पकड़ में आए हैं, मान्यवर, नाम के आगे खाता नम्बर लिखा जाता है, लेकिन उसका खाता नम्बर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गलत कर दिया गया, चेक वहां गए, बैंकों ने उस चेक को स्वीकार नहीं किया। जिलाधिकारी के माध्यम से बीमा कम्पनी को लिखा गया और मैंने भी बीमा कम्पनी से बात की, लेकिन आज तक बीमा कम्पनी ने उन चेकों को दुरूस्त करके नहीं भेजा, वह गरीब लोग चक्कर लगाकर अपने घर में बैठ गए। उन चेकों और जिलाधिकारी के पत्र की फोटो-कापी भी मेरे पास आई है तो मान्यवर, यह व्यवस्था ठीक की जाए कि यदि हम दुर्घटना बीमा दे रहे हैं, कोई दुर्घटना हुई है, व्यक्ति परेशान है तो उसको यह मदद मिलनी चाहिए। राजस्व परिषद के बारे में तो माननीय हुकुम सिंह जी ने ही बता दिया कि जितना महत्वपूर्ण और उसको कैसे महत्वहीन कर दिया जाता है, यह माननीय मंत्री जी स्वयं जानते हैं, समझदार हैं और काफी योग्य हैं। सबसे जो अहम है राजस्व का एक विभाग चकबन्दी। चकबन्दी के विषय में मैंने 2012 के द्वितीय सत्र में एक क्विशचन लगाया था तो उसमें सरकार ने जवाब दिया था कि हम कोई भी चकबन्दी 5 वर्ष में पूरी करते हैं। हमारे पास आपका जवाब रखा हुआ है कि चकबन्दी को जब हम शुरू करते हैं, 5 वर्ष में पूरी करते हैं।

लखनऊ जनपद की तहसील मोहनलालगंज है, वहां पर एक गांव समेसी है, हमारा पैतृक गांव है। वहां जून, 2008 में चकबन्दी शुरू हुई थी, 2013 आ गया है, 5 साल पूरे होने जा रहे हैं। अभी इसी सत्र में जब मैंने फिर उसको लगाया तो मुझे जवाब आया है कि मार्च, 2017 में चकबन्दी हम पूरी करेंगे। मान्यवर, मैं बता दूं, माननीय मंत्री जी के संज्ञान में आना जरूरी है कि लखनऊ जनपद के जो 2-4 बड़े गांव हैं, उसमें सबसे बड़ा गांव है। और आजादी के बाद शायद सन् 1954 या 1960 में वहां चकबंदी हुयी थी और चकबंदी होने के बाद कब्जा परिवर्तन कागजों में तो हो गया लेकिन मौके पर परिवर्तन नहीं हुआ और इसकी वजह से आज दोबारा चकबंदी शुरू होने पर वहां बहुत सी कठिनाइयां आ रही हैं। राजधानी का गांव है, सड़क किनारे का गांव है तमाम विकास के कार्य वहां हो गये तमाम खेती की जमीनों पर आबादी बन गयी। और धारा 143 नहीं लागू है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि अगर उसको आप देख लेंगे तो गांव में रहने वाले जो छोटे किसान हैं उनका इससे भला हो जाएगा। वर्ना आज की तारीख में एक खेत कहीं है एक खेत कहीं है इससे लोगों को बड़ी कठिनाई आ रही है। मान्यवर, आज सुबह दैनिक जागरण में विज्ञापन पढ़ा था कि आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा कम्प्यूटरीकरण न्यायालय की जो व्यवस्था लागू की गयी है मैं इसका स्वागत करता हूं लेकिन जो अभी बात आयी कि गांव में बैठा हुआ व्यक्ति जिसके पास कम्प्यूटर नहीं है जिसके पास इंटरनेट नहीं है या वह नहीं जानता है उसको कैसे न्याय मिले इसके लिए भी कोई ऐसी योजना बननी चाहिए तभी जो हम सबकी सोच है कि अंतिम आदमी को न्याय मिले यह तभी संभव हो पाएगा और इसके लिए सबसे आवश्यक है कि जो हमारे नायब तहसीलदार और कानूनगों की कमी है, लेखपालों की कमी है और तहसीलों के बहुत सारे मानक जो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। उस पर ध्यान दिया जाये। हम आपको अंत में यह सुझाव देना चाहेंगे कि हमारी तहसील पर भी कई ऐसे लेखपाल हैं। जब आपकी पहले सरकार थी तो उस समय वह किसी जांच में सस्पेंड हुये थे फिर कहीं से जुगाड़ लगाकर पिछली हमारी सरकार में वह फिर हमारी तहसील में आ गये। फिर वह जांच में पकड़े गये, फिर हटाये गये कहीं सस्पेंड हुए और फिर वह घूम फिरकर वहीं आ रहे हैं। यह व्यवस्था है कि लेखपाल को अपने ब्लाक में न करके बगल के ब्लाक में दे दिया जाये। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि यह व्यवस्था लागू की जाये कि लेखपाल की अपनी तहसील में

ही पोस्टिंग न की जाये। तहसील से वह बाहर रहें क्योंकि नीचे के स्तर पर सबसे ज्यादा न्यूसेंस लेखपाल ही क्रियेट करते हैं और उसी से आये दिन हम लोगों के सामने जो छोटी-छोटी दिक्कतें आती हैं वह लेखपाल की वजह से आती हैं। चूंकि माननीय मंत्री जी हर बात को गंभीरता से ले रहे हैं और मुझे आशा है कि जो सुझाव हम लोगों के आये हैं उस पर माननीय मंत्री जी ध्यान देंगे। मान्यवर, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । बहुत-बहुत धन्यवाद।

(विपक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य लिखकर दे दें। उसे प्रोसीडिंग में जुड़वा देंगे। †

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, यह तो साबित हो गया कि जिस प्रकार से माननीय सदस्यों ने रूचि राजस्व विभाग में दिखायी है निश्चित रूप से यह उनकी जागरूकता का परिचय है। तीन-चार बातें आयी हैं। चकबंदी के बारे में बड़ी चिंता व्यक्त की गयी है। इस बारे में मेरा सुझाव है कि 1990 को आधार वर्ष मानकर 5 साल की बात तो छोड़ दीजिए 5 साल में तो नहीं होता। 1990 को आधार वर्ष मानकर जिन गांवों में, जिस क्षेत्र में चकबंदी की प्रक्रिया लम्बित है जो 1990 से पहले शुरू हो चुकी थी, वहां की समीक्षा होनी चाहिए और समीक्षा होकर यह भी नतीजा निकलना चाहिए कि आखिर इसमें यह रूकावट क्यों आई, इतना विलम्ब क्यों हुआ। मान्यवर, कई गांव ऐसे हैं, कई जगहें ऐसी हैं जहां पिछले 30-32 साल से अधिक हो गया और चकबन्दी की प्रक्रिया लम्बित है, उन गांवों का परिणाम क्या होता है कि वह खाद नहीं डालते हैं, जमीन की परवाह नहीं करते हैं, फसल के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और दुर्दशा होती है और मान्यवर मेरे क्षेत्र का तो इतना दुर्भाग्य रहा है कि एक अधिकारी वहां पर बन करके गये कभी एस0ओ0सी0 बन जाते थे, कभी कुछ बन जाते थे, वह रहे बहुत दिन तक वहां पर, लेकिन एक भी गांव की चकबन्दी पूरी उन्होंनें नहीं होने दी, आजकल वह कहीं और शोभा बढ़ा रहे हैं, उनकी जानकारी आपको है । जैसा मैंनें कहा कि 1990 को आधार वर्ष आप मान लीजिए और उसकी समीक्षा कर दीजिए। दूसरी समस्या यह है कि जहां पर मान्यवर संदर्भ, रिफ्रेन्स जिसे बोलते हैं, वह डी0डी0सी0 के स्तर पर लम्बित रहते है, उनकी रिपोर्ट आती है, फिर उनमें कुछ कमी रह जाती है, जब वह आते हैं, रिफ्रेन्स तय होते हैं और रिकार्ड सारा तहसील में चला जाता है। रिकार्ड तो तहसील में है, रिफ्रेन्स डी0डी0सी0 तय कर रहे हैं, उसके बाद में उस रिफ्रेन्स के अनुरूप जो कागजों में अमल दरामद होना है, उस अमल दरामद में दिक्कत यह आती है कि अमल दरामद का अधिकार केवल चकबन्दी अधिकारी को है, रिकार्ड उनके पास में नहीं है, रिकार्ड तहसील में है, तो मैं चाहूंगा कि आप इसमें एक निश्चित व्यवस्था कर दें, हर जगह, हर जिले में कि हफ्ते में एक दिन या 15 दिन में एक दिन या महीने में एक दिन, जितने भी संदर्भ इसमें निर्णीत होंगे या पहले से निर्णित हैं, वह जाकर के तहसील में उस संदर्भ के अनुरूप, निर्णय के अनुरूप दाखिल खारिज सुनिश्चित करेंगे और इसकी समीक्षा भी बराबर होनी चाहिए कि कोई निर्णय लम्बित तो नहीं है। मान्यवर, उसमें जब तक वह दाखिल खारिज नहीं होंगे तब तक उस किसान का रिकार्ड नहीं बनेगा,

† (देखिये मा0 सदस्यों के लिखित भाषण नत्थी ''घ'' आगे पृष्ठ-266-275 पर)

अगर वह ऋण भी लेना चाहेगा बैंक से तो वह ऋण नहीं ले पायेगा, अनेकों उसमें व्यवहारिक कठिनाइयां हैं, जिनका समाधान करने का प्रयास होना चाहिए। दाखिल खारिज में सबसे बड़ी दिक्कत, यहां पर भी जिक्र आया उसका, व्यवहारिक कठिनाई पैदा करने का प्रयास कैसे होता है, अगर किसी के ऊपर पांच सौ, सात सौ, हजार, दो हजार रुपये कभी क्रेडिट कार्ड के रह गये होंगे, जमा नहीं कर पाये होंगे, उसी को आधार मान कर दाखिल खारिज नहीं करेंगे, पड़ा रहेगा मामला। वह गरीब किसान चक्कर काटता रहेगा, उसे बताने वाला कोई नहीं है। हमारे पास सिफारिश करने के लिए आयेगा, हम पूछेंगे भाई छः महीने से लम्बित है, क्यों नहीं दाखिल-खारिज कर रहे हैं, तब पता चलता है, बैंक का ड्यू है। बैंक का ड्यू कहां से, क्रेडिट कार्ड तो सतत् प्रक्रिया है, यह ड्यू वैसा नहीं है कि उनसे पैसा लिया हो अलग से और वह लम्बित हो, क्रेडिट कार्ड का पैसा चलता ही रहेगा, वह तो एक सतत् प्रक्रिया है, उसके आधार पर दाखिल खारिज नहीं रुकना चाहिए।

मान्यवर, लेखपालों का जिक्र बहुत आया, मैं केवल एक उदाहरण देना चाहता हूं और वह उदाहरण ऐसा है चूंकि क्षेत्र का मामला है, ढाई सौ बीघे जमीन के फर्जी पट्टे कर दिये गये, 60 से लेकर 65 लाख का हेरफेर हो गया, एस0डी0एम0 से लेकर लेखपाल उसमें शामिल थे और यह इक्तेफाक की बात है बहुत ही अच्छे प्रमोटेड आई0ए0एस0 अधिकारी वहां पर थे, जिनको शौक था, घूमने-फिरने का, पता करने का, हमें जानकारी मिली, हमने उनकी जानकारी में डाल दिया। जांच कराई उस व्यक्ति ने, बहुत मेहनत के साथ जांच कराई उस व्यक्ति ने, पता यह लगा कि उस लेखपाल ने बिल्कुल एक समानान्तर खतौनी तैयार कर दी, क्योंकि दूसरे मालिकान में तो दाखिल खारिज हो नहीं सका, उनको दे दी रसीद, समानान्तर खतौनी तैयार कर दी, मान्यवर जब भाण्डा फूटा उसका केस चला, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई, शेषन में केस चला, लेखपाल को सजा हुई और सजा होने के बाद में वह हाईकोर्ट में मामला गया, वहां से जमानत हुई, सर्विस समाप्त हुई, लेकिन यह हिम्मत हुई आप ही की सरकार की और कोई सरकार शायद इतनी हिम्मत न करे, सेवा समाप्त होने के बाद में, दाखिल खारिज होने के बाद में, अब मैं गया तो मुझको पता लगा कि वह हमारे ही क्षेत्र में फिर काबिज हो गया। इतना कुछ होने के बाद भी, सेवा भी समाप्त हो गई थी, कोर्ट से कोई रिलीफ भी नहीं मिला था, जेल भी चला गया था और मैं अभी गया था मान्यवर, तो मैं तो भूल गया था कौन है कौन नहीं, क्या नाम है उसका क्या नहीं तो उन्होंनें कहा कि वह जो लेखपाल थे, जिनकी सेवा फला कलेक्टर समाप्त कर के गये थे, जिनको सजा भी हो गई थी, वह आज कल आपके क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अच्छा है, मैं भी कम से कम उनके दर्शन कर लूं, स्वागत मैं भी कर दूं। फिर पता लगा कि कहां से हुआ, कैसे हुआ। आप ही के यहां से हुआ क्योंकि आपके यहां एक खास बात है, वो अच्छी है या खराब। आप प्रभावशाली आदमियों की सिफारिश बहुत सुनते हैं और सिफारिश सुनने और फिर कुछ करने में कसर नहीं छोड़ते। उनके सामने फिर कानून, नियम सब खत्म, हां करना है तो करना है। ये है, कुछ उनमें भी थी लेकिन वो थोड़ा बहुत ही देख लेती थीं फिर भी लेकिन आप तो बड़ी हिम्मत से करते हैं काम। मान्यवर, दूसरा मेरा सुझाव है और मैं उसी के साथ में जोड़ना चाहता हूं जो मा0 सदस्यगण ने कहा। जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है, खलिहान हैं, तालाब हैं और ऐसी भूमि हैं जिनको खाली करा सकते हैं क्योंकि आदेश तो जाते रहते हैं और कड़ी वही है लेखपाल ही। जब तक वो गंभीर नहीं होगा तब तक काम चलेगा नहीं।

मान्यवर, एक उदाहरण केवल, मैं गांव में गया, अभी की बात, एक महीना पहले की बात है। वहां के एक गांववासियों ने कहा कि पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है साहब तालाब खुदवा दीजिये और गांव में नहीं वास्तव में। बरसात के दिन थे पानी भरा हुआ था पूरा। हमने कहा जमीन है तो बोले हां है। मैंने जिलाधिकारी से आग्रह किया कि मनरेगा से तालाब खुद जाये इस गांव में तो सुविधा हो जायेगी। उन्होंने एस0डी0एम0 को आदेश दिये और जो लेखपाल की रिपोर्ट आई क्योंकि खुदना नहीं था न। कब्जे करा रखे हैं कि गांव में जमीन उपलब्ध नहीं है। मैंने प्रधान को बुलाया, प्रधान ने कहा ये 12 बीघे जमीन है। मेरे साथ चलें लेखपाल नहीं होने देगा कुछ। ये अधिकार, इतने विस्तृत अधिकार किसी को नहीं होने चाहियें और ऊपर के जो अधिकारी बैठे हैं। उनमें इच्छाशक्ति होनी चाहिये कि जो बेईमान आदमी, बेईमान कर्मचारी इस प्रकार की रिपोर्ट देता है तो कम से कम उसको सबक मिल जाये कि हम ऐसी बात को सहन करने वाले नहीं हैं। इसका अभाव है, इच्छाशक्ति का अभाव है अधिकारियों में, उस इच्छाशक्ति को आप कैसे प्रबल कर पायेंगे। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। मान्यवर, इसमें कहा आपने कि जो चकबन्दी से आच्छादित नहीं हो पाये। आप शत-प्रतिशत चकबन्दी उनमें करायेंगे। हमारे सुरेश राणा जी का क्षेत्र है जलालाबाद, शामली है, ये बड़े मशहूर टाउन हैं। लोगों ने वहां पर कई कई सौ बीघे जमीन पर कब्जा कर रखा है और कब्जा करने के कारण अपने प्रभाव से वहां चकबन्दी नहीं होने देते। चकबन्दी हो जायेगी तो जमीन खाली करनी पड़ेगी और वह खाली जमीन काम आयेगी हमारे सार्वजनिक काम में। आपके काम में आयेगी, आवंटन के काम में आयेगी। कम से कम ये जो मैंने जगह बतायीं शामली की और जलालाबाद की। आप मजबूती के साथ में आदेश दे करके सुनिश्चित कीजिये कि वहां चकबन्दी हो जाये। बस यही बातें कहनीं थीं, एक मिनट और ये वर्मा जी का भी रह गया है। मान्यवर, 94 गांव इनके हैं जो आपको पता ही है सारी की सारी जानकारी। मैं लिख कर भिजवा देता हूं अभी।

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं आज कटौती प्रस्ताव रखने वाले वरिष्ठ सदस्य मा0 हुकुम सिंह जी का, मोहम्मद इरफान साहब का, छोटे लाल जी का, पूर्णमासी देहाती जी का, उपेन्द्र तिवारी जी का, मदन चौहान जी का, मोहम्मद इस्लाम साहब का, ठाकुर दलवीर सिंह जी का, हमारे साथ में रिजवी साहब का और नीरज कुशवाहा जी का कि जिन्होंने आज इस राजस्व विभाग की बजट चर्चा में भाग लेकर बहुत गंभीरता से इस पर चर्चा भी की है और सुझाव भी दिये हैं। मान्यवर, अपने कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुये मा0 सदस्यगण ने और सत्तापक्ष के कुछ सदस्यों ने अपने क्षेत्र से सम्बन्धित जानकारी देते हुये कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं जिनको हम कभी पत्रावली के माध्यम से, विभागीय बैठकों के माध्यम से, अधिकारियों के बीच जा करके कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते वो तमाम प्रकार की जानकारियां जब मा0 जनप्रतिनिधि इस सदन में आते हैं तो ऐसी मिलती हैं क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जमीनी हकीकत की जितनी जानकारी मा0 जनप्रतिनिधियों को है, उतनी जमीनी हकीकत की जानकारी भी किसी को नहीं हो सकती। और जमीनी हकीकत की जानकारी के अतिरिक्त, उससे उसका जिस तरीके का लगाव है उस तरीके का लगाव भी मान्यवर, सरकारी अधिकारी और कर्मचारी का होना संभव नहीं है, निजी तौर पर एक छोटा राजनैतिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं यह महसूस करता हूं और इसलिए जो आप लोगों ने तमाम तरह की जानकारियां दी

हैं और जो सुझाव दिए हैं इसके लिए मैं समवेत रूप से इन तमाम सदस्यों का और जो मा0 सदस्यों ने मान्यवर, अपना मूल्यवान समय सदन में दिया है इसके लिए सबका आभार व्यक्त करता हूं, मान्यवर, मैं सबसे पहले अगर मा0 हुकुम सिंह जी की बात अगर करूं तो उनका उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है, कटौती प्रस्ताव उन्होंने जिस तरह से रखा है इसके लिए मुझे आश्चर्य हुआ इस बात पर हालांकि एक और बात है, आम तौर पर मान्यवर, आपने सुना होगा कि बहुत बड़ा तैराक आसानी से डूब जाता है, क्योंकि वह इतना ओवर कान्फीडेन्ट होता है कि उसका ओवर कान्फीडेन्स उसको कुछ करने ही नहीं देता, तो क्योंकि वरिष्ठतम् सदस्य हैं मा0 हुकुम सिंह जी, इसलिए उनको किसी चीज को देखने की आवश्यकता नहीं थी। न बजट प्राविधान, न कोई चीज, न मेरी बात, किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी, उन्होंने अपने कौशल से, अपनी जो उनकी योग्यता है, और इस सदन में उनका जो अनुभव है, अपनी कुशलता से अपने कौशल से मान्यवर, उन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा, कोई ऐसी बात नहीं रखी जिसमें सचमुच में लगे कि, कोई बड़ी गंभीर बात हो गई है, उन्होंने बड़े कौशल से इन बातों को रखा और जिन बातों को रखा अगर उन बातों को कोई दूसरे सदस्य रखते तो उन पर लोग शायद यह प्रश्न करते कि भाई आपने यह बात कैसे कह दी लेकिन मा0 हुकुम सिंह जी ने कहा है तो ठीक है। इसलिए मान्यवर, मैं वहीं से शुरू करना चाहता हूं, उन्होंने शुरू में एक बात कही कि चौधरी चरण सिंह का मैंने इतना सम्मानपूर्वक नाम लिया और उस ऐक्ट को समाप्त कर दिया, वहीं से अपनी बात करना चाहता हूं। मान्यवर, चौधरी चरण सिंह जी से बड़ा किसान नेता, मैंने कहा था, दोबारा कहना चाहता हूं कि मेरी जानकारी में इस देश में किसानों का हित करने वाला, किसान नेता चौधरी चरण सिंह से बड़ा कोई देश में हुआ नहीं और जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट जो उन्होंने उत्तर प्रदेश का बनाया, उससे ज्यादा प्रभावशाली जमींदारी उन्मूलन का कोई कानून, देश में, किसी भी प्रदेश में नहीं बना, फिर दोबारा कह रहा हूं और तीसरी बात कहना चाहता हूं कि जिस रेवेन्यू कोर्ट की बात मैंने की है, वह चौधरी चरण सिंह जी के जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट की कॉपी है, कॉपी इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि उसके साथ दूसरी झंझ जो जमा थी, वह उसके लगे रहने से नहीं हो सकती है और उस समय की परिस्थितियों में जमींदारी उन्मूलन किये जाने के समय जो परिस्थितियां थी और उसके बाद जो उसमें डेढ़ सौ के आसपास संशोधन हो गए, तो उन संशोधनों के कारण जो मूल ऐक्ट था, वह कहीं में गुम हो गया। इतने पैबन्ध लग गए, उस मखमल पर कि वह पता ही नहीं चलता था कि वह तस्वीर कहां है, इसलिए मूल रूप में जो उनकी भावना थी उन भावनाओं के अनुरूप और 77 में पहली बार, मा0 अध्यक्ष जी, आपको स्मरण होगा, 77 में पहली बार आया और आप इस सदन के सदस्य के रूप में कई बार औचित्य के प्रश्न के रूप में, कई बार बजट चर्चा के रूप में, आपने स्वयं मा0 अध्यक्ष जी, इस प्रश्न को उठाया है। मैं तो अपना सौभाग्य मानता हूं कि 77 से चौधरी चरण सिंह जी की भावनाओं के, उनके आदेशों के अनुरूप जिस ऐक्ट का निर्माण नहीं हो पाया, इस छोटे कार्यकर्त्ता को मा0 नेता जी के इस बहुत छोटे कार्यकर्ता को, यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उसको अमलीजामा पहनाने का मैंने काम किया और रेवेन्यू कोर्ट आज आप के सामने है। उन्होंने कहा कि आपने क्या किया, 5 साल तक कोई जवाब नहीं गया, पुनः आकर के उसको ढूढ़ना पड़ा कि है कहां, यह सरकार बनते ही मेरी पहली मीटिंग की तो मैंने कहा कि भई उस ऐक्ट की क्या स्थिति है? किस स्तर पर लंबित है तो उसको ढूढ़ने में वक्त लगा और फिर पता चला कि साहब अभी तो

वह जहां का तहां है, डम्प पड़ गया, कोई पता भी बताने का तैयार नहीं है कि 5 साल में डाक कहां से कहां गई, निरन्तर प्रयास करके और जो पूर्व में वहां मा0 राष्ट्रपति महोदया थी, उनके कार्यकाल में हमने किया लेकिन नहीं हो सका, जब आदरणीय प्रणव मुखर्जी जी राष्ट्रपति हुए तो मैंने प्रयास करके और केन्द्र सरकार से मैंने निवेदन किया, राजस्व मंत्रियों के सम्मेलन में श्री जयराम रमेश जी ने मुझसे वायदा किया था कि वह हमारी मदद करेंगे। मा0 मुख्य मंत्री जी ने स्वयं प्रयास किया, तब जाकर मान्यवर, उस पर महामहिम राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर आ गए हैं और बहुत जल्दी उसको लागू करेंगे, नियमावली आ गई है। इसलिए उस पर चिंता करने की बात मान्यवर, नहीं है। मान्यवर, जो बात आपने एक और कही थी, उसका उल्लेख नहीं करूंगा कि इतना रुपया आम आदमी जीवन बीमा में दिया, कितना रुपया आ रहा है आच्छादित जितने लोग हैं, सबकी मृत्यु हो जाए और सबको बीमा मिल जाए, यह हमारी इच्छा नहीं, मैं नहीं चाहता, जो लोग आच्छादित हैं, उनकी संख्या 29 लाख से अधिक है, इसलिए उतना रुपया बांटने की कोई बात नहीं है। मा0 ठाकुर दलवीर सिंह ने ठीक कहा कि यह विधायक नहीं करा सकते, मैंने इसलिए उल्लेख किया कि हम जब विभिन्न योजनाओं के संबंध में अपने यहां जाते हैं, तो अपने-अपने लोगों की हिफाजत के लिए अगर इसको देख सकें तो एक बिन्दु आपके लिए है।

मान्यवर आम आदमी बीमा योजना को जोरों से लागू किया जाय, इसके लिए निर्देश दे दिया है और इसकी समीक्षा भी करेंगें और उसमें असल बात भी होगी। मान्यवर, इन सारी योजनाओं का चिन्हांकन हम करेंगें और उसकी समीक्षा भी करेंगें, जो जिम्मेदार दोषी लोग होंगे उनको दण्डित करने का जब तक काम नहीं होगा इसमें सुधार होने वाला नहीं है। मान्यवर, इसमें कुछ कमियां हैं जिसको हम स्वीकार करते हैं। मान्यवर, पिछली बी0एस0पी0 सरकार में पांच साल में जो कार्य कलाप हुए, इस सारे तंत्र को दुरुस्त करने में समय लग रहा है और पिछला लगभग एक साल इसी में चला गया है। मान्यवर हम इसमें दोषियों को चिन्हित करेंगे और उदाहरण स्वरूप उन्हें ऐसा दण्ड जब तक नहीं दिया जायेगा तब तक काम नहीं चलेगा। माननीय हुकुम सिंह जी ने बड़े भू-माफियाओं का जिक्र किया। मान्यवर पिछली बी0एस0पी0 सरकार में एक ऐसे बड़े भू-माफिया थे जिनका नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन यह कहा जाता है कि उनके हाई कोर्ट में भी जजों से भी सम्बन्ध थे, तमाम कलेक्टर, कमिश्नर्स से उनके संबंध थे। जब हमारी सरकार थी तो पौने दो साल उनको जेल में रहना पड़ा था फिर वापस हुए थे। मान्यवर, पैरलल उनके यहां तहसील का रिकार्ड रूम था जो रिकार्ड यहां पर हैं वह उनके यहां पर थे। तीस-पैतिस साल के रिकार्ड मान्यवर उसमें होता क्या है जो रिकार्डो की स्थिति है, 230 बी का मुकदमा चलता है दस वर्ष लग जाते हैं। और फिर वह जमीन सरकार में वापिस आती है। इसमें हमने प्रयास किया है और भी प्रयास करेंगे। राजस्व परिषद् के बारे में आपने कहा वह भी बात सही है, उसको हम देखेंगें। मान्यवर, राजस्व विभाग का मतलब राजस्व प्राप्त करना नहीं है। लेकिन कुछ माननीय सदस्य इसे नहीं समझ पा रहे हैं मान्यवर राजस्व वसूल करने वाले दूसरे विभाग हैं जैसे सेल्सटैक्स, खनन विभाग और आबकारी विभाग यह राजस्व विभाग का हिस्सा नहीं है। आप अपने दल के लोगों को समझाइये कि राजस्व विभाग का क्या मतलब है। इसलिए यदि इसे आगे चलकर राजस्व विभाग को लैण्ड रिकार्ड मैनेजमेण्ट विभाग का नाम दे दिया जाय, तो मेरे विचार से किसी को आपत्ति नहीं होगी। इस पर विचार करने की आवश्यकता है अभी जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए।

मान्यवर, तहसील दिवस की आवश्यकता है क्योंकि तहसील दिवस में लोग बहुत अपेक्षायें लेकर आते हैं, और जिस हिसाब से लोगों को राहत मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल पा रही है। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं जैसे जिला अधिकारी, वह जाते हैं और अधिकारियों को डांट कर चले आते हैं लेकिन इसकी समीक्षा होनी चाहिए, वह हम करेंगें। मान्यवर, राज्यों के सीमा विवाद की बात उठी हमारा प्रयास होगा कि सरकार के स्तर पर मंत्री के स्तर पर वार्ता हो जाये और कोई स्थाई हल निकल आये। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में जहां पिलर्स खड़े किये गये हैं, वहां सीमा को चिन्हित करने की आवश्यकता है उसको हम पूरा करेंगे बजट में कोई बाधा नहीं है। बस आप लोगों का सहयोग चाहिए। मेजों की थपथपाहट मान्यवर, अभी लोकदल के माननीय नेता ने अपनी बात रखी वह अपने सदस्यों के साथ बैठक करा देंगे। मैं चाहता हूं कि पहले सदस्यों की बैठक हो जाये हमारे साथ और उसके बाद अधिकारियों की बैठक बाद में कर लेंगे।

ठा0 दलजीत सिंह-

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि तहसील दिवस में माननीय विधायकों को भी जिनका जिस तहसील से सम्बन्ध पड़ता हो उसमें शामिल करने की व्यवस्था की जाय।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, तहसील दिवस में विधायकों को मत बैठाइये।

श्री आलम बदी-

मान्यवर, मैं अपने यहां तहसील दिवस में एक घण्टा जाकर बैठता हूं और सब देखता हूं उसमें जनता को बहुत राहत मिलती है इसलिए तहसील दिवस में विधायकों को जाना चाहिए और उन्हें विभाग द्वारा बुलाया जाना चाहिए।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, कोई रोक नहीं है आप जाइये तहसील दिवस में। मान्यवर, उसके अलावा जो छोटी मोटी टिप्पणियां उन्होंने की है मैं उस पर नहीं जाऊंगा, में इन बातों का उल्लेख नहीं करना चाहता। कुछ सुझाव आपने आखिर में दिये हैं वह बड़े मूल्यवान हैं और सचमुच में जो आपने कहा है कि 1990 के पूर्व चकबन्दी जहां चल रही थी उसकी समीक्षा करा ली जाय, मैं अनिवार्य रूप से उसकी समीक्षा कराऊँगा। अनौपचारिक रूप से मैंने प्रकारान्तर से इस बात को बहुत गम्भीरता से देखा है और अनेक गांव, सैकड़ों गांव जहां चकबन्दी हो नहीं सकती थी, चकबन्दी चल रही थी वह न तहसील का काम कर पाये न चकबन्दी का काम कर पाये उनको हमने चकबन्दी से बाहर धारा-6 करने का काम किया है। और तेजी से मैं वह रिपोर्टे मंगवा रहा हूं जहां चकबन्दी व्यवहारिक नहीं रह गयी है वहां चकबन्दी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मान्यवर, उसके अलावा जो आपने दिये हैं, दाखिल खारिज में बैक ड्यूज का क्या मतलब है, दाखिल खारिज उसका अधिकार है माननीय अध्यक्ष जी, और मैं इसे सुनिश्चित करूंगा। दाखिल खरिज में यह बन्दूक का लाइसेंस नहीं है कि बन्दूक का लाइसेंस लेने गये तो कलेक्टर ने कहा कि 10 हजार रुपये की एनएससी जमा कराओ। यह बन्दूक का लाइसेंस नहीं है, दाखिल खारिज उसका अधिकार है और दाखिल खारिज के उसके अधिकार को वह चाहे जितने का बकायेदार हो, बकाये के आधार पर दाखिल खारिज को रोकने का काम नहीं होना चाहिए हम इसको सुनिश्चित करेंगे, कोई सवाल ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी जब यह जमीन बैंक में गिरवी रख दी जाती है चाहे ट्रैक्टर के लिए हम लोन लें, चाहे किसी चीज के लिए लोन लें और उस जमीन को जो हमें बेचने का अधिकार नहीं रहता है, बेच देते हैं तो वही दाखिल खारिज में फसती है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं बता रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण इस कानून को जानते हैं। जो जमीन रजिस्टर्ड रूप से बंधक है उस रजिस्टर्ड जमीन पर किसी का अधिकार ही नहीं है, उसकी बात नहीं हो रही है। मान्यवर, अनायास दाखिल खारिज किये जाने की जो बहानेबाजी हो रही है, उसकी बात हो रही है और मान्यवर, यह जो क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड में जमीन बंधक नहीं होती। जमीन बंधक होती है रजिस्टर्ड लोन जब हम ट्रैक्टर के लिए लेते हैं, कृषि उपकरण के लिए लोन लेते हैं और खेती में जो हम लोन लेते हैं एग्रीकल्चरल लोन में हमेशा रजिस्टर्ड मार्गेज होती है तो रजिस्टर्ड मार्गेज में अधिकार नहीं है किसी को लेकिन उसके अलावा उसको रोके जाने का अधिकार नहीं होना चाहिए, बकाये के आधार पर दाखिल खारिज नहीं रूकना चाहिए, मैं इसको सुनिश्चित करूंगा इसका निर्देश जारी करूंगा।

मान्यवर, इसके अलावा सार्वजनिक उपयोग की भूमि को खाली कराये जाने का मामला है, जो दो गांवों की चकबन्दी का आपने कहा है मान्यवर, इसको देख लेंगे। आभारी हूं उन सदस्यों का जिन्होंने इस बजट का भरपूर समर्थन करने का काम किया है। मैं अलग-अलग नाम क्या आपका लूं। एक दो गड़बड़ियां ऐसी हैं जिन पर सचमुच में मान्यवर, गम्भीरता से इसको देखा जाना चाहिए लेकिन उन्हीं गड़बड़ियों को दूर करने के लिए हमने लेखपाल की जागीरदारी खत्म हो इसीलिए खातौनी का कम्प्यूटराइजेशन किया है। खतौनी जब उसके पास होती थी तो कलेक्टर उससे कमजोर होता था गांव के मामले में, खत्म किया और आज जो यह कम्प्यूटराइजेशन जिसका लोगों ने, जानते सभी हैं मैं आभारी हूं श्री उपेन्द्र तिवारी जी का जिन्होंने अपनी पूरी पार्टी की ओर से इसका स्वागत किया, आपने पूरी भारतीय जनता पार्टी की ओर से इसका स्वागत किया इसलिए उनका आभार व्यक्त करता हूं इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने हमारी योजनाओं की सराहना की है उनका मैं कोटिशः धन्यवाद करता हूं और जो मूल्यवान सुझाव आप लोगों ने दिये हैं निश्चित रूप से इस राजस्व प्रबन्धन में हम आगे उसका इस्तेमाल करेंगे। इससे एक बेहतर प्रबन्धन आगे को हो पायेगा। आपने कहा था कि कितने लोगों को दी है तो मेरे पास पूरी सूची है कि किस जिले में कितने लोगों को वह बीमा की राशि गयी है उसका कोई विवाद नहीं है आपने कह दिया तो वह मेरे पास है, सब लोग जानते हैं। इसी के साथ मान्यवर, माननीय हुकुम सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें और जिन चीजों में वह स्वयं शामिल रहे हैं और उन चीजों को अगर सरकार आगे बढ़ाना चाहती है तो उनको इसका स्वागत करना चाहिए।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि हमारे लखीमपुर तहसील में एक ग्राम है खानीपुर उसकी 10 साल से चकबन्दी चल रही है उसका अभी तक पर्चा कट गये, चक बन गये सब कुछ हो गया उसके बाद भी वह कम्पलीट नहीं हुआ है, यह कहना चाह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

हो गया, बात आ गयी।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-50-राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 8,46,19,40,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-51-राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-51-राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 4,97,37,13,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-52-राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-52-राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 22,96,21,19,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[3.42] वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या-85 सार्वजनिक उद्यम विभाग

श्री अध्यक्ष-

इसमें बहस नहीं होना है, प्रस्ताव करके पास कराना है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-85-सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 4,64,65,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-85-सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 4,64,65,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या-89 संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-89-संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 5,09,15,97,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-89-संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 5,09,15,97,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या-90 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-90-संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 72,88,35,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-90 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 72,88,35,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[3.45] वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या-73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)

*राजस्व अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-73-शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 27,62,88,51,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अध्यक्ष जी किसी भी समाज के उत्थान के लिए शिक्षा की क्या आवश्यकता है, क्या उसकी महत्ता है इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। उच्च शिक्षा प्रत्येक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ होने का अवसर देती है। उच्च शिक्षा के माध्यम से ही हम विशेषज्ञता हासिल करते हैं। सामान्य शिक्षा में जब तक हम प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा तक होते हैं तब तक विशेषज्ञ नहीं होते हैं। विशेषज्ञता के लिए उच्च शिक्षा आवश्यक है। विशेषज्ञता के लिए किसी एक ब्रांच की किसी शाखा की उन्नति सम्यक रूप से नहीं हो सकती है। स्वतंत्रता के समय प्रदेश में पांच विश्वविद्यालय थे और 16 महाविद्यालय थे कुल। वहीं आज की तिथि में 35 विश्वविद्यालय हैं और 3,851 महाविद्यालय हैं जिसमें 138 राजकीय महाविद्यालय, 331 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय हैं तथा 3,382 स्ववित्तपोषित निजी महाविद्यालय हैं। छात्र-छात्राओं की संख्या 26 लाख है। इसी से इसके आकार का पता चलता है। लेकिन जब इतने बड़े आकार की चर्चा करते हैं तो यहां यह भी स्वीकार करना चाहते हैं कि यह पर्याप्त नहीं है। इतने महाविद्यालयों के खुल जाने के बाद इतने विश्वविद्यालयों के बनने के बाद इससे कई गुना अधिक विश्वविद्यालयों की आवश्यकता है और महाविद्यालयों की आवश्यकता है। यह बजट इस दिशा में क्या संकेत लेकर आया है इसका उल्लेख मैं आगे करूंगा। इसी बजट में दो सरकारी विश्वविद्यालय स्थापित होने जा रहे हैं जिसका प्राविधान इस बजट में किया है एक इलाहाबाद में और दूसरा सिद्धार्थनगर में। श्रीमन् आप आसन पर स्वयं विराजमान हैं आपका संरक्षण भी है और आपको बधाई भी है कि हमारी सरकार ने माननीय अध्यक्ष विधान सभा के जनपद में एक विश्वविद्यालय खोलने का फैसला किया है। 350 करोड़ के प्राविधान के साथ और इस बजट में उसकी पहली किश्त दे दी गई है इलाहाबाद और सिद्धार्थनगर में दो विश्वविद्यालय इस साल हम स्थापित करने जा रहे हैं। निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहित करने का काम भी हमने किया है। यद्यपि उसके खतरे भी हैं कठिनाइयां भी हैं ऐसे भी विश्वविद्यालय खुल गए हैं जिनको लेकर कठिनाई है और ऐसे विश्वविद्यालयों के खुलने में बाधाएं अटकाई जा रही हैं जो विश्वविद्यालय इतिहास के सीने पर अपनी स्वर्णिम चमक रखने की स्थिति में हैं जिनको शताब्दियां याद करेंगी उन विश्वविद्यालयों की राह में रोड़े भी अटकाने की बात है। लेकिन बावजूद इसके हमने प्रयास किया है कि निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय खोले जाएं और इसके लिए जो लगी हुई एक टुकड़े की जमीन के लिए जो 50 एकड़ की पाबन्दी थी उसे हमने घटाकर देहात में 20 एकड़ और नगरीय क्षेत्र में 10 एकड़ कर दिया है। यदि नगरीय क्षेत्र में 10 एकड़ की जमीन है तो वहां भी निजी विश्वविद्यालय खोले जाने की अनुमति सरकार देगी। हमने अपनी इस नीति में परिवर्तन इसलिए किया है कि आवश्यकता है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि आजादी के बाद जितनी जनसंख्या बढ़ी है उसके हिसाब से जो हमारे विश्वविद्यालय हैं वह पर्याप्त नहीं

हैं उत्तर प्रदेश में, बाकी प्रदेशों और दुनिया की बराबरी पर आने के लिए अभी उच्च शिक्षा के तमाम केन्द्रों की हमें आवश्यकता है। मान्यवर, न्यून सकल नामांकन दर वाले 36 जनपदों में नये मॉडल राजकीय महाविद्यालय को-एजूकेशन वाले, जहां लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़ेंगे, सहशिक्षा के 36 मॉडल महाविद्यालयों की व्यवस्था इस वर्ष हो रही है इसका बजट में प्राविधान है। हम सिर्फ बजट प्राविजन्स का उल्लेख करेंगे। पांच अल्पसंख्यक बहुलता की आबादी जहां है, कुछ लोगों को एतराज हो जाता है जहां अल्पसंख्यक का नाम आता है कुछ लोगों को एतराज हो जाता है, तीव्र एलर्जी हो जाती है बात समझ में नहीं आती कि क्या कठिनाई है। मान्यवर, पांच अल्पसंख्यक बहुल जनपदों गोण्डा, बहराइच, मुरादाबाद, सुल्तानपुर और मुजफ्फरनगर में हम इन मॉडल महाविद्यालयों की स्थापना इसी बजट में करने जा रहे हैं। उच्च शिक्षा की शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण का स्तर कैसे ऊचा रहे, इसके लिए हमने प्रयास किया है।

मान्यवर, तमाम यह शिकायतें मिल रही थीं कि बी0एड0 के किसी कॉलेज में कोई फीस और किसी कॉलेज में कोई फीस है, इसको समान करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने निर्देश भी दिया है इसको हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि एक समान फीस सभी जगहों पर ली जाए। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में इन्फ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाने पर सरकार का जोर है और इसके लिए हमने बजट में प्राविधान किया है। असेवित क्षेत्रों में निजी प्रबन्धतन्त्रों द्वारा महाविद्यालय खोले जाने को प्रोत्साहित किया गया है। तीस लाख से लेकर पचास लाख रुपए तक अनुदान हम निजी प्रबन्धतन्त्रों को देंगे जो असेवित विकास खण्डों में विश्वविद्यालयों की स्थापना करना चाहते हैं और इस योजना से अभी तक 384 महाविद्यालय लाभान्वित हुए हैं। जो उच्च शिक्षा में अध्यापक हैं उनके लिए पुरस्कार था लेकिन हमारी सरकार ने पुरस्कार राशि को तीन गुना बढ़ा दिया है। श्रीमन् विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के लिए सरस्वती पुरस्कार की राशि एक लाख रुपए थी उसको तीन लाख रुपए करने का काम किया गया है और शिक्षक श्री पुरस्कार की जो राशि पचास हजार की थी उसे बढ़ा करके डेढ़ लाख रुपए करने का काम हमारी सरकार ने किया है यह उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा उल्लेखनीय काम है। अभी पूरे सदन में चर्चा हुई कि दुनिया के दो विश्वविद्यालयों में हमारे हिन्दुस्तान का एक भी नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने इस दिशा में ठोस कदम उठाते हुए सेंटर ऑफ एक्सिलेंस के रूप में राजकीय विश्वविद्यालयों में जो डिपार्टमेंट अपनी जगह बना सकते हैं उनके लिए प्रबन्ध करने का काम किया है और उनको कैसे सेंटर ऑफ एक्सिलेंस के रूप में विकसित किया जा सके इसके लिए अपने बजट में प्रावधान किया है। विश्वविद्यालय से सम्बन्धित विभाग में उत्कृष्टता प्राप्त होने के पश्चात् यह दूसरों के लिए भी अनुकरणीय बन सकेंगे। अशासकीय महाविद्यालयों में सेमिनार, वर्कशाप, कान्फ्रेन्स के आयोजन हेतु शासन द्वारा अनुदान दिया जा रहा है जिससे कि बच्चे सिर्फ रटी-रटायी शिक्षा या जो बिल्कुल प्रेसक्राइब्ड उनका कैरिकुलम है उसके अलावा मान्यवर, इस काम को आगे बढ़ करके कर सकते हैं। एक बहुत विशेष बात है कि शिक्षा हम दे रहे हैं लेकिन उसका स्तर क्या है इसके मूल्यांकन का कोई प्रबन्ध नहीं था। पहली बार इस सरकार ने 18 जनवरी, 2013 को निर्देश जारी किया है जो यू0जी0सी0 के निर्देश थे उसके अनुसार या तो श्रीमन् दो बैच जिस संस्था से पासआउट हो चुके हों या छः वर्ष से वह संस्था काम कर रही हो, उसके लिए इसको बाध्यकारी बनाया है। मान्यवर, नैक से उनका मूल्यांकन करायेंगे, जो उनका एसेसमेंट करता है नेशनल लेबिल पर, राष्ट्रीय स्तर पर, वह संस्था

है जो इस बात का एसेसमेंट करती है कि किस डिपार्टमेंट की क्या परफार्मेंस है। नैक से इसका एसेसमेंट करायेंगे और यह ऑप्शनल नहीं है कि हमारा मन किया तो हमने कराया, हमारा नहीं मन किया तो हमने नहीं कराया। अब बाध्यकारी होगा और जो उस कसौटी पर खरे नहीं उतरेंगे उनके बारे में गंभीरता से विचार करना होगा कि आखिरकार आप काम चलाऊ शिक्षा दे करके शिक्षित बेरोजगारों की फौज खड़ा करना चाहते हैं या सचमुच में उनको गुणवत्तापरक शिक्षा देकर उनके जीवन को आलोकित करना चाहते हैं, उनको समाज और देश को चलाने लायक मजबूत कंधा उनको देना चाहते हैं। इन दोनों के बीच अब फर्क होगा इसलिए मान्यवर, हम ''नैक'' से इनका मूल्यांकन करायेंगे। इसके पहले भी तमाम संस्तुतियां विभिन्न समितियों की जिनको लागू कराने का काम कभी गंभीरता से नहीं हुआ, हम उसको गम्भीरता से देखने का काम कर रहे हैं। सहगल समिति की सिफारिशों को लागू किये जाने के लिए पं0 दीन दयाल उपाध्याय, गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति और दूसरे का मैंने प्रश्नोत्तर में एक दिन बताया था कि रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय के कुलपति हैं उनकी अध्यक्षता में बाकी कुलपतियों को रख करके उनकी संस्तुतियों को लागू कराने का काम कर रहे हैं। मान्यवर, विश्वविद्यालयों में शिक्षकों और छात्रों का डाटाबेस तैयार किया जा रहा है और इस डाटाबेस का इस्तेमाल कई प्रकार से होना था।

मैं उदाहरण के लिए आपको बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों एक शिकायत आयी कि एक अध्यापक का नाम बी0एड0 पढ़ाने के लिए एक महाविद्यालय में दिया गया चूंकि वह क्वालीफाइड हैं। दूसरे महाविद्यालय में क्वालीफाइड टीचर नहीं है लेकिन उसी का नाम वहां भी दे दिया गया है और उसी का नाम तीसरे महाविद्यालय में भी दे दिया गया है। पता चला कि वह एक में भी नहीं पढ़ाता है और तीन-तीन बी0एड0 कालेज चलाने का औजार बना हुआ है उसका नाम इस्तेमाल हो रहा है और तीन-तीन बी0एड0 कालेज चल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आप यह जानते होंगे। इसीलिए मैंने कहा और हम उसका उपाय कर रहे हैं। और डाटाबेस के माध्यम से एक बार मैंने उसका नाम क्लिक किया तो अपने-आप पता चल जायेगा कि एक व्यक्ति का नाम चार जगहों पर कैसे दर्ज हो रहा है और इस धांधली को, डुप्लीकेसी को रोकने के लिए अध्यापकों-छात्रों का हम डाटाबेस तैयार बना रहे हैं। छात्रों के लिए भी जरूरी है, उसकी तस्वीर, उसका पता इन सारी चीजों का दुरुपयोग न किया जा सके, एक जगह से निकाला गया, दूसरी जगह पहुंच गया, दूसरी जगह से हटाया तीसरी जगह पर चला गया। इन चीजों को ठीक करने के लिए इनका डाटाबेस हम कर रहे हैं और इसको अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ले जाया जा सके। इस दृष्टिकोण से मान्यवर, हम प्रयास कर रहे हैं। श्रीमन्, अभी तीन दिन पहले माननीय मुख्य मंत्री जी ने लखनऊ में 10 हजार छात्र-छात्राओं को लैपटॉप का वितरण किया। पूरे प्रदेश ने इस उल्लास के वातावरण को महसूस किया, विपक्षीगण ने भी किया है। सभी जगहों पर चर्चा इस बात की है कि एक ऐसा कार्य किया जिस कार्य से एक ऐसा वातावरण बना। यद्यपि यह सरकार अपनी विश्वसनीयता के लिए ही विशिष्ट स्थिति में है कि जो अपने घोषणा-पत्र में किये गये वायदे को पूरा करने वाली सरकार है और 70 फीसदी से ज्यादा वायदे एक साल में पूरा कर दिये। लेकिन यह लैप-टॉप वितरण का इतना ज्यादा व्यापक असर है, श्रीमन्, उसका सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है उच्च शिक्षा की क्वालिटी पर। जो छात्र, जिनके पास यह साधन आज की तारीख में आ गया है, वह इण्टरनेट के माध्यम से दुनिया में कहीं भी जानकारी उपलब्ध है, उसको ले करके मेहनत करने वाले

छात्र-छात्रायें बहुत शानदार ढंग से इसका इस्तेमाल कर सकेंगें और मुझे पूरा विश्वास है कि अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने लैप-टॉप का वितरण किया है उच्च शिक्षा में अन्य छात्रों को जब मिल जायेगा, इण्टरमीडिएट पास उन्हीं छात्र-छात्राओं को दे रहे हैं जो उच्च शिक्षा ले रहे हैं। इसलिए मान्यवर, उसका दूरगामी और व्यापक प्रभाव आने वाला है, जो आगे आने वाले दिनों में देश को दिखाई देगा और समाजवादी सरकार के हमारे मुख्य मंत्री अखिलेश यादव जी की एक विशेष उपलब्धि के रूप में सारे देश में इसकी सराहना हो रही है। विश्वविद्यालयों में जैसा आपने कहा कि इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, वहीं आन-लाइन एजूकेशन की व्यवस्था भी हम कर रहे हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय, और मान्यवर, हमारा सौभाग्य है कि आप उन क्षणों के साक्षी हैं जिन क्षणों में मा0 मुख्य मंत्री जी ने आपकी गरिमामयी उपस्थिति में पूरब के तमाम लोगों को इस बात से हर्ष होगा कि पूर्वान्चल का महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय दीन दयाल उपाध्याय, गोरखपुर विश्वविद्यालय वहां उन्होंने जितनी मांगें आयी सबको पूरा करने के लिए धन की कोई कमी को नहीं रहने दिया। आपकी उपस्थिति में था। जितनी मांगे थी, तत्काल पूरा करते हुए छात्रावासों के निर्माण के लिए, छात्रावासों में विभिन्न सुविधा के लिए सेण्ट्रल लाइब्रेरी के लिए, कैण्टीन-कैफेटेरिया के लिए मूट कोर्ट हाल के निर्माण के लिये, स्पोर्टस स्टेडियम के निर्माण के लिये, पेवेलियन निर्माण के लिये इन सारी चीजों के लिये जितनी धनराशि की आवश्यकता थी उतने धन का प्राविधान करने का काम किया। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं इस बात के लिये श्रीमन्। राज्य विश्वविद्यालयों एवं राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों में छात्राओं को..

श्री अध्यक्ष-

एक बात आपने बताई ? यह उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार है कि गोरखपुर यूनीवर्सिटी में विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया था जिसमें 400 वैज्ञानिक विभिन्न प्रान्तों से आये थे यह तो बताया नहीं आपने ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मैं बहुत आभारी हूं अध्यक्ष जी आपका कि आपने कृपापूर्वक यह जानकारी पूरे सदन को दी। मैं इस विशेष अवसर पर जो भूमिका है माननीय मुख्य मंत्री जी की, इसका उल्लेख कर रहा था।

श्री अध्यक्ष-

इसका उद्घाटन भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया था और मैं उसकी अध्यक्षता में था।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, यह हमारे लिये गर्व और सम्मान का विषय है कि साइंस कांग्रेस इस तरीके से गोरखपुर यूनीवर्सिटी में अब की आयोजित हुई और उसकी कितनी सराहना भी हुई है मान्यवर। इसके दूरगामी परिणाम देखे जायं। मान्यवर राज्य विश्वविद्यालयों, राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों में छात्राओं को स्नातक स्तर तक शिक्षा शुल्क से मुक्त रखा गया है। हमारी पहले से भी योजना थी मान्यवर, लड़कियों को मुफ्त शिक्षा देने की। जब हमारी सरकार आती है शिक्षा मुफ्त हो जाती है। हमारी सरकार जाती है तो वह शिक्षा शुल्क कई गुना बढ़ा दिया जाता है। कई बार 12-12 गुना शुल्क एक दिन में बढ़ा दिया जाता है और इस प्रदेश में छात्रों को संघर्ष करना पड़ता है। लाठी खानी पड़ती

है, गोली खानी पड़ती है छात्रों को इस बात के लिये कि बढ़ी हुई फीस वापस ली जाय। हमारी फीस माफ की जाय यह नहीं, बढ़ी हुई फीस वापस की जाय, इसका आन्दोलन करना पड़ता है। मान्यवर, मैंने नहीं उल्लेख किया इसका लेकिन छात्र संघों के ताले खोल करके इस सरकार ने जो ऐतिहासिक फैसला अपने स्थापना के काल से किया था उसका प्रभाव मान्यवर आ रहा है। शिक्षा की गुणवत्ता भी अच्छी है और मान्यवर एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक माहौल भी इन संस्थाओं में देखने को मिल रहा है और प्रतिभाओं को भी निखरने के लिये मान्यवर सिर्फ पाठ्यक्रम रटाने से उनका काम नहीं चलेगा। सम्यक् रूप से उनका विकास हो सके, एक मजबूत नागरिक की हैसियत से वह उभर सकें इस लोकतांत्रिक समाज में अपनी भूमिका को चिन्हित कर सकें अपने कदम मजबूती से रख सकें इसके लिये मान्यवर उनको एक इस तरह का वातावरण देने का काम किया इस सरकार ने। मैं अभी संक्षेप में इतनी बातें रखते हुए अगर कोई बात पीछे से आयेगी तो मैं अपने उत्तर भाषण में उसका उल्लेख करूंगा।

श्री अध्यक्ष-

रीता जोशी जी आप अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या-73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, अभी अभी आपके समक्ष उच्च शिक्षा का बजट प्रस्तुत किया गया। माननीय अम्बिका चौधरी जी सभी विभागों के माहिर हैं और वक्तव्य में कोई इनका मुकाबला नहीं । जब यह बोलने लगते हैं तो लगता है कि जो कुछ बोल रहे हैं सब सच ही है लेकिन कुछ तथ्य ऐसे हैं जो मैं भी आपके समक्ष रखना चाहूंगी और यह आलोचना प्रदेश के भले के लिये की जा रही है और यह कटौती प्रस्ताव उच्च शिक्षा के हक में की जा रही है। मैं इनसे बिल्कुल सहमत हूं इस बात से कि प्रत्येक राष्ट्र, समाज और व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, वह उसके भविष्य को निर्धारित करता है। जहां तक उच्च शिक्षा है, उच्च शिक्षा तो सबसे महत्वपूर्ण मानी जानी चाहिए क्योंकि वह उस पायदान पर लाकर राष्ट्र को और मनुष्य को खड़ा करती है जहां से उसकी पहचान पूरे विश्व में बनती है। उच्च शिक्षा का उद्देश्य क्या है ? उच्च शिक्षा में जहां एक ओर ज्ञानवर्धन होना चाहिए वहीं बौद्धिक नेतृत्व प्रदान करने की भी क्षमता होनी चाहिए। सिर्फ ज्ञान अर्जन नहीं , बौद्धिक नेतृत्व भी प्रदान करने की क्षमता होनी चाहिए। मैं बहुत कष्ट के साथ, दुःख के साथ कहना चाहती हूं कि इस समय उत्तर प्रदेश में जो उच्च शिक्षा व्यवस्था है वह इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। आपने बड़ी प्रशंसा करी कि मैंने इतना बजट दिया। मैं भी आपके समक्ष कुछ बातें रखना चाहती हूं। पूरे देश में स्वास्थ्य....

(इस समय 4 बजकर 02 मिनट पर अधिष्ठाता श्री अनुग्रह नारायण सिंह पीठासीन हुए।)

शिक्षा व स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। हमारी केन्द्र सरकार ने शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान दिया है। पिछले नौ वर्षों में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में आर0टी0ई0 के जरिए जो प्राविधान किए गए उसी का प्रभाव है कि मंत्री जी ने खड़े होकर इतनी जोरदारी से कहा कि हम भोजन दे रहे

हैं, बैग दे रहे हैं, किताब दे रहे हैं, हम शिक्षा दे रहे हैं, ड्रेस दे रहे हैं सब मुफ्त दे रहे हैं एक शब्द आप यह भी कह देते कि केन्द्र सरकार ने इसमें अभूतपूर्व सहयोग दिया है। ठीक है मैं अपनी बात विड्रा करती हूं। तो वह सारा जो शिक्षा का प्रारूप बना प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का, वह केन्द्र सरकार की यू0पी0ए0 सरकार की जो सोच थी, उसके अन्तर्गत बना। उनकी प्राथमिकताओं के अन्तर्गत बना उच्च शिक्षा के प्रति भी, मान्यवर डा0 मनमोहन सिंह की, केन्द्र की सरकार, हमारी सरकार अत्यन्त गम्भीर दीखी और जिस तरह से बजट में प्राविधान किए गए वह इसका प्रमाण हैं। मैं आपके समक्ष रखना चाहती हूं कि सकल घरेलू उत्पाद का जी0डी0पी0 का 3.25 प्रतिशत केन्द्र सरकार ने शिक्षा के लिए रखा, और उसमें से 23 प्रतिशत उच्च शिक्षा के लिए रखा गया। स्टेट का भी सकल घरेलू उत्पाद होता है, राज्य के भी सकल घरेलू उत्पाद का अगर इसी तरह से आंकड़ा लिया जाए तो इस सरकार को उच्च शिक्षा के लिये 5,362 करोड़ रुपये प्राविधानित करने चाहिए थे और आपने प्राविधानित कितना किया 2,762, उसका आधा भी नहीं आपकी कितनी गम्भीरता है उच्च शिक्षा के प्रति यह इससे भी पता चलता है कि 51 पृष्ठ के अपने उद्बोधन में, बजट स्पीच में, मुख्य मंत्री जी ने उच्च शिक्षा को 36वें पृष्ठ पर रखा है। आपने कह तो दिया कि एक हजार करोड़ रुपये की लागत से नये विश्व विद्यालय बनायेंगे साथ ही आपने बहुत सारी और योजनायें भी गिना दीं, और पैसा कितना है 2 हजार 700 करोड़। मैं आपसे यह पूछना चाहती हूं कि जो योजनायें चल रह थीं उनका क्या हुआ ? एक अरबी फारसी विश्वविद्यालय लखनऊ में बनने के लिए एक हजार करोड़ रुपया प्राविधानित किया गया था पांच साल में उसे पूरा करने का लक्ष्य था 171 करोड़ एक साल में रिलीज हुआ 2010-11 या शायद 2011-12 में, आपने उसको घटाकर 2012-13 में 25 करोड़ कर दिया है। और 25 करोड़ में भी सिर्फ 17 करोड़ अब मुक्त किया। वह एक हजार करोड़ का विश्वविद्यालय कब बनेगा ? उसमें शिक्षण कार्य कब शुरू होगा ? मैंने मुख्य मंत्री जी के भाषण में तीन बिन्दु महत्वपूर्ण देखे, घुमा फिराकर वही बिन्दु पूर्व के दोनों बजट भाषणों में हैं। पहला है कि आधारभूत सुविधाओं में सुधार और विस्तार, दूसरा है कि सरकार विश्वविद्यालयों को उत्कृष्ट केन्द्रों में विकसित करेंगे। तीसरा है कि असेवित क्षेत्रों में हम निजी सेक्टर को प्रमोट करेंगे, निजी सेक्टर में उसको प्रोत्साहित करेंगे। आपने कहा 33 विश्वविद्यालय हैं, जो हमको यह कम्पलायन्स की बुक दी गई है उत्तर प्रदेश शासन की कार्यपूर्ति, इसके आंकड़े तो फर्क हैं जो आप दे रहे हैं, और हमें जो इस किताब में आंकड़े मिले उसके अनुसार 30 विश्वविद्यालय हैं उसमें राजकीय विश्वविद्यालय, निजी डीम्ड यूनीवर्सिटी है और एक मुक्त विश्वविद्यालय है। हमें बताया गया कि 11 व्यवसायिक विश्वविद्यालय हैं और हमें बताया गया कि महाविद्यालय 3,353 हैं आपने पता नहीं क्या आंकड़ा दिया है यहां पर, तो पहले आंकड़े तो ठीक करिए, जो आंकड़े इसमें हैं वह सही हैं या जो आंकड़े आप दे रहे हैं वह सही हैं । या मुझे लग रहा है कि आंकड़े ही कहीं गड़बड़ हैं। जो कम्प्यूटर आपने बांटे हैं उसका प्रतिफल तो एक साल बाद नजर आयेगा लेकिन अधिकारियों से कहिए कि कभी वह कम्प्यूटर खोल तो लिया करें और कम्प्यूटर को अपडेट तो करें कि इसमें क्या एक्चुअल फीगर्स हैं।

मैं समझती हूं कि उच्च शिक्षा के लिए तीन बातें बहुत आवश्यक हैं, पहला-विस्तारण, दूसरा है समावेशी शिक्षा और तीसरा-उत्कृष्टता। यह तीन बातें बहुत जरूरी हैं अब अगर इन तीनों आधारों पर हम मूल्यांकन करें तो हम मुंह के बल गिर जाते हैं, उत्तर प्रदेश में। सीएजी की रिपोर्ट को लेकर

सारा विपक्ष केन्द्र के खिलाफ बोलता रहता है कि सीएजी जो कहता है, वह अन्तिम सत्य है। मान्यवर, जो सीएजी की रिपोर्ट है, 2004 से 2009 के बीच 5 साल की रिपोर्ट है, इस बीच आपकी भी सरकार रह चुकी है, बसपा की भी रह चुकी है, उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में 95 कालेजेज यानि महाविद्यालय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आधारभूत सुविधाएं नहीं मुहैय्या करा पाये। निजी कालेजों की तो और भी दुर्दशा है। मैं सोचती हूं सैकड़ों ऐसी निजी महाविद्यालय हैं जिनमें लैब नहीं है, बच्चे प्रैक्टिकल नहीं कर सकते हैं और अगर आप कहिए कि बेटा घर में फ्यूज जोड़ दो तो फ्यूज नहीं जोड़ सकते हैं। इस स्तर का इन कालेजेज का इन्फ्रास्ट्रक्चर है। मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूं, सदन से, हम सबको मिलकर इस पर विचार करना होगा। आखिर यह वही उत्तर प्रदेश है जिसने विश्वविख्यात विश्वविद्यालय दिए, जिसके एक विश्वविद्यालय को, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को आक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहकर बुलाया जाता था। हमारे मंत्री जी ने सही कहा कि बहुत अन्तर आया है, बहुत ज्यादा बाढ़ आई है कालेजेज और डिग्री कालेजेज की और यूनीवर्सिटीज की। 50 वर्षों में इस प्रदेश में 13 विश्वविद्यालय बनें और 5 वर्षों में 19 विश्वविद्यालय खुल गए। 448 राजकीय महाविद्यालय आजादी के बाद से अब तक बन पाये और 3565 बन गए, प्राइवेट सेक्टर में। 10 सरकारी इंजीनियरिंग कालेज खुले तो 250 प्राइवेट इंजीनियरिंग कालेज खुल गए। 15 हमारे मैनेजमेण्ट के सरकारी कालेज खुले तो प्राइवेट में कितने खुले 400 और 21 मेडिकल कालेज राजकीय बने तो 15 प्राइवेट मेडिकल कालेज बन गए यह पिछले 15 वर्षों में हुआ। आपने कहा कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है कि विशेषज्ञता उसमें प्राप्त हो और विद्वता का वह केन्द्र बनें। कैसे बनेंगे ? आपने और विस्तारण की बात तो कही पर वर्तमान में आपकी जो इग्जिस्टिंग संस्थाएं हैं, उनके सुधार के प्रति आपकी उदासीनता मुझे साफ नजर आ रही है। आप 300-400 करोड़ रुपये में आपने महाविद्यालय, यूनीवर्सिटी, इंजीनियरिंग कालेज तथा मैनेजमेण्ट कालेजेज को कैसे आधारभूत सुविधा प्रदान कर देंगे ? कैसे इनकी फैकेल्टीज ठीक कर देंगे ? आपको विचार करना होगा, देखिए, एक होता है पापुलिजम और एक होता है बहुत ही गंभीर तरह से व्यवस्था को सुधारना। आप व्यवस्था को सुधारिए आपने तो बड़ी तारीफ की कि नैक को एक्रास द बोर्ड लागू करेंगे, आप कैसे करेंगे राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यानन परिषद् स्वयत्तशासी संस्थाएं अगर उसे नहीं स्वीकार करेंगी ? पिछले एक साल में कुछ नहीं हुआ। आपने कहा कि हम सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस बनायेंगे। आप यह बताइये, आपकी पार्टी की चार-पांच बार सरकार बन चुकी है, क्या कभी आपने एक स्टेट एजूकेशन पालिसी बनाने पर विचार किया ? राज्य को आपने कोई उच्च शिक्षा नीति दी ? केन्द्र ने तो दी, 1986 में, वहां पर नीति बनी। उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा नीति ही नहीं है। उच्च शिक्षा आयोग की क्या स्थिति है। इतने सारे आपके पोषित महाविद्यालय हैं उनमें प्रधानाचार्य नहीं हैं। उनमें प्राध्यापकों की 49 प्रतिशत रिक्तियां हैं। तीन साल से आपका कमीशन गठित नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ यह आप भी जानते हैं। जिस कमीशन की परिकल्पना इसलिए की गयी थी कि यहां विद्वान बैठेंगे, ईमानदार लोग बैठेंगे और सही फैकेल्टीज कालेजेज को देंगे। वहां पर धन उगाही शुरू हो गयी वह भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त हो गया। पदों की बोलियां लगने लगीं और तीन साल से आयोग नहीं है। क्या हमारी सरकार इतनी अयोग्य है कि 12 महीने में एक योग्य व्यक्ति नहीं ढूंढ सकी। यहां मैं एक सुझाव दूंगी कि आप ऐसे व्यक्ति को कमीशन का मैम्बर, चेयरमैन बनायें जो वास्तव में उच्च शिक्षा के प्रति संवेदना रखता हो जो योग्यता के आधार पर चयन करे किसी और आधार को

महत्व न दे। इस कमीशन को आपको तत्काल आयोजित करना चाहिए। एक बात और है। आपने कहा कि हमने गोरखपुर यूनिवर्सिटी, बुन्देलखण्ड यूनिवर्सिटी को बेहतर बनाने के लिए हमने वाइस चान्सलर की कमेटी को जिम्मेदारी दी है। 1995 में उच्च शिक्षा परिषद् भी तो बनी थी। उच्च शिक्षा परिषद् में आपके भूतपूर्व वाइस चांसलर को होना था, कुलपतियों को, उसमें कुछ पब्लिक नामिनी होने थे समाज से कुछ उसमें नुमाइंदे होने थे उसमें विद्वानों को नामित किया जाना था। 13 सदस्यीय कमेटी बननी थी। 1995 से आज तक परिषद् बन ही नहीं पाया। परिषद् का काम क्या था ? परिषद का काम था कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को कैसे बेहतर बनाया जाये। उस पर वह अपने विचार दे उसको सहयोग दे। परिषद् नहीं है। आज उसकी क्या स्थिति है। एक अपर सचिव इस विभाग में इकलौता बैठा है। यू0जी0सी0 ने इस परिषद् के कार्य के लिए 12 लाख रुपये दिये। पिछले वर्ष केवल 32 हजार खर्च हुआ, शायद चाय पानी में हुआ होगा और परिषद् का काम चल रहा है। तो मेरा दूसरा आपसे निवेदन है कि इस परिषद् का गठन करिये। अच्छे लोगों को बिठाइये क्योंकि आपके भाषण से ऐसा लगता है कि मा0 मुख्य मंत्री जी आमूलचूल परिवर्तन करना चाहते हैं, परिवर्तन एक दिन में नहीं होगा लेकिन वह पहला दिन कभी शुरू तो होगा और वह पहला दिन शुरू करिये। उस पर पहला कदम उठाइये, पूरा सदन आपका साथ देगा। इसके अलावा आपने गुणवत्ता की बात की। आपने नैक की बात की। नैक को हिन्दी में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् कहते हैं। यह गुणवत्ता के आधार पर महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को सूचीबद्ध करती है। एन0ए0सी0 से कालेज कतरा रहे हैं। आपने ठीक कहा निरीक्षण नहीं कराने देना चाहते। जो आपके एडेड कालेजेज हैं उसमें कुल 106 का नैक का इंस्पेक्शन हो पाया है। 137 जो राजकीय महाविद्यालय हैं उसमें 24 का निरीक्षण हुआ और कितने दुख की बात है कि एक भी 'ए' ग्रेड नहीं है। उनके तीन ग्रेड होते हैं ए,बी,सी,। एक भी हमारा राजकीय महाविद्यालय 'ए' ग्रेड में नहीं आता। आप कहते हैं कि हम मॉडल महाविद्यालय बनाने जा रहे हैं। पहले जो आपके एग्जिस्टिंग कालेज हैं उनको मॉडल बना दें इनके पास तो बहुत कुछ है। उनके पास तो बिल्डिंग भी है। फैकल्टी कमजोर है उसको मजबूत करिये। वहां पर अच्छे प्रिंसिपल भेजिये। जो आपके 137 राजकीय महाविद्यालय हैं पहले इनको मॉडल कालेजेज बनाइये बाकी मॉडल बाद में बनाइयेगा। अब सेल्फ फाइनेंस की तो छोड़ ही दीजिए। सेल्फ फाइनेंस के 3085 महाविद्यालयों में से 847 ऐसे महाविद्यालय हैं जो ए,बी,सी, तीनों ग्रेड में नहीं हैं। उनको इस काबिल ही नहीं समझा जा रहा है कि वह किसी ग्रेड में आयें।

स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में कुल 20 'ए' ग्रेड कालेज हैं और वे भी सम्भवतः वह होंगे जो कहीं बाहर से आकर यहां स्टैबिलिस किये होंगे अपने कालेज को नैक का क्या फायदा है ? नैक गुणवत्ता को बढ़ाता है ? सिम्पोजियम्स में, सेमिनार्स के लिए वह इण्टेलेक्चुअल सपोर्ट देता है, बौद्धिक, आर्थिक सहयोग देता है, मुझे खुशी है कि आपने कहा है कि आप नैक को महत्व देंगे, अगले बजट में आपसे पूछूंगी कि क्या हुआ ? लेकिन नैक बहुत महत्वपूर्ण है हमारे स्टेट के लिए भी हमें उच्च शिक्षा को एक बेहतर आयाम तक ले जाना है। अब फैकेल्टी पर आ जाइये, फैकेल्टी मतलब शिक्षकों पर आ जाइये, मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहती हूं कि प्रदेश में नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं, बहुत सारी ऐसी संकायें हैं, महाविद्यालयों में जिनमें टीचर नहीं है, एक भी प्रध्यापक नहीं है। तो जो कालेज खुल रहे हैं उनमें सारे विषय उपलब्ध नहीं हैं, मैं जानती हूं जो महिला महाविद्यालय हैं उनमें विषयों के बहुत

कम विकल्प होते हैं सारे विषय नहीं होते हैं महिला महाविद्यालयों में। वहां वही विषय होते हैं, जिसके प्राध्यापक उपलब्ध हैं फिर वे विषय जो आप समझते हैं कि लड़कियों के पढ़ने योग्य है, फैकेल्टी तो अपनी हम लोगों को ठीक करनी पड़ेगी। विश्वविद्यालयों में 25 प्रतिशत रिक्तियां पड़ी हैं, आप एन0एच0आर0डी0 का जो हमारा मानव संसाधन मंत्रालय है, और यू0जी0सी0 के दिशा-निर्देश हैं कि कैसे पदोन्नति हो, कैसे नियुक्ति की जानी है उसका अनुपालन नहीं करते। विश्वविद्यालयों में आप नियुक्तियां नहीं कर रहे हैं, 25 प्रतिशत रिक्तियां पड़ी हुई हैं मैंनें अभी कहा कि 49 प्रतिशत रिक्तियां कालेज में पड़ी हुई हैं। सबसे चौकाने वाली बात यह है कि 2008 के बाद से प्राइवेट कालेज में प्रिंसिपल की नियुक्ति ही नहीं हुई है क्योंकि आयोग ही नहीं काम कर रहा है, जब आयोग काम नहीं करेगा तो प्रधानाचार्य कहां से आयेंगे और नहीं आयेंगे तो बहुत आनन्द है मैनेजमेण्ट का, मैनेजमेण्ट अपना मन-माना आदमी बैठा देता है, वह योग्य हो, न हो, फर्स्ट डिवीजन हो, सेकेण्ड हो, थर्ड हो, फेलियर हो क्या लेना-देना है, उसको बैठा दिया जाता है, जब आपका प्रधानाचार्य ही किसी एक मकसद के लिए बैठाया जायेगा और योग्यता के आधार पर प्राचार्य नहीं आयेगा, तो फिर आप सोंच सकते हैं, कैसे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। आपने शिक्षकों पुरस्कार देने की बात कही, आपको बधाई हो, आपने परिभाषित तीन गुना कर दिया। लेकिन आठ हजार शिक्षक सड़कों पर धक्के खा रहे हैं, एक महीना हो जायेगा, कुछ दिनों में। वह शिक्षक क्यों धक्के खा रहा है ? वह अपने हक की मांग कर रहे हैं, इस विषय में मैं विस्तार से बोल चुकी हूं कि उन्हें छठवें पे-कमीशन का पैसा मिलना चाहिए। उनका जो बकाया है, पुनरीक्षित वेतन का वह अवमुक्त होना चाहिये। उनके प्रमोशन, उनके पे-रिवीजन रूके हुए हैं। पैंसठ साल पर सेवा निवृत्ति की मांग है, लीव इन्कैशमेण्ट यानी अवकाश नगदीकरण है, गृह भत्ता वगैरह-वगैरह। लेकिन दो विषय बड़े महत्वपूर्ण हैं, पहला है छठे वेतन आयोग की संस्तुति के आधार पर उनका बकाया देना और दूसरी उनकी मांग बहुत सही है, वह है पे-रिवीजन । मैं पूरा बोल चुकी हूं, दोबारा नहीं दोहराऊंगी बस इतना कहना चाहती हूं कि 28 दिसम्बर, 2012 को मा0 मुख्य मंत्री जी उत्तर प्रदेश की पी0एम0ओ0 प्रधानमंत्री के कार्यालय में बैठक हुई और उस बैठक में यह फैसला हुआ कि राज्य पूरे बकाये का भुगतान कर देगा और उसके बाद तीन महीने के अन्दर केन्द्र सरकार उसकी भरपाई कर देगी। फिर भुगतान क्यों नहीं ? प्रमुख सचिव ने उच्च शिक्षा निदेशक को पे-रिवीजन के लिए, जी0ओ0 भेज दिया कि पे-रिवीजन करो इस पर निर्णय हो चुका है। इस पर 4 महीने होने को आ गये, कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। हाईकोर्ट में केस चला गया था, कोई एक शिक्षक उच्च न्यायालय चला गया और कोर्ट ने भुगतान का जजमेण्ट दे दिया। उसने केन्द्र के भारत सरकार के अधिवक्ता को बुलाया, उनसे कहा आपको क्या कहना है केन्द्र की ओर से। अधिवक्ता ने एक एफिडेविट दिया। उसने उस एफिडेविट/हलफनामा में कहा कि हम ये भुगतान कर देंगे। तीन किस्तों में, तीन महीने में हम पूरा पैसा प्रदेश को वापस कर देंगे। हम वो पार्टी तो हैं नहीं कि हलफनामा का आदर, सम्मान न करें जब हलफनामा आ गया, उसके बाद भी भुगतान नहीं हो रहा है। मैं कहना चाहती हूं कि जिस प्रदेश के शिक्षक असंतुष्ट होंगे, दुखी होंगे, उपेक्षित होंगे वहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं हो पायेगी। मैं फिर कहती हूं कि आज जो हमारे उच्च शिक्षा के शिक्षक हैं वे भूले नहीं हैं 1974 में जब हेमवती नन्दन बहुगुणा मुख्य मंत्री थे, कांग्रेस के मुख्य मंत्री थे तो उ0प्र0 वह पहला प्रदेश था जिसने यहां यू0जी0सी0 के ग्रेड्स को लागू किया और फिर इसको पूरे हिन्दुस्तान

के सभी राज्यों में लागू करना पड़ा। आप पहल करिये, वैसे आप पहल भी नहीं होंगे। पांच प्रदेश जो आपसे कहीं छोटे हैं, आपसे संसाधन में कहीं कमजोर हैं, वो बकाये का भुगतान कर चुके हैं। तो हमारा प्रदेश क्यों नहीं कर सकता, आपके पास तो बहुत धन पड़ा है। अभी मैंने कल पढ़ा था कि लैपटाप आपको 15 लाख बांटने हैं, नवम्बर दीवाली तक आप बांटेंगे। आप ये बकाया बॉट दीजिये परमीशन लेकर और उसके बाद पैसा तीन महीने में जब केन्द्र से धन प्राप्त हो जायेगा तो लैपटाप बांटते रहियेगा शिक्षकों के हक को मारना उचित नहीं है। मैं खुद एक शिक्षिका हूं, 32 साल मैंने विश्वविद्यालय में पढ़ाया है। मैं कहना चाहती हूं आपसे अगर उच्च शिक्षा को क्वालिटी एजूकेशन बनाना है, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाना है तो योग्य फैकल्टीज को रोकना होगा। आज आप कह रहे हैं कि आप बहुत प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और कालेजेज ला रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

माननीया जोशी जी, कृपया संक्षिप्त करें।

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

मैं अभी 10 मिनट और बोलूंगी, प्लीज।

श्री अधिष्ठाता-

नहीं, नहीं कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का एक समय होता है। आपके बोलने के बाद फिर आप दोबारा स्पष्टीकरण में बोल लीजियेगा।

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

मैं पूरी बात तो रख दूं, तब तो स्पष्टीकरण दूंगी।

श्री अधिष्ठाता-

नहीं, नहीं आपकी बात आ गयी।

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

अधिष्ठाता महोदय, बस 5, 10 मिनट और दीजिये। मैंने आपसे कहा कि फैकल्टी खींचते हैं प्राइवेट कालेजेज। आपके जो अच्छे टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं इनको लोग खींच लेंगे विश्वविद्यालयों से, डिग्री कालेजेज से। हमारे यहां लखनऊ के डिग्री कालेजेज में कॉमन वेल्थ स्कॉलर्स इस समय टीचर्स हैं अगर ऐसे अध्यापकों को रोकना है तो आप कृपया उनकी मांगों की ओर संवदेनशीलता से निर्णय लेने का काम करें। निजीकरण पर अभी तक यू0पी0 गवर्नमेण्ट की कोई क्लियर पॉलिसी नहीं रही है। बेतहाशा निजीकरण हुआ, हर चीज का मूल्य था। यूनिवर्सिटी खोलनी है इतना, कालेज खोलना है इतना। जी हां, देखा ही नहीं गया कि इनकी योग्यता कालेज चलाने की है भी कि नहीं ? इनकी अपनी योग्यता क्या है जो इसका चेयरमैन है। उसकी शैक्षिक योग्यता क्या है जो कालेज और यूनिवर्सिटी खोलना चाहता है। निजी शिक्षण संस्थाओं पर आप थोड़ा रोक लगाइयेगा। आप ये मत कर दीजियेगा कि जैसे आपने कहा कि असेवित क्षेत्रों में हम निजी सेक्टर को बुलायेंगे। बुलाइये लेकिन क्वालिटी इन्वेस्टमेण्ट को बुलाइये। क्वालिटी इन्वेस्टमेण्ट होना चाहिये। ये मेरा आपसे निवेदन है। मैं फिर कहना चाहती हूं कि शोध कार्यों पर बल देने की जरूरत है। आज उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में जो शोध

हो रहा है, बहुत सब-स्टैण्डर्ड है। आप अपनी जानकारी के लिये एक सूची बनवाइये कि कितने शोधकर्ता ऐसे हैं जिनके आर्टिकल्स अन्तरराष्ट्रीय जरनल्स में, पत्रिकाओं में छपे। आपको अंदाजा हो जायेगा। सब-क्वालिटी रिसर्च हो रही है। सेमिनार सिम्पोजिया करीब-करीब बन्द हैं। आपने अपने पिछले बजट में जो राजस्वीय मद है उसमें सिम्पोजिया और सेमिनार्स के लिये 70 लाख रुपये रखे थे। इस बार उसको घटाकर 30 कर दिया। ऑन-लाइन एजूकेशन की आपने बात की। आपने लैपटाप दिये बहुत अच्छी बात की पर लाइब्रेरीज़ को भी देखें, आप ई-लाइब्रेरीज़ का इंतजाम कीजिये। विश्वविद्यालयों की किताबें, जो बहुत ही बहुमूल्य हैं, वह बर्बाद हो रही हैं। खराब हो रही हैं, वैल्यू एडेड एजूकेशन पर जरूर ध्यान दीजिए, एसोसिएट डिग्रियां दीजिए, साइड कोर्सेस चलाइये। हम कर क्या रहे हैं, हम एम0ए0, बी0ए0 निकालते हैं, हम अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएटस निकालते हैं, लेकिन हम विशेषज्ञ नहीं निकाल पा रहे हैं और उनको जॉब मार्केट के लिए तैयार नहीं कर पा रहे हैं। हमें साइड कोर्सेस चलाने चाहिए जैसे मान लीजिए कि एक इंजीनियरिंग कालेज है, उसमें क्यों नहीं सामाजिक विज्ञान के विषय पढ़ाये जाएं, एथिक्स पढ़ाये जाएं ताकि वह इंजीनियर मशीन न बन जाए, उसमें मानवीय संवेदना रहे। क्यों नहीं हम एम0बी0ए0 के कालेजेज में इन्टीलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स (आई0पी0आर0) जैसे साइड कोर्स चला सकते हैं, ताकि जब वह पढ़कर निकले तो और बेटर इक्यूप्ड हो, रोजगार के लिए, क्यों नहीं हम बी0एस0सी0 में जो बायो ग्रुप है, उसमे पैथलॉजी के कोर्सेस चला सकते और कला संकाय में हम चला सकते हैं, सेकेट्रेरियल कोर्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेण्ट आदि। एक नहीं दर्जनों ऐसे साइड कोर्सेस हैं, जिनको इन्टरोड्यूज करके हम उन बच्चों को, ज्यादा विद्वान भी बनाएंगे और जांब मार्केट के लिए तैयार भी करेंगे, क्योंकि लाखों बच्चों को ऐसी शिक्षा देना कि वह रोजगार न दिला सके वह किस काम की। न वह अपने पारंपरिक व्यवसाय में रहे और न बाहर रहे। और दूसरी बात मैं आपसे कह रही हूं कि आप जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइवेट कालेजेज खोलने जा रहे हैं उन्हें कम खोलिएगा, प्रोफेशनल कालेजेज में लोग अपनी जमीनें गिरवी रख-रखकर, अपने बच्चों को पढ़ा रहे है और पढ़ायेंगे, या तो जांब मार्केट क्रिएट कर दीजिए, राजकीय महाविद्यालयों पर बल दीजिये।

श्री अधिष्ठाता-

माननीया जोशी जी, अभी सुझाव बाद में दीजिएगा और मा0 सदस्यों को बोल लेने दीजिए, और आप तो खुद ही विद्वान हैं, प्रोफेसर रही हैं।

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

आप लोगों ने तो सबने एक-एक घंटा बोला है और आप हमको 20 ही मिनट में बोलना बंद करने को कह रहे हैं। एक ही महिला बोल रही है।

श्री अधिष्ठाता -

आप अकेले ही काफी हैं।

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

मान्यवर, आप खुद ही विश्वविद्यालय से हैं, दो-चार मिनट का समय और दे दीजिए, हम खत्म कर रहे हैं। अब मैं बस दो बात और कहूंगी। पक्षपात क्यों कर रहे हैं, हमने चार घंटे सबको सुना है तो हमको भी तो लोग 20 मिनट सुन लें।

श्री अधिष्ठाता-

इसके बाद भी फिर आपको मौका मिलेगा।

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

नहीं, हम नहीं बोलेंगे, दोबारा। हम नमस्कार करते हैं। अच्छा हम जल्दी अपनी बात समाप्त कर रहे हैं। अब मेरा एक बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है मेरा बेरोजगारी भत्ते का, अभी एक आर0टी0आई0 हुई थी, 2-3 दिन पहले, उसमें जानकारी मिली कि मार्च से नवंबर, 2012 में 8.4 करोड़ रुपया बेराजेगारी भत्ता बांटा गया और उसको बांटने के लिए जो कार्यक्रम किये गए, उसमें 12.5 करोड़ रुपया खर्च हुआ।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, अगर कोई असाधारण सदस्य यह बात कहता तो मैं उसे टोकता नहीं, आपकी श्रेष्ठता पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यह श्रम विभाग का मामला है, बेरोजगारी भत्ता इसलिए इस समय इस पर बात करना उचित नहीं है। रोकने का काम तो मा0 अधिष्ठाता जी करेंगे।

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

क्यों, बेरोजगारी भत्ते में हायर एजूकेशन वाले नहीं हैं ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, बेरोजगारी भत्ता, श्रम विभाग में आता है, कल बजट है उसमें, मैं उत्तर दूंगा आपके प्रश्न का। कल आपको इसका उत्तर हम देंगे।

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

चलिए छोड़ दे रहे हैं, मान्यवर, आप एक्सपंज कर दीजिए। अब दो प्वाइंट और हैं मान्यवर, मंत्री जी आपको तो मैं पहले ही कह चुकी हूं कि आप बड़े हुनरदार हैं, अब आ जाइये समावेशी शिक्षा पर। समावेशी शिक्षा में उत्तर प्रदेश की हालत बहुत खराब है। समावेशी शिक्षा में महिला, अल्पसंख्यक, दलित, और पिछड़े इनकी स्थिति बहुत खराब है, जहां भारत जी0ई0आर0 का दर 18.8 है, हमारे यहां मुसलमानों का पुरुष में 6.4 और महिलाओं में 5.8, एस0सी0/एस0टी0 में 6.30 पुरुषों में और महिला में 4.76, ओ0बी0सी0 में पुरुष 8.50 तथा महिला 6.60 और जहां तक पूरी शिक्षा का प्रश्न है, महिला साक्षरता के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश 35 प्रांतों और केन्द्र संचालित प्रांतों में 31 वे नंबर पर है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि महिला शिक्षा के प्रति विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है, वीमेन्स स्टडीज के डिपार्टमेण्ट खोलिए। मान्यवर, लखनऊ विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनना चाहिए। मैं इसके लिए संस्तुति की मांग करती हूं कि यह सदन इसकी संस्तुति करते हुए यह प्रस्तावित करे केन्द्र सरकार को कि ''लखनऊ विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया जाये।'' यह एक अत्यन्त पुराना विश्वविद्यालय है और इसको इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तर्ज पर केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाना चाहिये। धन्यवाद।

*बाल विकास एवं पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मान्यवर, माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं माननीय राजस्व मंत्री जी ने एक बहुत ही अच्छा बजट प्रस्तुत किया है। यह राजस्व विभाग को और इस प्रदेश को एक अच्छी दिशा में ले जाने वाला बजट है। यह राजस्व विभाग के कर्मचारियों के हित में बजट बना है। मान्यवर, माननीय रीता बहुगुणा जोशी जी ने इस पर अपना कटौती का प्रस्ताव रखा है। मैं मान्यवर उनका बहुत सम्मान करता हूं।

(इस समय 4 बजकर 35 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

मान्यवर, एक ऐतिहासिक दिन था इलाहाबाद में जब चन्द्रशेखर जी के आह्वान पर वहां पर एक सम्मेलन हुआ था आप अध्यक्ष थीं नगरपालिका कीं आपने हम लोगों की बहुत सहायता की थीं। उसका एहसान हम पर है। मान्यवर, बेसिक शिक्षा का जब बजट मैंने पेश किया था तो यही कहा था कि केन्द्र की सहायता से हमारे विभाग की कई योजनायें चल रही हैं उसमें केन्द्र का अंशदान मिला है। कुछ में नहीं मिला है आप उसमें दिलवाइये। मान्यवर, जब केन्द्र और राज्य का सम्बन्ध अच्छा होता है तो सरकार अच्छी चलती है। हमारा वहां समर्थन है तो आपका भी यहां समर्थन होना चाहिए। इसलिए आपको कटौती का प्रस्ताव यहां पर नहीं रखना चाहिए था। मेजों की थपथपाहट। मान्यवर, आपने शिक्षा में गुणवत्ता कैसे बढ़े इसकी बात कही। जो अच्छी लगी लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं जब से नई शिक्षा नीति केन्द्र सरकार ने लागू की है उसके बाद से उच्च शिक्षा बिल्कुल असरहीन होने वाली है। वह कैसे हो जायेगी यह मैं बताना चाहता हूं कि जब कक्षा एक से लेकर कक्षा आठ तक कोई परीक्षा नहीं होगी, तो पढ़ाई का मूल्यांकन कैसे होगा। जब कोई छात्र फेल ही नहीं होगा, तो फिर टीचर पढ़ायेंगें ही नही। कोई बारह-तेरह वर्ष का बच्चा जो कभी स्कूल नहीं गया होगा उसकी पहचान नहीं होगी उसको उम्र के हिसाब से उस कक्षा में उसका नाम लिख दिया जायेगा चौथे या पाचवें क्लास में। सर्वशिक्षा अभियान की तरह माध्यमिक शिक्षा अभियान भी चलने वाला है, उसमें केन्द्र सरकार की नीति बन रही है कि कक्षा नौ और दस की भी परीक्षा नहीं होगी। मान्यवर, आप तो प्रवक्ता रही हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब कोई छात्र फेल पास नहीं होगा, तो फिर टीचर उसको पढ़ाने की कैसे रुचि लेगा। अब तक पढ़ाई इसलिए होती है, कि रिजेल्ट देखा जाता है स्कूलों का। अगर किसी स्कूल के काफी बच्चे फेल हो गये तो फिर उसकी मान्यता खत्म भी हो सकती है। अब इस नई शिक्षा नीति से सब कुछ फ्री हो जायेगा। अगर उच्च शिक्षा में गुणवत्ता उत्पन्न करनी है तो फिर बेसिक और माध्यमिक शिक्षा को मजबूत बनाना होगा। उच्च शिक्षा तो अमर बेल की तरह है जो ऊपर से आती है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की मजबूती से ही उच्च शिक्षा की व्यवस्था सुदृढ़ हो सकती है। मान्यवर, आप देंखें कि बी0पी0एल0 में केन्द्र सरकार ने यह व्यवस्था की है कि अनुसूचित जाति और जन-जाति के बच्चों को दो सौ रुपये की सहायता ड्रेस के लिए दी जाती है। हमारी सरकार ने इसे सभी वर्गों के लिए लागू किया है। लेकिन मान्यवर आप जानते हैं कि आज एक जैकेट भी बनवाने जायें तो सात सौ आठ सौ रुपये लग जाते हैं। कुर्ता सिलवाने जाइये तो 300-400 रुपया ले रहे हैं, 200 रुपया दे रहे हैं। मैंने शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक में भी कहा था कि आप लालीपाप दिखलाना छोड़ दे कि हम गरीबों की मदद कर रहे हैं हम शिक्षा की मदद कर रहे हैं, अगर आपको सही मदद करना हो तो ड्रेस पर कम से कम 1000 रुपया, एक हजार रुपया और मुझे विश्वास है जो

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मंत्री जी ने बजट रखा है वह बिल्कुल उच्च शिक्षा को आगे बढ़ायेगा। 3 दिन संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में, 3 दिन महाविद्यालय शिक्षक संघ का सम्मेलन हुआ जिसमें विदेश के भी 3-4 प्रोफेसर आये थे वहां भी बड़ा गहन अध्ययन हुआ। केन्द्र सरकार निजीकरण की बात, कौन निजीकरण कर रहा है इस देश में, जब से हिन्दोस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं श्री मनमोहन सिंह जी तभी से देश में निजीकरण का चला है सैलाब और पिछली बार जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी तो उसी ने दुनिया भर के विश्वविद्यालय महाविद्यालय को दे दिया परमिट तो शिक्षा की गुणवत्ता भी बरकरार रखना चाहते हैं केन्द्र सरकार शिक्षा के साथ कैसा खिलवाड़ कर रहा है जरा केन्द्र सरकार से जाकर तो पूछिये, आप प्रोफेसर हैं, विद्वान है, आप एक अच्छे राजनीतिज्ञ की लड़की हैं, कांग्रेस भी आपके साथ है, आपके भाई भी मुख्य मंत्री हैं अगर वास्तव में आपको चिन्ता है, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सबकी चिन्ता है, हिन्दोस्तान में उच्च शिक्षा की दशा क्या है प्रधानमंत्री भी इस बात पर अफसोस जाहिर कर चुके हैं कि 20 विश्वविद्यालयों में एक भी विश्वविद्यालय हिन्दोस्तान का नहीं आया, यह है और शिक्षा ही समाज के लिए मूल है। सुकरात से एक शाहंशाह ने पूछा कि हमको अमुक देश को कब्जा करना है हमको हिंसा भी नहीं करनी है, गोली भी नहीं चलानी है तो कैसे हम कब्जा कर सकते हैं उन्होंने कहा कि उस देश की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दो अराजकता का माहौल हो जायेगा आसानी से उस देश पर तुम कब्जा कर सकते हो। तो आज तो यही स्थिति है शिक्षा की। कांग्रेस देश से लेकर प्रदेश में कितने दिनों तक रही है सरकार में, सरकार चलाई है लेकिन हमको विश्वास है अगर नहीं चेती केन्द्र सरकार तो 20 में तो आया ही नहीं कहीं 2-4 हजार विश्वविद्यालयों में भी उत्तर प्रदेश हिन्दोस्तान का नाम नहीं रहेगा जैसा केन्द्र सरकार ने शिक्षा के प्रति अपना रुख अख्तियार किया है। मैं बहुत कुछ न कह करके इतना आपको विश्वास दिलाता हूं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कि मुख्य मंत्री जी का यह विभाग है और उच्च शिक्षा प्राप्त हैं मुख्य मंत्री जी और स्वयं चिन्तित हैं और जो प्रमुख सचिव जी आये हैं उच्च शिक्षा के इस विभाग में उनको भी मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं बहुत कर्मठ हैं। निश्चित रूप से मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा अग्रसर होगी, गुणवत्तापूर्वक होगी बशर्ते केन्द्र सरकार यह जो माध्यमिक और प्राथमिक में जो नियम लागू किये हैं इसको परीक्षा में बदल दें और निश्चित रूप से अगर चाहती हैं उच्च शिक्षा को मजबूत करना, उच्च शिक्षा को रोजगारपरक बनाना, दुनिया में हिन्दोस्तान के विश्वविद्यालयों को कम्पटीशन में आना, निश्चित है कि जो नीति लागू हुई है प्राथमिक शिक्षा में, माध्यमिक शिक्षा में लागू होने जा रही है इसको समाप्त करना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राजस्व मंत्री जी ने जो बजट प्रस्ताव रखा है उच्च शिक्षा का उनके बजट का मैं समर्थन करता हूं धन्यवाद।

*श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

आदरणीय अध्यक्ष जी, उच्च शिक्षा में जो कटौती का प्रस्ताव कांग्रेस की नेता रीता बहुगुणा जोशी जी ने रखा है मैं अपने आपको उन्हीं से सम्बद्ध करता हूं और इस पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि समाज शिक्षा से जागरूक होता है। जो समाज शिक्षित होता है उसी में जागरूकता आती है और जिस समाज में शिक्षा नहीं आ पाती है, वह राजनैतिक रूप से, शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े रहते हैं। जिसको समय-समय पर यहां अपने भारतीय इतिहास में उसको दिखाया गया है चाहे मंडल कमीशन जब लागू हुआ था चाहे पिछड़ों की शिक्षा की

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बात हो, चाहे अल्पसंख्यकों की शिक्षा की बात हो, सच्चर कमेटी में, रंगनाथ मिश्र कमेटी में चाहे मान्यवर, दलित वर्ग की शिक्षा की बात हो । मान्यवर, अगर आज हम पिछड़े हैं तो सबसे पहले शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, शिक्षा में पिछड़ने के बावजूद हम समाज में बराबर नहीं खड़े हो पा रहे हैं और उसी का हम बराबर प्रयास करते हैं, जब हम शिक्षा में बराबर आयेंगे तो हम समाज में बराबर आयेंगे।

मान्यवर, जैसा भारत का इतिहास रहा है, प्राचीन काल में भी यहॉ नालन्दा विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के मामले में जाना जाता था, मान्यवर, उसके बाद 100 वर्ष से पहले यहां भारत में पं0 महामना मदन मोहन मालवीय ने, जिन्होंने बी0एच0यू0 की स्थापना की और उसके बाद सर सैय्यद अहमद खां, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की, उसके बाद कालान्तर में शैक्षिक संस्थायें, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटीज खोली गयीं और जिस तरह से आज उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्व मंत्री ने बजट रखते समय कहा कि शिक्षा के लिये वह बहुत जागरूक हैं । शिक्षा के लिये वह बहुत कुछ करना चाहते हैं। मान्यवर, जैसा अभी दो यूनिवर्सिटियां खुलने की बात हुयी, यह सरकार का एक अच्छा प्रयास है, उच्च शिक्षा के विषय में। हम लोगों के टाइम पर भी एक अरबी, फारसी यूनिवर्सिटी खोलने की बात हुयी, उससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में जैसा आपने बताया कि पूर्वान्चल यूनिवर्सिटी खोलने का प्रयास हुआ। मान्यवर, सरकारें आती हैं और वह अपने दायित्व का निर्वहन करती हैं। लेकिन हम लोगों से पहले चाहे काग्रेंस पार्टी की सरकार रही हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, शिक्षा के विषय में चूंकि यह एक ऐसा विषय है कि इसमें कोई विवाद करना नहीं चाहता। हर आदमी यह चाहता है कि उसका बच्चा पढ़े, समाज पढ़े और हर वर्ग के बच्चे पढ़कर आगे आवें। स्थिति यह है कि चाहे जिस दशा में आबादी बढ़ी है, जनसंख्या जिस रेशियो में बढ़ी है, उस रेशियो में हमारे विश्वविद्यालय और विद्यालय नहीं खुल रहे हैं। हमारी काबिल नेता जोशी जी, जो पेशे से शिक्षक हैं, उन्होंने काफी विस्तार से बताया, तो मैं उसमें जाना नहीं चाहता। मैं जो व्यवहारिकता है, उस पर बस दो-तीन मिनट में अपनी बातें कहना चाहता हूं। हम जिस जनपद से आये हैं लखीमपुर, सीतापुर, बहराइच, पीलीभीत इधर मान्यवर, बरेली और लखनऊ के बीच में और उधर पूर्वांचल में फैजाबाद के आगे कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। इन आठ-दस जिलों में आगे निकट भविष्य में कोई यूनिवर्सिटी खुले तो उस क्षेत्र के लोग भी जो बहुत ही शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, नेपाल की नदियों का पानी आकर उनके घर को बेघर कर देता है और आदमी अपना रोटी, कपड़ा, मकान इसी में फंसा रहता है, लेकिन वह अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है। अपने समाज में हम देखते हैं जिनके 4-4, 5-5 बच्चे हैं, वह स्कूलों में उनको पढ़ने के लिये नही भेज पाते हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं, पिछले साल भी और इस साल भी इन्होंने बड़ा प्रयास किया, बड़ी मार्मिक अपील इन्होंने की और कहा कि हम हर चीज मुहैया करा रहे हैं, किताब-कापी दे रहे हैं, उनको ड्रेस दे रहे हैं, उनको छात्रवृत्ति दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं और शिक्षकों को 25-30 हजार रुपये की सेलरी दे रहे हैं, लेकिन हम लोग वहां पर पढ़ाने के बजाय अपने बच्चों को हजार-दो हजार रुपये सेलरी पाने वाले अध्यापक और महंगी किताबें देने वाले स्कूलों में महंगी फीस में भेजते हैं। मैं गर्व के साथ कहता हूं अपने बेसिक शिक्षा मंत्री जी से, कि मैं भी जामुन के पेड़ के नीचे पढ़ा हुआ बच्चा हूं और प्राइमरी विद्यालय से पढ़कर देहात क्षेत्र से इंटर पास करके

तब लखनऊ में ग्रेजुएशन करने के लिये आया और ग्रेजुएशन की पढ़ाई यहां से पूरी की । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आज गरीब आदमी के लिये फीस दे पाना बड़ा मुश्किल हो गया है। प्राइवेट विद्यालय बड़ी संख्या में खुल रहे हैं, उनकी फीस बहुत ज्यादा है, पढ़ाई उनमें होती नहीं हैं सिर्फ एडमीशन होते हैं, 3 हजार से लगाकर 5 हजार रुपये तक फीस ली जाती है, उसके बाद इम्तिहान दिलाने के टाइम बच्चों को सिर्फ बुलाया जाता है, इम्तिहान देकर वह पास हो जाते हैं बिल्कुल सही बात आपने कही है बेसिक शिक्षा मंत्री जी कि जब हमारी नींव नहीं मजबूत होगी तो उसके ऊपर जो मकान खड़ा होगा उस पर जो बिल्डिंग खड़ी होगी वह कैसे मजबूत होगी। मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं कि हमारे पूरे विधान सभा क्षेत्र में कोई राजकीय महाविद्यालय नहीं है। कोई विद्यालय नहीं है जिसमें गरीबों की पढ़ाई हो सके। सरकारी फीस पर उनके बच्चे पढ़ सकें। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इसमें लिखा गया है कि जो असेवित विकास खण्ड हैं उनमें महाविद्यालय खोलने की योजना है। तो हमारे यहां रमियां बेहड़ ब्लाक में कोई महाविद्यालय नहीं है ईसानगर ब्लाक में कोई महाविद्यालय नहीं है धौरहरा ब्लाक में कोई महाविद्यालय नहीं है निघासन ब्लाक में कोई महाविद्यालय नहीं है तो मान्यवर, यह कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं कि उच्च शिक्षा का यह जो बजट आया है। उसमें ग्रामीण क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान दिया क्योंकि शहरों के लोग तो अपने बच्चों को किसी तरह से पढ़ा देते हैं लेकिन ग्रामीण परिवेश के बच्चे ग्रेजुएशन नहीं कर पाते हैं किसी तरह से हाई स्कूल, इण्टर तक पढ़-पढ़ाकर अपने कामों में लग जाते हैं इसलिए मैं ग्रामीण क्षेत्रों की ओर से आपको मार्मिक अपील करता हूं कि हमारे विधान सभा क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय, राजकीय महिला महाविद्यालय खोलने का कष्ट करें। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं और कटौती के प्रस्ताव पर जो श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी जी ने रखा है उस पर बल देता हूं।

माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री विजय बहादुर पाल)-

माननीय अध्यक्ष जी, सम्मानित सदन, सतत् संघर्ष, त्याग और बलिदान से भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की। यह पूरी तरह से आशा की जाती थी कि स्वतंत्र देश की शिक्षा व्यवस्था देश की माटी देश की संस्कृति, देश की आवश्यकताओं, अपेक्षाओं के अनुरूप होगी। इतना दुःखद है कि वही लार्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति जारी रखने का काम किसने किया ? वे कौन लोग थे जो चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में भी लोग क्लर्क बनकर रह जाए ? ऐसी शिक्षा पद्धति जो जिन्दगी जीने का मंत्र न बताएं, ऐसी शिक्षा पद्धति जो मात्र परीक्षा में फेल हो जाने पर सल्फाज खोजने को मजबूर करे, नौजवानों की लाशें कुओं और नदियों में सड़ जायं, रेल की पटरियां उनके खून से लथपथ हो जाएं, मुझे कोई भ्रम नहीं है नालन्दा की बात कर लो, तक्षशिला की बात कर लो, इलाहाबाद यूनीवर्सिटी को आक्सफोर्ड नाम दे लो लेकिन अध्यक्ष जी मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि उच्च शिक्षा की बात क्या कही जाय यहां तो एक षडयंत्र रहा कि देशवासी पढ़ने न पाएं। भारत में गिने चुने लोग उच्च शिक्षा के अधिकारी बने रहें। विद्यामंदिर गिने चुने लोगों के लिए खुले रहें वे कौन लोग थे जिन्होंने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को गिने चुने लोगों की मुट्टी में कैद कर रखा था ? वे कौन लोग थे जिन्होंने आम जनता के बेटों और बेटियों के लिए उच्च शिक्षा की बात तो दूर रही प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल के दरवाजे बन्द कर रखे थे ? मुझे कोई भ्रम नहीं। मैं उन दोनों को चिन्हित करता हूं। माननीय

अध्यक्ष जी अगर आज भी मैंने यह बात नहीं कही तो फिर कब कहूंगा ? वे दो प्रकार के लोग हैं, जिन्हें चिन्हित किया जाना चाहिए, जिन्होंने लोगों की बुद्धि का विकास नहीं होने दिया जिन्होंने भारतवर्ष को प्रगति के पथ पर नहीं चलने दिया स्वार्थी घटिया घिनौने सोच वाले महत्वाकांक्षी लोग जिन्होंने यह समझ रखा था कि सत्ता उनकी बपौती है दूसरे रूढ़िवादी लकीर के फकीर।

श्री अध्यक्ष-

आप उच्च शिक्षा के बजट पर भी तो कुछ बोलें।

श्री विजय बहादुर पाल-

वे शासन करने के लिए पैदा हुए और दूसरे शासित होने के लिये। दूसरे वे लोग जिन्होंने महामना मालवीय को नहीं समझा। उन्हें पत्थर प्यारे लगे। पत्थर प्रदेश बना दिया। लै-लै आवौ, धर-धर जाओ, कौन थे वे लोग जो महाविद्यालयों की भारी रकम के बोरे लिए जा रहे थे, कहां लिए जा रहे थे ? फिर कहां ले जाये गये ? इन बातों पर विचार अगर सदन में नहीं होगा तो क्या हिन्द महासागर के किनारे पर बैठकर होगा। उन लोगों की भी परख होनी चाहिए जिन्होंने इस देश में गंगा, गीता, गायत्री की बात की ? उच्च शिक्षा हो, उच्च आदर्श हों, आम आदमी उच्च शिक्षा की सोच सके। आपने तो ऐसा कर दिया कि जो ऊंची नौकरियां जैसे आई0ए0एस0 हैं। एक ओर तो पीपुल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया का कहना है कि हिन्दी का बड़ा वजन बढ़ रहा है। हिन्दी का इतना वजन बढ़ रहा है कि लोक सेवा आयोग में अंग्रेजी विषय अनिवार्य कर दिया गया।

सत्तापक्ष की ओर से-

संघ लोक सेवा आयोग में भी।

श्री विजय बहादुर पाल-

संघ में तो है ही, वहीं से तो सब खेल है। मान्यवर, मैं कह रहा हूं, यह विशाल ग्रामीण भारत ''है अपना हिन्दुस्तान कहां वह बसा हमारे गांवों में।'' देवी जी आपसे यह उम्मीद नहीं थी, आपने कहा कि गांवों में महाविद्यालय न खोले जाएं। आखिर आप गांवों को अंधेरे में क्यों भटकाये रखना चाहती हैं ? मुझे कोई भ्रम नहीं। ये वे लोग हैं जिन्होंने देश को गरीब बनाये रखा, भिखमंगा बनाया, बेकारी और लाचारी का शिकार बनाया, भ्रष्टाचार के गर्त में डुबो दिया। यह समाजवादी पार्टी की सरकार चाहती है कि विद्यालय खुलें, विद्यालय ऐसे लोग खोलें जो मालवीय जी को जानते हों, ऐसे लोग न खोलें, चमड़ा फैक्ट्री बन्द हो गई, महाविद्यालय खोल लिया। साबुन फैक्ट्री बन्द हो गई महाविद्यालय खोल लिया, अध्यापकों की एकदम कमी हो गई तो एकदम आसमान से विद्वान कूद पड़ेंगे। आपने तो शिक्षा का स्तर ही ऐसा कर दिया कि जो प्रोफेसर होते थे उनका तिकड़मपेंच अलग था। आम आदमी जो सोच नहीं सकता था महाविद्यालयों में जाने की और प्रोफेसर बनने की, यह समाजवादी सरकार है जो यह सिखाती है कि ऊंची कुर्सियां किसी की जागीर नहीं ऊंची कुर्सियों का हकदार हर कोई हो सकता है। जिस भव्य भारतवर्ष के आप श्रेष्ठ नागरिक बनाना चाहते हो, आप लोगों को अन्धकार में भटकाये रखना चाहते हो, आप लोगों को गरीबी में भटकने को मजबूर करते हो, आपकी कोई नीति नहीं आपकी केवल एक नीति है, मान्यवर, अहंकार किसी को नहीं पालना चाहिए, लम्बी उम्र कोई बड़ी सत्यता और गुणवत्ता की प्रमाण नहीं होती, कम उम्र के लोग भी इतिहास रचयिता बन गये। समाजवादी पार्टी की सरकार जनता से चुनकर आई है प्रबल बहुमत से चुनकर आई

यह सरकार उत्तर प्रदेश को उच्च शिक्षा के मामले में भी व्यापक सुधार करना चाहती है, चमत्कार करना चाहती है, इसमें किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए। यह वह लोग नहीं हैं जो बुद्धि को लक्ष्मी देवी के महल की कुंजी मानते हैं, बुद्धि लक्ष्मी जी के महल की कुंजी नहीं है, बुद्धि है प्रकृति के रहस्य को खोजने की कुंजी, समाज सेवा की कुंजी, विकास की कुंजी।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी आपकी बात आ गई।

श्री विजय बहादुर पाल-

माननीय अध्यक्ष जी, बात पूरी नहीं आ गई, बात पूरी तो तब आ जायेगी, बात पूरी आने का मतलब होगा कि उच्च शिक्षा में ऐसे अध्यापक आयें जो क्लास में विद्यार्थियों को अपना बेटा और छोटा भाई मानकर जिन्दगी का पाठ पढ़ायें, केवल परीक्षा पास करने का मन्त्र न बतायें बल्कि जिन्दगी जीने का मन्त्र बतायें और संसार की प्रगतिशील दौड़ में भागीदार बनने का मन्त्र बतायें। लोक की बात बतायें। परलोक की बात बतायें। नैतिकता की बात बतायें, केवल वह बात न बतायें जो बताकर चली गईं मैडम। सत्यानाश हो गया, नैतिकता मरघट पर पहुंच गई।

श्री अध्यक्ष -

माननीय मंत्री जी, आपका समय समाप्त हो गया, कृपया समाप्त करें, अब दूसरे विषय पर बोलियेगा।

श्री विजय बहादुर पाल-

माननीय अध्यक्ष जी, समाप्त कर रहा हूं। सरकार चाहती है कि महाविद्यालय खुलें, महिलाओं के लिए भी खुलें। जब महिलाओं का योगदान है सार्वजनिक जीवन में, समाज सेवा में, प्रशासनिक पदों पर वह चमत्कार दिखाने लगीं। उन्हें पूरा हक है और यह हक पाने का उन्हें सुअवसर मिले। इसलिए समाजवादी पार्टी का संकल्प है वह महिलाओं की शिक्षा के लिए भी उतनी प्रयत्नशील है, जितनी उच्च शिक्षा में व्यापक सुधार के लिए, आमूल-चूल परिवर्तन के लिए। हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं, बिना प्रारम्भिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में काया-कल्प किये वह सम्भव नहीं है। हम केवल बातें नहीं करते। जो कहते हैं वो करते हैं, इसलिए धैर्य बनाये रखिये, विश्वास बनाये रखिये।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी, अब समाप्त करिये। आपका समय समाप्त हुआ।

श्री विजय बहादुर पाल-

आपने तो लम्बे दिन शासन करके देश को कहां से कहां पहुंचा दिया ? भारतवर्ष विश्व के श्रेष्ठ 200 विश्वविद्यालयों में भारत कहीं पर भी नहीं खड़ा है। देश का एक भी विश्वविद्यालय सूची में नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

अब बैठ जांए, समय खत्म हो गया।

श्री विजय बहादुर पाल-

माननीय अध्यक्ष जी, समय खत्म हो गया लेकिन मेरी बात खत्म नहीं हुई। मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, उच्च शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग के आय-व्ययक पर मुझे कटौती प्रस्ताव पर समर्थन करने के लिए जो अवसर प्रदान किया गया है उसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूं, आभारी हूं और कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूं। आज के विज्ञान एवं तकनीकी तथा वैश्वीकरण के इस युग में किसी भी सुखी समृद्धि, सुदृढ़ एवं सर्वांगीड़ विकास के लिए, निर्माण के लिए शिक्षा एक निर्णायक एवं अहम भूमिका का निर्वहन करती है। मान्यवर, युवकों में उदित आदर्शों की प्रतिपूर्ति के लिए तथा उनमें गुणात्मक तथा प्रशासनिक शिक्षा का समावेश करना अपरिहार्य है ताकि उनमें समर्पण और उपयोगी नागरिक बनने की क्षमता आ सके। उच्च शिक्षा एक महत्वपूर्ण विभाग है जिसके लिये आज के उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसी सुदृढ़ नीति नहीं बनायी गयी है। यह जरूर है कि उच्च शिक्षा के विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए 1986 में केन्द्र सरकार ने एक नीति बनायी है जिसके अंतर्गत 1995-96 में क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किये गये लेकिन मान्यवर, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्षेत्रीय कार्यालय जो हैं बिल्कुल ही निष्क्रिय हैं और इनके सुझाव प्रासंगिक नहीं हैं, स्वीकार नहीं किये जाते हैं। मान्यवर, उच्च शिक्षा के लिए वर्ष 2012-2013 में 23,023 लाख रुपये का और वर्ष 2013-14 में 23,527 लाख रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया जो बहुत ही कम है। मैं यह बात कहना चाहता हूं कि किसी भी शिक्षा के क्षेत्र में तीन विशेषतायें होनी चाहिए। पहला, शिक्षा में सर्व-व्यापकता हो, दूसरे सर्व-स्पृशता हो और तीसरे सर्व-ग्राह्यता हो। सर्व-व्यापकता के अंतर्गत प्राइमरी शिक्षा प्रत्येक गांव में होनी चाहिए, जूनियर हाई स्कूल प्रत्येक गांव पंचायत में होनी चाहिए और न्याय पंचायत स्तर पर माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए तथा क्षेत्र पंचायत पर महाविद्यालय की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन आज देख रहे हैं कि बहुत सारी क्षेत्र पंचायतें हैं जिनमें महाविद्यालय नहीं हैं। मान्यवर, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि जो शिक्षा व्यवस्था है वह गरीबों के लिए शिक्षा व्यवस्था और है, अमीरों के लिए शिक्षा व्यवस्था और है तथा गांव वालों के लिए शिक्षा व्यवस्था और है, शहर वालों के लिए शिक्षा व्यवस्था और है। आज हम देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रतिभायें हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं है इसलिए आई0ए0एस0, आई0पी0एस0 नहीं बन पा रहे हैं। चूंकि देश कृषि प्रधान है और खेती करने वाले लोगों का आई0ए0एस0, आई0पी0एस0 न बनना देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मान्यवर, शिक्षा व्यवस्था सर्वग्राही भी होनी चाहिए, सर्वग्राही से तात्पर्य शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो राष्ट्रपरक हो, शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो संस्कृतिपरक हो चूंकि देश हमारा कृषि प्रधान है तो शिक्षा कृषि परक होनी चाहिए। आज देश विज्ञान और तकनीकी दृष्टिकोण से बहुत आगे है इसलिये हमारी शिक्षा व्यवस्था तकनीकी परक होनी चाहिए, व्यवसाय परक होनी चाहिए, और व्यवसाय परक ही नहीं हमारी शिक्षा व्यवस्था रोजगार परक होनी चाहिए। मान्यवर, हम जनपद पीलीभीत के बारे में कहना चाहते हैं कि हमारे जनपद पीलीभीत के लिये चिन्हित न्यून सकल नामांकन दर वाले नये माडल राजकीय महाविद्यालय (सहशिक्षा) की स्वीकृति हुई है और यह विद्यालय हमारे जनपद पीलीभीत में असेवित विकास खण्ड विलसण्डा के अन्तर्गत स्थापित होना है। इसके लिये भूमि चयन का मामला लम्बित है स्थल चयन होना है। इसके लिये सुझाव दिया गया है कि ऐसे स्थल का चयन किया जाय जहां पर छात्र छात्राओं और प्रवक्ता के जाने के लिये सुविधा हो। आने जाने के संसाधन हो और दूसरे यह ऐसी जगह पर विद्यालय खोला जाना चाहिए जहां पर छात्र छात्राओं और

प्रवक्ताओं की सुरक्षा हो और नम्बर तीसरे जहां पर प्रवक्ताओं के रहने और प्रवास का परिवेश हो, इस प्रकार से विद्यालय की स्थापना होनी चाहिए। लेकिन जैसा कि हमारे संज्ञान में आया है यह विद्यालय ऐसे गांव में खोला जा रहा है ओड़ाधार में जो कि जंगल में है। जहां पर कि जब हमारे देश में प्रदेश में आतंकवाद था तो यह आतंकवाद का उद्गम स्थल रहा है। मान्यवर, अगर यहां पर विद्यालय खोला गया तो निश्चित रूप से लड़कियां तो जायेंगी ही नहीं और किसी के अपहरण जैसी कोई घटना हो गई तो निश्चित रूप से उस दिन से विद्यालय बन्द हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री अगयस रामसरन वर्मा-

मान्यवर, वह जगह नगर क्षेत्र से काफी दूर है, अगर वहां पर विद्यालय खोला गया तो निश्चित रूप से वहां पर प्रवक्ताओं के रहने की कोई व्यवस्था नहीं होगी और यह विद्यालय मुझे निश्चित रूप से लग रहा है कि चल नहीं पायेगा। एक दिन माननीय मुख्य मंत्री जी से हमारी सदन में बात हुई तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी यह मुझसे कहा कि यह विद्यालय नगर क्षेत्र में क्यों नहीं खोलते हैं। तो मैंने कहा कि नगर क्षेत्र में जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं इसको निर्देशित कर दूंगा, नगर क्षेत्र में ही यह विद्यालय खोला जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

अब रहने दीजिये, आपकी बात आ गई। आप दे दीजिये, हम लिखवा देते हैं जो आप पढ़ रहे हैं।

श्री अगयस रामसरन वर्मा-

मान्यवर, एक बात और कहनी हैं कि राजकीय महाविद्यालय की स्थापना बीसलपुर का पर्याप्त भवन नहीं है। यह व्यवस्था की जाय तो चहारदीवारी नहीं है। मान्यवर, बहुत बहुत धन्यवाद।

मनोरंजन कर राज्य मंत्री (श्री तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय)-

आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने हमको उच्च शिक्षा के बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो उच्च शिक्षा का बजट रखा, इसके पक्ष में, समर्थन में अपनी बात रखना चाहता हूं। सबसे पहले हम प्रदेश के आदरणीय मुख्य मंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को इस बात की ढेर सारी बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने सरकार बनने के बाद छात्रसंघ बहाल करके हम जैसे गरीब परिवार के जो नौजवान छात्र संघों के माध्यम से राजनीति करने के लिये आगे बढ़ते थे उनको मौका देने का अवसर प्रदान किया। मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि आज सदन के अंदर भी बहुत से ऐसे हमारे माननीय सम्मानित विधायक बैठे हैं जो छात्रसंघों से निकल कर आये हैं और आज छात्रसंघों को बहाल करके जो छात्र नौजवानों की नर्सरी थी राजनीति की उसको बहाल करके हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने हम नौजवानों के ऊपर एक विशेष कृपा करने का काम किया है, नौजवानों की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम किया है। नौजवानों को इस प्रदेश की राजनीति में और इस सदन में आने का जो मौका दिया है, उसके लिये हम उन्हें ढेर सारी बधाई और शुभकामना देना चाहते हैं। हम आपके माध्यम से यह भी इस सदन से

कहना चाहते हैं कि जब छात्रसंघ माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में हुआ करते थे, उसके बाद जब हमारी सरकार गई और 2007 में दूसरी पार्टी की सरकार आई उनकी सरकार ने छात्रसंघ चुनावों को बंद करने का काम किया। हम लोगों ने जब छात्रसंघ को दोबारा कराने की मांग की तो हमारे जैसे जो छात्र नौजवान थे, जिन्होंने छात्रसंघ चुनाव कराने की मांग की थी उनकी पीठों पर लाठियॉं बरसाई गईं। उनके ऊपर गैंग्स्टर, गुन्डा एक्ट जैसे मुकदमे लिखाये गये। एक एक दिन में 16-17 मुकदमे लिखा करके पूरे प्रदेश की जेलों में भेजने का काम किया। चाहे वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेता रहे हों, चाहे लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता रहे हों चाहे बी0एच0यू0 के छात्र नेता रहे हों चाहे साकेत महाविद्यालय के रहे हों चाहे गोरखपुर विश्वविद्यालय के रहे हों चाहे जहां के छात्र नेता रहे हों, जिन्होंने अपने अधिकार, हक, हुकूक की लड़ाई लड़ने का काम किया उनको मायावती जी की सरकार ने जेल में भेजने का काम, मुकदमा लिखाने का काम, गैंग्स्टर गुण्डा एक्ट लगाने का काम किया। लेकिन हम आदरणीय अखिलेश जी को बधाई देना चाहते हैं, अपने माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं। अपने नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी को बधाई देना चाहते हैं, अपने संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय आज़म साहब को बधाई देना चाहते हैं कि जब विपक्षी सरकारों ने हमारे ऊपर मुकदमे लगवाये, हमारे ऊपर लाठियां बरसवाईं, हमारे ऊपर कोड़े बरसवाये बल्कि मैं तो इस बात को बताना चाहता हूं अपनी आप बीती जब मायावती सरकार ने छात्रसंघ चुनाव को बंद किया तो हमने लखनऊ की सड़कों पर आन्दोलन किया तो हमको गोमती नगर थाने में बंद किया। उस समय आई0जी0 ए0के0 जैन हुआ करते थे उन्होंने पूरी रात हमको मारने का काम किया, जिस चौराहे उतरते, मारते और कहते कि मायावती का जिन्दाबाद लगाओ, हमने कहा कि हम मायावती का जिन्दाबाद नहीं लगायेंगे, हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं हम मा0 माननीय मुलायम सिंह यादव, मा0 अखिलेश यादव की परम्परा के लोग हैं, लोहिया, आचार्य नरेन्द्र देव को मानने वाले लोग हैं, हम आपकी लाठी डंडा खा लेंगे लेकिन मुलायम सिंह जी और अखिलेश यादव जी का जिन्दाबाद लगाना नहीं बन्द करेंगे और हमारे ऊपर 16-16 मुकदमें लाद करके, हम लोगों को लखनऊ जेल में गुण्डा और गैंगस्टर एक्ट लगा करके भेजने का काम किया गया। लेकिन जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी,हम बधाई देना चाहते हैं अपने नेता मा0 अखिलेश जी को, उन्होंने जो हम नौजवानों पर मुकदमें लगे थे, जो मायावती की सरकार ने फर्जी मुकदमें लगाए थे, उनको वापस करने का काम किया। छात्रसंघ को बहाल किया है इसके लिए मुलायम सिंह यादव को और अखिलेश यादव जी को बधाई देना चाहते हैं। (मेजें थपथपाई गईं)

दूसरी एक बात और कहना चाहते हैं जब 2003 में मा0 मुलायम सिंह यादव जी मुख्य मंत्री बने थे, उन्होंने जो 1995 की फीस थी उसको लागू करने का काम किया था, जो बजट हमारे राजस्व मंत्री जी ने रखा है हम आपके संज्ञान में एक बात लाना चाहते हैं पिछली पांच वर्षों की सरकारों में जो हमारे छात्रावास हुआ करते थे उसकी फीस बहुत बढ़ा दी गई है जिससे गरीब, किसान, शोषित पीड़ित समाज का बच्चा आज हास्टल में नहीं रह सकता है। अभी पिछले दिनों मैं लखनऊ विश्वविद्यालय गया था। वहां के छात्र-छात्राओं और नौजवानों ने, हमसे शिकायत की, कि जो फीस मा0 मुलायम सिंह जी के जमाने में एक हजार हुआ करती थी वह पिछली मायावती की सरकार में 15 से 20 हजार कर दी गई है जिससे गरीब परिवार का बच्चा छात्रावास में नहीं रह सकता है। हम मान्यवर, मा0 मंत्री जी से अनुरोध करना चाहते हैं अध्यक्ष जी के माध्यम से, कि आप इस पर भी

विचार कर लीजिए क्योंकि आप भी गरीबी से निकले हैं, किसान परिवार से निकले हैं, और यहां पर आधे से ज्यादा विधायक ऐसे हैं जो गरीब किसान परिवार से निकले है।इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो छात्रावासों की फीस मायावती के राज्य में बढ़ाई गई थी, उस फीस को कम कर दीजिए जिससे गरीब किसान परिवार का लड़का गांव देहात से अगर आए तो उसको भी पढ़ने के लिए छात्रावास मिल सके।यह आपसे अनुरोध करना चाहते हैं। अभी हमारे बजट के कटौती के प्रस्ताव को रीता बहुगुणा जोशी जी रख रही थीं।हम आपसे सदन के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारे यहां दो विश्वविद्यालय के कुलपति आए थे प्रो0 आर0पी0सिंह कुलपतियों की नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है, केन्द्र उनकी नियुक्ति करता है लेकिन आज जिस तरह के कुलपति इस प्रदेश के विश्वविद्यालय में आ रहे हैं मुझे इस बात को कहते हुए शर्म आती है कि पढ़ाई-लिखाई के मंदिर के स्थान का बाजारीकरण कर रहे हैं। वह पढ़ाई का काम नहीं कराते हैं, दिन भर इस बात को देखने का काम करते हैं कि कहां से हमको पैसा मिलेगा। किस नियुक्ति में पैसा मिलेगा विश्वविद्यालय में क्या कर दिया जाए, कि पैसा मिलेगा और पूरे विश्वविद्यालय को बेचने का,और विश्वविद्यालय की स्थिति को बिगाड़ने का काम जो आज के कुलपति कर रहे हैं यह भी आपको ध्यान देना होगा। मा0 अध्यक्ष जी दो मिनट और कहना चाहता हूं कि हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी ने जो कन्या विद्या धन दिया है, तीस-तीस हजार रुपया,जो लैपटॉप दिया है,जो बेरोजगारी का भत्ता दिया है, जो नौजवानों के भविष्य की आधारशिला है। मान्यवर जो आज इण्टर पास करने के बाद बेरोजगारी का भत्ता पा रहे हैं निश्चित रूप से आगे की पढ़ाई में, आगे की शिक्षा में, वह निश्चित रूप से लाभदायक होगा।जो लैपटॉप परसों हमारे मुख्य मंत्री जी ने बांटा है,वह लैपटॉप हमारे नौजवानों के भविष्य के निर्माण के लिए उच्च शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगा। दूसरी चीज मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कुलपतियों के बारे में हमने अभी बताया,एक बात और कहकर हम अपनी बात को समाप्त करेंगे। मान्यवर, पिछली बार जब मायावती की सरकार थी, इनके उच्च शिक्षा के मंत्री हुआ करते थे उन्होंने क्या किया ? उन्होंने मान्यता के नाम पर अरबों, करोड़ों रुपया इकट्ठा करने का काम किया और पूरा सदन इस बात को जानता है, पूरा प्रदेश इस बात को जानता है, कि वह सरकारी गाड़ी की डिक्की में वह रुपया लेकर जा रहे थे, जा कहां रहे थे, बुला कहां लिए गए, उसके बाद उन्होंने और वसूली करके अपनी मुख्य मंत्री को देने का काम किया। हम कहना चाहते हैं कि उच्च शिक्षा की जो गुणवत्ता होनी चाहिए। उच्च शिक्षा का जो स्थान होना चाहिए उसे आज अगर कोई सही करने का काम कर रहा है तो वह समाजवादी पार्टी की सरकार कर रही है। हम बधाई देना चाहते है मुख्य मंत्री जी को, कि वह प्रदेश के अन्दर विश्वविद्यालय खोलने की बात कर रहे हैं, महाविद्यालय खोलने की बात कर रहे हैं विश्वविद्यालय, महाविद्यालय खोलने की बात, सेमिनार कराने की बात, विश्वविद्यालय में लैपटॉप, कम्प्यूटर देने की बात, नौजवानों के भविष्य को बनाने की बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

समाप्त करें।

श्री तेज नारायण उर्फ पवन पाण्डेय-

मान्यवर, पूर्ववर्ती सरकारों ने क्या किया, उन्होंने शिक्षा को खराब करने का काम किया। अभी जैसा हमारे रामगोविन्द चौधरी जी ने बताया कि प्राइमरी शिक्षा में कक्षा एक से लेकर कक्षा दस

तक कोई इम्तहान नहीं होगा। इस व्यवस्था को लागू करके उन्होंने उस शिक्षा की व्यवस्था को खराब करने का काम किया। केन्द्र सरकार और पुरानी सरकारों ने शिक्षा को खोखला करने का काम किया। उच्च शिक्षा से पैसा कमाने का काम किया, बड़ी-बड़ी कोठियां बनवाने का काम किया। मैं दो लाइन कहकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूं।...

मान्यवर, मैं सिर्फ दो लाइन कहना चाहता हूं कि 'कोठियों के हर दिए में, झोपड़ी का खून है,

इसलिए हम क्रान्ति की आंधी बुलाना चाहते हैं।
देश का बचपन न सोये, भूख से रो कर कहीं,
इसलिए हर खेत में खंजर उगाना चाहते हैं।
हम शहीदों की चिता से राख लेकर हाथ में,
आज सारे मुल्क को बागी बनाना चाहते हैं।'

मान्यवर, आपने बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सुदेश शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने शिक्षा के इस संशोधन प्रस्ताव पर जो माननीया श्रीमती जोशी जी ने रखा था, उस कटौती पर बल देने का मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, साधुवाद करता हूं और अपने आप को मैं उनसे सम्बद्ध करते हुए कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य जोशी जी ने आंकड़ों के साथ बड़े ही अच्छे तरीके से उन सब बातों का उल्लेख किया, उन कमियों का उल्लेख किया। मैं अब उन पर नहीं जाना चाहता, आंकड़े तो बहुत प्रस्तुत किए गए लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि आज हर वर्ष जितना बड़ा बजट शिक्षा के लिए लिया जाता है लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, यह मानना पड़ेगा कि उसके बावजूद भी निरन्तर शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है और इसका स्पष्ट उदाहरण है। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मेरी बात को यह सदन समझने का प्रयास करे कि आज हमको शिक्षा ने, जो स्कूली शिक्षा है, उसने बहुत बड़े आईपीएस, आईएएस, इंजीनियर, डाक्टर और बड़े-बड़े विद्वान दिए हैं, यहां तक कि एमएलए, एमपी और बड़े-बड़े ऐसे-ऐसे विद्वान माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री आजम खां जैसे, माननीय अम्बिका चौधरी जैसे, श्रीमती बहुगुणा जोशी जैसे लेकिन मान्यवर, मानना पड़ेगा कि कहीं न कहीं जो यह विद्वान दिए हैं, आईपीएस, आईएएस, इंजीनियर, डाक्टर दिए हैं लेकिन शायद आज इस प्रदेश के अन्दर अभाव है, समाज और देश के अन्दर अभाव है तो वह अच्छे नागरिक का अभाव है। शायद आज हमारी शिक्षा का जो स्तर है, वह एक अच्छे नागरिक नहीं दे पा रही है। हमें उस तह में जाना होगा, इस पर विचार करना होगा कि कैसे उस प्राइमरी पाठशाला से, कैसे उन शिक्षण संस्थानों से इस देश को, इस समाज को अच्छे नागरिक मिल सकें। कोई फायदा नहीं ऐसे आईपीएस, ऐसे आईएएस और ऐसे नेता बनने का जिनके डबल बेड के बक्सों में भी नोट भरे मिलते हों। मैं समझता हूं कि इनसे अच्छा वह खेत में हल चलाने वाला किसान है, उस कलेक्ट्रेट में बैठने वाला चपरासी है, उस एसएसपी के घर के बाहर पहरा देने वाला वह सिपाही है, यदि वह अपने कर्तव्य का ठीक तरह से निर्वाह करता है तो निश्चित रूप से एक अच्छे नागरिक के नाते वह भी उतने ही सम्मान का पात्र है, इस लोकतंत्र के अन्दर, जितने सम्मान

का पात्र जिले में बैठा हुआ कलेक्टर है। इसलिए मानना होगा कि कई बार बात आती है, कल भी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि कहीं न कहीं जो यह घटनाएं हो रही हैं, समाज के अन्दर जो समाज का स्तर गिरा है, जो गिरावट आई है, हम उसको किस प्रकार से दूर करें। निश्चित रूप से यह एक विचारणीय प्रश्न है। मैं कहता हूं कि जो आंकड़े श्रीमती जोशी जी ने दिए है, उनके साथ अपने आप को सम्बद्ध किया है लेकिन आज हम क्या दे रहे हैं, जो एक ग्रेजुएट आदमी है, जब हम उत्तर प्रदेश से दिल्ली में प्रवेश करते हैं, अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो सबसे पहले हम अपनी सीट बेल्ट लगाते हैं, स्कूटर से जा रहे हैं तो हेलमेट लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? लेकिन जैसे ही दिल्ली से यू0पी0 के अन्दर प्रवेश करते हैं तो सबसे पहला काम होता है कि हेलमेट उतार करके हैण्डिल पर टांगते हैं, सीट बेल्ट उतार कर हम अपने को रिलैक्स करने का काम करते हैं, क्यों ? मान्यवर, यह एक कडुवा सच है क्योंकि जब हम दिल्ली में जाते हैं तो हमको मालूम है कि वहां पर चालान होगा, डण्डे की व्यवस्था है। मैं कहना चाहता हूं कि मान्यवर, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है और वह पढ़े-लिखे लोग होते हैं जो उन गाड़ियों को चलाते हैं कि हम डण्डे की व्यवस्था का तो सम्मान करते हैं लेकिन हम अपनी बनाई हुई व्यवस्था का अपमान करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, मान्यवर, मुझे यह कहने में कोई संदेह नहीं है कि आज शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है, केवल इन विश्वविद्यालयों को और इन स्कूलों को खोलने से कुछ नहीं होने वाला है, इसका स्तर जो गिरा है, उस स्तर को सुधारने की आवश्यकता है। कहीं कम से कम 10-15 मिनट का बेसिक शिक्षा या उच्च शिक्षा में एक ऐसा पाठ्यक्रम भी लागू किया जाना चाहिए जिससे बच्चों को बताया जाये कि किस तरीके से आपको समाज के अंदर जाने के बाद जीना होगा। आपने मुझे इस पर बोलने का समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

*प्रो0 शिवाकान्त ओझा-

माननीय अध्यक्ष जी, उच्च शिक्षा का जो बजट मा0 राजस्व मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, उच्च शिक्षा का बजट निश्चित रूप से एक उत्साहवर्धक बजट है और यह इस बात को डिफाइन भी कर रहा है। उच्च शिक्षा एक क्वालिटेटिव शिक्षा है। क्वांटिटेटिव शिक्षा नहीं है, उच्च शिक्षा मास शिक्षा नहीं है यह क्लास शिक्षा है। इसलिए इसको क्वालिटी और क्लास से जोड़कर उच्च शिक्षा का विश्लेषण करना चाहिए। उसकी चर्चा हमको करनी चाहिए। मैं रीता जी से सहमत हूं कि उच्च शिक्षा के भीतर कैसे गुणात्मक सुधार हो। माननीय राजस्व मंत्री जी ने बहुत सारे ऐसे विषय इसके भीतर रखे हैं। जैसे जो विश्वविद्यालय हम खोल रहे हैं। निश्चित रूप से इसके लिए हमारी सरकार बधाई की पात्र है। हम बहुत से को एजूकेशन कालेजेस खोल रहे हैं वह भी बहुत अच्छा सराहनीय कदम है। लेकिन इस सबके साथ-साथ हमने जो दो प्रकार के कालेजेस बना रखे हैं मैं कहूंगा कि तीन प्रकार के कालेजस हैं और तीन प्रकार के विश्वविद्यालय भी हमारे पास हैं। एक स्टेट गवर्नमेंट विश्वविद्यालय, सेंट्रल गवर्नमेंट विश्वविद्यालय डीम्ड विश्वविद्यालय इसमें सम्मिलित कर लीजिए और प्राइवेट सेक्टर में चलने वाले विश्वविद्यालय हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो मिलने वाला धन है वह तो केंद्र सरकार देती है। इतनी प्रचुर मात्रा में देती है कि शिक्षा की गुणवत्ता निश्चित रूप से अच्छी होनी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहिए। मैं माननीय रीता जी से पूछना चाहता हूं कि केंद्रीय विश्वविद्यालय को इलाहाबाद विश्वविद्यालय को मिलने वाला इतना धन, बी0एच0यू0 को मिलने वाला इतना धन, अलीगढ़ विश्वविद्यालय को मिलने वाला इतना धन जो मिलता है तो आज क्या वह क्वालिटी प्रोडक्ट कर रहे हैं। वह क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं कर पाये हैं। उनके यहां भी शिक्षकों की कमी है। उनके यहां फैकल्टी इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है। फैकल्टी उनके यहां भी कम है। क्या कभी केंद्र सरकार पलटकर इस बात को देखती है। रीता जी ने एक बात कही कि हम जो शपथ लेते हैं उसको पूरा करते हैं। चुनाव के पहले भी आपने जनता से बहुत वायदे किये थे। इस देश के भीतर न्यायपालिका सर्वोच्च नहीं है इस देश में जनता सर्वोच्च है। सर्वोच्च जनता के सामने आपने शपथ ली थी सर्वोच्च जनता के सामने आपने वायदा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो इस देश से गरीबी हटायेंगे, बेरोजगारी हटायेंगे, महंगाई हटायेंगे। उस वायदे का क्या हुआ आपकी शपथ का क्या हुआ? सर्वोच्च न्यायालय में शपथ देकर बदल जाना। आपने कॉमनवेल्थ में शपथ दिया था कि नहीं, उसकी जांच का क्या हुआ ? आपने कोयला खदान में शपथ दी थी कि नहीं दी थी क्या हुआ उसकी जांच का? और आपने आम जनता के बीच जो शपथ लिया था उस शपथ का क्या हुआ। उस वायदे का क्या हुआ। मा0 रीता जी आपने हायर एजूकेशन की शुरुआत की बात कही। मान्यवर, हायर एजूकेशन की शुरुआत कहां से शुरू होगी। आज के आई0टी0 के जमाने में हायर एजूकेशन की शुरुआत होगी कम्प्यूटर की शिक्षा से। लैपटॉप से टैबलेट से। मैं अपने माननीय मुख्य मंत्री जी और अपनी सरकार के मा0 मंत्रीगणों को बधायी देता हूं। जो शुरुआत उन्होंने की है उसके लिए मा0 रीता जी आपको भी हमारी सरकार को बधायी देनी चाहिए।

हमारी सरकार ने वर्तमान जमाने में हायर एजूकेशन को आगे बढ़ाने में एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नौजवान जो बच्चे ग्रेजुएट होने जा रहे हैं उनको देने का काम किया है। आई0टी0 पढ़ें, आई0टी0 की शिक्षा लें। सारी दुनिया के भीतर आई0टी0 की चल रही है। उसकी प्रगति लें। माननीय अध्यक्ष जी, दूसरी बात, निश्चित रूप से मैं सहमत हूं हमारे जो राजकीय विश्वविद्यालय हैं, हमारे जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले विश्वविद्यालय हैं, डीम्ड विश्वविद्यालय हैं, मैं रीता जी से सहमत हूं इस बात पर कि प्राइवेट सेक्टर में जाकर के जो विश्वविद्यालय खोले गये वह कैसे खोले गये, कितनी वसूली के साथ खोले गये, लेकिन रीता जी आप इस बात को भी स्वीकार कर लेंगी, जब तक आपकी सरकार नहीं कहती केन्द्र में तब तक विश्वविद्यालयों की यू0जी0सी0 की मान्यता नहीं मिलती है और जितना दोषी यह थे, मेरे पास संज्ञान में है, मैं दो-दो ऐसे प्राइवेट विश्वविद्यालयों को जानता हूं मा0 अध्यक्ष जी जिनको यहां से मिल गया जिन नियम, कानून, प्रक्रिया के तहत तत्कालीन सरकार से, वही प्रक्रिया, वही नियम, वही कानून, वही वसूली केन्द्र सरकार में बैठी हुई केन्द्र सरकार ने भी किया था, तब उनको प्राइवेट विश्वविद्यालय खोलने की मान्यता मिली थी। हिन्दू विश्वविद्यालय कैसे बना, हमको भी पता है कैसे बना, तो दूसरों पर पत्थर फेंकने से पहले स्वयं भी देख लीजिए कि महल हमारे कहीं शीशे के तो नहीं हैं, इसलिए मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं निश्चित रूप से राजकीय विश्वविद्यालयों के भीतर यहां बैठे हुए लोग हैं, निश्चित रूप से बड़ा भ्रष्टाचार है, भयंकर भ्रष्टाचार है, इनके जमाने से शुरू हुआ और पहले से भी शुरू हुआ, मैंने पिछले बजट के भीतर कहा था, लगता है इन लोगों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा है, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, अगर आप चाहते हो जो राजकीय विश्वविद्यालय हैं आपके पास, इनका बाबू करोड़पति, अरबपति बना बैठा हुआ है, इस भ्रष्टाचार पर

रोक कैसे लगे, मान्यवर एक तर्क देते हैं ब्यूरोक्रेसी के लोग कि बाबू का ट्रान्सफर हम नहीं कर सकते, यह आटोनोमस बॉडी है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं इन्हें पैसा कौन देता है, विश्वविद्यालय को पैसा कौन दे रहा है, रजिस्ट्रार आप बना सकते हैं, रजिस्ट्रार का ट्रान्सफर आप कर सकते हैं, परीक्षा कण्ट्रोलर आप बना सकते हैं, उनका ट्रान्सफर आप कर सकते हैं, डिप्टी रजिस्ट्रार आप बना सकते हैं, उनका ट्रान्सफर आप कर सकते हैं, तो बाबू का ट्रान्सफर आप क्यों नहीं कर सकते हैं, सेक्शन अफसर का ट्रान्सफर आप क्यों नहीं कर सकते हैं । जब तक यह विश्वविद्यालयों में बैठे हुए 20-20, 25-25 साल से विभिन्न विभागों के बीच बैठे हुए जो बाबू हैं, इनका जब तक आप ट्रान्सफर एक-दूसरे विश्वविद्यालय में नहीं करेंगे, तब तक विश्वविद्यालय का भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा, मेरा सुझाव है, इनका ट्रान्सफर करो। एक और सुझाव मैंनें पहले भी दिया था चाहे प्राइवेट सेक्टर में खुलने वाले कालेज हों, चाहे प्राइवेट सेक्टर में खुलने वाले विश्वविद्यालय हों, उसके लिए जैसे खाद्य एवं रसद विभाग के भीतर टास्कफोर्स आई0पी0एस0 के नतृत्व में बनाया गया है, वैसे ही उच्च शिक्षा विभाग के भीतर एक टास्कफोर्स बनाइये, जो भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने का काम करे, जांच-पड़ताल करने का काम करे और जो भी भ्रष्टाचारी हो रहे हैं, चाहे विद्यालय के लोग हों, चाहे विश्वविद्यालय के लोग हों, उन पर कार्यवाही करने का काम करें।

एक बात कह कर के बात खत्म करना चाहता हूं, आपने विश्वविद्यालय प्राइवेट सेक्टर में खोलने के लिए कहा है, आपने कहा शहर में एकमुश्त 10 एकड़ जमीन जिसके पास होगी वह खोल सकता है संस्थान, ग्रामीण क्षेत्रों में जिसके पास 20 एकड़ जमीन होगी, वह खोल सकता है, मान्यवर हमारा ख्याल है, आप सब लोग परिचित होंगे, शहर में एकमुश्त 10 एकड़ जमीन मिलना शायद सम्भव नहीं हो पायेगा, इसलिए उस पर भी थोड़ा विचार करें, अगर शहरों में विश्वविद्यालय खोलना चाहते हैं, एकमुश्त 10 एकड़ जमीन की बात न कर के विभिन्न टुकड़ों में हो जाय, जिससे विश्वविद्यालय की विभिन्न फैकेलिटी दूसरी जगह चल सकती हों, वह चलाये। एक बात कह कर के निश्चित रूप से मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं, अगर विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता बनाना चाहते हों, महाविद्यालयों की गुणवत्ता बनाना चाह रहे हैं हम लोग तो नैक निश्चित रूप से करायें । मेरा सुझाव है वह कालेज चाहे गर्वनमेण्ट कालेज हों, चाहे प्राइवेट सेक्टर के कालेज हों, चाहे वित्त पोषित हों, स्ववित्त पोषित हों, उन सारे कालेजों को पांच साल की अवधि के भीतर कह दीजिए जो नैक नहीं करा लेंगे, चाहे 'ए' ग्रेड चाहे 'बी' ग्रेड चाहे 'सी' ग्रेड उनकी मान्यता पर पुनर्विचार विचार किया जायेगा तभी ये कालेज बाध्य होकर के करायेंगे नहीं तो कोई कराता नहीं। मान्यवर, जो स्ववित्त पोषित विद्यालय हैं, उनके टीचर्स को वेतनमान कैसे चल रहा है, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं, बिहार की सरकार ने उस काम को किया है, अगर आप चाहते हैं कि स्ववित्त पोषित विद्यालय उनके शिक्षक अच्छा वेतनमान पायें, वह भी अपना एजूकेशन डेवलपमेण्ट करें, क्वालिटी डेवलेपमेण्ट हो तो जो बिहार की सरकार ने किया, उसका अच्छा रिजल्ट आ रहा है, मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार भी, हमारे बैठे हुए लोग उस पर विचार करें, उन्होंनें कहा डिग्री कालेज के जिन कालेज के भीतर एक बच्चा फर्स्ट क्लास पास होगा, उस प्रति बच्चे पर साढ़े पांच हजार रुपया लड़के पर और सत्तावन सौ रुपया लड़की पर हम देंगें, प्रति बच्चे पर प्रति विद्यालय को देंगे। एक अच्छा एमाउण्ट मिलेगा छात्रों को। टीचर्स को वेतन भुगतान का अच्छा तरीका निकलेगा। आज हालत यह हो रही है जो स्ववित्त पोषित विद्यालय हैं, उनमें दो हजार, डेढ़ हजार, ढाई

हजार रुपये में टीचर्स नियुक्त हो रहे हैं। आठ-आठ महीने वालों को निकाल दिया जाता है। ये शिक्षकों के साथ घोर अपमान है, घोर अन्याय है इसलिये मान्यवर, मैं चाहता हूं कि इस मैटर पर भी विचार किया जाना चाहिये। मेरे क्षेत्र की एक बात है बस उसको कह के खत्म करूंगा। मान्यवर, गवर्नमेण्ट कालेजेज को तो चार-चार, पांच-पांच विषयों में पोस्ट ग्रेजुएट की मान्यता एक साथ दे देते हैं लेकिन जो प्राइवेट कालेजेज हैं। जब उनकी पोस्ट ग्रेजुएट की मान्यता का सवाल खड़ा होता है तो आप कहते हो कि दो से ज्यादा हम नहीं देंगे। ये कौन सा औचित्य है इसलिये प्राइवेट सेक्टर में भी चाहे स्ववित्त पोषित हो, चाहे एडिंग के हों, उनको देने का काम करें। हमारे यहां स्वामी जगपाल सिंह जी महाराज एक डिग्री कालेज है, गवर्नमेण्ट डिग्री कालेज है। वहां पर आज 4 सब्जेक्टों में मान्यता दी है। मेरा निवेदन है कि वहां पर आप उसकी बिल्डिंग बनाने की भी बात करें। मैं आज इस बजट के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। धन्यवाद।

*श्री उमाशंकर-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने आदरणीय रीता बहुगुणा जोशी जी के कटौती प्रस्ताव पर बल देने का समय दिया, मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, यह सत्य है कि आज उच्च शिक्षा के गिरते हुये स्तर से सब लोग चिंतित हैं। हालांकि आज आवश्यकता आरोप-प्रत्यारोप की नहीं है। आज इसका स्तर हम कैसे ऊंचा कर सकते हैं, इसकी आवश्यकता है। इस सन्दर्भ में आपकी आज्ञा से मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मान्यवर, चर्चा होती रहती है, हम पढ़ते रहते हैं लेकिन हम उस पर अमल नहीं करते हैं। जो मैंने अध्ययन किया कि मान्यवर, बहुत पहले एक राममूर्ति कमेटी और छागला कमेटी बनी थी और ये राष्ट्रीय स्तर पर बनी थी। इनका जो सुझाव था और इन्होंने प्रोफेशनल एजूकेशन का राष्ट्रीय ढांचा तैयार किया था लेकिन मान्यवर, फिर आगे जिक्र आया बहुत और लेटेस्ट इनकी जो खोज आयी, उसमें यह था कि उस पर आज तक अमल नहीं किया गया। मान्यवर, दूसरा है कि पटेल आयोग का गठन हुआ। इन्होंने भी शिक्षा की बदहाली पर लिखा था। विशेष तौर से जो हमारे पूर्वांचल के जनपद हैं, उनके बारे में भी इन्होंने लिखा था कि इसकी बदहाली कैसे दूर की जा सकती है। इन्होंने इसका एक प्रोग्राम बनाया था कैश प्रोग्राम लेकिन इस पर भी आज तक अमल नहीं हुआ। मान्यवर, मुझे लगता है कि जो आज सबसे ज्यादा आवश्यकता है कि शिक्षा में गिरावट कहां से आ रही है। हम अगर केवल यह देखें कि पूरी हमारी जितनी अध्यापकों की आवश्यकता है। इसमें लगभग 50 प्रतिशत की कमी है। जितनी आवश्यकता होनी चाहिये थी, आपकी इस किताब से छोटा सा आंकड़ा अगर केवल हम 2010-11, 2011-12 और 2012-13 का ले लें तो मान्यवर, लगभग 01 लाख 80 हजार छात्र हमारे 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के बीच में बढ़े हैं। मान्यवर, इन तीन सालों में 01 लाख 80 हजार बढ़े हुये बच्चों के अगेंस्ट हमने नियुक्ति कितनी की है तो मान्यवर, मात्र 21 पुरुष अध्यापक और 06 महिला यानि 27 अध्यापकों की। जब हमारे 2 लाख बच्चे बढ़े हैं तो हमने केवल 27 अध्यापकों की नियुक्ति की है तो मान्यवर, इसके पीछे कहीं न कहीं जैसे हमारी बहुगुणा जी बताईं कि आयोग निष्क्रिय है या आयोग का गठन नहीं है। जैसे मा0 मंत्री जी बजट रखे हैं तो हम इन सब चीजों को दूर करके इसका स्तर उठा सकते हैं। केवल हम आरोप लगायें कि बहुजन समाज पार्टी ने ये कर दिया, कांग्रेस ने ये कर दिया, हम ये कर देंगे तो हम भी करते करते चले जायेंगे। ये जो हम

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कमेटियों का जिक्र कर रहे हैं। ये आज का नहीं है। हम बहुत पुरानी कमेटियों का जिक्र कर रहे हैं। जैसे मान्यवर, अगर हम ले लें विश्वविद्यालयों को और हम पूर्वांचल की बात ले लें तो पूर्वांचल में जो सबसे लेटेस्ट विश्वविद्यालय खुला है। वह है पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर। मान्यवर, वो लगभग 25 साल पहले खुला है। 25 साल से आज तक किसी विश्वविद्यालय का गठन नहीं हुआ जबकि कोई एक कमेटी का निर्णय था कि एक विश्वविद्यालय में 100 से विद्यालय न रखे जायें लेकिन मैं बता दूं कि जो काशी विद्या पीठ है उसमें कम से कम 250 विश्वविद्यालय हो चुके हैं। हमारी बात हुई तो वह बता रहे थे कि 40 से 50 विद्यालय और हमारे गाइडलाइन में हैं, एक दो महीने में हम उनको भी रख लेंगे यानि 100 की कैपीसिटी और हम 300 विद्यालय एक विश्वविद्यालय में रखे हैं। यह सब मान्यवर इसको हमें दूर करना पड़ेगा दूसरा मान्यवर, एक सुझाव था जो हमारे यहां गुरुजनों की कमी हुई है, हम कैसे इस कमी को तत्काल दूर कर सकते हैं। मान्यवर, हमारा आयोग निष्क्रिय है, हमारा आयोग काम नहीं कर रहा है। मान्यवर, पहले मानदेय पर अध्यापक रखे जाते थे अब यह जवाब आ जायेगा की मानदेय पर रखना बंद कर दिया है। राज्य में मानदेय पर अध्यापक रखना बंद कर दिए है। मान्यवर, जब तक मानदेय पर हम अध्यापक नहीं रखेंगे, तब तक हम इन विद्यालयों की अध्यापकों की पूर्ति नहीं कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 उमाशंकर जी, आपने सुझाव दे दिया है, अब समय समाप्त हो गया है।

श्री उमाशंकर-

मान्यवर, पूर्वांचल के बारे में है, थोड़ा-सा देख लें।

श्री अध्यक्ष-

अरे अब हो गया, आप लिख के दे देना, हम जोड़ देंगे। वह मंत्री आप ही की तरफ के हैं, बलिया के ही हैं।

श्री उमाशंकर-

मान्यवर, थोड़ा-सा हमें बोलने दें। मान्यवर, केवल एक मिनट का समय दे दें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 उमाशंकर जी, अब खत्म करें, एक मिनट में फिर देर हो जाती है। आप एक मिनट ही तो बोलते नहीं हैं। चलिए हम घड़ी देख रहे हैं।

श्री उमाशंकर-

मान्यवर, चूंकि आप बीच में कर्फ्यू लगा लेते हैं, तो वह धारा प्रवाह रूक जाता है। मान्यवर, हमारा यह कहना था कि हमारे यहां रसड़ा, बलिया, गाजीपुर, मऊ इन सभी जिलों के कालेज काशीविद्या पीठ से जुड़े हुए हैं। मान्यवर, इनका एक सेन्टर बना करके, कम से कम लगभग 150 के आसपास हमारे बलिया और मऊ में हो जायेंगे विद्यालय इनका कहीं एक सेन्टर बना करके, जहां से 30 से 35 किलोमीटर की दूरी हो, जैसे रसड़ा में हम लोग मध्य बना रहे थे, अभी रसड़ा में हमारी 85 एकड़ की कताई मिल बंद पड़ी है, उसकी जमीन भी पड़ी है

श्री अध्यक्ष-

अब कहां शिक्षा में कताई मिल ले आए, आप ?

श्री उमाशंकर-

मान्यवर, उसमें विश्वविद्यालय खुलवाइये।

श्री अध्यक्ष-

तो वह तो आप खुद ही विश्वविद्यालय बनवा सकते हो, अपना बनाओ ना प्राइवेट, सड़क इतनी बनवाते हो, विश्वविद्यालय भी बनाओ।

श्री उमाशंकर-

मान्यवर, मुझे खुशी है कि सिद्धार्थनगर में बनने जा रहा है, आप थोड़ी सी अगर कृपा कर देंगे तो हम लोगों के यहां भी बन जायेगा

श्री अध्यक्ष-

सड़क पूरी कर दो तो आसान हो जायेगा

श्री उमाशंकर-

मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत, धन्यवाद।

*श्री पंकज कुमार मलिक-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने रीता जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद, मैं बल देते हुए कहना चाहता हूं कि अभी कुछ सदस्यों के द्वारा कहा गया कि आप लोग ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को शिक्षा देना नहीं चाहते, हम देना चाहते हैं हमारे नेता राहुल गांधी इसके लिए बहुत आगे बढ़ चुके हैं, और करना चाहते हैं। मैं आपसे कहता हूं आप ग्रामीण शिक्षा की बात करते हैं, आप दीजिए, आप राजकीय कालेज खोलिए, हर 10 गांव पर एक कालेज खोलिए। हर 15 गांव पर एक कालेज खोलने का काम कीजिए। आप जिस सरकार में बैठे हैं, सरकार के नेता मुलायम सिंह यादव जी ने हमेशा गांव के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। हमेशा इसमें कोई नया कदम उठायेंगे तो अच्छा होगा और इससे हमारे उत्तर प्रदेश की तरक्की होने का काम होगा। आज किसान का बच्चा, आप कालेज खुलवा दीजिएगा, प्राइवेट कालेज खुलवा दीजिएगा, सेल्फ कोर्स के कालेज खुलवा दीजिएगा गांव में जब किसान को फसल का दाम नही मिल पाता, किसान का बच्चा रोता है। किसान दुखी होता है क्योंकि अपने बच्चे की फीस कैसे जमा करा पाऊंगा आप एक और उनके सिर पर आफत, हमारे यहां आफत कहते हैं, आफत डालने का काम करेंगे। मेरा अनुरोध है कि मेरे इस सुझाव को रखा जाए और हर 15 गांव में कम-से-कम एक कालेज खोलने का काम किया जाए, खासतौर से हमारी बहनों के लिए हमारी छात्राओं के लिए एक राजकीय महिला महाविद्यालय खोला जाना चाहिए। मान्यवर, पूरे प्रदेश में एक बड़ी दिक्कत हमारे छात्रों को आती है, फीस प्रतिपूर्ति जो फीस वापस मिलती है, कहीं भी ढंग से नहीं मिल पाती। छात्र कई-कई महीने दफ्तरों में जाता है, हालांकि समाज कल्याण का मामला है लेकिन उच्च शिक्षा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उच्च शिक्षा के छात्रों को यह सुविधा दी जाती है। इस पर भी ध्यान रखा जाना चाहिए। मान्यवर, अभी हमारे साथी, पवन जी, जो मंत्री भी हैं, वह कह रहे थे, छात्रसंघ की बात, बहुत अच्छी बात है छात्रसंघ के चुनाव कराये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैंने खुद आपकी सरकार में छात्रसंघ चुनाव के लिए संघर्ष किया था, उस समय चुनाव हुए भी थे। छात्रसंघ चुनाव कराये इसके लिए बधाई देना चाहूंगा हमारे युवा मुख्य मंत्री को लेकिन साथ ही आज जो दिक्कतें हैं उन छात्र नेताओं को देखिए, जो छात्र नेता वहां से चुनकर सदन में आए हैं, आप लोगों के समय में जो छात्र नेता थे, आज उनको वह तवज्जो, वह सम्मान नहीं दिया जाता। कांदला मेरे क्षेत्र में पड़ता है, मैं कांदला गया, वहां की जो राजकीय महिला कालेज की छात्रसंघ की अध्यक्षा थी, अध्यक्षा मेरे पास आई, वह बेचारी रोने को हो रही थी, उसे इतनी खराब बातें कालेज प्रशासन के द्वारा कही गयीं। छात्रसंघ के चुनाव हुए, वह लड़ी, जीती, उसका क्या दोष है, एक मौका मिला, एक सिस्टम है, एक मौका मिला, वह छात्रा राजनीति में आई। कालेज में जब छात्राओं की समस्याओं को लेकर, जब प्रशासन से मिलती है तो, कालेज प्रशासन द्वारा उसे कहा जाता है। मान्यवर, वह बहुत पीड़ित लड़की है। कालेज प्रशासन द्वारा उसे डांटा गया है कि तुम बहुत बड़ी नेता बनती हो। चुनाव किसने कहा था लड़ने के लिए। मान्यवर, वहां छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। जिसके लिए वह संघर्ष करती है। और उसके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। इसको आप दिखवाने का कष्ट करें। मान्यवर, 2006 से महाविद्यालय के शिक्षकों को नये वेतनमान के अवशेष का भुगतान नहीं किया गया है जबकि यह धन केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाता है। राज्य सरकार इसे दिलवाने का कष्ट करे।

मान्यवर, इसी तरह से चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से 550 महाविद्यालय सम्बद्ध हैं। इनमें से अधिकांश में पूरे साल प्रवेश और फीस की बात चलती रहती है जिससे पठन-पाठन का काम बाधित होता है। इससे बच्चे बहुत दुःखी हैं। मान्यवर, इनमें से अधिकांश में अपने भवन भी नहीं हैं। किराये के भवन में चल रहे हैं। पुस्तकालय और लैब आदि की सुविधायें भी मानक के अनुसार नहीं हैं। सरकार इसको दिखवाने का कष्ट करें। मान्यवर, हमारा नया जनपद शामली है मैं चाहता हूं कि मुख्यालय स्तर पर एक राजकीय विश्वविद्यालय होना चाहिए, लड़के और लड़कियों के लिए महाविद्यालय भी होना चाहिए। मान्यवर, यू0जी0सी0 के अनुसार नये पाठ्यक्रम जारी किये गये हैं उसके अनुसार न तो चौ0 चरण सिंह युनिवर्सिटी, उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में पूरी तरह से लाइब्रेरी में किताबे हैं और न ही लैब में उपकरण उपलब्ध है। यह राज्य सरकार द्वारा व्यवस्थायें कराई जायं। मान्यवर, वहां के छात्र बड़ी मजबूरी में हैं कि कैसे पढ़ें मान्यवर यह सरकार चाहती है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे उच्च शिक्षा धारण करें। मान्यवर, पिछली सरकारों में कुछ गलतियां हुई कि बी0एड0 कालेज खुले और उसमें देखा नहीं गया कि लाइब्रेरी और लैब की सुविधा है कि नहीं जहां पर यह कमियां हैं उनकी पूर्ति करायी जाय और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाय। मान्यवर हमारे यहा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में दो तरह के कोर्स चल रहे हैं एक समेस्टर प्रणाली और दूसरी एनुअल शिक्षा प्रणाली तो इसमें जो बच्चे टेन प्लस टू की शिक्षा प्राप्त करके उच्च शिक्षा प्राप्त करने आते हैं उनके सामने भ्रम की स्थिति होती है कि वह किस कोर्स में प्रवेश लें। मान्यवर मैं इसीलिए चाहता हूं कि कोर्स में एकरूपता रहनी चाहिए क्योंकि कुछ अन्य प्रदेशों ने भी उच्च शिक्षा में एकरूपता अपनायी हुई है। हमे उम्मीद है कि सरकार इस ओर ध्यान देगी। धन्यवाद।

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

मान्यवर, जो मैने उच्च शिक्षा के बजट पर कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं समझती हूं कि मैं अपने मकसद में कामयाब हुई हूं क्योंकि मान्यवर जिस तरीके से सत्ता पक्ष की ओर से प्रतिक्रियायें

आई हैं वह बहुत ही स्वागत योग्य है। मान्यवर, क्योंकि आज गहमा-गहमी भी हुई है और इस विषय पर काफी चर्चा भी हुई है। मान्यवर, मैं अपनी बात पर कायम रहती हूं। अभी प्राथमिक शिक्षा के माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि केन्द्र सरकार की जो शिक्षा नीति है उससे प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना है। मान्यवर जब भी भारत सरकार में कोई नीति निर्धारित होती है तो उसमें सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों को बुलाया जाता है और उनके सुझावों को मांगा जाता है। जब यह आर0टी0ई0 लागू हो रहा था तो तभी राज्य सरकार को इंकार कर देना चाहिए था कि हम लाभ नहीं लेंगे। मान्यवर, चार बार आपकी सरकार रही आप ने अभी ड्रेस की बात कही कि दो सौ रुपये कम हैं मान्यवर आप उसमें अधिक बढ़ाना चाहते हैं और सभी वर्गों को लाभ देना चाहते हैं तो आपने यह बात यह ऐक्ट लागू होने से पहले क्यों नहीं सोची थी। केन्द्र की नीति का लाभ आपने भी लिया है। मान्यवर, जब से यह ऐक्ट पास हुआ है तब से शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रान्ति आ गयी है। और इससे निश्चित रूप से शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। हमने आईआईएम की इजाजत दी थी आज लखनऊ का आईआईएम एशिया के प्रथम 5 आईआईएम में गिना जाता है। केन्द्र सरकार ने इलाहाबाद में साइंस एण्ड टेक्नोलाजी का इंस्टीट्यूट दिया, ट्रिपिल आईटी दिया सब आज विश्वविख्यात है। यूनिवर्सिटी की बात करिये तो जो प्रदेश का माहौल होगा वह विश्वविद्यालयों को प्रभावित करेगा। चाहे वह केन्द्रीय विश्वविद्यालय हों चाहे प्रान्तीय विश्वविद्यालय हों। शिक्षण माहौल नहीं है जिस तरह का माहौल शिक्षा के लिए होना चाहिए, कैम्पस में वह नहीं है और उसको बहाल करने की जिम्मेदारी प्रदेश सरकारों की है। माहौल नहीं बना सकती है केन्द्र सरकार, इंस्टीट्यूट दे सकती है विश्वविद्यालय दे सकती है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि देखिये कमीं कहां है, क्या कमीं है समाज के अन्दर जो हमारा शिक्षण माहौल नहीं बन रहा है। फिर आपने कम्प्यूटराइजेशन की बात कही, स्वागत योग्य है लेकिन भूलिये मत। भारत वर्ष में अगर आईटी का आन्दोलन कोई लाया है, क्रान्ति कोई लाया है तो कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी लाये हैं और उनके लाने की वजह से ही हुआ है। आपने कहा कि हम कालेज नहीं चाहते ग्रामीण क्षेत्र में, मैंने क्या कहा जब प्रोफेशनल कालेज, यानि व्यवसायिक विद्यालयों को खोलें, महाविद्यालय को तो बहुत सतर्क रहिये, अच्छे इंस्टीट्यूट को दीजिए कोशिश करिये कि राजकीय खुले, पोषित महाविद्यालय खुले ताकि जो हासिये पर बैठे लोग हैं महिलाएं हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, अक्लियत है वह उसमें प्रवेश ले सकें, गरीब का बच्चा भी उसमें जा सके। सत्ता पक्ष से किस तरह के भाषण हो रहे थे यहां, यह कोई पब्लिक फोरम था क्या। मैं तो समझ रही थी कि मैं सदन में बात कर रही हूं, यहां तथ्यों पर बात होगी पर यहां तो पब्लिक स्पीच होने लगी, मानो कल ही वोट पड़ने वाला है 2014 का। यहां वोट पर चर्चा नहीं हो रही थी माननीय अध्यक्ष जी, यहां विषयों पर चर्चा हो रही थी, मैं आकड़ों के साथ आई आप मुझे झुठला दो। और अगर मैं सही बात कह रही हूं तो उसको स्वीकार कर लीजिए। हम कोई आपके विरोधी नहीं हैं। केन्द्र में अब कांग्रेस की सरकार है आप यहां हैं आप हमें सपोर्ट करते हैं, हमारी गवर्नमेन्ट के पास जब आप जाते हैं जब जो चाहते हैं केन्द्र सरकार से आपको मिलता है। तो मेरे जो सुझाव हैं उनको आप नकारात्मक ढंग से मत लीजिए उनको आप सकारात्मक ढंग से लीजिए। आपने कहा कि कहां आ रहे हैं आईएएस आईपीएस, क्या स्तर है आपका, आपने कहा। लीजिए कांग्रेस की सरकार थी उत्तर प्रदेश में 1989 तक तब तक जरा विश्वविद्यालयों से निकाल लीजिए कि सिविल सर्विसेज/प्रशासनिक सेवाओं में कितने आईएएस,

आईपीएस में कितने निकलते थे और पिछले 25 साल में कितने निकले। आंकड़े निकलवा लीजिए प्रश्न डाल दीजिए आरटीआई में। कहने का मतलब यह है कि जब शिक्षण का माहौल होगा तब शिक्षा सुधरेगी। बाकी बातें जो मैंने कही मैं उस पर बिलकुल कायम हूं प्रदेश में माडल कालेज खोल रही हैं सरकार इस योजना के लिये केन्द्र ने आपको 35 प्रतिशत अनुदान दिया है एक स्कीम दी है कि केन्द्र 35 प्रतिशत अनुदान देगी माडल कालेज खोलने के लिये ऐसी जगह पर खोलने हैं जो असेवित क्षेत्र हों केन्द्र आपको सपोट कर रहा है तो मेरा यह कहना है कि जहां कमियां हैं उसको जरूर देखना चाहिए। लोगों ने अपने-अपने क्षेत्र की बातें कटौती प्रस्ताव पर रखीं हैं मैं आशा करती हूं कि आप जरूर उस पर ध्यान देंगे।

मैं आपको बताना चाहती हूं कि उच्च शिक्षा के बजट का 91.8 प्रतिशत भाग राजस्व व्यय का है जो वर्तमान में प्रदेश सृजित व उपलब्ध उच्च शिक्षा संस्थानों के संचालन और अवस्थापनाओं के अनुरक्षण के लिए है। इसमें उच्च शिक्षा के संसाधनों के विकास व विस्तार की सम्भावना मुझे कम नजर आती है इसलिए मैं कटौती प्रस्ताव पर बल देती हूं और आपका धन्यवाद करती हूं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, एक आध जरूरी बात कहना चाह रहा हूं उच्च शिक्षा से मुतालिक। बड़ा अजीब लग रहा होगा कि यह काली बंडी पहने, टोपी लगाये हुए उच्च शिक्षा के बारे में भी कुछ कहने की हिम्मत कर रहा है। अभी बहुजन समाज पार्टी के एक साथी ने कहा कि समाज शिक्षा से जागरूक होता है, वह चले गये कहकर। इसमें कोई दो राय नहीं, कि समाज शिक्षा से जागरूक होता है, लेकिन शिक्षा के साथ सरकारों का कैसा बर्ताव हो यह भी एक बड़ा सवाल है और यह सरकारों की जिम्मेदारी है कि वह यह देखें कि शिक्षा का काम कौन लोग कर रहे हैं । अगर कोई व्यक्ति शराबखाने से निकलकर शराबखाने से बाहर आकर यह कहे कि शराब नहीं पीना चाहिये यह बुरी चीज है तो मेरे ख्याल से उसकी बात का भरोसा नहीं करना चाहिये। कोई तवायफ के कोठे से उतरकर कहे कि तवायफ के कोठे पर जाना बुरी बात है तो उसकी बात पर भरोसा नहीं करना चाहिये। शैक्षिक संस्थायें खोलने वालों के बारे में यह जानकारी जरूर होना चाहिये कि उनका अपना एजूकेशनल बैकग्राउन्ड क्या है, उनका इन्ट्रेस्ट क्या है और जिस पैसे का इस्तेमाल उसमें हो रहा है, उस पैसे की आमद कहां से हुयी। मैं कटाक्ष के तौर पर नही कह रहा हूं, पिछले कई सालों में जैसे मोहल्ले में परचून की दुकानें खुलती हैं, उस तरह विश्वविद्यालय खुले और ऐसे लोगों ने विश्वविद्यालय खोले जिन्होंने सरकार की जमीनों पर नाजायज कब्जे किये और मुझे बुलडोजर भेजकर वह दीवारें गिरवाना पड़ी और फिर कब्जे हुये। मैं लम्बी बहस में भी नहीं जाऊंगा और बड़े-बड़े विश्वविद्यालय बने तीन-तीन सौ, चार-चार सौ एकड़ की जमीन पर हजारों करोड़ रुपये की मालियत से वह विश्वविद्यालय बनाये गये। ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो पिछले 5 सालों में बने हैं, जिनमें हर तरह की फैकल्टी है, बड़े अच्छे क्लास रूम्स हैं, हैवी जेनरेटर्स हैं, अगर लाइट न हो, बल्कि शायद एक आध विश्वविद्यालय तो ऐसे हैं, जिन्होंने पावर कनेक्शन ही नहीं लिया है, उनके पास अपने जेनरेटर्स हैं और हॉस्टल्स में ज्यादातर आरामदेह कमरे हैं और यहां तक कि बड़ी तादाद में एयरकंडीशंस रूम्स हैं। शिक्षा का यह स्तर हमें थोड़ी सी देर के लिये खुश तो कर सकता है लेकिन मेरे ख्याल से एक छात्र जीवन में इस तरह के ऐशोआराम एक मजबूत हिन्दुस्तानी पैदा नहीं कर सकते हैं। बड़े-बड़े विश्वविद्यालय बने और जब हम शिक्षा का

इतिहास पढ़ते हैं तो पूरे हिन्दुस्तान में चाहे पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्खिन तक नजर डालें, तो सिवाय दो विश्वविद्यालयों के हमें तीसरा विश्वविद्यालय ऐसा नहीं मिलता, जिसे हम इतिहास का हिस्सा कहें या जिसके फाउण्डर के नाम आठवें दर्जे का बच्चा भी जानता हो । एक महामना मदन मोहन मालवीय जी और दूसरे सर सैय्यद अहमद खां। ये भी इतिहास की बड़ी विडम्बना है कि यह दोनों लोग आज जिनके नाम से बड़े-बड़े ओहदों पर बैठे हुये लोग उनके नामों को पूजते हैं, उन विश्वविद्यालयों को अपने माथों से चूमते हैं, वह अपनी जिन्दगी में विश्वविद्यालय नहीं बना सके। न महामना मदन मोहन मालवीय जी और न सर सैय्यद अहमद खां, लेकिन जो चिराग उन्होंने रोशन किया था और जो बीज उन्होंने लगाया था वह आज दुनिया में इस तरह जाना जाता है जिस तरह मिशनरीज के बड़े-बड़े कारनामे जाने जाते हैं। बहुत बड़े-बड़े विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में, भारतवर्ष में, मैं उनके नाम लेना नहीं चाहता, मामला व्यक्तिगत हो जायेगा लेकिन किसी के भी फाउण्डर का नाम, अगर किसी फाउण्डर के नाम से कोई विश्वविद्यालय है या उसकी जाति से, तो उसे तो शायद लोग जानते होंगे, लेकिन हजारों सैकड़ों ऐसे कालेजेज, बड़े-बड़े कालेजेज जो यूनिवर्सिटीज से भी बड़े हैं और यूनिवर्सिटियां, उनके बनाने वालों के नाम शायद सदन में बैठे हुये लोगों में से भी कोई नहीं जानते होंगे। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि मौजूदा सरकार, जो संवेदनशील सरकार है, वह कुछ बुनियादी चीजों पर अपनी नजर रखे, मिसाल के तौर पर हमारे ही एक साथी का सुझाव आया है, 10 एकड़ जमीन में विश्वविद्यालय बने। मैं नही समझता कि 10 एकड़ में एक फैकल्टी भी बन सकती है, क्योंकि एक फैकल्टी के लिये प्लेग्राउन्ड भी होना चाहिये, आडीटोरियम भी होना चाहिये, क्लासरूम्स भी होना चाहिये, हॉस्टल भी होना चाहिये हां अगर किसी विशेष के लिए हमारी ऐसी धारणा है। विश्वविद्यालय शहरों के अन्दर नहीं बनते हजरतगंज में नहीं बन सकता अमीनाबाद में नहीं बन सकता। विश्वविद्यालय बनते हैं ऐसी जगहों पर जहां गाड़ियों के हार्न की आवाज न आए जहां पटरी से गुजरने वाली रेलगाड़ी और उसके धुएं की बदबू न आए। आबादियों से दूर ताकि बच्चों का सम्पर्क न हो सके आबादी से ओर उनकी पढ़ाई में खलल न पड़ सके। इसलिए इस बात का ख्याल रहना चाहिए कि चन्द एकड़ में यूनीवर्सिटी नहीं बन सकती। बी0ए0, बी0एस0सी0 के लिए यूनीवर्सिटी बनाना है तो 10 एकड़ नहीं 5 एकड़ जमीन काफी है लेकिन विश्वविद्यालय में तो इंजीनियरिंग कालेज होगा पैरामेडिकल कोर्सेज होंगे मेडिकल कालेज होगा, डेंटल कालेज होगा अदर फैकल्टीज होंगी ला फैकल्टी होगी सोसल साइंसेज होगी साइंस होगी सोसल आर्ट्स होगी न जाने कितनी फैकल्टीज होंगी लिहाजा मेरे ख्याल से 10 एकड़ काफी नहीं होगा। इस पर विचार होना चाहिए कि कम से कम 100 एकड़ से कम पर विश्वविद्यालय की इजाजत नहीं होनी चाहिए मेडिकल कालेज के लिए गालिबन मुझे ठीक से याद नहीं है मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया की शर्त ठीक से याद नहीं है लेकिन 20 से 25 एकड़ की शर्त है। कौन सा विश्वविद्यालय ऐसा होगा जिसमें मेडिकल कालेज न हो और वह व्यक्ति जो मेडिकल कालेज के बगैर विश्वविद्यालय बनाना चाहता है वह सिर्फ टकसाली दुकान चलाना चाहता है। वह सेवा नहीं करना चाहता सिर्फ अपने नाजायज धन को जायज बनाने के लिए और ब्लैक मनी को व्हाइट बनाने के लिए जिन लोगों ने विश्वविद्यालय खोलने का एक फैसन बना लिया है इस पर सरकार को नजर रखना चाहिए।

इसी के साथ एक मन की पीड़ा भी है रीता जी बैठी हैं कांग्रेस के अध्यक्ष बैठे हैं मुसलमानों के आप बहुत हमदर्द हैं और हमें उसका अहसास भी है 47 के बाद और 47 में आपको याद होगा

कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी में ताले डाल दिए गए थे अगर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद एजूकेशन मिनिस्टर न होते तो शायद अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी होती। क्योंकि अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में है 1972 में जब हम छात्र थे हमने अपनी पूरी एजूकेशन लाइफ को दांव पर लगाकर माइनारिटी करेक्टर की उस मजबूत लड़ाई को लड़ा था और मिसेज इंदिरा गांधी पार्लियामेंट में कानून लाई थीं और अलीगढ़ यूनीवर्सिटी को माइनारिटी करेक्टर मिला था। फिर क्या हुआ कि हाई कोर्ट की सिंगिल जज की बेंच ने जो पार्लियामेंट से माइनारिटी करेक्टर मिला था उसको खारिज कर दिया। इसे खारिज हुए तकरीबन चार वर्ष हो गए हैं और चार वर्ष से अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी के बच्चे इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि पार्लियामेंट से फिर एक कानून पास हो और वह कांस्टीट्यूशनल लैकुना जो उस बिल में रह गया था जिसका सहारा लेकर माननीय उच्च न्यायालय ने उसका माइनारिटी करेक्टर खत्म किया । महज उस लैकुना की भरपाई करके हमने जो संशोधन विधान सभा से 7 वर्ष पहले पास करके भेजा ताकि फिर मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय को भी कोई इसी तरह से बंद न कर दे या उसका माइनारिटी करेक्टर खत्म न कर दे जैसा कि अब हुआ सिर्फ उस लैकुना को समाप्त करने की कोशिश की गई है 7 वर्ष पहले इसी सदन से वह बिल पास हुआ 5 वर्ष मान्यवरों के पास रहा वह फिर वापस आया और वह महामहिम के पास गया हुआ है। उसमें माइनारिटी करेक्टर और इस बात की जमानत कि कोई राजनैतिक नफरत की बुनियाद पर उसे बंद न कर दे उसका प्रोटक्शन है। वह कम्युनल बिल नहीं है, वह माली बिल नहीं है वह बिल महामहिम के पास है क्योंकि आज शिक्षा का बजट पास हो रहा है और विश्वविद्यालयों का एक बड़ा सपना देखा जा रहा है मैं इस सदन से कहना चाहूंगा कि वह अपील करे क्योंकि मैं उसका संस्थापक हूं कि मैं उस विश्वविद्यालय को बंद कर दूं। मैं चाहता हूं कि [x x x]।

श्री अध्यक्ष-

[x x x] पर आप काहे बोलते हैं। अपनी बात करें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मैं नहीं बोलता बिल्कुल नहीं बोलता। अगर आप यह समझते हैं कि इस विश्वविद्यालय को नहीं चलना चाहिए। आई ऐम द चांसलर, ही इज नाट। आई ऐम द चांसलर, आई ऐम द फाउन्डर। तो क्या अगर कोई व्यक्ति चांसलर नहीं है तो ऐसे विश्वविद्यालय को नहीं चलना चाहिए और वह विश्वविद्यालय मान्यवर, ढाई सौ एकड़ में है और किसी का एक डबल का एहसान नहीं है उस पर। वह भीख मांगकर बना है, उसे देखकर लोगों की आंखों की रोशनी बढ़ेगी। वह साम्प्रदायिक विश्वविद्यालय नहीं है, वह पढ़ाई का अड्डा है, उसके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। मैं चाहूंगा कि सदन का अगर यह मत है कि मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय नहीं चलना चाहिए तो मैं खुद अपनी सरकार से कहूंगा कि सरकार अगर चाहे तो मैं कल ही इस बात की घोषणा कर दूंगा कि उसमें पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य कुछ भी हो मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय को बन्द किया जाता है। किसी की हो न हो, कांग्रेस की यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि 1947 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बन्द की गई थी और 2013 में मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय बन्द किया गया।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही ने निकाल दिया गया।

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

कांग्रेस का यह मकसद नहीं है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

फिर क्या मकसद है, सात वर्ष से एक बिल यहां से गया हुआ है कहीं, अगर वह गलत है तो उसे वापस होना चाहिए, उसमें संशोधन चाहते हैं तो संशोधन का मुतालबा होना चाहिए और अगर वह तमाम गलत है तो उसे खारिज होना चाहिए। क्योंकि यह सम्पत्ति सदन की है, यह अधिकार सदन का है और इस तरह लोकतन्त्र की हिफाजत नहीं हो सकेगी कि अगर शिक्षा के बिल भी सात-सात वर्ष तक भिखारी की तरह इन्तजार करेंगे तो आने वाले समय में पूंजीपति तो बनायेंगे शिक्षा के अड्डे और विश्वविद्यालय और कॉलेजेज और इंस्टीट्यूशन्स लेकिन कोई सख्स प्याला लेकर समाज के लिए कोई इंस्टीट्यूशन्स बनाने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं संरक्षण चाहता हूं मान्यवर, आपसे और मैं जानना चाहता हूं कि आखिर इस नाइंसाफी की वजह क्या है और वह सरकार जिसका मैं हिस्सा हूं, अपनी सरकार से भी यह जानना चाहता हूं कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए।

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

एक चीज मैं रिकार्ड में लाना चाहती हूं। आदरणीय आजम खां साहब की भावनाओं की कद्र करती हूं और कहना चाहती हूं कि अब्दुल कलाम आजाद भी कांग्रेस के ही थे जो उन्होंने किया वह कांग्रेस का ही व्यू था और अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी का माइनारिटी कैरेक्टर के लिए कांग्रेस कमिटेड है और वह जरूर होगा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मेरी आप बहन हैं और मैं आपकी इज्जत भी करता हूं और आपसे मोहब्बत भी करता हूं। आपके वालिद साहब कितने अजीम सख्स थे आप उनकी औलाद हैं आप जानती होंगी लेकिन कुछ ऐसे वाकियाद जो हमसे ज़ाती तौर पर वाबस्ता हैं अगर हम आपको बतायेंगे तो आप हमसे और ज्यादा मोहब्बत करेंगी। लेकिन एक बात मैं साफ कर दूं, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद यकीनन कांग्रेस के थे लेकिन मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने वह 42 पेजेज, जिनके बारे में उन्होंने यह कहा था कि आजादी के 50 साल बाद खोले जाएं और पढ़े जाएं। उन्होंने उसमें लिखा है कि मेरी जिन्दगी की सबसे बड़ी गलती थी कि 1942 में मैंने अपनी अध्यक्षता छोड़कर पंडित जवाहर लाल नेहरू साहब को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था। न मैं पंडित जवाहर लाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाता न देश का बंटवारा होता, यह उन 42 पेजेज में है जिन्हें मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने लिखे हैं जिन्हें आजादी के 50 साल बाद खोला गया था।

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

मैंने अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी के सन्दर्भ में बोला है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

देखिये क्योंकि आपने एक बात को बेवजह बढ़ा दिया। मेरा निवेदन है कि वह 42 पेज भी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को आप सिर्फ कांग्रेस से न जोड़िये, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के साथ बहुत बड़ी बदनसीबी यह थी कि मौलाना हिन्दुस्तान का बंटवारा नहीं चाहते थे, इसलिए मैंने यह

बात कही थी। इसीलिए तो मैंने आपसे अर्ज किया कि अगर 1947 से मौलाना अब्दुल कलाम आजाद एजूकेशन मिनिस्टर न होते तो अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी आज भी नहीं खुली होती। इसका सुबूत इस बात से मिलता है कि सात वर्ष से आपके पास एक एजूकेशनल बिल पड़ा है महज इसलिए कि यह माइनारिटी के एजूकेशन का इंस्टीट्यूशन है और आप उसे नहीं चलने देना चाहते हैं।

(माननीय सदस्य श्री प्रदीप माथुर के जामिया मिलिया युनिवर्सिटी का जिक्र किये जाने पर)

जामिया के बारे में सुनना चाहते हैं आप। जामिया को माइनारिटी करेक्टर आपने नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, कृपया समाप्त करें।

*श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं कटौती प्रस्ताव रखने वाली माननीया रीता बहुगुणा जी, मा0 मंत्री राम गोविन्द चौधरी जी, शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, मा0 मंत्री विजय बहादुर पाल जी, अगयश राम सरन वर्मा जी, पवन पाण्डेय जी, सुदेश शर्मा जी, प्रो0 शिवा कांत ओझा जी, उमा शंकर जी, पंकज मलिक जी और अपने मा0 ससंदीय कार्य मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि आज उच्च शिक्षा के बजट पर प्रकारान्तर से इस उच्च शिक्षा से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण बातें, कुछ आलोचना के रूप में, कुछ सुझाव के रूप में और कुछ मान्यवर, उसको पूरा करने के लिए अनुपूरक के रूप में बहुत सारे सुझाव हमारे सामने आये हैं। जिन माननीय सदस्यगण ने इसमें अपने विचार रखे हैं उनका विशेष रूप से और बाकी भी माननीय सदस्यों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं सबसे पहले एक दूसरी बात कहूंगा, कटौती का प्रस्ताव रखने वाली मा0 रीता जी समाजवादी आंगन में पैदा हुईं और इसलिए जो उन्होंने बात रखी है, समाजवादी पार्टी में कितने दिन रहीं इसका उल्लेख नहीं कर रहा हूं लेकिन समाजवादी पिता की पुत्री हैं इसका उनको भी गर्व है, हमको भी इस बात का गर्व है और किसी को इसमें संशय नहीं होना चाहिए। अगर प्रदीप जी को आपत्ति है तो वह अपनी आपत्ति वापस लें। माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी कहीं जैसे केन्द्र सरकार बनाम उत्तर प्रदेश सरकार की तुलना का कोई अवसर ऐसा हो, कोई सेमिनार ऐसी चल रही हो जिसमें वह केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर आयी हुई हों और उसमें राज्य सरकार कोई मुखालिफ पार्टी हो। जो राज्य सरकार से केन्द्र सरकार की तुलना की गयी कि हमने जी.डी.पी. का इतना दे दिया, इन्होंने इतना कम दे दिया उन्होंने इतना ज्यादा दे दिया। यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उच्च शिक्षा का रखा गया बजट था, हम आशा कर रहे थे कि उनका जो अनुभव है, एक शिक्षक के रूप में, एक प्रोफेसर के रूप में, 32 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का, उस अनुभव के नाते और शिक्षा जगत से जुड़ी हुई जो दूसरी दुश्वारियां हैं जिनको दूर किया जाना जरूरी है और उत्तर प्रदेश जिन मामलों में, जिन सवालात में जहां अपने को कमजोर पाता है उसकी कमजोरी दूर करके उसको ताकत देने के सवाल पर क्या किया जा सकता है। अगर कहीं कोई बीमारी या नुक्श है तो उसको निकालने के लिए क्या किया जा सकता है,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस पर उनके सुझाव आयेंगे। लेकिन क्षमा करें, मैं यह कहना चाहता हूं कि जितना समय उन्होंने इस बजट चर्चा पर अपनी कटौती प्रस्ताव में रखा है, इसका 85 फीसदी समय केन्द्र सरकार ने यह कर दिया, उत्तर प्रदेश सरकार ने यह नहीं किया, इससे काम चलने वाला नहीं है। यह आपने खुद स्वीकार किया कि जब यह संविधान की समवर्ती सूची में शिक्षा है तो केन्द्र सरकार ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, उसको बधाई है और राज्य सरकार ने अगर कोई कमी की तो वह कैसे पूरी हो, इसका सुझाव आ जाना चाहिए। बजाए इन बातों के जो कुछ भी आया है। अब अगर मैं अलग-अलग एक-एक बात का उत्तर देने का प्रयास करूं तो सदन का समय काफी लगेगा। लेकिन मैं संक्षेप में दो-तीन बातों का उल्लेख नहीं करूंगा तो इस बजट चर्चा का अर्थ नहीं रह जायेगा। मान्यवर, उन्होंने तीन बातें शुरू में ही कही थीं समादेशी शिक्षा, उत्कृष्टता और विस्तार। इन तीनों का समावेश हमारे बजट में है। फिर मैं रिपीट करूं तो उससे बात नहीं बनती। आपको जो साहित्य मिला है उस पर तथा मैंने जो बजट भाषण के माध्यम से निवेदन किया। हमने कहा कि जब इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए और जो पहले से बना हुआ है उसके निर्माण के अलावा उसके मरम्मत और सुदृढ़ीकरण का प्राविधान रखा है। जब समावेशित शिक्षा की बात करते हैं पूरी योजना ही ऐसी है जो समावेशित शिक्षा को अपने-आप रिफलेक्ट करती है तो इसलिए इसका कोई सवाल नहीं है। विस्तार की बात आयी है, दो नये विश्वविद्यालय, 36 मॉडल महाविद्यालय जिनके बारे में आपने कहा कि केन्द्र सरकार ने 35 फीसदी सहयोग दिया, हमने तो इन्कार नहीं किया कि केन्द्र सरकार ने नहीं दिया। केन्द्र सरकार अगर 35 फीसदी सारे हिन्दुस्तान को दे रही है उत्तर प्रदेश को भी दे रही है तो स्वागत है। हमने उसमें अपना 65 फीसदी और 67 फीसदी लगा करके किया है। आपत्ति हो सकती है, मैं नहीं जानता, मैं इसका विशेषज्ञ नहीं हूं। आपत्ति हो सकती है कि 5 मुस्लिम जनपद जहां अल्पसंख्यक आबादी ज्यादा है इस पर कोई आपत्ति है तो यह तो अलग बात है। हमने 5 उन जिलों को शामिल किया है जहां अल्पसंख्यक आबादी ज्यादा है जहां अल्पसंख्यक आबादी ज्यादा है, इस पर कोई आपत्ति है तो वह अलग बात है। हमने कहा भाई हमने 5 उन जिलों को शामिल किया है जहां अल्पसंख्यक आबादी ज्यादा है इसलिये उनको शामिल करने का काम किया है। हमने सिर्फ 5 जिलों का ही उसमें उल्लेख किया है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और 36 जगहों पर हम मॉडल महाविद्यालय डिग्री कालेज हम बना रहे हैं उनको राज्य सरकार ने अपनी योजना में शामिल करके बजट प्राविजन में जो हमारा अंशदान है, करके कर रहे हैं। इसलिये मान्यवर, इसका स्वागत होना चाहिए। मैं एक बात और आपसे कहना चाहूंगा। आपने अभी एक बात और कही। चलते-चलते आपने बाद में एक बात कह दी। लगता है कि पब्लिक फोरम में कोई बात कह रहे हैं। मैं निवेदन करूं, बहुत विनम्रता से, बुरा मानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे समाज में विदुषी महिलाएं हैं कितनी ? कितनी हैं ? और उसमें आप जैसी प्रबुद्ध कितनी हैं, उसको ढूंढने के लिये प्रतिशत में अगर हम जायेंगें तो दशमलव के तीन चार अंकों में जाना पड़ेगा कहीं न कहीं पता ही नहीं चलेगा और उनमें से आप श्रेष्ठ महिलाओं में से हैं। एक पार्टी की आप बड़ी नेता हैं और राजनैतिक जीवन में आपका बड़ा लम्बा अनुभव है। इसलिये आपके लिये कहना चाहूंगा। आपने उल्लेख किया आई आई एम का , ट्रिपल आई टी का। इसका उच्च शिक्षा से क्या लेना देना ? टैक्नीकल एजूकेशन का आज बजट नहीं इसलिये इसका उल्लेख करके और भारत सरकार की..

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

आपके लोगों ने किया तब नहीं कहा आपने।

श्री अम्बिका चौधरी-

आई विल कम। मैं बता रहा हूं। मेरे लोगों ने जो कहा वह उच्च शिक्षा की नींव के बारे में कहा, वह ब्रांच के बाहर नहीं कहा। मेरे लोगों ने कहा कि उच्च शिक्षा की नींव शुरू होती है बेसिक शिक्षा और सेकेन्ड्री एज्यूकेशन से। आई रिपीट। मान्यवर, मैं दोबारा कहता हूं कि उच्च शिक्षा की नींव शुरू होती है बेसिक शिक्षा से और इससे। इसलिये हम उसकी नींव की बात कर रहे हैं। हम उस ब्रांच से अलग जाने की बात नहीं कर रहे हैं। मैं मान्यवर बताना चाहता हूं। आपने बेरोजगारी भत्ते की बात कही, इसका क्या रिश्ता है इससे। कन्या विद्या धन , बेरोजगारी भत्ता, इससे क्या मतलब है ? मान्यवर, आपने और बात कही। आपने मेडिकल टैक्नीकल एजूकेशन के लिये एक अलग व्यवस्था की बात कही। कोई मतलब उसका क्या है ? इसलिये मैंने यह कहा कि जब आपने अपने कट .... कार्यवाही का हिस्सा है, मेरे पास नोटेड है। इसलिये मैं आपसे अनुरोध यह करता हूं कि हम आपसे उम्मीद यह करते थे कि उच्च शिक्षा के बजट पर बहुत सारे सकारात्मक सुझाव देंगी। कुछ सुझाव आपके आये हैं हम उनका बिल्कुल ध्यान रखेंगे। लेकिन एक बात जो आपने कही कि आंकड़ों में गलती है, कहां से यह आंकड़े आ गये समझ में नहीं आता तो मैं आपके आंकड़े सही कर दूं। आप कृपया वह किताब खोल लें जो आपके सामने थी। प्लीज पेज 51 आप खोल लें। मैंने कहा 33, आपने कहा 30, फिर से गलती मिला लीजिये अगर गलत छपा हो तो हम आज किसी को दंडित करेंगे। हमने कहा 33 विश्वविद्यालय। मैं पुनः पढ़ता हूं राज्य विश्वविद्यालय 13, मुक्त विश्वविद्यालय 1, निजी विश्वविद्यालय 18, डीम्ड विश्वविद्यालय 1 संख्या हुई 33 आपने कहा 30 यह कहां से आंकड़े में गलती हो गई। आंकड़े में अगर भूल हो मेरे कहने में और साहित्य में तो जो गलती होगी मैं उसको स्वीकार करूंगा, उसको दंडित करूंगा। इसलिये मैंने पूछा, बात काटने के लिये नहीं पूछा। चूंकि भ्रम नहीं रह जाय। आंकड़ों में तो भ्रम होना ही नहीं चाहिए। श्रीमन् दो तीन बातें और इससे उठाई गई थीं। यह बात आई थी कि उर्दू फारसी विश्वविद्यालय के बारे में कहा गया कि इसको दिया नहीं गया। मैं बताना चाहता हूं कि प्रथम फेज के कार्यों के लिये वित्त व्यय समिति ने 181 करोड़ रुपये अनुमोदित किया था। पूरी राशि 181 करोड़ अवमुक्त की जा चुकी है और मान्यवर, उसमें फर्स्ट फेज की 181 करोड़ जो धनराशि स्वीकृत थी वह दे दी जा चुकी है। फर्स्ट फेज के निर्माण का कार्य पूरा हो गया।

मान्यवर, शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कार्यों के कर्मचारियों के पदों का सृजन कर दिया गया है। द्वितीय चरण के कार्यों के लिये कार्यवाही की जा रही है उसमें कोई कमी नहीं की गई है। उनकी डिमान्ड में कोई कमी नहीं की गई है उर्दू फारसी विश्वविद्यालय में। मान्यवर, अब सरकार आई है, उर्दू फारसी पढ़ाने का इंतजाम होगा। उर्दू फारसी पढ़ाने की अब तक कोई व्यवस्था उसमें नहीं थी और जिन कारणों से भी उनको बनाने का काम किया गया था, उर्दू फारसी के उन्नयन के लिये और उच्च शिक्षा के उन्नयन के लिये नहीं किया गया था बल्कि नजर कहीं और थी। किसी दूसरी जगह को प्रभावित करने के लिये इसको किया जाय इसलिये श्रीमन् इसको सदन के संज्ञान में ले आना चाहता हूं। कई लोगों ने मान्यवर, एक और आपने कहा कि वह राशि घटा दी गई है। मैं पुनः कहना चाहता

हूं कि वह वित्तीय वर्ष में आधारभूत सुविधा के लिये सेमिनार वगैरह की जो बात आई थी, उसमें वह राशि बढ़ा दी गई है एक करोड़। लिटरेचर में है, आप देखेंगी एक हेड में रुपया होगा कुछ और दूसरे में होगा। एक करोड़ राशि है वह कम नहीं थी यह फैक्ट अवगत कराना चाहता था। श्रीमन् एक और विशेष बात आपने बड़ा उल्लेख किया केन्द्र सरकार का, मै उल्लेख करना चाहता हूं कि 1-1-2006 से लेकर 31-3-2010 की अवधि के बीच का एरियर जितना था उसका राज्य सरकार द्वारा 20 प्रतिशत भुगतान किया जाना था, वह हम कर चुके। 80 प्रतिशत केन्द्र सरकार के द्वारा दिया जाना था और 80 प्रतिशत जो केन्द्र सरकार के द्वारा दिया जाना था, उसमें 214 करोड़ हम दे चुके। 855 करोड़ इनको दिया जाना है और उसमें भी कुछ और पैसा दे चुके हैं अपने संसाधनों से, लेकिन वास्तविक रूप में 1-1-06 से नवम्बर 2008 तक की अवधि का भुगतान किया जाना शेष है। बाकी दो वर्षों का जो गैप था उसको भी हमने दे दिया। अब उक्त धनराशि केन्द्र सरकार से प्राप्त नहीं हो रही है। बार-बार कहा जा रहा है, आपने कहा कि केन्द्र में जब मुख्य मंत्री जी जाते हैं तो सब मिल जाता है। मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि पांचवीं चिट्ठी यह मा0 मुख्य मंत्री जी की है और 22-2-2013 को अनुरोध किया है कि जो कमिटमेंट है, जो सिक्स्थ पे कमीशन के हिसाब से, जो कमिटमेंट 80 प्रतिशत का एरियर का है, वह मान्यवर, 856 करोड़ रुपया बचा है, कृपापूर्वक उसको दे दें। प्रधानमंत्री जी को पत्र गया है मैं आपको तिथि बता रहा हूं पत्र के हिसाब से अगर आप पैरवी करेंगी तो और भी बड़ी मेहरबानी होगी। मान्यवर, इन्हीं बातों के साथ जो मा0 सदस्यों ने सुझाव रखे हैं उनका मैं स्वागत करता हूं जो सकारात्मक होंगे वह लिए जाएंगे। लेकिन एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने एक बात कही, मान्यवर मुझे अनुमति दें मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं। एक विधेयक इस सदन में आया 'मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनीवर्सिटी' सरकारी यूनीवर्सिटी बनाने के लिए और जिन परिस्थितियों में मान्यवर, वह विधेयक, जो अड़चनें पैदा की गईं और वह नहीं हो सका, दुबारा जो विधेयक आया, मान्यवर, एक सदस्य के रूप में, इस सदन में मैंने उसको प्रस्तुत किया था, मान्यवर, मेरी भूमिका नहीं बढ़ जाती है, लेकिन मेरे लिए यह बहुत भावुक क्षण है, जब मैं यह बात कहना चाहता हूं कि मैंने उस विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया। मा0 आजम साहब या किसी दूसरे ने वह प्रस्तुत नहीं किया था। उसकी कार्यवाही निकलवाकर देख लीजिए, जितनी मान्यवर, उसकी आलोचना और जितना विरोध कांग्रेस ने किया उतना विरोध, सम्पूर्ण विपक्ष में बैठे हुए किसी ने नहीं किया। मैं दोहराता हूं कार्यवाही का अंश है वह हमारे और आपके छिपाने से दबने वाली बात नहीं है। कांग्रेस ने उस दिन भी उसकी स्थापना का पुरजोर विरोध किया। सबसे ज्यादा कांग्रेस ने विरोध किया। भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ने वह विरोध नहीं किया था जो कांग्रेस ने विरोध किया। सबने विरोध किया, लेकिन कांग्रेस का विरोध ऐसा था जैसे हम कांग्रेस के अस्तित्व पर हम प्रहार कर रहे हों यह विश्वविद्यालय बनाकर। आज हम दुबारा इस बात को कहना चाहते हैं कि उन परिस्थितियों में, पिछले सात वर्ष से वह कहीं भी अटका हुआ है मर्यादा रोकती है, मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूं आप हमारे संरक्षक हैं लेकिन आप हमारे संरक्षक के नाते और वह सभी जो इस विषय को इस योग्य समझते हैं और जिनकी कोई औकात है, और जो रोकने में नहीं लगे हुए हैं अगर कुछ भी सहयोग कर सकते हैं तो सदन की मर्यादा का सवाल है। जो बिल इस सदन से पारित होकर गया जो बिल हमारे उच्च सदन विधान परिषद् से पारित होकर गया, संविधान में उसको रोकने की कोई

व्यवस्था नहीं है उसको जल्दी से जल्दी पारित हो करके सदन में सूचना आनी चाहिए। जैसे प्रमुख सचिव पढ़ते हैं कि राज्यपाल महोदय ने इस पर अपनी सहमति दे दी है। यह विधेयक बन गया।

(मेजें थपथपाई गईं)

यह बात आनी चाहिए, यह निवेदन मैं करना चाहता हूं इस अवसर पर, श्रीमन् जितने लोगों ने सुझाव दिए हैं उनका धन्यवाद करते हुए, मुझे कोई और बात इस अवसर पर नहीं कहनी है मैं समझता हूं कि अभी चार बजट और बाकी हैं। मैं दो पंक्तियां कहना चाहता हूं कि-

लहू को लहू लिखते हैं पानी हम नहीं लिखते हैं
महलों की रक्कासा गुरानी हम नहीं लिखते
यही वो बात है कि तारीख हम पर नाज करती है
हम तारीख लिखते हैं, कहानी हम नहीं लिखते।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-73-शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-73-शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 27,62,88,51,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[6.22] वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या-07 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग), अनुदान संख्या-08-उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री), अनुदान संख्या-04 उद्योग विभाग (खानें और खनिज), अनुदान संख्या-03-उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)

*राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-07-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 2,32,45,79,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-08-उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,50,07,75,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-04-उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 32,05,70,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-03-उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,52,83,31,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, समय भी बहुत हो गया है और काफी सदस्यों पर भार पड़ रहा है इसलिए संक्षेप में बताकर दो मिनट में समाप्त कर देते हैं। मान्यवर, किसी देश-प्रदेश की उन्नति के लिए, उसकी तरक्की के लिए जरूरी है कि उसमें उद्योगों का ढांचा कितना मजबूत हो, उससे कितने लोगों को रोजगार मिल सके, उसकी आर्थिक तरक्की और उन्नति के लिए उद्योगों के बगैर किसी प्रदेश की कल्पना करना मुश्किल है कि वह सुदृढ़ और सक्षम है। यद्यपि कृषि हमारा मुख्य व्यवसाय है, उत्तर प्रदेश का और यह कृषि आधारित प्रदेश है लेकिन उद्योगों के बिना इसकी उन्नति की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। मान्यवर, एक वर्ष से कम हुआ है, अत्यन्त अल्प समय में निवेश बढ़ाने हेतु अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति, 2012 हमने पारित किया है। श्रीमन्, नीति में अवस्थापना सुविधाओं का विकास, औद्योगिक वातावरण में सुधार, दक्षता एवं क्षमता विकास तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग हेतु विशेष प्रोत्साहन दिए जाने वाले कार्यों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। नीति के अन्तर्गत प्रदेश में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन दिए जाने हेतु पूंजीगत ब्याज उपादान, अवस्थापना ब्याज उपादान, औद्योगिक गुणवत्ता उपादान आदि की व्यवस्था की गयी है। मान्यवर, उद्योग बन्धु का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। उपादान योजनाओं में उद्योगों को प्लान्ट मशीनरी की स्थापना, अवस्थापना सुविधा सड़क, विद्युत, सीवर लाइन आदि के विकास, औद्योगिक अनुसंधान सम्बन्धित व्यय, इन सारी चीजों का प्रबन्ध हमारी नीति में किया गया है और इसके लिए बजट के प्राविजन्स हैं। मान्यवर, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बिजनेस रेग्यूलेटरी प्रोसीजर्स का पुनरीक्षण कर उन्हें सरल बनाया जाएगा। ई गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश में लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योगों को लगाने के लिए उद्यमियों को आनलाइन आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने हेतु बेव आधारित सिंगल टेबुल सिस्टम की व्यवस्था की गयी है। जो सरकारी तंत्र में शिकायत रही है कि जो उद्योग लगाने आये संयोग से ऐसा माहौल पिछले पांच वर्षों में रहा कि एक उद्यमी उद्योग लगाने के लिए आया अपनी पूंजी लेकर, और उसके साथ जो सलूक हुआ कि उसका उद्योग तो लगा नहीं उद्योगपति का तेल निकल गया। और वह उसके पहले ही यहां से विदा हो गया। तो उसको खत्म करने के लिए हमने बेव आधारित सिंगल टेबुल सिस्टम किया है कि एक बेव पर आप सारी जानकारी दीजिए और वहीं से सारा क्लीयरेंस हो जाये। आपको टेबुल टू टेबुल घूमने की आवश्यकता नहीं है। मान्यवर, सार्वजनिक सहभागिता (पी0पी0पी0) के अंतर्गत पुलों, सड़कों, ऊर्जा क्षेत्र, परिवहन, मेडिकल कालेज, पथ प्रकाश, जन सुविधाओं आदि का विकास किया जाएगा। जिससे प्रदेश का चहुमुंखी विकास हो। यह हमारी औद्योगिक नीति की विशेषता है। मान्यवर, आगरा से लखनऊ तक न्यूनतम दूरी के आधार पर 8 लेन का एक्सेस कन्ट्रोल्ड ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण किया जाना है। यह 9500 करोड़ से प्रस्तावित 270 किमी0 लंबी परियोजना है और हम इसको बहुत कम समय में पूरा करना चाहते हैं। इसकी प्रक्रिया जारी है। इसके लिए टेण्डर आमंत्रित करने की

जो प्रथम प्रकिया है वह शुरू हो गयी है और हम समझते हैं कि जून के पहले फाइनल बिड होकर इसका निर्णय हो जाएगा और अत्यंत अल्प समय में यह सड़क तैयार हो जाएगी। श्रीमन्, यह अभी सी0आई0आई0 ग्लोबल पार्टनरशिप सम्मिट 2013 हुआ। उत्तर प्रदेश में पहली बार यह ग्लोबल सम्मिट हुयी है। छोटे-मोटे सम्मिट बहुत सारे होते रहते हैं। लेकिन यह जो ग्लोबल सम्मिट इसी साल जनवरी, 2013 में आगरा में हुयी है, माथुर साहब जी पड़ोसी हैं, जानते हैं, आगरा के लोग यहां हैं। पहली बार यह बात हुयी है कि विदेशों से आने वाले लोग उत्तर प्रदेश को इस उम्मीद के नजरिये से देख रहे हैं कि वह लोग उत्तर प्रदेश में अपनी भागीदारी लेकर आये और उसका प्रभाव हुआ। उसमें 932 डेलीगेट्स ने भाग लिया और सिर्फ इतना नहीं हुआ है। जो उसका रिजल्ट आया उसके अनुसार बहुत सारी परियोजनायें, ऐसे प्रस्ताव आ रहे हैं कि हम समझते हैं कि इन प्रस्तावों पर बहुत जल्दी ही कार्रवाई होगी।

मान्यवर, अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति, सूचना प्रौद्योगिकी नीति, उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, सौर ऊर्जा नीति, पशुपालन क्षेत्र में उद्यमिता को प्रोत्साहित करते हुए कामर्शियल लेयर्स एवं ब्रायलर पैरेन्ट फार्म खोले जाने संबंधी नीति एवं चीनी उद्योग, को-जनरेशन एवं आसवनी प्रोत्साहन नीति। यह 6 नीतियां हम लेकर आये हैं और इन 6 नीतियों के तहत उद्योगों का ऐसा माहौल बना है। मान्यवर, 32 उद्यमियों, औद्योगिक समूहों द्वारा इस समिट के दौरान उद्योग लगाने की इच्छा व्यक्त की गयी। अभी 32 लोगों ने अपना आप्शन दिया है। इसके अतिरिक्त दिल्ली मुम्बई इण्डस्ट्रियल कारिडोर परियोजना है। इसके तहत 6 प्रदेश भागीदार हैं लेकिन उसमें हमारी भागीदारी बड़ी है। इस कारीडोर परियोजना से प्रदेश में अकेले 30 लाख रोजगार सृजित होगा। मान्यवर, दिल्ली मुम्बई इण्डस्ट्रियल कारिडोर परियोजना जिस दिन अपने आकार में होगी उस दिन 30 लाख रोजगार सृजित होने की संभावना है। प्लास्टिक सिटी, दिबियापुर जनपद औरैया में पी0पी0पी0 माडल पर प्लास्टिक सिटी विकसित की जा रही है। मैं सिर्फ बिन्दु रख देता हूं विस्तृत में आपका समय ज्यादा लगेगा। मान्यवर, मेगा लेदर क्लस्टर परियोजना है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में चमड़े का परम्परागत कारोबार है। कानपुर और आगरा में परम्परागत तौर से यह कारोबार बहुत पुराना था और कभी इसका बहुत बड़ा हिस्सा हुआ करता था लेकिन आज जो वस्तुस्थिति है कुल 28 फीसदी चमड़ा उद्योग की उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी रहती है। स्पेशियली एक्सपोर्ट में तो हमारी स्थिति बहुत कमजोर हो गयी। 28 फीसदी रह गयी है। इसके लिए तीन मेगा लेदर क्लस्टर परियोजनायें चलायी जा रही हैं। एक सण्डीला, हरदोई जनपद में मेगा लेदर क्लस्टर परियोजना है। मान्यवर, रमईपुर, कानपुर में मेगा लेदर क्लस्टर परियोजना और तीसरी आगरा में मेगा लेदर क्लस्टर परियोजना हेतु एस0पी0वी0 का गठन किया जा चुका है। मान्यवर, इसके लिए यूपीएसआईडीसी द्वारा भूमि उपलब्ध कराई जा रही है, यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उद्योग हमारे यहां थे और सदन में कई बार चर्चा आई है कि यह उद्योग तो खत्म हो गये। अभी हुकुम सिंह जी नहीं हैं, कह रहे थे, जहां जूते बनते थे, चप्पल नहीं बन रही है, जो काठी बनती थी घोड़ों की खासतौर से कानपुर में उसका अभाव हो गया। कुल मिला करके जो चमड़ा उद्योग की स्थिति थी और जहां हम आ गये हैं, उसको हम पुनर्स्थापित करने के लिए तीन जगहों पर मेगा लेदर सिटीज की जो हम परियोजना ले करके आये हैं। अवस्थापना औद्योगिक विकास के लिए मान्यवर, कितनी राशि रखी गई है, मैं उस फीगर में फिर नहीं जाऊंगा, क्योंकि उससे समय लगेगा। प्रोत्साहन योजना में मान्यवर, एक्सप्रेस-वे निर्माण की परियोजनायें कर रहे हैं और पीपीपी

बेसिस पर क्योंकि सरकार अपने संसाधनों पर अकेले व्यय नहीं कर सकती और जो आज की तारीख में सर्वाधिक स्वीकार्य जो स्थिति है वह पीपीपी की है। सरकार अकेले प्राइवेट को नहीं देगी, लेकिन उसमें निजी निवेशक को उसकी पूंजी को आमंत्रित करके और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत यह तमाम चीजें की जानी हैं, जिसकी मैंनें सूचना इस सदन को दिया है।

मान्यवर, इसी के साथ इसमें सूचना प्रोद्योगिकी विभाग भी इसी उद्योग के बजट में शामिल है, एक हिस्सा उसका है। मान्यवर, नागरिकों को सरकारी प्रक्रिया का सरलीकरण, सूचना प्रोद्योगिकी का उपयोग, लोकसेवकों और नागरिकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाया जाय, इसके लिए सूचना प्रोद्योगिकी विभाग द्वारा कई योजनायें चलाईं जा रही हैं। इन योजना का लाभ जन-जन तक पहुंचाने के लिए कदम उठाये गये हैं। हमने इसमें सिर्फ नारे लिखने के लिए नहीं किया, अपनी आई0टी0 पालिसी को हमने सूचना प्रोद्योगिकी नीति अपनी घोषित की और इस नीति में सारी डिटेल्स हैं हमारे पास, लेकिन उस नीति के माध्यम से उन कदमों को उठाने का हमने काम किया है कि एक संस्कृति विकसित हो। अभी आपका अनुभव होगा, मुझे तो है कि लैपटाप मा0 विधायकों को उनकी विधायक निधि से खरीदे जाने के प्राविधान हैं, वह खरीद सकते हैं, उन्होंनें खरीद तो लिया, पता लगता है कि उसे उनका लड़का चला रहा है, पता लगा उनके घर में छोटे बच्चे हैं, वह उससे खेलते हैं। हम लोगों को झंझट कई लोगों को लगती है, कहते हैं कि भाई हमारा काम ऐसे ही ठीक चल रहा है, यह कहां झंझट में हमको फंसा दिया। यह सही बात है, इसमें किसी का अपमान करने का मेरा इरादा नहीं है और संकोच इतना है कि जब लम्बे समय तक इस संस्कृति से हम वाकिफ नहीं थे, तो उस जाते, कई लोगों को जब हम ट्रेनिंग कराते हैं विभाग के लोगों को कि अब कम्प्यूटराइज हो गया, अब आप कम्प्यूटर की ट्रेनिंग कर लें तो उनको लगता है कि अगर वह उसको छुयेंगे तो उसमें से कोई बम निकलेगा, छूते ही उनकी उंगली कांपती रहती है देर तक, कई बार जबरदस्ती बुलाकर उनकी ट्रेनिंग कराइये और उसके बाद भी वह नहीं करते, कहते भइया मेरे बदले तू कर ले, मैं जरा पीछे बैठकर दूसरा काम कर लेता हूं। तो इस संस्कृति का विकास हो सके, इसके लिए हम नीति लेकर आये हैं। कारण क्या है, आज दुनिया में सूचना प्रोद्योगिकी की जो स्थिति है, इन्फारमेशन के बगैर हम निर-अक्षर रह जायेंगे, दुनिया बहुत आगे चली जायेगी और हमारा कहीं पता नहीं चलेगा, इसलिए मा0 मुख्य मंत्री जी ने जो इसके लिए जो वातावरण तैयार किया है प्रदेश में, मैं स्वीकार करना चाहता हूं, रीता बहुगुणा जोशी जी कह रही थीं कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने इसको शुरू किया, बधाई देता हूं मैं इस बात की, राजीव गांधी जी ने जो शुरू किया उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। हमारे खिलाफ यह प्रचार हुआ कि ये लोग कम्प्यूटर और अंग्रेजी दोनों के खिलाफ हैं, हमने कम्प्यूटर के खिलाफ जो बात कही गई थी, 15 लाख बच्चों को लैपटाप बांटने का काम कर रहे हैं और शुरू कर दिया है अब उसको मूर्तरूप देने का काम किया और देश में पहली सरकार है, जो लैपटाप देने का काम कर रही है।

श्री प्रदीप माथुर-

माननीय स्व0 राजीव गांधी जी की बात अब आपको समझ में आ रही है।

श्री अम्बिका चौधरी-

हम आपकी तरह नहीं हैं, जड़ नहीं हैं, हम चेतन हैं और जो बात सच है, हमने कहा था, आप भूल गये, मैंने अभी कहा था कि हम लहू को लहू लिखते हैं, पानी हम नहीं लिखते हैं। अगर बात सच है, तो बात सच है। राजीव गांधी जी ने उस समय बात कही थी, देश ने उसको कितना

स्वीकार किया, नहीं किया, वह दूसरी बात है, लेकिन आज इस कालखण्ड में आ करके इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी की महत्ता को समझे बिना विकास की बात करना व्यर्थ है और इसलिए हम इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी की पालिसी ले करके आये। इस इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी के इस कल्चर को हम वहां ले जाना चाहते हैं, जहां पढ़ने वाले बच्चे ही नहीं, दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारी ही नहीं, सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले सामाजिक जीवन के राजनैतिक लोग ही नहीं, प्रत्येक श्रेणी के लोग इवेन हम लोग जो मोबाइल यूज कर रहे हैं मान्यवर इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी ही तो यूज कर रहे हैं और आज की स्थिति यह है कि खेत में काम करने वाला मजदूर जो घास उखाड़ने जाता है, उसके मोबाइल पर भी मान्यवर, बहुत सुन्दर रिंग बजती है, इसलिए इस बात को हमने स्वीकार किया और आज जब इस विभाग का बजट है तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि इसके लिए एक कल्चर बनाने का काम हम कर रहे हैं कि एक संस्कृति इसकी विकसित हो जाये उत्तर प्रदेश में। मुझे खुशी है ये बात कहते हुये मा0 अध्यक्ष जी कि केन्द्र सरकार ने एक नया कारपोरेशन बना करके गांव-गांव तक जो अपनी ब्रॉड बैण्ड फैसिलिटी को ले जाने का काम किया। कपिल सिब्बल साहब से मैंने कहा कि आपने शुरू किया लेकिन उत्तर प्रदेश से आप पीछे हैं। उन्होंने कहा कैसे तो मैंने उनको आंकड़े दिये। देश में पूरी तरह से उनकी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना है। उसके आधे से ज्यादा अकेले उत्तर प्रदेश उसको कन्ज्यूम करने वाला है। हमने कहा कि आप हाई-वे बनाइये। आपके हाई-वे का ट्रैफिक हमारे पास है। आप मुझे सिखाइये। आपके हाई-वे का ट्रैफिक हमारे पास है और ये एप्रिशियेट हुआ। उन्होंने यह बात दिल्ली में कही और उन्होंने यह बात जब वे पुनः यहां आये आपके उत्तरशती रजत जयन्ती समारोह में ये बात उन्होंने कही गवर्नर हाउस में कही प्रदीप माथुर जी गवाह हैं इसके। ये स्थिति पैदा किया। मान्यवर, बधाई देना चाहते हैं अपने मुख्य मंत्री मा0 अखिलेश यादव जी को कि उन्होंने इतने अल्प समय में एक वर्ष के अन्दर, इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी के मामले में उत्तर प्रदेश की स्थिति को इतनी ऊंचाई पर ला करके खड़ा करने का काम किया है। वो बजट हम आपके बीच में ले करके आये हैं। आपके बीच बजट लिटरेचर है। हम विषय का उल्लेख नहीं करना चाहते। हम सिर्फ यह कहना चाहते हैं कि इसके ओर हम इसकी अवस्थापना सुविधाओं को जहां बढ़ाने का प्रबन्ध हमने अपने बजट में किया है और श्रीमन् दूसरा काम भी करना चाहते हैं। अभी आई0टी0 पार्क की बात आती थी तो यह होता था कि बैंगलोर है, वो साइबर सिटी हो गया, सिलिकॉन सिटी हो गया। बैंगलोर की बात जब देश में आती थी तो ये होता था कि सिलिकॉन सिटी हो गया। उत्तर प्रदेश में नोयडा के अलावा दूसरी किसी जगह पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन मान्यवर, खुशी है इस बात की सूचना देते हुये कि हम आई0टी0 पार्क नहीं, आई0टी0 बना रहे हैं लखनऊ में मान्यवर। हमने 150 एकड़ जमीन में उसका पूरा प्रबन्ध करने का प्रावधान कर दिया है। 150 एकड़ में बना रहे हैं और ये जो 150 एकड़ भूमि चिह्नित की है आई0टी0 सिटी के लिये मान्यवर। उसमें 100 एकड़ में आई0टी0 सिटी बनेगी और 50 एकड़ भूमि को हमने ट्रिपिल आई0टी0 हेतु आरक्षित करने का काम किया है। आई0टी0 सिटी पूरा एक सैटेलाइट सिटी होगा, सेल्फ कण्टेण्ड। अपने आप में वो पूरी तौर पर हमारी आई0टी0 सिटी की उसकी ऐसी परियोजना है कि ये एक सैटेलाइट सिटी होगी। पूरी की पूरी उसकी सारी सुविधायें अपने आप से होंगी, डिपेण्डेन्स कहीं नहीं होगी, उसकी निर्भरता का कहीं दूसरी जगह जाने का सवाल नहीं है।

मान्यवर, ये फाइबर ऑप्टिक कनेक्टिविटी गंजरिया फार्म, लखनऊ में गंजरिया फार्म है और दूसरी ओर मान्यवर, हमने ई-गवर्नेन्स प्लान शुरू किया अपने यहां और मान्यवर, स्टेट सर्विस डिलिवरी, गेट-वे स्टेट पोर्टल, ई-फॉर्म्स, नेशनली गवर्नेन्स प्लान, 8 विभागों की 26 शासकीय सेवाओं के साथ मान्यवर, हमने कॉमन सर्विस सेण्टर शुरू किये हैं और तमाम प्रकार के प्रमाण-पत्र आदि, ये सब सारी चीजें उससे मिल रही हैं। मान्यवर, गवर्नमेण्ट टू गवर्नमेण्ट, जी0 टू जी0 और मान्यवर, जी0 टू सी0, गवर्नमेण्ट टू सिटिजन। ये सारा कम्युनिकेशन का सिस्टम हमने ये डिलिवरी सिस्टम इस तरीके से मान्यवर, ये हमारी योजनाओं में प्रतिबिम्बित होती हैं इस बजट में। इसका हमने बंदोबस्त किया है और डेटा और सर्विसेज को केन्द्रीयकृत रूप से रखे जाने का मान्यवर, इंतजाम किया है। सेण्टर फॉर ई-गवर्नेन्स, ई-डिस्ट्रिक्ट इस प्रकार मान्यवर, ये हमारी तमाम योजनायें हैं और इन योजनाओं को आपके सामने रखते हुये हम अत्यन्त प्रसन्नता से यह कहना चाहते हैं कि जो माहौल बना है और जिस माहौल को आगे ले जाने के लिये, इसके माध्यम से प्रदेश की तरक्की के लिये जो योजना सरकार ने बनायी है, उसके हिसाब से जो बजट प्रस्तुत किया है ये अपने आप में असाधारण है इसलिये सम्पूर्ण सदन को समर्थन इसको मिलना चाहिये। मान्यवर, इसी के साथ ये मुद्रण और लेखन का है। मान्यवर, इसमें कुछ खास नहीं है, ये सरकारी प्रेस का है और 150 करोड़ में 145 करोड़ तो केवल तनख्वाह में चले जाते हैं तो बहुत विशेष है नहीं आप जानते हैं। सिर्फ सरकारी काम होता है जिसमें हमारी ये कार्यसूची भी छपती है तो उसी में छपती है। दूसरे हमारे लिटरेचर छपते हैं तो उसी में छपते हैं। ये भी इसी में इन्क्लूडेड है मान्यवर, और तीसरा इसी हिसाब से मैंने इस बजट को आपके बीच रख देने का काम किया। मान्यवर, अब जो कट मोशन आयेगा तो उसमें जैसी जरूरत होगी, हम उसका जवाब देंगे।

श्री प्रदीप माथुर-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-07-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

अनुदान संख्या-08-उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

अनुदान संख्या-04-उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

अनुदान संख्या-03-उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मा0 अध्यक्ष जी, हमारे बहुत ही प्रबुद्ध मंत्री, जो कि मा0 राजस्व मंत्री हैं और जिनका कैलीवर और काबिलियत आप देख सकते हैं कि इन्होंने उच्च शिक्षा पर भी अपना बजट प्रस्तुत किया

और प्रदेश की पूरी औद्योगिक नीति और उद्योग के बारे में भी अपना बजट प्रस्तुत किया। मैं समझ सकता हूं कि आपके इस मंत्रि-मण्डल में सभी प्रबुद्ध हैं, पर एक्स्ट्रा प्रबुद्ध जो बैठे हुए हैं, आपके संसदीय कार्य मंत्री....

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

आप राजस्व का तो भूल ही गए।

श्री प्रदीप माथुर-

राजस्व का भी किया है, राजस्व का मंत्री कहकर ही तो कहा और ये हमारे मा0 राजस्व मंत्री हैं, इनको मैं बधाई देता हूं। मान्यवर, देखिए बहुत अच्छी बात है मा0 मुख्य मंत्री जी और जिस दिन ये पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी और मा0 मुख्य मंत्री अखिलेश यादव, जो स्वयं ही एक इंजीनियर हैं, काबिल हैं, होशियार हैं, उन्होंने ऐसी नीतियां रखीं और इस तरह की बात करी, परन्तु वह बातें सारी कहीं मुंगेरी लाल के सपने न हो जाए। उसके पीछे कारण यह है कि इन सब माहौल को बनाने के लिए देखिए उनकी हम तारीफ कर रहे हैं। इस सब माहौल को बनाने के लिए आपने ग्लोबल सम्मिट कराई, आगरा में ग्लोबल सम्मिट कराई, आप नई आई0टी0 पॉलिसी लाए, आपने प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की बात की, आपने आगरा से लेकर लखनऊ तक ग्रीन फील्ड एक्प्रेस हाई-वे बनाने की बात की, आपने कुशीनगर एयरपोर्ट बनाने की बात की, आपने मथुरा और आगरा के बीच में इण्टरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाने की बात की, आपने स्टेट हाईवेज के चौड़ीकरण की बात की, आपने दिल्ली मुंबई इन्ड्रस्टियल कोरीडोर से संबंधित व्यवस्थाओं की बात की, आपने ईस्टर्न डेडीकेटेड फेट कोरीडोर की बात, आपने गैस पाइप लाइन पर आधारित उद्योगों की बात की आपने कैप्टिव पॉवर जनरेशन प्लान की बात की, आप ने उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए 24 घंटे बिजली देने की बात की और इण्ड्रिस्टियल लैण्ड बैंक बनाने की बात की, ई-गर्वनेन्स की बात की, आपने यह सब बातें तो कहीं और आपने निवेशकों को बाहर से लुभाने की बात करी, आपने ग्लोबल सम्मिट करके पूरे दुनिया भर के लोगों को आगरा में मज्मा इकट्ठा किया, बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा बहुत दिनों के बाद की इस तरह की कार्यप्रणाली चल रही है। इस तरह का विजन चल रहा है, इस तरह की सोच चल रही है और हम लोग भी उससे सम्बद्ध होते हैं, उत्तर प्रदेश पर खाली सत्ता पार्टी का ही कब्जा नहीं है, इधर के लोगों का भी कब्जा है और जब प्रदेश आगे बढ़ता है, तो सत्ता पक्ष को भी खुशी होती है और विपक्ष को भी खुशी होती है और जब हम दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, तब हमसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है ? परन्तु मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि फिर वही बात आ जायेगी जिसकी आपने कल चर्चा कराई, कानून-व्यवस्था की बात, हत्याओं की बात, लूट की बात, अपहरण की बात, बलात्कार की बात।

श्री अध्यक्ष-

ये इसमें कहां आ गया।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, यह लिंक मामला है। मा0 अध्यक्ष जी, इससे लिंक मामला है, जब तक प्रदेश की कानून-व्यवस्था ठीक नहीं है, जब तक आप दहशतगर्दी प्रदेश में खत्म नहीं करेंगे।

(सत्ता पक्ष के मा0 सदस्यों के बीच में टोकने पर)

आप दिल्ली को बार-बार बीच में क्यों ले आते हैं, आप उत्तर प्रदेश की बात करिए, जब तक आप प्रदेश में दहशतगर्दी नहीं खत्म करेंगे, जब तक आपको एक उद्योगपति, उद्यमी अपने आप को प्रदेश में सुरक्षित महसूस नहीं करेगा। मान्यवर, यह कटु सत्य है। यदि आपने इस कानून व्यवस्था को नहीं सुधारा, अभी चार साल पड़े हैं आपके पास मा0 मंत्री जी

(सत्ता पक्ष के मा0 सदस्यों के बीच में बोलने पर)

अच्छा आप ही कटौती प्रस्ताव रखिए। अभी आपके पास 4 साल पड़े हैं। हम आपको सजग कर रहे हैं, बता रहे हैं। एक साल तो यूं ही निकल गया और, कानून व्यवस्था जिस तरह से गड़बड़ा रही है, कोई निवेशक आने को तैयार नहीं है। 32 ही आये हैं ग्लोबल सम्मिट में अभी वे लेटर ही भेजे हैं और निवेशक जब तक नहीं आयेगा, तब तक औद्योगीकरण कैसे होगा। मान्यवर, जब उद्योगपति लूटते हैं, लालफीता शाही का शिकार होते हैं अधिकारी उनका शोषण करते हैं तब उनकी स्थिति देखने वाली होती है। मान्यवर, जब वह वन टाइम सैटिलमेण्ट में जाते हैं तो पैसा मांगा जाता है। पिकप में उन्हें पैसा देना पड़ता है। मान्यवर, ग्रेटर नोयडा और नोयडा एर्थाटी हमारे यहां हैं। हम पिछली सरकार के काले कारनामों पर कुछ नहीं बोलना चाहते हैं लेकिन यह दोनों हमारे प्रदेश के नाक हैं। मान्यवर, वहां कानून व्यवस्था की स्थिति का कोई पुरसाहाल नहीं है। मान्यवर, वह इन्डस्ट्रियल हब बनने चाहिए, लेकिन वहां बीस-बीस मंजिलों के भवनों के प्रस्ताव आते जा रहे हैं। और वह हाउसिंग हब बनते जा रहे हैं। मान्यवर, वहां पर कितने विश्वविद्यालय आये हैं। आई0टी0 उद्योग से सम्बन्धित कम्पनियां आई हैं, लेकिन जो यह आवासीय परिसर बनते जा रहे हैं, उनको देखने की आवश्यकता है। मान्यवर, हमारे यहां यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के द्वारा प्रायोजित जो औद्योगिक परिसर में स्थिति इकाइयां हैं उसमें 98 प्रतिशत रुग्ण हैं, यह इकाइयां आज से नहीं वर्षों से स्थापित हैं। मान्यवर, आपने जितने भी उद्यमियों को बुलाया उन्होंने अपनी बातें रखीं। जो रुग्ण इकाइयों की बात मैंने कही हैं उस सम्बन्ध में मेरी मुख्य मंत्री जी से बात हुई और मैंने उनसे कहा कि आप दो तरह की पॉलिसी बनाइये। एक शार्ट टर्म पॉलिसी और एक लांग टर्म पॉलिसी बनाइये। शार्ट टर्म पॉलिसी में आप नये निवेशकों को आमंत्रित कीजिए कि वह अपना उद्योग लगायें और लांग टर्म पॉलिसी में जो आपकी रुग्ण इकाइयां हैं उनको रिवाइव करने की बात कीजिए। वन टाइम सेटिलमेण्ट कराइये और इन उद्यमियों को बुलाकर पुचकारिये। मुख्य मंत्री जी इससे सहमत भी हैं। मान्यवर, नये उद्यमी जब प्रदेश में आते हैं तो सिंगिल विण्डो सिस्टम और सिगिंल टेबुल सिस्टम की बात आती है लेकिन उत्तर प्रदेश के सभी विभागों में कितना कोर्डिनेशन है वह सबको पता है, जब उद्यमी आता है उसे लोन मिलता है तो अधिकारी कहते हैं कि बिजली विभाग से कनेक्शन लें और जब कनेक्शन ले लेता है तो फिर मटेरियल प्रक्योरमेण्ट की बात आती है और फिर वैट की बात आती है, सेल्सटेक्स की बात आती है फिर उसको उपादान लेने में कितनी दिक्कत आती है। जो आपके औद्योगिक क्षेत्र हैं यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के वह सब नालों और पानी से भरे हुए हैं वहां पर सड़कें नहीं हैं, ड्रेनेज नहीं हैं। वह बदबू से सिसक रहे हैं। जो रुग्ण इकाइयां हैं वह पुनर्जीवित कैसे होंगी यह सरकार के देखने की बात है मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं कि तमाम सरकारों के समय में इनकी अनदेखी की गयी है। मान्यवर, आज जब उद्योगनीति की बात होती है तो सरकार को यह देखना चाहिए कि जो

औद्योगिक क्षेत्र हैं उनकी हालत क्या है, उद्यमियों की क्या हालत है। मैं जमीनी हकीकत से आपको अवगत करा रहा हूं। आपसे उम्मीद है कि आप कानून-व्यवस्था की स्थिति को सही करने का काम करेंगे तभी आपके यहां उद्योग आपके यहां स्थापित हो सकेंगे। आप उद्योग बन्धु की स्थिति देख लें आपने कहा है कि इसे पुनर्जीवित करेंगे। मैं समझता हूं कि जिला स्तर पर इसकी जो बैठकें होती हैं उसमें अधिकारी नहीं आते हैं। जिला अधिकारी की कोई बात नहीं मानता है। मान्यवर, यमुना एक्सप्रेस-वे पिछली सरकार ने बनवाया हम उसकी तारीफ करते हैं। उस एक्सप्रेस-वे से अब आप नोयडा से आगरा लगभग दो घंटे में पहुंच जाते हैं इसीलिए आप नोयडा अथार्टी ग्रेटर नोयडा अथार्टी के विकास पर गीडा और सीडा के विकास पर भी ध्यान दें। इन सब जगहों पर उद्योगों में लोगों को प्रोत्साहित करें। मैं तो यह कहता हूं कि एक विधायकों की सर्वदलीय कमेटी बना दें जो इन क्षेत्रों का जाकर दौरा करे और अपनी राय दे कि यहां कि रुग्ण इकाइयों को कैसे रिवाइब किया जा सकता है। मान्यवर, राज्य वस्त्र निगम, स्टेट यार्न, कताई मिल यह सब इकाइयां आप की बी0एफ0आई0आर0 में गयी हैं आप उसके लिए आफिसर्स की एक कमेटी बना दें जो देखें। आपके कानपुर में सूती कताई मिल है उसको कैसे रिवाइब किया जाय, उसको आप देखें। जो आई0टी0 हब की बात है बहुत अच्छी बात है लेकिन उसके लिए आप नये शहरों में भी स्थान चयनित करें लखनऊ तो आपकी राजधानी है। मैं बुराई नहीं कर रहा हूं लखनऊ कैपिटल है आपने आगरा की बात करी, आगरा में ताज वहां तो लोग आते ही हैं आप उन शहरों को लेते जो प्रापर्ली लिन्कूड हैं और वहां आईटी हब बनाते तो नई जगह का वह होता। आप रामपुर में बना देते, इटावा में बना देते और इलाहाबाद में बना देते,

(मथुरा-मथुरा की आवाजें आने पर)

मथुरा में बना देते कहीं भी बना देते और आईटी हब बनाने के लिए।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, आज एक बात की बड़ी गम्भीर गड़बड़ी हो गयी यह अलीगढ़ वाले लोग और पीछे मथुरा के बैठे लोगों ने देख लिया कि माथुर साहब ने मथुरा का नाम लोगों द्वारा बार-बार कहे जाने के बाद सातवें नम्बर पर लिया है यह सूचना मथुरा जाय।

श्री प्रदीप माथुर-

अलीगढ़ में बना दीजिए मैंने तो कहा कि रामपुर में बना दीजिए।

मान्यवर, आप यूपीएफसी के जाल में फसकर देखिये आपको आटे दाल का भाव पता चलेगा कि किस तरह से इन्टरपेन्योर का शोषण होता है, किस तरह से गिरा-गिराकर मारा जाता है, फुटबाल बना देते हैं। मैं आपको बता रहा हूं वहां पर काम कराना इतना मुश्किल है कि आम आदमी के वश की बात नहीं है। वहां फाइलें दबी रहती हैं व्यवस्था के पीछे कोई सिस्टम में सरकारों में आप यह नीति बनाते रहिये लेकिन ग्रास रूट पर जब तक ठीक नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। दिक्कतें आ रही हैं इम्पलीमेन्टेशन में। आप नीचे देखिये ग्रास रूट पर उन सीटों में तब्दीली करिये एक जगह से दूसरी जगह रिशफल करिये, चाहे वह यूपीएसआईडीसी हो, चाहे पिकप हो चाहे नोएडा हो। मुझे पता है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सल्तनतें चला करती थीं कोई भाई होते थे, कोई बहन होती थी उनके

इशारे चला करते थे और उन इशारों में बड़े-बड़े खेल हो जाया करते थे। इस सरकार में यह सब अभी नहीं है। अभी व्यवस्थाओं को आर्गनाइज करने की बात हो रही है, ठीक करने की बात हो रही है कि किस तरह से हो, पर इसमें जल्दी करिये एक साल यू ही निकल गया। अभी आईटी हब की, मैं आपके यूपी सिस्टम एण्ड डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन की बात करूंगा आपने यह कार्पोरेशन इसी उद्देश्य से बनाया था कि वह टक्कर लेगा इनफोसिस से, टाटा कंसलटेंसी से। उसमें तो आपने बनाके रख दिया उनके कर्मचारियों को बाबू, आपके डिपार्टमेन्ट का ही काम करते रहते हैं वह कम्प्यूटर पर, जबकि यूपी सिस्टम एण्ड डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन बनाया गया था उसके पीछे उद्देश्य यह था कि प्रदेश के काम, अन्य राज्यों के काम विदेशों के काम यूपी सिस्टम एण्ड डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन कांट्रेक्ट पर लेगा। हमने पिछली बार कई बार कहा कि इसे इन्डीपेन्डेन्ट डायरेक्टरेट बना दीजिए। पर कोई किसी सरकार के कान पर जू नहीं रहेगी वही ढ़ाक के तीन पात होते हैं। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि डायरेक्टरेट बनाने की बात हुई थी तो आप कैसे कम्पीट करेंगे इनफोसिस से टाटा से, इसमें नये आइडियास को फलोट करिये। मुख्य मंत्री जी चाहते हैं, आईटी हब बनाने की बात करते हैं। तो यह तभी पासिबिल होगा जब आप अपने ही प्रदेश के यूपी सिस्टम एण्ड डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन को डेवलप करिये, आप नये कंसलटेन्टस लाइये, पूरे इंडस्ट्रलाइजेशन के लिए आप बड़ी-बड़ी कम्पनियों से कंसलटेंसी लीजिए। क्योंकि मैं अधिकारियों के ऊपर इंगित नहीं करूंगा परन्तु उत्साह खत्म हो गया है, उत्साह नहीं है, इडस्ट्रलाइजेशन कराने के लिए एक उत्साह होना चाहिए। एक डील होनी चाहिए कि हमें यह करना है और प्रदेश को आगे ले जाना है, यह तभी होगा जिस-जिस सोच के साथ मुख्य मंत्री जी आपके सोचते हैं जिस विजन के साथ सोचते हैं अगर उस विजन के साथ तेजी से चलेंगे यदि फाइलें दबकर रह गयी इन अधिकारियों के चक्कर में तो कुछ नहीं होने वाला। वहीं के वहीं हो जायेगा एक साल में तो आपका लखनऊ आगरा का जो काम कर रहे हैं इसे टाइम बाउण्ड कर दीजिए रोड्स को, सब चीजों को टाइमबाउण्ड कर दीजिए वर्ना लाल फीताशाही में आपकी फाइलें रखी रह जायेंगी। इस पर मुद्रण और लेखन पर कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है यह हम सब लोगों का मामला होता है।

आपके अनुदान संख्या 4 में जब आप बात करेंगे भूतल एवं खनिकर्म विभाग के बारे में मान्यवर, दो शब्द कहूंगा, अपार भंडार, अपार भंडार है। हमारे सोनभद्र में सीमेन्ट श्रेणी के चूने, पत्थर, डोलोमाइट, चाइना क्ले, सिलिमिनाइट व्यवसायिक स्तर पर इनका दोहन हो रहा है स्वर्ण की खोज का मामला चल रहा है, ललितपुर में पाइरोकिलाइट, रायस्सोर, राक फास्फेट, सिलिका, प्लेटिनम धातु, कोयले के भण्डार भरे पड़े हैं, बांदा में प्लेसर हीरे की खोज हुई है वहां पर तो सब निकला है, हीरे के मामले निकले हैं, मिर्जापुर में सैन्डस्टोन है, इन लोगों ने बहुत धांधली मचवाई थी वहां से मंगवाकर, झांसी, महोबा, बांदा, बुन्देलखण्ड में स्वर्ण धातु की खोज हो रही है, राजस्व प्राप्तियों का अनुमान लगभग 1100 करोड़ है। आपने ई-टेण्डरिंग की व्यवस्था की, पर इस सबके बावजूद भी खनन् माफिया जबरदस्त तरीके से सक्रिय हैं। हमारे पास इतना जबरदस्त पोटेंशियल है, इतना बड़ा भंडार है कि आप इसमें भी अपनी ई-गर्वनेंस अपनी तेजी और अपनी व्यवस्था को तेजी से लगायें, क्योंकि हम उन राज्यों की श्रेणी में कैसे आयेंगे, जिन राज्यों में नं0-वन की कैटेगरी के औद्योगीकरण हुये हैं। आदमी, व्यक्ति

या उद्योगपति तभी आता है जब उस तरह का माहौल होता है, आप इंडस्ट्रीज लगवाइये, आप महसूस करवाइये तो लोग अपने आप आना शुरू हो जायेंगे।

मान्यवर, अब बात आई है लघु उद्योग और निर्यात प्रोत्साहन की। जिला उद्योग केन्द्रों की बात कर लेते हैं, इनकी पोजीशन यह है कि वहां उद्यमी को जाने की जरूरत है, वहां समझते हैं कि मुर्गा आ गया, फांसो इसे । स्थिति यह है कि यह हमेशा चाहे इधर की सरकार रही हो, तब भी यही हाल था और चाहे आपकी सरकार आई हो, तब भी यही हाल है। मान्यवर, सिगिंल विन्डो सिस्टम का कांसेप्ट जिला उद्योग केन्द्रों ने फेल कर दिया है। आप जिला उद्योग केन्द्रों को चुस्त-दुरुस्त बनाइये वह बिल्कुल मोनोटोनस हो गये हैं, अधिकारी बरसों से जमे हुये हैं। खाली जी0एम0 के ट्रांसफर से काम चलने वाला नहीं है। जो लो लेविल पर तमाम लोग बैठे हुये हैं, वह इसी ताक में रहते हैं कि कौन कब आकर फंसे और उससे व्यवस्था करके आपको उपादान दिला दें। आपको सब्सिडी दिला दें, इस बात के लिये लोग घूमते रहते हैं।

जब आप पिछली बार सरकार में थे तो आपने एस0ई0जेड0 की बात करी वह एस0ई0जेड0 कहां गये। बहुत प्रोपोगन्डा हुआ था, स्पेशल इकनामिक जोंस बनाने जा रहे हैं, अब के इंडस्ट्रियल बजट में आपने कहीं एस0ई0जेड0 की बात नहीं कहीं और 1500-1500 एकड़ जमीन, दो-दो हजार एकड़ जमीन उन सब इंडस्ट्रियल हाउसेस के पास है और वह चुप बैठे हुये हैं। उन लोगों ने जो जमीनें किसानों से औने-पौने दामों पर खरीदी थीं, जो जमीनें उन्होंने करोड़ों में खरीदी थीं, आज वह अरबों की हो गयी हैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, और आज स्थिति यह है कि आज एक भी एस0ई0जेड0 फ्लोरिश नहीं हुआ। एक भी एस0ई0जेड0 की सारी जमीनें उद्योगपति या उद्यमी या इंटरप्रेन्योर्स जो भी थे, या जो धनपति थे, उन सबकी वह जमीनें अब सोना और हीरा उगलने वाली हो रही हैं। उस पर निगाह डालिये। उनके पास बड़े-बड़े लैन्ड बैंक्स हैं, वह बेचकर उसे अरबों-खरबों रुपये बना लेंगे। आप उनसे पूछिये कि आपने काम किया कि नहीं किया, एस0ई0जेड0 क्यों नहीं शुरू किया आपने। एस0ई0जेड0 यदि वह शुरू नहीं किये तो उन जमीनों को सरकार एक्वायर कर ले और उन्हीं दामों पर एक्वायर करे, जिन दामों पर किसानों की जमीन ली गयी थी जिससे कि आप अपने नये औद्योगिक क्षेत्र बना सकें। उन पूंजीपतियों के बस की नहीं है, उन्होंने इसीलिये उद्योग नहीं लगाये कि वह मल्टीप्लाई करके जमीनों को बेचेंगे और अरबों-खरबों रुपये कमा लेंगे। यह बहुत इम्पार्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं। अल्टीमेटली क्लस्टर विकास योजना की जो आपने बात कही, उद्यमिता विकास प्रशिक्षण की बात कही, महिला उद्यमी प्रोत्साहन की बात कही, यह सारी बातें जब अनुपालित होंगी और एक कॉमन इन्टरप्रेन्योर को इस तरह की व्यवस्था दिखेगी कि हमारा भला सरकार कर रही है, हम लोग भला करना चाहते हैं तो मैं चाहूंगा कि भारी उद्योग में, मध्यम उद्योग मे, लघु उद्योग में डायनमिक आफीसर्स की पोस्टिंग करिये, अब मुझें नहीं पता कि कौन है। जिनका विजन हो, सोच हो और उनके साथ नेशनल, इंटरनेशनल लेविल के कंसलटेंट्स लगाइये, क्योंकि आजकल कंसलटेंसी थ्रूआउट वर्ल्ड से आती है। हमने देखा जो आपने 6 बातें करी, वह हमें अच्छी लगीं, सूचना प्रौद्योगिकी का, फूड प्रोसेसिंग का, टी0वी0 उद्योग का, सोलर एवं प्लास्टिक उद्योग की जो आप बातें कर रहे हैं, सोच बहुत अच्छी है, करना आप चाहते हैं, कुछ करके इमें उम्मीद है कि आप 4 साल में अवश्य दिखायेंगे, पर जब तक माहौल नहीं बनायेंगे, तब तक यह इंटरप्रेन्योर का

निवेश नहीं आने वाला। आपको यह पता हो कि कहीं दंगा होने वाला है या कहीं दंगा होगा तो आप क्यों जायेंगे अपनी जान गंवाने के लिये। निवेश तभी आयेगा जब हम सब मिलकर इस प्रदेश का माहौल अच्छा बनायें, उद्मियों को आमंत्रित करें और लोगों को कहें कि एक उत्तम प्रदेश बनाने की जो आपने सोची है, हम सब उसमें सहयोग करे यह सभी बातें राजनीति से ऊपर होनी चाहिए लेकिन अफसोस होता है कि एक सरकार आती है तो उसके पूर्ववर्ती सरकार के सारे प्रोजक्ट स्क्रैप कर दिए जाते हैं और जो नई सरकार होती है वह अपने सारे के सारे प्रोजक्ट लाती है। इधर के लोग थे तो उन्होंने आपका स्क्रैप किया आप लोग आए तो इनका स्क्रैप कर रहे हैं। हमें प्रदेश की ऐसी नीति बनानी होगी कि सरकार किसी की भी रही हो लेकिन जो अधूरे प्रोजक्ट हैं उनको वर्तमान सरकार पूरा करे। तभी प्रदेश की उन्नति होने वाली है जहां तक सवाल भ्रष्टाचार का रहा वह अलग बात है प्रदेश को विकासशील और गतिशील बनाने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि पुरानी योजनाओं को पूरा किया जाय। मैं अभी भी काफी बोल सकता हूं लेकिन मैं जान सकता हूं कि हमारे बड़े भाई अम्बिका चौधरी एक्जास्ट हो गए होंगे तीन-तीन बजट रख दिए फिर भी इनकी कैपिसिटी बहुत है अभी इनकी कैपिसिटी पांच घंटे और बोलने की है। आजम भाई और इनकी खासियत है पता नहीं कौन से कुएं का पानी पीते हैं कि नान स्टाप बोलते ही रहते हैं इधर मौर्या जी बैठे हैं यह भी जब बोलते हैं तो रुकते नहीं हैं। मैं इस उम्मीद के साथ कि उद्योग विभाग में प्रगति होगी उद्योग विभाग आगे जाएगा मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अम्बिका चौधरी-

अध्यक्ष जी मेरा अनुरोध है कि सात बज रहे हैं अभी विधेयक भी आना है और उसके आगे भी बिजनेस है। माननीय सदस्यगणों की दिलचस्पी होती है और मैं यह नहीं कहता कि महत्वपूर्ण विभाग नहीं है लेकिन मैं समझता हूं कि कमोवेश जो बात प्रदीप माथुर जी ने कही है उससे अलग बहुत कम बात होगी इसलिए माननीय सदस्यगण सहमत हो जाएं तो इस बजट को पास किया जाय या तो प्रश्न उपस्थित किया जाय या मुझे उत्तर देने दिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण आप लिखकर दे दें उसे कार्यवाही में शामिल कर लिया जायेगा।

(अनेक सदस्यों द्वारा बोलने का आग्रह करने पर)

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। दो-दो मिनट में अपनी बात रखें।

*श्री सुरेश राणा-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपका आभारी हूं कि इस बजट पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि 10 मिनट का समय देंगे। अध्यक्ष जी बहुत विस्तार के साथ प्रदीप माथुर जी ने सारा विषय रखा। सारे आंकड़ों के साथ और सारे विषयों को छूते हुए उन्होंने अपनी बात रखी। चूंकि वह स्वयं भी उद्योगपति हैं इसलिए इस विषय में वह बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। चूंकि इस प्रदेश का मैं जागरूक नागरिक हूं और जो स्थिति परिस्थिति प्रदेश की हम देख रहे हैं किसी भी प्रदेश का अगर कोई सच्चा आइना है तो वह वहां का उद्योग है। वहां का किसान है। मुझे याद है कि

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अक्सर उधर के लोग इधर वालों पर आरोप लगाते हैं और पांच साल की चर्चा करते हैं जब हमारे मुख्य मंत्री जी इतने नौजवान, इतने इंजीनियर और कर्मठ जब पहला प्रबोधन कार्यक्रम हुआ और उनका विजन मैंने सुना तो वास्तव में मुझे याद आई एक घटना एक बार डूबते सूरज ने कहा कि कोई है जो मेरे काम को अंजाम दे सके तो एक दिए ने कहा कि यदि हुकुम हो तो मेरे आका तो मैं जितना कर सकता हूं उतना करूंगा मुझे लगा कि पांच साल के घनघोर अंधेरे के बाद एक दिया प्रदेश के अन्दर युवा मुख्य मंत्री के रूप में जला है हो सकता है कि कुछ रोशनी आए लेकिन मुझे कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है कि एक साल बीत जाने के बाद भी माननीय अध्यक्ष जी आगरा के बारे में चर्चा की गई कि आगरा का जो लेदर उद्योग है उसके बारे में कोई कार्य योजना तैयार की गई है मैं आपसे बड़े सरल शब्दों में कहना चाहता हूं मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूं 60 प्रतिशत इस बजट में नोयडा की चर्चा है मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी उद्योग कानून-व्यवस्था और इन्फ्रास्ट्रक्चर यह दो उसके मेन आधार हैं। आदरणीय आजम साहब यहां बैठे हैं वह बड़े दिल से बात को लेते हैं। लेकिन मैं उस दिन का इन्तजार कर रहा हूं कि यह कब दिल से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में भी कुछ कहेंगे। चूंकि इन्फ्रास्ट्रक्चर शिला उद्योग से जुड़ा हुआ है केवल एक फ्लाईओवर की चर्चा हुई रामपुर के अन्दर इसके अलावा पूरा दिल्ली से ले करके उत्तराखण्ड तक सारा सिस्टम गोल था। सड़कों का बुरा हाल है, बिजली का बुरा हाल है, अपराध चरम पर है तो उद्योगपति कहां से आयेगा। माननीय अध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि अभी चार दिन पहले धौनी ने सेंचुरी लगाई और कहा कि मुझे अन्दाजा नहीं था कि मैं डबल सेंचुरी लगाउंगा लेकिन वह बल्ला कहां का था। वह बल्ला मेरठ का था, मेरठ का स्पोर्ट्स उद्योग, शामली का पेपर उद्योग और शामली का रिम धुरा और माननीय अध्यक्ष जी जो ठेले के ऊपर जो रस निकलता है उत्तर भारत में सबसे ज्यादा यदि उस इंजन का निर्माण होता है तो वह शामली में होता है। मान्यवर, वह सहारनपुर की लकड़ी की नक्काशी, मुझे लगता है कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और वह मुजफ्फरनगर का खांडसारी का उद्योग, मुरादाबाद का पीतल का उद्योग, आप जानते हैं मुरादाबाद से दो सौ, ढाई सौ करोड़ रुपए प्रतिदिन का व्यापार मुरादाबाद से है। इतना बड़ा व्यापारिक क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्दर है। मैं बहुत सरल शब्दों में सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, बहुत सारी सम्भावनाएं हैं, आप आइये हमारा मुकाबला हरियाणा से है, हमारा मुकाबला उत्तराखण्ड से है। माननीय अध्यक्ष जी, चालीस प्रतिशत बिजली का रेट बढ़ा दिया आज क्या हालत है साढ़े 6 रुपए प्रति यूनिट, हरियाणा में 6 रुपए है, उत्तराखण्ड में 5 रुपए प्रति यूनिट है। यदि एक पेपर मिल का हम एवरेज लगायें तो 5 से 10 लाख रुपए महीना हमें केवल बिजली का अतिरिक्त बिल देना पड़ता है। जब 5 से 10 लाख रुपए महीना बिजली का बिल अतिरिक्त देना पड़ेगा तो उद्योग यहां क्यों आयेगा। आप देखिये बहादराबाद उत्तराखण्ड में पूरे उत्तर भारत का बड़ा शानदार इण्डस्ट्रियल एरिया डेवलप हो गया है। उसका कारण क्या है सुरक्षा का भाव है, सड़कें हैं, इन्फ्रास्ट्रक्चर बहुत जोरदार है, वहां छूट भी है, बिजली का बिल भी कम है। तो तमाम यह विषय हैं यदि हम उत्तर प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं तो पक्ष-विपक्ष की बात नहीं है न कटौती की बात है बल्कि बड़े मन के साथ हम सब लोगों को मिल करके आगे बढ़ना पड़ेगा। हम दिल्ली में बैठें, हम बैंगलौर में बैठें, हम मुम्बई में बैठें और यदि कहीं बात आये तो हम सीना खोल कर कह सकें कि हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, हम उत्तर प्रदेश के विधायक हैं। यह तभी सम्भव होगा जब उद्योगपतियों में हमारी चर्चा होगी।

माननीय अध्यक्ष जी, जब उद्योगपति कहीं उद्योग लगाना चाहता है तो उसका एक दिन का विजन नहीं होता है बल्कि वर्षों का विजन होता है वह देखता है कि वहां का क्या माहौल है, क्या साम्प्रदायिक आधार है और वहां की क्या कानून-व्यवस्था है, लम्बा सोंच करके तब वह उद्योग की स्थापना करता है। हमारे यहां हालत क्या है मैं कुछ कहूंगा नहीं क्योंकि कानून-व्यवस्था में बहुत सारी बातें आ चुकी हैं। उद्योग बन्धु की अभी चर्चा माननीय प्रदीप जी कर रहे थे। उद्योग बन्धु की बैठक सिर्फ इसलिए होती थी जिले में कि तमाम विभागों का समन्वय हो जाए। जिलाधिकारी उसके अध्यक्ष होते हैं इसलिए बैठक होती थी एक महीने में कि तमाम विभाग बैठें और उनका समन्वय हो जाए। आज बैठक तो कभी-कभार होती है, लेकिन कोई अधिकारी नहीं आता, अधिकारी ने हल्के में बैठक को लेना शुरू कर दिया है। कभी बिजली वाला नहीं आता और कभी दूसरे विभाग का अधिकारी नहीं आता तो कहीं न कहीं कम्युनिकेशन गैप रहता है और समन्वय नहीं बन पाता है। इण्डस्ट्रियल एरिया की आज क्या हालत है, मैं शामली की बात करूं हमारे यहां का जो औद्योगिक क्षेत्र है वहां की सड़क पिछले पैंतीस सालों से नहीं बनी। मैंने डायरेक्टर, कानपुर के पास एक करोड़ आठ लाख रुपए का उसका इस्टीमेट भेजा, 6 महीने हो गये कोई जवाब नहीं, मैं समझता हूं कि उसकी कास्ट ज्यादा हो जायेगी यही जवाब आयेगा। यह हालत इस प्रदेश की है, चारों तरफ घनघोर अंधेरा है, उस दिये का प्रदेश को इन्तजार है, वह दिया जलना चाहिए, वह दिया जलेगा तभी प्रदेश का नौजवान, छात्र और यहां का उद्योगपति प्रसन्न रहेगा, यह प्रदेश आगे आयेगा।

माना अंधेरा बड़ा घना है, पर दीप जलाना कहां मना है।

*श्री सुरेश बंसल-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे उद्योग विभाग पर प्रस्तुत कटौती पर बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद्। माननीय अध्यक्ष जी, यह सत्य है कि उद्योग के बिना प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। इण्डस्ट्री लगनी चाहिए, इससे आय के साधन बढ़ते हैं, रेवेन्यू आता है और रोजगार मिलता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं गाजियाबाद से आता हूं, गाजियाबाद की पहचान कभी उत्तर प्रदेश के दूसरे बड़े औद्योगिक नगरों में होती थी पर आज वहां का माहौल बहुत खराब है, अधिकांश इण्डस्ट्री बन्द हो गई हैं या दूसरे प्रदेश में चली गई हैं। मेरे बराबर में बुलन्दशहर जनपद है। वहां पर 1974 में सिकन्दराबाद इण्डिस्ट्रयल एरिया बना था वहां पर सैकड़ों बड़े उद्योग लगे थे पर आज उनकी भी हालत खराब है, बहुत सारे उद्योग बंद हैं। हमारे बराबर के जिले गौतमबुद्ध नगर में, ग्रेटर नोयड़ा में, सूरजपुर में, डी0सी0एम0 देबू की फैक्टरी लगी थी, बहुत बड़ी फैक्टरी थी, कई सौ बीघे जमीन में वह लगी थी, दसों हजार कर्मचारी उसमें काम करते थे, 15 वर्ष से वह फैक्टरी भी बंद है, वह फैक्टरी कार बनाती थी। आज उसके जो कर्मचारी हैं वह मारे-मारे फिर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा यह सुझाव है कि माननीय मंत्री जी इनकी जांच करायें। यह जो इण्डिस्ट्रयल एरिया है, जो यह फैक्टरी बंद हुई है इसके पीछे क्या वजह है ? अध्यक्ष जी, मेरा यह मानना है, आज चायना ने हमारा जो बिजली उद्योग है उसको पीछे कर दिया है, वहां से जो खुला व्यापार है, वहां से जो सामान आता है वह हमारे देश और प्रदेश में बनने वाले सामान के मुकाबले बहुत सस्ता है। इसलिए हमारी यह इण्डस्ट्री फेल हो

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रही है। मेरा यह सुझाव है, मैं यह चाहता हूं कि हम यह सोचें कि इण्डस्ट्री कैसे आयें, इसके लिए सबसे जरूरी है कि उनको चौबीसों घण्टे बिजली मिले, उनको सस्ते लोन मिले, उनको सेल्स टैक्स वगैरह में सब्सिड़ी मिले और सबसे ज्यादा जरूरी है कि वह है कानून-व्यवस्था। हमें यह विश्वास दिलाना पड़ेगा निवेशकों में कि आप आईये, यहां पर आपकी पूरी सुरक्षा है। जहां तक आप कहते हैं कि सड़कें बढ़िया बनायी हैं, गाजियाबाद में वह कम्पाउण्ड है जिसमें इण्डस्ट्री लगी हुई है। मैंने पिछले साल भी नियम 301 में सवाल डाला था उसकी सड़क बहुत जर्जर है, अध्यक्ष जी वह सड़क आज तक नहीं बनी है। मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा कि उस कम्पाउण्ड में जिसमें सैकड़ों छोटी-छोटी इण्डस्ट्री हैं, उसकी सड़क बननी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

दलवीर सिंह जी आप तो अभी बोल चुके हैं।

श्री दलवीर सिंह-

मोदी मिल, गाजियाबाद की बहुत बड़ी समस्या है हमारी तरफ से श्री सुदेश शर्मा जी विस्तार से उस पर बोलेंगे।

श्री सुदेश शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, उद्योग के इस बजट पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं मोदी नगर विधान सभा से चुन करके आता हूं। अब से चंद दिन पहले मोदी नगर के उद्योगों की बात यहां पर उठी थी और मैं बताना चाहता हूं कि मोदी नगर अभी माननीय बंसल जी ने बताया कि गाजियाबाद औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता था। मैं कहना चाहता हूं इस सदन में अगर गाजियाबाद उद्योग नगरी के नाम से जाना जाता था तो उसमें केवल मोदी नगर एक ऐसा शहर था जिसकी वजह से पूरा जिला औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता था। मोदी नगर के अंदर स्थित मोदी कपड़ा मिल जिसमें 20 हजार मजदूर काम करता था, आज वह मजदूर घर से बेघर हो चुका है। वहां के मजदूरों का आज तक भुगतान नहीं हुआ। मेरे विचार से यह उत्तर प्रदेश में नहीं हिन्दुस्तान का पहला ऐसा उदाहरण है कि जहां का मिल बंद होने के बावजूद भी आज बीस वर्षों से वहां के मजदूरों का भुगतान नहीं किया गया। मान्यवर, वहां इतनी ज्यादतियां हुईं उन मोदियों के द्वारा कि वहां के मजदूरों को जिंदा वहां के ब्यालरों में झुकवा दिया गया और उन मिलों को बंद करके जो मालिक हैं आज भी उस परिसर में स्कूल और कॉलेज खोल रखे हैं, अपने धंधे खोल रखे हैं, अवैध रूप से कॉलेज चला रखे हैं और उनसे आज भी वह धन कमा रहे हैं लेकिन वहां का मजदूर आज ठेला लगाने के लिए मजबूर है। (श्री अम्बिका चौधरी जी ने अपने आसन पर बैठे हुए कहा कि श्रम विभाग का बजट कल है) मंत्री जी, मैं उद्योग विभाग के बजट की ही बात कर रहा हूं। जब आप उद्योग का बजट रख रहे हैं तो आपने मोदी नगर जैसे औद्योगिक शहर को कैसे आपने बजट में नहीं रखा, उस पर कोई चर्चा नहीं की ? वहां पर मोदी स्टील फैक्टरी के नाम से थी, उसमें 10 हजार मजदूर काम करता था, वह बंद कर दिया गया। एक दूसरी फैक्टरी थी मोदी पॉन लिमिटेड उसमें 8 हजार मजदूर काम करते थे वह बंद कर दी गई। इसका इसलिए इससे बहुत बड़ा रिश्ता है कि यह जो जमीनें थी उन मोदियों ने इण्टस्ट्रीज लगाने के लिए सरकारों से एक-एक रुपये में जमीनें ली गयी थी। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने उस दिन कहा था कि चिंता मत करो, माल बहुत है

अभी, जमीनें पड़ी हुई हैं, मजदूरों का अहित होने नहीं दिया जायेगा। मान्यवर, यह खबर अखबारों में छपी थी, माननीय मंत्री जी का बयान अखबार में छपा था। मैं बताना चाहता हूं कि इस सरकार के प्रति वहां के लोगों ने खुशी जाहिर की थी, वहां के मजदूरों में एक सम्भावना जगी थी लेकिन बड़ी निराशा के साथ कहना पड़ रहा है कि जब आज यहां पर इस बजट की चर्चा हुई है तो उसमें मोदीनगर की कोई चर्चा नहीं हुई। मोदीनगर जो एक औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता था। जहां पर 40 हजार से 50 हजार मजदूर काम करते थे, उनकी सुधि ही नहीं ले रहे हैं और आप उद्योगों को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं।

मान्यवर, जहां तक उद्योगों को बढ़ावा देने की बात है, अभी माननीय सदस्य ने कहा कानून व्यवस्था, सड़क की बात। देखिये जो बात सही है उसको मैं पूरे सदन के सामने स्वीकार करने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। कानून-व्यवस्था, यह भी एक व्यवस्था के अन्दर आता है और इसमें निश्चित रूप से पहले से परिवर्तन हुआ है और परिवर्तन यह हुआ है कि आज इस प्रदेश का मुख्य मंत्री चाहे वह पक्ष के सदस्य हों या विपक्ष के सदस्य हों, सबसे खुले मन से मिलता है, उनकी बात सुनने का काम करता है। (मेजें थपथपाई गईं) यह व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है और यह कहने में कोई परहेज नहीं। हमने सुना है कि अब से पहले जो मुख्य मंत्री थे उनके दर्शन नहीं होते थे और वो सड़कें भी बंद हो जाती थीं, वहां कोई परिन्दा पर नहीं मार सकता था, मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इसी तरीके से, जिस तरीके से माननीय संसदीय कार्य मंत्री मेहनत करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, आपके मंत्रि-मंडल में बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, बड़े विद्वान हैं, बड़ी ईमानदारी से उन्होंने एक काम करना चाहा कि इस बार ट्रांसफरों में रिश्वत नहीं ली गई तो पूरे सदन के सदस्यों ने उनके कार्य को सराहा है और पूरा प्रदेश सराह रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि हम सड़क के आदमी हैं, हम सड़कों पर राजनीति करते हैं। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि बड़ा दुःखद विषय है कि आज जहां मोदीनगर में बेरोजगारों का इतना बडा जमावड़ा है। हम क्या मुंह ले करके जायेंगे। इतने दिन सदन चला, मैं आपसे भी अनुरोध कर रहा हूं कि अगर नियम-51 लगाता हूं तो उसमें भी मोदी कपड़ा मिल और मोदी स्टील लगाता हूं और मैं माननीय अध्यक्ष जी कह देना चाहता हूं कि आज उन जमीनों को बेचने की तैयारी चल रही है माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जो आप कह रहे हैं कि माल सुरक्षित है। माल सुरक्षित नहीं रह गया है, धीरे-धीरे उन मकानों को बेचा जा रहा है, उन जमीनों को बेचा जा रहा है और यदि साल छः महीने सुध नहीं ली गई तो फिर सरकार के पास कोई ऐसा बजट नहीं होगा कि जिससे मजदूरों..

श्री मोहम्मद आज़म खां-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अभी अपने साथी राजस्व मंत्री जी से बात कर रहा था, जिन्होंने यह बजट रखा है। मैं इस सिलसिले में यह चाहूंगा कि बजट और कटौती अपनी जगह है। ऐसे तमाम जिले जहां बड़े-बड़े उद्योग लगे जैसे कानपुर है, इलाहाबाद है, मोदीनगर है, इनमें बड़ी इन्डस्ट्रीज थीं और यह सब बंद हैं। हमारे यहां भी मोदी का छोटा कारखाना है, लेकिन बहुत बड़ी जमीन है और उस जमीन का इस्तेमाल भी नहीं हो रहा है। मजदूरों का पैसा है, उनकी कालोनीज हैं, फैक्ट्री का रॉ मैटीरियल है। बहुत बड़ी दौलत वहां पर है या तो यह चलें या इस पर सरकार कोई निर्णय ले। सरकार निर्णय ले उसमें, आपकी मौजूदगी में, मैं कोशिश करूंगा अम्बिका जी रहें, उन जिलों के

विधायकगण रहें और स्वंय मुख्य मंत्री जी रहें और आपकी सरपरस्ती हो तो इसमें कोई रास्ता निकलना चाहिए। (मेजें थपथपाई गईं)

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

श्री सुदेश शर्मा-

मान्यवर, बस एक बात और कह कर मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करते हुए यह भी कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी चन्द रोज पहले भी और आज भी गैलरी में आते समय कहा था कि शर्मा जी, हम उस पर होली के बाद मीटिंग बुला रहे हैं। मैं उनका इस सदन में धन्यवाद करना चाहता हूं कि वह निश्चित रूप से इसके लिये चिन्तित हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, कि यह चिन्ता जब तक उन मजदूरों की समस्या का निराकरण न हो जाय, यह चिन्ता जारी रहनी चाहिए, यह चिन्ता बरकरार रहनी चाहिए। और कह देना चाहता हूं बड़े निष्पक्ष रूप से कि मैं कोई निजी स्वार्थ में यह बात नहीं कह रहा हूं। मान्यवर, चाहे इस सदन से हमारा इस्तीफा ले लिया जाय, हमारी सेलरी न दी जाय केवल इस समस्या का निराकरण यदि करा दिया जाय तो इस सरकार का एक बहुत बड़ा संदेश इस पूरे प्रदेश में जायेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(माननीय सदस्य श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी, श्री उपेन्द्र तिवारी के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय माथुर साहब, अब खत्म। सभी दलों से एक-एक सदस्य बोल चुके हैं। आप लोग लिखकर दे दो हम जुड़वा लेंगे।

श्री उपेन्द्र तिवारी-

मान्यवर, दो मिनट का समय दीजिये। पूर्वांचल के सदस्यों को भी मौका मिलना चाहिए। पूर्वांचल से सबसे ज्यादा विधायक चुनकर आते हैं। पूर्वांचल के 5 मंत्री जी बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष-

अभी आप राजस्व पर बोले हैं क्या सारे विषय पर बोलेंगे ? माथुर साहब आप बोलिये, इनकी तो आदत है, यह ऐसे ही बोलते रहेंगे।

(मा0 बिमला सिंह सोलंकी और उपेन्द्र तिवारी जी के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

सोलंकी जी आप लिखकर दे दें।

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

एक मिनट बुलवा लें।

श्री उपेन्द्र तिवारी-

बलिया के बारे में कहना चाहता हूं। पूर्वांचल का कोई नहीं बोला है।

श्री अध्यक्ष-

आप ही बलिया नहीं जानते हैं दो-दो मंत्री बलिया जानते हैं। लिखकर दे दो। प्रोसीडिंग में सुबह जुड़कर मिल जाएगा।

माथुर साहब आप बोलेंगे। आप अपना वापस ले रहे हैं कटौती का प्रस्ताव।

सोलंकी जी बैठो। यह लोग मानने वाले नहीं हैं आप लिखकर दे दो।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, कटौती प्रस्ताव रखने के बावजूद भी...

श्री अध्यक्ष-

बैठिए आप लोग।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, कटौती का प्रस्ताव रखने के बावजूद भी हम यह उम्मीद करते हैं कि वर्तमान सरकार पूरे प्रदेश को सम दृष्टि से देखते हुए, औद्योगिक विकास की बात करेगी और औद्योगिक विकास के लिए आपको एक माहौल बनाना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष-

सोलंकी जी, बैठ जाओ, मंत्री जी बोल लें तो बोल लेना।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, मा0 मुख्य मंत्री जी ने शुरूवात की है खासतौर से प्रदेश में जो रुग्ण पड़ी हुई इकाइयां हैं उसके लिए जैसा मैंने आपको सुझाव दिया कि जहां इन्ड्रस्टियल एरियाज हैं वहां के संबंधित विधायक हैं उनको लेकर इस तरह की कमेटियां गठित कर दी जाएं जो शासन को रिपोर्ट दें कि उन इन्ड्रस्टियल एरियाज का क्या हाल है। हमने आपसे यही गुजारिश की है कि आप दो पालिसी बनाईए। वह पालिसी बनाईए एक शार्ट टर्म पालिसी, एक लॉग टर्म पालिसी, रुग्ण पड़ी इकाइयों को कैसे ठीक किया जाए और नये उद्योगों को कैसे लाया जाए तो मान्यवर, मुझे उम्मीद है, और जहां तक इंस्ट्राफ्रक्चर का प्रश्न है इसमें तमाम समझौते किए हैं। मेरी मांग यह है कि आगरा और मथुरा के बीच में इण्टरनेशनल एयरपोर्ट की बात जो आई है मुख्य मंत्री जी ने जो सपना दिखाया है जल्दी बनवायें। इसी के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं। (शोर)

डा0 धर्म सिंह सैनी-

एक स्पष्टीकरण पूछना चाहता हूं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं दो बातों के लिए, अभी माथुर साहब ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, इस पर राणा साहब ने बंसल जी ने शर्मा जी ने और अंत में तिवारी जी ने जो सुझाव दिए हैं उसके लिए मैं मान्यवर इन सबका धन्यवाद देता हूं और मान्यवर जो बातें माथुर साहब ने कहीं हैं। मुख्य रूप से एक बात उन्होंने कानून व्यवस्था के बारे में कही, मैं कानून व्यवस्था के बारे में, मैं आज कोई उत्तर देना अलग जरूरी नहीं समझता हूं सिवाए उनको एक वाक्य कहने के, कि कानून व्यवस्था को ठीक करना,

प्रदेश में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सम्पूर्ण रूप से माहौल बनाना, कैसे उद्यमी आएं इसके लिए अपनी नीतियों में स्पष्ट उसका प्राविधान करना, और नीतियों को लागू करने के लिए बजट के प्रॉविजन्स बनाना, हमारी प्राथमिकता है और हमने एक चीज करके नहीं छोड़ दिया है। हमने उसके सपोटिंग सिस्टम के लिए ए टू जेड जितनी चीजें हमें करनी चाहिए उन सब चीजों को व्यवस्थित किया। लॉ एण्ड आर्डर पर मैं इस पर विस्तार से नहीं बोलूंगा क्योंकि विस्तार से उस पर चर्चा हो चुकी है। लेकिन यह बात सच है इसको स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती कि जब तक कानून व्यवस्था की स्थिति उद्यमी के अपने सुरक्षित रहे जाने का माहौल नहीं बनेगा तब तक उद्योगों का विकास कैसे हो, उद्यमी को दो बातों का भरोसा होना चाहिए, एक तो यह है कि वह जो पैसा लगा रहा है उसको मुनाफा कमाने के अवसर होंगे जायज तरीके से, और दूसरा जो वह मुनाफा कमायेगा उसके साथ उसका धन और उसका जन यह दोनों सुरक्षित रहेंगे। वह दोनों अगर नहीं रहेंगे तो उद्यमिता के लिए कोई बात करने जाए वह सफल नहीं होगा। लेकिन उसके लिए सरकार ने सारे इन्तजामात किए हैं और हमारी नोटिस में ही यह बात नहीं है, हम सम्पूर्ण रूप से इस पर सतर्क हैं। अब कहां कमी है, कैसे वह कमी दूर होगी, इस बारे में इसलिए चर्चा नहीं करूंगा कि कानून-व्यवस्था पर आगे भी चर्चा होनी है और कानून-व्यवस्था पर बहुत सारी चर्चा हो भी चुकी है। मान्यवर, इन कारणों से उसका पूरा ध्यान रखा गया है। बाकी जो बातें आपने कही हैं, शायद आपने हमारी बात गौर से सुनी नहीं या बजट के प्राविजन को ठीक से देखा नहीं। मान्यवर, हमने यह कहा कि अपनी नयी औद्योगिक नीति में वेब आधारित सिंगल टेबुल सिस्टम पर डिस्पोजल हमने रखा है। आप सीधे वेबसाइड पर आइये, अपनी बात रखिए, एक टेबुल से डिस्पोजल हो जायेगा। आपने दो-तीन बातों का उल्लेख किया कि इन्डस्ट्रियल स्टेट बड़ी बुरी हालत में है, हमने कब कहा कि अच्छी हालत में है ? आपने कहा कि उद्योग बन्द हो गए, मैंने कब कहा कि उद्योग चालू हो गए ? आपने यह कहा कि लालफीताशाही उनको बिल्कुल मार डालती है, मैंने कब कहा कि ऐसा नहीं है ? आपने कहा कि भाई-बहन के बीच इशारे होते थे और प्रदेश में गड़बड़ी हो जाती थी, मैंने कब कहा कि नहीं होते थे ? जो बातें आपने कही हैं, अगर अपने बजट भाषण में उनके विपरीत मैं कोई बात कहूं तो उसका उत्तर दूं। जो बात आप कह रहे हैं, उन बातों से हम इन्कार नहीं करते हैं लेकिन माहौल जिन कारणों से बिगड़ा हुआ है, उन्हीं कारणों को दूर करें। मान्यवर, बुखार उतारने के लिए खाली पैरासीटामॉल देंगे तो थोड़ी देर के लिए बुखार उतरेगा लेकिन अंतणी का बुखार है, टाइफाइड का तो आंत में हुए जो घाव हैं, जो फोड़े हैं, उस पस को कम करना पड़ेगा, उस घाव को ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो आंतों में छेद हो जायेगा तो हम टाइफाइड का इलाज कर रहे हैं, थोड़ा मियादी है, टाइम लगता है। इसलिए मान्यवर, आप इस मियादी बुखार में सरकार जो उपचार कर रही है, उसमें आप मदद कीजिए। एक बात आपने बहुत जोर से कही, आपको बता दूं, आपने एसीजेड की बात कही।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं, एसीजेड के जो भी प्रपोजल्स आए थे और धरातल पर नहीं उतरे हैं। एक एकड़ भी जमीन एसीजेड के नाम पर जो प्रस्ताव थे, उसमें किसी उद्यमी को देने का काम उन्होंने नहीं किया और उन सारी चीजों को सरकार बनते ही पूरी सतर्कता के साथ समाप्त कर दिया और उन जमीनों को रिस्टोर कर दिया, हम सतर्क हैं। एसीजेड के नाम पर जमीन ले करके और फिर उसके कई गुना दाम कमा करके और

किसानों का हित लूटें, यह नहीं होने जा रहा है। इसलिए एसीजेड के वह प्रस्ताव जो शक्ल अख्तियार नहीं कर सके, शर्तों को पूरा नहीं कर सके, वह हमने वापस ले लिए हैं और उन जमीनों को बिल्कुल पहले की तरह रिस्टोर कर दिया है। अब मैं कहूं तो आपको बुरा लगेगा। उद्योग कैसे पनपते हैं, मान्यवर, जब हमारा संकल्प था, इस प्रदेश को बिजली देने के लिए कि गैस आधारित दादरी प्रोजेक्ट लगे, साल भर में वह शुरू हो जाए और 3 साल के भीतर-भीतर हमारा प्रदेश बिजली के मामले में स्वावलम्बी हो जाने की स्थिति में था तो किन लोगों ने पूरी ताकत लगा करके उसको नहीं बनने दिया, अब कहूंगा तो किसी को बुरा लगेगा, इसलिए मैं कहूंगा ही नहीं। पता है, अच्छी तरह से कि उस गैस आधारित परियोजना को किस प्रकार से रोका गया कि गैस न मिल सके और उसके कारण से जो एक बड़ा औद्योगिक माहौल बन सकता था तो जो उसके अपराधी हैं, उनको मान्यवर, जनता तो दण्ड दे ही रही है लेकिन उनको यह बात भलीभांति समझ लेनी चाहिए, कटौती प्रस्ताव रख देने से यह थोड़े ही ठीक होगा। माथुर साहब मैंने कहा कि कटौती प्रस्ताव रख देने से उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं होता, प्रदेश में उद्यम और उद्योग लगाने के लिए सरकार की जो नीति है, जो उसकी कार्य-विधि है, जो उसका संकल्प है, उसकी जो कार्यवाहियां हैं, उसको सकारात्मक तरीके से लेना होगा, समर्थन करना होगा, तब जा करके होगा। मान्यवर, मोदी नगर की बात आई और किसी दूसरी जगह की भी बात आई, मैं शर्मा जी का धन्यवाद करता हूं, उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री जी का आभार भी व्यक्त किया, माननीय मुख्य मंत्री जी का उल्लेख किया लेकिन इन चीजों को जब तक सहयोगात्मक तरीके से ले करके हम नहीं चलेंगे, तब तक उद्योग का माहौल मान्यवर, उस ऊंचाई तक नहीं जा सकता, जिसकी हम कल्पना करते हैं और जिसकी इस समय प्रदेश को सर्वाधिक आवश्यकता है। इसलिए मान्यवर, जिन माननीय सदस्यगण ने इसमें भाग लिया, उनका धन्यवाद करते हुए, मैं पुनः आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमने इस प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिए सारे प्रबन्ध समुचित रूप से हों, इसीलिए यह बजट आपके सामने ले कर आये हैं। आप अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लें और सर्वसम्मति से इसे पारित करें।

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

मान्यवर, अभी जो उद्योगों के संबंध में बात हो रही थी। माननीय मंत्री जी ने एक बात कही कि हम उद्योगों को बढ़ावा देना चाहते हैं। मेरे सिकन्द्राबाद क्षेत्र में लोहे के पाइप की कई फैक्ट्रियां हैं। होता यह है कि गाजियाबाद में जो साहिबाबाद है वह पाइप की सबसे बड़ी मंडी है। सिकन्द्राबाद से साहिबाबाद जाने के लिए एक प्रतिशत इंट्री टैक्स देना पड़ता है। 4 प्रतिशत आपका वैट है उसके बाद उसे एक प्रतिशत इंट्री टैक्स देना पड़ता है। और जो गाजियाबाद में फैक्ट्रियां हैं उनको कोई इंट्री टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो इस तरीके से प्रदेश में ही भेदभाव हो रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि चाहे आप वैट में बढ़ोत्तरी करके उसे पांच प्रतिशत कर दीजिए लेकिन यह जो प्रदेश में भेदभाव हो रहा है उसको समाप्त करने की क्या आपकी कोई नीति है ?

श्री धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, इकोनामिक जोन की बात आयी है। माननीय मंत्री जी ने बताया कि सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में 13 स्पेशल इकोनामिक जोन बनाये हैं। इन्होंने कहा भी कि हम इन पर उद्योग डेवलप करेंगे। बरेली में स्पेशन इकोनामिक जोन बनाया गया है। जिसमें बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर,

लखीमपुर खीरी तक एक बेल्ट है। स्पेशल इकोनामिक जोन बनाया है। दूसरा कताई मिल के संबंध में बात आयी। मान्यवर, कताई मिल निरंतर बंद होते जा रहे हैं। सूत की उपयोगिता है। उत्तर प्रदेश में कपास की खेती करायी जाये और किसानों को कपास की खेती करने के लिए बढ़ावा देने के लिए प्रयास किये जायें। कपास को निकालने के लिए हम यहां कपास के गट्ठर भी बनावें और सूत उत्पन्न करें। इसका ध्यान रखें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री सुरेश राणा-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन फैक्ट्रियों ने मय ब्याज के अपना ऋण तो चुकता कर दिया है यदि वह जरा सा भी कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो उन्हें रोका जाता है। तो क्या सरकार उन फैक्ट्रियों को फ्री-होल्ड करने पर विचार कर रही है।

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

मान्यवर, माननीय राजस्व मंत्री जी शक्तिशाली मंत्री हैं। बलिया में कताई मिल बंद है और हजारों मजदूर बेघर हो चुके हैं और कितने तो मर चुके हैं। उस पर ध्यान दें। मेरा आग्रह है कि उस कताई मिल को चालू करायें।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, यह कुछ सुझाव आये हैं। मा0 राणा जी, मा0 धर्मपाल जी के, माननीय सदस्या जी के और मा0 रिजवी जी के भी सुझाव आये हैं। इनके अतिरिक्त भी जो सुझाव आयेंगे। यह सभी मूल्यवान सुझाव जब हमारे पास होंगे तो हम इन पर समयानुसार विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-07-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-07-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 02 अरब, 32 करोड़, 45 लाख, 79 हजार रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-08-उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-08-उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 01 अरब, 50 करोड़, 07 लाख, 75 हजार रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-04-उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-04-उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 32 करोड़, 05 लाख, 70 हजार रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-03-उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-03-उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 01 अरब, 52 करोड़, 83 लाख, 31 हजार रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[7.35] उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 के पुनः पारण का प्रस्ताव

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012, जो इस सदन द्वारा दिनांक 05 दिसम्बर, 2012 को पारित होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ पारेषित किया गया था और जो दिनांक 05 दिसम्बर, 2012 को सदन की मेज पर रखा गया था, विधान परिषद् द्वारा बिना उसके पारित हुए तीन माह से अधिक का समय व्यतीत हो गया है, जैसा कि वह इस सदन द्वारा मूलतः पारित किया गया था, को पुनः पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012, जो इस सदन द्वारा दिनांक 05 दिसम्बर, 2012 को पारित होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ

पारेषित किया गया था और जो दिनांक 05 दिसम्बर, 2012 को सदन की मेज पर रखा गया था, विधान परिषद् द्वारा बिना उसके पारित हुए तीन माह से अधिक का समय व्यतीत हो गया है, जैसा कि वह इस सदन द्वारा मूलतः पारित किया गया था, को पुनः पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[7.36] श्री लोकेश दीक्षित, स0वि0स0 के दारुलशफा स्थित आवास से गाड़ी के पहिये चोरी हो जाने विषयक सूचना

श्री लोकेश दीक्षित-

मान्यवर, हमारी सफारी गाड़ी थी एक जो दारुलशफा में खड़ी थी, चोरों द्वारा गाड़ी के पीछे से जैक लगाकर के गाड़ी के दोनों टायर उतार लिये गये और कोतवाल रिपोर्ट लिखने को तैयार नहीं, कोतवाल कहता है यहां पर गाड़ी पास अपना चौकीदार या लड़का छोड़ो । अब मुझे यह बताओ, जब विधायकों की गाड़ी के टायर सुरक्षित नहीं हैं, तो कहां उद्योग लग रहे हैं, कहां यह मामला बन रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना यह है कि उससे रिपोर्ट लिखने को कहा जाय।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, इसे दिखवा लीजिए।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

क्या पहिये उतार लिये ?

श्री लोकेश दीक्षित-

जी हां।

श्री मोहम्मद आजम खां-

वैसे यह काम किसी अपने ने ही किया है, गैर नहीं कर सकता। देखो जो ट्रेनिंग दी है, यह वही है।

श्री लोकेश दीक्षित-

अपने तो साहब आप भी हैं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

तो फिर मेरी ही रपट लिखा दो।

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्यमंत्री जी, जरा इसको दिखवा लें, इनकी रिपोर्ट लिख जाय।

[7.38] ग्रामीण अभियंत्रण सेवा राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह राणा) द्वारा नेता प्रतिपक्ष को कथित उपहार भेंट करने का अनुरोध

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

मान्यवर, समाजवादी पार्टी की सरकार को एक साल होने जा रहा है और इस सदन की गरिमा और उच्च परम्परायें बहाल हुई हैं, लोकतंत्र के मूल्य बहाल हुए हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार के लोग विश्वास करते हैं और मैं यह भी कहना चाहूंगा आपसे आप मुझे आधा मिनट का

समय दे दीजिये तो मैं अपनी बात खत्म करूं। मा0 नेता प्रतिपक्ष जी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और प्रदेश के युवाओं का, गरीबों का, किसानों का, मजलूमों का, मजदूरों का एक सपना, एक संकल्प जो हमारी सरकार ने लिया था, उनके उत्थान का और मा0 नेता प्रतिपक्ष द्वारा बार-बार सदन में चाहे महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण हो, चाहे बजट की चर्चा हो। बार-बार यह उद्धृत किया गया कि सरकार का बजट कोरा कागज है, खिलौना है, झुनझुना है तो उसी के परिप्रेक्ष्य में विनम्रतापूर्वक सदन के समक्ष, मा0 पीठ के समक्ष, आपसे आदेश चाहता हूं, आपकी अनुज्ञा चाहता हूं कि मैं मा0 नेता प्रतिपक्ष को बहुत ही खूबसूरत इस सरकार के संकल्पों का इस सरकार के ऊर्जावान मुख्य मंत्री की तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से जो ये कथित झुनझुना बताते थे। मैं इनको विनम्रतापूर्वक भेंट करना चाहता हूं और इस शेर के साथ कि....

भेजा है तोहफा अपनी मोहब्बत का संभाल कर रखना,
ये खजाना है हमारे सपनों का, संकल्पों का,
नादान बनकर झुनझुना समझकर तोड़ मत देना इसको,
कहीं टूट कर बिखर न जाये सपना हमारे अरमानों का।

और मान्यवर, प्रदेश की जनता की तरफ से, प्रदेश के लोगों की तरफ से एक उपहार और देना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष-

सदन में उपहार नहीं दिया जाता है, आप उनके चैम्बर में जा करके दीजिये।

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

मान्यवर, मैं चाहूंगा कि मा0 नेता प्रतिपक्ष को कि वो उदारतापूर्वक उसको ले लें। सदन की तरफ से देना चाहता हूं।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मा0 अध्यक्ष जी, अगर मैं कहूं कि सरकार के सारे के सारे वायदे झुनझुने हैं लेकिन ये क्यों कर रहे हैं, ये तो मा0 मंत्री हैं। इनको तो कम से कम झुनझुना नहीं कहना चाहिये।

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

आपका झुनझुना है। आप ले लीजिये।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

अच्छा, इसमें क्या परेशानी है ? अगर नेता प्रतिपक्ष वो झुनझुना नहीं ले रहे हैं तो मुझको दे दीजिये। मैं बजाता रहूंगा।

श्री अध्यक्ष-

देखिये, स्थल न उपहार देने का है, न उपहार लेने का है।

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

मैंने तो आपसे अनुमति ली है। मान्यवर, मैं दे दूं।

श्री अध्यक्ष-

अच्छा जो कुछ है मेरी मेज पर जमा कर दीजिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, अगर ये कोई भी चीज आपके समक्ष भेंट देते हैं तो पूरे सदन के सभी मा0 सदस्यों को वही चीज देनी पड़ेगी।

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

मान्यवर, कम से कम स्वीकार तो कर लें। मान्यवर, बस एक छोटा सा उपहार इस शेर के रूप में और है। ये महाकवि अदम गोंडवी साहब का है। अदम गोंडवी बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार हुये हैं उन्होंने लिखा है कि...

तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी था,
मगर थे आंकड़े फर्जी और वो दावा किताबी था।

श्री अध्यक्ष-

मुझे आश्चर्य है कि आप सब लोग मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं। क्या मैं चला जाऊं, बन्द कर दूं। इस सदन में कुछ गंभीरता तो रखिये। ये सदन प्रदर्शन स्थल नहीं है। यहां न तो किसी को उपहार दिया जाता है न लिया जाता है। आपने घोषणा कर दी, यहां पहुंचा दी। मैं उन तक पहुंचवा दूंगा। ये बात हो गयी और अलग से बात नहीं की जा सकती।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

लेकिन मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं कि यदि कोई भी भेंट जो भी मा0 मंत्री जी आपके माध्यम से देना चाहते हैं। ये मुझे कतई स्वीकार नहीं है जब तक कि सदन के सभी मा0 सदस्यों को वो प्राप्त नहीं हो जाती, मिल नहीं जाती, तब तक मैं उसे स्वीकार करने वाला नहीं हूं।

(श्री राजेन्द्र सिंह राणा के पुनः खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात आ गई। अब आप फिर उठ खड़े हुये।

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

मा0 अध्यक्ष जी, दिल तो मेरा इन पर आया है। मेरा दिल तो इन पर आया है न।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं बंद कर दूंगा और चला जाऊंगा। हम बता रहे हैं।

[7.41] नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 13 मार्च, 2013 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 55 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें पहली सूचना साध्वी निरंजन ज्योति की जनपद उन्नाव के प्रारम्भिक कृषि सहकारी समिति करनईपुर के किसानों द्वारा अदा की गई ऋण की धनराशि को समिति के सचिव द्वारा गबन किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। दूसरी सूचना ठा0 दलवीर सिंह की जनपद आगरा स्थित डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में स्नातक व स्नातकोत्तर की परीक्षा के मूल्यांकन

पद्धति से छात्र-छात्राओं में व्याप्त आक्रोश से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। तीसरी सूचना श्री रामवीर उपाध्याय की प्रदेश में अन्य जनपदों के अतिरिक्त अलीगढ़ व आगरा मण्डल के गरीबों को वितरित किये जाने वाले सरकारी मिट्टी के तेल की हो रही कालाबाजारी एवं पेट्रोल व डीजल में मिलाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। चौथी सूचना श्री राजबली जैसल की उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम में कार्यरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उप अभियन्ताओं की ज्येष्ठता सूची बनाये रखने के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। पांचवीं सूचना श्री राजनारायण बुधौलिया की जनपद महोबा में पावर लाइन के विद्युतीकरण में किसानों की तैयार फसलों को उजाड़े जाने एवं पीड़ित किसानों को मुआवजा न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। छठी सूचना श्री जगन प्रसाद गर्ग की जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड अखण्डनगर के ग्राम पंचायत पाराबासूपुर में 2005-06 से 2010-11 तक विकास कार्यों हेतु प्राप्त धन की अनियमितता में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। सातवीं सूचना श्री संजय प्रताप जायसवाल की जनपद बस्ती स्थित कुआनो नदी को जल प्रदूषण से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। आठवीं सूचना श्री विशम्भर सिंह की जनपद बांदा के अतर्रा तहसील के मध्य गडरा से हस्तम तक सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। नवीं सूचना श्री धर्मपाल सिंह की बरेली के ग्राम नसरतगंज निवासी श्री दाताराम की भैंस की बिजली के तार से हुई मौत के उपरान्त उसके परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। दसवीं सूचना श्री राजेन्द्र उर्फ बृजेश सिंह की जनपद गोरखपुर के सहजनवां क्षेत्रान्तर्गत अनुसूचित जाति की बस्तियों में विद्युतीकरण हेतु ट्रांसफार्मर व विद्युत तार लगाये जाने के सम्बन्ध में शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। ग्यारहवीं सूचना श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत की जनपद-झांसी के बबीना क्षेत्रान्तर्गत कतिपय ग्रामों/मजरों में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। बारहवीं सूचना श्री बब्बन सिंह चौहान की जनपद-चन्दौली के मुगलसराय क्षेत्रान्तर्गत सिंचाई विभाग द्वारा नहर एवं माइनरों की सफाई में घोर अनियमितता बरते जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गईं :-

1-श्री राजेश यादव,

2-श्री सुदेश शर्मा,

3-श्री रघुराज सिंह शाक्य,

4-श्री भीम प्रसाद सोनकर,

5-श्रीमती विमला सिंह सोलंकी,

6-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल,

7-श्री रामचन्द्र यादव,

8-श्री रोमी साहनी,

9-श्री बृजेश कुमार,

10-डा0 धर्म सिंह सैनी,

11-श्री उमेश पाण्डेय,

12-श्री जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी,

13-श्री राकेश बाबू,

14-श्री संजय कपूर,

15-श्री आलम बदी,

16-श्री जय प्रकाश अंचल,

17-श्री अमरपाल शर्मा,

18-श्री रणजीत सुमन,

19-श्री रामहेत भारती,

20-डा0 रमेश चन्द्र बिन्द,

21-श्री पूरन प्रकाश,

22-श्री गेंदालाल चौधरी,

23-डा0 अरुण कुमार,

24-श्री सलिल बिश्नोई,

25-श्री अजय मिश्र 'टेनी',

26-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया,

27-श्री विजय बहादुर यादव,

28-श्री सुरेश कुमार खन्ना,

29-श्री काली चरन सुमन,

30-श्री मदन चौहान,

31-श्री प्रदीप माथुर,

32-श्री प्रमोद तिवारी,

33-श्री राधेश्याम सिंह,

34-श्री केशव प्रसाद मौर्य,

35-श्री सुरेश बंसल,

36-श्री जय प्रकाश निषाद,

37-श्री रोशन लाल वर्मा,

38-श्री अनीसुर्रहमान,

39-श्री संगीत सिंह सोम,

40-श्री शारदा प्रताप शुक्ला,

41-श्री उमाशंकर सिंह,

42-श्री सतीश महाना तथा

43-श्री सन्त प्रसाद कुशवाहा।

उ0 प्र0 नगर भूमि सीमा रोपण निदेशालय जवाहर भवन, लखनऊ में कार्यरत सहायक अभियन्ता/कार्यालय अधीक्षकों को ए0सी0पी0 का लाभ न दिये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती रजनी तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

मा0 रजनी जी हैं, नहीं हैं। इसे पढ़ने की जरूरत नहीं।

जनपद बहराइच के विकास खण्ड शिवपुर अन्तर्गत सड़कों का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती माधुरी वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

श्रीमती माधुरी वर्मा जी हैं, नहीं हैं। इसे पढ़ने की जरूरत नहीं।

जनपद फतेहपुर के ग्राम कारीकान धाता के भैरव प्रसाद चौरसिया की 15 वर्षीय पुत्री अंशु देवी के लापता होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री संत राम कुशवाहा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष-

मा0 संत राम कुशवाहा जी हैं ?

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

प्रश्नगत प्रकरण में पुलिस...

राजस्व, अभाव सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[अधीक्षक, फतेहपुर से प्राप्त आख्या के आधार पर अवगत कराना है कि दिनांक 27-3-2012 को वादिनी श्रीमती ऊषा देवी पत्नी श्री भैरव प्रसाद चौरसिया निवासिनी-ग्राम कारीकान

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

धाता, थाना-धाता, जनपद-फतेहपुर ने स्थानीय थाने पर सूचना दिया कि दिनांक 27-3-2012 को प्रातः 6.30 बजे उसकी पुत्री कु0 अंशू देवी उम्र करीब 15 वर्ष हाई स्कूल की परीक्षा देने धाता इण्टर कालेज गयी थी तब से घर वापस नहीं आयी है। इस सूचना पर थाने पर गुमशुदगी दर्ज करते हुये गुमशुदा की खोजबीन हेतु हर सम्भव प्रयास किये गये। इसी दौरान वादिनी द्वारा अगवत कराया गया कि धाता का ही कोई लड़का उसकी पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले गया है। इस पर दिनांक 8-8-2012 को उक्त गुमशुदगी को मु0अ0सं0-71/2012 धारा 363/366 भा0दि0वि0 में तरमीम करते हुये बनाम अज्ञात अभियोग पंजीकृत किया गया और इसकी विवेचना सर्वप्रथम उप निरीक्षक श्री बड़ेलाल यादव द्वारा ग्रहण की गयी और तदोपरान्त यह विवेचना तत्कालीन थानाध्यक्ष धाता श्री राकेश कुमार सरोज तथा उनके स्थानान्तरण के पश्चात् वर्तमान थानाध्यक्ष धाता श्री भानुप्रताप सिंह द्वारा की जा रही है।

प्रश्नगत अभियोग की आरम्भिक विवेचना के दौरान वादिनी द्वारा बताया गया कि बबलू पंडित पुत्र त्रिभुवन नाथ उसके घर आता जाता था और इसी पर शक व्यक्त किया गया। वादिनी के पुत्र द्वारा विवेचक को यह बताया गया कि उसकी अपहृता बहन अंशू ने उसके बहनोई नरेन्द्र कुमार को एक रजिस्टर्ड पत्र भेजा है जिसमें अंकित है कि वह स्कूल पढ़ने जा रही थी तो उसके गांव का राज नारायण और मोहन पुत्र दुखी तथा उसका एक साथी उसे नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश करके टेम्पों से ले गये और इस समय वह कभी इचौली तो कभी मऊ में रह रहे हैं। साथ ही उसके मोबाइल पर मोबाइल संख्या-9807201946 व 8858606307 से फोन आता था और कहा जाता था कि उसका रिश्तेदार बनने वाला है और गाली-गलौच भी किया जाता था। अपहृत के भाई द्वारा जिन उपरोक्त व्यक्तियों पर शक किया गया उसमें सघन पूछताछ की गयी, किन्तु उनसे कोई उल्लेखनीय/सार्थक तथ्य प्रकाश में नहीं आये।

उल्लेखनीय है कि इस अज्ञात घटना के बारे में स्थानीय पुलिस द्वारा अब तक किये गये गम्भीर प्रयास से विनय कुमार उर्फ बबलू पाण्डेय पुत्र त्रिभुवन नाथ पाण्डेय, निवासी-कारीकान, थाना-धाता, जनपद-फतेहपुर व रज्जन त्रिपाठी पुत्र स्व0 इन्द्रपाल त्रिपाठी निवासी-ग्राम जोरावरपुर, थाना-कमासिन, जनपद-बांदा का नाम प्रकाश में आया है, जिनका मा0 न्यायालय से गिरफ्तारी का अधिपत्र प्राप्त किया गया और मा0 न्यायालय से धारा 82 द0प्र0सं0 का आदेश प्राप्त करके अनुपालन किया गया है।

जहां तक दिनांक 1-2-2013 व 7-3-2013 को मोबाइल नं0 8960152878 से वार्ता किये जाने का बिन्दु है, के बारे में विवेचक द्वारा इस नम्बर की आई0डी0 व काल डिटेल प्राप्त की गयी किन्तु सत्यापन से इसका आई0डी0 गलत पाया गया और काल डिटेल रिपोर्ट के माध्यम से जिन अन्य मोबाइल नम्बर्स-8400976267 एवं 7275347277 पर उक्त मोबाइल नम्बर से वार्ता की गयी है उनसे बात की गयी किन्तु कोई लाभपद्र तथ्य संकलित नहीं हो पाये हैं। इन मोबाइल नम्बर्स की भी आई0डी0 प्राप्त करके उनके उपभोक्ताओं का पता लगाया जा रहा है। साथ ही विभिन्न टीमों का गठन करके सभी संभावित स्थानों पर दविश देकर अपहृता की यथाशीघ्र बरामदगी एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिये गम्भीर प्रयास किये जा रहे हैं। इस घटना को लेकर क्षेत्र में कोई तनाव अथवा आक्रोश नहीं है, फिर भी इस ओर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य श्री संतराम कुशवाहा जी के सूचना पर मैं केवल मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं, चूंकि इस प्रकरण में करीब एक महीने से वह लड़की गायब है, अपहरण हुआ है और मोबाइल से एक नहीं अनेकों बार उससे वार्ता हो चुकी है, तो मैं केवल यह चाहता हूं कि कब तक और जितनी जल्दी उस लड़की जिसका अपहरण हुआ है उसकी बरामदगी सुनिश्चित करायेंगे और अपहरणकर्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली के ग्राम नरखोरिया में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं के लिए खरीदे गये रजाई, गद्दे में बरती गई अनियिमतता की जांच छात्रों के भविष्य को हित में रखते हुए अन्य एजेन्सी से कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय प्रताप जायसवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मा0 सदस्य द्वारा अपनी सूचना में उल्लेख.....

राजस्व, अभाव सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[किया गया है कि जनपद-बस्ती में विधान सभा रूधौली के ग्राम नरखोरिया में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं के लिये रजाई, गद्दे की वित्तीय वर्ष 2012-13 में खरीद की गयी। तत्कालीन जिलाधिकारी, बस्ती के औचक निरीक्षक में रजाई गद्दे के रूई के स्थान पर घास फूस एवं कागज के गत्ते की शिकायत पायी गयी। जिस पर तत्कालीन जिलाधिकारी मधुशालिनी जी ने सी0डी0ओ0 बस्ती की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित कर जांच कराने के लिये निदेशित किया। जांच कमेटी ने जिला समन्वयक सुमन रानी मिश्रा को भी सदस्य बनाया गया। जबकि उक्त रजाई गद्दे की खरीद जिला समन्वयक सुमन रानी मिश्रा की ही देख-रेख में की गयी थी। लेकिन जांच में सुमन रानी मिश्रा के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी। दूसरी घटना उसी विद्यालय पर 16 वर्ष से 18 वर्ष तक तमाम छात्राओं के द्वारा विद्यालय की वार्डेन/अध्यापिकाओं पर देह शोषण के लिये उकसाने का आरोप भी लगाया गया जिसका दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल से लेकर अन्य सारे चैनलों ने अपने-अपने चैनलों में प्रसारित किया। वर्तमान जिलाधिकारी द्वारा आरोप की सत्यता की जांच हेतु जांच कमेटी गठित करने के लिये बी0एस0ए0 को निर्देशित किया। जांच कमेटी में दो खण्ड शिक्षा अधिकारी श्री राम सुयश वर्मा तथा घनश्याम वर्मा के अलावा जिला समन्वयक सुमनरानी मिश्रा को भी सदस्य बनाया गया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सुमनरानी मिश्रा के जांच कमेटी में होने के कारण छात्राओं के द्वारा लगाये गये गम्भीर आरोपों की निष्पक्ष जांच होने में सन्देह है। क्योंकि विद्यालय का संचालन व देख-रेख जिला समन्वयक सुमनरानी मिश्रा की देख-रेख में ही होता है। इस कारण सुमनरानी मिश्रा को आरोप से बरी नहीं किया जा सकता।

घटना की निष्पक्ष जांच हेतु विभाग के अलावा अन्य एजेन्सी से कराया जाना छात्राओं के भविष्य हित में अत्यन्त आवश्यक है।

मा0 सदस्य द्वारा लोक महत्व के इस अविलम्बनीय गम्भीर प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये वक्तव्य की मांग की गयी।

वक्तव्य-

मा0 सदस्य द्वारा दी गयी उक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि-

जनपद बस्ती में संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, विधान सभा क्षेत्र रूधौली, ग्राम नरखोरिया के औचक निरीक्षण में जिलाधिकारी द्वारा बालिकाओं के लिये आपूर्ति किये गये रजाई-गद्दे में रूई के स्थान पर घास-फूस एवं गत्ते की शिकायत पाये जाने पर जिलाधिकारी द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला समन्वयक, बालिका शिक्षा की एक त्रिस्तरीय जांच समिति बनायी गयी। जांच समिति द्वारा अधोमानक बेडिंग के अनियमित भुगतान हेतु तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं श्री मनोज कुमार, सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी, बस्ती को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया। जिलाधिकारी, बस्ती की संस्तुति एवं जांच समिति की आख्या पत्रांक-19636-37 दिनांक 04-02-2013 द्वारा प्राप्त हुई है।

जिलाधिकारी द्वारा दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही एवं अनियमित भुगतान की वसूली के साथ-साथ श्री मनोज कुमार, सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी (एस0एस0ए0) बस्ती को अन्य जनपद में स्थानान्तरण की संस्तुति की गयी। तत्क्रम में राज्य परियोजना कार्यालय के पत्र दिनांक 08 मार्च, 2013 द्वार श्री मनोज कुमार, सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी, बस्ती का स्थानान्तरण जनपद सिद्धार्थनगर में कर दिया गया है तथा दोषियों के विरुद्ध अग्रेतर अनुशानात्मक कार्यवाही की जा रही है।

दूसरा बिन्दु यह है कि तमाम छात्राओं द्वारा विद्यालय की वार्डेन तथा अध्यापिकाओं पर अवांछनीय शोषण (कथित देह व्यापार) की शिकायत की गयी है। जिला समन्वयक, श्रीमती सुमन रानी मिश्रा, के विरुद्ध शिकायतों की जांच के आदेश जिलाधिकारी, बस्ती को दे दिये गये हैं मामले की गम्भीरता को देखते हुये वर्तमान जिलाधिकारी द्वारा एस0डी0एम0, भानपुर, बस्ती एवं क्षेत्राधिकारी, विकास खण्ड रामनगर, बस्ती को प्रकरण की जांच हेतु 02 सदस्यीय जांच दल को नामित किया गया है। राज्य परियोजना कार्यालय के पत्र दिनांक 11-3-2013 द्वारा जिलाधिकारी, बस्ती को अविलम्ब जांच आख्या प्रेषित करने का अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा जांच की जा रही है।]

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र पश्चिमी ब्लाक द्वितीय कौड़िहार स्थित तालाब से गन्दे पानी की निकासी हेतु सीवर लाइन बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती पूजा पाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पंचायती राज मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

श्रीमती पूजा पाल, मा0 सदस्य, विधान सभा..

राजस्व, अभाव सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[द्वारा दिनांक 08-03-2013 को नियम-51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गयी कि ''जनपद-इलाहाबाद की विधान सभा क्षेत्र 261, इलाहाबाद पश्चिमी के ब्लाक द्वितीय कौड़िहार के थाना-धूमनगंज के अन्तर्गत झलवा ग्राम में एक बड़ा तालाब स्थित है। उक्त तालाब के चारो तरफ स्थित गांवों का पानी उसी तालाब में जाता है जिससे क्षेत्र में आये दिन जल भराव की गम्भीर समस्या बनी रहती है। तालाब का पानी लोगों के घरों में घुस जाता है। वर्षा के दिनों में क्षेत्रीय जनता की स्थिति अत्यन्त दयनीय हो जाती है। तालाब का गंदा पानी लोगों के घर में आ जाने से क्षेत्रीय जनता में गम्भीर बीमारियां फैल रही हैं। क्षेत्रीय जनता द्वारा कई बार उक्त तालाब से गंदा पानी निकासी के लिये सीवर लाइन बनाने हेतु स्थानीय उच्च अधिकारियों एवं शासन से अनुरोध किया जा चुका है परन्तु अभी तक शासन द्वारा उक्त तालाब से पानी निकासी हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी है जिससे क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

इस सम्बन्ध में अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, इलाहाबाद से प्राप्त आख्या के अनुसार ग्राम झलवा में स्थित दो बड़े तालाबों से जल निकासी हेतु पूर्व से ही नालियां निर्मित हैं किन्तु उक्त नालियों में स्थानीय लोगों द्वारा कूड़ा डालने के कारण नालियां अत्याधिक गंदी एवं जाम हो गयी हैं। साथ ही तालाबों में जल कुम्भी अत्यधिक मात्रा में एकत्र हो गयी हैं। उक्त के दृष्टिगत नालियों एवं तालाब की सफाई कराया जाना आवश्यक है ताकि जल निकासी सुचारु रूप से हो सके तथा जल भराव की स्थिति उत्पन्न न हो। प्रश्नगत कार्य को कराये जाने में लगभग रु0 7.00 लाख का व्यय अनुमानित है जिसकी स्वीकृति जिला पंचायत, इलाहाबाद की आगामी बैठक में प्राप्त कर कार्यवाही की जायेगी।]

श्री अध्यक्ष-

श्रीमती पूजा पाल जी हैं, हां हैं, आपने पढ़ लिया है इसे, कुछ पूछना है।

श्रीमती पूजा पाल-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि इसमें तो इन्होंने दे दिया है, मगर यह कब तक हो जायेगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगली मीटिंग जब होगी, तब तय किया जायेगा।

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव)-

मान्यवर, जिला पंचायत की बैठकों से कार्यों का निर्धारण होता है, कार्य की आवश्यकता को समझते हुये हमने निर्देश दिया है कि अगली बैठक में सम्मिलित करके, यह कार्य सम्पन्न करा दिया जाए।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जल निगम, फिरोजाबाद द्वारा बनाई गई टी0टी0एस0पी0 टंकियों का 10 के0वी0 ट्रांसफार्मर का विद्युत मूल्य विद्युत विभाग फिरोजाबाद को न दिये जाने से योजना के चालू न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राकेश बाबू द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष-

श्री राकेश बाबू हैं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मा0 सदस्य द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना में....

राजस्व, अभाव सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[यह बिन्दु उठाया गया है कि जनपद-फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र-टूण्डला में जल निगम द्वारा टी0टी0एस0पी0 टंकियों का निर्माण कार्य कराया गया है। जिसका विद्युत कनेक्शन की धनराशि विद्युत केविल कनेक्शन के हिसाब से प्रति यूनिट 3900 रुपया विद्युत विभाग फिरोजाबाद को भेजी गयी है जबकि योजनाओं को मौके पर 10 के0वी0 ट्रान्सफार्मर की आवश्यकता है। जबकि योजना के आकलन में विद्युत धनराशि 39000 हजार रुपया उ0प्र0 सरकार ने जल निगम फिरोजाबाद को भुगतान किया जिन यूनिटों में ट्रान्सफार्मर की आवश्यकता है उनकी सूची निम्न प्रकार है :-

1-सिकन्दरपुर, 2-जालिमपुर, 3-ऐरई जाटव बस्ती, 4-नगला गुमानी, 5-ठारनाथू, 6-ग्राम हजरतपुर, 7-पिपरियां, 8-नगला सदा, 9-जाटव बस्ती जारखी, 10-अम्बेडकर पार्क तारा नगर, 11-जाटव बस्ती नगला अजब, 12-जाटव बस्ती भौडेला, 13-ओझा बस्ती बौडेला, 14-जाटव बस्ती हबीबपुर, 15-दिवाकर बस्ती हवीपुर, 16-नगला सुन्दर, 17-जाटव बस्ती रैपुरा, 18-अम्बेडकर पार्क भीकनपुर, 19-कश्यप बस्ती मिलिक, 20-ठाकुर बस्ती मिलिक, 21-जाटव बस्ती चनौरा, 22-मुस्लिम बस्ती चनौरा, 23-मुस्लिम बस्ती कपावली, 24-जाटव बस्ती पचवान, 25-जाटव बस्ती नगला कूम, 26-मुस्लिम बस्ती त्रिलोकपुर डेरा बंजारा, 27-जाटव बस्ती नयाबांस, 28-जाटव बस्ती जोधरी, 29-मुस्लिम बस्ती जोधरी, 30-कुशवाहा बस्ती जोधरी, 31-दिवाकर बस्ती कनवार, 32-जाटव बस्ती कनवार, 33-बघेल बस्ती खेरिया, 34-जाटव बस्ती खेरिया, 35-जाटव बस्ती हथीगडी, 36-चकबस्ती मरसैना आदि।

<u>आख्या-</u>जनपद-फिरोजाबाद के वर्णित ब्लाकों में पेयजल हेतु टी0टी0एस0पी0 पेयजल योजना के अन्तर्गत जल निगम द्वारा निर्माण की गई टंकियों हेतु विद्युत विभाग ने विद्युत कनेक्शनों हेतु वांछित धनराशि जमा करने हेतु जल निगम को टी0सी0 प्रेषित की गयी थी जिसका विवरण निम्न है। उ0प्र0

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जल निगम द्वारा वर्णित कनेक्शनों हेतु रु0 3900/-प्रति कनेक्शन की जमा किया गया है। अवशेष धनराशि जमा नहीं की गयी है। केवल खेरिया बघेल की बस्ती की टंकी का विद्युत संयोजन केबिल से होना प्रस्तावित है। यह कार्य खेरिया बघेल बस्ती के ऊर्जीकरण के उपरान्त ही कार्य सम्भव होगा।

क्रम सं0	ग्राम का नाम	टी0सी0 की धनराशि	पूर्व में जमा धनराशि	अवशेष धनराशि
1	ग्राम मरसेना, ब्लाक टूण्डला	89800.00	3900	85900.00
2	नगला अजब	60400.00	3900	56500.00
3	अम्बेडकर पार्क तारानगर	56200.00	3900	52300.00
4	नगला सुन्दर ब्लाक नारखी	60574.00	3900	56674.00
5	सुनवाई ब्लाक नारखी	96000.00	3900	92100.00
6	अम्बेडकर पार्क भीकनपुर	47800.00	3900	43900.00
7	जाटव बस्ती रैपुरा	53722.00	3900	49822.00
8	कश्यम बस्ती मिलक	117991.00	3900	114091.00
9	ठार साधू	121300.00	3900	117400.00
10	खेरिया बघेल बस्ती	3900.00	3900	-
11	खेरिया जाटव बस्ती	54100.00	3900	50200.00
12	जालिमपुर ब्लाक टूण्डला	89300.00	3900	85400.00

अवशेष धनराशि जल निगम द्वारा जमा न करने के कारण विद्युत संयोजन ऊर्जीकृत नहीं किये जा सके हैं। शेष धनराशि प्राप्त होने के पश्चात् दो माह के अन्दर उपरोक्त कनेक्शनों को दे दिया जायेगा।]

श्री राकेश बाबू-

मान्यवर, इसमें पूछना है।

श्री अध्यक्ष-

क्या पूछना है, बताएं।

श्री राकेश बाबू-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, मैने ए0टी0एस0पी0 के कनेक्शन के लिये, जो 10 के0वी0ए0 के ट्रान्सफार्मर लगते हैं, तो जल निगम द्वारा विद्युत विभाग को धनराशि न दिये जाने के सम्बन्ध में, प्रश्न लगाया था लेकिन हमारे विद्युत विभाग से यह जवाब आया हैं कि जल निगम द्वारा अभी धनराशि नहीं दी गयी है, इसलिये हमने अभी ट्रान्सफार्मर नहीं लगाये है, तो मैने प्रश्न तो जल निगम से लगाया था, लेकिन जो जवाब दिया है वह ऊर्जा विभाग ने, इसलिये मुझे यह दोबारा लगाना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष-

नहीं इसी में आ गया, वह धन मांग कर जमा करा दीजिये।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इसमें यह देख लेंगे, कभी-कभी ऐसा होता है कि बहुत थोड़ा सा काम रह जाता है, मिसाल के तौर पर पम्प लग गया है और ओवर हेड टैंक भी तैयार हो गया और बीच में पाइप का कनेक्शन नहीं हुआ, तो बिजली का बेवजह बिल न जाए इसलिये कनेक्शन नहीं लिया जाता है, तो हम इसे दिखवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा गोमती नगर विस्तार सेक्टर-1 में वनस्थली अपार्टमेन्ट के निर्धारित मानक के विपरीत कराये गये दोषपूर्ण कार्यों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

श्री राजेश यादव नहीं हैं इसलिये यह नहीं लिया जायेगा।

कौशाम्बी के सिराथू विधान सभा में स्वीकृत 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्रों का निर्माण न कराये जाने के सम्बन्ध में श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मा0 सदस्य द्वारा.....

राजस्व, अभाव सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[दी गयी उपरोक्त सूचना में यह बिन्दु उठाया गया है कि जनपद कौशाम्बी के सिराथू विधान सभा क्षेत्र में अजुहा, बालकमऊ एवं सिराथू 33/11 के0वी0ए0 के उपकेन्द्रों के निर्माण कार्य में देरी से कृषि और व्यापार को भारी क्षति हो रही है साथ ही सिराथू तहसील के लिये स्वीकृत उपकेन्द्र का निर्माण कार्य भी अब तक शुरू नहीं होने से पूरे क्षेत्र में लो-वोल्टेज एवं लम्बी दूरी के फीडरों के कारण ब्रेक डाउन से विद्युत आपूर्ति बाधित रहती है। क्षेत्रीय जनता एवं मेरे द्वारा बार-बार आग्रह के बाद भी अधिकारियों एवं ठेकेदारों की मिली भगत से उपरोक्त उपकेन्द्रों में गुणवत्ता के विरुद्ध कार्य करते हुये कार्य में लगातार देरी भी की जा रही है। अतएव अजुहा एवं बालकमऊ के 33/11 के0वी0ए0 विद्युत केन्द्रों का निर्माण शीघ्र पूर्ण कराये जाने एवं तहसील केन्द्र सिराथू के लिये स्वीकृत उपकेन्द्र का निर्माण अविलम्ब शुरू कराने के साथ अधिकारियों एवं ठेकेदारों की मिली भगत से पूर्व में

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

भी बनाये गये कूरामुरीदन सैनी, कोखराज तथा वर्तमान में निर्माणाधीन अजुहा एवं बालकमऊ में गड़बड़ियों की जांच भी कराया जाय।

आख्या :-इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद कौशाम्बी के सिराथू विधान सभा क्षेत्र में अजुहा, बालकमऊ, तहसील मुख्यालय सिराथू 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्रों का निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं वर्ष 2013-14 के अन्त तक पूर्ण होना सम्भावित है।

2-कुरामुरीदन :-33/11 के0वी0 सिराथू (कूरामुरीदन) (10+8 एम0वी0ए0) दिनांक 22-10-2012 को ऊर्जाकृत किया जा चुका है। 2 फीडरों का निर्माण कार्य अवशेष है जिसे माह अक्टूबर, 2013 तक पूर्ण कर दिया जायेगा।

3-सैनी :-33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र (1x5 एम0वी0ए0) सैनी का ऊर्जीकरण दिनांक 30-11-2011 को कर दिया गया है दूसरा परिवर्तक 10 एम0वी0ए0 को भी स्थापित कर दिया गया है आपूर्ति सुचारू रूप से चल रही है।

4-कोखराज :- 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र (1x5 एम0वी0ए0) कोखराज का ऊर्जीकरण दिनांक 04-12-2012 को कर दिया गया है दूसरा परिवर्तक 10 एम0वी0ए0 को भी स्थापित कर दिया गया है आपूर्ति सुचारू रूप में चल रही है।

5-उपरोक्त निर्माण कार्यों का समय में एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने हेतु संबंधित अधिकारियों का निर्देश भी समय-समय पर दिये जाते हैं जिससे कार्य शीघ्र पूर्ण हो सके]

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील लालगंज के ग्राम राहाटीकर एवं ग्राम पूरे नोती इटैला में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

श्री प्रमोद तिवारी नहीं हैं इसलिये यह नहीं लिया जायेगा।

जनपद बलिया के रसड़ा क्षेत्रान्तर्गत टोन्स नदी पर प्रधानपुर से बैजलपुर के बीच बना वर्षों पुराना बन्धा ढह जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री उमाशंकर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मैं एक अत्यन्त....

राजस्व, अभाव सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[ज्वलन्त एवं जनहित के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि मेरी विधान सभा रसड़ा अन्तर्गत टोंस नदी पर प्रधानपुर से बैजलपुर के

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बीच बना वर्षो पुराना बंधा जो कि लगभग 04 कि0मी0 लम्बा है तथा पूर्णतया ढह चुका है, जिससे टोंस नदी किनारे स्थित ग्रामों की सैकड़ों एकड़ भूमि तथा घर आदि जलमग्न हो जाया करते हैं जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त होने के साथ ही प्रतिवर्ष बाढ़ से अनेकों मवेशियों की अकाल मौत हो जाया करती है तथा लोगों की रोजी-रोटी का संकट पैदा हो जाता है। अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर जिससे हजारों लोगों का जनजीवन एवं रोजी-रोटी प्रतिवर्ष प्रभावित होती है, पर शासन से कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करता हूं।

2-श्री उमाशंकर सिंह, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गयी उपर्युक्त सूचना पर आख्या निम्नवत् है :--

जनपद-बलिया के रसड़ा तहसील में टोंस नदी के बायें तट पर प्रधानपुर से बैजलपुर के बीच निर्मित वर्षों पुराने बंधे की नदी के मध्य से दूरी लेसी बैटेड बेरीमीटर के डेढ़ गुने से कम है तथा बन्धे की ऊंचाई भी उच्चतम बाढ़ जलस्तर के सापेक्ष कम है। इस कारण इसका बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो जाना स्वाभाविक है। इस प्रकार से यह बन्धा बाढ़ सुरक्षा हेतु तटबंध के मानकों के अनुरूप नहीं है। ग्राम प्रधानपुर एवं बैजलपुर सहित अन्य गांव पिपरी, डेहरी, लोहवन, जेवइन्या फिरोजपुर, मिर्जापुर तथा लकबर की बाढ़ से सुरक्षा हेतु टोंस नदी के बायें तट पर पिपरी तटबंध लम्बाई 8.60 कि0मी0 का प्रस्ताव जनपद बलिया के इन्टीग्रेटेड एण्ड कम्प्रेहेन्सिव बाढ़ प्रबन्धन एवं जलोत्सारण प्लान में किया गया है। उक्त प्रस्तावित तटबंध का निर्माण तकनीकी, प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति के अधीन है।]

जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड तमकुहीराज स्थित सूर्य मन्दिर तुर्क पट्टी महुंअवा को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गंगा सिंह कुशवाहा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पर्यटन मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

श्री गंगा सिंह कुशवाहा, माननीय सदस्य.....

राजस्व, अभाव सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गयी है कि कोणार्क सूर्य मन्दिर के बाद तुर्कपट्टी महुअवा विकास खण्ड तककुहीराज जनपद कुशीनगर में एकमात्र मन्दिर है जिसकी सूर्य प्रतिमा गुप्तकालीन है और वह खुदाई के बाद प्राप्त हुई है। वहां जिला प्रशासन की देख-रेख में 1982, 1987 और 1989 में सूर्य महोत्सव का सफल आयोजन भी हो चुका है। पर्यटन विभाग द्वारा कान्टैनजेन्सी फंड से 25000 (रुपये पच्चीस हजार मात्र) का अनुदान भी मिला था। प्रथम सूर्य महोत्सव

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

में तत्कालीन जिलाधिकारी सुबोधनाथ झा, आयुक्त श्री रमेश चन्द्र सूर्य महोत्सव में भाग लिये थे। दूसरे सूर्य महोत्सव में जिलाधिकारी, देवरिया श्री जगजीत सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन भी हुआ था, जिसके सचिव राजीव कुमार सिंह थे। तीसरा सूर्य महोत्सव जिलाधिकारी जगजीत सिंह की अध्यक्षता में हुआ। जिसमें ज्वाइंट मजिस्ट्रेट पडरौना श्री अनिल कुमार सिंह उपस्थित थे। पर्यटन विभाग से 25 हजार की धनराशि इसी महोत्सव के लिये मिलती थी। इस सूर्य मन्दिर और गुप्तकालीन सूर्य प्रतिमा के दर्शनार्थ पूरे भारतवर्ष से वर्षभर आया करते हैं, किन्तु यहां सुविधाओं के अभाव में पर्यटकों को असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। यहां न कोई धर्मशाला है और न कोई डाक बंगला है जहां रुककर पर्यटक विश्राम कर सकें।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए मैं मांग करता हूं कि इस सूर्य मन्दिर तुर्कपट्टी महुअवा को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिये सरकार उचित कार्यवाही करे।

2-अवगत कराना है कि तुर्कपट्टी कुशीनगर से लगभग 17 किमी0 की दूरी पर स्थित है। यहां पर सूर्य मन्दिर अवस्थित है। इस स्थान की महत्ता को देखते हुए यहां वर्ष 1991-92 में जिला योजना के माध्यम से पर्यटकों के लिये यात्री निवास/धर्मशाला का निर्माण रु0 4.37 लाख की लागत से हुआ है। जहां तक किसी स्थल को पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित किये जाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विभाग में किसी स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करने की नीति नहीं है, बल्कि पर्यटक स्थल पर पर्यटकों हेतु मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं का सृजन किया जाता है।

कुशीनगर में पथिक निवास, होटल लोटस, होटल इम्पीरियल, होटल रायल रिजेन्सी एवं मोनेस्ट्रीज की पर्याप्त धर्मशालाएं यथा चाइनीज, कोरियन, थाई, तिब्बती आदि स्थापित हैं। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र में कई धर्मशालायें यथा बिड़ला धर्मशाला, इन्डो जापान धर्मशाला आदि स्थित है। तुर्कपट्टी से मात्र 17 किमी0 दूर कुशीनगर में पर्याप्त आवासीय व्यवस्था होटल/धर्मशाला अवस्थित हैं। अतः तुर्कपट्टी महुअवा में कोई धर्मशाला/होटल/आवासीय इकाई बनाये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।]

विशाल खण्ड-1 गोमतीनगर लखनऊ के भवन 1/812 के सामने स्थित पार्क से अनाधिकृत कब्जा हटाकर सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आशीष कुमार यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

जनपद लखनऊ.....

राजस्व, अभाव सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[में विशाल खण्ड-1 गोमती नगर लखनऊ में भसन संख्या 1/823 से 1/812 तथा इस पार्क के एक कोने पर शहीद भगत सिंह विद्या मन्दिर स्कूल डिगडिगा है। इस पार्क की बाउन्ड्री तथा गेट तोड़कर डिगडिगा गांव के लोग उठा ले गये हैं एवं पार्क में अपनी गाय भैंस बांध रहे हैं। पार्क के एक तरफ कब्रिस्तान है जहां पर मनोज पाण्डेय गैस एजेन्सी के लोग कब्जा करके गैस बांटते हैं इसी के बगल में पूरे गांव एवं कालोनी के लोग कूड़ा डालते हैं गोबर, गन्दगी, कूड़े की सड़न तथा गैस के सिलेन्डर को पटकने, गैस की लीकेज चेकिंग से कालोनी के लोगों का घरों में रहना मुश्किल हो गया है कालोनी वालों के मना करने पर यह सब लोग लड़ाई झगड़ा को तैयार हो जा रहे हैं। कूड़े की सड़न एवं जानवरों के मलमूत्र से भयंकर महामारी फैलने की स्थिति उत्पन्न हो गयी है।

अतः उक्त पार्क की बाउण्ड्री सही कराकर कालोनी के तरफ एक ही गेट लगवाने, गैस का वितरण बंद कराने, कूड़ा डाला जाना बंद कराने, गाय भैंस का पालन पार्क के पास न करने तथा कब्रिस्तान से अनाधिकृत कब्जा हटवाने हेतु सदन से वक्तव्य की मांग करता हूं।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विशाल खण्ड-1 स्थित भवन संख्या-1/823 से 1/812 विशाल खण्ड एवं शहीद भगत सिंह विद्या मन्दिर स्कूल डिगडिगा के सामने स्थित पार्क के अन्दर व आस-पास सफाई करा दी गयी है तथा भविष्य में उक्त क्षेत्र की सफाई हेतु सम्बन्धित को निर्देशित भी कर दिया गया है। वर्तमान में पार्क के अन्दर किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण एवं गोबर/कूड़ा आदि नहीं है। नगर निगम की वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण पार्क की बाउण्ड्री बनवाने में कठिनाई है।]

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं। कल पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 07 बजकर 50 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक 13 मार्च, 2013

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नत्थी 'क'

(देखिये अता0प्र0संख्या-2 का उत्तर पीछे पृ0-15 पर)

जनपद सीतापुर की जिला योजना

रु0 40 लाख से अधिक लागत के कार्य

1	पैंतेपुर से बाराबंकी मार्ग के बार्डर तक	6.00	131.10	127.50	12.75

रु0 40 लाख से कम लागत के कार्य

1	तम्बौर महमूदाबाद मार्ग से कि0मी0 47 से पोखरा गोसई सं0 मार्ग	0.80	27.89	30.29	11.156
2	तम्बौर महमूदाबाद मार्ग से गुडैया रामपुर मथुरा मार्ग बाईपास	0.20	8.95	10.56	3.58
3	कम्हरिया खुन-खुन से कुतबापुर के कि0मी0 4 में खारजा नाला पर 1x4x1000 डाछ डाया की ह्यूम पाइप पुलिया एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य	0.00	8.00	8.00	3.20
4	राजस्व ग्राम बहिया बहिरामपुर का मजरा टापरपुरवा सम्पर्क मार्ग	0.30	12.38	15.20	4.952
5	गुरैनी सम्पर्क मार्ग	0.30	9.93	11.19	3.972
6	बढ़ैयाखेड़ा सम्पर्क मार्ग	0.10	3.28	3.64	1.312
7	रसुलवा सम्पर्क मार्ग	0.30	9.98	11.24	1.992
8	बरगदिया सम्पर्क मार्ग	0.25	8.32	9.50	3.328
9	हिसामपुर जकरिया सम्पर्क मार्ग	0.25	8.34	9.52	3.336
10	जोतपुर बडरावां सम्पर्क मार्ग	0.20	6.68	7.78	2.672
11	तिवारिनपुरवा सम्पर्क मार्ग	0.20	8.53	9.81	3.412
12	रजकुलहापुर सम्पर्क मार्ग	0.25	8.37	9.55	3.348
13	बिहारीपुर सम्पर्क मार्ग	0.30	9.99	10.68	3.996
14	कुत्तूपुर सम्पर्क मार्ग	0.60	25.68	27.42	10.372
15	जैतीखेड़ा सम्पर्क मार्ग पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कार्य	6मी0 स्थान पुलिया	11.49	11.49	4.596
16	गढ़ीदेवरिया सम्पर्क मार्ग	0.50	23.15	25.61	0.26
17	समसाबाद से फुहारीपुरवा सम्पर्क मार्ग से दर्जिनपुरवा सम्पर्क मार्ग	0.50	18.37	30.36	7.348
18	अढौरा सम्पर्क मार्ग	0.85	37.58	28.76	11.032
19	अन्दापुर सम्पर्क मार्ग	0.50	16.43	17.13	6.572
20	जलालपुर सम्पर्क मार्ग	0.35	11.49	11.98	4.596

21	रघुनाथपुर सम्पर्क मार्ग	0.60	19.61	20.44	7.844
22	बडखेरवा सम्पर्क मार्ग	0.34	11.36	11.83	4.544
23	गोकुल नगर मार्ग	0.50	16.40	17.10	6.56
24	दौलतपुर से बौनाभारी सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कार्य (पुनर्निर्माण)	7.20	14.18	14.18	5.672
25	सिधौली महमूदाबाद मार्ग से प्रभुदयाल इण्टर कालेज का पुनर्निर्माण	1.00	21.54	22.14	8.616
26	सिधौली महमूदाबाद मार्ग से प्रभुदयाल इण्टर कालेज का पुनर्निर्माण	1.00	17.53	17.98	7.012
	योग :	**17.39**	**365.45**	**393.38**	**146.18**
	27 कार्यों का महायोग :	**23.39**	**496.55**	**520.88**	**158.93**

नत्थी 'ख'

(देखिये अता0प्र0संख्या-73 का उत्तर पीछे पृ0-46 पर)

सिंचाई कार्य मण्डल, सीतापुर विभागीय मद

वर्ष 2012-13 में नहरों की सिल्ट सफाई का विवरण

क्र0सं0	राजवाहे/माइनर का नाम	स्वीकृत धनराशि (लाख रु0 में)	व्यय धनराशि (लाख रु0)	
1	2	3	4	
1	कुंवर गड्डी राजवहा	0.981300	0.981300	धनावंटन खण्ड तदानुसार नहर स्वीकृत किये
		1.692590	1.692590	
		1.547790	1.547790	
2	तेदुआ राजवहा	0.997910	0.997910	
		1.421000	1.421000	
3	बडागांव राजवहा	1.460510	1.460510	
4	लहरपुर राजवहा	1.478010	1.478010	
5	बिसवां राजवहा	1.604710	1.604710	
		0.895890	0.895890	
6	अर्थाना राजवहा	1.648720	1.648720	
7	महोली राजवहा	1.306720	1.306720	
8	रामकोट राजवहा	1.345470	1.345470	
9	मितौली राजवहा	1.159100	1.159100	
10	कमलापुर राजवहा	1.534770	1.534770	
		0.791170	0.791170	
11	खैराबाद राजवहा	3.068180	3.068180	
12	घीरपुर राजवहा	1.755280	1.755280	
		1.017180	1.017180	
13	बसारा राजवहा	1.800	1.800	
14	महोली राजवहा	1.200	1.200	
15	सरेली राजवहा	2.750	2.750	
16	अर्थाना राजवहा	1.800	1.800	
17	कैमहरा राजवहा	1.500	1.500	
18	रामकोट राजवहा	3.000	3.000	
19	इस्लाम नगर	2.300	2.300	
20	बिनौरा राजवहा	3.110	3.110	
21	मिश्रिख	1.200	1.200	

क्र0सं0	राजवाहे/माइनर का नाम	स्वीकृत धनराशि (लाख रु0 में)	व्यय धनराशि (लाख रु0)	
1	2	3	4	
22	काकोरी	0.800	0.800	
23	मितौली	1.750	1.750	
24	कुंवर गड्डी	3.000	3.000	
25	भण्डिया	0.450	0.450	
26	सिधौली	2.500	2.500	
27	खैराबाद	1.750	1.750	
28	लहरपुर	2.700	2.700	
29	बड़ागांव	1.500	1.500	
30	तेन्दुआ	2.000	2.000	
31	मलेथू	3.170	3.170	
32	हैबतपुर	1.750	1.750	
		3.550	3.550	
33	कल्यानपुर	1.000	1.000	
34	बिसवां	3.500	3.500	
35	डिगरा	0.900	0.900	
	खण्ड का योग :	**74.686**	**74.686**	

सिंचाई कार्य मण्डल, सीतापुर

वर्ष 2012-13 में नहरों की सिल्ट सफाई का विवरण मनरेगा जिलास्तरीय-फैक्स-डी0एन0-137 ओ0ई0एस0-07-05-13

क्र0सं0	राजबहा/माइनर का नाम	वर्ष 2012-13 में मनरेगा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि (लाख रु0 में)	व्यय धनराशि (हजार रु0)	अभ्युक्ति
1	2	7	8	9
	जनपद सीतापुर			
1	कमलापुर राजवहा		28500.00	मनरेगा के अन्तर्गत धनांटन जनपदवार जिला प्रशासन द्वारा स्वीकृत किया जाता है। तदानुसार नहरों को चिन्हित कर प्राक्कलन तैयार किये जाते हैं एवं नहरों की सिल्ट सफाई का कार्य कराया जाता है एवं उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष कार्य प्रगति में है।
2	गाजीपुर राजवहा		108000.00	
3	कल्यानपुर राजवहा		62000.00	
4	दारानगर माइनर		0.00	
5	महाराजनगर माइनर		0.00	
6	सरायां माइनर		0.00	
7	अमर नगर माइनर		83000.00	
8	भीनैनी माइनर		34000.00	
9	भिटौती माइनर		63000.00	
10	बरेठी माइनर		97500.00	
11	पीडिया माइनर		39625.00	
12	विक्रमपुर माइनर		0.00	
13	समर्दपुर माइनर		0.00	
14	कसमण्डा माइनर		45000.00	
15	ऊंचाखेड़ा माइनर		21750.00	
16	बसंतपुर माइनर		58500.00	
17	बहादुरपुर माइनर		14000.00	
18	किरतापुर माइनर		40500.00	
19	कठवा माइनर		44125.00	
20	अटरिया माइनर		67875.00	
21	टिकौली माइनर		115625.00	
22	जयपालपुर माइनर		45750.00	
23	कुंवरपुर माइनर		51000.00	
24	परवाजाल माइनर		27125.00	

1	2	7	8	9
25	कांसरिया माइनर		33000.00	
26	गंगापुर माइनर		13375.00	
27	कुसैमा माइनर		76000.00	
28	हंसपुर माइनर		103500.00	
29	अकबरपुर माइनर		45500.00	
30	उदईपुर माइनर		56250.00	
	जनपद का योग (सीतापुर)	**16.648**	**13745000.00**	

नत्थी 'ग'

(देखिये अता0 प्र0 सं0-74 का उत्तर पीछे पृष्ठ-47 पर)

दिनांक 11-03-2013

गन्ना मूल्य बकाये की स्थिति, पेराई सत्र 1994-95 से 20-11-12 तक

क्र0 सं0	मिल का नाम	वर्ष													
		1994-95	1995-96	1096-97	1997-98	1998-99	2002-03	2003-04	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	आनन्द नगर**	16.22													16.22
2	गौरी बाजार**	136.15	25.13												161.28
3	पड़रौना**			129.73	1104.06									317-56	1551.25
4	कठकुंइयां**			179.62	381.18										560.80
5	गागलहेड़ी									473.96			228.88		702.84
6	मझावली						303.92		339.75	261.41		37.62	372.97		1315.67
7	न्योली								188.42	247.79			29.01	163.26	628.48
8	गोपी								315.72	246.06			6.38	907.90	1476.06
9	कमलापुर								169.58	1144.89	81.46				1395.93
10	कप्तानगंज						742.00	298.00	14.95	671.66					1726.61
11	नवाबगंज									165.16				51.19	216.35
12	सरदारनगर			960.36		266.77	637.54	66.86	23.72	319.70			67.92	481.38	2824.25
	कुल योग	152.37	25.13	1269.71	1485.24	266.77	1683.46	364.86	1052.14	3530.63	81.46	37.62	705.16	1921.29	12575.84

**उक्त चीनी मिलें भारत सरकार के उपक्रम हैं। इन चीनी मिलों पर अवशेष धनराशि को अवमुक्त करने हेतु शासन स्तर से भारत सरकार को अनुरोध-पत्र प्रेषित किया गया है।

नत्थी 'घ'

(देखिये मा0 अध्यक्ष के आदेश पीछे पृष्ठ-172 पर)

श्री महावीर सिंह राणा-

मान्यवर, आपके माध्यम से मा0 राजस्व मंत्री जी से अनुरोध करता हूं। किसान बीमा योजना में सरकार ने एक लाख से दुर्घटना बीमा योजना की धनराशि बढ़ाकर पांच लाख कर दिया या, परन्तु ऐसा देखा गया है हमारे यहां पर किसान की भूमि उसकी मृत्यु के बाद ही पुत्र के नाम जमीन (कृषि भूमि) नाम खतौनी में नाम जुड़ सकता है। परन्तु कृषि कार्य उसका पुत्र, पौत्र अथवा युवा सदस्य कार्य करता है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि कृषि कार्य करते हुए दुर्घटना (मृत्यु) हो जाये उसे कृषि भूमि दुर्घटना योजना का लाभ कृषि कार्य करने वाले के द्वारा उसके परिवार के सदस्यों को मिले।

श्री बब्बन सिंह चौहान-

माननीय अध्यक्ष जी, राजस्व विभाग पर कुछ समस्यायें हमारे विधान सभा की हैं जिसे बजट भाषण में शामिल कर लिया जाय। मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र में एक-एक लेखपाल के पास बीस से पच्चीस गांव एक लेखपाल के पास हैं। जो समस्या का निपटारा नहीं कर पा रहे और इनके द्वारा जमीनों का विवाद सुलझाने के जगह पर उलझा देते हैं और दोनों तरफ से पैसों की डिमाण्ड करके दोनों की समस्या बनाये रहते हैं जिसकी शिकायत मा0 मंत्री जी को लिखकर दिया है, हमारे क्षेत्र में बहुत से लेखपाल 10-10 वर्ष से एक ही तहसील में रहने के कारण घोर अनियमितताएं हो रही हैं। मा0 आपसे अनुरोध के साथ कहना चाहता हूं कि मा0 मंत्री जी हमारे क्षेत्र के लेखपाल के गुनाहों पर लगाम लगाने के लिये उनको अन्य जिले में कहीं अन्य क्षेत्र में लगा दिया जाये जिससे लूट-खसोट पर लगाम लगाया जा सके।

श्री राजेश त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष जी, राजस्व विभाग के बजट पर विपक्ष द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुए कुछ सुझाव एवं मांग रखने की आपने जो अनुमति दी उसके लिये आपको धन्यवाद। आपके माध्यम से मा0 राजस्व मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था एक बड़े भाग को दुरुस्त किया जा सकता है अगर लेखपालों की संख्या को बढ़ाकर उनके जिम्मे एक से दो गांव ही रखें। कई-कई गांवों की जिम्मेदारी उठाने से लेखपाल पर दबाव रहता है जिसकी अनुपलब्धता गांव में विवाद को जन्म देती है। ऐसे में लेखपालों की नियुक्ति कर संख्या बढ़ायी जाये। राजस्व न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत करने हेतु साधुवाद परन्तु गांव का आम आदमी किसान इस कम्प्यूटर का लाभ पूरी तरह से उठाने की स्थिति में आ पाये इसकी व्यवस्था पर जरूर विचार करें। साथ ही आय, निवास, जाति प्रमाण-पत्रों को लेने में काफी समय किया जा रहा है और अतिरिक्त पैसे लिए जा रहे हैं। इससे निजात दिलायी जाये। मान्यवर, आपके माध्यम से राजस्व मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं कि शासन का स्पष्ट निर्देश होने के बावजूद धुरिया (गोंड़) जाति के लोगों को गोरखपुर जनपद विशेषकर गोला तहसील क्षेत्र में रहते हैं उन्हें अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र नहीं दिये जा रहे हैं इसे संज्ञान में लेकर स्पष्ट निर्देश देने का कष्ट करें। मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि अग्निपीड़ितों एवं बाढ़ पीड़ितों एवं बाढ़ से कट गये घाटों को जो अहेतुक सहायता दी जाती है उसे बढ़ाया जाये। अगर भारत सरकार आपदा राहत की धनराशि तय करती है तो उ0प्र0 सरकार अपने पास से अलग से सहायता

देने की योजना तैयार कर पीड़ितों को सहायता उपलब्ध कराये। मान्यवर, गोरखपुर जनपद के गोला तहसील अन्तर्गत ग्राम कलिखास जगदीशपुर के लोगों को जमीन क्रय कर बसाने का प्रस्ताव वर्षों से शासन के पास लम्बित है बार-बार आश्वासन के बावजूद उन कटाव पीड़ितों को जमीन उपलब्ध नहीं हो सकी शीघ्र ही जमीन क्रय कर उन्हें बसाया जाये। मान्यवर, किसान बीमा योजना के तहत सरकार ने 5 लाख देने का वादा तो किया। मृतकों के तहसीलों से फार्म भी भरे जा रहे हैं मगर भुगतान किसी का नहीं किया गया है अब तक ऐसे में भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित कराया जाये।

पारिवारिक लाभ योजना के तहत परिवार की मुखिया की मौत पर जो 20,000 रुपये दिये जाते हैं उसे एक लाख रुपये किये जायें। फसल बीमा के तहत आग लगने या प्राकृतिक आपदा में जो धनराशि प्रति एकड़ किसानों को दी जाती है उसको बढ़ाया जाये।

श्रीमती चन्द्रा रावत-

(1) मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज, लखनऊ के नगराम टाउन एरिया में स्वास्थ्य केन्द्र बन्द पड़े हैं। जोकि मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर हैं। जोकि उसमें न तो डाक्टर बैठते हैं और न ही कोई दवाइयों की सुविधा है जिससे कि मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना झेलना पड़ता है और काफी गम्भीर बीमारियों के कारण रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। जिसमें 24 घण्टे डाक्टर उपलब्ध कराये जायें।

(2) मोहनलालगंज सी0एच0सी0 में 100 बेड की व्यवस्था करायी जाय और अल्ट्रासाउण्ड की मशीन लगायी जाय और इसे कार्यवाही में शामिल कर लिया जाय।

श्री जय प्रकाश निषाद-

मान्यवर,

(1) राजस्व अधिकारियों द्वारा अनु0 जाति के सूची में दर्ज जाति तथा मझवार, खरवार, तुरहा, गौड़ के लोगों को जानबूझकर हैरान किया जाता है इस पर स्पष्ट निर्देश देने की कृपा करें।

(2) मछुआ समुदाय के नाम जो तालाब के पट्टे दिये जा रहे हैं उसका लगान 500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है इस धनराशि को घटाकर पुनः पिछला रेट को जारी कर दिया जाय।

श्री शारदा प्रताप शुक्ला-

मान्यवर, मेरे क्षेत्र सरोजनीनगर में महाराजा बिजली पासी कन्या डिग्री कालेज चल रहा है जहां बी0 काम0 की कक्षा चलाने के लिये दो अध्यापकों की आवश्यकता है जिससे बालिकाओं को कामर्स की शिक्षा भी वहां मिल सके जिससे उन्हें दूर न जाना पड़े। उक्त प्रकरण वित्त विभाग की स्वीकृति में फंसा हुआ भवन बना तैयार है सारी परिस्थितियां अनुकूल हैं बगैर वित्तीय स्वीकृति के अध्यापक मिल नहीं सकते जिससे बालिकाओं की कामर्स की पढ़ाई नहीं हो सकती है। इसलिये अविलम्ब कामर्स की मान्यता एवं वित्तीय स्वीकृति मिलनी चाहिए।

मान्यवर, हमारी विधान सभा का आधा भाग देहात है जिसमें सरोजनीनगर ब्लाक पूरा एवं काकोरी ब्लाक की 12 गांव सभायें आती हैं जहां कोई लड़कियों का कोई डिग्री कालेज नहीं ब्लाक असेवित है उच्च शिक्षा के लिए लड़कियों की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिये एक राजकीय कन्या डिग्री

कालेज की आवश्यकता है। अस्तु मान्यवर से अनुरोध है कि एक लड़कियों के डिग्री कालेज की व्यवस्था कराने की कृपा करें यदि आपने विद्यालय दे दिया तो मैं निःशुल्क भूमि उपलब्ध करा दूंगा।

श्री बब्बन सिंह चौहान-

मा0 अध्यक्ष जी उच्च शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर हमारे जनपद चन्दौली विधान सभा मुगल सराय मान्यवर हमारे जनपद में कोई उच्च शिक्षा विज्ञान स्तर बी0एस0सी0 का कोई कालेज नहीं है। मान्यवर, हमारे चन्दौली जनपद में एक विज्ञान स्तर का जिसमें उच्च शिक्षा बी0एस0सी0 स्तर के हजारों हजार बच्चे आज अन्य जिलों में पढ़ने जाते हैं। मान्यवर, गरीब बच्चे आज ज्यादा खर्च पैसों के अभाव में अपनी पढ़ाई अन्य जनपद में जाकर पूरी करने में असमर्थ हैं। मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि हमारे जनपद के उन सभी प्रतिभाशाली बच्चों को आगे बढ़ाने के लिये कालेज खोलना अति आवश्यक है।

श्री राम चन्द्र चौधरी-

मान्यवर, अवगत कराना है कि आज जो उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय पर बजट पेश किया गया। वह बहुत ही अच्छा बजट है। इस बजट से उच्च शिक्षा में उत्तरोत्तर प्रभाव बढ़ता चला जायेगा। कुछ प्रभाव मैं दे रहा हूं जो निम्न हैं :-

1-हमारे विधान सभा क्षेत्र कादीपुर में 15 पन्द्रह महाविद्यालय चल रहे हैं। लड़कियों का महाविद्यालय नहीं है।

2-मैं आपकी आज्ञा से निवेदन करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में हर ब्लाकों में राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना की जाय। जिससे बालिकाओं को उच्च शिक्षा का लाभ मिल सके।

श्री उमाशंकर-

मान्यवर, आपके माध्यम से अवगत कराना है कि जो आज सरकार द्वारा कृषि बीमा 5 लाख दी जा रही है कि जो अच्छी बात है इसमें एक व्यवहारिक दिक्कत यह है कि जिसके नाम से जमीन उसे ही मिलता है बीमा की राशि परन्तु मान्यवर, आप बतायें यदि पिता की उम्र 80 से 90 साल है जिनके नाम से खेत है और घर में जो कमासूत पुत्र है काम करने वाला सदस्य है अगर उसकी मौत होती है तो उसे बीमा की राशि नहीं मिलती है। मान्यवर, पिता के जिन्दा रहते बेटे के नाम नहीं चढ़ता है। इसलिए इसमें सुधार करके कृषि बीमा को कमाऊ बेटे को भी मिलना चाहिए। मान्यवर, एक दूसरी सबसे प्रमुख समस्या है कि दुर्घटना मृत्यु के बाद परिवार के लोग अपना होश-हवाश खो देते हैं और पोस्टमार्टम कराना भूल जाते हैं तो फिर उनको भी बीमा की राशि नहीं दी जाती है जबकि इसमें सुधार होना चाहिए कि यदि हास्पिटल और अन्य प्रमाण-पत्र मृत्यु के लगे हैं जिसमें दुर्घटना का स्पष्ट उल्लेख है उसे भी वह बीमा राशि मिलनी चाहिए। मा0 कानूनगो, लेखपाल को निष्पक्ष होकर कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए।

मान्यवर, हमारे पूर्वांचल के जो महाविद्यालय है या विश्वविद्यालय हैं इनको बेरोजगार पैदा करने की फैक्ट्री कहा जाता है अर्थात् केवल बेरोजगार ही पैदा करती हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरह उच्च शिक्षा के अध्यापकों का भी स्थानान्तरण 5 साल के जगह पर एक साल में उनकी स्वेच्छा अनुसार करना चाहिए। मान्यवर, अगर रसड़ा में बेकार पड़ी कताई मिल की जमीन पर विश्वविद्यालय खोला जाता है तो यह मध्य में होगा यहां से 35 किमी0 मऊ, 38 कि0मी0 गाजीपुर एवं 35 किमी0

बलिया मान्यवर, एक सुझाव है मेरा हर तहसील मुख्यालय पर राजकीय कन्या महाविद्यालय खोलने पर सरकार विचार करे। उसमें आबादी के हिसाब से रसड़ा बलिया में राजकीय कन्या महाविद्यालय या राजकीय महाविद्यालय खोलना उचित होगा। मान्यवर, अपने प्रदेश में शिक्षा के स्तर गिरने से ही लाखों की संख्या में विद्यार्थी दूसरे प्रान्तों में जाकर शिक्षा लेने को मजबूर होते हैं। इस पलायन को रोकने की आवश्यकता है।

मान्यवर, पिछली बजट चर्चा में भी मा0 सदन के सदस्यों के सामने मा0 मंत्री जी ने घोषणा किया था कि रसड़ा की कताई मिल शीघ्र चालू कराई जाएगी। परन्तु आज तक चालू नहीं हुई। मान्यवर, पूर्वांचल में ऐसे भी उद्योग नया तो सरकार खोल नहीं रही है तो कृपया जो उद्योग बन्द हैं उसे तो चालू कराएं।

मान्यवर, खनन का बजट है मान्यवर, जबसे यह सरकार बनी है कोई गरीब आदमी अपनी घर की छत की ढलाई नहीं करा पा रहा है क्योंकि ढलाई की मिट्टी एवं लाल बालू इतना मंहगा हो गया है। मान्यवर, कुछ ऐसा किया जाये जिससे कि गिट्टी के रेट कम हों। धन्यवाद।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

मान्यवर, कृपया उच्च शिक्षा के बजट पर निम्नलिखित तथ्य जोड़वाने की कृपा करें :-

1-महाविद्यालयों को एफीलेसन (सम्बद्धता) सम्बन्धित विश्वविद्यालय से ही प्रदान की जानी चाहिए। यह व्यवस्था भारत के चार राज्यों तमिलनाडु, केरल एवं आन्ध्र प्रदेश में है।

2-एफीलेसन सम्बद्धता प्रपत्र ए0-डी0 समाप्त करके परमानेन्ट एफीलेसन महाविद्यालयों को दिया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय एवं इनवरसिटी एक्ट में प्राविधान है।

3-अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में बी0एड0 संकाय में 50% सीटें सरकार द्वारा एवं 50% समबन्धित महाविद्यालयों द्वारा भरी जाती हैं।

4-संविधान की धारा-30 के अन्तर्गत घोषित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों को पूरी सीटें भरने का अधिकार है इस पर उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था है।

5-मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के आदेशों एवं संविधान की धारा-30 में प्रदत्त अधिकारों को देखते हुए अल्पसंख्यक महाविद्यालयों को 100 सीटें भरने का अधिकार तत्काल बहाल किया जाना बहुत ही आवश्यक है। कृपया कार्यवाही कराते हुए सदन के संज्ञान में लाते हुए शासनादेश जारी कराने की कृपा करें।

श्री सुरेश राणा-

मान्यवर, अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र थानाभवन में कोई भी राजकीय महाविद्यालय नहीं है। मेरे क्षेत्र में एक राजकीय महाविद्यालय या एक महिला महाविद्यालय की स्थापना कराने का कष्ट करें। आपकी अति कृपा होगी।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

मा0 अध्यक्ष जी,

उच्च शिक्षा पर जो बजट प्रस्तुत किया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, हमारी सरकार का प्रयास है कि हर छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके इसके लिए प्रदेश सरकार सराहनीय प्रयास कर रही है। हमारी सरकार छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने जा रही है। मान्यवर,

हमारी सरकार चाहती है कि प्राइवेट स्तर पर विश्वविद्यालय खुलें। लेकिन विश्वविद्यालय की मान्यता के लिए शहरों में 10 एकड़ भूमि की आवश्यकता बतायी है। लेकिन अध्यक्ष जी शहरों में एक साथ 10 एकड़ भूमि मिलना संभव नहीं है शहरों में इसमें शिथिलता दी जाये। आज इस बात की कोशिश होनी चाहिए कि विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय खोले जायें जिससे अधिक से अधिक छात्र उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकें।

मान्यवर, पिछली ब0स0पा0 की भ्रष्ट एवं जालिम सरकार ने विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में छात्रसंघ पर प्रतिबन्ध लगाकर लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया था। मा0 अखिलेश यादव की सरकार ने छात्रसंघों के चुनाव कराकर लोकतंत्र को मजबूत करने का प्रयास किया है। पिछली सरकार ने लाठी, गोली दमन, जुल्म एवं तानाशाही से छात्र आन्दोलनों को दबाने का प्रयास किया था। आज हम चाहते हैं कि विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में शिक्षा का अच्छा माहौल बनाने की आवश्यकता है। विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में छात्रों की संख्या बढ़ायी जाये तथा वहां अध्यापकों की नियुक्तियां होनी चाहिए।

अध्यक्ष जी ऐसे विश्वविद्यालयों की स्थापना होनी चाहिए जिसमें मेडिकल कालेज हो, इंजीनियरिंग कालेज हो, डेन्टल कालेज हो, उसमें पैरा मेडिकल कोर्स हो तथा उसमें सारे विषयों पर शिक्षा दी जाये। मान्यवर, मैं उच्च शिक्षा के बजट का समर्थन करता हूं।

मैं भारी उद्योग बजट का समर्थन करता हूं।

मान्यवर, हमारी सरकार प्रदेश में ऐसा माहौल बनाना चाहती है जिससे बड़े उद्योगपति प्रदेश में आयें और बड़े उद्योग एवं कारखाने खुले जिससे नौजवानों को रोजगार मिले। मैं प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा लखनऊ में की स्थापना करने जा रही है।

मान्यवर, हमारा प्रयास होना चाहिए कि नौजवानों को उद्योग एवं लघु उद्योग के लिए प्रोत्साहित किया जाये। जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से उद्योग लगाने के लिए नौजवानों को सब्सिडी पर आसान दरों में आसानी से बैंको से ऋण मिले जिससे हर बेरोजगार युवाओं को उद्योग लगाने के पूरे अवसर मिलें। हमारा प्रयास होना चाहिए कि प्रदेश में बड़े उद्योग एवं कारखाने खुलें।

हर शहरों में इण्डिस्ट्रियल एरिया में 24 घण्टे बिजली की आपूर्ति हो तथा ऐसा वातावरण बनाया जाना चाहिए कि प्रदेश में उद्योग लगे। उत्तर प्रदेश के लोग प्रदेश के बाहर जाकर उद्योग लगा रहे हैं क्योंकि उन्हें उन प्रदेशों में सेल्स टैक्स एवं बिजली में सब्सिडी मिला है उन्हें वह सुविधायें हमें भी देनी होंगी। ताकि वह प्रदेश में ही उद्योग लगायें। मान्यवर, प्रदेश में जो उद्योग बन्द पड़े हैं उन्हें खुलवाने का प्रयास होना चाहिए। अपट्रान सहित सभी उद्योग जो बन्द हैं वह प्रदेश सरकार के प्रयास से खुलना चाहिए। पिछली ब0स0पा0 की भ्रष्ट एवं जालिम सरकार की जनविरोधी एवं व्यापारी विरोधी होने के कारण प्रदेश बहुत पिछड़ गया है। आज उ0 प्र0 को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए हमें उद्योगों को बढ़ावा देना होगा। प्रदेश में बन्द उद्योग एवं कारखानों को खुलवाने तथा मजदूरों की समस्याओं के समाधान के लिए एक सर्वदलीय कमेटी बनायी जाये जो सभी पक्षों से बात कर बन्द उद्योग एवं कारखाने खुलवायें।

मान्यवर, मैं इसी के साथ प्रदेश सरकार के राजस्व मंत्री द्वारा प्रस्तुत उद्योग के बजट का समर्थन करता हूं।

श्री शेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

अध्यक्ष जी,

राजस्व विभाग के बजट पर मेरे विधान सभा क्षेत्र धौरहरा में कई ग्राम शारदा व घाघरा नदी से कट गये हैं। कृपया उन कटे हुए लोगों को गृह अनुदान दिलायें तथा जो कृषि भूमि कट गयी है। उसका भी मुआवजा दें तथा कटी हुई कृषि का राजस्व (लगान) माफ कर दें तथा धौरहरा तहसील के खराब पड़े कम्प्यूटर को बहुत जल्दी ठीक करा दें तथा तहसील प्रांगण में काटे गये आम, जामुन, शीशम के पेड़ों की जांच कराकर कार्यवाही करायें तथा खानीपुर ग्राम तहसील लखीमपुर की चकबन्दी काफी वर्षों से हो रही है। उसे पूर्ण कराये तथा नदियों द्वारा काटी गयी जमीन का मुआवजा दें तथा दूसरी तरफ जो जमीन नदी द्वारा छोड़ी गयी है उसकी सही नाप कराकर उसके मालिकों को सही कब्जा दिलाए।

श्री महावीर सिंह राणा-

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं उच्च शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं। मेरी विधान सभा बहेटगंज जिला सहारनपुर में मुजफ्फराबाद विकास खण्ड जो जनपद का सबसे बड़ा विकास खण्ड में भी एक भी सरकारी बालिका डिग्री कालेज नहीं है। (असेवित है।) कृपया डिग्री कालेज बनवाने की कृपा करें एवं बहेट बालिका कालेज के अन्य संकाय खुलवाने एवं उसे छात्रों के लिए भी एडमीशन कराया जाए यह महाविद्यालय तहसील मुख्यालय पर स्थित है। उसमें और भवन निर्माण कराने की कृपा करें।

श्री गोरख पासवान-

महोदय, मेरे विधान सभा एवं जिले में निम्न समस्याओं को समाधान करने का मांग आपके माध्यम से राजस्व मंत्री से करता हूं।

1-जनपद बलिया में 1981-82 से लगातार सेवा में चले आ रहे सामयिक संग्रह अमीन 2010 में व0स0पा0 सरकार में हटा दिया गया जब कि उनको सरकार से सारी सुविधाएं मिलती चली आ रही थीं इस समय सा0स0 अमीन धरने पर कलेक्ट्रेट में बैठे हुए हैं। इनके और इनके परिवार के सामने भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गयी है इनकी लम्बी सेवा और जनहित में सा0 सग्रह अमीनों को पुनः सेवा में लिया जाय। इनकी सेवा 28-29 साल लगातार हो गयी थी।

2-हमारे विधान सभा बेल्थरा रोड तहसील में मानक के हिसाब से कर्मचारी एवं अधिकारीगण का आवास नहीं बन पाया है अभी आवास बनना शेष रह गया है। बनवाने की मांग करता हूं।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, राजस्व विभाग के बजट भाषण में माननीय नेता श्री हुमुम सिंह जी के कटौती प्रस्ताव का समर्थन करते हुये अति आवश्यक निम्नलिखित संक्षिप्त सुझाव देना चाहता हूं :--

पहला इलालाहाबाद स्थित राजस्व परिषद् को अक्सर इलाहाबाद से लखनऊ स्थानान्तरित करने की साजिश अधिकारियों द्वारा की जाती रही है। इलाहाबाद उ0प्र0 व अवध प्रांत की राजधानी रहा है। सभी प्रमुख विभागों के मुख्यालय अभी भी इलाहाबाद में ही हैं और हजारों कर्मचारी, एडवोकेट्स, बुद्धजीवी इनसे जुड़े हैं। इसे कतई न स्थानान्तरित न किया जाये।

दूसरा राजस्व विभाग के अन्तर्गत प्रदेश के लगभग 32 जिलों में राजकीय आस्थान की भूमि है। यह जमीनें नगरों के पास भी हैं। इन पर कई बड़े राजस्व अधिकारियों व नेताओं और कमजोर माध्यम वर्ग के लोगों ने भवन निर्माण कर लिया है। 10 मार्च, 1987 से इसी विधान सभा में राजकीय आस्थान की भूमि पर बसे हजारों कमजोर-मध्यम वर्ग के भवन का विनियमितीकरण राजस्व अधिकारियों के समान संविधान के अनुच्छेद 10 के अनुसार कानूनों का समान संरक्षण प्रदान करने का आश्वासन चल रहा है।

1992 में आवास विभाग के अन्तर्गत नजूल भूमि की फ्री-होल्ड नीति शासन ने बनाई। कई बार संशोधनों के बाद 1 दिसम्बर, 1998 को नजूल भूमि के पट्टो को 1991 के सर्किल दर पर फ्री-होल्ड की नीति बनाई गई है। नजूल और राजकीय आस्थान दोनों जमीनें उ0 प्र0 शासन की ही हैं। इसी सदन में 2007 में तत्कालीन राजस्व मंत्री ने राजकीय आस्थान की भूमि भी 1 दिसम्बर, 1998 की नजूल नीति के अनुसार फ्री-होल्ड करने का आश्वासन दिया। प्रक्रिया अभी लंबित है।

मान्यवर, आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से अनुरोध है कि राजकीय आस्थान की भूमि की फ्री-होल्ड नीति, 1 दिसम्बर, 1991 की नजूल नीति के अनुसार जनहित में अतिशीघ्र कराने का कष्ट करें। राजकीय आस्थान की भूमि नजूल भूमि से निम्नतर है। अतः इसकी नीति वर्तमान सर्किल दर पर नहीं हो सकती।

इसी सुझाव वे साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री जय प्रकाश अंचल-

मा0 अध्यक्ष जी मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे राजस्व बजट पर बोलने का मौका दिया।

मान्यवर, मा0 राजस्व मंत्री ने जो राजस्व विभाग का बजट प्रस्तुत किया है मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं क्योंकि मा0 अखिलेश जी की सरकार में एवं मा0 मंत्री के सहयोग से राजस्व न्यायालयों में निहित विषयों दाखिल खारिज, जमीन पर मालिकाना हक की घोषणा से सम्बन्धित मुकदमें ग्राम सभा की भूमि को सुरक्षित करने एवं अवैध कब्जेदारों की बेदखली, भूमि की नीलामी, बंटवारे आदि राजस्व न्यायालय प्रबन्धन प्रणाली एन0आई0सी0 उ0 प्र0 राज्य इकाई विकसित एक साफ्टवेयर एवं वेबसाइड का नायब तहसीलदार से लेकर राजस्व परिषद् तक कम्प्यूटरीकरण कराकर आम किसी भी तरह की भूमि विवाद सम्पत्ति लोगों को राहत दिया है। इसके लिए मैं मा0 मुख्य मंत्री जी एवं राजस्व मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

मान्यवर, वर्ष 2012 से कामन सर्विस सेन्टरों के माध्यम से खतौनी, आयु, जाति प्रमाण-पत्र का कम्प्यूटरीकरण कराया गया उसके लिए भी धन्यवाद देता हूं।

मान्यवर, पहली बार आपदा प्रबन्धन के तहत पहली बार हमारी सरकार ने तीव्र बाढ़ से बह जाने वाले ग्रामों के व्यक्तियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की योजना बनायी है इस योजना में दस करोड़ रुपया की व्यवस्था कराकर प्रभावित व्यक्तियों को भूमि क्रय की आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये हैं इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि मेरा विधान सभा क्षेत्र वैरिया पूर्णतः बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है।

मान्यवर, किसान दुर्घटना बीमा योजना की राशि बढ़ाकर एक लाख से पांच लाख किया है उसके लिए भी धन्यवाद।

मान्यवर, इसी के साथ मैं बजट का पूर्ण समर्थन करते हुए पुनः धन्यवाद देता हूं।

श्री भीम प्रसाद सोनकर-

महोदय,

अवगत कराना है कि मा0 अध्यक्ष जी आपने राजस्व बजट के समर्थन में मुझे बोलने का अवसर दिया है। इसके लिए मैं आपको आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, मैं कुछ अपना सुझाव देना चाहता हूं कि बैनामा लेने वाले की जमीन एक माह के अन्दर खारिज दाखिल हो जाना चाहिए। जिससे लिखाने वाले के नाम जमीन हो जाय। दूसरी बात यह है कि तालाब का पट्टा मत्स्य पालक के लिए खटीक सोनकर (समाज को भी) निषाद जाति के लोगों के जैसे ही जोड़कर वरीयता क्रम में दिया जाय जिससे खटीक समाज भी आर्थिक रूप से मजबूत हो सकें। ग्राम सभा की जमीनों के पट्टे वरीयता क्रम में रखकर भी खटीक समाज को प्राथमिकता दिया जाय। इसी तरह से लोहिया आवासों में भी खटीक समाज को वरीयता मिले।

मान्यवर, कुछ विभाग में पूर्ववर्ती सरकार से बिगड़ैल किस्म के अधिकारी हैं उनको भी सही रास्ते पर लाये जाने की आवश्यकता है। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र आलापुर जनपद अम्बेडकरनगर में इसी तरह का बिगड़ैल नायब तहसीलदार श्री बैजनाथ मौर्य तैनात हैं जो काफी दिनों से जिले में हैं पूर्ववर्ती सरकार में उसका कमीशनखोरी का धन्धा बड़े पैमाने पर रहा है और बगैर पैसा लिये कोई कार्य नहीं करता है और समय से ड्यूटी पर नहीं आता है और जनप्रतिनिधियों को धमकाने का कार्य करता है। मान्यवर, मैंने इसके क्रिया-कलापों की लिखित रूप से शासन एवं प्रशासन को अवगत कराया है परन्तु आज तक उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी है और इसके कार्य व्यवहार से कर्मचारी एवं अधिकारी भी नहीं सन्तुष्ट रहते हैं। मान्यवर, राजस्व विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त कर रहा हूं और खटीक समाज के गरीब व्यक्तियों को ऊपर उठाने के लिए कटिबद्ध हैं और मान्यवर, आपसे निवेदन के साथ कहूंगा कि खटीक समाज को अति दलित समाज में जोड़कर आगे बढ़ाने का कार्य करें। जिससे इनकी आर्थिक सुधार हो सके।

श्री लक्ष्मीकान्त (पप्पू) निषाद-

माननीय अध्यक्ष जी आपने राजस्व बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया। आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी को बताना चाहता हूं आजादी के बाद से निषाद समाज मत्स्य पालन, बालू, मौरंग का कार्य करता था पिछली सरकार ने बालू खनन/मौरंग को निषाद समाज से छीन लिया तथा मत्स्य पालन का लगान कोर्ट के माध्यम से 10 गुना बढ़ा दिया जबकि नेताजी मा0 मुलायम सिंह जी सरकार में निषाद समाज को सारी सुविधाएं मिलती थीं। बहुत ही सरल तरीके से मिलती थीं। मत्स्य लगान एवं मछली का पट्टा निषाद समाज/समितियों को मिलता था। मा0 अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैं मा0 राजस्व मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि पूर्व की भांति मत्स्य पट्टा लगान पूर्व समाजवादी सरकार की भांति किया जाय तथा पुनः बालू/मौरंग खनन निषाद समाज को दिया जाये एवं मत्स्य पालन पट्टे का अधिकार विहार प्रदेश की भांति मत्स्य

पालन विभाग को दिया जाय तथा ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव से ही पट्टा किया जाय बोली प्रक्रिया समाप्त किया जाय। मा0 अध्यक्ष जी आपने बोलने का अवसर दिया। आपको धन्यवाद।

श्री ललितेशपति त्रिपाठी-

महोदय,

आज निर्धारित राजस्व विभाग के बजट पर राजस्व विभाग से सम्बन्धित मैं निम्नलिखित सुझाव दे रहा हूं। कृपया इन प्रस्तावों को विभागीय नीति में सम्मिलित कराने की कृपा करें:-

1-उत्तर प्रदेश में जो आम आदमी बीमा योजना वर्तमान में प्रचलित है उसमें जिन व्यक्तियों का अभी तक पंजीकरण नहीं हुआ है तथा जिन व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी है उनका भी पंजीकरण हेतु समय-सीमा निर्धारित किया जाना चाहिए जिससे कि इस जनहितकारी योजना का लाभ सभी को समान रूप से मिल सके। इसके लिए विभाग को एक समय-सीमा अर्थात् 03 माह का समय निर्धारित कर देना चाहिए जिससे कि लोगों को इस समय-सीमा में पंजीकरण कराने तथा योजना वन लाभ मिल सके।

2-राजस्व विभाग के अभिलेख जिसमें की नक्शा भी आता है, में ढेरों खामियां हैं, लेखपालों को उपलब्ध कराये गये नक्शे की प्रतियां जीर्ण-शीर्ण होने से जमीन के सही प्रारूप का पता नहीं चल पाता है जिसमें गलतियों की ढेरों संभावना बनी रहती है इसलिए इस नक्शे को इनेक्ट्रानिक स्कैन कराकर राजस्व विभाग के वेबसाइड पर एवं जी0पी0एफ0 सिस्टम के आधार पर उपलब्ध कराया जाना अति आवश्यक है जिससे की आम जनता भी इसे जूम करके देख सके।

साध्वी सावित्री बाई फूले-

महोदय,

कृपया मेरा विधान सभा क्षेत्र बलहा 282, तहसील नानपारा जनपद बहराइच के अन्तर्गत आता है। नानपारा तहसील का अधिकतर ग्राम पंचायत वन विभाग से प्रभावित है। ग्राम पंचायत की भूमि ग्राम समाज तथा सरकार द्वारा निकाली गयी सीलिंग भूमि को वन विभाग बहराइच द्वारा लाखों एकड़ भूमि पर कब्जा कर लिया गया है। मान्यवर, जनपद बहराइच रिकार्ड आपरेशन दफ्तर में भूमि का सारा रिकार्ड सन् 1966-67 में आग लगाकर जला दिया गया था। बाद में 1967 से 1978 तक चकबन्दी द्वारा चक बनाने का कार्य शुरू हुआ उसी समय भू-माफियों ने अपने नाम से तमाम काश्तकारों की भूमि अपने नाम अंकित करा लिया तथा लाखों एकड़ भूमि वन विभाग कब्जा करके अवध फारेस्ट के नाम से अंकित करा लिया था। उस जमीन पर आज भी चकबन्दी के पहले से गरीब काश्तकार खेती का कार्य करते आ रहे हैं। मान्यवर, मैं मांग करती हूं कि वन विभाग द्वारा अतलिंग ब्रह्म समाज की भूमि जो कब्जा कर लिया गया है। पुनः सीमांकन कराकर उस भूमि को ग्राम पंचायत को वापस करा दिया जाये तथा अवध फारेस्ट की भूमि को जो जहां कब्जा किया है उस भूमि को उन्हीं को पट्टे पर दे दिया जाय तथा अवध फारेस्ट का नाम खत्म कर दिया जाय।

मान्यवर, नानपारा के तहसील के अन्तर्गत तमाम ग्राम पंचायतों की भूमि को जनपद लखीमपुर के भू-माफियाओं द्वारा कब्जा कर लिया गया है। पुनः सीमांकन करा करके उस जमीन को उन्हीं ग्राम पंचायतों को वापस करा दिया जाय।

श्री रोशन लाल वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं मा0 भाजपा नेता हुकुम सिंह जी के राजस्व विभाग की कटौती प्रस्ताव पर मुझे बल देने का मौका दिया। मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और मा0 हुकुम सिंह जी ने राजस्व विभाग की कमियों पर विस्तार से प्रकाश डाला मैं भी अपने आपको सम्बब्द्ध करते हुए जो हमारे विपक्षीगणों ने कमियां रखीं मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। मैं जनपद शाहजहांपुर की विधान सभा क्षेत्र तिलहर के सम्बन्ध में बहुत ही संक्षेप में बात रखना चाहता हूं। मा0 अध्यक्ष जी हमारा क्षेत्र गर्रा खन्नौत कठना कैमुआ नाला अन्य कई नदियों से घिरा हुआ है गत वर्ष भीषण बाढ़ आने से मा0 अध्यक्ष जी हमारे क्षेत्र से हजारों कृषकों की हजारों हेक्टेयर बाढ़ आने के कारण फसल नष्ट हो गयी थी और मा0 अध्यक्ष जी हजारों मकान क्षतिग्रस्त हुए थे। मान्यवर, सहायता राशि के नाम से सरकार द्वारा कोई भी सहायता राशि नहीं बांटी गयी जबकि मा0 अध्यक्ष जी यह सरकार किसानों के सहयोग से यहां आयी। मा0 अध्यक्ष जी यह सरकार घोर किसान विरोधी है और यहां तक कि मा0 अध्यक्ष जी हमारे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर राजस्व विभाग के अभिलेखों में धोखाधड़ी कर फर्जी गन्ने के सट्टे बनवाये गये हैं मेरे द्वारा कई बार उच्च अधिकारियों से शिकायत की गयी लेकिन किसानों के शोषण करने वालों के खिलाफ इसलिए कार्यवाही नहीं की गयी कि सरकार में बैठे बड़े-बड़े नेताओं व अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है मा0 अध्यक्ष जी यहां तक कि जब डालमियां चीनी मिल के प्रबन्धक से मैंने कहा कि आपके यहां बड़े पैमाने पर फर्जी सट्टे राजस्व की हेरा-फेरी करके बनाये गये जिस पर प्रबन्धक ने मुझसे कहा कि राजस्व विभाग तहसील तिलहर की सी0डी0 मुझे दिलवा दीजिए। मैं जांच कराकर सारे सट्टे बन्द करा दूंगा मेरे द्वारा कई बार उप जिलाधिकारी, तिलहर से कहा गया लेकिन उप जिलाधिकारी, तिलहर ने राजस्व विभाग की सी0डी0 मुझे उपलब्ध नहीं करायी गयी। मा0 अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि डालमियां चीनी मिल के प्रबन्धक को राजस्व विभाग के अभिलेखों की सी0डी0 दिलवायी जाये जिससे हमारे क्षेत्र के कृषकों का शोषण रोका जा सके। अन्त में मैं मा0 अध्यक्ष जी भाजपा नेता मा0 हुकुम सिंह जी के राजस्व विभाग की कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

पी0एस0यू0पी0-एल0 80 विधान सभा (160)-29-08-2013-813 प्रतियां (कम्प्यूटर)।